इंडियन बैंक
Indian Bank
सेवा के 112 वर्ष
112 YEARS OF SERVICE

भारतीय होने का गर्व
PROUD TO BE INDIAN

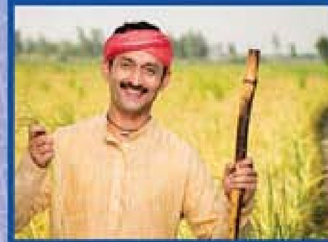

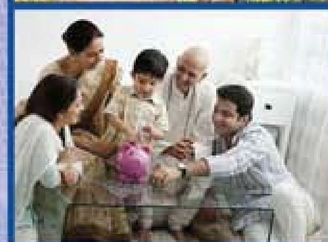

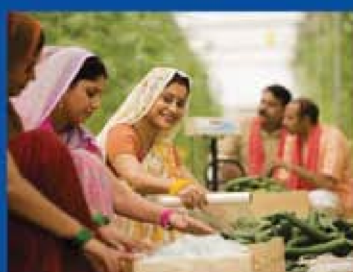

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2018-19

இந்தியன் வங்கி
इंडियन बैंक
Indian Bank
உங்கள் வங்கி • आपका अपना बैंक • YOUR OWN BANK

On behalf of Indian Bank, Ms.Padmaja Chunduru, MD & CEO received the Best Bank Award under 'Public Sector Banks' category during the Financial Express Best Banks Awards organized in January 2019. Considered as one of the country's most prestigious financial sector awards, MD & CEO received the honour from Shri Narayanan Vaghul, Former Chairman, ICICI Bank.

Indian Bank was adjudged as the State Level Best Performing Bank in SHG lending for 2016-17 and 2017-18 by Government of Tamil Nadu. Shri. Edappadi K. Palaniswami, Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu presented the award to Shri. M.K.Bhattacharya, Executive Director, Indian Bank.

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

पद्मजा चुन्डूरू
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
PADMAJA CHUNDURU
MANAGING DIRECTOR & CEO

एम. के. भट्टाचार्य
कार्यपालक निदेशक
M K BHATTACHARYA
EXECUTIVE DIRECTOR

शेणॉय विश्वनाथ वी
कार्यपालक निदेशक
SHENOY VISHWANATH V
EXECUTIVE DIRECTOR

अमित अग्रवाल
AMIT AGRAWAL

एस के पाणिग्रही
S K PANIGRAHY

विजय कुमार गोयल
VIJAY KUMAR GOEL

सलील कुमार झा
SALIL KUMAR JHA

विनोद कुमार नागर
VINOD KUMAR NAGAR

भरत कृष्ण शंकर
BHARATH KRISHNA SANKAR

मुख्य सतर्कता अधिकारी / CHIEF VIGILANCE OFFICER

सुधाकर आर अय्यर / Sudhakar R Iyer

महाप्रबंधकगण / GENERAL MANAGERS

उदय भास्कर रेड्डी के
Udaya Bhaskara Reddy K

नागराजन एम
Nagarajan M

चेळियन एस
Chezhian S

लक्ष्मीपति रेड्डी जी
Lakshmipathy Reddy G

गोपाल वी
Gopal V

वेंकटेस पेरुमाल पी
Venkatesa Perumal P

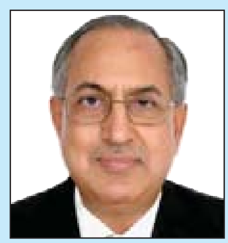

आजाद सिंह गंडास
Azad Singh Gandas

कार्तिकेयन एम
Karthikeyan M

चंद्रा रेड्डी के
Chandra Reddy K

रामू ए
Ramu A

रवि एस
Ravi S

बालसुब्रमणियन आर
Balasubramanian R

रेंगराजन एस
Rengarajan S

देवराज डी
Devaraj D

कृष्णन पी ए
Krishnan P A

संदीप कुमार गुप्ता
Sandeep Kumar Gupta

परेश चंद्र दाश
Paresh Chandra Dash

नारायणन वी एस
Narayanan V S

कॉर्पोरेट कार्यालय : 254 - 260 अव्वै षण्मुगम सालै
Corporate Office : 254-260, Avvai Shanmugam Salai
चेन्नै **Chennai - 600 014**

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2018-19
निष्पादन की प्रमुख बातें PERFORMANCE HIGHLIGHTS

(₹ करोड़ों में) (₹ in crore)

विवरण Particulars	31-03-15	31-03-16	31-03-17	31-03-18	31-03-19
कुल व्यापार Total Business	298057	310918	314654	371020	429972
जमाएं (ग्लोबल) Deposits (Global)	169225	178286	182509	208294	242076
अग्रिम (ग्लोबल) Advances (Global)	128832	132632	132145	162726	187896
निवेश (सकल) Investments (Gross)	46804	53418	67956	71232	66117
ब्याज आय Interest Income	15853	16244	16040	17113	19185
गैर ब्याज आय Non Interest Income	1363	1781	2211	2406	1883
कुल आय Total Income	17216	18025	18251	19519	21068
ब्याज व्यय Interest Expenses	11391	11798	10894	10850	12167
परिचालनगत व्यय Operating Expenses	2811	3195	3356	3668	4020
कुल व्यय Total Expenditure	14202	14993	14250	14518	16187
परिचालनगत लाभ Operating Profit	3014	3032	4001	5001	4881
निवल लाभ Net Profit	1005	711	1406	1259	322
जमाओं की लागत (%) Cost of Deposits (%)	7.10	6.76	6.03	5.40	5.28
अग्रिमों पर प्रतिफल (%) Yield on Advances (%)	10.19	9.63	9.17	8.50	8.45
निवल ब्याज मार्जिन (%)Net Interest Margin (%)	2.50	2.33	2.59	2.90	2.96
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Average Assets (%)	0.54	0.36	0.67	0.53	0.12
ईक्विटी शेयर पूंजी Equity Share Capital	480	480	480	480	480
रिज़र्व एवं अधिशेष (पुनर्मूल्यन रिज़र्व को छोड़कर) Reserves & Surplus (excluding Revaluation Reserve)	12078	12998	13981	15347	15813
निवल संपत्ति Net Worth	12558	13478	14461	15827	15785
सकल एनपीए (%) Gross NPA (%)	4.40	6.66	7.47	7.37	7.11
निवल एनपीए (%) Net NPA (%)	2.50	4.20	4.39	3.81	3.75
पूंजी पर्याप्तता अनुपात Capital Adequacy Ratio					
- बेसल II - Basel II	13.24	13.67			
- बेसल III - Basel III	12.86	13.20	13.64	12.55	13.21
प्रति शेयर अर्जन (₹) Earnings Per Share (₹)	21.62	14.81	29.27	26.21	6.70
प्रति शेयर बही मूल्य (₹) Book Value per Share (₹)	261.46	280.63	301.10	329.53	328.64
प्रति ईक्विटी शेयर लाभांश (₹) Dividend per Equity Share (₹)	4.20	1.50	6.00	-	-
शाखाओं की संख्या (नंबर) No. of branches (Nos.)	2412	2565	2682	2823	2875
कर्मचारियों की संख्या (नंबर) No. of employees (Nos.)	20294	20140	20924	19843	19604
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ लाखों में) Business per employee (₹ in lacs)	1443	1531	1488	1856	2174

लेखा परीक्षक AUDITORS

गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी
GANDHI MINOCHA & CO

पाम्स एण्ड एसोसियेट्स
PAMS & ASSOCIATES

पी एस सुब्रमणिय अय्यर एण्ड कंपनी
P S SUBRAMANIA IYER & CO

एम थामस एण्ड कंपनी
M THOMAS & CO

के सी मेहता एण्ड कंपनी
K C MEHTA AND CO

कॉर्पोरेट कार्यालय : 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै
Corporate Office : 254-260, Avvai Shanumugam Salai
चेन्नै Chennai - 600 014

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2018-19

विषयवस्तु CONTENTS

	पृष्ठ सं.		Page No.
प्रनि एवं मुकाअ का संदेश	1	MD & CEO's Message	5
निदेशकों की रिपोर्ट	10	Directors' Report	11
प्रबन्धन विचार विमर्श एवं विश्लेषण	16	Management Discussion and Analysis	17
कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	110	Report on Corporate Governance	111
कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	156	Auditors' Certificate on Corporate Governance	157
वित्तीय विवरण – इंडियन बैंक		**Financial Statements – Indian Bank**	
● तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ	160	● Balance Sheet, Profit and Loss Account and Schedules	160
● मुख्य लेखाकरण नीतियां	172	● Significant Accounting Policies	173
● लेखों पर टिप्पणियां	182	● Notes on Accounts	183
● लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	242	● Auditors' Report	243
समेकित वित्तीय विवरण		**Consolidated Financial Statements**	
● तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ	248	● Balance Sheet, Profit and Loss Account and Schedules	248
● मुख्य लेखाकरण नीतियां	256	● Significant Accounting Policies	257
● लेखों पर टिप्पणियां	270	● Notes on Accounts	271
● लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	298	● Auditors' Report	299
अतिरिक्त प्रकटीकरण	302	Additional Disclosures	303

इंडियन बैंक
निवेशक सेवाएं कक्ष
संख्या. 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै
रायपेट्टा
चेन्नै – 600 014
दूरभाष सं 044 28134076; Fax No.044 28134075
ई–मेल : investors@indianbank.co.in

Indian Bank
Investor Services Cell
No.254-260, Avvai Shanmugam Salai
Royapettah
Chennai - 600 014
Tel No. 044 28134076; Fax No. 044 28134075
E – Mail : investors@indianbank.co.in

शेयर अंतरण एजेंट
केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड
यूनिटः : इंडियन बैंक
सुब्रमणियन बिल्डिंग, 1, क्लब हाउस रोड
चेन्नै – 600 002
दूरभाष सं. 044 28460718; फैक्स सं. 044 28460129
ई–मेल : investor@cameoindia.com

Share Transfer Agent
Cameo Corporate Services Limited
Unit : Indian Bank
Subramanian Building, 1, Club House Road
Chennai - 600 002
Tel No. 044 28460718; Fax No. 044 28460129
E – Mail : investor@cameoindia.com

सुश्री पद्मजा चुन्डूरु
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

प्रिय शेयरधारको,

मुझे व्यक्तिगत तौर पर तथा निदेशक मण्डल एवं बैंक के कर्मचारियों की ओर से वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए आपके बैंक का निष्पादन आपके समक्ष रखते हुए अपार हर्ष हो रहा है। प्राप्त उपलब्धियों एवं बैंक द्वारा की गई पहलों के विवरण सहित 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत है।

इससे पहले कि हम वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें, कृपया मुझे समिष्टि आर्थिक परिदृश्य का संक्षेप विवरण प्रस्तुत करने का अवसर दें।

आर्थिक अवलोकन – वैश्विक अर्थव्यवस्था :

प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करनेवाले कारक दर्शाते हैं कि 2018 की द्वितीय छमाही में वैश्विक आर्थिक गतिविधियां धीमी हो गई हैं।

2018 की अंतिम तिमाही में संयुक्त राज्य का सीमित निष्पादन जोकि 2019 की प्रथम तिमाही में भी जारी रहा यह कारखानों की गतिविधियों में कमी के कारण था। छाया बैंकिंग पर विनियामक अंकुश लगाने तथा संयुक्त राज्य के साथ व्यापारिक तनाव बढ़ने के कारण चीन की विकासदर में भी कमी आई है। ग्राहक एवं कारोबार के भरोसे के कम होने से तथा जर्मनी में नए उत्सर्जन मानकों के लागू होने से कारों के उत्पादन में आई कमी; इटली में राष्ट्रीय क्रय–विक्रय दरों का अंतर बढ़ने के कारण निवेशकों में कमी; बाह्य मांग, विशेषकर उभरते एशिया, में कमी के कारण यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था अनुमान से अधिक बार प्रभावित हुई।

भारतीय अर्थव्यवस्था

विश्व बैंक द्वारा 2017 के लिए व्यापार करने में आसानी वाले देशों में देश की रेंक 23 स्थानों के सुधार के साथ 190 देशों के मध्य 77वें स्थान पर आँकी गई है।

चुनाव परिणामों की घोषणा के साथ ही, आगामी सरकार की अनिश्चितताओं पर विराम लग गया है। वर्तमान सरकार को आगामी 5 वर्षों की द्वितीय पारी के लिए भारी बहुमत प्राप्त हुआ है, जिसने नीतियों एवं सुधार को सुनिश्चित कर दिया है, निवेश के निर्णय और अंतर्वाह का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह बदलाव घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा शकुन है क्योंकि इससे इसके पुनरुद्धार की अपक्षाएँ बढ़ेंगी।

हालांकि, आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर चुनौतियाँ भी है जो घरेलू अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार को कमजोर करती हैं। कारोबारी अनिश्चितताएँ के साथ–साथ राजनैतिक तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति का धीमा होना बाह्य चिंता का विषय है। घरेलू आधार पर सामान्य से कम मानसून का अनुमान, मंद घरेलू उपभोग एवं निवेश, धीमा रोजगार सृजन तथा घरेलू एनएफबीसी वर्ग के लिए चलनिधि रखने का दबाव आर्थिक गतिविधियों की सम्पूर्ण विकासदर को प्रभावित करता है।

उपरोक्त चुनौतियां तथा जोखिम जिनका देश सामना कर रहा है, को देखते हुए आर्थिक गतिविधियों में एक आकस्मिक एवं महत्वपूर्ण उछाल आया है जिससे त्वरित निवेश मिलना कठिन होगा। वैश्विक परिदृश्य में अवसरों की संभावनाएं जोकि देशहित में होंगी कुछ समय बाद अमल में आने की आशा है। आगे जाकर कुछ समय बाद विकासदर धीरे–धीरे सामान्य हो जाएगी जोकि भविष्य में सुधारात्मक निष्पादन का प्रचलन निर्धारित करेगी।

बैंकिंग क्षेत्र

बैंकिंग क्षेत्र अधिकांशतः वर्षभर चलनिधि में कमी के दौर से गुजरा है। जबकि मार्च 2018 के अंत में 6% की तुलना में 1 मार्च 2019 तक जमाओं में 9.2% की वृद्धि हुई है। कथित अवधि के दौरान 10.6% की तुलना में ऋण वृद्धि 14.6% रही।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 बीपीएस प्रति के दो चरणों में रेपो दर को 6 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत तक बढ़ाया और फिर फरवरी 2019 की मौद्रिक नीति में दर को घटाकर 6.25 प्रतिशत और अप्रैल 2019 की नीति में 6.00 प्रतिशत कर दिया।

बैंक का निष्पादन – मार्च 2019 को समाप्त वर्ष

इस पृष्ठभूमि के साथ, मैं प्रमुख मानकों पर बैंक के निष्पादन का स्नैपशॉट प्रस्तुत करना चाहूँगी :

कारोबार :

बैंक का कारोबार 15.89: की मजबूत वृद्धि के साथ, रु.4 ट्रिलियन के मील के पत्थर के आंकड़े को पार कर रु.4,29,972 करोड़ तक पहुँच गया। जिसमें, जमाएँ रु.33,782 करोड़(16.22:) से बढ़कर रु. 2,42,076 करोड़ और अग्रिम रु.25,170 करोड़(15.47:) से बढ़कर रु.1,87,896 करोड़ हो गया।

लाभप्रदता :

- परिचालनगत लाभ रु.4880.62 करोड़ थी, जबकि निवल लाभ रु. 321.95 करोड़ था। निवेश की बिक्री से कम लाभ और एनपीए पर उच्च प्रावधानों के कारण बढ़ी हुई फिसलन और निवेश पर मूल्यह्रास के कारण लाभप्रदता मंद रही।
- आपका बैंक 0.12 प्रतिशत आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) के साथ वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान लाभ कमानेवाले सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक में से एक है।

कासा में वृद्धि :

कुल जमाओं में कम लागत वाली चालू एंव बचत जमाओं (कासा देशी) का हिस्सेदारी 35.48 प्रतिशत थी, जिसने बैंक को 9.16 प्रतिशत (वर्ष–दर–वर्ष) की रिकार्ड वृद्धि दर्ज कर रु.83,459.20 करोड़ तक पहुँचने में लिए सक्षम किया। प्रतिकूल बाजार की स्थिति, सरकारी जमाओं को वापस लेने, म्यूचुअल फंडों में धन का प्रवासन और छोटी बचत योजनाओं पर दी जाने वाली उच्च आकर्षक ब्याज दर से हालांकि वृद्धि में गिरावट आई है।

विविध ऋण बही :

- कृषि में सुदृढ़ विकास (25%) द्वारा संचालित सभी क्षेत्रों में अग्रिमों में वृद्धि व्यापक थी। अन्य क्षेत्रों खुदरा (13 प्रतिशत) और एमएसएमई (15 प्रतिशत) ने भी स्वस्थ वृद्धि दर्ज की। 12 प्रतिशत पर कॉर्पोरेट बढ़ने के साथ, ऋण बही में रैम सेक्टर की विविधता 58 प्रतिशत थी।
- 18 इंड एमएसएमई शाखाएँ (एमएसएमई के लिए विशेष रूप से खोलीगई), 76 विशिष्ट एमएसएमई शाखाएँ (एमएसएमई को 60 प्रतिशत से अधिक अग्रिम के साथ) और 500 एमएसएमई केन्द्रित शाखाएँ इस क्षेत्र के अंतर्गत कारोबार की शुरुआत की है।
- वर्ष के दौरान, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए बैंक का एक्सपोजर 14.53 प्रतिशत बढ़ा और लघु उद्यमों का एक्सपोजर 25.69 प्रतिशत बढ़ा।
- बैंक द्वारा अपने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित 1.50 लाख लाभार्थियों को रु. 3103 करोड़ का मुद्रा ऋण दिया गया ।
- तीन साल की अवधि में स्टैंड अप इंडिया के तहत 3692 एमएसएमई को रु.783.31 करोड़ का लाभ हुआ।
- एमएसएमई क्षेत्र को भरने के लिए देश भर में 27 क्लस्टर विशिष्ट योजनाओं की मंजूरी दी गई है।

मुख्य भौगोलिक स्थिति से योगदान:

- बैंक की मुख्य भौगोलिक स्थिति, 5 दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी ने कारोबार और बुनियादी ढांचे की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया:
- बैंक के कारोबार का 57% जमा – 52% और अग्रिम – 64%}
- कासा पोर्टफोलियो का 66%, खुदरा ऋण का 70% और प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण का 79% है ।
- बैंक अनुपात 93% के अनुपात में कुल बैंक सीडी अनुपात 77% है ।
- शाखा नेटवर्क का 52% ग्रामीण और अर्ध शहरी केंद्रों में तथा 84% बीसी और 70% एटीएम और बीएनए उपरोक्त राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में हैं ।

अनिवार्य लक्ष्यों को पार करना :

- समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के प्रतिशत के रूप में प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम 40% के विनियामक लक्ष्य (रु.31,747 करोड़) के मुकाबले (रु. 66,847.36 करोड़) 41.93% था, कृषि ऋण 18% के लक्ष्य के मुकाबले में 19.91% पर था ।

रैम कारोबार समर्थक :

- एमएसएमई ऋण प्रसंस्करण के लिए विशेष रूप से केंद्रीकृत प्रसंस्करण इकाइयां (सीपीयू) वर्ष के दौरान 8 केंद्रों में परिचालन की गई तथा पूरे भारत में 24 इंडस्ट्रीज़ रिटेल प्रोसेसिंग सेंटर (आईआरपीसी) कार्य कर रहे हैं, जो एमएसएमई / खुदरा ऋण के विकास को बढ़ा रहे हैं।
- एमएसएमई इकाइयों के बिलों में छूट के लिए बैंक में तीन टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं।

स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने में अग्रणी :

- 39 विशिष्ट माइक्रोसेट शाखाएँ स्वयं एसएचजी की ओर विशेष ध्यान देती हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एसएचजी का पोर्टफोलियो का आकार रु. 697.91 करोड़ बढ़कर रु. 4733.41 करोड़ पहुँच गया । बैंक तमिलनाडु के "एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम में" लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार प्राप्त कर रहा है।

बैंक का क्षेत्र विस्तार :

- अपने अखिल भारतीय नेटवर्क को बढ़ाने और बैंक के अधीन और बैंक रहित क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए, 2886 ईंट और मोर्टार शाखाओं और 3892 एटीएम / बीएनए तथा 3022 व्यवसाय प्रतिनिधियों सहित 9786 स्पर्श केन्द्रों तक पहुँचने के लिए वर्ष के दौरान 91 शाखाएं खोली गईं ।
- बैंक की सिंगापुर और श्रीलंका में कोलंबो और जाफना में अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति है। ये दोनों लाभार्जन के केंद्र हैं और बैंक ने इन केंद्रों पर और अधिक व्यवसाय सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है।

वित्तीय समावेशन पहल :

आपका बैंक वित्तीय समावेशन, प्रधान मंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडीवाई) के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय मिशन का समर्थन करने में अग्रणी रहा है। बैंक का प्रदर्शन इसके लॉन्च के बाद से अनुकरणीय है जिसे निम्नलिखित तथ्य इंगित करते हैं:

- 37.78 लाख बीएसबीडी खाते योजना की स्थापना के बाद से खोले गए।
- प्रत्येक व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) के अनुसार किया जाने वाला औसत मासिक लेन–देन 1000 से अधिक है – लेन–देन की संख्या के मामले में उद्योग में उच्चतम।
- योजना के शुभारंभ के बाद से पीएमजेजेबीवाई के तहत 10 लाख ग्राहकों को और पीएमएसबीवाई के तहत 22 लाख ग्राहकों को नामांकित किया गया।
- 2015 में योजना शुरू होने के बाद से 5.8 लाख से अधिक एपीवाई ग्राहकों ने अपने मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान पीएफआरडीए द्वारा दिए गए 1.62 लाख के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 2.3 लाख ग्राहकों ने पंजीकरण किया ।

सामाजिक उत्तरदायित्व

- एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक के रूप में बैंक विभिन्न योगदानों के माध्यम से जरूरतमंद और गरीबी रेखा के निकट की आबादी तक पहुंचे ।
- **स्वच्छ भारत अभियानः** तमिलनाडु में महिलाओं के लिए सरकारी स्कूलों / कॉलेजों और छात्रावासों के लिए स्वचालित नैपकिन वेंडिंग मशीन और भट्टी दान किया।
- **महिला सशक्तीकरणः** प्रायोजित कार्यक्रम **परम्परा** का आयोजन 2 सितंबर 2018 को दिल्ली में परिचय फाउंडेशन द्वारा किया गया।
- **समावेशी विकासः** ग्राम मौजदीन से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, माधव सिंघाना, सिरसा, हरियाणा में सीएसआर के तहत 1800 फीट सड़क के निर्माण के लिए विस्तारित प्रायोजन।
- सीएसआर के तहत कौशल विकास के लिए बेंगलुरू में नेशनल एकेडमी ऑफ रुडसेटि (एनएआर) बिल्डिंग के निर्माण के लिए रु. 24 लाख का दान।
- **ग्रीन पहलः** वीआईटी, वेल्लोर के ग्रीन वेल्लोर प्रोजेक्ट के लिए रु. 9 लाख का योगदान

मजबूत पूंजी संरचना

- भारत सरकार द्वारा पीएसबी को वित्तीय वर्ष 2017–18 में पूंजीगत निवेश की पहली किश्त यानी रु. 88,139 करोड़ रुपये के बाद, वित्त वर्ष 2018–19 में रु. 1.06 लाख करोड़ रुपये का दूसरी किश्त प्रदान किया गया। मुझे यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि आपका बैंक एकमात्र पीएसबी था जिसे सरकार की पूंजी सहायता की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह आंतरिक उपादानों के निरंतर हल के द्वारा पूँजी के संदर्भ में आत्मनिर्भर रहा है।
- मार्च 2019 के अंत तक बेसल III के तहत 13.21 प्रतिशत सीआरएआर के साथ, बैंक पर्याप्त रूप से पूंजीकृत है।
- बैंक ने कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (ईएसपीएस) के माध्यम से मई 2019 में रु. 295.48 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई है और विकास योजनाओं के लिए पूंजी जुटाने और हिस्सेदारी को नीचे लाने के लिए वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान उचित समय पर बाजार में टैप करने की योजना है। भारत सरकार के 75 प्रतिशत से नीचे नियामक दिशा निर्देशों के अनुसार जिसके लिए सम्मानित शेयरधारकों से अनुमोदन के पास उपलब्ध हैं।
- बैंक का बाजार पूंजीकरण रु.13,446 करोड़ था।

नियंत्रित परिसंपत्ति गुणवत्ता

- सकल एनपीए को सकल अग्रिम अनुपात और शुद्ध एनपीए को नेट अग्रीम अनुपात में क्रमशः 7 प्रतिशत 11 प्रतिशत और 3.75 प्रतिशत तक घटकर क्रमशः 7.37 प्रतिशत और 31 मार्च 2018 को 3.81 प्रतिशत हो गया। स्ट्रेस्ड एसेट्स का अनुपात भी 31.03.2018 की 8.65 प्रतिशत तुलना में घटकर 31.03 प्रतिशत 2019 को 8.50 प्रतिशत हो गया।

उत्तोलन प्रौद्योगिकी

- बैंक ने डिजिटल चैनलों के माध्यम से सेवाएं देने में दक्षता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अपने बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने में निवेश करना जारी रखा है।
- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के तहत कई योजना भुगतान के लिए शीर्ष निष्पादन करने वाला बैंक।
- मोबाइल बैंकिंग लेनदेन में चार गुना वृद्धि।
- एटीएम लेनदेनों में सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के मध्य में सर्वाधिक लेनदेन करनेवाले बैंकों में दूसरे स्थान पर है।
- सभी बैंकों के मध्य में सर्वाधिक रूपे प्लाटिनम कार्ड जारी करनेवाला बैंक है।

नई पहल

- तमिलनाडु ग्राम बैंक, राज्य के लिए अनन्य क्षेत्रीय बैंक, बैंक के पल्लवन ग्राम बैंक के साथ इंडियन ओवरसीज बैंक के पांडियन ग्राम बैंक का सफलतापूर्वक समामेलन होने पर 1 अप्रैल 2019 से 630 शाखाओं और रु.22,500 करोड से अधिक कारोबार के साथ परिचालन शुरू किया है।
- तमिलनाडु एवं पांडिच्चेरी के लिए एक मात्र बैंकर के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित नई योजना – पीएम–किसान योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया।
- आधार आधारित ओटीपी के जरिए बैंक की वेबसाइट/मोबाइल एप के द्वारा ऑन–लाइन बचत बैंक खाता खोलने के लिए सक्षम किया गया।
- बैंक का मोबाइल एप ग्राहक सुविधा के लिए अब 5 भाषाओं में उपलब्ध है (यथाः अंग्रेजी, तमिल, मल्यालम, हिन्दी तथा मराठी)
- वर्तमान उद्योग स्टैण्डर्ड के अनुसार बैंक की वेबसाइट नयी बनावट तथा परिदृश्य के साथ पुनःसृजित किया गया है।
- मूल्यवर्धित अंशों के साथ नही बनावट युक्त इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट का प्रवर्तन किया गया।

पुरस्कार एवं प्रशस्तियाँ

बैंक को अधिक पुरस्कारों से नवाजा गया है, मैं इनमें से कुछ पुरस्कारों के विवरण आपके साथ साझा करना चाहती हूँ।

- पीएफआरडीए द्वारा **''एपीवाई के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ निष्पादक 2017–18 ''** पुरस्कार प्रदान किया गया।
- नाबार्ड द्वारा वित्तीय साक्षरता 2018–19 हेतु **''सर्वश्रेष्ठ निष्पादक''** घोषित किया गया।
- तमिलनाडु सरकार से **''वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए बेस्ट बैंक इन एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम''** पुरस्कार प्राप्त हुआ। बैंक ने लगातार इस पुरस्कार को दस वर्षों से जीत रहा है।
- सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों में वर्ष 2017–18 के लिए एसएचजी लिंकेज में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार
- आईबीए द्वारा **''बेस्ट फाइनेंसियल इन्क्लूशन इनिसिएटिव'' – ''उप विजेता''** पुरस्कार प्रदान किया।
- एसोचेम द्वारा – सोशल बैंकिंग एक्सेलेन्स अवार्ड 2018 – कृषि बैंकिंग, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, प्रौद्योगिकी एवं समग्र रूप में सर्वश्रेष्ठ सामाजिक बैंक के अंतर्गत विजेता घोषित किया गया।

- राजभाषा कार्यान्वयन के उत्कृष्ट निष्पादन के लिए भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु **''राजभाषा कीर्ति पुरस्कार''** प्रदान किया गया।
- स्टेट फोरम आफ बैंकर्स क्लब केरल द्वारा **''बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक''** पुरस्कार से नवाजा गया।

भविष्य का पथ :

केन्द्र राज्य में सुदृढ सरकार का सृजन होने के कारण, सुधारों का जारी रहना, आर्थिक क्रियाकलाप को पुनर्जीवित करते हुए वाणिज्यिक क्षेत्र को उच्च वित्तीयन का प्रवाह, ये सब वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए पर्याप्त प्रेरणा शक्ति होगी। आगे, वाणिज्यक क्षेत्र के बैंकों के पुनःपूंजीकरण की प्रक्रिया से पीएसबीयों के तुलनपत्र में संतुलन तथा आई बी सी (इनसालवेन्सी एण्ड बैंक्रप्सी) के अधीन भारग्रस्त आस्तियों के समाधान से कारोबार एवं निवेश में सुधार होगा, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में दृढता होगी क्योंकि अर्थव्यवस्था और ऋण की आवश्यकताएँ एक दूसरे से जुडी हुई हैं।

सरकार की सुधार नीति ''रेस्पानसिव तथा रेस्पानसिबिल पीएसबी'' का उददेश्य'' ''एनहेन्सड एक्सस तथा सर्विस एक्सेलेंस'' है जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के पुनःपूँजीकरण के साथ सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों को सुदृढता प्रदान करना है, जिसके माध्यम से एमएसएमई तथा खुदरा ग्राहकों को ऋण प्रदान किया जा सके तथा बैंकिंग लेन–देन तथा कारोबार में गुणात्मक वृद्धि दर्शाई जा सके।

दूसरी ओर वैश्विक अर्थ व्यवस्था में मंदी, कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता तथा निजी क्षेत्र द्वारा किए जा रहे निवेशों में मंदी के कारण देशी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है।

वर्ष 2019–20 के लिए बैंक की रणनीति विकास एवं लाभप्रदता पर ध्यान केन्द्रित करना होगा।

''कासा'' को बढाने पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाएगा, खर्चों में कमी लाना, ब्याज से इतर राजस्व अर्जित करना, क्षति ग्रस्त आस्तियों में वसूली तथा गैर निष्पादक आस्तियों के स्तर को नियंत्रित करना हमारा लक्ष्य होगा। इन सब से कारोबार में वृद्धि के फलस्वरूप बैंक के लाभ में सुधार होगा।

हमारा ध्यान ग्राहकों को ग्राहकों एवं कर्मचारियों के बीच निरन्तर संपर्क बनाए रखकर प्रभावी तथा अत्युत्तम ग्राहक सेवा प्रदान करना तथा ग्राहकों द्वारा डिजिटल बैंकिंग के उपयोग को बढावा देने के लिए शिक्षित करना होगा ताकि वे अपना कारोबार आसानी से कर सके।

प्रबंधन पूर्ण विश्वास है कि हम सब के एक जुट प्रयासों तथा टीमवर्क तथा आप सबका सतत् संरक्षण, विश्वास तथा आपका प्रोत्साहन आनेवाले वर्षों में हमारे पणधारियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा।

आभारोक्तियाँ

मैं, इस अवसर पर बोर्ड के सभी सदस्यों को वर्ष के दौरान दिए गए बहमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन तथा निविष्टियां के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं इस अवसर पर हमारे विश्वस्त ग्राहकों द्वारा दिए गए पूर्ण समर्थन के लिए अपनी कृतज्ञता अर्पित करती हूँ तथा बैंक के समर्पित और निष्ठावान कार्मिकों को विक्षुब्ध बैंकिंग परिदृश्य में उनके अथक प्रयासों के लिए बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने सराहनीय कार्य किया है।

मैं उन सभी बहुमूल्य शेयरधारकों और पणधारियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने बैंक के सभी प्रयासों में हमारा साथ दिया है।

हम आगे भी आप सबके समर्थन, सद्भाव तथा संरक्षण की आशा करते हैं।

षुभकामनाओं के साथ,

भवदीय

पद्मजा चुन्डूरू
एमडी एवं सीइओ

Ms PADMAJA CHUNDURU
Managing Director &
Chief Executive Officer

MD & CEO's Message

Dear Shareholders,

On my personal behalf and on behalf of Board of Directors and employees of the Bank, it is my pleasure to place the highlights of your Bank's performance during FY 2018-19 before you. The Annual Report for the Financial Year ended 31st March 2019 details the achievements made and initiatives taken by your Bank.

Before we get to the financials, let me briefly dwell on macro-economic scenario.

Economic overview – Global Economy:

Global economic activity has slowed down in the second half of 2018, reflecting a confluence of factors affecting major economies.

There has been subdued performance in United States in the final quarter of 2018 which continued in Q1 of 2019 also on account of declining factory activity. China's growth declined following a combination of needed regulatory tightening to rein in shadow banking and an increase in trade tensions with the United States. The Euro area economy lost more momentum than expected as consumer and business confidence weakened and car production in Germany was disrupted by the introduction of new emission standards; investment dropped in Italy as sovereign spreads widened; and external demand, especially from emerging Asia, softened.

Indian Economy:

Under Ease of Doing Business, Country's rank improved by 23 Positions to 77th rank among 190 countries assessed by the World Bank in 2017.

With declaration of Elections results, the uncertainties surrounding the next Government has been put to rest. The strong mandate for the current Government for the second successive 5 year term would ensure a continuity in policy and reforms, pave the way for commencement of investment decisions and inflows. This in turn would augur well for the domestic economy as there are increased expectations of its revival.

However there are challenges, both internal and external which pose potential threats to revival of the domestic economy. Uncertainties in trade together with political tensions, rising crude oil prices and slowdown in global economic momentum remain concerns from the outside. On the domestic front, lower than expected normal monsoons, muted domestic consumption and investments, slow growth in job creation and liquidity pressures in the domestic NBFCs segment have the potential to affect the overall growth in economic activity.

In view of the above challenges and risks which confront the country, a sudden and significant spurt in economic activity and investments may be difficult immediately. On the global front, expectation of opportunities which would be beneficial to the country is expected to take some time to materialize. Going forward, growth would be gradual over a period of time which could set the trend for an improved performance in future.

Banking Sector:

The banking sector passed through a phase of liquidity deficit for most of the year. While deposits grew by 9.2% as of March 1st 2019 as compared to 6% over end-March 2018, growth in credit was higher at 14.6% as against 10.6% during the said periods.

RBI increased the repo rate from 6% to 6.5% in two tranches of 25 bps each and then lowered the rate in the February 2019 monetary policy to 6.25% and to 6.00% in the April 2019 policy.

Bank's performance - YE March 2019

Against this backdrop, I would like to present a snapshot of the Bank's performance in key parameters

Business:

Bank's business crossed the milestone figure of ₹4 trillion to reach ₹4,29,972 Cr with a robust growth of 15.89%. Within which, Deposits grew by ₹33,782 Cr (16.22%) to ₹2,42,076 Cr and Advances by ₹25,170 Cr (15.47%) to ₹1,87,896 Cr.

Profitability:

- Operating Profit was at ₹4880.62 Cr, while Net Profit was at ₹321.95 Cr. The profitability was subdued on account of reduced profit from sale of Investments and higher provisions on NPAs on account of increased slippages and Depreciation on Investments.
- Your Bank is one of the very few profit making PSBs during FY 2018-19 with Return on Assets (ROA) of 0.12%.

Growth in CASA:

- The share of low-cost Current & Savings deposits (CASA Domestic) in Total Deposits at 35.48%, enabled the Bank to record a growth of 9.16% (y-o-y) to touch ₹83,459.20 Cr. Adverse market conditions viz., withdrawal of Government deposits, migration of money into mutual funds and higher attractive interest rate offered on small savings schemes however mellowed down the growth.

Diversified Loan Book:

- Growth in advances was broad based across all the sectors driven by robust growth in Agriculture (25%). Other sectors Retail (13%) and MSME (15%) also posted healthy increase. With Corporate growing at 12%, the Loan Book was well diversified with RAM Sector constituting 58%.
- 18 Ind MSME Branches (catering exclusively to MSMEs), 76 Specialized MSME Branches (with more than 60% of advances to MSMEs) & 500 MSME focus branches garnered business under this sector.
- During the year, Bank's exposure to Micro, Small & Medium Enterprises grew by 14.53% with exposure to Small Enterprises growing 25.69%.
- MUDRA loans of ₹3103 Cr was extended to around 1.50 lakh beneficiaries by the Bank including its Regional Rural Banks.
- 3692 MSMEs benefitted under Stand up India Scheme to the tune of ₹783.31 Cr over a period of three years.
- 27 cluster specific schemes have been approved across the country for giving a fillip to MSME sector.

Contribution from core geographies:

- Bank's core geographies viz., 5 Southern States & UT of Puducherry contributed significantly towards business and infrastructure set up:
- 57% of Bank's Business {Deposits - 52% & Advances – 64%}
- 66% of CASA portfolio, 70% of Retail Credit and 79% of Priority Sector lending.
- CD ratio at 93% as against overall Bank CD ratio of 77%.
- 52% of branch network are in Rural and Semi Urban centres and 84% of BCs & 70% of ATMs and BNAs are at the aforementioned States/UT

Mandatory targets surpassed:

- Priority Sector Advances (₹66,847.36 Cr) as a percentage of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) was 41.93% as against regulatory target of 40% with Agriculture lending (₹31,747.Cr) at 19.91% as against the target of 18%.

Enablers driving RAM business:

- Centralized processing units (CPUs) exclusively for processing MSME loans were operationalised in 8 centers during the Year and 24 Ind Retail processing Centres (IRPCs) functioning across India are driving growth of MSME/Retail loans.
- Bank is onboarded in three TReDS platform for discounting of Bills of MSME units.

Forerunner in lending to SHGs;

- 39 specialized Microsate branches deliver exclusive and specialized attention towards SHGs. The portfolio size of SHG increased by ₹697.91 Cr during FY 2018-19 to touch ₹4733.41 Cr. Bank has been bagging the Best Bank award for 10 consecutive years "in SHG Bank linkage Programme" from Govt of Tamil Nadu.

Expanding Bank's foot print:

- Towards enhancing its pan-India network and to extend its reach to the under-banked and unbanked areas, 91 branches were opened during the year to touch 9786 touch points, including 2872 Brick & Mortar branches and 3892 ATMs/BNAs and 3022 Business Correspondents.
- Bank has international presence in Singapore and Colombo & Jaffna in Sri Lanka. Both these Centres are Profit making and Bank has focused on further business improvement at these Centres.

Financial Inclusion initiatives:

Your Bank has been a forerunner in supporting the Government of India's National Mission for Financial Inclusion Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY). Bank's performance has been exemplary since its launch as the following facts indicate:

- 37.78 lakh BSBD accounts opened since inception of the scheme.
- Average monthly transaction done per each Business Correspondent (BCs) is more than 1000 - Highest in the Industry in terms of number of transactions.

- Enrolled 10 Lakh customers under PMJJBY & 22 Lakh customers under PMSBY customers since the launch of the scheme.

- Sourced more than 5.8 lakh APY subscribers since the launch of the scheme in 2015. During the current fiscal, your Bank sourced 2.3 lakh subscribers against the annual target of 1.62 lakh given by PFRDA.

Social Responsiveness

- Bank as a responsible Corporate Citizen reached out to the needy and marginalized population through various contributions:

- **Clean India Movement:** Donated automatic napkin vending machines and incinerators to Government schools/ colleges and hostels for women in Tamil Nadu.

- **Women Empowerment:** Sponsored Event "Parampara" organized by Parichay Foundation on 2nd September 2018 at Delhi.

- **Inclusive Growth:** Extended sponsorship for constructing 1800 ft road under CSR from Village Maujdin to Government Primary school, Madhao Singhana, Sirsa, Haryana.

- Donated ₹24 lakhs towards construction of National Academy of RUDSETI (NAR) Building at Bengaluru for Skill Development under CSR.

- **Green Initiative:** Contributed ₹9 lakhs for Green Vellore Project of VIT, Vellore

Robust capital structure:

- Following the first tranche of capital infusion i.e. ₹88,139 Cr in FY 2017-18 to PSBs by Government of India, a second tranche of ₹1.06 lakh Cr was provided in FY 2018-19. I feel proud to inform that your Bank was the only PSB which did not require Government's capital assistance as it has been self sustaining in terms of Capital by continuous plough back of internal accruals.

- With CRAR at 13.21% under Basel III, as at the end of March 2019, Bank is adequately capitalized.

- Bank has raised capital of ₹295.48 Cr in May 2019 through Employees Stock Purchase Scheme (ESPS) and there are plans to tap the market at the appropriate time during FY 2019-20 to raise Capital for the growth plans and also to bring down the stake of Government of India below 75% as per regulatory guidelines for which near approval from esteemed Shareholders are available.

- Market Capitalisation of the Bank was at ₹13,446 Cr.

Controlled asset quality:

- Gross NPAs to Gross Advances Ratio and Net NPAs to Net Advances Ratio reduced to 7.11% and 3.75% respectively from 7.37% and 3.81% respectively as on 31st March 2018. Stressed Assets Ratio too reduced from 8.65% as on 31.03.2018 to 8.50% as on 31.03.2019.

Leveraging Technology

- Bank has continued to invest in modernising its infrastructure with focus on improving efficiency in delivering services through digital channels.

- **Top performing Bank** for multiple scheme payments under Public Financial Management System (PFMS).

- **Four fold** increase in Mobile banking transactions.

- **2nd highest among PSBs** and 5th among all banks in ATM transactions.

- **Highest Rupay Platinum card** issuer among all banks.

New initiatives:

- **Tamil Nadu Grama Bank,** exclusive Regional Rural Bank for the State commenced operations on 1st April 2019 with 630 branches and Business of more than ₹22,500 Cr after successful amalgamation of Pandyan Grama Bank of Indian Overseas Bank with Bank's Pallavan Grama Bank.

- Successfully implemented the newly launched PM-Kisan Scheme of Government of India, as a sole Banker for Tamil Nadu and Puducherry.

- Online opening of Savings Bank Account enabled through Bank's website/Mobile App using Aadhaar Based OTP.

- Bank's Mobile APP (IndPAY) is now available in 5 languages (viz. English, Tamil, Malayalam, Hindi and Marathi) for customer convenience.

- Bank's Website revamped with a new look and feel, as per the current industry standards.

- New look Internet Banking website launched with value added features.

Awards and Accolades

Bank was bestowed with a number of awards and I am glad to share details of few of them:

- **"Best performing PSB under APY 2017-18"** - PFRDA

- **"Best Performance – Financial Literacy - 2018-19"** – NABARD

- **"Best Bank in SHG Bank linkage Programme" for 2017-18** from Govt of Tamil Nadu. Bank has bagged this award for **10** consecutive years.

- **"National Award for Best Performance in SHG Bank Linkages 2017-18 Public Sector Banks**

(Small Category)" by National Rural Livelihoods Mission, Ministry of Rural Development, Government of India.

- **"Best Financial Inclusion Initiatives – Runner up"** – Indian Banks Association (IBA).

- **ASSOCHAM - Social Banking Excellence Award 2018** - Winner in Agricultural Banking, Priority Sector Lending, Technology & Overall Best Social Bank.

- Government of India's **"Rajbhasha Kirti Puraskar" for 'Outstanding Performance in implementation of Official Language'** during the year 2017-18.

- **"Best Public Sector Bank" Banking Excellence Award 2018** - By State Forum of Banker's Clubs Kerala.

The path ahead:

With the formation of stable Government at the centre, continuation of reforms, higher financial flows to the commercial sector reviving economic activity, there is likely to be enough impetus for accelerating growth in the FY 2019-20. Further, the cleaning up of Balance Sheet of PSBs through the process of recapitalisation of Public Sector Banks and resolution of stressed assets under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), would improve the business and investment environment which, in turn, will aid robust growth in banking sector as the credit needs of the economy are inter twined.

Government's overarching framework for reforms agenda is **"Responsive and Responsible PSBs"** aimed at **EASE - Enhanced Access and Service Excellence** which together with Recapitalization of PSBs is aimed at strengthening PSBs, increasing lending to MSMEs and making it easier for MSMEs and retail customers to transact as well as significantly increase access to banking services.

On the other hand, the domestic economy may face headwinds due to slowdown in global growth, volatility in international crude oil prices and sluggish private investments.

Bank's strategy for FY 2019-20 will be concentrated on growth with profitability.

The prime focus would be on increasing CASA, curtailing cost, increasing revenue other than from interest, accelerating recovery in respect of impaired assets and containing the level of NPA. In the process growth in business would culminate into improving the bottom line of the Bank.

The focus would also be on offering efficient and excellent customer service with frequent employee customer connects and educating customers on the use of digital banking to give them great ease and convenience.

The Management team is confident that our collective effort and teamwork along with your continuous patronage, trust and encouragement will help us to surpass the expectations of all the stakeholders in the year ahead.

Acknowledgement:

I would like to take this opportunity to thank all members of the Board for their valuable support, guidance and inputs to the Management during the course of this year's journey. I would also like to acknowledge the unstinted support of our loyal customers and express my sincere appreciation for the untiring efforts of the dedicated and devoted work force of the Bank who performed exceedingly well in a turbulent banking environment.

I also wish to sincerely thank each one of our valuable shareholders and other stakeholders for their continued confidence and support to the bank in all its endeavours.

We would continue to look forward to your support, goodwill and patronage.

With best wishes,

Yours sincerely,

PADMAJA CHUNDURU
MD & CEO

इस पृष्ठ को साभिप्राय रिक्त रखा गया है।

This page is intentionally left blank

निदेशकों की रिपोर्ट 2018–19

सेवा में

सदस्यों को....

आपके निदेशकों को आपके बैंक के **31 मार्च 2019** को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित लेखों का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अत्यधिक हर्ष हो रहा है।

वित्तीय मुख्य बातें

वित्तीय वर्ष 2018–19, 16 प्रतिशत वर्ष–दर–वर्ष की वृद्धि के साथ समाप्त हुआ। वैश्विक कारोबार रु.4.30 लाख करोड़ तक पहुंचा है, जमाओं में 16.2 प्रतिशत की वृद्धि और अग्रिम में 15.5 प्रतिशत का योगदान हुआ है।ऋण बही की वृद्धि व्यापक आधारित थी जिसके कारण ब्याज आय में सराहनीय वृद्धि हुई।आस्ति गुणवत्ता पर चुनौतियां थीं, जिसके कारण प्रावधान की आवश्यकता में वृद्धि हुई और परिणामस्वरूप निवल लाभ पर प्रभाव पड़ा। पिछले वर्ष के दौरान विनियामक और लेखापरीक्षा आवश्यकताओं के साथ सभी आवश्यक कदम उठाए जाने के बाद, आगे का रास्ता स्पष्ट और उज्ज्वल है।

29 मार्च 2019 तक आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, एएससीबी के कुल जमाओं और अग्रिम में क्रमशः 13.15 प्रतिशत और 17.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसकी तुलना में, बैंक की जमाओं और अग्रिम क्रमशः 20.37 प्रतिशत और 20.83 प्रतिशत बढ़ी। बैंक का मार्केट शेयर जमाओं में 1.75 प्रतिशत से 1.88 प्रतिशत और अग्रिम में 1.80 प्रतिशत से 1.83 प्रतिशत हो गया।

कारोबार (जमाओं एवं अग्रिम वृद्धि), लाभप्रदता (ब्याज / कुल आय, आरओए और कारोबार को निवल लाभ), आस्ति गुणवत्ता (सकल / निवल एनपीए अनुपात) और उत्पादकता (लागत आय अनुपात) जैसे प्रमुख मापदंडों के संबंध में बैंक शीर्ष 4 स्थिति पर था।

वित्तीय वर्ष **2018–19 के दौरान आपके बैंक के निष्पादन** की **मुख्य बातें** निम्नानुसार हैं :

- बैंक का वैश्विक कारोबार वर्ष के दौरान **15.89** प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ **4,29,972** करोड़ तक पहुंचा।
- वैश्विक जमाएँ **16.22** प्रतिशत की वृद्धि से ₹ **2,42,076** करोड़ एवं वैश्विक अग्रिम **15.47** प्रतिशत की वृद्धि से ₹ **1,87,896** करोड़ हो गईं। समग्र ऋण जमा अनुपात **77.62** प्रतिशत रहा।
- प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम ₹ **66,847** करोड़ एवं समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के प्रतिशतता के रूप में 40.00 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले **41.93** प्रतिशत रहा।
- कृषि ऋण (**प्राथमिकता क्षेत्र**) ₹ **31,748** करोड़ रहा तथा समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के रूप में 18.00 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले **19.91** प्रतिशत रहा।
- देशी निवल ब्याज मार्जिन **3.00** प्रतिशत रहा।
- कुल आय 7.93 प्रतिशत वृद्धि के साथ रु.21,067.71 करोड़, ब्याज आय 12.1 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ रु.19,184.82 करोड़ और अन्य आय रु.1882.89 करोड़ तक पहुँच गई।
- शुद्ध निवल आय **12.05 प्रतिशत** बढ़कर यह **रु.7,018.10 करोड़** थी।
- परिचालनगत लाभ ₹ **4880.62** करोड तथा निवल लाभ ₹ **321.95** करोड़ (वित्तीय वर्ष **2017–18** के लिए ₹ **1258.99** करोड़) रहा।
- आस्तियों पर प्रतिलाभ 0.12 प्रतिशत तथा नेटवर्थ पर प्रतिलाभ **2.00** प्रतिशत था।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल।।।) **13.21** प्रतिशत (वित्तीय वर्ष **2017–18** के लिए **12.55** प्रतिशत्) रहा।
- वित्तीय वर्ष **2018–19** के दौरान एनपीए में कुल वसूली ₹ **1808 करोड़** रही जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह ₹ **910 करोड़** थी।
- प्रति शेयर अर्जन ₹ **6.70** रहा और प्रति शेयर तथा बही मूल्य ₹ **328.64** रहा।
- भारत में बैंक का कुल देशी शाखा नेटवर्क 31.03.2018 को **2820** से बढ़कर 31.03.2019 को **2872** हो गया। इसके अलावा बैंक की 3 ओवरसीज़ शाखाएं हैं, जो बैंक के कुल शाखा नेटवर्क को 2875 तक पहुंचाया है।
- एटीएमों की कुल संख्या **31.03.2018** में **2846** से बढ़कर 31.03.2019 को **2849** हो गई। इनमें **653** ऑफसाइट एटीएम, **5** मोबाइल एटीएम शामिल हैं। उपरोक्त के अलावा, 31.03.2019 को बैंक के पास **1043** बीएनए हैं जिनमें **43** ऑफसाइट बीएनए शामिल हैं।
- 31.03.2019 को **481** स्थानों पर पासबुक कियोस्क स्थापित किया गया है।

2018–19 के लिए महत्वपूर्ण अनुपात निम्नानुसार हैं:–

(प्रतिशत में)

मापदंड	2018-19	2017-18
अग्रिमों पर प्रतिलाभ	8.45	8.50
जमाओं की लागत	5.28	5.30
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.12	0.53
लागत–आय अनुपात	45.17	42.31
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹लाखों में)	2174.26	1856.40
प्रति कर्मचारी लाभ (₹लाखों में)	1.64	6.34
सकल एनपीए (प्रतिशत में)	7.11	7.37
निवल एनपीए (प्रतिशत में)	3.75	3.81

अन्य प्रमुख उपलब्धियाँ

वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभिन्न सकारात्मक विकास हुए हैं जोकि निम्नप्रकार है :

- रु 1000 करोड के लिए बैसल III का टियर II निबंधित बाण्डों का सफलतापूर्वक जारी किया जाना।
- बैंक को प्रमुख सरकारी योजनाओं के अधीन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हेतु तमिलनाडु सरकार तथा संघ शासित क्षेत्र पुदुच्चेरी में अनन्य बैंकर के रूप नामोद्दिष्ट करना।
- एमएसएमई बिल भुनाने के लिए सभी तीन ट्रेड प्लेटफार्मों में सफलतापूर्वक शुरुआत की गई।

DIRECTORS' REPORT 2018-19

To

The Members,

Your Directors have immense pleasure in presenting the Bank's Annual Report along with the Audited Statement of Accounts and the Cash Flow statement for the year ended **31st March 2019.**

FINANCIAL HIGHLIGHTS

FY 2018-19 ended on an encouraging note with a YOY growth of 16%. Global business touched ₹4.30 lakh crore mark, contributed by 16.2% growth in deposits and 15.5% in advances. The loan book growth was broad-based which led to appreciable increase in interest income. There were challenges on asset quality front which led to increased provisioning requirement and consequent impact on Net Profit. Having taken all necessary steps to align with regulatory and audit requirements during the past year, the path ahead is clear and bright.

As per RBI data as on 29th March 2019, the aggregate deposits and advances of ASCBs have grown by 13.15% and 17.02% respectively. In comparison, Bank's deposits and advances had grown at 20.37% and 20.83% respectively. The market share of the Bank has went up from 1.75% to 1.88% in deposits and from 1.80% to 1.83% in advances.

Bank was among the top 4 positions in respect of key parameters like Business (Deposits & Advances growth), Profitability (Interest/Total income, ROA and Net Profit to business), Asset Quality (Gross/Net NPA ratios) and Productivity (Cost to Income ratio).

The **major highlights** of your **Bank's performance during FY 2018-19** are as follows:

- Global Business of the Bank reached ₹**4,29,972 Cr** during the year, registering a growth of **15.89%.**
- Global Deposits reached ₹**2,42,076** Cr with a growth of **16.22% and** Global Advances reached ₹**1,87,896 Cr** with a growth of **15.47%.** Overall Credit-Deposit ratio was at **77.62%.**
- Priority Sector Advances reached ₹**66,847 Cr** and as a percentage to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) was **41.93%** as against the mandatory target of **40.00%.**
- Agriculture Credit (priority sector) was at ₹**31,748 Cr** and as a percentage to ANBC stood at **19.91%** as against the mandatory target of 18.00%.
- Domestic Net Interest Margin was at **3.00%.**
- Total income increased by **7.93%** to ₹**21,067.71 Cr**, with Interest income growing by 12.1% to reach ₹**19,184.82 Cr** and other Income at ₹**1882.89 Cr**.
- Net interest income grew by **12.05%** and was at ₹**7,018.10 Cr**
- Operating Profit was ₹**4880.62 Cr** and Net Profit was ₹**321.95 Cr** (₹1258.99 Cr for FY 2017-18).
- Return on Average Assets was at **0.12%** and Return on Net worth was at **2.00%.**
- Capital Adequacy Ratio (Basel III) was at **13.21%** (**12.55%** for FY 2017-18).
- Total recovery of NPAs during FY 2018-19 amounted to ₹**1808 Cr** as against ₹**910 Cr** in the previous year.
- Earnings per share were at ₹**6.70** and Book value was at ₹**328.64.**
- Total domestic branch network of the Bank in India increased to **2872** as on 31.03.2019 from **2820** as on 31.03.2018. Besides, the Bank has 3 overseas branches, taking the total branch network to 2875.
- Total number of ATMs increased to **2849** as on 31.03.2019 from **2846** as on 31.03.2018, which includes **653** offsite ATMs, **5** mobile ATMs. Apart from the above, Bank has **1043** BNAs as on 31.03.2019 which includes **43** off site BNAs.
- Passbook Kiosks have been installed at **481** locations as on 31.03.2019.

KEY RATIOS FOR THE PERIOD 2018-19

(in %)

Parameters	2018-19	2017-18
Yield on Advances	8.45	8.50
Cost of Deposits	5.28	5.30
Return on Assets	0.12	0.53
Cost Income ratio	45.17	42.31
Business per employee (₹ in lakh)	2174.26	1856.40
Profit per employee (₹ in lakh)	1.64	6.34
Gross NPA (in %)	7.11	7.37
Net NPA (in %)	3.75	3.81

OTHER SIGNIFICANT ACHIEVEMENTS:

FY 2018-19 witnessed several other positive developments viz.,

- Successful issue of Basel III compliant Tier II bonds for ₹**1,000 crore**,
- Bank designated as an exclusive banker for Direct benefit transfer under major Government schemes, both in the State of Tamil Nadu and UT of Puducherry.
- Successfully on boarded on all the three TReDs platforms for MSME bill discounting.

- पीएफएमएस के अधीन बहुविध योजना भुगतानों के लिए ''टॉप निष्पादक बैंक'' के रूप में चुन लिया गया है, एटीएम लेनदेनों में पीएसबीयों के मध्य में सर्वाधिक दूसरे स्थान पर है तथा सभी बैंकों के मध्य में पाँचवाँ स्थान पर है, मोबाइल बैंकिंग लेनदेनों में चार गुना वृद्धि हुई है तथा सभी बैंकों के मध्य में उच्चतम प्लाटिनम कार्ड जारीकर्ता है।

- बैंक वित्तीय साक्षरता, एसएचजी बैंक लिंकेज, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणद, सोसियल बैंकिंग हेतु प्रौद्योगिकी, एपीवाई, पीएमएसबीवाई इत्यादि में निष्पादन तथा पहल के लिए नाबार्ड, पीएफआरडीए, भारत सरकार तथा तमिलनाडु सरकार से बहुत ही प्रशंसनीय पुरस्कार जीत रहा है।

- आईओबी द्वारा प्रायोजित पांडियन ग्राम बैंक का हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित पल्लवन ग्राम बैंक का सफलतापूर्वक समामेलन होने से तमिलनाडु ग्राम बैंक का सृजन किया गया है।

निवल मालियत एवं सीआरएआर

- बैंक की निवल मालियत ₹ **15754.45** रहा (31.03.2018 को ₹ 15,826.98 करोड़) ।

(प्रतिशत में)

बेसल III	**निम्न तारीख को**	
	मार्च 2019	**मार्च 2018**
सीईटी – I	10.96 #	11.00
टियर I – पूँजी	11.29	11.33
टियर II – पूँजी	1.92	1.22
कुल	**13.21 ***	12.55

(#7.375 प्रतिशत तथा 10.875 प्रतिशत की आवश्यकता के मुकाबले में)

भर्ती / प्रशिक्षण

- सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सीधी भर्ती और आंतरिक पदोन्नति की प्रक्रिया के दौरान, अजा /अजजा कर्मचारियों को भर्ती पूर्व और पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

वर्ष के दौरान बोर्ड में परिवर्तन :

शेयर धारक निदेशकों के अलावा सभी निदेशकों के नियुक्ति / नामांकन भारत सरकार (जीओआई) द्वारा होता है।

- **श्रीमती पद्मजा चुन्डूरु** ने **21.09.2018** से प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार ग्रहण किया।

- **श्री किशोर खरात 13.08.2018** तक बैंक के **प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी** रहे।

- **श्री ए एस राजीव 30.11.2018** तक बैंक के **कार्यपालक निदेशक** रहे।

- **श्री वी वी शेणॉय** ने 01.12.2018 से **कार्यपालक निदेशक** का पदभार ग्रहण किया।

- **सुश्री मुदिता मिश्रा** 04.04.2018 तक **सरकार द्वारा नामित निदेशक** रहे।

- **श्री अमित अग्रवाल 05.04.2018** से **भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक** के रूप में नामित हुए।

- **श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन 13.08.2018** तक **अंशकालिक गैर – सरकारी निदेशक** के साथ साथ **बैंक के गैर – कार्यपालक अध्यक्ष** रहे।

निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन

निदेशक संपुष्ट करते हैं कि मार्च 31, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय :

- महत्वपूर्ण विचलन, यदि हों, के संबंध में उचित स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखा मानकों का पालन किया गया है।

- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार गठित लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया।

- वित्तीय वर्ष के अंत तक बैंक के कार्यकलाप व स्थिति पर सही एवं न्यायोचित दृष्टि तथा 31 मार्च, 2019 तक बैंक के लाभ का सही चित्र देने के लिए उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए गए।

- भारत में बैंकों को अधिशासित करनेवाले प्रयोज्य कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों को बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई; और

- लेखों को लाभकारी कारोबार वाली संस्था के आधार पर तैयार किया गया है।

आभारोक्ति

बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड का उनके मूल्यवान मार्गदर्शन और सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है। बोर्ड वित्तीय संस्थानों और संपर्की बैंकों को भी उनके सहयोग व समर्थन के लिए धन्यवाद देता है। बोर्ड अपने ग्राहकों व शेयरधारकों से मिले अनवरत समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड, श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन, श्री ए एस राजीव, सुश्री मुदिता मिश्रा जिन्होंने इस वर्ष सदस्यता छोड़ा, द्वारा दिये गये मूल्यवान योगदान के लिए सराहना करता है।

बोर्ड, श्री किशोर खरात, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी,जिन्होंने 13.08.2018 को पदत्याग किया, द्वारा दिये गये मूल्यवान योगदान के लिए सराहना करता है।

बैंक के समग्र निष्पादन के लिए स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रदत्त निष्ठावान सेवाएं तथा योगदान के प्रति बैंक उनकी सराहना करता है।

निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से

पद्मजा चुन्डूरु
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

- Adjudged **'Top performing Bank'** for multiple scheme payments' under PFMS, **2nd highest among PSBs** and **5th among all Banks in ATM transactions**, Mobile Banking Transactions recorded 4-fold increase and highest Rupay Platinum card issuer among all banks.
- Bank continued to win coveted awards from NABARD, PFRDA, Government of India and Tamilnadu Government for its performance and initiatives in Financial Literacy, SHG Bank Linkage, Priority Sector Lending, Technology for Social Banking, APY, PMSBY etc.
- Formation of **Tamil Nadu Grama Bank** under Bank's sponsorship with the successful amalgamation of **Pandyan Grama Bank,** an RRB sponsored by IOB with our own **Pallavan Grama Bank.**

NETWORTH AND CRAR:

- Networth of the Bank stood at **₹15,784.53** Cr (₹15,826.98 Cr as on 31.03.2018)

(in %)

BASEL III	As on	
	March 2019	**March 2018**
CET- I	10.96 #	11.00
Tier- I Capital	11.29	11.33
Tier-II Capital	1.92	1.22
Total	**13.21 ***	12.55

(As against the requirement of # **7.375%** and ***10.875%** respectively**)**

RECRUITMENT /TRAINING

- As per Government guidelines, pre-recruitment and pre-promotion trainings were offered to SC/ST employees during the process of direct recruitment and internal promotions.

CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR:

All the Directors have been appointed/nominated by the Govt. of India (GOI) except Shareholder Directors.

- **Smt. Padmaja Chunduru** assumed charge as **MD&CEO** of the Bank on **21.09.2018**.
- **Shri Kishor Kharat** was **MD &CEO** of the Bank upto **13.08.2018**.
- **Shri A S Rajeev** was **Executive Director** of the Bank upto **30.11.2018**.
- **Shri. V V Shenoy** assumed charge as **Executive Director** on **01.12.2018**.
- **Ms Mudita Mishra** was **Government Nominee Director** of the Bank upto 04.04.2018.
- **Mr Amit Agrawal** was nominated as the **Govt. of India Nominee Director** from **05.04.2018**.
- **Shri T C Venkat Subramanian** was **Part-Time Non-Official Director** as well as **Non-Executive Chairman of the Bank** upto 13.08.2018.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2019: –

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied;
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended March 31, 2019.
- Proper and sufficient care were taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India; and
- The accounts have been prepared on a going concern basis.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board expresses its deep sense of gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and Securities & Exchange Board of India for the valuable guidance and support received from them. The Board also thanks the financial institutions and correspondent banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers and shareholders.

The Board places on record its appreciation for the valuable contribution made by Shri. T.C.Venkat Subramanian, Shri. A.S.Rajeev, Ms. Mudita Mishra, who ceased to be members during the year.

The Board also places on record its appreciation for the valuable contribution made by Shri. Kishor Kharat, MD & CEO who demitted office on 13.08.2018.

The Board places on record its appreciation for the dedicated services and contribution made by members of staff for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of Board of Directors

PADMAJA CHUNDURU
MANAGING DIRECTOR &
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान पुरस्कार एवं प्रशास्तियाँ

फाइनेंसियल एक्स्प्रेस द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों की श्रेणी में "बेस्ट बैंक – 2016–17" घोषित किया

पीएफ़आरडीए द्वारा एपीवाई के किए 'लीडरशिप कैपिटल पुरस्कार' प्रदान किया।

नाबार्ड द्वारा तमिलनाडु हेतु वित्तीय साक्षरता 2018–19 – सर्वश्रेष्ठ निष्पादक घोषित किया गया।

पीएफ़आरडीए द्वारा एपीवाई के लिए "मेकर्स ऑफ एक्सेलेन्स 2.0 फॉर एक्जिक्यूटिव डाइरेक्टर्स" प्रदान किया गया।

- राजभाषा कार्यान्वयन के उत्कृष्ट निष्पादन के लिए भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु **"राजभाषा कीर्ति पुरस्कार"** प्रदान किया गया।
- **एसोचेम द्वारा – सोशल बैंकिंग एक्सेलेन्स अवार्ड 2018 :**

  कृषि बैंकिंग, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, प्रोद्योगिकी एवं समग्र रूप में सर्वश्रेष्ठ सामाजिक बैंक के अंतर्गत विजेता घोषित किया गया।.
- पीएफ़आरडीए द्वारा **"एपीवाई के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ निष्पादक 2017–18"** पुरस्कार प्रदान किया गया।
- तमिलनाडु सरकार से **"वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के लिए बेस्ट बैंक इन एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम"** पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- चेम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइसेस (सीआईएमएसएमई) द्वारा एमएसएमई बैंकिंग एक्सेलेन्स अवाड्र्स में – **बेस्ट एमएसएमई बैंक विजेता** (उभरते वर्ग में) घोषित किया गया।
- सीआईएमएसएमई द्वारा एमएसएमई बैंकिंग एक्सेलेन्स अवाड्र्स में **"इको – टेक्नॉलॉजी सेवी बैंक"** (उभरते वर्ग में) घोषित किया गया।
- **'सूक्ष्म ऋण'** के अंतर्गत **एसोचेम एसएमई एक्सेलेन्स अवार्ड – 2018** प्राप्त हुआ।
- पीएफ़आरडीए द्वारा एपीवाई के अंतर्गत **'कार्यपालक निदेशकों के लिए बिग बिलीवर्स अभियान'** में **एक्सेम्पलर पुरस्कार** प्राप्त हुआ।
- आईबीए द्वारा **'बेस्ट फाइनेंसियल इनक्लूशन इनिसिएटिव'** पुरस्कार प्रदान किया।

AWARDS AND ACCOLADES DURING THE FINANCIAL YEAR 2018-19

'Best PSB Award for 2016-17'
by Financial Express

'Leadership Capital' award for
Atal Pension Yojana by PFRDA

"Best Performance – Financial Literacy 2018-19" for Tamil Nadu by NABARD

Makers of Excellence 2.0 for Executive Directors'
for Atal Pension Yojana by PFRDA

- **"Rajbhasha Kirti Puraskar"** for FY 2017-18 by Government of India for the commendable performance in the implementation of Official Language.
- **ASSOCHAM - Social Banking Excellence Award 2018:**

  Winner under **Agricultural Banking, Priority Sector Lending, Technology & Overall Best Social Bank.**
- **"Best performing PSB under APY 2017-18" -** PFRDA
- **"Best Bank in SHG Bank Linkage Programme for FY 2016-17 & FY 2017-18** from Govt of Tamil Nadu
- MSME Banking Excellence Awards – **"Best MSME Bank"** (Emerging Category) by Chamber of Indian Micro Small & Medium Enterprises (CIMSME)
- MSME Banking Excellence Awards – **"Echo-Technology savvy Bank"** – (Emerging Category) by CIMSME
- **ASSOCHAM SMEs Excellence Award - 2018** under **'Micro Lending'**
- **Exemplar award** under **'APY Big Believers campaign for Executive Directors'** by PFRDA
- **'Best Financial Inclusion Initiatives'** by IBA

प्रबंधन विचार–विमर्श एवं विश्लेषण

वैश्विक अर्थव्यवस्था

- आईएमएफ विश्व आर्थिक दृष्टिकोण(डबल्यूईओ), अप्रैल 2019 ने वैश्विक वृद्धि में 2018 में 3.6% से 2019 में 3.3% की कमी दर्शायी है। डबल्यूईओ के जनवरी 2019 के अद्यतन में 2019 में वैश्विक वृद्धि अनुमानतः 0.2% कम रहेगी। 2018 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में विकास दर 2.2% से धीमी होने की उम्मीद है, जो 2019 में घटकर संशोधित 1.8% है। उभरते हुए बाजार में विकास और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) को 2018 में 4.5% से 2019 में 4.4% तक गिरने का अनुमान है।

- अमेरिका में विकास का स्तर 2018 में 2.9% से गिरकर 2019 में 2.3% तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि राजकोषीय प्रोत्साहन के प्रभाव के रूप में है। यूएस फेड के मौद्रिक नीति रुख तथा अन्य प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में केंद्रीय बैंकों ने बदलाव किया है।

- 2018 की चतुर्थ तिमाही में कम घरेलू मांग तथा कम निर्माण गतिविधियों के कारण यूरो क्षेत्र में कमी आई है। 2019 में विकासदर में 1.3% की गिरावट अपेक्षित है। 2019 में दोनों क्षेत्रों में वृद्धि का पूर्वानुमान संशोधित होकर तेजी से कम हुआ है।

- यूनाइटेड किंग्डम में, सितंबर–जनवरी के दौरान औद्योगिक उत्पादन में कमी सहित ब्रेक्सिट अनियमितताओं के चलते विकासदर में कमी आई है। चीनी अर्थव्यवस्था ने औद्योगिक गतिविधि को प्रभावित करने वाली देशी और वैश्विक माँग पर 2018 के चतुर्थ तिमाही में गिरावट दर्ज की । वर्ष 2018 में विकास स्तर 6.6% से कम होकर वर्ष 2019 में 6.32 तक मंद रहने का अनुमान है।

- उभरती बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मध्य भारत की विकास दर 2024 तक 7.7% तक बढ़कर अधिकतम रहने की संभावना है। भारत, विश्व में सबसे तीव्रगति से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और इसके सशक्त लोकतंत्र, साझेदारी एवं बाज़ार के आकार के कारण अगले 10–15 वर्षों तक विश्व के तीन टॉप आर्थिक शक्तियों में बने रहने की उम्मीद है। अनुमानतः भारत के सकल देशी उत्पादों में 2017–18 में 7.2% की वृद्धि हुई है और 2018–19 में 6.8% रहने का अनुमान है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

- राष्ट्रीय लेखा सांख्यकी के द्वितीय उन्नत अनुमान के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019 में वास्तविक सकल देशी उत्पाद में 7.0% की वृद्धि का अनुमान है जोकि 2018 की 7.2% से कम है। अंतिम उपभोग व्ययों की इस वृद्धि में प्राइवेट एवं सरकारी दोनों का बड़े पैमाने पर योगदान है।

- खपत में गिरावट का मुख्य कारण खपत मांग में कमी थी तथा एनबीएफसी संकट के बाद तरलता के मुद्दे के साथ मिलकर कम आय में वृद्धि के कारण निजी निवेश गतिविधि में मंदी जारी रही जिसने उत्पादकों के साथ–साथ उपभोक्ताओं के लिए भी धन की उपलब्धता को बाधित किया। वर्ष के दौरान आर्थिक विकास को आंशिक रूप से निर्यात तथा बुनियादी ढांचे के निर्माण की दिशा में उच्च सरकारी खर्च द्वारा समर्थित किया गया था ।

- अप्रैल 2018 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन वृद्धि का संचयी सूचकांक पूर्ववर्ष की इसी अवधि से 3.6 प्रतिशत अधिक रहा। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान खनन, विनिर्माण, तथा विद्युत क्षेत्रों की समेकित वृद्धि इसी अवधि में क्रमशः 2.9% , 3.5% तथा 5.2% रही।

- आठ कोर उद्योगों में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉडक्शन(आईआईपी) सहित मदों के भार का 40.27 प्रतिशत शामिल है। आठ कोर उद्योगों का संयुक्त सूचकांक मार्च 2019 में 145.0 था जोकि मार्च 2018 के इंडेक्स की तुलना में 4.7% अधिक था। अप्रैल से मार्च 2018–19 के दौरान इसकी समेकित वृद्धि 4.3 प्रतिशत थी।

- निक्की इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) जो विनिर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन को मापता है तथा मार्च 2019 में पंजीकृत 5.26 विनिर्माण कंपनियों के 500 सर्वेक्षण से व्युत्पन्न हुआ है। हालांकि विस्तारित रेखा से ऊपर, यह फरवरी 2019 में 54.3 से गिरकर छह महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। हालांकि नवीनतम आंकड़ों ने विकास की गति के नुकसान को उजागर किया फिर भी इसने सेक्टर में परिचालन की स्थिति में सुधार के संकेत देना जारी रखा । मार्च में उपभोज्य वस्तुओं में सबसे ज्यादा चमक थी, इसके पश्चात सहायक सामग्री और फिर निवेश योग्य वस्तुओं की श्रेणियां थीं।

- अप्रैल 2019 में वित्तीय वर्ष 2020 की अपनी पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो दर को कम किया, 2019 में दूसरी बार, 25 बेसिक पॉइंट के साथ 6 प्रतिशत कम किया।

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2020 के राजकोष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 20 बीपीएस घटाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया। मुद्रास्फीति की निरंतर गिरावट और घरेलू मुद्रास्फीति की उम्मीदों को कम करने के कारण आरबीआई ने अपने मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण को मध्यम किया।

- मुद्रास्फीति में 0.14 प्रतिशत की ऐतिहासिक गिरावट के साथ 2019 में मुद्रास्फीति 3.4 प्रतिशत औसत रही है।

- भारतीय रिज़र्व बैंक के आकलन के अनुसार, शीर्षस्थ सीपीआई मुद्रास्फीति का कारण (ए) आसपास के खाद्य पदार्थों कीमतों अनिश्चितता, (बी) कोर मुद्रास्फीति जो ऊंचे स्तर पर बनी हुई है, (सी) अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि, (डी) ईंधन मुद्रास्फीति में संभावित उलटफेर, (ई) वित्तीय बाजारों में अस्थिरता तथा (एफ) सरकार की राजकोषीय स्थिति; से प्रभावित होने की संभावना है ।

- खाद्य पदार्थों की कीमतों की गति में निरंतर गिरावट से मुख्य रूप से, जनवरी 2019 में 2.0 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) के गिरावट के बाद मार्च 2019 में सीपीआई मुद्रास्फीति बढ़कर 2.9 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) हो गई।

- सब्जियों और ईंधन अधिक महंगे होने के कारण मार्च 2019 में डबल्यूपीआई मुद्रास्फीति फरवरी 2019 की में व्याप्त 2.6 प्रतिशत से बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गई।

- 2019 के दौरान राजकोष में निर्यात वृद्धि व्यापक थी और 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि 9 प्रतिशत की आयात वृद्धि के करीब थी । हालांकि, निर्यात के विकास हेतु आगे बढ़ने के लिए एक धीमी वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच तनावयुक्त व्यापार के रूप में उभरने की संभावना है ।

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Global Economy

- The IMF World Economic Outlook (WEO), April 2019 projected the global growth to fall from 3.6% in 2018 to 3.3% in 2019. The 2019 global growth forecast is 0.2% points below that in the January 2019 WEO Update. Growth in advanced economies is expected to slow from 2.2% in 2018 to a downwardly revised 1.8% in 2019. Growth in Emerging market and developing economies (EMDEs) is projected to marginally fall from 4.5% in 2018 to 4.4% in 2019. Growth in US is projected to fall from 2.9% in 2018 to 2.3% in 2019 as the impact of fiscal stimulus fades. The monetary policy stances of the US Fed and Central Banks in other major advanced economies (AEs) have turned dovish.

- The Euro area slowed down in Q4:2018 on soft domestic demand and contracting manufacturing activity. Growth is expected to fall to 1.3% in 2019.

- In the UK, growth slowed down on Brexit uncertainty, with industrial production contracting during September-January. The Chinese economy decelerated in Q4:2018 on subdued domestic and global demand impacting industrial activity. Growth is projected to moderate from 6.6% in 2018 to 6.3% in 2019.

- Growth in India is expected to remain the highest among EMDEs, increasing to 7.7% by 2024. The country emerged as the fastest growing major economy in the world and is expected to be one of the top three economic powers of the world over the next 10-15 years, backed by its strong democracy, partnerships and Market size. India's GDP is estimated to have increased 7.2 per cent in 2017-18 and 6.8 per cent in 2018-19.

Indian Economy:

- As per the second advanced estimates of National Accounts Statistics, real GDP is estimated to grow by 7.0% in FY19, lower than 7.2% in FY18. This is largely attributable to a moderation in the growth of final consumption expenditures, both private and government.

- The growth slowdown was mainly on account of the weakness in consumption demand and continued subdued private investment activity on account of low income growth coupled with the liquidity issue in the aftermath of the NBFC crisis which constrained availability of funds for producers as well as consumers. Economic growth during the year was supported partly by exports and higher government spending towards infrastructure building.

- Cumulative Index of Industrial Production growth for the period April 2018-March 2019 over the corresponding period of the previous year stands at 3.6 percent. The cumulative growth in Mining, Manufacturing and Electricity sectors during FY 2018-19 over the corresponding period was 2.9%, 3.5% and 5.2% respectively.

- The Eight Core Industries comprise 40.27 per cent of the weight of items included in the Index of Industrial Production (IIP). The combined Index of Eight Core Industries stood at 145.0 in March, 2019, which was 4.7 per cent higher as compared to the index of March, 2018. Its cumulative growth during April to March, 2018-19 was 4.3 per cent.

- The Nikkei India Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) which measures the performance of the manufacturing sector and is derived from a survey of 500 manufacturing companies registered 52.6 in March 2019. Although above the line of expansion, it fell from 54.3 in February 2019 to a six-month low. It continued to signal improving operating conditions in the sector eventhough the latest figure highlighted a loss of growth momentum. Consumer goods was the brightest spot in March, followed by the intermediate and then investment goods categories.

- In its first bi-monthly monetary policy review of FY20 in April 2019, RBI reduced the Repo rate, for the second successive time in 2019, by another 25 basis points, bringing it down to 6%.

- RBI lowered its forecast of India's Economic growth by 20 bps to 7.2% for Fiscal 2020. Continued undershooting of inflation and lowering of household inflationary expectations led RBI to moderate its inflation outlook.

- Inflation has averaged 3.4% in Fiscal 2019 with food inflation at a historical low of 0.14%.

- In the RBI's assessment, the outlook for headline CPI inflation is likely to be influenced by: (a) uncertainty surrounding food prices, (b) core inflation which continues to remain at elevated levels, (c) recent pick up in international crude oil prices, (d) likely reversal in fuel inflation, (e) sustained volatility in financial markets and (e) fiscal position of the Government.

- CPI inflation increased to 2.9% (y-o-y) in March 2019 from 2.6% in February 2019 after having declined to a trough of 2.0% (y-o-y) in January 2019, driven mainly by a continued fall in the pace of contraction in food prices.

- WPI inflation increased to 3.2% in March 2019 from 2.9% in February 2019 due to higher inflation in vegetables and fuel.

- चालू खाता घाटा (सीएडी)2018–19 में जीडीपी का 2.4 प्रतिशत और 2019–20 में जीडीपी 2.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

- वित्त वर्ष 2018–19 में भारत के समग्र निर्यात (व्यापार एवं सेवाएँ मिलाकर) 535.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.97 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की है। अप्रैल 2018 – मार्च 2019 में कुल आयात 63129 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.48 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की है।

- व्यापार एवं सेवाओं को एक साथ मिलाकर वित्त वर्ष 2018–19 का कुल व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2017–18 में 86.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 95.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है ।

2019–20 के लिए अंतरिम केंद्रीय बजट

- 01 फरवरी, 2019 को संसद में वित्त, कॉर्पोरेट मामलों, रेलवे और कोयला, के केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार, श्री पीयूष गोयल द्वारा घोषित यह बजट बेहतर भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचे की दिशा में भारत सरकार के सतत प्रयास को जारी रखते हुए जरूरतमंद किसानों, आर्थिक रूप से कम विशेषाधिकार प्राप्त, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और वेतनभोगी कर्मचारियों, आदि का समर्थन करने पर केंद्रित है ।

- मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी विभिन्न सरकारी पहलों के कारण कई विदेशी कंपनियां भारत में अपनी सुविधाएं स्थापित कर रही हैं। मेक इन इंडिया पहल के तहत, विनिर्माण क्षेत्र द्वारा किए गए योगदान को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया गया है और इसे वर्तमान में 17 प्रतिशत जीडीपी से 25 प्रतिशत जीडीपी तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, सरकार डिजिटल इंडिया पहल के साथ प्रस्तुत हुई है, जिसके तीन मुख्य घटक हैं डिजिटल बुनियादी ढाँचे का निर्माण, डिजिटल रूप से सेवाएँ पहुँचाना और डिजिटल साक्षरता बढ़ाना ।

भारत सरकार द्वारा हाल ही में की गई पहल और घटनाक्रम :

- देश को सॉफ्टवेयर हब के रूप में विकसित करने के लिए सॉफ्टवेयर उत्पाद – 2019 पर राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी।

- राष्ट्रीय खनिज नीति 2019, राष्ट्रीय विद्युत नीति 2019 और त्वरित अंगीकरण एवं विनिर्माण (हाइब्रिड) और विद्युतीय वाहनों (फेम II) को भी भारत सरकार ने 2019 में मंजूरी दी है।

- भारत में ग्राम विद्युतीकरण अप्रैल 2018 में पूरा हुआ और मार्च 2019 के अंत तक सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण पूरा होने की उम्मीद है।

- पहली कृषि निर्यात नीति, 2018 जारी की गई, जो 2022 तक देश से कृषि निर्यात को दोगुना कर 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाना चाहती है।

- प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) नाम की भारत सरकार की आवासीय योजना के तहत 24 दिसंबर, 2018 तक लगभग 1.29 मिलियन घरों का निर्माण किया गया है।

- प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) 2017–18 से 2019–20 तक तीन वर्षों के लिए रु.5,500 करोड़ (755.36 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के परिव्यय के साथ जारी रहेगा ।

प्रमुख आर्थिक और मौद्रिक विकास :

- भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक को वित्तीय वर्ष 2017–18 में पूंजी के अंतप्रतिशतप्रवाह की पहली किश्त यानी रु. 88,139 करोड़ रुपये के बाद, वित्त वर्ष 2018–19 में रु. 1.06 लाख करोड़ का दूसरा किश्त प्रदान किया गया। हमारे बैंक को छोड़कर सभी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक सरकार की पूंजी सहायता के प्राप्तकर्ता थे।

- पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के तहत जोखिम–भारित संपत्ति (आरडबल्यूए) के 0.625 प्रतिशत के अंतिम किश्त को लागू करने के लिए संक्रमण अवधि को एक वर्ष के लिए 31 मार्च, 2020 तक बढ़ा दिया गया था। इससे पिछले दो वर्षों में खराब ऋणों के लिए प्रावधान के कारण उत्पन्न दबाव से बचने हेतु, बैंकों को राहत मिली ।

- इंड एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुशंसित विधायी संशोधन भारत सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं।

- सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के 18 प्रतिशत पर पहुंचने तक प्रत्येक तिमाही में उसे 25 बीपीएस घटाया जाना – 1 जनवरी 2019 से लागू किया गया।

- **एलसीआर की गणना के लिए एफ़एएलएलसीआर के रूप में चरणबद्ध तरीके से, एलसीआर के साथ बैंकों की प्रभावी तरलता आवश्यकताओं के सामंजस्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए बैंकों को अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता** के भीतर अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों का 2.0 प्रतिशत प्रतिपूर्ति करने की अनुमति दी गई है।

- **बैंकों और एनबीएफ़सी द्वारा ऋणों के समन्वय की शुरूआत** (प्राथमिकता क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी ऋण प्रदान करने के लिए) ने बैंकों के लिए आउटरीच बढ़ाने और ऋण बही प्रदान करने के लिए एनबीएफ़सी के साथ सहयोग करने के अवसर दी है।

- **फ्लोटिंग दर ऋण के लिए बाहरी बेंचमार्क प्रस्तावित** अर्थात 1 अप्रैल, 2019 से बैंकों द्वारा प्रदान किए गए सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सभी नई फ्लोटिंग दरें, वैयक्तिक या खुदरा ऋण (आवास, ऑटो आदि) और फ्लोटिंग दर ऋण बाहरी बेंचमार्क के लिए निर्धारित किए जाएंगे। जैसा कि अग्रिमों के लिए फ़्लोटिंग दर के मुकाबले में बैंक जमाओं में ब्याज की स्थायी दर होती है,सभी स्टेकहोल्डर के साथ विस्तृत चर्चा के लिए आरबीआई द्वारा उसके कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया गया है और उसके बाद दरों को प्रदान करने के लिए एक प्रभावी तंत्र तैयार किया गया है।

- Export growth was broad based and picked up to 8.6% in Fiscal 2019 which was close to Import growth of 9%. However going ahead headwinds to export growth are likely to emerge in the form of trade tensions amid a slowing global economy.

- The current account deficit (CAD) is expected at 2.4 per cent of GDP in 2018-19 and 2.3 per cent of GDP in 2019-20.

- India's overall exports (Merchandise and Services combined) in FY 2018-19 are estimated to be US$ 535.45 Billion, exhibiting a positive growth of 7.97 per cent over the same period last year. Overall Imports in April 2018-March 2019 are estimated to be US$ 631.29 Billion, exhibiting a positive growth of 8.48 per cent over the same period last year.

- Taking merchandise and services together, overall trade deficit for FY 2018-19 is estimated at US$ 95.85 Billion as compared to US$ 86.05 Billion in FY 2017-18.

Interim Union Budget for 2019-20

- Focus on supporting the needy farmers, economically less privileged, workers in the unorganised sector and salaried employees, while continuing the Government's push towards better physical and social infrastructure.

- Under the Make in India initiative, attempt is made to give boost to the contribution made by the manufacturing sector and aims to take it up to 25 per cent of the GDP from the current 17 per cent.

- Government has also come up with Digital India initiative, which focuses on three core components: creation of digital infrastructure, delivering services digitally and to increase the digital literacy

Recent initiatives and developments undertaken by the Government of India:

- Approved the National Policy on Software Products – 2019, to develop the country as a software hub.

- National Mineral Policy 2019, National Electronics Policy 2019 and Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid) and Electric Vehicles (FAME II) have also been approved by the Government of India in 2019.

- Village electrification in India was completed in April 2018 and Universal household electrification is expected to be achieved by March 2019 end.

- The maiden Agriculture Export Policy, 2018 was released which seeks to double agricultural exports from the country to US$ 60 billion by 2022.

- Around 1.29 million houses have been constructed up to December 24, 2018, under Government of India's housing scheme named Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban).

- Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) will be continued with an outlay of ₹5,500 crore (US$ 755.36 million) for three years from 2017-18 to 2019-20.

Major Economic & Monetary Developments:

- Following the first tranche of capital infusion i.e. ₹88,139 Cr in FY 2017-18 to PSBs by Government of India, a second tranche of ₹1.06 lakh Cr was provided in FY 2018-19. All PSBs except your Bank were recipient of Government's capital assistance.

- **Transition period for implementing the last tranche of 0.625 per cent of risk-weighted assets (RWAs) under the Capital Conservation Buffer (CCB)** was extended by one year to March 31, 2020. This provided a breather to banks, weighed down due to huge provisioning for bad loans in the last two years.

- **Implementation of Ind AS** deferred till further notice as the legislative amendments recommended by the Reserve Bank are under consideration of the Government of India.

- **Statutory Liquidity Ratio (SLR)** to reduce by 25 bps each quarter till it reaches 18% - Implemented from 1st January 2019.

- Banks have been permitted to reckon an additional 2.0 percent of Government securities within the mandatory SLR requirement, as FALLCR for the purpose of computing LCR, in a phased manner with a view to move further towards harmonisation of the effective liquidity requirements of banks with the LCR.

- **Introduction of Co-origination of loans by Banks and NBFCs** (for providing competitive credit to priority sector) has opened a window of opportunity for Banks to enter into collaboration with NBFCs for extending outreach and increase loan book.

- **External benchmarks for floating rate loans proposed** i.e. all new floating rates, personal or retail loans (housing, auto etc.) and floating rate loans to Micro and Small Enterprises extended by banks from April 1, 2019 shall be benchmarked to an external benchmark. As Bank deposits carry a fixed rate of interest as against a floating rate for advances, the implementation of the same has been postponed by RBI for detailed discussions with all the stakeholders and thereafter work out an effective mechanism for transmission of rates

- एकल रुपए जमाओं के लिए थोक जमाओं की परिभाषा मौजूदा रु. 1 करोड़ और उससे अधिक के बजाय संशोधित कर रु. 2 करोड़ कर दी गई है।

- समग्र मुद्रास्फीति और कृषि आधारित कृषि लागतों में वृद्धि के मद्देनजर कोलेटरल फ्री कृषि ऋणों की सीमा को रु.1 लाख से बढ़ाकर रु 1.6 लाख कर दी गई है। यह औपचारिक ऋण प्रणाली में छोटे और सीमांत किसानों के कवरेज को बढ़ाएगा और बैंकों को अपने कृषि पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए मार्ग प्रदान करेगा।

- लक्ष्य कंपनी के रुपया अवधि ऋण के पुनर्भुगतान के लिए ईसीबी आय के उपयोग को सक्षम कर सीआईआरपीएफ के तहत ईसीबी ढांचे के अनुमोदन मार्ग के तहत अंतिम उपयोग प्रतिबंधों में छूट दी गई।

- एनबीएफसी और एचएफसी द्वारा बांड निर्गमों के लिए आंशिक ऋण संवर्धन और एकल एनबीएफसी को ऋण देने के लिए सीलिंग में वृद्धि से उच्च श्रेणी एनबीएफसी के लिए ऋण देने के अवसर सृजित होंगे।

- कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) को छोड़कर सभी एनबीएफ़सी को बैंकों के रेटेड एक्सपोज़र, मान्यता प्राप्त रेटिंग एजेंसियों द्वारा सौंपी गई रेटिंग के अनुसार जोखिम भारित होने के लिए, कोर्पोरेट्स को अच्छी तरह से रेटेड एनबीएफसी को ऋण के प्रवाह को सुगम रूप से समान बनाना है। सीआईसी के लिए एक्सपोजर 100 प्रतिशत पर जोखिम–भार के रूप में जारी रहेगा।

- डिजिटल लेनदेन के लिए ग्राहकों द्वारा उठाई गई शिकायतों के निवारण के लिए डिजिटल भुगतान के लिए एक अलग लोकपाल योजना शुरू की गई है।

बैंक ऋण की वृद्धि पर प्रभाव के साथ प्रमुख घोषणाए :

"बैंक ऋण वितरण के लिए ऋण प्रणाली "

उधारकर्ताओं के लिए बैंकिंग प्रणाली से रु.150 करोड़ और उससे अधिक की कुल निधि–आधारित कार्यशील पूंजी सीमा, 1 अप्रैल 2019 के प्रभाव से इस सीमा को दो घटकों में काम करना होगा – कार्यशील पूंजी सीमा या 'ऋण घटक' (कुल सीमा का 40 प्रतिशत) और नकद ऋण (60 प्रतिशत)। समग्र निधि–आधारित कार्यशील पूंजी सीमा का 40 प्रतिशत तक का आहरण केवल श्ऋण घटकश से अनुमत होगा और और 'ऋण घटक' की न्यूनतम सीमा से अधिक का आहरण को नकद ऋण (सीसी) सुविधा के रूप में अनुमति दी जाएगी।

"बाजार तंत्र के माध्यम से बड़े उधारकर्ताओं के लिए ऋण आपूर्ति को बढ़ाना"

1 अप्रैल, 2019 से सेबी द्वारा लागू किए गए बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए फ्रेमवर्क के संदर्भ में, बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ता यानी एए और उससे ऊपर की रेटिंग के साथ रु.100 करोड़ से अधिक (विदेशी ऋण और अंतर–कॉर्पोरेट जमाओं को छोड़कर) दीर्घकालिक उधार लेने के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड के माध्यम से अपनी दीर्घकालिक निधि आवश्यकता का 25 प्रतिशत जुटाने की आवश्यकता होगी।

उपरोक्त दिशा–निर्देश बड़े उधारकर्ताओं के लिए ऋण आपूर्ति बढ़ाने पर अन्य दिशानिर्देशों के साथ युग्मित हैं जिसके द्वारा बाजार तंत्र के माध्यम से बॉन्ड बाजार में अधिक सक्रिय भागीदारी के माध्यम से बैंकों को अपनी ऋण वृद्धि की रणनीति को बदलने के लिए मजबूर किया जाएगा जिसका लाभ मार्जिन पर असर पड़ सकता है। हालांकि, यह देखते हुए कि इनमें से अधिकांश उधारकर्ता पहले से ही बॉन्ड मार्केट में हैं, इस सेगमेंट के लिए सकारात्मक प्रोत्साहन सीमित होने की उम्मीद है।

2018–19 में बैंकिंग क्षेत्र :

- वर्ष के दौरान बैंकिंग क्षेत्र का अधिकांश समय तरलता की कमी के दौर से गुजरा जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक से एलएएफ़ विंडो के साथ–साथ ओएमओ द्वारा वर्ष में लगभग रु.3 लाख करोड़ के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी।

- 2018–19 के दौरान बैंक के ऋणमें 13.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष की 10.2 प्रतिशत से अधिक है। इसने जमा की वृद्धि को पार कर लिया, जो 2018–19 के दौरान 10 प्रतिशत था, जबकि एक साल पहले 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

- 15 मार्च के अनुसार, बैंक के 1 वर्ष की समय अवधि की जमा राशि में ब्याज 6.25–6.75 प्रतिशत थी, जबकि वर्ष के दौरान उनकी एमसीएलआर 7.80–7.95 प्रतिशत से बढ़कर 8.05–8.55 प्रतिशत हो गई।

- भारतीय रिजर्व बैंक ने ने रेपो दर को 25 बीपीएस के दो चरणों में 6 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत तक बढ़ाया और फिर फरवरी में पॉलिसी के अनुसार दर को घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया। वर्ष के दौरान 7.57 प्रतिशत से 7.35 प्रतिशत तक की अस्थिरता के बीच 10 साल की जीएसईसी प्रतिफल धीरे–धीरे कम हुई। सीआरआर अपरिवर्तित रहा जबकि एसएलआर 19.5 प्रतिशत से घटकर 19.25 प्रतिशत रहा।

- बैंकिंग के फ्रंट पर सकल एनपीए अनुपात दिसंबर 2018 तक मंद रहा। वित्तीय वर्ष 2016 में वित्तीय वर्ष 2015 की तुलना में 4.3 प्रतिशत से बढ़कर 7.5 प्रतिशत हो जाने के बाद वित्तीय वर्ष 17 में अनुपात बढ़कर 9.3 प्रतिशत रहा और वित्तीय वर्ष 2018 में 11.5 प्रतिशत हो गया । तब से यह दिसंबर 2018 (वित्तीय वर्ष 19 में लगभग 40 बैंकों के एक सेट के लिए) में 10.2 प्रतिशत तक कम हो गया ।

- सितंबर 2018 तक दबावग्रस्त आस्ति अनुपात 10.8 प्रतिशत था। व्यापक क्षेत्रों में उद्योग के लिए 21.8 प्रतिशत, कृषि के लिए 8.6 प्रतिशत, सेवाओं के लिए 6.5 प्रतिशत और खुदरा हेतु 2.1 प्रतिशत अनुपात था। उद्योग के भीतर ऐसे खंड जिनमें 20 प्रतिशत से अधिक अनुपात थेरू रू धातुएँ 34.2 प्रतिशत ,

- Definition of bulk deposits for single rupee deposits revised to ₹2 Cr and above instead of the existing ₹1 Cr and above.

- Limit for collateral–free agriculture loans raised from ₹1 lakh to ₹1.6 lakh in view of the overall inflation and rise in agriculture input costs. This will enhance coverage of small and marginal farmers in the formal credit system and provide avenues to Banks for increasing their Agriculture portfolio.

- End use restrictions relaxed under the approval route of the ECB framework for resolution applicants under the CIRP enabling usage of ECB proceeds for repayment of Rupee term loans of the target company.

- **Partial Credit Enhancement** for bond issues by NBFC and HFCs and increased ceiling for lending to a single NBFC would create lending opportunities for high rated NBFCs.

- Rated exposures of banks to all NBFCs, excluding Core Investment Companies (CICs), to be risk weighted as per the ratings assigned by the accredited rating agencies, in a manner similar to that for Corporates with a view to facilitate flow of credit to well-rated NBFCs. Exposures to CICs will continue to be risk-weighted at 100%.

- A separate ombudsman scheme for digital payments has been launched to redress complaints raised by customers for digital transaction.

Major announcements with impact on growth of bank credit:

"Loan System for Delivery of Bank Credit”

For borrowers having an aggregate fund-based working capital limit of ₹150 crore and above from the banking system, the limit has to be carved out into two components - working capital limit or 'loan component' (40 per cent of the aggregate limit) and cash credit (60 per cent) with effect from April 1st 2019. Drawings up to 40 per cent of the overall fund-based working capital limits will only be allowed from the 'loan component' and drawings in excess of the minimum 'loan component' threshold will be allowed in the form of cash credit (CC) facility.

"Enhancing Credit Supply for Large Borrowers through Market Mechanism".

In terms of Framework for Large Corporate Borrowers announced by SEBI to be implemented from 1st April, 2019, Large corporate borrowers i.e. having long term borrowings more than ₹100 Cr (excluding foreign loans and inter-corporate deposits) with rating of AA and above will required to raise 25% of their long term funding requirement via Corporate bonds.

The above guidelines coupled with other guidelines on enhancing credit supply for large borrowers through market mechanism will compel the banks to change their credit growth strategy through more active participation in the bond market which may have an impact on the profit margins. However given that most of these borrowers are already in the bond market, the positive impetus for this segment is expected to be limited.

Banking Sector in 2018-19:

- Banking sector passed through a phase of liquidity deficit for most of the year which required intervention from RBI through the LAF window as well as OMO of around ₹3 lakh crore in the year.

- The credit off take improved further during 2018-19 with Bank credit growing 13.2%, higher than the 10.2% growth of the previous year. It surpassed the growth of deposits which was 10% during 2018-19 compared with the 6.2% growth a year ago.

- Deposits of 1 year tenure of the Banks were in the range of 6.25-6.75% as of 15th March whereas their MCLR increased from 7.80-7.95% to 8.05-8.55% during the year.

- RBI increased the repo rate from 6% to 6.5% in two tranches of 25 bps each and then lowered the rate in the February policy to 6.25%. The 10 years GSec yield came down gradually amid some volatility from 7.57% to 7.35% during the year. CRR remained unchanged while the SLR was reduced from 19.5% to 19.25%.

- Gross NPA ratio moderated by December 2018. After increasing from 4.3% in FY15 to 7.5% in FY16 the ratio increased to 9.3% in FY17 and 11.5% in FY18. It has since then moderated to 10.2% in December 2018 (for a set of around 40 banks in FY19).

- The stressed asset ratio as of September 2018 was 10.8% with the ratios being 21.8% for industry, 8.6% for agriculture, 6.5% services and 2.1% retail. Within industry the segments that had ratios above 20% were: metals 34.2%, mining 29.7%, engineering 28.3%, construction 25.6%, gems and jewellery 24.9%, vehicles 23%, food processing 21.4%, paper 21.1% and infrastructure 20.1%.

खनन 29.7 प्रतिशत , इंजीनियरिंग 28.3 प्रतिशत , निर्माण 25.6 प्रतिशत , रत्न और गहनें 24.9 प्रतिशत, वाहन 23 प्रतिशत, खाद्य प्रसंस्करण 21.4 प्रतिशत, पेपर 21.1 प्रतिशत और बुनियादी ढाँचा 20.1 प्रतिशत ।उद्योग में जिन क्षेत्रों का अनुपात 20% से ऊपर थेरू धातुएँ 34.2%, खनन 29.7%, इंजीनियरिंग 28.3%, निर्माण 25.6%, रत्न और आभूषण 24.9%, वाहन 23%, खाद्य प्रसंस्करण 21.4%, पेपर 21.1% और बुनियादी संरचना 20.1%।

- 29 मार्च 2019 को, मुद्रा आपूर्ति (एम3) 10.6 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) से बढ़कर 155524.7 बिलियन हुई। "जनता के पास मुद्रा" 20551.1 बिलियन, बैंक की मांग जमाराशियाँ 16263.5 बिलियन एवं बैंक की आवधिक जमाराशियाँ 117205.9 बिलियन रहा।
- 29 मार्च 2019 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संकलित जमाराशि 13.15% (वर्ष दर वर्ष) बढ़कर 1,25,72,586 करोड़ रही। बैंक ऋण 17.02% (वर्ष दर वर्ष) से बढ़कर 9767435 करोड़ रहा।
- 1 अप्रैल 2019 के प्रभाव से, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित समामेलन योजना के अनुसार विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया।
- भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अधिग्रहण करने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 21 जनवरी, 2019 के प्रभाव से, एक निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आगे की राह

- लगातार 5 साल के कार्यकाल के लिए भारी जनादेश से समर्थित एक मजबूत सरकार के साथ, नीति और सुधारों में निरंतरता से निवेश के फैसले के लिए राह होगा तथा देशी अर्थव्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा
- आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूदा आर्थिक कमजोरी यानी कम खपत की मांग और औद्योगिक उत्पादन के कुछ क्षेत्रों (कृषि, रोजगार सृजन, कर सुधारों और दरों को कम करने, बैंकिंग से जुड़े मामलों का समाधान करने और निरंतर पूंजीगत व्यय) में सरकार द्वारा सीधे हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।
- भा रि बैंक ने यह पाया कि, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक संभावनाओं के संदर्भ में, इस वर्ष के अंतरिम बजट में प्रदान की गई कर छूट के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक खर्च में वृद्धि और घरों के सुलभ आय में वृद्धि के साथ निजी खपत में वृद्धि होने की उम्मीद है।
- भा रि बैंक का यह भी मानना है कि वाणिज्यिक क्षेत्र में उच्च वित्तीय प्रवाह आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। हालाँकि, इसने वैश्विक आर्थिक विकास में मंदी के कारण कम निवेश के साथ–साथ, अल्प निवेश गतिविधियों के रूप में विकास में अनिश्चितता, उत्पादन में मंदी और पूंजीगत वस्तुओं के आयात में अनिश्चितता के बारे में भी चिंता व्यक्त की है।
- आर्थिक विकास की चिंताओं और मुद्रास्फीति के सहनीय स्तरों के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि भारतीय रिज़र्व बैंक चालू वित्त वर्ष के शेष दिनों में नीति (रेपो) दरों को और कम कर देगा। पिछले साल की तरह, ऋण वृद्धि को पार करने के लिए बैंक ऋण में वृद्धि की उम्मीद है।

विस्तृत कारोबार समीक्षा – संसाधन जुटाना और क्रेडिट परिनियोजन (31 मार्च, 2019 तक)

- बैंक का वैश्विक कारोबार 15.89 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए (मार्च 31, 2018 को ₹3,71,020 करोड़) ₹4,29,972 करोड़ के स्तर तक पहुँचा गया। देशी कारोबार ₹4,15,582 करोड़ था।
- वैश्विक जमाएँ 16.22 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रु. 2,42,076 करोड़ (31 मार्च, 2018 को रु. 2,08,294 करोड़ रुपये) तक पहुंच गया। देशी जमाएँ रु. 2,35,237 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
- देशी कासा जमाएँ 9.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए रु. 83,459 करोड़ (31 मार्च, 2018 को रु. 76,459 करोड़) तक पहुँच गई।
- बैंक का सकल अग्रिम ₹1,87,896 रहा (31 मार्च 2018 को ₹1,62,726) । देशी ऋण ₹1,80,345 करोड़ रहा।
- देशी खाद्येतर ऋण बढ़कर ₹1,79,505 करोड़ हो गया (31 मार्च 2018 को ₹1,55,604 करोड़)
- वैश्विक ऋण जमा (सीडी) अनुपात 77.62 प्रतिशत पर था।

शाखा तंत्र और विस्तारः

- बैंक ने वर्ष के दौरान 91 शाखाओं द्वारा अपने वितरण नेटवर्क का विस्तार किया है। वित्तीय वर्ष के दौरान 39 शाखाओं का विलय किया गया जिनमें से 23 सेवा शाखाएँ थीं जिन्हें चेन्नै, दिल्ली और मुंबई में ग्रिड शाखाओं के साथ मिला दिया गया था।
- दिनांक 31.03.2019 को बैंक 2872 शाखाएँ की है जिनमें 737 ग्रामीण, 824 अर्धशहरी, 633 शहरी और 678 महानगरीय शाखाएँ हैं। इसके अलावा, सिंगापुर, कोलंबो और जाफना में बैंक की 3 विदेशी शाखाएं कार्यरत हैं।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहचाने गए कम बैंकिंग सुविधा प्राप्त 356 जिलों में बैंक की 407 शाखाएं हैं। अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में बैंक की 450 शाखाएँ हैं तथा बैंक–रहित केन्द्रों में बैंक की 244 शाखाएँ हैं।

- As on 29th March 2019, Money Supply (M3) grew by 10.6 (y-o-y) to ₹155524.7 billion. 'Currency with Public' at ₹20551.1 billion, 'Demand Deposit with Bank' at ₹16,263.5 billion. 'Time Deposits with Bank' at ₹117,205.9 billion.

- Aggregate Deposits of Scheduled Commercial Banks grew by 13.15% (y-o-y) to ₹1,25,72,586 Cr as on 29th March, 2019. Bank Credit grew by 17.02% (y-o-y) to ₹97,67,435 Cr.

- With effect from 1st April 2019, Vijaya Bank and Dena Bank were merged with Bank of Baroda as per the scheme of amalgamation approved by the Government of India.

- IDBI Bank was categorised as a private sector bank by the Reserve Bank of India, with effect from January 21, 2019 following the acquisition by Life Insurance Corporation of India (LIC).

Year ahead:

- With a strong Government backed by an overwhelming mandate for the second successive 5 year term, continuity in policy and reforms is expected to pave the way for commencement of investment decisions and inflows which would augur well for the domestic economy.

- The prevailing economic weakness i.e. low consumption demand and industrial output would require direct intervention by the government in certain areas (agriculture, employment generation, tax reforms and lowering of rates, address banking sector issues and continued capital expenditure) to stimulate economic growth.

- RBI has observed that in terms of economic prospects for the Indian Economy, private consumption is expected to hasten with an increase in public spending in rural areas and increase in disposable incomes of the households on account of tax exemptions provided in this year's interim budget.

- The RBI also believes that higher financial flows to the commercial sector will help revive economic activity. However, it has also expressed concerns about uncertainties surrounding growth in the form of subdued investment activity, slowdown in production and imports of capital goods along with lower exports due to slowdown in global economic growth.

- With Economic growth concerns and tolerable levels of inflation, it is expected that RBI would further reduce policy (repo) rates in the remainder of the ongoing fiscal year. Like last year, Bank credit growth is expected to surpass deposit growth.

- **DETAILED BUSINESS OVERVIEW - Resource mobilisation & Credit deployment** (As on March 31, 2019)

- Global Business reached a level of ₹4,29,972 Cr (₹3,71,020 Cr as on March 31, 2018) with a growth of 15.89%. Domestic business was at ₹4,15,582 Cr.

- Global Deposits reached ₹2,42,076 Cr (₹2,08,294 Cr as on March 31, 2018) with a growth of 16.22%. Domestic Deposits reached ₹2,35,237 crore.

- Domestic CASA Deposits reached ₹83,459 Cr (₹76,459 Cr as on March 31, 2018) recording a growth of 9.16%.

- Gross Advances was at ₹1,87,896 Cr (₹1,62,726 Cr as on March 31, 2018). Domestic Credit reached ₹1,80,345 Cr.

- Domestic Non food credit increased ₹1,79,505 Cr (₹1,55,604 Cr as on March 31, 2018)

- Global Credit-Deposit Ratio stood at 77.62%.

BRANCH NETWORK AND EXPANSION

- Bank has expanded its distribution network by 91 branches during the year. 39 branches were merged during the Financial Year, of which 23 were Service branches which were merged with grid branches at Chennai, Delhi and Mumbai.

- The Branch network stood at 2872 branches on 31.03. 2019, comprising of 737 Rural, 824 Semi urban, 633 Urban and 678 Metropolitan branches. Besides, Bank has 3 foreign branches in Singapore, Colombo and Jaffna

- In the 356 under banked districts identified by Reserve Bank of India, Bank has 407 branches. There are 452 branches in Minority concentrated Districts and 244 branches in the unbanked centres

बैंक की भविष्य की कारोबार योजना

भारत विश्व में तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है और अगले 10–15 वर्षों में विश्व के शीर्ष तीन आर्थिक शक्तियों में एक बनने की अपेक्षा रखता है ।

वित्तीय क्षेत्र , रूपान्तरण के एक चरण से गुजर रहा है और बदलते विनियामक वातावरण और निजी क्षेत्र के बैंकों एवं नए नवागंतुकों जैसे पैमेंट बैंकों , छोटे बैंकों और फिनटेक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के साथ तालमेल बना रहा है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों के आगमन के साथ बैंकिंग परिदृश्य तेजी से बदल रहा है।

5 साल के लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए केंद्र में एक मजबूत सरकार की वापसी, नीति और सुधारों में एक निरंतरता सुनिश्चित करेगी और निवेश के फैसले और अंतर्वाह का मार्ग प्रशस्त करेगी। इससे बैंकिंग क्षेत्र को आगे और सुदृढ़ बनाने और की गई विभिन्न पहलों` जैसे पुनर्संरचना योजना सहित सुधार उपायों और संरचनात्मक परिवर्तनों और 'इनहान्स एक्सेस एंड सेर्विसेज एक्सिलेन्स (ईएएसई)' का प्रवर्तन संवेदनशील और जिम्मेदार बैंकिंग की दिशा में अधिक गति प्रदान करने की उम्मीद है।

सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक त्वरित समाधान पर ज़ोर देते हुए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत दबावग्रस्त आस्तियों के निपटान पर भी ध्यान दिया है।

देश में मौजूदा आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार चुनिंदा क्षेत्रों के प्रति सुधार जोर देती है, वित्त वर्ष 2019–20 के लिए आपके बैंक की रणनीति लाभप्रदता पर ध्यान देने के साथ सुदृढ़ विकास पर होगी।

इस साल की प्रमुख ध्यान कासा को बढ़ाना, लागत की कटौती, ब्याज के अलावा अन्य राजस्वों को बढ़ाना, ह्रासित आस्तियों से संबन्धित वसूली पर तेजी लाना, और अनर्जक आस्ति स्तर पर नियंत्रण पर होगा।

बैंक कार्पोरेट एवं आरएएम संवर्ग में अच्छे वृद्धि की प्रतीक्षा करता है। गुणवत्ता ऋण व्यवस्था, बॉटम लाईन आदि को बेहतर बनाने की उद्देश्य से चुने गए मेट्रो सेंटरों में ₹ 50 करोड़ से ऊपर तक के एक्सपोजरवाले विशेष बड़े उधार खाताओं के लिए कॉर्पोरेट शाखाओं को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। यह व्यवस्था ग्राहकों के अनुरोध से प्रतिक्रिया समय को सुधारने की अपेक्षा रखेंगे और विशेष स्तर से तैयार होंगे।

इसके अलावा कार्पोरेट कार्यालय तथा अंचल कार्यालयों के बीच छह केन्द्रों में (चेन्नै, कोयम्बत्तूर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एवं हैदराबाद) में क्षेत्र महाप्रबंधकों की तैनाती की जा रही है जो अंचलों के कारोबार को बढाने के लिए आवश्यक ड्राइव प्रदान करने एवं प्रथम स्तर पर नियंत्रण बनाएं रखने में सहायक होंगे। बैंक के प्रशासनिक तथा परिचालन की निगरानी एक महाप्रबंधक स्तर के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) करेंगे।

एसएएम वर्टिकल शाखाएँ, जो 7 केंद्रों पर कार्य कर रहे हैं, उच्च मूल्य उधार खातों (रु.1 करोड़ या उससे अधिक) की समर्पित निगरानी और वसूली के लिए अपने प्रयासों को जारी रखेंगे।

खातों के रिसन की संभावनाओं को पहचान कर उनकी रोक–थाम करने के लिए एक महाप्रबंधक विशेष रूप से कार्यरत होंगे। इसका उद्देश्य क्रेडिट मॉनिटरिंग विभाग को संशक्त बनाना है। एक महाप्रबंधक के नेतृत्व में कार्पोरेट कार्यालय में एक विशेष कक्ष तकनीकी आधारित सेवाओं के जरिए (कलेक्शन तथा समाधान) अधिकाधिक सरकारी कारोबार जुटाएगी।

लगातार कर्मचारी ग्राहक संपर्क और ग्राहकों को आसानी और सुविधा देने के लिए डिजिटल बैंकिंग के प्रयोग पर शिक्षित करने के साथ कुशल और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा देने पर भी फोकस होगा।

क्षमता में सुधार लाने की दृष्टि से, अव्यवहार्य तथा मंद रहनेवाली शाखाओं के युक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है ताकि अन्य केन्द्र जहाँ अच्छी वृद्धि की संभाव्यता है, वहाँ मूलभूत संरचना तथा श्रमशक्ति को पूर्णतः उपयोग किया जा सकता है। एचआर/कार्पोरेट ऋण/वसूली वर्टिकल एवं फोरेक्स व्यापार संसाधन केन्द्र का केन्द्रीकरण लागत में कमी लाएगी और उसी प्रकार बेहतर सेवा सुपुर्दगी तथा टीएटी में कटौती – एक ही स्थान में विशेषज्ञता के साथ समर्पित स्त्रोत की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा।

आगे, साझेदारी पर ध्यान आकर्षित किया जाएगा यथा एनबीएससीयों के संयोग से ऋण–संघटन, बिल्डरों/ वाहन डीलरों तथा ट्रेक्टर निमार्ताओं के साथ टाइ–अप और बैंक एश्युरेन्स उत्पादों – लाइफ एवं नान–लाइफ की बिक्री के लिए बीमा कम्पनियों के साथ प्रति विक्रय करने के विकल्प का पता लगाना। इसके अलावा, ट्रेड प्लेटफार्म के जरिए एमएसएमई ऋणद को बढा दिया जाएगा।

उपरोक्त कदमों से ठोस परिणाम प्राप्त होने की अपेक्षा है और यह बैंक के विकास को बनाए रखने और सभी स्टेकधारकों को उच्चतम रिटर्न देने में सहायक होंगे।

FUTURE BUSINESS PLAN OF THE BANK

India has emerged as the fastest growing major economy in the world and is expected to be one of the top three economic powers of the world over the next 10-15 years.

The financial sector has been going through a phase of transformation and convergence with changing regulatory environment and increased competition from the private sectors banks and new entrants viz., Payment Banks, Small Banks and Fintech Companies. With the advent of digital technologies, the banking landscape is fast changing , both in breadth and depth.

The return of a strong Government at the centre for the second successive 5 year term would ensure a continuity in policy and reforms and pave the way for commencement of investment decisions and inflows. It is expected to further strengthen the Banking sector and various initiatives taken viz., reform measures and structural changes including recapitalization plan and introduction of 'Enhanced Access and Services Excellence (EASE)' towards responsive and responsible banking are expected to gather more momentum.

The Government and RBI are also focused on tackling the stressed assets under the **Insolvency & Bankruptcy Code (IBC)** with emphasis on quick resolution.

Considering the prevailing Economic conditions in the country, Government Reforms and thrust towards select sectors to boost employment and economic growth, your bank's strategy for FY 2019-20 will be on strong growth with focus on profitability.

The prime focus this year would be on increasing CASA and fee income, accelerating recovery in respect of impaired assets and containing the level of NPA. The growth in business should culminate in improving the bottom line of the Bank.

The Bank aims at a healthy growth across both the Corporate and RAM segments. With a view to improve quality Credit dispensation, bottom line etc, it is proposed to set up **Corporate Branches** for handling exclusive large borrowal accounts with exposure of ₹**50 Cr** and above at select Metro centres. This structure is expected to improve the response time to the request of customers and be prepared with required level of expertise.

Besides, **Field General Managers** are being positioned between Corporate Office and Zones at 6 Centres (Chennai, Coimbatore, Delhi, Kolkata, Mumbai and Hyderabad) to drive business growth of Zones and exercise first level of control. **Chief Operating Officer (COO)** at the level of General Manager will be overseeing the administrative and operational functions of the Bank.

The **Credit Monitoring Department** is being strengthened with an exclusive General Manager for proactive efforts to prevent slippage of accounts and an exclusive cell at Corporate Office under General Manager would be sourcing Govt Business through Technology offerings (for collection & reconciliation).

SAM Vertical Branches which are functioning at 7 Centres would continue their efforts for dedicated monitoring and recovery of high value borrowal accounts (₹ 1 Cr & above).

The focus would also be on offering efficient and excellent customer service with frequent employee customer connects and educating customers on the use of digital banking to give them great ease and convenience.

Towards improving efficiency, the exercise of Rationalization of unviable and slow growth branches is being taken up to ensure that the infrastructure and manpower are optimally deployed at other centres with potential for good growth. The centralization of HR/Corporate credit/Recovery verticals & Forex trade processing unit are expected to cut down costs and at the same time ensure availability of dedicated resources with expertise at a single location for better service delivery and reduced TAT.

Going forward, focus would be on forging partnerships viz., Co-origination of loans in collaboration with NBFCs, tying up with Builders/Vehicle dealers and Tractor manufacturers and exploring cross sell options through tie up with Insurance companies for sale of Bancassurance products, Life & Non life etc. Besides, MSME lending would be ramped up through TReDS platform, being onboarded on three platforms.

The above steps are expected to produce tangible results and help the Bank to sustain its growth and deliver higher and value based returns to all the stakeholders.

जमाएँ

सावधि जमा

- अप्रैल 18 से मार्च 19 के मध्य ब्याज़दर में 6 बार संशोधन किया गया।
- 3 वर्ष तथा अधिक की अवधि को 3वर्ष, 3 < 5 वर्ष एवं 5 वर्षों से अधिक में विभाजित किया गया है।
- रु. 5 करोड़ से अधिक राशि के लिए नए कार्डदर उत्पादों को दिनांक 14.06.2018 को पेश किया गया जिनसे परिणाम स्वरूप इस पोर्टफोलियो के अंतर्गत जमाओं में वृद्धि हुई। इन उपरोक्त उत्पादों को क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्ताओं द्वारा हाथों हाथ लिया गया क्योंकि इससे उनकी स्थायी जमाओं में वृद्धि हुई।
- बैंक के 112वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 112 दिनों के लिए "आईबी फाउंडेशन" तथा 412 दिनों के लिए "आईबी फाउंडेशन मल्टीप्लायर" निश्चित परिपक्वता घरेलू सावधि जमा उत्पादों को पेश किया गया। बैंक केवल इसी योजना के अंतर्गत रु.5150 करोड़ एकत्र करेगा।
- 444दिनों के लिए 7.00%की दर पर नए निश्चित परिपक्वता घरेलू सावधि जमा उत्पाद आईबी सुपीरियर का शुभारंभ तथा दिनांक 24.01.2019 तक रु. 5329करोड़ का निष्पादन।
- पीडीस/सीडीस पर निर्भरता कम करने के लिए कार्यनीति बनाना तथा इसे खुदरा जमाओं से बदल देना।

कासा

- अप्रैल 2018 से अब तक दो अभियान आयोजित किए गए हैं तथा इनमें से एक दिसंबर में आयोजित हुआ जिसमें बैंक ने 1.56 लाख नवीन संपर्कों से माध्यम से रु. 118 करोड़ एकत्र किए।
- नए ग्राहकों पर केन्द्रित दिनांक 28.02.2019 को समाप्त आईबी कामधेनु कासा अभियान बहुत सफल रहा और बैंक ने रु. 897 करोड़ की पूंजी जुटाई।

उत्पाद तथा योजनाएँ

- सीबीएस में सरलीकृत नामांकन सुविधा तथा ऑनलाइन नामांकन सुविधा का प्रारंभ।
- आईबी सुरभि–महिलाओं के लिए विशेष बचत खाता उत्पाद का शुभारंभ।

कृषि

- कृषि ऋणों के अंतर्गत कुल बकाया रु. 39005 करोड़ था और यह मार्च 2018 के रु. 35916 के स्तर से मार्च 2019 में रु. 7763 करोड़ की वृद्धि के साथ रु. 31242हो गया है।

कृषि वितरण

- कृषि हेतु बुनियादी स्तर के ऋण प्रवाह(जीलएफ) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान बैंक ने वार्षिक लक्ष्य रु. 21,500 करोड़ के मुकाबले रु. 35916.53 करोड़ के कृषि ऋण वितरित किया है।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान हमारे बैंक 26.61 लाख छोटे/सीमांत किसानों को कुल रु. 18735.60 करोड़ वितरित किए हैं।

खण्डवार निष्पादन

- 31.03.2019 को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम रु. 66,847.36 करोड़ रहे। समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के तिमाही औसत के प्रतिशत के रूप में प्राथमिकता क्षेत्र, वर्ष 2018–19 के लिए 40.00 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले 41.93 प्रतिशत रहा।
- 31.03.2019 को कृषि ऋण रु. 31,747.75 करोड़ रहा तथा एएनबीसी के तिमाही औसत के प्रतिशत के रूप में 18.00 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले 19.91 प्रतिशत रहा।
- दिनांक 31.03.2019 को लघु /सीमांत कृषकों को बैंक का ऋणद 14,750.08 करोड़ रहा तथा वर्ष 2018–19 हेतु तिमाही औसत आधार पर समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 8.00 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले 09.25 प्रतिशत रहा।
- दिनांक 31.03.2019 को कमजोर वर्गों को बैंक का ऋणद रु. 19,500.03 करोड़ रहा तथा वर्ष 2018–19 हेतु तिमाही औसत आधार पर समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 12.23 प्रतिशत रहा।
- दिनांक 31.03.2019 को एमएसई–माइक्रो को बैंक का ऋणद रु. 13,636.83 करोड़ रहा तथा वर्ष 2018–19 हेतु तिमाही औसत आधार पर समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 8.55 प्रतिशत रहा।
- दिनांक 31.03.2019 को गैर कॉर्पोरेट किसानों को बैंक का ऋणद रु. 29,449.64 करोड़ रहा तथा वर्ष 2018–19 हेतु तिमाही औसत आधार पर समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 18.47 प्रतिशत रहा।
- **गहन कृषि ऋण अभियानः**
- कृषि ऋण का प्रवाह बढ़ाने तथा कृषकों के साथ बैंक के संबंध को सुदृढ़ बनाने के दोहरे उद्देश्य से समय से पर्याप्त ऋण प्रदान कर प्रतिवर्ष रबी और खरीफ मौसमों के दौरान सभी शाखाओं द्वारा गहन कृषि ऋण अभियान चलाए जाते हैं।
- हमारी शाखाओं ने 25.06.2018 से 25.09.2018 तक "एक्सेलरेटिड एग्री क्रेडिट कैम्पेन" चलाया। अभियान की अवधि के दौरान, हमारी शाखाओं ने कुल रु. 11242.21 करोड़ का संवितरण किया।
- शाखाओं ने दिनांक 12.11.2018 से दिनांक 31.12.2018 तक "मेगा एग्री क्रेडिट कैम्पेन" चलाया। अभियान अवधि के दौरान हमारी शाखों ने कृषि ऋण के अंतर्गत रु. 1607 करोड़ के ऋणों की वृद्धि की।

श्री एम के भट्टाचार्य(कार्यपालक निदेशक) द्वारा दिनांक 15.02.2019 को पुदुच्चेरी अंचल में एसएचजी ऋणों का संवितरण किया गया।

DEPOSITS

TERM DEPOSITS

- Rates of interest were revised upward 6 times between April 18 & March 19
- 3 year & above bucket has been split into 3, 3 <5 years, 5yr & above 5 years.
- New card rate products were introduced on 14.06.2018 for amount above ₹ 5 crore which resulted in increase in deposits under this portfolio. The above products were well received by the field level functionaries as it adds to their core deposit
- Fixed Maturity Domestic Term Deposit Product "IB Foundation" for 112 days & "IB Foundation Multiplier" for 412 days were introduced to commemorate the Bank's 112th Foundation day. Bank could garner ₹ 5150 Cr under this scheme alone.
- New Fixed Maturity Domestic Term Deposit Product "IB Superior" for 444 days @7.00% was launched on 24.01.2019 and the performance till 31.03.2019 is ₹ 5329 Cr.
- Change in the strategy to have lesser dependence on PDs/CDs and replace it with retail deposits

CASA

- Two campaigns have so far been conducted since April 2018 and Bank could garner ₹ 118 Cr through 1.56 lakh fresh connections from the one held in the month of Dec 18.
- "IB Kamadhenu" CASA campaign which ended on 28.02.2019 with targeted focus on new clientele was really successful and Bank could mobilize ₹ 897 Cr.

Products & Services

- Introduction of simplified nomination facility in CBS & Online nomination facility
- Introduction of IB-Surabhi – Exclusive Savings Bank Product for Women.

AGRICULTURE :

- The total outstanding under Agriculture credit was ₹ **39005** Cr and has increased by ₹7763 Cr as of MAR 2019 from March 2018 (₹31242 Cr).

AGRICULTURAL DISBURSEMENT:

- Under Ground Level Credit Flow to Agriculture (GLF), Bank disbursed farm loans to the tune of ₹ 35916.53 Cr during the FY 2018-19 as against an annual target of ₹ 21500 Cr.
- During the FY 2018-19, our bank disbursed sum of ₹18735.60 Cr to 26.61 lakh small/marginal farmers.

SEGMENT - WISE PERFORMANCE

- **Priority Sector Advances** was at ₹ 66847.36 Cr as on 31.03.2019 and the percentage to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) for 2018-19 stood at 41.93% as against the mandatory target of 40%.
- **Agriculture Credit** was at ₹ 31747.75 Cr as on 31.03.2019 and the percentage to ANBC stood at 19.91% as against the mandatory target of 18%.
- **Lending to SF/MF** stood at ₹14750.08 Cr as on 31.03.2019 and constituted 9.25% of of ANBC for the year 2018-19 as against the mandatory target of 8%.
- **Lending to Weaker Sections** stood at ₹19500.03 Cr as on 31.03.2019 and constituted 12.23% of ANBC for the year 2018-19.
- **Lending to MSE-Micro** stood at ₹13636.83 Cr as on 31.03.2019 and constituted 8.55% of ANBC for the year 2018-19.
- **Non Corporate farmer** stood at ₹ 29449.64 Cr as on 31.03.2019 and constituted 18.47% of ANBC on quarterly average basis for the year 2018-19.

INTENSIVE FARM CREDIT CAMPAIGNS:

- In order to enhance credit flow to agriculture and strengthening relationship with the farmers, the Bank is observing "Intensive Farm Credit Campaigns", every year during Kharif and Rabi seasons to extend timely and adequate credit to farmers.
- Our Branches have observed "Accelerated Agri Credit Campaign" from 25.06.2018 to 25.09.2018. During the campaign period, our branches have disbursed a sum of ₹11242.21 Cr.
- Branches observed "Mega Agri Credit campaign" from 12.11.2018 to 31.12.2018. During the campaign period, our branches have increased outstanding under agriculture by ₹1607 Cr.

SHG Loan disbursement by Shri M. K. Bhattacharya, Executive Director on 15/02/2019 at Puducherry Zone

श्री वी उदयकुमार, अंचल प्रबंधक, तिरुवण्णामलै द्वारा दिनांक 30.01.2019 को ट्रेक्टर ऋण संवितरण।

श्री डी देवराज, महाप्रबंधक(आरबीडी/एफआई) द्वारा दिनांक 24.08.2018 को कडलूर अंचल में एसएचजी ऋणों का संवितरण।
खंडवार निष्पादन

ज़ेवर ऋण :

मार्च 2019 में मार्च 2018 की 2270 शाखाओं के मुकाबले 2384 शाखाओं में ज़ेवर ऋण लागू किया गया है। रु.5,565 करोड़ की वृद्धि के साथ मार्च 2018 के स्तर के रु.23,571.30 करोड़ के मुकाबले ज़ेवर ऋण में बकाया राशि रु. 29,136.30 करोड़ है।

स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रवाह:

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) अधिमान्यतः समान सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि के गरीब लोगों की एक लघु स्वैच्छिक संस्था है। ये लोग स्वावलंबन और पारस्परिक सहायता के माध्यम से अपनी आम समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य हेतु एकजुट होते हैं। एसएचजी अवधारणा, बैठकों के संचालन, किफायती बचत और ऋण देने के फैसले पर सहभागी निर्णय लेने के लिए अवसर प्रदान करता है।

हमारे बैंक ने एसएचजी बैंक लिंकेज के लिए तमिलनाडु सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री एडप्पाडी के. पलनी स्वामी से वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार प्राप्त किया।

नाबार्ड द्वारा हमारे बैंक को तमिलनाडु में एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत 2017–18 के दौरान "सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों" के मध्य उत्कृष्ट निष्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

मार्च, 2019 की समाप्ति पर रु. 697.81 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी के साथ मार्च, 2018 में 4035.50 करोड़ के स्तर के मुकाबले 1.58 लाख एसएचजी को कवर करते हुए एसएचजी का बकाया ऋण रु. 4733.41 करोड़ रहा। वर्ष 2018–19 में, बैंक ने 1.00 लाख एसएचजी को रु. 3911.05 करोड़ संवितरित किए।

माइक्रोसेट शाखाएँ:

- गरीब वर्ग की समुचित वित्तीय जरूरतों की पूर्ति हेतु, झोपड़ियों, मलिन बस्तियों और किराए के घरों में रहनेवाले शहरी गरीब और महानगरीय शहरों और शहरी केंद्रों के गली में रहनेवाले लोगों के लिए स्वयं सहायता समूह की अवधारणा का लाभ प्रदान करने हेतु विशेषीकृत संगठन "सर्व सेवा केंद्र" द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए माइक्रोसेट शाखाएं स्थापित की गई थीं।

- बैंक ने विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह की सेवा के लिए 39 माइक्रोसेट शाखाएँ स्थापित की हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 में, 23,716 एसएचजी को

Disbursement of Tractor Loans by Shri.V.Uthayakumar, ZM, Thiruvannamalai on 30.01.2019.

Our Bank received Best Bank Award for SHG Bank linkage from Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu, Shri Edappadi K. Palaniswami, Government of Tamil Nadu for the years 2016-17 & 2017-18

Disbursement of SHG Loans by Shri D.Devaraj, GM (RBD/FI) on 24.08.2018 at Cuddalore Zone

Our Bank was Awarded First Prize among "Public Sector Commercial Banks" by NABARD for Excellence in Performance under SHG Bank Linkage Programme in Tamil Nadu during 2017-2018

JEWEL LOAN:

Jewel loan has been implemented in 2384 branches as on March 19 against 2270 branches in March 2018. The outstanding balance in jewel loan is ₹29136.30 Cr as against the March 2018 level of ₹23571.30 Cr with an increase of ₹5565 Cr.

CREDIT FLOW TO SELF HELP GROUPS:

Self-Help Group (SHG) is a small voluntary association of poor people, preferably from the same socio-economic background. They come together for the purpose of solving their common problems through self-help and mutual help. SHG concept offers opportunity for participative decision making on conduct of meetings, thrift and credit decisions

The outstanding credit to SHGs stood at ₹ 4733.41 Cr covering 1.58 lakh SHGs as on March 2019 and increased by ₹ 697.81 Cr over March 2018 level of ₹ 4035.50 Cr. During the year 2018-19, the Bank had disbursed ₹ 3911.05 Cr to 1.00 lakh SHGs.

Microsate Branches:

- To make available the benefit of SHG concept to scores of urban poor living in huts, slums and tenements and near the gullies in Metropolitan cities and Urban centers, specialized outfits that can serve as a "one stop shop", called Microsate Branches were established, for the entire financial needs of the poorer section.
- The Bank has established 39 Microsate Branches exclusively to serve the SHGs. During the financial year

माइक्रोसेट शाखाओं के माध्यम से 1067.63 करोड़ की राशि का ऋण प्रदान किया गया। 37212 एसएचजी को कवर करते हुए इन माइक्रोसेट शाखाओं का कुल बकाया अग्रिम मार्च, 2018 में ₹964.39 करोड़ के स्तर के मुकाबले ₹103.24 करोड़ की बढ़ोतरी के साथ 1112.19 करोड़ रहा।

01.03.2019 को ईरोड अंचल द्वारा आयोजित स्वच्छ भारत मिशन पर मेगा एसएचजी लोन मेला और जागरूकता कार्यक्रम

जिन किसानों के पास उचित भूमि अभिलेख नहीं हैं / जिनके पास जमीन नहीं है, उन वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए, बैंक संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से वित्तपोषण को प्रोत्साहित कर रहा है। 7710 जेएलजी को कवर करते हुए 31.03.2019 को बकाया ऋण ₹ 147.05 करोड़ रहा।

कमजोर वर्ग को अग्रिम :

कमजोर वर्गों, जिसमें छोटे और सीमांत किसान, कारीगर, ग्राम तथा कुटीर उद्योग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, स्वयं–सहायता समूह आदि शामिल हैं, हेतु निर्धारित अनिवार्य अग्रिम के लक्ष्य को बैंक निरंतर पार कर रहा है।

29.01.2019 को कोयम्बतूर में एसएचजी माह के दौरान अल्पसंख्यक / एससी एसटी लाभार्थियों को एसएचजी ऋण संवितरण

- मार्च 2019 के अंत तक कमजोर वर्गों को बकाया ऋण 19500-03 करोड़ था तथा कमजोर वर्ग के तहत औसत बकाया ऋण 10 प्रतिशत के निर्धारित मानक के विरूद्ध एएनबीसी के 12.23 प्रतिशत था।

- 31.03.2019 को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को बकाया 2293-97 करोड़ था।

एससी / एसटी और अल्पसंख्यक क्रेडिट अभियान का आयोजन

- अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण देने के लिए विशेष अभियान आयोजित किए गए। मार्च 2019 को समाप्त हुए महीने में अल्पसंख्यकों को अग्रिम 7931.50 करोड़ अर्थात कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम के 11-82 प्रतिशत रहा।

क्षमता निर्माण पहलः

बैंक ने 12 केन्द्रों, चित्तूर, कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णगिरि, नामक्कल, पुदुच्चेरी, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, वेल्लूर और विलुपुरम में "इंडियन बैंक स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान" (इंडसेटी) नामक "रुडसेटी मॉडल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं। 58912 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाते हुए इंडसेटी द्वारा मार्च 2019 तक कुल 2118 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) और नेशनल सेंटर फॉर एक्सलेन्स ऑफ आरएसईटीआई (एनएसईआर / बेंगलुरु)इंडसेटी (आरसेटी) निदेशकों का वार्षिक कॉन्क्लेव, 21 मार्च 2019 को इमेज, चेन्नै में आयोजित किया गया। कार्यपालक निदेशक, उप महाप्रबंधक (आरबीडी/एफ़आई),श्री पी संतोष, आरसेटी का राष्ट्रीय निदेशक, एनएसईआर / बेंगलुरु, श्रीमती चंपकवल्ली, परियोजना निदेशक,एनआईआरडीपीआर / हैदराबाद, श्री पिट्च्या, निदेशक / राष्ट्रीय अकादमी/रुडसेटी / बेंगलुरु और श्री वासुदेव कालकुंड्री, निर्देशक / एनएसईआर / बेंगलुरु ने कॉन्क्लेव में भाग लिया। कॉन्क्लेव का उद्घाटन हमारे बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री एम.के. भट्टाचार्य ने किया था। कॉन्क्लेव के दौरान सर्वश्रेष्ठ इंडसेटी के निष्पादन करने वाले निदेशकों को सम्मानित किया गया।

2018-19, credit amounting to ₹ 1067.63 Cr has been extended to 23716 SHGs through the Microsate branches. The total outstanding advances of these Microsate Branches stood at ₹ 1112.25 Cr covering 37212 SHGs as against the March 2018 level of ₹ 964.39 Cr, with an increase of ₹ 103.24 Cr over March 2018.

MEGA SHG LOAN MELA & AWARNESS PROGRAM ON SWACHH BHARAT MISSION Conducted by Erode Zone on 01.03.2019

Bank is encouraging financing through Joint Liability Groups, with a view to render credit support to those category of farmers who do not possess proper land records/not having own lands. The outstanding credit to JLGs stood at ₹147.05 Cr covering 7710 JLGs as on 31.03.2019.

Weaker Section Advances:

Bank has been continuously surpassing the mandatory advance target set for the weaker sections which includes Small and Marginal Farmers, Artisans, Village and Cottage Industries, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Self Help Groups, etc.

SHG Loan disbursement to Minority, SC/ST Beneficiaries during SHG Month at Coimbatore on 29.01.2019

- Credit outstanding to Weaker Sections stood at ₹ 19500.03 Cr as at the end of March 2019 and worked out to 12.23% of ANBC against stipulated norm of 10%.
- Outstanding credit to SC/ST beneficiaries stood at ₹ 2293.97 Cr as on 31.03.2019.

Observance of SC/ST and Minority Credit Campaigns

- Special campaigns were conducted for extending credit to Minority Communities. Advances to Minorities stood at ₹ 7931.50 Cr for the month ended March 2019 i.e. 11.82% of the total Priority Sector Advances.

Capacity Building Initiatives:

Bank established RUDSETI Model Training institutes named as "Indian Bank Self Employment Training Institute" (INDSETI) in twelve centers viz., Chittoor, Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Puducherry, Salem, Thiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore and Villupuram. A total of 2118 training programmes have been conducted by the INDSETIs up to March 2019 benefitting 58912 individuals so far.

As per Ministry of Rural Development (MoRD) and National Center for Excellence of RSETIs (NACER/Bengaluru) the Annual Conclave of INDSETI (RSETI) Directors, was organized at IMAGE, Chennai on 21st of March 2019. Executive Director. Shri. M.K. Bhattacharya, Deputy General Manager (RBD/FI). Shri. N.K. Mishra, Shri. P.Santhosh, National Director of RSETIs, NACER/Bengaluru, Smt.Champakavalli, Project Director, NIRDPR/Hyderabad, Shri.Pitchiah, Director/National Academy of RUDSETI/Bengaluru and Shri.Vasudeva Kalkundri, Director/NACER/Bengaluru participated in the Conclave. The Conclave was inaugurated by Shri.M.K.Bhattacharya, Executive Director of our Bank. During the Conclave best performing Directors of INDSETIs were facilitated.

प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने इंडसेटी पुदुच्चेरी का दौरा किया एवं प्रतिभागियों से संवाद किया

श्री भट्टाचार्य, कार्यपालक निदेशक पीएमईजीपी लाभार्थीयों को ईडीपी समापन प्रमाण पत्र वितरित करते हुए एवं इंडसेटी/वेल्लूर दौरा के दौरान प्रशिक्षुओं से संवाद करते हुए।

श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज एवं श्री रघुवर दास, मुख्य मंत्री झारखंड श्री डी देवराज, मप्र (आरबीडी) एवं श्री पी एगुलेन, निदेशक, इंडसेटी, पुदुच्चेरी को दिनांक 05 मई 2018 को रांची में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वर्ष 2017–18 हेतु पुरस्कार प्रदान करते हुए।

क्षमता निर्माण की दिशा में उपर्युक्त विशेष पहलों के अलावा, बैंक ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्र कारैक्कुडी, तमिलनाडु (नाबार्ड और आईओबी के साथ संयुक्त रूप से) और आंध्र प्रदेश बैंकर्स ग्रामीण एवं उद्यमिता विकास संस्थान – एपीबीआईआरईडी, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश सरकार, नाबार्ड और पांच अन्य बैंकों के साथ संयुक्त रूप से) में पहले से ही भाग ले रहा है। ये दोनों संस्थान ग्रामवासियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए व्यापक कौशल उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करते हैं। आरटीसी, कारैक्कुडी द्वारा (2019 तक 13754 सदस्यों को लाभ पहुंचाते हुए) कुल 510 प्रशिक्षण कार्यक्रम और एपीबीआईआरईडी, हैदराबाद द्वारा (मार्च 2019 तक 14537 सदस्यों को लाभ पहुंचाते हुए) कुल 514 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान :

- स्वर्ण भारत ट्रस्ट जो विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में एक सेवा उन्मुख गैर–सरकारी संस्था (एनजीओ) है तथा कोनेरु लक्ष्मैया विश्वविद्यालय (केएलयू) जो एक स्वायत्त विश्वविद्यालय है, के साथ मिलकर बैंक ने लोगों के प्रशिक्षण एवं विकास के लिए तथा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करके कुशल श्रम शक्ति की स्थिति में सुधार लाने के लिए डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान के नाम से अटकूर गांव, जिला– कृष्णा, आंध्र प्रदेश में "कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान" की स्थापना की है।

- संस्था ने मार्च 2019 तक 49 कार्यक्रम संचालित किए तथा 1065 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया।

तमिलनाडु में आरआरबी समामेलन

- इंडियन बैंक की मजबूत वित्तीय, राज्य में प्रमुख उपस्थिति और तमिलनाडु में आबादी के एक बड़े हिस्से होने से, इंडियन बैंक को प्रतिष्ठित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए प्रायोजक बैंक होने का दायित्व सौंपा गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात् **तमिलनाडु ग्रामीण बैंक** ने 01.04.2019 से अपना परिचालन शुरू कर दिया है।

Managing Director and Chief Executive Officer visits INDSETI-Puducherry & interacts with the candidates

Shri. M.K. Bhattacharya, Executive Director distributing EDP completion Certificate to PMEGP beneficiaries, interacting with trainees during the visit to INDSETI/Vellore

Shri Narendra singh Tomar, Union Minister for Rural Development and Panchayat Raj and Shri Raghubar Das, Chief Minister, Jharkhand *presenting the award to* ***Shri D Devaraj, GM (RBD&FI) and Shri P Aguilane, Director, INDSETI, Puducherry*** for the year 2017-18 in a function held at Ranchi on 05.05.2018.

Apart from the above exclusive initiatives towards capacity building, the Bank is already participating in Rural Training Centre, Karaikudi, Tamil Nadu (jointly with NABARD & IOB) and Andhra Pradesh Bankers' Institute of Rural & Entrepreneurship Development - APBIRED, Hyderabad (jointly with Government of AP, NABARD & five other Banks). These two training institutes offer wide range of skill oriented training programmes with a focus on rural population. A total of 510 training programmes have so far been conducted by RTC, Karaikudi (benefitting 13754 members - up to March 2019) and 514 programmes by APBIRED, Hyderabad (benefitting 14537 members-up to March 2019).

Dr. APJ Abdul Kalam Skill Development Training Institute:

- Bank along with Swarna Bharat Trust, a service oriented Non-Governmental Organization (NGO) in Vijayawada, Andhra Pradesh and Koneru Lakshmaiah University (KLU), an autonomous University established a “Skill Development Training Institute” by the name Dr.APJ Abdul Kalam Skill Development Training Institute at Atkur Village, Krishna District, Andhra Pradesh for training and developing people and improving the skilled man power position by imparting quality training.

- The Institute has conducted 49 programmes and trained 1065 candidates up to March 2019.

Amalgamation of RRBs in Tamil Nadu

- In recognition of Indian Bank's strong financials, predominant presence in the State and preference among a larger section of populace in Tamil Nadu, Indian Bank has been entrusted with the coveted responsibility of being Sponsor Bank for the amalgamated Regional Rural Bank. The amalgamated Regional Rural Bank namely **“Tamil Nadu Grama Bank”** has commenced its operation with effect from 01.04.2019.

- तमिलनाडु ग्राम बैंक की 630 शाखाएँ हैं और यह चेन्नै जिले को छोड़कर पूरे तमिलनाडु को कवर करती है। इसके अलावा, गांव की आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 800 कारोबार प्रतिनिधि हैं। बैंक में 2281 कर्मचारी कार्यरत हैं।

- तमिलनाडु ग्रामा बैंक का कुल कारोबार रु.22568 करोड़ (जमा रु. 11258 करोड़ एवं अग्रिम रु. 11310 करोड़) है।

प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुश्री पद्मजा चुन्डुरू ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये दिनांक 01.04.2019 को नए तमिलनाडु ग्रामा बैंक का उद्घाटन किया।

हमारे कार्यपालक निदेशक श्री एम के भट्टाचार्य दिनांक 01.04.2019 को प्रेस एवं मीडिया के समक्ष तमिलनाडु ग्रामा बैंक के समामेलन की घोषणा की।

मुद्रा योजना

- मुद्रा योजना के अंतर्गत आबंटित 3850 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले, बैंक ने 80-60 प्रतिशत की उपलब्धि दर्ज करते हुए 31.03.06 करोड़ संवितरित किया।

- मुद्रा योजना के अंतर्गत, बैंक ने बुनकर, परिवहन, खुदरा व्यापार, लघु उद्यम तथा कृषि आधारित गतिविधियां जैसे मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, पशु पालन, डेयरी, मछली पकड़ना, कृषि क्लीनिक, कृषि कारोबार केंद्र, खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण इत्यादि सहित विभिन्न विनिर्माण, सेवा गतिविधियों में रु. 10लाख की अधिकतम सीमा वाले ऋणों में वृद्धि की है।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडीवाई) :

- यह योजना नई दिल्ली में 28.08.2014 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा बहिष्कृत वर्गों को वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता तथा समय पर एवं पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी।

एसएलबीसी द्वारा उप–सेवा क्षेत्र (एसएसए) का आबंटन तथा पीएमजेडीवाई के तहत बैंक द्वारा कवरेज:

- मार्च 2016 तक, विभिन्न एसएलबीसी ने पीएमजेडीवाई के तहत बैंक में 2975 एसएसए तथा 2023 शहरी वार्ड आबंटित किए हैं। सभी 2975 एसएसए को बैंक द्वारा बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इनमें से 2517 एसएसए को बैंक मित्र (कारोबार प्रतिनिधि) के माध्यम से बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं तथा 458 एसएसए वास्तविक शाखाओं के माध्यम से पहले से ही काम कर रहे हैं।

पीएमजेडीवाई के तहत बैंक के निष्पादन की मुख्य विशेषताएँ:

- शुरुआत अर्थात 16.08.2014 से (31.03.2019 तक) 37.78 लाख बेसिक बचत बैंक जमा खाते खोले गए।

- बैंक ने 2,53,815 पात्र खाता धारकों को 59.86 करोड़ तक के ओवेरड्राफ्ट प्रदान किए थे। जिसमें से 89,036 बीएसबीडीए खाता धारकों ने 17.60 करोड़ राशि की लिमिट का लाभ उठाया है। छह महीने के संतोषजनक परिचालन / क्रेडिट हिस्टरी के बाद ही हर बीएसबीडीए खाता धारक को ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा। बैंक ने ओवरड्राफ्ट सुविधा को स्वचालित बनाया गया है और इसे पात्र पीएमजेडीवाई खाता धारकों के लिए अपने बैंक के एटीएम के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है।

- 37.44 लाख बीएसबीडी खाता धारकों को रुपे कार्ड जारी किए गए (31.03.2019 तक)।

- बैंक को आबंटित किए गए सभी एसएसए को या तो वास्तविक शाखा या बैंक मित्र द्वारा कवर किया जाता है।

- आईबीए मानक (1.5.1) का पालन करते हुए सभी बैंक मित्रों को अंतर–संचालित माइक्रो एटीएम उपकरण प्रदान किए जाते हैं।

- Tamil Nadu Grama Bank has 630 branches and covers entire State of Tamil Nadu except Chennai district. Besides, there are about 800 Business Correspondents catering to the needs of the village populace. The Bank has a dedicated staff strength of 2281.
- Tamil Nadu Grama Bank has a total business of ₹ 22568 Cr (Deposits ₹11258 Cr and Advances ₹11310 Cr).

Our MD & CEO Ms Padmaja Chunduru inaugurated the new TAMIL NADU GRAMA BANK via Video conference on 01.04.2019

Our Executive Director Shri.M.K. Bhattacharya announced the TAMIL NADU GRAMA BANK amalgamation to press and Media on 01.04.2019

MUDRA SCHEME

- As against the target of ₹ 3850 Cr (including Regional Rural Banks) allocated under Mudra Scheme, Bank sanctioned an amount of ₹ 3103.06 Cr, registering an achievement of 80.60%.
- Under Mudra Scheme, Bank extended loans upto a limit of ₹ 10 lakhs to various manufacturing, service activities including weaving, transport, retail trade, small business and agriculture allied activities viz., pisciculture, beekeeping, poultry, livestock rearing, dairy, fishery, agri clinics, agri business centers, Food & Agro processing etc.,

PRADHAN MANTRI JAN-DHAN YOJANA (PMJDY):

- The scheme was launched by Hon'ble Prime Minister on 28.08.2014 in New Delhi for ensuring access to financial services and timely & adequate credit to the excluded sections.

Allotment of Sub Service Areas (SSAs) by SLBCs and coverage by our Bank under PMJDY:

- Various SLBCs have allotted 2975 SSAs and 2023 Urban wards to our Bank under PMJDY. All the 2975 SSAs are provided with banking services by our Bank. Of these, 2517 SSAs are provided with banking services through Bank Mitrs (Business correspondents) and 458 SSAs through Brick and Mortar branches already functioning in the SSAs.

Highlights of our Bank's performance under PMJDY:

- Since the inception of PMJDY on 16.08.2014 our Bank has opened 37.78 lakh Basic Savings Bank Deposit Accounts (as on 31.03.2019) and also mobilized ₹ 594.86 Cr.
- Under PMJDY, our Bank has offered overdraft to 2, 53,815 eligible account holders to the tune of ₹ 59.86 Cr. Of which 89,036 BSBD account holders have availed the limit amounting to ₹ 17.60 Cr. Facility of an overdraft to every BSBD account holder would be considered after satisfactory operation / credit history of six months. Our Bank has automated the overdraft facility and made available through ATMs of our Bank to the eligible PMJDY account holders.
- RuPay Cards have been issued to 37.44 lakh BSBD Account holders (as on 31.03.2019).
- All the SSAs allotted to the Bank are covered with either brick and mortar branch or with Bank Mitr.
- All the Bank Mitrs are provided with inter operable Micro ATM devices as per the IBA standard (1.5.1)

- वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान महीने में प्रति बैंक मित्र द्वारा किए गए लेनदेन की औसत संख्या 1100 थी, जोकि इंडस्ट्री में श्रेष्ठतम में से एक है।

- आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) परस्पर कार्यक्षमता सुविधाओं को बैंक के एसएसए में लगाए गए सभी पीओएस मशीन में सक्षम बनाया गया है। सभी बैंक मित्र एईपीएस लेन–देन कर रहे हैं तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान बैंक मित्रों द्वारा 4286.91 करोड़ की राशि के लिए 2.95 करोड एईपीएस लेन–देन (दोनों वित्तीय और गैर वित्तीय) किए गए हैं। किसी भी बैंक के ग्राहक, इंडियन बैंक के बैंक मित्र के साथ लेनदेन कर सकते हैं।

जन सुरक्षा योजना के तहत निष्पादनः

- पीएमजेडीवाई के दूसरे चरण में, माननीय प्रधानमंत्री ने समाज के वंचित वर्गों के लिए तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)– एक जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) – एक दुर्घटना बीमा योजना, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) – पेंशन योजना का शुभारंभ मई, 2015 में किया। 31.03.2019 तक योजनाओं के तहत बैंक का निष्पादन नीचे प्रस्तुत है:

योजना का नाम	कवर किए गए ग्राहकों की संख्या
एपीवाई	5,78,151
पीएमजेजेबीवाई	10,06,446
पीएमएसबीवाई	22,76,861
कुल	**38,61,458**

- हमारे बैंक में पीएमजेजेबीवाई के तहत 84.42 करोड़ की राशि के 4221 दावों का बीमाधारक के नामितियों को निपटान किया गया तथा पीएमएसबीवाई के तहत 19.76 करोड़ के 995 दावों का निपटान बीमाधारक के नामितियों को किया गया है।

रुपे बीमा दावों के तहत निष्पादन

- 15.08.2014 और 26.01.2015 के बीच के खाते खोलने वाले ग्राहकों के लिए 1 लाख के दुर्घटना बीमा कवर और 30,000/–के जीवन बीमा कवर के साथ निर्मित रुपे डेबिट कार्ड पीएमजेडीवाई खाताधारकों को जारी किए जा रहे हैं। रुपे दुर्घटना बीमा दावा के तहत, बीमाकर्ता के नामितियों के 164 दावों का निपटान किया गया था। इसी प्रकार रुपे लाइफ इंश्योरेंस के तहत, बीमाकर्ता के नामितियों के 120 दावों का निपटान किया गया था।

तमिलनाडु में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन का भुगतान :

- जुलाई 2012 के बाद से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित स्मार्ट कार्ड सक्षम व्यापार संपर्की (बीसी) मॉडल का उपयोग करते हुए बैंक खातों के माध्यम से तमिलनाडु राज्य में, सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत, वित्तीय समावेश के तहत कवर गांवों में, वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान लाभार्थियों को किया जा रहा है। तमिलनाडु में बैंक मित्र के माध्यम से प्रति माह 6-08 लाख लाभार्थियों को पेंशन संवितरित की जाती है।

पीएफआरडीए पुरस्कार

- 23 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में आयोजित एमडी एवं सीईओ के अभिनंदन समारोह के दौरान श्री राजीव कुमार, सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने हमारे एमडी एवं सीईओ को "लीडरशिप कैपिटल" पुरस्कार से सम्मानित किया। बैंक ने लक्ष्य के मुक़ाबले 382% के साथ सभी बैंकों के मध्य के रूप में उभरा।

- दिनांक 16-11-2018को नई दिल्ली में आयोजित बधाई समारोह के दौरान श्री मदनेश मिश्र, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग की उपस्थिति में हमारे कार्यपालक निदेशक श्री एम के भट्टाचार्य को श्री हेमंत जी कांट्रैक्टर के कर कमलों से **"मेकर्स ऑफ एक्सीलेंस 2.0"** पुरस्कार प्राप्त हुआ। अभियान के दौरान बैंक ने 15000 के लक्ष्य के मुक़ाबले 33,940 नामांकन किए तथा प्रति शाखा 13 की औसत वृद्धि(सभी बैंकों में उच्चतम) की।

- बैंकों के कार्यपालक निदेशकों के लिए बिग बिलीवर्स अभियान(11–28 फरवरी 2019) के अंतर्गत बैंक ने 17,853 एपीवाई खाते प्राप्त किए जोकि लक्ष्य से 1-8 गुना है और हमारे कार्यपालक निदेशक श्री एम के भट्टाचार्य एक्सेम्प्लर्स पुरस्कार के विजेता के रूप में उभरे।

- पीएफआरडीए द्वारा आयोजित "एक्सेम्प्लरी ऐट" कैम्पेन (11–31 जनवरी 2018) के दौरान बैंक ने 5,000 के लक्ष्य के मुकाबले 359% के साथ 17,958 एपीवाई खातों को खोलने के लिए महाप्रबंधक (आरबीडी / वित्तीय समावेशन) श्री डी देवराज को सर्वश्रेष्ठ निष्पादक महाप्रबंधक का पुरस्कार प्राप्त किया।

- पीएफआरडीए ने हमारे पाँच अंचल प्रबन्धकों(सूरत, पुदुच्चेरी, तिरुवन्नामलई, तिरुपति एवं तिरुवारूर) को "राइस ,बोव रेस्ट" पुरस्कार से सम्मानित किया। अंचल कार्यालयों के लिए न्यूनतम लक्ष्य में 5 प्रतिशाखा की वृद्धि हुई, 23 अंचलों ने अर्हता प्राप्त की। अभियान के दौरान बैंक ने 25,837 नामांकन प्राप्त किए तथा प्रति शाखा की औसत वृद्धि की जोकि सभी बैंकों में उच्चतम रही।

- पीएफआरडीए द्वारा चतुर्थ तिमाही के लिए दिए गए 60 के लक्ष्य के मुक़ाबले बैंक ने प्रतिशाखा 86 का औसत प्राप्त किया तदनुसार बैंक के नोडल अधिकारी श्री एन के मिश्रा(डीजीएम–आरबीडी एंड एफआईडी) गेम चेंजर वर्ग में विजेता के रूप में उभरे।

- बैंक के नोडल अधिकारी श्री आशिफ एसए(एजीएम–एफआई) को "लीड टू लीप" पुरस्कार प्राप्त हुआ। पीएफआरडीए के द्वारा दिये गए 30 के लक्ष्य के मुक़ाबले बैंक ने प्रति शाखा 37 का औसत प्राप्त किया।

- An average monthly transaction done per BC is more than 1100 during the FY 2018-19, which is one of the best in the industry.
- Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) inter-operability facilities are enabled in all POS machines deployed in our SSAs. All BCs are doing AEPS transactions and during the FY 2018-19, 2.95 Crore AEPS transactions (both financial and non-financial) to the tune of ₹ 4286.91 Cr have been done by the BCs. Customer of any Bank can transact with Indian Bank BC.

Performance under Jan Suraksha Yojana:

- In the second phase of PMJDY, Hon'ble Prime Minister launched three Social Security Schemes viz., Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) – a life insurance scheme, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) – an accidental insurance scheme, Atal Pension Yojana (APY) – pension scheme in May 2015 for the under privileged sections of the society. The performance of our Bank under the Schemes as on 31.03.2019 is furnished below.

Name of the Scheme	No. of customers covered
APY	5,78,151
PMJJBY	10,06,446
PMSBY	22,76,861
Total	**38,61,458**

- In our Bank, under PMJJBY 4221 claims to the nominees of the insured to the tune of ₹ 84.42 Cr and under PMSBY 995 claims to the nominees of the insured/insured to the tune of ₹ 19.76 Cr settled to the nominees of our Bank customers.

Performance under RuPay Insurance claims

- PMJDY account holders are being issued with RuPay debit cards having inbuilt accidental insurance cover of ₹ 1.00 lakh and life cover of ₹ 30,000/- for the customers who opened accounts between 15.08.2014 to 26.01.2015. Under RuPay Accidental insurance 164 claims and under RuPay life insurance 120 claims settled to the nominees of our Bank customers.

Payment of pension under Social Security Scheme in Tamil Nadu:

- In the state of Tamil Nadu, under Social Security Scheme, Old Age pension is being paid to beneficiaries, in the villages covered under Financial Inclusion; through Bank accounts using Information and Communication Technology (ICT) based Smart Card enabled Business Correspondent (BC) Model, since July 2012. As on date pension is being disbursed to 6.08 lakh beneficiaries every month through our Bank Mitrs in Tamil Nadu.

PFRDA AWARDS:

- Shri Rajiv Kumar, Secretary, DFS, Ministry of Finance, Govt. of India honoured our MD&CEO with the award for **"Leadership Capital"** campaign for MD&CEOs' during the Felicitation Programme held at New Delhi on 23rd January 2019. Bank emerged as No 1 among all banks with 382% achievement against the target.
- Our Executive Director Shri M.K.Bhattacharya received **"Makers of Excellence 2.0"** award at the hands of Shri Hemant G Contractor, Chairman, PFRDA during the felicitation function held at New Delhi on 16.11.2018 in the presence of Shri Madnesh Kumar Mishra, Joint Secretary, DFS. During the campaign Bank sourced 33,940 enrolments against the target of 15,000 and increased Bank's per branch average by 13 (the highest among all banks).
- Under the **Big Believers campaign** (11th - 28th Feb 2019) for EDs of banks, Bank sourced 17,853 APY accounts which is 1.8 times the target and our Executive Director Shri M.K.Bhattacharya emerged as winner for **Exemplars** award.
- Shri D Devaraj, GM (RBD&FID) received **"Best Performing GM"** award under APY. During the Exemplary Eight (11th -31st Jan 2018) campaign, Bank sourced 17,958 APY accounts against the target of 5,000 with 359% of achievement.
- PFRDA honoured five of our Zonal Managers (Surat, Puducherry, Tiruvannamalai, Tirupati and Tiruvarur) with **"Rise Above Rest"** awards. The minimum target for zones is increase of 5 per branch, 23 zones qualified. During the campaign Bank sourced 25,837 enrolments and increased Bank's per branch average by 10 which was the highest among all banks.
- Our Bank reached per branch average of 86 against the Q4 target of 60 set by PFRDA, accordingly Nodal officer of Bank Shri N K Mishra (DGM-RBD&FID) emerged as winner under **Game-changers.**
- **"Lead to Leap"** award to Nodal officer of Bank Shri Asif S A (AGM-FI). Our Bank reached per branch average of 37 against the half yearly target of 30 set by PFRDA.

- पीएफआरडीए द्वारा तिमाही तृतीय के लिए निर्धारित 45 के लक्ष्य के मुकाबले बैंक प्रतिशाखा 69 के औसत पर पहुंचा तदनुसार बैंक के नोडल अधिकारी श्री वी एम वेंकटाचलम (सीएम–एफआई) ने "आउटपरफॉर्मर" पुरस्कार प्राप्त किया।

- नाबार्ड से पुरस्कार : तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री श्री एडप्पाड़ी के पलनीस्वामी ने बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री एम के भट्टाचार्य को तमिलनाडु राज्य में बैंक की सर्वश्रेष्ठ वित्तीय साक्षरता पहल के लिए सम्मानित किया।

- सर्वश्रेष्ठ वित्तीय समावेशन की पहल के लिए आईबीए पुरस्कार : भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) ने बैंक को "सर्वश्रेष्ठ वित्तीय समावेशन पहलों" के लिए "रनर–अप" से सम्मानित किया। श्री डी देवराज, महाप्रबंधक (आरबीडी/एफआईडी) ने 20 फरवरी 2019 को मुंबई में यह पुरस्कार श्री सुनील मेहता, अध्यक्ष, आईबीए के कर कमलों से प्राप्त किया।

- एसोचेम सामाजिक बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार :
  - ➢ विजेता – कृषि बैंकिंग
  - ➢ विजेता – कृषि से पृथक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण वर्ग में
  - ➢ विजेता – प्रद्योगिकी
  - ➢ विजेता – संपूर्ण : सर्वश्रेष्ठ सामाजिक बैंक

- बैंक ने ये सभी पुरस्कार 26-02-2019 को मुंबई में आयोजित एक समारोह में प्राप्त किए। बैंक माध्यम श्रेणी के बैंकों के मध्य सभी चार वर्गों में वेजेता के रूप में उभरा।

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में नकदी प्रवाह :

- विशेष ध्यान देने के लिए पृथक एमएसएमई विभाग है जोकि सम्पूर्ण एमएसएमई पोर्टफोलियो की देखरेख करता है। विशेष रूप से एमएसएमई प्रदान करने के लिए बैंक के पास 18 एमएसएमई शाखाएँ है, 76 विशेष एमएसएमई शाखाएँ हैं जनके 60% से अधिक ऋण एमएसएमई होते हैं एवं बैंक के एमएसएमई कारोबार को समृद्ध करने के लिए 500 एमएसएमई केन्द्रित शाखाएं हैं।

मेसर्स लिवेंजा ग्रानिटो एलएलपी, मोरवी, एक सेरामिक टाइल यूनिट क्लस्टर फार्मिंग में बैंक उत्कृष्टता का एक अनूठा उदाहरण – इस यूनिट ने शुरुआत के 18 महिनों के अंदर ही सफलता की कहानी रची है।

- 2018–19 के दौरान, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों में बैंक का एक्सपोजर रु. 28,854.17 करोड़ से 14.53 % बढ़कर रु. 33,0462 करोड़ हो गया।

- वर्ष के दौरान लघु उद्यमों के लिए बैंक का एक्सपोजर 25.69% बढ़ा।

मेसर्स के जी डेनिम लिमिटेड कंपनी, कोयम्ब तूर बैंक द्वारा वित्तपोषित एक प्रमुख डेनिम एवं वस्त्र निर्माता कंपनी

- वर्ष के दौरान सूक्ष्म उद्यमों ले लिए ऋणों में 20%(उद्यमों की संख्या में) की वृद्धि हुई।

- वर्ष के दौरान बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित लगभग 1.50 लाख लाभार्थियों को रु. 3103.06 करोड़ के मुद्रा ऋण संवितरित किए।

- तीन वर्षों की अवधि में स्टैंडअप इंडिया योजना के अंतर्गत हमारे बैंक से रु. 783.31 करोड़ से 3692 एमएसएमई लाभार्थियों को लाभ मिला। – स्टैंड अप इंडिया योजना अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला उद्यमियों के मध्य उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए है।

मेसर्स टेकनिकों इंडस्ट्रीजबैंक, इस चार–दशक पुराने उच्च श्रेणी के स्वचालित घटकों के निर्माण की निरंतर वृद्धि और सफलता के पीछे कई दशकों से समर्थन में है।

- बैंक ने सिडबी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की चार बैंकों के साथ फ़िनटेक कंपनी तथा विकसित किए गए कांटैक्टलेस बैंकिंग प्लाटफॉर्म – PSBLOANSIN59MINUTES.com में निवेश किया है। यह किसी भी मैनुअल हस्तक्षेप के बिना एमएसएमई ऋण आवेदनों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने तथा 59 मिनट में अनुमोदन पाने में समर्थ बनाता है। बैंक ने इस प्लाटफॉर्म के

- Our Bank reached per branch average of 69 against the Q3 target of 45 set by PFRDA, accordingly nodal officer of Bank Shri V M Venkatachalam (CM-FI) received **"Outperformer"** award.

- **Award from NABARD:** Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Shri Edappadi K. Palaniswami honoured Shri.M.K.Bhattacharya, Executive Director of the Bank with an award for the Bank's best services rendered under Financial Literacy initiatives Tamil Nadu state.

- **IBA Award for Best Financial Inclusion Initiatives:** Indian Banks' Association (IBA) honoured Bank with "Runner-up" award for "Best Financial Inclusion Initiatives". Shri D Devaraj General Manager (RBD/FID) received the award at the hands of Shri Sunil Mehta, Chairman, IBA on 20th February 2019 at Mumbai.

- **ASSOCHAM** Social Banking Excellence Awards:
  - Winner - Agricultural Banking
  - Winner - Priority Sector Lending in categories other than agriculture
  - Winner - Technology
  - Winner - Overall: Best Social bank

- Bank received all the awards at Mumbai at a function held on 26.02.2019. Bank emerged Winner in all the four categories among mid-sized banks.

CREDIT FLOW TO MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSME)

- For giving focussed attention, separate MSME Department is in place which takes care of entire MSME portfolio. Bank is having 18 Ind MSME Branches catering exclusively to MSMEs, 76 Specialized MSME Branches in which more than 60% of advances are to MSMEs & 500 MSME Focus branches to garner more MSME business for the Bank.

M/s Livenza Granito LLP, Morvi- a Ceramic Tile Unit Standing example of Bank's pre-eminence in Cluster financing- This Ceramic Tile Unit scripts success story within 18 months of commencement.

- Bank's exposure to Micro, Small & Medium Enterprises grew by 14.53% from ₹ 28,854.17 Cr to ₹ 33,046.42 Cr during 2018-19.

- Bank's exposure to Small Enterprises grew by 25.69% during the year.

M/s. KG Denim Limited Company, Coimbatore A premier denim and apparel fabric manufacturer financed by Bank.

- Lending to Micro Enterprises has grown by 20% (in number of enterprises) during the year.

- Bank including Regional Rural Banks has sanctioned MUDRA Loans for ₹ 3103.06 Cr during the year to around 1.50 lakh beneficiaries.

- 3692 MSMEs benefitted under Stand up India Scheme to the tune of ₹ 783.31 Cr from our Bank over a period of three years. Stand-Up India scheme is for promoting entrepreneurship among SC/ST and Women entrepreneurs.

M/s.Technico Industries Bank stands in support for several decades behind the sustained growth and success of this four -decade old high-class automotive components manufacturing company.

- Bank alongwith SIDBI and four Public Sector Banks invested in a fintech company and developed Contactless Banking platform – PSBLOANSIN59MINUTES.com. This enables the MSMEs to submit their loan application

माध्यम से ऑन–लाइन अनुमोदन तथा नियमित संवितरण के लिए के लिए समझौता किया है।

मेसर्स शिवालिक बाईमेटल कंट्रोल लिमिटेड
थर्मोस्टैटिक बाईमेटल / ट्राइमेटल स्ट्रिप्स के अग्रणी निर्माताओं में से एक, की निरंतर सफलता के पीछे बैंक का योगदान है।

- बैंक डॉक्टर्स, कांट्रैक्टर्स, व्यापारियों सहित एमएसएमई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संरचित ऋण उत्पादों की रूपरेखा बनाने में अतिसक्रिय है। वर्ष 2018–19 के दौरान, ऐसे चार उत्पाद पेश किए गए जैसे इंड–एसएमई मोर्टगेज़, इंड एसएमई वेहिकल, इंड टूरिस्ट होमस्टे तथा आईबी बीवाईएसटी।

- युवाओं के मध्य उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए तथा आईबी बीवाईएसटी – उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए भारतीय युवा ट्रस्ट को सहमति ज्ञापन प्रदान किया गया है।

- बैंक ने 27 क्लस्टर विशेष योजनाओं को अनुमोदित किया है जैसे :
  - ➢ टेक्सटाइल क्लस्टर, इचलकरंजी
  - ➢ सेरेमिक क्लस्टर मोरवी, अहमदाबाद
  - ➢ एमएसएमई क्लस्टर पाड़ी, चेन्नै
  - ➢ टेक्सटाइल मेन्यूफेक्चरिंग एंड होलसेल ट्रेडिंग क्लस्टर, सूरत
  - ➢ ऑटोमोबाइल क्लस्टर, होसूर
  - ➢ होज़री क्लस्टर, लुधियाना
  - ➢ साइकल पार्ट्स एंड ऑटो पार्ट्स क्लस्टर, लुधियाना
  - ➢ लाइट इंजीनियरिंग गुड्स/ रेडीमेड गार्मेंट्स क्लस्टर, करनाल इत्यादि।

- बैंक को भारि बैंक द्वारा अनुमोदित सभी तीन टीआरईडीएस(ट्रेड रिसीवेबले डिस्काउंटिंग सिस्टम) प्राप्त हैं तथा वर्ष के दौरान संचालन प्रारम्भ हो गया है।

- भारत सरकार द्वारा एमएसएमई में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए घोषित की गई ब्याज़ अनुदान योजना का कार्यान्वयन किया गया है।

- बैंक ने सम्पूर्ण भारत में 8 केन्द्रों में एमएसएमई केंद्रीकृत संसाधन इंकाइयाँ प्रारम्भ की हैं, जिससे ऋण अनुमोदन प्रक्रिया और टर्नअराउंड टाइम में सुधार हुआ है।

- आंतरिक एवं बाह्य कारणों से ब्याज़/किश्त देने में एमएसएमई उधारकर्ताओं को होने वाले परेशानियों को कम करने के लिए एमएसएमई हेतु उदार संरचना नीति का कार्यान्वयन किया गया है।

- भारत भर में 104 जिलों में आयोजित एमएसएमई सपोर्ट एंड आउटरीच अभियान में बैंक ने सक्रिय प्रतिभागिता की है। इस अभियान के दौरान हमारी एमडी एवं सीईओ तमिलनाडु की राज्य सह–समन्वयक थीं और राज्य अन्य राज्यों के मध्य एमएसएमई से विस्तारित अनेक उत्पादों में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया।

- नए एमएसएमई ग्राहक बनाने के लिए डन एंड ब्राड स्ट्रीट के सहयोग से भारत भर में 10 केन्द्रों में एसएमई नॉलेज सीरीज़ / कौशल निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

- एसोचेम द्वारा आयोजित 6वें एसएमई एक्सीलेंस पुरस्कार दृ 2018 में बैंक को "माइक्रो लेंडिंग – विनर" पुरस्कार प्राप्त हुआ।

कार्पोरेट ऋण

हमारे मूल्यवान कार्पोरेट ऋण ग्राहक

मेसर्स कोवै मेडिकल सेन्टर एण्ड हास्पिटल (केएमसीए)
26 वर्ष वाले मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पीटल, कोयम्बत्तूर शहर का एक अग्रणी हेल्थकेयर पाइन्ट

and get approval within 59 minutes, online without any manual intervention. Bank has accorded on-line approvals and regular sanctions through this platform.

M/s. Shivalik Bimetal Controls Ltd.
Bank is behind the sustained success of one of the leading manufacturers of Thermostatic Bimetal/Trimetal strips.

- Bank is proactive in designing Structured Loan products to suit the needs of MSMEs including Doctors, Contractors, Traders etc. During 2018-19, four such products were introduced viz., IND-SME Mortgage, IND SME Vehicle, Ind Tourist Homestay and IB BYST.

- Memorandum of Understanding (MOU) entered with Bharatiya Yuva Shakti Trust (BYST) to promote entrepreneurship among youth and for financing under IB BYST – Entrepreneurship Development program.

- Bank has approved 27 cluster specific schemes like
  - ➢ Textile cluster at Ichalkaranji
  - ➢ Ceramic cluster at Morvi, Ahmedabad
  - ➢ MSME cluster at Padi, Chennai
  - ➢ Textile manufacturing & wholesale trading cluster at Surat
  - ➢ Automobile cluster at Hosur
  - ➢ Hosiery cluster at Ludhiana
  - ➢ Cycle parts and auto parts cluster at Ludhiana
  - ➢ Light engineering goods / Readymade garments cluster at Karnal etc.

- Bank is on-boarded in all the three RBI approved TReDS (Trade Receivable Discounting Systems) platforms and operations have commenced during the year.

- Implemented Interest subvention Scheme for incremental growth in MSMEs, announced by Government of India.

- Bank has opened MSME Centralized Processing Units at 8 centres, pan India which improved the loan appraisal mechanism and turnaround time.

- To ease the stress faced by MSME borrowers in serving the loan interest/ instalment due to internal/external reasons, a liberalized Restructuring Policy for MSMEs has been implemented.

- Bank participated actively in MSME support and outreach campaign held in select 104 districts, pan India. MD & CEO was the State Co-ordinator for Tamil Nadu during the campaign and State had secured first, second and third position among the States, in many deliverables extended to MSMEs.

- SME Knowledge Series / Skill Building Program in coordination with Dun & Brad Street conducted in 10 centres, pan India, for augmenting fresh MSME clientele.

- Bank has been conferred with award **"Micro Lending – Winner"** in the 6th SME Excellence Award – 2018 conducted by ASSOCHAM.

CORPORATE CREDIT

Our Prestigious Corporate Credit customers

M/s Kovai Medical Centre and Hospital (KMCH)
Proud banker to 26-year old multi-speciality hospital, a leading Healthcare Point in the vibrant city of Coimbatore.

मेसर्स लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड, कोयम्बत्तूर
बैंक, भारत के अग्रणी टेक्सटाइल मशीनरी विनिर्माता का अभिमानी साझेदार है तथा कोयम्बत्तूर दक्षिण भारत के मानचेस्टर में विश्व भर के तीन संपूर्ण स्पिनइंग मशीनरी के विनिर्माताओं में एक प्रमूख विनिर्माता है ।

मेसर्स गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड
बैंक ने इस पहले अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता वाले भारतीय फ्लोट ग्लास निर्माण कंपनी के भाग्य को सफलतापूर्वक बदलने में अग्रणी भूमिका निभाई है।

खुदरा आस्तियां

गृह ऋण तथा अन्य खुदरा उत्पादों में संशोधन :

- खुदरा ऋण उत्पादों को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक, बाज़ार अनुकूल, बिना आस्ति गुणवत्ता में समझौता किए हमशा परिवर्तनशील गत्यात्मक बाज़ार के अनुकूल के लिए बैंक ने गृह ऋण तथा अन्य खुदरा उत्पादों में अनेक परिवर्तन/सुधार किए हैं।

क्षेत्रीय जांच एजेंसियों का गठन

- सहायक मानदंड के रूप में संचालन नियंत्रण को मजबूत बनाने तथा टीएटी में सुधार के लिए बैंक सहायक दस्तावेजों की जांच सहित आवेदकों द्वारा ऋण आवेदनों के प्रस्तुतीकरण के कार्य निष्पादन हेतु क्षेत्रीय जांच एजेंसी के गठन में प्रक्रियारत है।

इंड सितारा

- बैंक स्टाफ सदस्यों की सक्रिय प्रतिभागिता के लिए भी विभिन्न विपणन रणनीतियाँ अपनाईं। इन्हीं में से एक पहल है "इंड सितारा" जिसे 01.12.2018 को 01.12.2018 से 31.03.2019 तक चार महीनों के लिए आरंभ किया गया था। इस पहल का लक्ष्य स्टाफ सदस्यों को गृह ऋण में बढ़त के लिए इंड सितारा मीट में श्रेष्ठता प्रमाण–पत्र / ट्रॉफीज / इंड सितारा बैज प्रदान करना था।

- स्टाफ सदस्यों को शाखाओं के वर्गीकरण जैसे मैट्रो, शहरी, अर्ध–शहरी तथा ग्रामीण के आधार पर लक्ष्य दिया गया था। अभियान के दौरान बड़े आकार में निष्पादन हुआ जो साक्ष्य है कि स्टाफ सदस्यों के प्रसंशनीय योगदान के चलते गृह ऋण वर्ग में काफी वृद्धि हुई।

31.03.2019 को समाप्त वर्ष में अभियान के दौरान निष्पादन निम्नलिखित है :

अभिवृद्धि हुई	3829
राशि	रु. 897.05 करोड
जितनी संख्या में ऋण संवितरित हुए	2791
संवितरित राशि(करोड़ में)	717.82 करोड़

गृह ऋण अभियान :

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान दो गृह ऋण अभियानों के अंतर्गत अवलोकित निष्पादन

अभियान की अवधि	मंजूर	संवितरित
16.08.2018 से 30.08.2018	862.45	601.45
15.10.2018 से 30.11.2018	917.28	643.32

त्योहारों के अवसर पर ऑफर

- त्योहारों के अवसर पर ऑफर एक अन्य विपणन पहल है जिसमें बैंक वेतनभोगी वर्ग के ग्राहकों को आकर्षित कर उनके 'सपनों का घर' तथा 'दुपहिया–चार पहिया वाहन" के लिए निधि लगाने के लिए लाभप्रद ऑफर्स जैसे ब्याजदरों में रियायत / प्रसंस्करण प्रभारों में छूट प्रदान करती हैं। इंडियन बैंक ने 16.08.2018 से 31.03.2019 तक त्योहारों के अवसर के दौरान वाहन ऋण के लिए रियायती दरों पर ब्याज तथा गृह ऋण एवं वाहन ऋण पर प्रसंस्करण प्रभार में छूट प्रदान की।

M/s. Lakshmi Machine Works Limited, Coimbatore
Bank is a proud partner to India's leading Textile Machinery manufacturer and one among the three globally that produce the entire range of spinning machinery, in the 'Manchester of South India'-Coimbatore

M/s. Gold Plus Glass Industry Ltd.
Bank leads from the front in the successful turnaround of fortunes of this first International quality Indian float glass manufacturing company.

RETAIL ASSETS

Modification in Home Loan and Other Retail Products:

- To make Retail Loan Products more competitive, market friendly, to be in tune with the ever changing market dynamics without compromising the asset quality, Bank has brought in many changes / improvements in Home Loan & other Retail Loan Products.

Empanelment of Field Verification Agencies:

- As a supporting measure, to strengthen operational control and to improve the TAT, Bank is in the process of empanelling Field Verification Agencies for carrying out the job of verification of supporting documents submitted along with loan requests by the applicants.

IND SITARA:

- Bank came out with various marketing strategies involving active participation of staff members also. One such initiative is contest "IND SITARA" which was launched on 01.12.2018–for the period of Four months from 01.12.2018 to 31.03.2019. The initiative is aimed at encouraging staff members by felicitating in the "IND SITARA MEET", awarding merit certificate / trophies / IND SITARA BADGE for sourcing viable Home Loan leads.
- Staffs were assigned targets based on the classification of the branches such as Metro, Urban, Semi-urban and Rural. Performance during the campaign period was sizeable evidencing appreciable participation of the staff members in growth of Home Loan Segment.

The performance during the campaign is given below:

No of Leads Generated	3829
Amount	₹ 897.05 Cr
Of which, No. of loans sanctioned	2791
Amount sanctioned	717.82 Cr

Home Loan Campaign:

Performance under two Home Loan Campaigns observed during the FY 2018-19

Campaign period	Sanctions	Disbursements
16.08.2018 to 30.08.2018	862.45	601.45
15.10.2018 to 30.11.2018	917.28	643.32

Festival Season Offer

- Festival Season Offer is a marketing initiative where bank came out with lucrative offers like offering concession in interest rates / waiver in processing charges thereby encouraging Salaried Class borrowers to invest funds in acquiring their 'dream house' and 'Two / four Wheelers'. Indian Bank observed Festival Season Offer from 16.08.2018 till 31.03.2019 with concessional Rate of Interest for Vehicle loan and waiver in processing charges for the Home Loan and Vehicle loan products.

एसएमए खातों की निगरानी

- बैंक ने खुदरा आस्तियों की आस्ति गुणवत्ता में गिरावटें रोकने हेतु अधिक ज़ोर देते हुए समर्पित स्टाफ सदस्यों को तैनात किया।

- शाखाओं को आवश्यक सहता प्रदान करने के नियमित, लगातार दृष्टिकोण से बैंक दबावग्रस्त आस्तियों में गिरावटें रोकने में सफल रहा।

नए अंचलों में आईआरपीसी केन्द्रों का विस्तार

- अब तक भारत भर में 24 इंड रीटेल प्रोसेसिंग सेंटर्स(आईआरपीसी) कार्यान्वित हैं जो 20 अंचलों व 716 शाखाओं को कवर करते हैं। ये गृह ऋण एवं बंधक ऋण के प्रसंस्करण के लिए समर्पित प्रसंस्करण केंद्र हैं।

- आईआरपीसी गृह ऋण के अंतर्गत कुल स्वीकृत ऋणों के निष्पादन में 26% का योगदान देता है।

- वर्तमान केन्द्रों में आईआरपीसी की सफलता के साथ, 13 नए आईआरपीसी केन्द्र खोले जाना प्रस्तावित है :

सं.	प्रस्तावित केंद्र	सं.	प्रस्तावित केंद्र
1	अमरावती	8	लुधियाना
2	इरोड	9	पूनामल्ली
3	जयपुर	10	तिरुवनंतपुरम
4	करनाल	11	तिरुनेलवेली
5	कृष्णगिरी	12	विजयवाड़ा
6	कुंबकोणम	13	विशाखापट्टनम
7	लखनऊ		

उपरोक्त में से जयपुर लुधियाना तथा ईरोड वर्ष के दौरान खोले जा चुके हैं, अन्य केंद्र शीघ्र ही खोले जाएंगे।

डीएसए / एचएलसी निष्पादन

- बैंक डाइरैक्ट सेलिंग एजेंट(डीएसए) / होम लोन काउन्सलर(एचएलसी) का गठन करके एक अन्य विपणन रणनीति अपना रहा है। अंचल कार्यालयों को गृह ऋण में वृद्धि करने के लिए डीएसए / एचएलसी के गठन की अनुमति दी गई है। डीएसए /एचएलसी के माध्यम से 01.04.2018 से 31.03.2019 तक रु. 1078.78 करोड़ के गृह ऋणों की बढ़त मिली है। डीएसए /एचएलसी को 31.03.2019 तक उचित कमीशन (ऋण राशि के आधार पर अधिकतम रु. 50000 /– के अधीन) रु. 4.75 करोड़ का भुगतान किया गया।

शिक्षा ऋण :

- बैंक ने नये शैक्षिक ऋण उत्पादों का प्रवर्तन किया और पहचाने गये उच्च स्तर के संस्थानों से शिक्षा पानेवाले विद्यार्थियों को सूक्ष्म शर्तों के साथ ऋण पेशकश की। शैक्षिक ऋण संविभाग के अधीन रु.536.74 करोड़ की नई मंज़ूरियों में, रु.206.45 करोड़ की राशि उच्च स्तर संस्थान के विद्यार्थियों को मंजूर किया गया।

ऋण निगरानी कक्ष

- बैंक की ऋण जोखिम प्रक्रिया के एक अंग के रूप में विभिन्न स्तरों पर ऋण समीक्षा प्रबंधन (एलआरएम) तथा कॉर्पोरेट कार्यालय व अंचल कार्यालय में विभिन्न समितियों द्वारा उधारकर्ताओं को मंजूर किए गए खातों का पुनरीक्षण सहित विभिन्न स्तरों पर ऋण लेखा परीक्षा की गई।

- वर्ष 2018–19 के दौरान, मानक बकाया गैर–खाद्य ऋणों के लगभग 58.80 प्रतिशत को एलआरएम तथा ऋण लेखा परीक्षा के अधीन रखा गया जबकि एलआरएम नीति के अनुसार न्यूनतम कवरेज 50 प्रतिशत है।

- विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के नियमन हेतु उसे प्रतिदिन सक्रिय रूप से मॉनिटर एवं फॉलो अप किया जाता है। कॉर्पोरेट कार्यालय के कार्यात्मक ऋण विभागों के विभाग प्रमुखों से मिलकर बनी मानक आस्ति जाँच समिति प्रत्येक महिने समस्त एसएमए खातों का पुनरीक्षण करती है।

- एसएमए के अनुवर्तन के लिए, क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से मोबाइल एप विकसित किया गया है।

- एसएमए–0 स्तर तक के बिगड़ती परिसंपत्ति गुणवत्ता वाले ऐसे बड़े उधार खाते जिसकी सूचना सीआरआईएलसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को दी जाती है, उनपर बारीकी से निगरानी रखी गई एवं दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए संशोधित फ्रेमवर्क में दिए गए दिशानिर्देशों के अंतर्गत उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई की गई।

- धोखाधड़ी की शीघ्र पहचान तथा रिपोर्टिंग हेतु एक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की मॉनिटरिंग और ऋण धोखाधड़ी से निपटने हेतु खातों की रेड फ्लेगिंग हेतु एक नीति (पॉलिसी) तैयार की गई है तथा इसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। मानिटरिंग एवं रिपोर्टिंग हेतु सिस्टम आधारित पहचान के लिए साफ्टवेयर विकसित किया गया है तथा इसे प्रयोग में लाया गया है।

- अंचल स्तर की सभी मंजूरियों की जांच की गई और स्वीकृत नियमों और शर्तों का अनुपालन उचित समितियों के समक्ष रखा गया।

- ऋण सूचना कंपनियों के साथ समन्वय किया गया तथा अपलोड की गई ग्राहक सूचना की गुणवत्ता में सुधार लाया गया है।

आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन

- बैंक ने जून 2010 से एनपीए (गैर निष्पादक आस्ति) की सिस्टम द्वारा पहचान प्रणाली के सफलतापूर्वक अनुवर्तन के साथ आस्ति गुणवत्ता पर निरंतर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रभावी तरीके से कई विवेकी ऋण निगरानी टूलों का इस्तेमाल किया है। फरवरी 2016 से गैर निष्पादक आस्तियों की मासिक फ्लेगिंग की शुरुआत की गई थी।

- नए एनपीए खातों की वसूली / उन्नयन के लिए समय पर कार्रवाई की जाती है और विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) का पता लगाकर उन्हें मॉनिटर करने के जरिए दबावग्रस्त खातों का नियमित अनुवर्तन किया जाता है ताकि गिरावट को न्यूनतम स्तर पर बनाए रखा जा सके।

Monitoring SMA Accounts

- Bank deployed dedicated staff for giving more impetus in arresting slippages in asset quality of Retails Assets.
- Through regular, consistent approach and with providing required support to branches, Bank was successful in reducing slippages in stressed accounts.

Expansion of IRPC Concept to new Zones

- As of now there are 24 Ind Retail processing Centres (IRPCs) functioning across India covering 20 Zones & 716 Spoke Branches. These are the dedicated processing centres for processing Home Loans & Mortgage Loans.
- IRPCs performance contributes 26% of the total sanctions under Home Loans.
- With the success of the IRPC concept in existing centres it is proposed to open 13 more IRPCs in the below mentioned centres:

No.	Proposed Centres	No	Proposed Centres
1	Amaravati	8	Ludhiana
2	Erode	9	Poonamallee
3	Jaipur	10	Thiruvananthapuram
4	Karnal	11	Tirunelveli
5	Krishnagiri	12	Vijayawada
6	Kumbakonam	13	Visakhapatnam
7	Lucknow		

Of the above, Jaipur, Ludhiana and Erode were opened during the year and at other centres the same will be opened shortly.

DSA/HLC Performance:

- Another marketing strategy carried out by Bank is empanelment of Direct Selling Agents (DSA) / Home Loan Councillors (HLC). Zones are permitted to empanel DSA / HLCs and generate Home Loan leads. Through leads generated by DSAs/HLCs, Home Loans were sanctioned to the tune of ₹ 1078.78 Cr from 01.04.2018 to 31.03.2019. Commission to the tune of ₹ 4.75 Cr (subject to maximum of ₹ 50000/- based on the loan amount sourced) paid to DSA/ HLC upto 31.03.2019.

Education Loan:

- Bank introduced new Educational Loan products and offered loans with finer terms and conditions for students pursuing their education from identified premier institutions-Out of the total fresh sanctions of ₹ 536.74 Cr under Educational Loan portfolio, ₹ 206.45 Cr were sanctioned to the students of Premier institutions.

CREDIT MONITORING CELL

- As part of Bank's Credit Risk Management process, review of accounts under Loan Review Mechanism (LRM) have been carried out at various levels including review of borrowal accounts sanctioned by various Committees at Corporate Office and Zonal Offices.
- During the year 2018-19, 58.80 percent of standard non-food credits outstanding have been brought under LRM and Credit Audit as against minimum coverage requirement of 50 percent as per LRM policy.
- Special Mention Accounts (SMA) were monitored on a daily basis and followed up effectively for regularization. The Standard Asset Monitoring Committee comprising of department heads of functional credit departments at Corporate Office reviewed all SMA accounts every month.
- For follow up of SMA, mobile app has been developed to assist field level functionaries for monitoring and recovery.
- Large borrowal accounts with deteriorating asset quality from "SMA-0" level reported to RBI under CRILC were closely monitored and appropriate remedial action taken as per guidelines contained in the revised Framework for Resolution of stressed assets.
- In order to have a mechanism for early detection and reporting of frauds, a policy for Monitoring early warning signals and Red flagging of Accounts in dealing with loan frauds has been formulated and approved by Board. Software for system based identification of accounts for monitoring and reporting has been developed and put in place.
- All the Zonal level sanctions were scrutinized and adherence to sanctioned terms and conditions were placed to appropriate committees.
- Coordinated with Credit Information Companies and quality of customer information upload has been improved.

ASSET QUALITY MANAGEMENT

- Bank deployed prudent credit monitoring tools successfully, with continuous and consistent focus on quality of assets, following a system-driven identification of NPA accounts (Non-Performing Assets) approach since June 2010. Monthly flagging of NPAs is in effect from February 2016.
- Timely actions for recovery/ upgradation of fresh NPA accounts are undertaken and stressed accounts are regularly followedup to minimize the slippages by identifying and monitoring Special Mention Accounts (SMA).

- बैंक ने नए एनपीए की वसूली और नए एनपीए को कम करने में वर्ष 2018–19 के दौरान अच्छा निष्पादन दर्ज किया है। विभिन्न वसूली व्यवस्थाओं जैसे लोक अदालत, एकबारगी निपटान (ओटीएस) के जरिए बातचीत द्वारा समझौते तथा डीआरटी/सरफेसी अधिनियम आदि के जरिए वसूली के उपायों से नए एनपीए में घटौती संभव हुई है। अंचल / शाखाएँ स्वैच्छिक चूककर्ता/असहयोगी उधारकर्ता की पहचान कर उनपर व्यक्तिगत गारंटी लागू करना, समापन याचिका दायर करना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) से पहले दिवालिएपन और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत याचिका दाखिल करने, बंधक शेयरों के हस्तांतरण आदि समस्त वसूली मापदण्डों का सक्रियता से कार्यान्वयन कर रही हैं।

- सरफेसी अधिनियम के अधीन, वर्ष के दौरन 1049 सँपत्तियाँ जिनकी रिज़र्व कीमत रु.1339.79 करोड़ थी, को बिक्री के लिए लाया गया।

- बैंक ने नालसा द्वारा आयोजित 4 राष्ट्रीय लोक अदालतों में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा मंडल स्तर पर विभिन्न लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इसमें ₹ 218.66 करोड़ से संबद्ध कुल 15,888 मामले शामिल थे। ₹ 39.73 करोड़ के 2850 मामलों का निपटान किया गया। ₹ 8.13 करोड़ की स्पॉट वसूली की गई।

- 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान घर–घर जाकर अभियान को शामिल करते हुए आवधिक रूप से शाखाओं द्वारा पूरे भारत में क्लस्टर आधार पर व्यापक वसूली शिविर आयोजित किए गए। ₹204.54 करोड़ की नकद वसूली की गई।

- बट्टे खातों एवं अशोध्य ऋणों (तकनीकी रूप से लिखा हुआ) के संबंध में, वर्ष के दौरान ₹192.88 करोड़ की वसूली की गई।

- बदलते आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप, बैंक की वसूली पॉलिसी को बेहतर बनाया गया है तथा वसूली निष्पादन में सुधार हेतु फ्रंटलाइन अधिकारियों को संवेदीकृत किया गया है। संपूर्ण ट्रैकिंग का पता लगाने तथा ओटीएस प्रक्रिया को सरलीकृत बनाने की दृष्टि से, रु.1 करोड़ तक के प्रस्तावों को निपटाने के लिए आनलाइन ओटीएस साफ्टवेयर ऍप्लीकेशन का प्रवर्तन किया गया। इसके अलावा, वसूली विभाग से अंचलों को दौरा करते समय अधिकारियों द्वारा वसूली में बढ़ोत्तरी लाने की दृष्टि से प्रावधान पर घटौती लाने के लिए जोर दिया जाता है तथा नये एनपीए/संदिग्ध खातों में उन्नयन लाने के लिए जोर दिया जाता है।

बैंक एश्युरेंस एवं म्यूचुअल फंड व्यापार

बैंक ने युनाइटेड इंडिया इन्श्युरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (यूआईआईसी) के साथ गैर–जीवन बीमा/सामान्य/स्वास्थ्य बीमा एवं भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ जीवन बीमा व्यापार के लिए कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता (सीएए) किया है। म्यूचुअल फण्ड वितरण के लिए बैंक द्वारा यूटीआई आस्ति प्रबन्धन कंपनी लिमिटेड, रिलायन्स कैपिटल आस्ति प्रबन्धन लिमिटेड, एसबीआई म्यूचुअल फण्ड प्राइवेट लिमिटेड, टाटा एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड और डीएसपी म्युचुअल फण्ड प्राइवेट लिमिटेड के साथ टाई–अप व्यवस्था की गई है।

निम्नलिखित कंपनियों के साथ समझौता होने पर बैंक अपने ग्राहकों के लिए वैकल्पिक आधार पर विभिन्न समूह बीमा उत्पाद प्रदान करता है:

- भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से किसी भी कारणवश मृत्यु को कवर करनेवाली **"आईबी जीवन कल्याण और जीवन वरिष्ठ"**

- यूआईआईसी के माध्यम से दुर्घटना से होनेवाली मृत्यु को कवर करनेवाली **"आईबी छत्र"**

- यूआईआईसी के माध्यम से हमारे खाता धारकों के लिए ग्रुप मेडीक्लेम इन्श्युरेंस देनेवाली **"आरोग्य रक्षा"**

- यूआईआईसी के माध्यम से हवाई जहाज के अलावा अन्य माध्यमों से देशीय यात्रा के लिए ग्रूप यात्रा बीमा योजना को कवर करनेवाली **"आईबी यात्रा सुरक्षा"**

- भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से गृह ऋण उधारकर्ताओं को कवर करनेवाली **"आईबी गृह जीवन"** कोटक लाइफ के माध्यम से गृह ऋण उधारकर्ताओं को कवर करने हेतु **"आईबी होम सुरक्षा"**

- भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से **"आईबी जीवन विद्या"** तथा **"आईबी विद्यार्थी सुरक्षा"** पीएनबी मेटलाइफ के माध्यम से शैक्षिक ऋण छात्र उधारकर्ताओं को कवर किया जाता है।

जोखिम प्रबंधन :

- बैंक का जोखिम प्रबंधन तंत्र विभिन्न जोखिमों की स्पष्ट समझ, अनुशासित जोखिम मूल्यांकन एवं माप क्रियाओं तथा सतत जाँच पर आधारित है। संपूर्ण उद्यम में प्रभावोत्पादक जोखिम प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है एवं यह पूरे बैंक के, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग तथा जोखिम निवेश की रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित तीन शीर्ष स्तरीय समितियों के जरिए बैंक की सभी जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है :

- **आस्ति एवं देयता प्रबंधन समिति (अल्को)**

- **जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)**

- **परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)**

ये समितियां बोर्ड और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित नीतियों और समग्र दिशानिर्देशों के अंतर्गत काम करती हैं।

जोखिमों के प्रबन्धन के लिए बैंक ने विभिन्न नीतियाँ निर्धारित की हैं। उद्यम–स्तर जोखिम का विश्लेषण करने तथा सभी जोखिमों को एकीकृत करने की दृष्टि से, एक एकीकृत जोखिम प्रबन्धन नीति बनायी गयी है। महत्वपूर्ण जोखिम नीतियों में ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, आस्ति देयता प्रबंधन नीति, ऋण नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, समन्वित खजाना प्रबंधन नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति, तनाव परीक्षण नीति, संपार्श्विक प्रबन्धन नीति और प्रकटीकरण नीति, प्रतिष्ठा जोखिम प्रबंधन नीति तथा सामरिक जोखिम प्रबंधन नीति शामिल हैं।

जोखिम प्रबन्धन समिति (आरएमसी)/बोर्ड द्वारा सभी नीतियां वार्षिक आधार पर पुनरीक्षित की जाती हैं। जोखिम प्रबंधन संकल्पनाओं की जानकारी देने और क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं को इनके प्रति जागरुक बनाने के उद्देश्य से सभी संबंधित नीतियां शाखाओं के बीच परिचालित की गई हैं तथा इसके अलावा बैंक के प्रशिक्षण कॉलेजों में इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

- Bank recorded good performance in recovery and reduction of fresh NPA during 2018-19. Various recovery mechanisms like Lok Adalat, Negotiated Settlements through One Time Settlement (OTS) and recovery measures through DRT / SARFAESI/NCLT have resulted in improved recovery performance. Zones/Branches are aggressively implementing all recovery measures including classification of the accounts as wilful defaulter/non-cooperative borrower, invocation of personal guarantee, filing of Petition under Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) before National Company Law Tribunal (NCLT), Transfer of pledge of shares, etc

- Under the SARFAESI Act, during the year, 1049 properties with reserve price amount of ₹1339.79 Cr brought for sale and 159 properties sold with sale price of ₹ 87.28 Cr. Through Private Treaty mode 38 properties were sold with sale price of ₹ 32.06 Cr.

- Bank actively participated in all National Lok Adalat conducted by NALSA during the year and also organized various Lok Adalat at Mandal Level. A total number of 15,888 pre litigation accounts were referred to Lok Adalat involving an amount of ₹ 218.66 Cr. 2850 accounts were settled with settlement amount of ₹ 39.73 Cr and spot recovery to the tune of ₹ 8.13 Cr was made.

- In the intensive recovery camps involving door to door campaign held periodically during the year ended 31.03.2019 by all the branches across the country on cluster basis, cash recovery to the tune of ₹ 204.54 Cr was made.

- In respect of Bad Debts and Written off (Technically Written off) accounts, an amount of ₹ 192.88 Cr was recovered during the year.

- In line with the changing economic scenario, Recovery Policy of the Bank has been fine-tuned and frontline officials sensitised for improving recovery performance. To enable end- to-end tracking and also to simplify the OTS process, Online OTS software application has been introduced to handle proposals upto ₹ 1 Cr. Besides, during the visit of officials from Recovery Department to Zones, the importance of reduction in provision by way of increasing recovery and upgradation in Fresh NPAs/Doubtful accounts was emphasized.

BANCASSURANCE AND MUTUAL FUND BUSINESS

Bank has Corporate Agency Arrangement (CAA) with United India Insurance Co. Ltd. (UIIC) for Non-Life/General/Health Insurance business and with LIC of India for Life Insurance business. For Mutual Fund distribution, Bank has tie-up arrangements with UTI Asset Management Co. Ltd, Reliance Capital Asset Management Ltd., SBI Funds Management Pvt. Ltd., TATA Asset Management Ltd and DSP Mutual Fund.

Bank offers various group insurance products on optional basis to its customers through tie-up arrangements with the Companies as mentioned below:

- **"IB Jeevan Kalyan & Jeevan Varishta"** through LIC of India covering death due to any reasons
- **"IB Chhatra"** through UIIC covering death due to accidents
- **"Arogya Raksha"** through UIIC extending Group Mediclaim Insurance for account holders
- **"IB Yatra Suraksha"** through UIIC extending Group Travel Insurance for domestic travel other than by air
- **"IB Griha Jeevan"** through LIC of India and **"IB Home Suraksha"** through Kotak Life covering Home Loan borrowers
- **"IB Jeevan Vidya"** through LIC of India and **"IB Vidyarthi Suraksha"** through PNB Met Life covering Education loan student borrowers

RISK MANAGEMENT:

Bank's risk management framework is based on a clear understanding of various risks, disciplined risk assessment and measurement procedures and continuous monitoring. An independent Risk Management Department is functioning for effective Enterprise-Wide Risk Management and responsible for assessment, monitoring and reporting of risk exposures across the bank. All the risks which the Bank is exposed to are managed through the following three Committees viz,

- **Asset Liabilities Management Committee (ALCO)**
- **Credit Risk Management Committee (CRMC)**
- **Operational Risk Management Committee (ORMC).**

These committees work within the overall guidelines and policies approved by the Board and Risk Management Committee of the Board.

Bank has put in place various policies to manage the risks. To analyze the enterprise-wide risk and with the objective of integrating all the risks of the Bank, an Integrated Risk Management policy has also been put in place. The important risk policies comprise of Credit Risk Management Policy, Asset Liability Management Policy, Loan Policy, Market Risk Management policy, Integrated Treasury Management Policy, Operational Risk Management Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy, Stress Testing Policy, Collateral Management Policy, Disclosure Policy, Reputational risk management Policy and Strategic Risk management Policy.

All the policies are reviewed at a minimum on an annual basis by Risk Management Committee (RMC)/Board. In order to disseminate the risk management concepts and also to

ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम प्रोफाइलों को संकलित करके तथा प्रत्येक जोखिम के लिए निर्धारित पैरामीटर की दिशा और मात्रा में भिन्नता का आकलन करके त्रैमासिक आधार पर नियमित रूप से जोखिम का प्रबंधन किया जाता है।

ऋण जोखिम :

प्रारंभिक चरण पर ही जोखिमों को पहचानकर उनका विश्लेषण करने, विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित कर उन्हें अनुरक्षित करने तथा बदलते जोखिम माहौल का सामना करने के लिए अन्य सुधारात्मक कदम उठाने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है।

स्कोरिंग मॉडल :

- बैंक ने प्रवेश स्तर पर स्कोरिंग मॉडल विकसित किया है। व्यक्तिगत ऋण उत्पादों के तहत आने वाली समस्त नई मंजूरियाँ प्रवेश स्तर की स्कोरिंग के अधीन आती हैं।

आस्ति देयता प्रबंधन :

आस्ति देयता प्रबंधन बैंक को जोखिम एक्सपोजर, जोकि चलनिधि जोखिम और ब्याज दर जोखिम से बैंक के तुलन पत्र पर उभर सकते हैं, को मापने व जाँचने हेतु सहायता करता है। यह बैंक को आस्ति देयता प्रबंधन हेतु उपयुक्त रणनीतियां उपलब्ध कराने में मदद करता है।

बाजार जोखिम प्रबंधन :

बाजार में होने वाले विविध परिवर्तनों के परिणामस्वरूप संभावित नुकसान, बाजार जोखिम है। अंतर्राष्ट्रीय निपटान हेतु बैंक (बीआईएस) ने बाज़ार जोखिम की परिभाषा इस रूप में दी है कि बाजार जोखिम 'ऑन' अथवा 'ऑफ' तुलन पत्र की स्थिति का मूल्य इक्विटी एवं बाजार के ब्याज दर, मुद्रा विनिमय दर तथा कमोडिटी की कीमतों में उतार–चढ़ाव से प्रतिकूल रूप में प्रभावित होगी। इस प्रकार, बाजार जोखिम ब्याज दरों या प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा और शेयर की कीमतों के बाजार के स्तर में परिवर्तन, साथ ही उन परिवर्तनों की अस्थिरता के कारण बैंक की आय और पूंजी के लिए खतरा है। बाजार जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य है, बाजार जोखिम एक्सपोजर से संबन्धित वैश्लेषिकी संचालित आदानों, पोर्टफोलियो निष्पादन की तुलना में जोखिम एक्सपोजर और तुलनात्मक मापदण्डों को उपलब्ध कराकर जोखिम समायोजित प्रतिलाभ दर को अधिकतम बढ़ाने में व्यापार इकाइयों की सहायता करना।

परिचालन जोखिम :

वर्तमान में परिचालन जोखिम उद्योग प्रतिभागियों, विनियामकों एवं अन्य स्टेकधारकों के बीच गहन रुचि का विषय बन गया है। प्रभावी संचालन, जोखिम पर पकड़ और परिचालन जोखिम के एक्सपोजर के मूल्यांकन व मात्रा निर्धारण को सुनिश्चित करने हेतु बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क (ओआरएमएफ) व परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली (ओआरएमएस) विद्यमान है। दैनिक प्रबंधन प्रक्रियाओं में गुणात्मक व मात्रात्मक उपायों के प्रयोग व आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापन के द्वारा तथा विविध जोखिम न्यूनीकरण रणनीति को अंगीकार कर परिचालन जोखिम का सुप्रबंधन किया जाता है। विविध उत्पादों/प्रक्रियाओं में जोखिम बोध का आलोचनात्मक विश्लेषण एवं सुधारात्मक कदम, यदि आवश्यक हों तो, उठाए जाते हैं।

परिचालन जोखिम की भी क्रेडिट स्पर्ट के विश्लेषण और परिचालन हानि की आवृत्ति और गंभीरता के विश्लेषण के माध्यम से निगरानी की जाती है।

बैंक ने जोखिम नियंत्रण और स्व मूल्यांकन (आरसीएस) तथा मुख्य जोखिम सूचकांक (के आर आई) के लिए वांछित फ्रेमवर्क तैयार किया है। जोखिम एवं नियंत्रण स्वमूल्यांकन को मुख्य परिचालनात्मक जोखिमों का पता लगाने और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावात्मकता की तीव्रता का मूल्यांकन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। बैंक आरसीएसए तथा के आरआई को सुदृढ़ करने के लिए परिचालनात्मक जोखिम के प्रबन्धन हेतु कवरेज क्षेत्र की समीक्षा और सुधार के जरिए कदम उठा रहा है।

बेसल III पूंजी विनियमन :

बैंक का सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी स्तर काफी अच्छा है और बैंक आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की पूँजी बढाने की पर्याप्त क्षमता भी रखता है। बैंक ने 01 अप्रैल, 2013 से प्रस्तावित बेसल III पूँजी विनियमन को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को अपनाया है। सम्पूर्ण बेसल III की ओर निर्बाध पारगमन सुनिश्चित करने हेतु मार्च 31, 2020 तक पूर्ण कार्यान्वयन के लिए उचित पारगमन प्रबंध की तैयारी कर ली गई है।

बेसल III पूंजी नियमों को पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के घटकों पर प्रकटीकरणों के वर्धित सेट की आवश्यकता भी है जिन्हें त्रैमासिक आधार पर बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। बैंक लीवरेज अनुपात एवं चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) भी दर्शा रहा है।

मानव संसाधन प्रबंधन (मा.सं.प्र.)

श्रमशक्ति की स्थिति

31.03.2019 को बैंक की श्रमशक्ति स्थिति निम्नानुसार थी :

संवर्ग	कुल	अन्य पिछड़ा वर्ग	अजा	अज जा	पुरुष	महिला
अधिकारी	10824	3173	2292	842	7690	3134
लिपिक	7657	2490	1558	321	4393	3264
सब स्टाफ	1014	292	337	50	897	117
पूर्णकालिक सफ़ाई कर्मचारी	32	5	23	0	18	14
कुल*	**19527**	**5960**	**4210**	**1213**	**12998**	**6529**

(* अंशकालिक सफ़ाई कर्मचारी को छोड़कर घरेलू)

भर्ती अभियान

- श्रम–शक्ति निर्धारण अभ्यास के आधार पर, बैंक ने अपनी उभरती हुई व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न श्रेणियों में श्रम–शक्ति की भर्ती की है।
- वर्ष के दौरान बैंक ने 211 परिवीक्षाधीन अधिकारियों, विभिन्न कार्यक्षेत्रों में 119 विशेषज्ञ अधिकारियों, 634 लिपिकों और 79 सब स्टाफ की भर्ती की है।

sensitize the field level functionaries, the relevant policies were circulated to the branches, in addition to imparting training at the Bank's training colleges.

Management of risk on an ongoing basis is carried out by compiling Risk profiles for Credit risk, Liquidity risk, Market risk and Operational risk on a quarterly basis and assessing the variation in direction and magnitude of the parameters set for each risk.

Credit Risk:

Risk Management Systems are in place to identify and analyze the risks at an early stage and manage them by setting and monitoring prudential limits besides taking other corrective measures to face the changing risk environment.

Scoring model:

- Bank has developed entry level scoring model. All the fresh sanctions coming under personal loan products are subjected to entry level scoring

Asset Liability Management:

Asset liability Management allows the Bank to measure and monitor risk exposures which may arise both from liquidity and interest rate risk on its balance sheet. This allows the Bank to provide suitable strategies for asset liability management.

Market Risk Management:

Market risk is the possibility of loss caused by changes in the market variables. The Bank for International Settlements (BIS) defines Market risk as "the risk due to which the value of 'on' or 'off' balance sheet positions will be adversely affected by movements in equity and interest rate markets, currency exchange rates and commodity prices". Thus, Market Risk is the risk to the Bank's earnings and capital due to changes in the market level of interest rates or prices of securities, foreign exchange and equities, as well as the volatilities of those changes. The objective of market risk management is to assist the business units in maximizing the risk adjusted rate of return by providing analytics driven inputs regarding market risk exposures, portfolio performance vis-à-vis risk exposures and comparable benchmarks.

Operational Risk:

Operational risk is now the focus of intense interest among industry participants, regulators and other stake holders. The Bank has put in place Operational Risk Management Frame work (ORMF) and Operational Risk Management Systems (ORMS) to ensure effective governance, risk capture and assessment and quantification of operational risk exposure. Operational risk is well managed by using appropriate qualitative and quantitative methods and established internal control systems in day to day management processes and adopting various risk mitigating strategies. The risk perceptions in various products/processes are critically analysed and corrective actions if required, are initiated.

Operational risk is also monitored through analysis of credit spurt and analysis of frequency and severity of operational losses.

Bank has put in place frameworks for Risk Control Self Assessment (RCSA) and Key Risk Indicators (KRIs). Risk and control self-assessment is used to identify key operational risk and assess the degree of effectiveness of the internal controls. Bank has been taking steps to strengthen the RCSA and KRI by reviewing and improving the coverage area for management of Operational risk

Basel III Capital Regulations:

The Bank has fairly high level of Common Equity Tier 1 Capital and also has headroom available for raising all forms of capital in case of need. The Bank has adopted RBI guidelines on the Basel III capital regulations with effect from April 1, 2013. To ensure smooth transition to full Basel III, appropriate transitional arrangements have been made for full implementation as on March 31, 2020.

The Basel III capital rules also require an enhanced set of disclosures on the components of Capital Adequacy Ratio (CAR) which are published on quarterly basis on Bank's website. Bank is also disclosing leverage ratio and Liquidity Coverage Ratio (LCR) Framework.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM)

Manpower Position

The position of manpower in the Bank as on 31.03.2019 is as follows:

CATEGORY	TOTAL	OBC	SC	ST	MALE	FEMALE
OFFICERS	10824	3173	2292	842	7690	3134
CLERKS	7657	2490	1558	321	4393	3264
SUB STAFF	1014	292	337	50	897	117
FULL TIME SWEEPERS	32	5	23	0	18	14
TOTAL*	**19527**	**5960**	**4210**	**1213**	**12998**	**6529**

(* Domestic excluding Part Time Sweeper)

Recruitment Drive

- Based on manpower assessment exercise conducted, Bank had undertaken recruitment of manpower in various categories in line with emerging business needs.
- During the year, Bank recruited 211 Probationary Officers and 119 Specialist Officers in different functional areas. 634 clerks and 79 Sub-staff were recruited during the year.

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडे वर्गों / शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों के लिए कल्याण उपाय :

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछडे वर्गों (ओबीसी) और शारीरिक रूप से विकलांग (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान किए जाते हैं। सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति (अजा)/अनुसूचित जनजाति (अजजा)/शारीरिक रूप से विकलांग (पीडब्ल्यूडी) को पदोन्नतियों में आरक्षण दिए जाते हैं।

कॉका/मासंप्र में अ.जा/अ ज.जा कल्याण कक्ष/ आरक्षण कक्ष, अ.जा/अ.जजा कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों (अगर कुछ हों तो) उसके तुरन्त निपटान को सुनिश्चित करता है। अ.जा/अ.ज.जा वर्ग के कर्मचारियों के हितों की देखभाल हेतु एक महाप्रबन्धक, मुख्य समन्वय अधिकारी (सीएलओ) के रूप में तथा दूसरे महाप्रबन्धक अ.पि.व कर्मचारियों के हितार्थ सीएलओ के रूप में कार्यरत हैं।

कौशल का उन्नयन

बैंक के प्रशिक्षण मूलभूत संरचना में, विकास एवं उत्कर्ष हेतु इंडियन बैंक प्रबन्धन अकादमी (इमेज) का नवोन्मेषी प्रशिक्षण महाविद्यालय शामिल है तथा देश भर में स्थित नौ स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र स्टाफ और अधिकारियों को अपने कौशल का उन्नयन करने में सहायक सिद्ध हैं।

वर्ष के दौरान, आंतरिक प्रशिक्षण प्रणाली के जरिए 6938 अधिकारियों, 2213 लिपिकों एवं 215 सब–स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा, 311 अधिकारीगण और कार्यपालकों ने भी बाह्य संस्थानों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

औद्योगिक संबंधः

बैंक का उच्च प्रबन्धन, कर्मचारी संघ, अधिकारी संघ के नेताओं के साथ विचारविमर्श करता है तथा उनकी प्रतिक्रिया, व्यापार में वांछित वृद्धि और सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने में सकारात्मक रहा है।

कर्मचारियों के लाभार्थ निम्नांकित नीतियों (पॉलिसियों) / योजनाओं की समीक्षा / सूत्रबद्ध की गई।

- मासंप्र नीतियों की समीक्षा
- सीआरएस पीएल नकदीकरण हेतु अनुमोदन
- पट्टे पर लिए हुए आवास हेतु पात्र धनराशि में वृद्धि
- केरल के लिए बाढ़ राहत ऋण
- स्टाफ कल्याण योजनाओं में सुधार –
  - नेत्र परीक्षण – सुविधा का लाभ उठाए जाने की संख्याबद्ध सीमा हटाई गई है
  - सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों को दिये जाने वाले स्मृति चिन्ह के लिए पात्र धनराशि में वृद्धि
- वर्ष 1998 – 2002 तक का पेंशन बकाया राशि का भुगतान
- पदोन्नति नीति की पुनरीक्षा
- सेल फोन योजना की पुनरीक्षा
- कार्यग्रहण की तारीख के अनपेक्ष सभी स्टाफ सदस्यों को समान रूप से एक महीने का सकल वेतन त्योहार अग्रिम राशि के रूप में तय की गई है

एसएपी (सैप)

एसएपी (सैप) एच आर सॉफ्टवेयर का प्रयोग एचआर संबंधी गतिविधियों हेतु किया जा रहा है। अब सभी एचआर संबंधी गतिविधियों को केन्द्रीकृत करने पर ध्यान केन्द्रित है। संपूर्ण श्रमशक्ति में तकनीकी प्रगति को बढ़ाने एवं मानव संसाधन से संबंधित मुद्दों को कागज–रहित प्रसंस्करण को प्राप्त करने के उद्देश्य से, इंट्रानेट के माध्यम से मानव संसाधन प्रबंधन के लिए एक समेकित वेब साइट होस्ट की गई है। कार्यरत तथा सेवानिवृत्त स्टाफ से संबंधित एचआर मामलों के शीघ्र निपटान हेतु कई उपाय किए गए हैं।

स्टाफ कल्याण उपाय

बैंक की केन्द्रीय कल्याण समिति कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कल्याण योजनाओं की समीक्षा निरंतर करती रहती है और उसकी सिफारिशों के आधार पर उनमें सुधार किए जाते हैं। वर्तमान में, बैंक स्टाफ कल्याण बजट के लिए 20 करोड रुपये अंशदान प्रदान कर रहा है।

ग्राहक सेवा

ग्राहक सेवा किसी भी सेवा उद्योग का आधार है, खासकर बैंकिंग क्षेत्र में । छोटे भुगतान बैंकों और विभिन्न स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश के कारण बैंकिंग उद्योग में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक बढ़ गई है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के हिस्से में अपने बाजार हिस्सेदारी को बनाए रखने एवं बाजार हिस्सेदारी में सुधार के लिए काफी दबाव है। केवल ग्राहक सेवा के स्तर में सुधार करके और प्रौद्योगिकी उत्पादों का नवोन्मेष करके ही बैंक इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और व्यावसाय को बनाए रख सकते हैं।

शिकायत निवारण का माध्यम

- समस्त शाखाओं में शिकायत रजिस्टर रखा जाता है।
- सभी शाखाओं के बैंकिंग हॉल में शिकायत सह सुझाव बॉक्स रखा गया है।
- टोल फ्री नंबर 180042500000 के साथ 24X7 एकीकृत कॉल सेंटर उपलब्ध किया गया है।
- ग्राहक अपनी शिकायत निम्नलिखित ई–मेल के जरिए भेज सकते हैं –
  ibhocustomerservice@indianbank.co.in;
  nodalofficer@indianbank.co.in;
  customercomplaints@indianbank.co.in;
  customerfirst.cmd@indianbank.co.in;
  indmail@indianbank.co.in;
- 56677 पर एसएमएस के जरिए 'शिकायत' संदेश भेजने की सुविधा प्रदान की गई है।
- समस्त माध्यमों से शाखाओं/अंचलों/कॉर्पोरेट कार्यालय को प्राप्त सभी शिकायतों का समाधान यदि 24 घंटे के भीतर नहीं किया जाता तो यह मानक सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) में पंजीकृत हो जाता है । यह कई अद्वितीय सुविधाओं के साथ विकसित एक इन–हाउस सॉफ्टवेयर है।

आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति

- भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, 17.02.2016 से आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने एवं ग्राहक के विश्वास को सशक्त करने के क्रम में यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके शिकायतों का निपटान किया जा रहा है, एक आंतरिक लोकपाल को नियुक्त किया गया है ।
- सभी शिकायत जहाँ समाधान नगण्य है या आंशिक रूप से नगण्य है, उसे योजना के अनुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु बैंक के आंतरिक लोकपाल तक आंतरिक रूप से पेश किया जाएगा ।

Welfare measures for SC/ST/OBC/PWD employees

As per Government of India's guidelines, reservations are provided to Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), Other Backward Classes (OBCs) and Persons with Disability (PWD) candidates in Direct Recruitment. Reservations for SC/STs in promotions are provided as per Government guidelines.

The SC/ST Welfare Cell/Reservation Cell at CO/HRM ensures prompt disposal of grievances / representations (if any) of SC/ST employees. A General Manager is functioning as Chief Liaison Officer (CLO) to look after the interest of employees belonging to SC/ST and another General Manager is functioning as CLO for OBC employees.

Upgradation of Skills

The Bank's training infrastructure constitutes the State-of-the art Training College at "Indian Bank Management Academy for Growth and Excellence" (IMAGE) and nine Staff Training Centers across the country enabling the staff and the officers to upgrade their skills.

During the year 6938 Officers, 2213 Clerks and 215 Sub-staff members were trained through internal training system. Also 311 officers and Executives attended various training programmes at external institutions.

Industrial Relations

The Top Management of the Bank interacts with the leaders of Employees' Unions, Officers' Associations and their response is positive resulting in desired growth in business and cordial Industrial Relations.

The following policies/schemes were reviewed/ formulated for the benefit of employees.

- Review of HRM Policies
- Approval of CRS PL encashment
- Increased limit for Leased accommodation
- Flood Relief loan for Kerala
- Improvements in Staff welfare schemes –
  - Eye Check up – limit for number of times that facility can be availed is removed
  - Increase in limit for Memento to retirees
- Payment of arrears of pension 1998 – 2002
- Review of Promotion Policy
- Review of Cell Phone Scheme
- Amount of Festival advance fixed uniformly at 1 month gross salary irrespective of date of joining.

SAP

SAP HR software is being put to use for HR related activities. Focus is now on centralizing all HR activities. Centralised Biometric attendance system is in place. As a measure of extending technological advancement to the entire workforce and in aiming to achieve a paperless processing of HR related issues, a cohesive website for Human Resources Management through Intranet has been hosted. A slew of measures have been initiated to facilitate quicker disposal of HR matters – relating to both serving and retired staff.

Staff Welfare Measures

The Central Welfare Committee of the Bank constantly reviews the welfare schemes available to the employees and improvements are being made based on their recommendations. At present Bank is contributing ₹20 Cr towards staff welfare schemes annually.

CUSTOMER SERVICE

Customer Service is the backbone of any service industry, especially banking. With the entry of small payment banks and various local area banks, the competition in the banking industry is very high now and there is huge pressure on the part of the PSBs to retain/improve their market share. Only by improving the customer service and making innovations in technology products, banks can achieve this goal/survive in the industry.

Modes of Grievance redressal:

- Complaint register maintained at all the branches.
- Complaint cum suggestion box made available in the banking hall of all the branches.
- Integrated call centre available 24X7 with Toll free number 180042500000.
- Customers can lodge complaint through the following mail IDs viz:

  ibhocustomerservice@indianbank.co.in
  nodalofficer@indianbank.co.in
  customercomplaints@indianbank.co.in
  customerfirst.cmd@indianbank.co.in
  indmail@indianbank.co.in
- Facility to message **'complaint'** through SMS to **56677**.
- Complaints received through all modes by Branches/Zones/Corporate Office and not resolved within 24 hours are registered in the Standardised Public Grievance Redress System (SPGRS), an in-house software developed with a flow of several unique features.

Appointment of Internal Ombudsman;

- As per the directions of Reserve Bank of India, an Internal Ombudsman has been appointed with effect from 17.02.2016 to strengthen the Internal Grievance Redressal Mechanism and to ensure that grievances are settled in order to strengthen customer confidence.
- All complaints where the resolution is either negative or partially negative are internally escalated to the Internal Ombudsman of the Bank for necessary action as per the Scheme.

ग्राहक सेवा में सुधार हेतु की गई पहलें

- लेनदेन के समय / शाखाओं में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या को कम करने के लिए विभिन्न केंद्रों पर ई लाउंज खोले गए हैं। उन शाखाओं में पासबुक कियोस्क / बीएनए प्रदान की गई हैं, जहां लेनदेन की मात्रा बहुत अधिक है।
- जहां पेंशनरों की संख्या अधिक है, उन शाखाओं को वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष काउंटर खोलने की सलाह दी गई है।
- शाखाओं में आए बिना लेनदेन करने के लिए कई नए प्रौद्योगिकी उत्पादों का परिचय दिया और ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए चयनित केंद्रों पर प्रौद्योगिकी जागरूकता अभियान चलाये गए।
- ग्राहकों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान हेतु सभी शाखाओं में व्यापक नोटिस बोर्ड प्रदर्शित किया जाता है ।
- स्टाफ बैठकें एवं संयुक्त ग्राहक सेवा समिति की बैठकें हर महीने सभी प्रकार के ग्राहकों से शिकायतों को दूर करने के लिए आयोजित की जाती हैं।
- सभी शिकायतों को शाखाओं/अंचलों (नियंत्रण कार्यालय) और कॉर्पोरेट कार्यालय, प्रौद्योगिकी विभाग से उसके निवारण हेतु लिया जाता है। लगभग एक तिहाई शिकायतों का निवारण 24 घंटों (ओपन एंड क्लोज श्रेणी) के भीतर कर लिया जाता है और अन्य शिकायतों को एसपीजीआरएस के अनुसार 21 दिनों की अधिकतम टीएटी के मुकाबले लगभग 5 दिनों के औसत टर्न–अराउंड टाइम (टीएटी) के भीतर ही हल कर दिया जाता है।
- एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें **'तनाव बस्टिंग तकनीक'** को सम्मिलित किया गया है एवं यह स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं इमेज में उन सभी कर्मचारियों के लिए आयोजित किया जाता है, जिनके खिलाफ कुछ ग्राहकों द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
- शाखाओं का गुप्त दौरा, आरबीआई, बीसीएसबीआई आदि जैसे नियामक निकायों द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक, का उपयोग ग्राहक सेवा के स्तर, विभिन्न अनिवार्य सूचनाओं का प्रदर्शन, कर्मचारियों का रवैया, ग्राहक मित्रता, समय मानदंड और समग्र ग्राहक संतुष्टि इत्यादि का पालन करने के लिए किया जाता है।

बैंक द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों के परिणामस्वरूप, बीसीएसबीआई ने हमारे वार्षिक रेटिंग में वर्ष दर वर्ष काफी सुधार किया है।

बीसीएसबीआई	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16	वित्तीय वर्ष 2016–17
रेटिंग %	67.3	74	78

ग्राहक दिवस

ग्राहकों के साथ बातचीत करने एवं ग्राहकों की अपेक्षाओं/प्रतिक्रियाओं को अद्यतन करने के लिए दिनांक 29.08.2019 को दुनिया की सभी शाखाओं में ग्राहक दिवस मनाया गया। 2012 से ग्राहक दिवस / ग्राहक बैठकें मनाई जा रही हैं, जो हर साल अगस्त के महीने में बैंक के स्थापना दिवस के साथ मिलता–जुलता है। ग्राहकों से प्राप्त प्रतिक्रियाएँ/सुझावों को शाखाओं/अंचलों/उपयोगकर्ता विभागों से प्राप्त कर इसकी व्यवहार्यता और मानदंडों की जांच करने के उपरांत इसे कार्यान्वित करने हेतु कदम उठाए गए।

29.08.2019 को ग्राहक बैठक (चेन्नै) में संबोधित करते हुये श्री एम के भट्टाचार्य, कार्यपालक निदेशक

हैदराबाद के विभिन्न शाखाओं में ग्राहक बैठक (29.08.2019)

सेलम अंचल में ग्राहक दिवस की बैठक को संबोधित करते हुए श्री एस सेल्वराज, अंचल प्रबन्धक

प्रनि एवं मुकाअ का सिंगापुर दौरा – दिनांक 04.03.2019 को ग्राहक बैठक

Initiatives taken to improve the customer service

- E Lounges have been opened at various centres to reduce the transaction time/foot fall in branches. Besides Passbook kiosk/BNA have been provided at branches where the volume of transaction is very high.
- Branches advised to open special counters for senior citizens where number of pensioners are more.
- Introduced several new technology products to carry transactions without visiting the branches and technology awareness campaign arranged at selected centres to educate the customers.
- Displayed Comprehensive notice board at all branches, furnishing vital information to the customers.
- Staff Meeting and Joint Customer Service Committee Meetings conducted every month to elicit grievances from customers of all walks of life.
- All complaints are taken up with the Branch/Zone/Bank's CBS centre for redressal. Nearly 1/3rd of the complaints are redressed within 24 hours (open and close category), while many of other complaints are redressed within an average turn-around time (TAT) of about 5 days against the maximum TAT of 21 days allowed as per SPGRS.
- Special training program which included **'Stress Busting Techniques'** has been conducted at all Staff Training Colleges and IMAGE for all the staff against whom some customer complaints have been received.
- Incognito visits, a technique used by regulatory bodies like RBI, BCSBI etc was put to use to verify the level of customer service, display of various mandatory notices, attitude of the staff, customer friendliness, adherence to the time norms and overall customer satisfaction.

As a result of proactive steps taken by the bank, the Annual rating given by BCSBI has been significantly improving over the years.

BCSBI	FY 2014-15	FY 2015-16	FY 2016-17
Rating %	67.3	74	78

Customers' Day:

To interact with the customers and have an update on the customer expectations/feedback, Customers' Day was celebrated uniformly at all the branches across the Globe on 29.08.2018. Customer day/Customer meets are being celebrated since 2012, coinciding with Bank's Founding Day during the month of August every year. The feedback/suggestions received from the customers have been taken up with the Branches/Zones/User Departments for implementing the same as per the feasibility and norms.

Sri. M K Bhattacharya, Executive Director addressing Customers' Day Meet (29/08/2018) at Chennai

Customers' Day Meet (29/08/2018) at various branches in Hyderabad

Sri S Selvaraj, Zonal Manager addressing the Customers' Day meet at Salem Zone

MD&CEO's VISIT TO SINGAPORE - CUSTOMER MEET on 04.03.2019

विनियामक बैठकें / नोट्स :

- ग्राहक सेवा से संबन्धित विनियामक / अनिवार्य बैठकों का समय–सारणी के अनुसार आयोजन किया गया।
- कैलेंडर समीक्षा के अनुसार बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति की समीक्षाओं को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विनियामक प्राधिकारियों की टिप्पणियाँ

- कुछ दिशानिर्देश जारी करने के अलावा बैंकिंग लोकपाल द्वारा कोई अधिनिर्णय पारित नहीं किया गया है। वार्षिक कूट समीक्षा में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण तथा बीसीएसबीआई में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

- सूचना अधिकार अधिनियम के तहत बैंक द्वारा प्राप्त आवेदनों एवं प्रथम अपीलों / द्वितीय अपीलों पर ग्राहक सेवा कक्ष में एक स्वतंत्र डेस्क कार्य करता है। सूचना अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन पर संसदीय समिति द्वारा दी गई सलाह के अनुसार बैंक ने शुरू से ही एकल खिडकी दृष्टिकोण अपनाया है। आरटीआई आवेदन दायर करने के लिए ऑन–लाइन सुविधा भी उपलब्ध है (सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों में इस सुविधा का प्रवर्तन करनेवाला प्रथम बैंक इंडियन बैंक रहा।)
- सभी आवेदन निर्धारित समयावधि के भीतर निपटाए जाते हैं ।
- वर्ष 2018–19 में बैंक के खिलाफ कोई अधिनिर्णय पारित नहीं किया गया ।

विदेशी मुद्रा कारोबार :

- वर्ष के दौरान बैंक ने 35,531.48 करोड के फोरेक्स व्यापार का संचालन किया है। इसमें निर्यात और अन्य आंतरिक विप्रेषण 12,428.74 करोड़ के थे तथा आयात और अन्य बाहरी विप्रेषण 23,102..74 करोड़ के थे।
- वर्ष के दौरान बैंक का कुल अंतर बैंक फोरेक्स बाजार टर्नओवर 2,79,581.51 करोड रहा।
- बैंक की 102 शाखाओं को विदेशी मुद्रा कारोबार का संचालन करने के लिए प्राधिकृत हैं तथा इनमें से 95 शाखाओं को स्विफ्ट कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की गई है। बैंक को दुनिया भर में संपर्की व्यवस्थाएँ उपलब्ध है।
- **एफसीएनआर / एनआरई जमाएँ** : अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमाओं में पिछले वर्ष के 9,700.62 करोड से 10282.88 करोड तक की वृद्धि के साथ 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

विप्रेषण

- सिंगापुर से बैंक की उद्यम विप्रेषण योजना के तहत सिंगापुर में निधि की प्राप्ति के बाद मिनटों में विदेशी प्रेषणों के बराबर रुपए भारत में ग्राहक के खातों में क्रेडिट किए जाते हैं और क्रेडिट की सूचना देते हुए सिंगापुर में प्रेषणकर्ता को एक एसएमएस संदेश अग्रेषित किया जाता है। यह सुविधा सप्ताह के सभी दिन उपलब्ध है।
- स्विफ्ट आधारित सामान्य धन अंतरण के अलावा बैंक द्वारा एनआरआई को दी जानेवाली अन्य प्रेषण सुविधाओं में ''एक्स्प्रेस मनी'', ''मनीग्राम'', ''वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रान्सफर'', ''रिया मनी ट्रान्सफर'' सुविधाएं हैं।
- 6 एक्सचेंज गृह, यथा मेसर्स यूएई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी – अबू धाबी, यूएई एक्सचेंज सेंटर डब्ल्युएलएल – कुवैत, अल जमन एक्सचेंज डब्ल्युएलएल – कतर, जीसीसी एक्सचेंज – दुबई, बेलहासा ग्लोबल एक्सचेंज – दुबई, अल दार फार एक्सचेंज – कतर के साथ इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण व्यवस्था प्रवर्तित की गई है। मेसर्स अल रजही बैंक, साउदी अरेबिया के साथ प्रेषण व्यवस्था पहले से ही प्रवर्तित की जा चुकी है और यह सफलतापूर्वक चल रही है।
- **अंतर्राष्ट्रीय परिचालन**
- विदेश में बैंक की तीन शाखाएं सिंगापुर, कोलंबो एवं जाफना में स्थित है। 31 मार्च 2018 को विदेशी शाखाओं की कुल जमा एवं अग्रिम राशि (सकल) क्रमशः 6838.97 करोड और 7551.24 करोड थी।
- वर्ष 1941 में स्थापित की गई सिंगापुर शाखा ने अद्यतन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए विविध बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके पहचान बनाई है और अपनी साख बढाकर ग्राहक विश्वास प्राप्त किया है। शाखा अब अपना कारोबार दो लेखा इकाइयों में कर रही है– सिंगापुर डॉलर कारोबार के लिए डोमेस्टिक बैंकिंग यूनिट (डीबीयू) और सिंगापुर डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं में कारोबार हेतु ऐशियन करेन्सी यूनिट (एसीयू)।
- शाखा अब अपना कारोबार दो लेखा इकाइयों में कर रही है– सिंगापुर डॉलर कारोबार के लिए डोमेस्टिक बैंकिंग यूनिट (डीबीयू) और सिंगापुर डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं में कारोबार हेतु ऐशियन करेन्सी यूनिट (एसीयू)।
- कोलंबो शाखा, जो वर्ष 1932 में स्थापित की गई, व्यापार वित्त प्रदान करने में सक्रिय रूप से भागीदार है। विदेशी मुद्रा बैंकिंग इकाई (एफ़सीबीयू) कोलंबो, ऑफशोर बैंकिंग परिचालन में लगी है।
- जाफना शाखा, जो वर्ष 2011 में स्थापित की गई, जाफना क्षेत्र के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल पहलें :

कस्टमर टच पॉइंट्स :

दिनांक 31.03.2019 को हमारी शाखाओं और एटीएम की कुल संख्या क्रमशः 2927 एवं 2849 है । इसमें 2191 ऑनसाइट एटीएम, 653 ऑफसाइट एटीएम, 5 मोबाइल

Regulatory Meetings/Notes:

- Regulatory/mandatory meetings relating to Customer Service were held as per the schedule.
- Review of customer service is placed to the Customer Service Committee of the Board as per calendar of Reviews.

Regulatory Authority - Observations:

- No awards have been passed by the Banking Ombudsman other than some directions issued. No adverse remarks were made by RBI in AFI and BCSBI in its Annual Code Review.

RIGHT TO INFORMATION (RTI) Act 2005

- A separate desk attached to Customer Service Cell at Corporate Office is handling the applications and first appeals/second appeals received by the Bank under the RTI Act. Since its inception, Bank has been adopting a single window approach as suggested by the Parliamentary Committee on implementation of RTI Act. Online facility for filing of RTI application is also made available (Indian Bank being the first among the PSB to introduce this facility)
- All the applications are disposed off within the stipulated time period
- No awards against the bank in the year 2018-19

FOREX BUSINESS

- Turnover in Foreign Exchange business of the Bank amounts to ₹35,531.48 Cr during the year. Of this, export and other inward remittances amounts to ₹12,428.74 Cr, while imports and other outward remittances amounts to ₹ 23,102.74 Cr.
- During the year, the total turnover in the interbank forex market amounts to ₹ 2,79,581.51 Cr.
- 102 branches of the Bank are authorised to handle forex business. The Bank has Correspondent arrangements across the globe.
- **FCNR/NRE Deposits:** Non Resident Indian (NRI) Deposits recorded a growth of 6% per cent at ₹ 10282.88 Cr as compared to ₹ 9,700.62 Cr in the previous year.

REMITTANCES

- Enterprise remittances scheme from Singapore offers instant credit to customer accounts in India with rupee equivalent of the foreign remittances within minutes of receipt at Singapore Branch and an SMS message is forwarded to the remitter at Singapore informing the credit. The facility is available on all days of the week.
- Other remittance facilities offered by the Bank for NRIs include "Xpress Money", "Money Gram", "Western Union Money Transfer", "Ria Money Transfer", besides normal SWIFT based Money Transfer across the globe.
- Electronic funds transfer arrangement is in place with 6 Exchange Houses viz., M/s. UAE Exchange Centre LLC – Abu Dhabi, UAE Exchange Centre WLL – Kuwait, Al Zaman Exchange WLL – Qatar, GCC Exchange – Dubai, Belhasa Global Exchange – Dubai, Al Dar For Exchange – Qatar. Remittance arrangement with M/s Al Rajhi Bank, Saudi Arabia has already been launched and running successfully.

INTERNATIONAL OPERATIONS

- The Bank has three foreign branches located at Singapore, Colombo and Jaffna. Total Deposits and Advances (gross) of foreign branches as on March 31 2019 was ₹ 6,838.97 Cr and ₹ 7,551.24 Cr respectively.
- Singapore branch established in 1941 has carved a niche by offering a variety of banking services using the latest technology and enjoys enormous goodwill and customer loyalty. The branch is presently maintaining its business in two accounting units - Domestic Banking Unit (DBU) for Singapore Dollar business and Asian Currency Unit (ACU) for business in currencies other than Singapore Dollar.
- Colombo branch established in the year 1932 has active market presence extending trade finance. The Foreign Currency Banking Unit (FCBU), Colombo is engaged in offshore banking operations.
- Jaffna branch reopened in 2011 plays a crucial role in the economic development of the Region.

Technology and Digital Initiatives:

Customer Touch Points:

Total number of Branches and ATMs as on 31.03.2019 is 2927 and 2849 respectively. This includes 2191 onsite ATMs, 653 offsite ATMs and 5 mobile ATMs. The total number of

एटीएम शामिल हैं। दिनांक 31.03.2019 को कुल बीएनए की संख्या 1043 है । इसमें 1000 ऑनसाइट बीएनए और 43 ऑफसाइट बीएनए शामिल हैं । वर्ष 2018–19 के दौरान, एक डिजिटलीकरण प्रक्रिया के रूप में शाखाओं से वैकल्पिक चैनलों में 67.85 प्रतिशत लेन–देन स्थानांतरित हुए थे।

भारत में सबसे अधिक रुपे प्लैटिनम कार्ड जारी करने वालों में बैंक शीर्ष स्थान पर है। एटीएम लेनदेन के मामले में बैंक को भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में दूसरा और सभी बैंकों में पाँचवाँ सर्वोच्च स्थान दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सभी मेग्नेटिक स्ट्रिप कार्डों को ईएमवी चिप कार्डों में बदल दिया गया है और वर्तमान में पूरे कार्ड ईएमवी चिप–कार्ड आधारित हैं।

481 पासबुक कियोस्क स्थापित किए गए हैं और 50 प्रतिशत लेनदेन शाखा से सेल्फ सर्विस कियोस्क में स्थानांतरित हो गए हैं ।

डिजिटल पहलें

तमिलनाडु और पांडिचेरी के लिए एकमात्र बैंकर के रूप में भारत सरकार की नई लॉन्च की गई प्रधानमंत्री किसान योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया। योजना के तहत, भुगतान के प्रसंस्करण में दूसरे सबसे बड़े बैंक का खिताब दिया गया।

विभिन्न मर्चेन्ट भुगतान माध्यम को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहन करना

नए चालू खाता ग्राहकों के लिए पीओएस टर्मिनल 6 महीने की अवधि के लिए / शून्य किराए पर आपूर्ति की गई, जिसमें प्रति माह 5 लाख रुपये से ऊपर के लेनदेन करने वाले कारोबारियों को पीओएस शून्य किराये के साथ लाभान्वित किया गया था।

भीम आधार पे – 2017–18 के दौरान नए डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई, साल के दौरान इसमें तेजी आई। भीम आधार पे के लिए बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट स्कैनर डिवाइस, मर्चेंट पेमेंट माध्यम के साथ ग्राहकों को परिचित करने के लिए शून्य लागत में दिया गया था।

क्रेडिट कार्ड

नए उत्पादों के लिए बढ़ाए गए लॉयल्टी पॉइंट –आईबी फ्रीडम (चालू खाता उत्पाद) और आईबी सुरभि (महिलाओं के लिए बचत बैंक खाता)

अतिरिक्त सुविधाओं के साथ पुनःनिर्मित क्रेडिट कार्ड पोर्टल अर्थात, बिल नहीं किए गए लेन–देन के देखने का प्रावधान, फोन नंबर और ईमेल आईडी के संशोधन को सक्षम करना, अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं में लेन–देन के लिए विकल्प का विस्तार करना, विवरणों को डाउनलोड करना आदि।

क्रेडिट कार्ड ग्राहक शिकायत पोर्टल को अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं के साथ पुनः लॉन्च किया गया ।

डिजिटल कैम्पेन

डिजिटल उत्पादों के बारे में ग्राहकों की जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के लिए अपनाए जाने वाले निवारक उपायों पर ध्यान देने के साथ सभी अंचलों में वर्ष 2018–19 के दौरान लगातार डिजिटल कैम्पेन चलाए गए।

डिजिटल गांव अभिग्रहण पखवाड़ा :

डिजिटल डिवाइड को कम करने के क्रम में डिजिटल डिवाइड की रोकथाम करके ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों तक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का पूर्ण लाभ पहुंचाकर पूर्ण डिजिटल रूपांतरण के लिए 190 गांवों (5 प्रति अंचल) की पहचान की है।

निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की गईंरू –

ए) सभी ग्रामीणों के लिए संगठित बैंकिंग सेवाएँ आयोजित की गईं

बी) आधार नामांकन शिविर स्थापित किए गए और ई–केवाईसी आधारित खाता खोला गया

सी) डिजिटल उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए डिजिटल उत्पादों पर प्रशिक्षण

डी) भीम, भीम आधार पे, पीओएस जैसे डिजिटल चैनलों की ओर गाँव में व्यापारियों को ऑन–बोर्ड किया गया।

अन्य ग्राहक केंद्रित पहलें

1. भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस)

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) भारत में एक एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली है, जो एजेंटों के नेटवर्क के जरिए ग्राहकों को अंतःप्रचालनीय और सुलभ बिल भुगतान सेवा प्रदान करती है तथा विभिन्न भुगतान मोड को इनेबल एवं भुगतान की तत्काल पुष्टि करती है।

2. आईबी कलेक्ट प्लस – वेबसाइट सहित / वेबसाइट रहित संस्थानों के लिए ऑनलाइन फीस संग्रह सुविधा

ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन शुल्क / प्रभार जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें विभिन्न मोड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, वॉलेट और अन्य बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग किया गया है। ग्राहकों के लिए आसान सामंजस्य के लिए अनुकूलित रिपोर्ट। कॉर्पोरेट / संस्थानों को सेवा के रूप में भुगतान गेटवे के माध्यम से शुल्क / प्रभार के ऑनलाइन संग्रह के लिए फ्रंट एंड सपोर्ट प्रदान किया गया, जिनके पास अपनी वेबसाइट नहीं है।

3. इंड–पे – बहुभाषी मोबाइल ऐप

बैंक का मोबाइल ऐप, इंडपे अब ग्राहकों की सुविधा के लिए 5 भाषाओं (अर्थात अंग्रेजी, तमिल, मलयालम, हिंदी और मराठी) में उपलब्ध कराया गया है।

4. 100 प्रतिशत ईएमवी चिप कार्ड को ओर

ग्राहक की सुविधा प्रदान करने और आरबीआई के हालिया निर्देशों का पालन करने के लिए, मग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड को 100 प्रतिशत ईएमवी चिप कार्ड के साथ बदल दिए गए हैं। गैर–निजीकृत ईएमवी चिप आधारित इंस्टा कार्ड भी ग्राहकों को काउंटर पर जारी करने के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

5. ग्राहकों से जीएसटी भुगतान स्वीकरण

बैंक ग्राहकों से जीएसटी लेने के लिए अधिकृत है। ग्राहक बैंक की शाखाओं पर कैश / चेक / डीडी द्वारा भुगतान की स्वीकृति के अलावा नेट–बैंकिंग साइट के माध्यम से जीएसटी ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।

BNAs as on 31.03.2019 is 1043. This includes 1000 onsite BNAs and 43 offsite BNAs. During the year 2018-19, 67.85% of transactions were migrated from Branches to alternate channels as a digitization process.

Bank stands the highest among top ranked RuPay platinum card issuers in India. Bank has been conferred with second highest position among Public Sector Banks and fifth highest, among all Banks in India, in terms of ATM transactions. All magnetic stripe cards were replaced with EMV chip cards during the FY 2018-19, and currently the entire card base consists of EMV Chip-Cards.

481 Passbook Kiosks have been installed and 50% transactions migrated from branch to self service kiosks

Digital Initiatives:

Successfully implemented the newly launched PM-Kisan Scheme of Government of India, as a sole Banker for Tamil Nadu and Puducherry. A title of second largest Bank in processing the payment was bestowed upon the bank, under the scheme.

Incentivizing Customers for Promoting Various Merchant Payment Modes

POS terminals were supplied @ Zero rent for new Current Account customers for a period of 6 months, wherein the merchants carrying out transactions above ₹ 5 lacs per month, were benefitted with Zero POS rentals

BHIM AADHAR PAY - New Digital Payment Platform rolled out during 2017-18, gained momentum during the year. Biometric Finger Print Scanner Device for Bhim Aadhar Pay, was supplied at Nil Cost to acquaint customers with the merchant payment mode.

CREDIT CARDS

Enhanced loyalty points offered for new products - IB Freedom (Current Account Product) and IB Surabhi (Savings Bank Account for women)

Revamped Credit Card portal with additional Features Provision to view unbilled transactions, enabling modification of phone number and email id, extending option for transacting in international currencies, downloading statements etc.

Credit Card customer complaint portal was re-launched with additional security features.

Digital Campaigns:

Frequent Digital Campaigns were conducted during the year 2018-19 across all Zones with focus on increasing customer awareness about digital products and preventive measures to be adopted for secured digital transactions.

Digital Village Adoption Fortnight

In order to reduce the digital divide that prevents rural villages from harnessing the full benefits, delivered by information and communication technologies, 190 villages (5 Per Zone) were identified for complete digital conversion.

The following activities were conducted:-

a) Banking Services organized for all villagers

b) Aadhaar Enrolment Camps set up and E-KYC based account opening carried out

c) Training on Digital products provided for creating awareness about digital products

d) On-boarding of Merchants in the village on digital channels such as BHIM, BHIM Aadhaar Pay, PoS.

Other Customer Centric Initiatives:

1. Bharat Bill Payment System (BBPS)

An integrated bill payment system was launched offering interoperable and accessible bill payment service to customers through a network of agents, enabling multiple payment modes, and providing instant confirmation of payment.

2. IB COLLECT PLUS - Online Collection facility for institution with/without website

Facility made available for customers to collect various types of fees/ charges online, using various modes viz., Credit card, Debit card, UPI, Wallet and other bank's net banking facility. Customized report to customers provided for easy reconciliation. Front end support was provided for online collection of fees/charges through payment gateway as a service to the Corporate/ Institutions, not having their own website.

3. IndPAY – Multilingual Mobile APP

Bank's Mobile APP, IndPAY is now made available in 5 languages (viz. English, Tamil, Malayalam, Hindi and Marathi) for customer convenience.

4. 100% migration to EMV Chip cards

To provide customer convenience and comply with recent directions of RBI, magnetic stripe cards are 100% replaced with EMV chip cards. Non-Personalized EMV Chip Based Insta cards also made available for issuing over the counter to customers.

5. Acceptance of GST Payments from customers

Bank is authorized to collect GST from the customers. Customers can pay GST online through Bank's Net-banking site besides acceptance of payment over the counter at branches in Cash/Cheque/DD.

6. ऑनलाइन बचत खाता आईबी डीजी खोलना

बैंक ने आधार आधारित ओटीपी का उपयोग करके बैंक की वेबसाइट / मोबाइल ऐप के माध्यम से बचत बैंक खाता खोलने के लिए ऑनलाइन सुविधा सक्षम की है।

7. आईबी कलेक्ट वी प्लस – सत्यापन एवं रियलटाइम प्रतिक्रिया सुविधा के साथ वर्चुअल खाता संग्रह

आईबी कलेक्ट प्लस उत्पाद इंस्टीट्यूशन के लिए रियल टाइम क्रेडिट रिस्पॉन्स के साथ प्रेषण की स्वीकृति के लिए रिमिटर आईडी / राशि के विवरण को सत्यापित करने की क्षमता के साथ सक्षम है।

8. टीआरईडीएस – शीघ्र नकदीकरण के लिए व्यापार प्राप्य राशियाँ की डिजिटल छूट

एमएसएमई की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए यानी दो मुद्दों तुरंत एन–कैशिंग रिसीवेबल्स और क्रेडिट जोखिम को समाप्त करने के साथ, डिजिटल रूप से व्यापार प्राप्य राशियाँ को छूट देने का एक नया तंत्र "टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म" अस्तित्व में आया है। इस तंत्र से व्यापार इको–सिस्टम में पारदर्शिता लाकर एमएसएमई के विकास में एक उत्प्रेरक होने की उम्मीद है।

9. 59 मिनट में एमएसएमई ऋण

हमारा बैंक पीएसबी मंथन की सिफारिशों के अनुरूप, एक डिजिटल कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म प्रवर्तित किया है अर्थात एमएसएमई उद्यमी को एमएसएमई इकाई के लिए अपने ऋण आवेदन को ऑनलाइन जमा करने और अपने पसंदीदा बैंक (प्लेटफॉर्म में उपलब्ध से 59 मिनट के भीतर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एक वेब पोर्टल भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है।

10. इंटरनेट बैंकिंग का नया रूप :

हमने इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट का नया लुक लॉन्च किया है तथा इसमें हमने एक नए यूजर इंटरफेस **'अपने त्वरित लिंक कस्टमाइज करें'** की सुविधा का भी शुभारंभ किया है, जिसमें ग्राहक अपनी सुविधा एवं आसानी से पहुँच के लिए 8 अक्सर प्रयोग किए जानेवाले विकल्प का चयन कर सकते हैं । ग्राहक को कम मूल्य के फंड ट्रांसफर के लिए या लाभार्थी के खातों में एकमुश्त फंड ट्रांसफर के उद्देश्य से उपयोग में आसानी प्रदान करने के लिए इजीपे विकल्प नेटबैंकिंग एप्लिकेशन में उपलब्ध कराया गया है। इजीपे सुविधा के माध्यम से, ग्राहक लाभार्थी को जोड़े बिना अधिकतम रु.5000 / – प्रति दिन (संचयी) किसी भी तीसरे पक्ष के खाते में धनराशि अंतरित कर सकता है।

11. बैंक की वेबसाइट में ओटीपी के माध्यम से आधार सीडिंग

ग्राहक जो अपने आधार को सीड करना चाहते हैं, वे बैंक की वेबसाइट –> ऑनलाइन आधार सीडिंग लिंक पर जा सकते हैं और यूआईडीएआई ओटीपी प्रमाणीकरण का उपयोग करते हुए डीबीटीएल लाभों के लिए अपने बचत खाते में आधार संख्या सीड कर सकते हैं।

12. बैंक की नई वेबसाइट

वर्तमान उद्योग मानकों के अनुसार, बैंक की आधिकारिक वेबसाइट को नए रूप और अनुभव के साथ नया रूप दिया गया है।

13. जीएसटीएन इनवाइस

ग्राहक जीएसटीएन नंबर प्रदान करके जीएसटीएन इनवाइस के लिए ऑनलाइन पोर्टल से जीएसटीएन इनवाइस विवरण डाउनलोड कर सकते हैं। ग्राहक जीएसटीएन नंबर प्रदान करने से पहले में सीआईएफ़ नंबर, खाता संख्या, कैप्चा और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर प्राप्त ओटीपी दर्ज करेंगे।

14. नेट / मोबाइल बैंकिंग शिकायत पोर्टल

ई–बैंकिंग (नेट / मोबाइल बैंकिंग) से संबंधित नेट / मोबाइल बैंकिंग शिकायतों के समाधान के लिए एक विशेष पोर्टल रखा गया है। ग्राहक इस पोर्टल के माध्यम से शिकायतें कर सकते हैं। शिकायतों की श्रेणी के आधार पर, इन शिकायतों को समाधान के लिए संबंधित विभाग को सौंपा जाएगा। डिजिटल लेनदेन विफलता के लिए टर्नअराउंड समय कम हो जाएगा क्योंकि शिकायतें सीधे संबंधित शाखाओं / विभागों को भेज दी जाती हैं।

15. सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की ऑनलाइन सदस्यता

सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की ऑनलाइन सदस्यता के लिए ग्राहकों को एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। ग्राहकों को ऑनलाइन सदस्यता के लिए 50 रुपये प्रति ग्राम गोल्ड बॉन्ड की रियायत मिलेगी।

16. ग्राहकों के लिए धोखाधड़ी सुरक्षा

फर्जी लेनदेन से बचें / रोकें :

- ग्राहक सभी डिजिटल चैनल – नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को लॉक / अनलॉक कर सकते हैं
- केवल पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर मोबाइल बैंकिंग और भीम यूपीआई एप्लिकेशन की सुरक्षित संस्थापन
- सभी मैग्नेटिक स्ट्रिप डेबिट और क्रेडिट कार्ड को चिप आधारित ईएमवी कार्ड से बदल दिया गया।
- कार्ड स्किमिंग के कारण डेटा चोरी से बचने के लिए सभी बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम को एंटी–स्कीमिंग सुविधा के साथ अपग्रेड किया गया है।
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से कार्ड आधारित लेनदेन की चौबीसों घंटे (24 x 7) निगरानी।

सुरक्षा अनुपालन

- आरबीआई / एनपीसीआई द्वारा नियमित आधार पर जारी किए गए साइबर–सुरक्षा दिशानिर्देशों को लागू करना।
- ईएमवी चिप और पिन कार्ड स्वीकार करने के लिए सभी मौजूदा एटीएम का रूपांतरण।

ग्राहक जागरूकता

अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में सुरक्षा जागरूकता पर ग्राहकों को नियमित एसएमएस अलर्ट / ईमेल भेजे गए

प्रबंधन सूचना प्रणाली

बैंक की एमआईएस प्रणाली का उपयोग बैंक की व्यावसायिक टीमों द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है – सांविधिक एवं नियामक रेपोर्टिंग, कैम्पेन प्रबंधन, व्यावसायिक निर्णय लेने एवं एमआईएस द्वारा विकसित फ्रंट–एंड सुविधाओं के जरिए शाखाओं/अंचल कार्यालयों से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए।

6. Opening of online saving account IB-DIGI

Bank has enabled online facility for opening of Savings Bank Account through Bank's website/Mobile App using Aadhaar Based OTP.

7. IB V collect Plus - Virtual Account Collection with Validation and Real time response facility

IB V Collect Plus Product enabled with the capability to verify and validate the Remitter ID /Amount details for acceptance of remittance, combined with Real Time Credit Response to the Institution.

8. TReDS–Digital Discounting of trade receivables for prompt encashment

With a view to address the critical needs of MSMEs i.e. the twin issues of promptly en-cashing receivables and eliminating credit risk, a new mechanism of discounting trade receivables digitally, has come into existence called "TReDS platform". This mechanism is expected to be a catalyst in the growth of MSMEs by bringing in transparency in the business eco-system.

9. MSME Loan in 59minutes

Our Bank, in line with recommendations of PSB Manthan, promoted a digital contactless banking platform i.e. a web portal has been provided by Government of India for enabling MSME entrepreneur to submit his/her loan application for MSME unit online and get in-principle approval, from a Bank of their choice (available in the platform) within 59 minutes.

10. NewLook Internet Banking

New look Internet Banking website launched with value added features viz., **"Customize your quicklinks"** wherein the customers can select upto 8 frequently used options for easy navigation and convenience of banking. For providing the ease of use to the customer for low value fund transfer or for the purpose of one time fund transfer to beneficiary accounts, EasiPay option is made available in Netbanking application. Through EasiPay facility, the customer can transfer funds to any third party account without the need of adding beneficiary, subject to a maximum of ₹5000/- per day (cumulative).

11. Aadhaar seeding through OTP in Bank website.

Customers who wish to seed their Aadhaar in account, can visit Bank's website -> "Online Aadhaar seeding link" and seed aadhaar number to their SB account for DBTL benefits using UIDAI OTP authentication.

12. New Bank Website

Bank's official Website has been revamped with a new look and feel, as per the current industry standards.

13. GSTN Invoice

Customers can download the GSTN invoice details from the online portal for GSTN Invoice by providing GSTN number. Customer will enter CIF Number, Account Number, captcha and the OTP received in their registered mobile number, before providing the GSTN number.

14. Net / Mobile Banking Complaints Portal

An exclusive portal for addressing Net/Mobile Banking complaints related to e-banking (Net/Mobile Banking) has been put in place. Customers can raise complaints through this portal. Depending upon the category of the complaints, it will be assigned to the concerned department, handling the complaints. Turnaround Time for digital transaction failure will be reduced since the complaints are directly routed to the respective branches/departments.

15. Online Subscription of Sovereign Gold Bond

A web portal has been made available for customers to subscribe for Sovereign Gold Bond online. Customers will get a concession of ₹ 50 per gram of Gold Bond for online subscriptions.

16. Fraud protection for customer

Avoid / Prevent fraudulent transactions:

- Customers can Lock/Unlock all Digital Channels – Net Banking, Mobile Banking, Debit Cards & Credit Cards
- Secure installation of Mobile Banking and BHIM UPI Application only on registered mobile numbers
- All Magnetic Stripe Debit & Credit Cards replaced with Chip based EMV Cards.
- All Bank owned ATMs are upgraded with Anti-Skimming facility to avoid data theft due to card skimming.
- Round the clock (24 x 7) monitoring of Card based transactions through Fraud Risk Management system.

Security Compliance

- Implementing cyber-security guidelines issued by RBI / NPCI on regular basis.
- Conversion of all existing ATMs for accepting EMV Chip and PIN cards.

Customer Awareness

Regular SMS alerts/emails sent to customers on Security awareness in English & Local languages

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

Bank's MIS system is used by business teams for various purposes viz., Statutory & regulatory reporting, Campaign management, Business decision making and capturing additional information from Branches/Zonal Offices through front-end facilities developed by MIS.

व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को सशक्त करने के लिए एमआईएस प्रक्रिया के तहत खर्चों के बचत एवं टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) को बेहतर बनाने लिए तथा व्यापार संबंधी निर्णय लेने हेतु परिज्ञान प्रदान करके, सब्सिडी/पुनर्वित्त दावा आदि के केंद्रीकृत प्रसंस्करण द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं । एमआईएस एप्लिकेशन में लगभग 3000 रिपोर्ट विकसित एवं पोर्ट की गई हैं, जिनका विभिन्न रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। रिपोर्टों की, समय–समय पर उनकी प्रभावकारिता सुनिश्चित करने और एमआईएस पोर्टलों से अप्रचलित रिपोर्टों को कम करने हेतु, समीक्षा की जाती है।

डेटा एनालिटिक्स (प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव), ईएलटी (एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड) और बिजनेस इनसाइट्स, डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इनसाइट्स के कार्यान्वयन के साथ एमआईएस एप्लिकेशन के सोफिस्टीकेटेड बिल्डिंग क्षमता को अपग्रेड करने के क्रम में समाधान किया गया है। इस परियोजना में, शाखा निष्पादन और लाभप्रदता एनालिटिक्स, ग्राहक 360 विव दृ जनसांख्यिकी के आधार पर , प्रोफ़ाइल, लाइफ टाइम वैल्यू (एलटीवी) क्रॉस सेल, अप सेल एनालिटिक्स आदि सहित 40 कार्यात्मक आवश्यकताओं को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

शीर्ष प्रबंधन की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पावर बीआई (बिजनेस इंटेलिजेंस टूल) के माध्यम से रिपोर्ट / डैशबोर्ड विकास शुरू किया गया है। व्यावसायिक इंटेलिजेंस साधनों के संभावित लाभों में आंतरिक व्यापार प्रक्रियाओं के अनुकूलन में निर्णय लेने में तेजी लाने और सुधार करना, परिचालन क्षमता में वृद्धि करना शामिल हैं ।

सूचना प्रणाली सुरक्षा

- बैंक की सूचना प्रणाली व सुरक्षा प्रक्रियाओं को आईएसओ 27001 : 2013 मानक से प्रमाणित किया गया है । बैंक के आईएस सुरक्षा कक्ष एवं आईटी

Persistent endeavour is made to empower the business-users to generate data/reports through automation of MIS processes for cost saving and improving Turnaround time (TAT) by providing insights for informed business decision making, centralized processing of subsidy/refinance claim etc. Around 3000 reports are developed and ported in MIS applications which are being widely accessed by users for various reporting purposes. The reports are periodically reviewed to ensure their efficacy and to weed out obsolete reports from the MIS portals.

In order to upgrade the present capability of building sophisticated MIS applications with Data Analytics (Predictive and prescriptive), ETL(Extract, Transform & Load) & Business insights, implementation of Data Analytics & Business Insights solution has been taken up. In this project, 40 functional requirements including Branch Performance and profitability analytics, Customer 360° view - based on demography, profile, Life Time Value (LTV) cross sell, up sell analytics etc., will be implemented in a phased manner.

To address the present requirements of Top Management, reports/dashboards development through Power BI (Business Intelligence tool) has been initiated. The potential benefits of business intelligence tools include accelerating and improving decision-making optimizing internal business processes, increasing operational efficiency

INFORMATION SYSTEMS SECURITY

- Bank's Information System & Security processes have been certified with ISO 27001:2013 standard. Bank's

विभाग को आईएसओ 27001 मानक से प्रमाणित किया गया हैं। यह प्रमाणीकरण बैंक की विश्वसनीयता, सूचना सुरक्षा प्रणाली की मजबूती हेतु प्रशंसा पत्र को सम्मिलित करता है तथा ग्राहकों को आश्वास्त करता है कि बैंक की सूचना सुरक्षा उच्च कोटी की है। मानक सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईआसएमएस) के निष्पादन को मापने व मूल्यांकन पर भी ज़ोर डालता है। प्रमाणित सुरक्षा मानक के पास कूट–लेखन, सुरक्षित विकास, सुरक्षा परीक्षण, आपूर्तिकर्ता संबंध इत्यादि में अतिरिक्त नियंत्रण है। प्रमाणित सुरक्षा मानक के पास कूट–लेखन, सुरक्षित विकास, सुरक्षा परीक्षण, आपूर्तिकर्ता संबंध इत्यादि में अतिरिक्त नियंत्रण है। सूचना सुरक्षा पॉलीसियां आईएसओ 27001–2013 के अनुसार तैयार की गईं तथा हमारे बैंक की सूचना प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए लागू किया गया।

- आईएसओ 27001 प्रमाणन के लिए पुनर्मूल्यांकन लेखा परीक्षा फरवरी 2018 के दौरान सफलतापूर्वक आयोजित किया गया । इसमें प्रमाणित सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों की जांच की गई एवं इसे फरवरी 2021 तक के लिए पुनर्प्रमाणीकृत किया गया । हाल ही में निगरानी लेखापरीक्षा भी वर्ष 2019 के लिए पूरा हो गया है जिसने आईएसओ 27001 मानकों के साथ बैंक के आईएसएमएस के निरंतर अनुपालन की पुष्टि की है।

बैंकों में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश

- बैंक ने बैंकों में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांकित 2 जून 2016 के संबंध में बोर्ड द्वारा विधिवत रणनीति को अपनाया है, इसमें व्यापार के सूक्ष्म स्तर तथा जोखिम के स्वीकृत स्तर को साइबर खतरे का सामना करने के लिए उचित पद्धति बनाई गई है। इस नीति को बनाने के पहले आंतरिक रूप से गैप विश्लेषण को आयोजित किया गया जिसमें व्यापार उद्देश्यों को बढ़ावा देने हेतु बैंक की सूचना सुरक्षा रणनीति की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन तथा लक्ष्यांकित मेचुरिटी स्तर को प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं का विश्लेषण किया जा सके। इस नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि साइबर जोखिमों का सामना करने के लिए वर्तमान सुरक्षा उपायों में सुधार लाकर बैंक के लचीलापन को बढ़ाया जाए एवं नियमित आधार पर साइबर सुरक्षा में होनेवाले जोखिमों से मुकाबला करने हेतु इसकी तैयारी सुनिश्चित की जाए । इस दिशा में बैंक को साइबर खतरे को सामना करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है क्योंकि बैंक को व्यापार के सूक्ष्म स्तर और जोखिम के स्वीकार्य स्तर के संदर्भ में स्टाफ, विक्रेताओं, ठेकेदारों और अन्य पण्यधारकों को जागरूक करना और उन्हें सूचना आस्तियों को संरक्षित करने की जिम्मेदारी निभाना है, जिसे उन्हें सौंपा गया है। एक **साइबर आपात प्रबन्धन योजना (सीसीएमपी)** का भी गठन किया गया है और इसे मुख्य रूप से साइबर घटनाओं को प्रोसेस करने के लिए बनाया गया है।

ग्राहक सूचना को सुरक्षित रखने के लिए नई सूचना सुरक्षा समाधान

- सुरक्षा परिचालन केन्द्र (एसओसी), अब सेक्यूरिटी इन्सीडेंट एण्ड ईवन्ट मैनेजमेंट (एसआईईएम) सोल्यूशंस से सन्नदध किया गया है ताकि सुरक्षा उपकरणों एवं सर्वरों से सेक्यूरिटी लॉग को निकाला जा सके और कोई विसंगति हो तो उसका विश्लेषण किया जाए। इसमें जोडे गये उपकरण जो एओसी में कार्यान्वित किये जा रहे हैं वें प्रिविलेज आइडेंटी मैनेजमेन्ट (पीआईएम) सोल्यूशंस हैं, जो विशेष व्यक्तियों के क्रियाकलापों को ट्रैक करने के लिए प्रयोग किये जाते हैं। डैटाबेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग (डीएएम) सोल्यूशंस, डैटा बेस में होनेवाली क्रियाकलापों को मॉनिटर करने और प्रणाली में कमजोरियों को स्कैन करने के लिए कमजोरी मूल्यांकन सोल्यूशंस (वीएस) का प्रयोग किया जाता है।

- मौजूदा एसओसी को अत्याधुनिक तकनीकों को तैनात कर अतिरिक्त सुरक्षा समाधानों के साथ सुदृढ़ किया गया है, जिससे मौजूदा एसओसी को साइबर एसओसी में बदल दिया गया है, जिसने बैंक की साइबर सुरक्षा लचीलापन और स्थान को मजबूत करने के लिए सुरक्षा की अतिरिक्त परतों को जोड़ा है। एसओसी के लिए नवीनतम संवर्द्धन निम्नलिखित हैं,

  - ➢ वेब एप्लिकेशन फायरवॉल (डब्ल्यूएएफ)
  - ➢ नेटवर्क बिहेवियर एनालिसिस (एनबीए)
  - ➢ फायरवॉल एनालाइजर
  - ➢ एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन फॉर एंड पॉइंट, वेब एंड ई–मेल गेटवे
  - ➢ सर्विस डेस्क सोल्यूशंस टू मॉनिटर द इंसिडेंट ट्रेक फ्लो एवं प्रभावी ढंग से परिवर्तन प्रबंधन संभालना
  - ➢ डाटा लीक प्रिवेंशन सोल्यूशंस और नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी) की कार्यान्वयन प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है और प्रगति पर है।

परिसर

- हरित पहल के अंतर्गत विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं आदि सभी प्रकार के भुगतान इलेक्ट्रॉनिक चौनलों, जैसे डाइरैक्ट क्रेडिट / एनईएफटी / आरटीजीएस (केवल विशेष परिस्थितियों में ही चेक के जरिए भुगतान किया जाता है), के माध्यम से किए जाते हैं।

- बैंक के परिसर में सौर ऊर्जा और एलईडी लाइट का प्रयोग

- बैंक के भारत में 148 और सिंगापुर में 2 संपत्तियां हैं ।

- बैंक ने परिसर, व्यय, खरीद, अनुबंध, प्रिंटिंग और स्टेशनरी, एयर कंडीशनिंग, ऑटोमोबाइल, टेलीफोन / सेलफोन के लिए समान नीतियां बनाई हैं एवं सभी शाखाओं / अंचलों में इसी नीति को अपनाया गया है।

हरित पहलः

ए. सौर ऊर्जा और एलईडी लाइटिंग :

- बैंक ने निम्नलिखित हरित पहलों की ओर दिशा मोड ली है :

- ऊर्जा के वैकल्पित स्रोत को अपनाते हुए बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक के रूप में अन्य सत्ता के साथ हरित भारत के निर्माण में सहयोग हेतु आगे है। कॉर्पोरेट कार्यालय में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, जोकि पहले से ही ग्रीन बिल्डिंग (गोल्ड रेटिंग) स्टेटस में है।

IS Security Department and IT Departments are certified for ISO 27001: 2013 Standard. The certification adds credibility, a testimonial for the reliability of the Bank's information security system and reassures the clients that the Bank's information security is of high quality. The standard also lays emphasis on measuring and evaluating the performance of Information Security Management System (ISMS). Also, the certified security standard has additional controls in cryptography, secured development, security testing, supplier relationship etc. Information Systems Security Policies as per ISO 27001 - 2013 standards were formulated and put in place to secure the Information Systems of our Bank.

- The recertification audit for ISO 27001 certification has been successfully conducted during February 2018 to check whether the certified security environments are followed and recertification has been issued till February 2021. Recently surveillance audit also has been completed for the year 2019 which has confirmed the continued compliance of the ISMS of the Bank with the ISO 27001 Standards.

RBI Guidelines on Cyber Security Framework in Banks

- Bank has put in place a Cyber Security Policy in terms of RBI circular dated 2nd June 2016 on Cyber Security Framework in Banks elucidating the strategy containing an appropriate approach to combat cyber threats given the level of complexity of business and acceptable levels of risk, duly approved by the Board. The main objectives of the policy are to enhance the resilience of the bank by improving the current defenses in addressing cyber risks and ensure adequate cyber security preparedness on a continuous basis, provide guidance and direction to the bank in combating cyber threats, given the level of complexity of business and acceptable level of risks and to enable the staff, vendors, contractors and other stakeholders to gain awareness and fulfill their responsibilities to protect the information assets with which they are entrusted. A Cyber Crisis Management Plan (CCMP) has also been formulated and put in place mainly focusing on incident handling process of cyber incidents.

New Information Security solutions to protect customer information

- Security Operation Centre (SOC) has now been equipped with Security Incident and Event Management (SIEM) solution for pulling out the security logs from the security devices and servers and analyzing for any anomaly. Also devices added and implemented in the SOC are Privilege Identity Management (PIM) solution (to track the activities of the privileged users), Database Activity Monitoring (DAM) solution (for monitoring the activities happening at the database) and Vulnerability Assessment Solution (VAS) (to scan the systems for vulnerabilities).
- The existing SOC has been reinforced with additional security solutions deploying State of the art technologies thereby transforming the existing SOC to Cyber SOC which has added additional layers of security to strengthen the cyber security resilience and posture of the Bank. The latest additions to the SOC are,
  - ➢ Web Application Firewalls (WAF)
  - ➢ Network Behaviour Analysis (NBA)
  - ➢ Firewalls Analyzer
  - ➢ Advanced Threat Protection for End points, Web and Email gateway
  - ➢ Service Desk solution to monitor the incident track flow and effectively handle the change management
- Implementation process of Data Leak Prevention Solution and Network Access Control (NAC) has already been initiated and is under progress.

PREMISES

- As the part of the green initiatives, all payments to vendors, suppliers etc are made through electronic channels, viz., direct credit / NEFT / RTGS (only under exceptional circumstances, payment by way of cheque is made)
- Introduction of Solar Power and LED lights at Bank owned premises
- Bank owns 148 properties in India and 2 properties in Singapore.
- Bank has put in place uniform policies for Premises Expenditure, Purchases Contracts, Printing and Stationery, Air-Conditioning, Auto mobiles, Telephone / Cell Phone and has adopted the same at all branches / Zones

GREEN INITIATIVES

A. Solar Power and LED lighting

- Harnessing of Solar power to Corporate Office, this is already under Green Building (Gold Rating Status). By adopting alternatives sources of energy, as a public Sector Bank the Bank has joined hands with other entity to form Green India.
- Expanding the Solar Power Plant installation network in Bank's own building, wherever technically feasible, to

- बैंक के अपने निजी मकानों में सौर्य ऊर्जा प्लांट संस्थापन नेटवर्क को बढ़ाते हुए जहां कहीं तकनीक रूप से व्यवहार्य हो, वहाँ सम्पूर्ण वार्षिक व्यय में ऊर्जा खपत में 4–5 प्रतिशत तक कम करने की अपेक्षा है।

- एलईडी लैम्प का प्रयोग करते हुए लाइटिंग प्रणाली में नई प्रद्योगिकी उत्पादों को अपनाया गया है।

- नई शाखाओं को एलईडी लाइटिंग से ऊर्जागर किया गया है।

- विद्यमान शाखाओं में लाइटिंग चरण–बद्ध तरीके से परिवर्तन किए जा रहे हैं। वर्तमान में 783 शाखाओं/कार्यालयों में एलईडी लाइटिंग उपलब्ध की गई है।

बी. अन्य हरित पहल :

- शाखाओं और कार्यालयों के लिए ऊर्जा लेखा परीक्षा का आयोजन किया जाता है।

- शाखाओं और कार्यालयों में एयर–कंडीशनर्स के ऑटो–कट–ऑफ के लिए टैमर्स का प्रावधान किया गया है, हार्मोनिक फिल्टर्स के संस्थापन तथा स्टार रेट किए गए इलेक्ट्रिकल उपकरणों के प्रयोग से काफी हद तक बिजली की खपत में कमी आई है।

इंड एएस कार्यान्वयन की स्थिति:

- इंड एएस के सुचारु कार्यान्वयन के लिए बैंक ने सलाहकार के रूप में मैसर्स डेलाइट हास्किंस एंड सेल एलएलपी नियुक्त किया है। बैंक ईसीएल/ईआईआर कम्प्यूटेशंस इत्यादि के लिए इंड एएस के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।

- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, दिनांक 11.02.2016 के पत्र डीबीआर.बीपी.76/21.07.001/2015–16 के जरिए, बैंक 1 अप्रैल 2018 से शुरु होनेवाली लेखा अवधि के लिए स्टेंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण के लिए 31 मार्च 2018 को समाप्त होनेवाली पूर्ववर्ती अवधि के तुलनात्मक आंकड़े के साथ इंड एएस का अनुपालन करेगा। आगे, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंको को 30.09.2016 को समाप्त होनेवाले अर्ध वर्ष के लिए 01.04.2016 की ट्रंजीशन तिथि के साथ इंड एएस के अनुसार वित्तीय विवरण प्रोफार्मा तैयार कर उसे भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपने की सलाह दी थी।

- पूर्व में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30.09.2016 को समाप्त अर्ध वर्ष के लिए इंड एएस के अनुसार वित्तीय विवरणियों का प्रोफार्मा, 01.04.2016 को परिवर्तन तारीख हेतु तैयार करने के लिए सूचित किया है तथा उसे तैयार कर भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार 30.06.2017 को समाप्त तिमाही के लिए इंड एस के वित्तीय विवरण का प्रोफार्मा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया गया।

- तत्पश्चात आरबीआई द्वारा सलाह दी गई कि बैंक, 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही से शुरू होने वाले प्रत्येक तिमाही के लिए प्रोफार्मा इंड एएस वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें। बैंक उसी का अनुपालन कर रहा है।

- दिनांक 22 मार्च 2019 को भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिसूचना संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी सं.29 / 21.07.001 / 2018–19 के अनुसार, इंड एएस कार्यान्वयन को आगामी सूचना तक टाल दिया गया है।

आंतरिक नियंत्रण

- वर्ष के दौरान 2069 शाखाओं में जोखिम आधारित लेखापरीक्षा (आरबीआईए) की गई है।

- संगामी/आंतरिक लेखापरीक्षा के अधीन 596 शाखाओं को कवर करते हुए 31.03.2019 तक कुल देशी जमाओं के 56.23 प्रतिशत और देशी अग्रिमों के 68.47 प्रतिशत को कवर किया गया। कुल मिलाकर, संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत 61.50 प्रतिशत देशी व्यापार को कवर किया गया।

- जोखिम आधारित संगामी लेखा परीक्षा 01.04.2013 से जारी है।

- आरबीआईए व संगामी लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, आय रिसन को पहचानने के लिए ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक के व्यापार एक्सपोजरवाली 2536 शाखाओं को कवर करनेवाली राजस्व लेखापरीक्षा की गई।

- समीक्षा वर्ष के दौरान 41 अंचलों की प्रबंधन लेखापरीक्षा की गई और अनुपालन हेतु कार्रवाई आरम्भ की गई।

- समीक्षा की अवधि में सूचना एवं संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में आधारभूत संरचना की सूचना प्रणाली (आईएस) –सीबीएस अप्लिकेशन सूट, डेटासेंटर व सीबीएस परियोजना कार्यालय की लेखापरीक्षा भी बाहरी फर्म द्वारा की गई। ग्राहकों के सम्मुख अनुप्रयोगों के नियंत्रण प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए स्विफ्ट परिचालनों की सुरक्षा लेखापरीक्षा तथा एटीएम स्विच की विशेष लेखापरीक्षा भी बाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई।

- दैनिक आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई हेतु शाखाओं को सुग्राही बनाने के लिए बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय एवं अंचल कार्यालयों में द्विस्तरीय रूप से ऑफसाइट निगरानी कार्यक्रम चलाए गए।

- निरीक्षकों को आधुनिकतम गतिविधियों से अवगत कराने और उनके रिपोर्टिंग कौशल को निखारने हेतु अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए।

- सुव्यवस्थित संशोधनों के लिए धोखाधड़ी, समाविष्ट पहचान, वर्गीकरण, रिपोर्टिंग, जांच, मानीटरिंग तथा अनुवर्ती कार्रवाई, संवरण, धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए निगरानी, नकली डेटा का एकत्रीकरण तथा डेटा विश्लेषण से संबन्धित सभी गतिविधियों को समन्वित करने की प्रमुख जिम्मेदारी के साथ निरीक्षण विभाग के अंतर्गत धोखाधड़ी विरोधी कक्ष कार्यरत है।,

अनुपालन

- बैंक की अनुपालन नीति बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में उप महाप्रबंधक के नेतृत्व में एक स्वतंत्र अनुपालन विभाग स्थापित किया गया है। यह विभाग बैंक के कार्यों को अधिशासित करनेवाले विभिन्न सांविधिक एवं विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करता है, यथा:

    - ➢ विधानों जैसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, धन–शोधन निवारण अधिनियम आदि।

reduce the annual overall expenditure on Energy consumption by about 4 to 5 percent.

- Adopting new technological products in the illumination systems by using LED lamps in the interior lighting systems
- New branches illuminated with LED lighting only.
- Lighting in existing branches being replaced in a phased manner. Presently 1050 branches / Offices are provided with LED lighting.

B. Other Green Initiatives

- Conduct of Energy Audits periodically for branches and offices.
- Provision of timers for auto cut off of Air Conditioners installed at branches and Offices, installations of harmonic filters and usage of Star rated electrical appliances have considerably reduced the consumption of electricity.

STATUS OF IND AS IMPLEMENTATION

- Bank has appointed M/s Deloitte Haskins & Sells LLP Bangalore as consultant for smooth implementation of Ind AS and the implementation is in progress.
- As per the directions of RBI vide their letter DBR.BP.BC.No.76/21.07.001/2015-16 dated 11.02.2016, Banks shall comply with Ind AS for standalone and consolidated financial statements for accounting periods beginning from April 1, 2018 onwards with comparative figures for the preceding period ending March 31, 2018
- Earlier, RBI had advised the Banks to prepare Proforma Financial Statements as per Ind As for the half year ended 30.09.2016 with transition date as 01.04.2016 and the same was prepared and submitted to RBI. Similarly proforma Ind As financials for the quarter ended 30.06.2017 was also submitted to RBI
- Subsequently, RBI advised that Banks shall submit proforma Ind AS financial statement for every quarter starting from quarter ending 30th June 2018 onwards. Bank is complying with the same.
- As per RBI notification DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/ 2018-19 dated 22-March-2019, Ind AS implementation has been deferred till further notice. However, quarterly submission of proforma Ind AS financials is being continued.

Internal Controls

- During the year, Risk Based Internal Audit (RBIA) was carried out in 2069 branches.
- 596 branches were covered under concurrent audit, covering 56.23 per cent of total domestic deposits and 68.47 per cent of domestic advances as on 31.03.2019. Overall, 61.50 per cent of domestic business was covered under Concurrent Audit.
- Risk based Concurrent Audit is in vogue from 01.04.2013.
- Revenue Audit covering 2536 branches with business exposure of ₹10 Cr and above was carried out to identify leakage of income, if any, in addition to RBIA and Concurrent Audit.
- Management Audit of 41 Zonal Offices was conducted during the year under review and followed up for compliance.
- Information System (IS) Audit of Information & Communication Technology (ICT) infrastructure – CBS application suite, data centre and CBS project office was carried out by an external audit firm during the period of review. Special audit of ATM switch were conducted by external auditors in order to ensure control effectiveness of customer facing applications.
- Offsite monitoring activities were carried out in the Bank on a two tier setup at Corporate Office and Zonal Offices to sensitize the branches for corrective action on a daily basis.
- Separate program for inspectors was conducted during the year to make them familiar with the latest developments and to develop their reporting skills.
- The Anti Fraud Cell functions under Inspection Department with the predominant responsibility of co-ordinating all activities related to fraud, comprising identification, classification, reporting, investigation, monitoring and follow-up, closure, surveillance for fraud prevention, pooling of fraud data and analysis of the data for systemic improvements.

Compliance

- The Bank's Compliance Policy has been duly approved by the Board. In accordance with the Reserve Bank of India guidelines, an independent Compliance Department headed by a Deputy General Manager has been set up in the Bank. The Department monitors adherence to various statutory and regulatory guidelines governing the Bank's functioning such as:
  - ➢ Various legislations viz. Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, Prevention of Money Laundering Act etc

- भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक एवं विकास एजेंसी आदि द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देश।

- भारतीय बैंक संघ, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डीलर्स एसोसिएशन आदि जैसी उद्योग संघों द्वारा निर्धारित स्वैच्छिक मानक एवं कोड और,

- परिपत्रों, मैनुअलों के जरिए जारी बैंक की आंतरिक नीतियां, आचरण कोड, दिशानिर्देश आदि।

सतर्कता

बैंक के सतर्कता प्रशासन हेतु सतर्कता विभाग उतरदायी है। सतर्कता प्रशासन पर, विभाग केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा निदेशित किया जाता है तथा सीवीसी के साथ परामर्श करने के लिए संपर्क के एकल स्थान की भूमिका निभाता है।

विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं जिन्हें इस पद हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। धोखाधड़ी और सतर्कता से संबंधित मामलों के संबंध में आरबीआई/ सीबीआई/सीवीसी/सरकार के साथ संबंध स्थापित करने के लिए सीवीओ नोडल अधिकारी है।

अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले में सहायक महाप्रबंधक और इससे ऊपर के सभी अधिकारी सीवीसी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सभी अवार्ड – स्टाफ कर्मचारिया तथा सहायक महाप्रबंधकों के पद से नीचे के अधिकारियों को शामिल कर सतर्कता अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में सीवीओ सलाह प्रस्तुत करता है। सीवीसी स्केल ट एवं उसके ऊपर के अधिकारियों के तथा ऐसे समग्र मामलों में चरण बद्ध सलाह (सतर्कता मामलों) देता है। सीवीओ सतर्कता मामलों के संबंध में आयोग के दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करता है।

विभाग केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुरूप सभी सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों को निपटाने, बैंक के भीतर निवारक सतर्कता पहलों पर ध्यान देने के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। सतर्कता शिकायतों और धोखाधड़ी की जांच बैंक के विभिन्न अंचल कार्यालयों में स्थित सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से की जाती है।

प्रशिक्षण कार्यकर्मों का आयोजन :

वर्ष के दौरान उपस्थित अधिकारियों / पूछताछ अधिकारियों, सतर्कता अधिकारियों और अनुशासनात्मक अधिकारियों / उप–अंचल अधिकारियों के लिए तीन विशेष इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और सतर्कता के सभी पहलुओं तथा बैंक में निवारक सतर्कता के महत्व को भी कवर किया गया।

केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त द्वारा विशेष व्याख्यानों के जरिये 05.07.2018 और 06.07.2018 को विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/ दक्षिणी भारत के पीएसबी / पीएसई के सीवीओ के लिए कार्यशाला आयोजित की गई।

सीवीसी ने 08.02.19 को दक्षिण आधारित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा निवारक सतर्कता पहलों पर आंध्र बैंक, हैदराबाद में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया। सेमिनार में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुख्य सतर्कता अधिकारी ने भाग लिया। बंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बैंक द्वारा किए गए विभिन्न निवारक सतर्कता पहलों और बैंक में कुछ नए निवारक सतर्कता उपायों को लागू करने के लिए रोडमैप पर पीपीटी प्रस्तुत किया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2018:

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 29/10/2018 से 03/11/2018 तक मनाया गया। कार्यक्रम का विषय था ष्भ्रष्टाचार मिटाओ – नया भारत बनाओंष्। प्रत्येक ग्रामीण और अर्ध–शहरी शाखा ने भ्रष्टाचार को मिटाने और नए भारत के निर्माण की आवश्यकता पर आम जनता को जागरूक करने के लिए "जागरूकता ग्राम सभा" का आयोजन किया। ऐसी सभाओं में जनता के लिए उपलब्ध शिकायत निवारण विकल्पों को समझाया गया। आयोग द्वारा नागरिकों / संगठनों को निर्धारित सत्यनिष्ठा शपथ दिलाई गई। सत्यनिष्ठा की शपथ ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने वाले लोगों को भी दिलाई गई।

केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह के अनुसार, देश भर के कई महानगरीय / शहरी और अर्ध–शहरी केंद्रों में आउटरीच गतिविधियों का आयोजन किया गया था। चेन्नई, कोयम्बटूर, गुंटूर, मदुरै, पुदुचेरी, सलेम, तिरुचिरापल्ली और तिरुनेलवेली (8 केंद्र) में स्थित चुनिंदा कॉलेजों और स्कूलों (कक्षा नौवीं और उससे ऊपर के छात्रों के लिए) में अतिथि व्याख्यान, चर्चा, पैनल चर्चा, योग और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह के विषय को बड़े पैमाने पर फैलाने के लिए आयोग द्वारा बैंक को आबंटित किया गया था। भ्रष्टाचार और इसके दुष्प्रभाव, नैतिकता और मूल्यों का महत्व, ईमानदारी और अखंडता, नैतिकता, शासन में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार का उन्मूलन और एक नए भारत के निर्माण से संबंधित विभिन्न विषयों को इन आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से प्रसारित किया गया था। सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडबल्यू) के दौरान गांवों सहित कई अन्य ग्रामीण / अर्ध शहरी केंद्र पैन–इंडिया में विभिन्न लोक कला कार्यक्रमों के अलावा बैंक, चेन्नई, कुंभकोणम, कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली में मानव श्रृंखला, वॉकथॉन, साइकिल रैलियां आयोजित की गई।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2018 के विषय पर एक संगोष्ठी बैंक की प्रशिक्षण अकादमी (इमेज) में आयोजित की गई, जिसमें चेन्नई शहर की शाखाओं / अंचल कार्यालय और कॉर्पोरेट कार्यालय / प्रधान कार्यालय के सभी अधिकारियों ने भाग लिया।

सुरक्षा

- सुरक्षा प्रबंधन तेजी से उन्नति और परिष्कार के दौर से गुजर रहा एक विशाल और जटिल क्षेत्र है, जबकि तकनीकी वावचारों के लिए निरंतर अनुकूल है। हमारे बैंक में, यह मुख्य रूप से जनशक्ति आधारित है और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपकरणों के मिश्रण के साथ हासिल किया गया है। मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर रिलायंस ने बैंक के परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी है क्योंकि मानव गार्डों के माध्यम से न केवल समय लेने, अक्षम और अविश्वसनीय हो गए हैं, बल्कि संशोधित श्रम नियमों के कारण एक महंगा संसाधन बन गया है।

- Regulatory guidelines issued by Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Agency etc.
- Voluntary standards and codes prescribed by industry Associations such as Indian Banks' Association, Foreign Exchange Dealers' Association of India, Fixed Income Money Market Dealers Association etc. and
- Bank's internal policies, codes of conduct, guidelines etc. issued by way of Circulars, Manuals etc.

Vigilance

Vigilance department is responsible for vigilance administration of the Bank. The department is guided by Central Vigilance Commission (CVC)/DFS/RBI guidelines on Vigilance Administration and is the single point of contact for consultations with CVC on vigilance matters. The Department is headed by Chief Vigilance Officer (CVO) who is appointed to the post by Government of India on the recommendations of Central Vigilance Commission(CVC). CVO is the nodal Officer to liaise with RBI/CBI/CVC/Government in respect of vigilance related matters in the Bank.

All officers of the rank of Assistant General Manager and above come within the jurisdiction of CVC in the matter of disciplinary proceedings. CVO tenders advice as to the nature of disciplinary proceedings in respect of Officers below the rank of Assistant General Managers. CVC tenders the stage advices (vigilance cases) in respect of officers in scale V and above and also in composite cases. CVO ensures adherence of Commission's guidelines in respect of vigilance cases.

The department is functioning in a proactive manner, with a focus on preventive vigilance initiatives within the Bank, disposing of all vigilance disciplinary cases in line with the Central Vigilance Commission's guidelines. Investigations of vigilance complaints and frauds are undertaken through Vigilance Officers located in the various Zonal offices of the Bank.

Training programmes conducted

Three exclusive in-house training programs were held for the Presenting Officers/Inquiring Authorities, Vigilance Officers and Disciplinary Authorities/Deputy Zonal Mangers during the year covering all the aspects of vigilance and also on the importance of preventive vigilance in the Bank.

Workshop for CVOs of various Public Sector Enterprises/PSBs/PSEs of Southern India was held at Bank's training academy (IMAGE) on 05.07.2018 & 06.07.2018 with special addresses by Central Vigilance Commissioner & Vigilance Commissioner.

CVC conducted a one day seminar at Andhra Bank, Hyderabad on the Preventive Vigilance initiatives by South Based Public Sector Banks on 08.02.2019. The seminar was attended by Managing Director & Chief Executive Officer and Chief Vigilance Officer. MD & CEO presented a power point on various preventive vigilance initiatives undertaken by the Bank and also on the roadmap for implementing a few new Preventive Vigilance measures in the Bank.

Vigilance Awareness Week 2018

Vigilance Awareness Week was observed from **29/10/2018 to 03/11/2018.** The theme of the programme was **"Eradicate Corruption – Build a New India".** Every rural and semi-urban branch organized **"Awareness Gram Sabhas"** to sensitize the masses on the need to eradicate corruption and build New India. Grievance redressal options available to the public were explained in such gatherings. The Integrity pledge as set by the Commission was administered to Citizens/ Organisations. The Integrity pledge was administered en masse to the participants of the Gram Sabha meet.

As per the advice of the Central Vigilance Commission, outreach activities were organised in many metropolitan /urban and semi-urban centres all across the country. Guest lectures, debates, panel discussions, elocution and essay competitions were organised in select colleges and schools (for students of class IX & above) located in Chennai, Coimbatore, Guntur, Madurai, Puduchery, Salem, Tiruchirapalli and Tirunelveli (8 centres) which were allotted to the Bank by the Commission for spreading the theme of the Vigilance Awareness Week extensively. Various topics relating to corruption and its ill effects, importance of morals and values, honesty and integrity, ethics, transparency in governance and how to eradicate corruption and build a new India was disseminated through these outreach activities. Human Chains, Walkathons, Cycle rallies were conducted by the Bank at Chennai, Kumbakonam, Coimbatore and Tiruchirapalli apart from holding various Folk art programs at many other rural/semi urban centres PAN-INDIA including villages during the Vigilance Awareness Week (VAW).

A seminar on the theme of VAW 2018 was conducted at the Bank's training academy (IMAGE) wherein all the executives of Chennai city branches/Zonal office and Corporate Office/Head Office participated.

SECURITY

- Security Management is a vast and complex field undergoing rapid advancement and sophistication while continuously adapting to technological innovations. In our Bank, it is mainly manpower oriented and achieved along with a mix of modern electronic security gadgets. Reliance on machines and electronic gadgets has increased as protection of Bank's premises through human guards have not only become time consuming, inefficient and unreliable but have become a costly resource due to revised Labour regulations.

- बैंकिंग उद्योग एक आकर्षक लक्ष्य है और इसमें असामाजिक तत्वों द्वारा लक्षित होने वाला एक अंतर्निहित जोखिम है। अपराधी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगातार नए और परिष्कृत / उन्नत तकनीकों को अपनाते हैं उदाहरण के लिए, गैस कटर / न्युमेटिक ड्रिल / डेलाइट सशस्त्र डकैती / ट्रेन सेंधमरी आदि। आधुनिक दिनों के परिदृश्य में निष्क्रिय सिस्टम की आवश्यकता के बजाय सक्रिय सुरक्षा समाधान पर निर्भरता को दोहराया जाना ज़रूरी है।

- हमारी संपत्ति की सुरक्षा करने का कठिन काम सभी हितधारकों की सामूहिक जिम्मेदारी बन गया है। बैंक के शाखाओं और एटीएम को हाई–डेफिनिशन सीसीटीवी कैमरा, नेटवर्क वीडियो रिकार्डर, अत्याधुनिक बर्गलर और ऑटो–डायलर के साथ फायर अलार्म सिस्टम प्रदान किए जाते हैं। आग के खतरों के जोखिम को रोकने / कम करने के लिए सर्वर कमरों में स्वचालित अग्निशामक यंत्र स्थापित किए जाते हैं।

- भारतीय रिर्जव बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की सभी मुद्रा तिजोरी में दो वर्ष में एक बार आग और माक निकासी अभ्यास आयोजित किये जाते हैं । बैंकों के कैश वैनों में जीपीएस आधारित ट्राकिंग उपकरण प्रतिस्थापित किये गये हैं। देश भर के सभी एटीएम में 24x7 इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस (ई–सर्विलेंस) लागू की गई है।

- अनावश्यक घटनाओं के कारण सुरक्षा उपकरणों के अतिरिक्ता और अप्रचलन पर काबू पाने के लिए समय–समय पर कॉर्पोरेट ऑफिस में मुख्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में विभाग द्वारा मौजूदा सुरक्षा प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाती है। बाजार में उपलब्ध नवीनतम तकनीकी सुरक्षा प्रणालियों, उपकरणों और तंत्रों का व्यापक अध्ययन किया जाता है, निष्पादन का मूल्यांकन के बाद संभाव्यता के अनुसार बैंक की शाखाओं में सिस्टम का उन्नयन / प्रतिस्थापित / शुरुआत किया जाता है। इसके अतिरिक्त आईबीए और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समयदृसमय पर सुरक्षा व्यवस्था के बारे में सिफारिशें और दिशानिर्देश को भी बैंकों / एटीएम / मुद्रा तिजोरियों में कार्यान्वित किया जाता है।

- सुरक्षा प्रबंधन परिचालन जोखिम प्रबंधन का एक हिस्सा है। समय की मांग में गतिशीलता और नए पर्यावरण को स्वीकार करने की क्षमता है। शवित्तीय जोखिमश के विपरीत, बैंक की आस्तियों के लिए फिजिकल जोखिम आसानी से पहचाने जाने योग्य होते हैं और प्रभावी सुरक्षा प्रणालियों के द्वारा इसे रोका जा सकता है। शाखाओं और कार्यालयों के जोखिम मूल्यांकन कमजोरी और खतरे की धारणा पर आधारित हैं। जहां भी लागू हो, समय–समय पर कमजोरी पुनर्मूल्यांकन और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए दिशा–निर्देशों के अनुसार हर 3 सालों में व्यापक मूल्यांकन और जोखिम मूल्यांकन किया जाता है।

- संबंधित अंचलों में सुरक्षा अधिकारी द्वारा क्षेत्र स्तर पर विभाग का समर्थन किया जाता है जो शाखाओं / एटीएम / मुद्रा तिजोरियों पर बैंक की दिशा–निर्देश / अनुदेश / नीति की कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत हैं। प्रतिकूल घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से निरीक्षण के दौरान पाई गईं विसंगतियों/कमियों को दूर कर शाखा/एटीएम पहलुओं को मजबूत बनाया जाता है।

- अंचल सुरक्षा अधिकारी वर्ष में एक बार में सभी शाखाओं / एटीएम के सुरक्षा निरीक्षण करते हैं और विभिन्न स्तरों – शाखा, आंचलिक और कॉर्पोरेट कार्यालय पर एक साथ खपत के लिए रिपोर्ट ऑन लाइन मोड में अपलोड की जाती हैं। मुद्रा तिजोरी का निरीक्षण तिमाही आधार पर किया जाता हैं।

- सभी शाखाओं / प्रशासनिक कार्यालयों की विद्युत लेखापरीक्षा वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है और रिपोर्ट में टिप्पणियों को संबंधित अंचल कार्यालयों की सहमति के साथ शाखा स्तर पर सुधारा जाता है।

- बैंक के हरित पहल को सशक्त बनाने के लिए – निरीक्षण की प्रगति की निगरानी करने के लिए विद्युत लेखा परीक्षा की रिपोर्ट अपलोड करने, टिप्पणियों को सुधारने के लिए और जहां भी आवश्यक हो सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु एक न सॉफ्टवेयर वार्षिक "विद्युत लेखा परीक्षा" का प्रवर्तन किया गया है ।

- प्रत्येक वर्ष सुरक्षा अधिकारियों हेतु एक वार्षिक प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। अधिकारियों को नवीनतम तकनीकी प्रगति और सर्वोत्तम अभ्यास को शाखाओं में कार्यान्वित करने के संबंध में अद्यतन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष, सशस्त्र गार्डों के लिए लाइव फायरिंग प्रेक्टिस आयोजित की जाती है।

- राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय सुरक्षा समिति एवं स्थायी सुरक्षा समिति बैठकों के दौरान मुख्य रूप से चर्चा किए गए सुरक्षा पहलुओं को संबन्धित अंचल कार्यालयों को दिए जाते हैं और इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

- आस्ति संरक्षण उपायों को पालन किया गया तथा बैंक आस्तियों की सुरक्षा हेतु नकद प्रेषण के दौरान सुरक्षा उपायों का पालन किया गया। एहतियात और रोकथाम एक सूक्ति है जिसे उपलब्ध करने के लिए विभाग प्रयास करता है। उन सुरक्षा अधिकारियों के लिए जो पहले में भारतीय सशस्त्र सेवा में कार्यरत थे – बैंक के हितों की रक्षा करना उनकी प्रमुख चिंता का विषय है।

सॉवरेन गोल्ड बांड्स

- वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 06 साप्ताहिक ट्रांचों में ₹ 24.36 करोड़ की वसूली की गई, वह निम्नप्रकार है :

(₹ लाखों में)

शृंखला	जारी करने की अवधि		राशि
I	अप्रैल	16-20, 2018	2.79
II	अक्टूबर	15-19, 2018	4.80
III	नवंबर	05-09, 2018	8.38
IV	दिसंबर	24-28, 2018	2.39
V	जनवरी	14-18, 2019	1.74
VI	फरवरी	04-08, 2019	4.26
कुल			**24.36**

- **सुकन्या समृद्धि** : वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 2839 नये खातों को खोला गया, अब उसकी कुल संख्या 8970 है। वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान ₹ 27.70 करोड की राशि वसूल की गई तथा कुल संचयी राशि ₹ 65.26 करोड है।

- The Banking Industry is a lucrative target and has an inherent risk of being targeted by anti-social elements. Criminals are constantly adopting new and sophisticated techniques e.g., gas cutters/pneumatic drills/daylight armed dacoity /train heists etc. to achieve their objectives. It is needless to reiterate that dependency on active security solutions rather than passive systems are required in modern day scenario.

- The arduous task of securing our assets has become a collective responsibility of all stakeholders. Branches and ATMs of the Bank are provided with High Definition CCTV Cameras, Network Video Recorders, State-of-the-art Burglar and Fire Alarm systems with auto-dialers. Automatic Fire Extinguishers are installed in the server rooms to avert/ mitigate the risk of fire hazards.

- Fire and Mock evacuation drills are conducted once in two years in all Currency chests as per RBI guidelines. GPS Based tracking devices have been installed in all Bank's Cash Vans. 24 x 7 Electronic Surveillance (e-Surveillance) in all ATMs across the country.

- To overcome redundancy and obsolescence of security gadgets leading to untoward incidents, review of the existing security systems and procedures are periodically undertaken by the Department headed by Chief Security Officer at Corporate Office. The latest technical security systems, devices and mechanisms available in the market are comprehensively studied, assessed for performance and systems upgraded/replaced/introduced in branches of the Bank as per feasibility. Additionally, recommendations and guidelines on security arrangements in Banks/ATMs/Currency Chests as and when prescribed by IBA and RBI are also implemented.

- Security Management is a part of Operational Risk Management. The need of the hour is dynamism and capacity for adaptation to a new environment. Unlike 'Financial Risks' the physical risks to Bank's assets are easily identifiable and preventable by effective security systems. Risk Assessment of the branches and offices are based on vulnerability and threat perception. Comprehensive evaluation and risk assessment is carried out once every 3 years as per guidelines so as to periodically reassess the vulnerability and enhance security measures, wherever applicable.

- The Department is supported at the field level by Security Officers (Ex – Servicemen) at respective Zones who are pivotal in ensuring that the guidelines/instructions/ policy of the Bank are implemented at the Branches/ ATMs/Currency Chests. Deficiencies/shortcomings observed during the inspection are followed up for rectification to strengthen the security aspects of the Branch/ATM with the objective of preventing untoward incidents.

- Zonal Security Officers conduct Security inspection of all Branches/ATMs once a year and reports are uploaded in an ONLINE mode for simultaneous consumption at various levels – Branch, Zonal & Corporate Office. Currency Chests are inspected on a quarterly period.

- Electrical Audit of all Branches/Administrative Offices are conducted once a year and observations of the report are rectified at the Branch level with the concurrence of the respective Zonal offices.

- Empowering the Bank to Go Green – A new software "Annual Electrical Audit" has been introduced for uploading the reports of Electrical Audit to monitor the progress of inspection, rectify observations and take corrective action wherever necessitated.

- Annual Training of Security officers is carried out once a year. The Officers are updated with latest technological advancement and best practices for implementing the same in Branches. LIVE firing practice is conducted for armed guards, every year.

- Security aspects are highlighted during the State Level, District Level Security Committee and Standing Security Committee Meetings and the same disseminated to respective Zones and compliance ensured.

- Bank has adhered to asset protection measures and followed procedural safe guards during cash remittance for safety of Bank's assets. Precaution and Prevention is an adage that the Department strives to achieve. For the Security Officers who have formerly served in the Indian Armed Services - protecting the interests of the Bank is their prime concern.

Sovereign Gold Bonds

- An amount of ₹ 24.36 Cr was collected in 6 weekly tranches during the Financial Year 2018-19 as follows:

Series	Issue Period	Amount (₹ in Cr.)
I	April 16-20, 2018	2.79
II	October 15-19, 2018	4.80
III	November 05-09, 2018	8.38
IV	December 24-28, 2018	2.39
V	January 14-18, 2019	1.74
VI	February 04-08, 2019	4.26
Total		**24.36**

- **Sukanya Samriddhi:** 2839 new accounts were opened during the Financial Year 2018-19, taking the total number of accounts to 8970. The amount collected during the financial year 2018-19 was ₹ 27.70 Cr and the cumulative amount collected was ₹ 65.26 Cr

- **लोक भविष्य निधि** : वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान पीपीए के अधीन संचयी वसूली ₹ 184.63 करोड़ तक बढ़ गई तथा 35794 खातों से पीपीएफ खाते में शेष ₹ 1514.58 करोड़ रही।

कारोबार विकास

प्रत्यक्ष विपणनः

विपणन अधिकारियों द्वारा लगभग ₹ 900 करोड कारोबार कैनवास किया गया।

अभियान

डिजिटल विपणन अभियान के माध्यम से एचएल / वीएल और एमएसएमई ऋण हेतु लीड का सृजन

आईबी आवास ऋण फेस्टिव ऑफर, वाहन ऋण और एमएसएमई ऋण के लिए डिजिटल मार्केटिंग अभियान चलाया गया।

ब्रांड निर्माण अभियान

इंडियन बैंक मास्टरकार्ड डेबिट कार्ड पर नकद पुरस्कार अभियान

इंडियन बैंक मास्टरकार्ड डेबिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए शीर्ष व्यय / नकद पुरस्कार अभियान किया गया था। अभियान की अवधि 29 दिसंबर 2018 से 27 जनवरी 2019 तक कुल 30 दिन की थी तथा कुल 1450 ग्राहकों को पुरस्कृत किया गया।

दूरदर्शन पर श्रृंखला हेतु बैंक के प्रयोजन (एवेन्यू ऑफ़ एक्सीलेंस) :

दूरदर्शन के राष्ट्रीय टेलीविजन ने एक शिक्षा श्रृंखला श्एवेन्यू ऑफ़ एक्सीलेंसश (उच्च शिक्षा) प्रदर्शित किया, जिसके माध्यम से केंद्रीय / राज्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों ने अपने परिसर और सुविधाओं का प्रदर्शन किया। इस अवसर का उपयोग बैंक का प्रचार करने के लिए किया गया, टीवी कमर्शियल बनाए और प्रदर्शित किए गए।

सोशल मीडिया पर कार्य स्पर्धा

बैंक के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अधिक लोगों को शामिल करने के लिए सोशल मीडिया चैनलों पर वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान दस प्रतियोगिताओं को डिजाइन और निष्पादित किया गया था। दर्शकों तक पहुंचने और उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट को बढ़ावा दिया गया ।

सोशल मीडिया पर ब्रांड प्रबंधन

- बैंक के आधिकारिक फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन हैंडल प्रबंधित किए गए, विज्ञापन परामर्शी शिक्षण एवं सामान्य सूचनाएँ प्रचारित किए गए ।
- फेसबुक अकाउंट मई 2018 के दौरान सत्यापित किया गया था और इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट क्रमशः सितंबर 2018 और दिसंबर 2018 के दौरान सत्यापित किए गए।

प्रतिक्रिया प्रबंधन और ऑनलाइन प्रतिष्ठा प्रबंधन (ओआरएम)

स्टेकहोल्डिंग कार्यालयों के माध्यम से प्रश्नों को संबोधित किया और संकल्प को सुगम बनाया।

रेडियो अभियान

प्रचार और विज्ञापन के भाग के रूप में, आवास ऋण और वाहन ऋण, कासा एवं कैश बैक अभियान को बढ़ावा देने के लिए एफएम रेडियो चैनल का उपयोग किया गया ।

सम्प्रेषण चैनल

आईवीआर कॉल सेंटर

बैंक के 24x7 कॉल सेंटर सेवाओं से संबन्धित प्रश्नों, शिकायतों, कार्डों की हॉट–लिस्टिंग, आदि सेवाएँ प्रदान करता है।

इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सुविधा (आईवीआर) जल्द ही शुरू की जाएगी ।

नवीन वेबसाइट

संशोधित वेबसाइट को सितंबर 2018 से शुरू किया गया है। सौंदर्य, नेविगेशन, डिवाइस अनुकूलनशीलता आदि वेबसाइट के सभी क्षेत्रों में सुधार किया गया है। इसके अतिरिक्त, बाजार की सुविधाएँ आदि जैसी नवीन सुविधाएँ भी जोड़ी गई हैं। वेबसाइट के ट्रैफ़िक और अन्य आँकड़ों को मापने के लिए वैश्लेषिकी को भी तैनात किया गया है।

इंडियन बैंक के आधिकारिक न्यूज़लेटर की शुरुआत– "इंड नव्या"

फरवरी 2019 के दौरान, बैंक के आधिकारिक ई–न्यूज़लेटर ष्इंड नव्याष एक मासिक समाचार पत्र की शुरुआत हमारे मौजूदा और भावी ग्राहकों को बैंक के ग्राहक–केंद्रित पहलों और नए उत्पादों और सेवाओं, सुविधाओं, प्रचार प्रस्तावों, अभियानों की शुरुआत, उपलब्धियों, नेटवर्क विस्तार, घटनाओं, सरकार के निर्देश, आदि जैसे घटनाक्रमों से अपडेट रखने के लिए की गयी । यह ई–मेल के माध्यम से भेजा जाता है और बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाता है। अब तक इसके 3 अंक जारी किए गए हैं।

समारोह आयोजन :

वार्षिक आम बैठक, ग्राहकों की बैठक, संपत्ति मेला आदि सहित कई कार्यक्रमों का प्रबंधन किया गया।

ईटी पुरस्कार समारोह (फरवरी 2019) :

पहली बार, बैंक शीर्ष भागीदार के रूप में एकनॉमिक टाइम्स के साथ ईटी कॉर्पोरेट पुरस्कार – तमिलनाडु 2019 के उद्घाटन संस्करण से जुड़ा था। पुरस्कारों द्वारा तमिलनाडु के सर्वश्रेष्ठ कंपनियों को कुछ प्रमुख मापदंडों के आधार पर मान्यता दी गई।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (मार्च 2019) पर महिलाओं का सम्मान

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, चेन्नै में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान प्रशासन, नृत्य, चिकित्सा, संगीत, खेल, सामाजिक कार्य और योग के क्षेत्र में

- **Public Provident Fund:** The cumulative collection under PPF accounts rose by ₹184.63 Cr during the Financial year 2018-19 and the cumulative balance in PPF accounts was ₹1514.58 Cr from 35794 accounts.

BUSINESS DEVELOPMENT

DIRECT MARKETING:

Total business of nearly ₹ 900 Cr was canvassed by Marketing Officers vertical.

CAMPAIGNS:

HL/VL and MSME Loan Leads Generation via Digital Marketing Campaign

Digital marketing campaign was conducted for IB Home Loan, Vehicle Loan and MSME Loan.

BRAND BUILDING CAMPAIGNS:

Cash Reward Campaign on Indian Bank Mastercard Debit Card :

Top Spender/Cash Reward Campaign for Indian Bank Mastercard debit card users was conducted. The period of the campaign was for 30 days from 29th December 2018 to 27th January 2019, 1450 customers were rewarded.

Bank's sponsorship to the series (Avenues of Excellence) on Doordarshan:

Doordarshan National Television ran an education series **'Avenues of Excellence' (Higher Education)'** through which Central/State universities and Higher Education Institutes showcased their campus & facilities. The opportunity was utilized for promoting bank by creating and running a TV Commercial.

Engagement Contests on Social Media:

Ten contests were designed and executed during FY 2018-19 on social media channels to promote and build awareness about the Bank and engage more people on social media platforms. Posts were promoted on Facebook and Instagram to reach audiences and encourage their participation

Brand Management on Social Media:

- Bank's Official Facebook, Twitter, YouTube, Instagram and LinkedIn handles were managed, disseminating information of promotional advisory, tutorial and general nature.

- Facebook account was verified during May 2018 and Instagram and Twitter Accounts were verified during September 2018 and December 2018 respectively.

Response Management & Online Reputation Management (ORM)

Also addressed queries and facilitated resolution through stakeholding offices.

Radio Campaign

As the part of promotion and advertisement, FM Radio Channels were used to promote Home Loan and Vehicle Loan, CASA and Cash back campaign.

COMMUNICATION CHANNELS:

IVR Call Centre

Bank's 24x7 Call Centre, services queries, complaints, hot-listing of cards, etc.

Interactive voice response facility (IVR) would be introduced shortly.

New Website :

The revamped website has been launched wef September 2018. Aesthetics, navigation, device adaptability and overall appeal of the website has been improved. Additionally, innovative features like market feed has also been added. Analytics has also been deployed to measure the traffic and other stats of the website.

Introduction of Indian Bank's Official Newsletter- "Ind Navya"

During February 2019, Bank's Official e-Newsletter "IND NAVYA", a monthly newsletter was launched to keep our existing and prospective customers updated with bank's customer-centric initiatives and developments like launch of new products and services, features, promotional offers, campaigns, achievements, network expansion, events, government directives, etc. It is sent to through e-mail and also made available at Bank's website. As on date, 3 issues have been released.

EVENT MANAGEMENT:

Multiple events were managed including AGM, Customers' Meet, Asset fair etc.

ET Award Event (February 2019):

As a first, **Bank was associated with Economic Times for the inaugural edition of 'ET Corporate Awards – Tamil Nadu 2019',** as the Title Partner. The awards recognized the best companies of Tamil Nadu across some key parametres.

Felicitation of Women achievers on International Women's Day (March 2019):

On the occasion of International's Women's Day, 12 Women Achievers were honoured for their outstanding contribution in the fields of administration, dance, medicine, music, sports,

उत्कृष्ट योगदान के लिए 12 महिला अचीवर्स को सम्मानित किया गया। इस आयोजन के दौरान उत्सव का एक वीडियो भी बनाया गया, जिसमें महिला केंद्रित योजनाओं, कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, सीएसआर गतिविधियों और कर्मचारी कल्याण उपायों के माध्यम से महिलाओं की सेवा और सशक्तिकरण के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया गया।

कॉर्पोरेट सम्प्रेषण

वाह्य सम्प्रेषण

- 2018 -19 के दौरान, बैंक ने ग्राहक केंद्रित उत्पादों के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचने के लिए विभिन्न गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया । उन्हें आम जनता के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं, उपलब्धियों और कल्याणकारी पहलों के बारे में भी अपडेट किया गया ।

- इमेज, चेन्नै के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को भव्य तरीके से मनाया गया । डॉ. वी शांता, अध्यक्ष, कैंसर संस्थान, चेन्नै, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी ।इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों की 12 महिलाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में विभिन्न स्थानों से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने भी भाग लिया।

- बैंक के 112वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन बैंक के प्रशिक्षण अकादमी (इमेज), चेन्नै में स्टाफ सदस्यों और ग्राहकों की सक्रिय भागीदारी के साथ एक भव्य तरीके से किया गया था।

- कई कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंस / बैठकें, विभिन्न अवसरों पर विशेष साक्षात्कार, जिसमें नई प्रौद्योगिकी उत्पादों का प्रक्षेपण, मेला, वित्तीय परिणाम और महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैसे सतर्कता जागरूकता सप्ताह, स्वच्छ भारत अभियान आदि का आयोजन किया गया। बैंक के 60 से अधिक विभिन्न कार्यक्रमों को मीडिया / प्रेस द्वारा पैन इंडिया स्तर पर कवर किया गया ।

- बैंक ईटी नाउ, बीटीवीआई, सीएनबीसी टीवी 18 समूह, थांथी टीवी, सन टीवी, पुथियाथलेमई टीवी, न्यूज 7, न्यूज 18, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस लाइन, द इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, द्वारा व्यापक रूप से कवर किया गया था। फाइनेंशियल एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक थांथी, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दीनमणी, आदि विभिन्न अवसरों के दौरान जैसे कि वित्तीय परिणाम घोषित करने के लिए प्रेस बैठक, तकनीकी उत्पाद की शुरुआत करना, लोन मेला, स्वच्छ भारत पखवाड़ा, पैन दृइंडिया स्तर पर रक्त / अंग दान शिविर, 112 वां स्थापना दिवस समारोह आदि ।

- मुंबई, मेट्रो स्टेशन और दिल्ली में रेलवे स्टेशन के विज्ञापनों के अलावा फुल ट्रेन रैप विज्ञापन द्वारा बाहरी अभियानों को गति दी गई।

- इन–फ्लाइट ब्रांडिंग की गई, जहां एचएनआई ग्राहकों तक पहुंचने के लिए यात्रियों को उड़ानों में पीछे की सीट पर विज्ञापन दिया गया। इसी तरह, दिल्ली एयरपोर्ट में पैसेंजर ट्रॉली ब्रांडिंग की गई और कॉर्पोरेट ऑफिस परिसर के अंदर एलईडी डिस्प्ले बोर्ड बनाया गया।

- बैंक के 4 लाख करोड़ के वैश्विक कारोबार, नए सावधि जमा उत्पाद – आईबी फाउंडेशन, आईबी फाउंडेशन मल्टीप्लायर, आवास ऋण एंड वहाँ ऋण के लिए फेस्टिव ऑफरों और महिलाओं के लिए विशेष बचत खाते, आईबी सुरभी के बारे में पैन इंडिया स्तर पर विज्ञापन अग्रणी दैनिक समाचार पत्रों में जारी किया गया था ।

- राष्ट्र के लिए बैंक की सेवाओं के 112वें वर्ष के उपलक्ष्य में एक नया स्मृति–चिन्ह बनाया गया।

आंतरिक सम्प्रेषण

- बैंक के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे जन्मदिन समारोह, सीएसआर कार्यक्रम, संसदीय समिति के दौरे, महिला दिवस, आदि की जानकारी कर्मचारियों को प्रसारित की गई । कर्मचारियों को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों जैसे विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, रक्तदाता दिवस, मई दिवस, मातृ दिवस आदि के बारे में जागरूक करने के लिए बैनरों को भी प्रदर्शित किया गया ।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

- बैंक के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) की पहलें, बैंकिंग से भी आगे बढकर रहीं और इससे वह नैतिक मूल्यों का आदर करता है तथा लोगों, समुदायों और प्राकृतिक पर्यावरण का पोषण करता है।

- सुदृढ कॉर्पोरेट होने की वजह से बैंक, समूह के हितार्थ कई पहल कर रहा है तथा भारतवासियों की सेवा करने का प्रतिबद्धता रखता है। बैंक अपनी लोकोपकारी सेवाओं पर गर्व करता है और हाल ही में कई लोगों के जीवन को छूने और सकारात्मक परिवर्तन लाने में बै।क सफल हुआ है तथा इसके लिए कई पुरस्कार प्राप्त किया है।

- एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में बैंक ने विभिन्न योगदान करते हुए जरूरतमंद एवं सुविधाओं से वंचित लोगों वर्गों को सहारा प्रदान किया है।

- **स्वच्छ भारत अभियानः** तमिलनाडु में महिलाओं के लिए सरकारी स्कूलों / कॉलेजों और छात्रावासों को स्वचालित नैपकिन वेंडिंग मशीन और भस्मक दान किए।

- **महिला सशक्तिकरण** : 2 सितंबर 2018 को दिल्ली में परिचय संस्था द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम "परम्परा"।

- **समवेशी विकास** : सीएसआर के तहत ग्राम मौजदीन से सरकारी प्राइमरी स्कूल, माधो सिंघाना, सिरसा, हरियाणा में 1800 फीट सड़क निर्माण के लिए विस्तारित प्रायोजन।

- सीएसआर के तहत कौशल विकास के लिए बेंगलुरू में नेशनल एकेडमी ऑफ रुडसेट (एनएआर) बिल्डिंग के निर्माण के लिए 24 लाख रुपए का दान दिया ।

- **हरित पहल** : वीआईटी, वेल्लोर के ग्रीन वेल्लोर प्रोजेक्ट के लिए 9 लाख रुपए का योगदान।

social work and yoga during a special evening at Chennai. A celebratory video was also made during this event which showcased Bank's commitment to serve and empower women by way of women-centric schemes, skill training institutes, CSR activities and employee welfare measures.

CORPORATE COMMUNICATION

External Communication

- During 2018 -19, Bank focused on various activities to reach out to customers with customer centric products. They were also updated regarding various Government schemes, achievements and welfare initiatives for the general public.

- International Women's Day was celebrated in grand manner at IMAGE Auditorium, Chennai. Dr V Shanta, Chairman, Cancer Institute was the Chief Guest of the programme. 12 women achievers from various fields were felicitated on the occasion. Self Help Group members from various places also participated in the function.

- Bank's 112^{th} Foundation day celebration was conducted in a grand manner with active participation of staff members and customers at Bank's training academy (IMAGE), Chennai.

- Several events viz., press conferences/meets, special interviews on various occasions including launch of new technology products, Melas, Financial results and important events like Vigilance Awareness Week, Swachh Bharat drive etc. were organized. More than 60 press releases of the Bank's various events were covered by the Media/Press pan India.

- Bank had been widely covered by ET Now, BTVi, CNBC TV 18 group, Thanthi TV, Sun TV, Puthiyathalaimurai TV, News 7, News 18, The Hindu, The Times of India, Business Line, The Economic Times, Business Standard, The Financial Express, Hindustan Times, The New Indian Express, Daily Thanthi, Dainik Bhaskar, Rajasthan Patrika, Dina Mani, etc during various occasions such as Press Meet for declaration of Financial Results, Launch of technology products, Loan Melas, Swachh Bharat Pakhwada, Pan-India Blood/Organ Donation Camps, 112^{th} Foundation Day Celebrations etc.

- Outdoor campaigns were accelerated by full train wrap advertisement at Mumbai, Metro station besides advertisements at Delhi and railway station advertisements at Chennai.

- In-flight branding was carried out where advertisement was given in passengers back seat in flights to reach out to HNI customers. Similarly, passenger trolley branding was put up in Delhi airport and LED display board was made inside Corporate Office premises.

- Pan India advertisement was issued in leading dailies about Bank's achievement of ₹4 lakh Cr Global business, new term deposit products – IB Foundation, IB Foundation Multiplier, festival offers for Home and Vehicle loans and IB Surabhi, an exclusive savings account for women.

- A new mnemonic was designed to mark Bank's 112th year of service to the nation.

Internal Communication

- Information on various events of the Bank like birthday celebrations, CSR programmes, Parliamentary Committee visits, women's day, etc were disseminated to employees. Banners were also displayed to make employees aware about various National and International Days like World Environment Day, International Day of Yoga, Blood Donor Day, May Day, Mother's Day etc.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

- Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives of the Bank extended beyond banking and lead it to honor ethical values and respect people, communities and the natural environment.

- As a strong corporate, Bank is taking up various initiatives for the benefit of the society with the commitment to serve the people of India. Proud of its humanitarian services, Bank has achieved many accolades in recent past to touch many lives and bring in positive change.

  Bank as a responsible Corporate Citizen worked to reach out to the needy and marginalized population through various contributions:

- **Clean India Movement:** Donated automatic napkin vending machines and incinerators to Government schools/Colleges and hostels for women in Tamil Nadu.

- **Women Empowerment:** Sponsored Event "Parampara" organized by Parichay Foundation on 2nd September 2018 at Delhi.

- **Inclusive Growth:** Extended sponsorship for constructing 1800 ft road under CSR from Village Maujdin to Government Primary school, Madhao Singhana, Sirsa, Haryana.

- Donated ₹24 lakhs towards construction of National Academy of RUDSETI (NAR) Building at Bengaluru for Skill Development under CSR.

- **Green Initiative :** Contributed ₹ 9 lakhs for Green Vellore Project of VIT, Vellore.

सीएसआर की मुख्य बातें :

- सुश्री पद्मजा चुंडूरु, एमडी और सीईओ, ने तिरूवरूर जिले में गजा चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में वितरण के लिए बैंक द्वारा एकत्र की गई राहत सामग्री ले जाने वाले एक वाहन को रवाना किया।

- बैंक के स्टाफ सदस्यों ने स्वेच्छा से आपदा के पीड़ितों को वितरित की जाने वाली विभिन्न राहत सामग्री दान की। कार्यपालक निदेशक, महाप्रबंधकगण, कार्यपालक अधिकारीगण और अन्य स्टाफ सदस्य कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित थे।

- बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री एम.के. भट्टाचार्य ने बाढ़ राहत सामग्री ईएफआई – केरल, केरल के बाढ़ प्रभावित लोगों को वितरित करने के लिए एक गैर सरकारी संगठन को सौंपा । बैंक के कर्मचारियों ने स्वेच्छा से आपदा के पीड़ितों को विभिन्न बाढ़ राहत सामग्री दान की। महाप्रबंधकगण, कार्यपालक अधिकारीगण और अन्य स्टाफ सदस्य कॉर्पोरेट ऑफिस, चेन्नै में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित थे।

CSR Highlights:

- Ms.Padmaja Chunduru, MD & CEO, flagged off a vehicle carrying relief materials collected by the Bank for distribution in areas affected by Gaja cyclone in Tiruvarur district.
- Staff members of the Bank voluntarily donated various relief materials to be distributed to the victims of the calamity. Executive Director, General Managers, Executives and other staff members were present during the event held at Corporate Office, Chennai.

- Shri. M.K.Bhattacharya, Executive Director of the Bank handed over the flood relief materials to the EFI – KERALA, an NGO for distributing to the flood affected people of Kerala. Staff of the Bank voluntarily donated various flood relief materials to the victims of the calamity. General Managers, Executives and other staff members were present during the event held at Corporate Office, Chennai.

- 4.01 करोड़ की राशि केरल के माननीय मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन को दिनांक 24.08.2018 को केरल मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दी गई । उक्त राशि में से, कर्मचारियों द्वारा 3.01 करोड़ की राशि का योगदान किया गया था और 1 करोड़ रुपए की शेष राशि बैंक की ओर से थी ।

- कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत उत्तरी चेन्नै में **थेयंबक्कम तालाब की मरम्मत** – श्री एम.के. भट्टाचार्य, कार्यपालक निदेशक ने मरम्मत कार्य का उद्घाटन किया । श्री एम. नागराजन, महाप्रबंधक, श्री वी. चंद्रशेखरन, अंचल प्रबन्धक दृ पुनेमल्ली ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।

पहले

बाद में

पहले

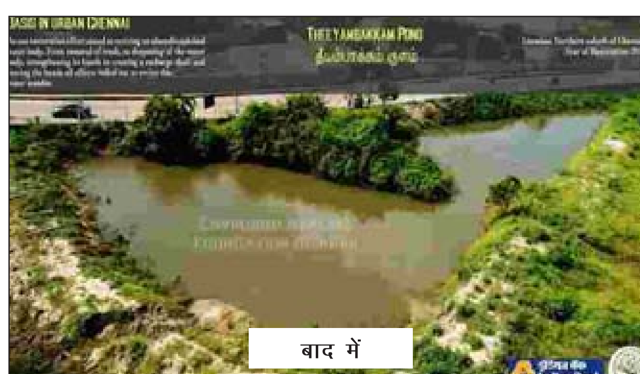

बाद में

- An amount of ₹4.01 Cr was handed over to Honourable Chief Minister of Kerela Shri. Pinarayi Vijayan towards Kerela CM Distress Relief Fund on 24.08.2018. Out of the said amount, an amount of ₹3.01 Cr was contributed by employees and the remaining amount of ₹1 Cr was from the bank's side.

- **Restoration of Theeyambakkam Pond** in North Chennai under Corporate Social Responsibility - Shri. M.K.Bhattacharya, Executive Director inaugurated the restoration activity. Shri. M. Nagarajan, GM, Shri. V. Chandrasekaran, ZM – Poonamallee also participated in the event.

- शाखाओं / अंचलों के माध्यम से आयोजित रक्त / अंग दान और स्वास्थ्य और नेत्र जांच शिविर

बैंक के प्रशिक्षण अकादमी (इमेज) में रक्तदान शिविर । कार्यपालक निदेशक श्री वी. वी. शेणॉय ने प्राचार्य श्रीमती भाग्यलक्ष्मी पटनायक के साथ शिविर का उद्घाटन किया ।

थाउसंड लाइट्स शाखा, चेन्नै (दक्षिण) द्वारा मीनाक्षी कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग, नेस्पक्कम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया । श्री वेंकटेश पेरुमल महाप्रबंधक / अंचल प्रबंधक ने शिविर का उद्घाटन किया।

सिरुसेरी शाखा द्वारा आनंद इंस्टीट्यूट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। फोटो में श्री षण्मुखनाथन, उमप्र/ अंचल प्रबंधक, अंचल कार्यालय काँचीपुरम; डॉक्टर अरीवालागी, निदेशक, आनंद इंस्टीट्यूट, सिरुसेरी शाखा प्रबंधक, स्टाफ सदस्य व छात्र–छात्राएं हैं।

वीआई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिरुकुन्दरम में अण्णा सालै शाखा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में श्री रघुनाथन सहायक महा प्रबंधक/शाखा प्रबंधक ने शिरकत कर आयोजन की शोभा बढ़ाई।

- **Blood/Organ donation and Health & Eye check-up camps organised through Branches/ Zones**

Blood donation camp at Bank's training academy (IMAGE). Executive Director Shri. V V Shenoy inaugurated the camp along with the Principal Smt. Bhagyalakshmi Patnaik.

Blood Donation camp organised at Meenakshi College of Engineering, Nesapakkam through Thousand Lights Branch, Chennai (South). Shri. Venkatesa Perumal General Manager/Zonal Manager inaugurated the camp.

Blood Donation camp at Anand Institute through Siruseri Branch. DGM Shri. Shanmuganathan, Zonal Manager, Kancheepuram, Smt. Dr. Arivalagi, Director of college inaugurated the camp. Branch Manager of Siruseri, Staff & students participated.

Blood donation camp at V I Institute of Technology, Sirukundram, through Anna Salai Branch, Chennai North Zone. Assistant General Manager/Branch Manager Shri.Raghunathan visited the camp & graced the occasion .

- **स्वच्छ भारत पखवाड़ा :** 2014 में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुभारंभ किये गये स्वच्छ भारत के अभियान को जारी रखते हुए टीम इंडियन बैंक ने अपने सभी कार्यालयों एवं शाखाओं में स्वच्छ भारत पखवाड़ा मनाया। कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा वीडियो कान्फरेन्स / वीडियो कॉल के जरिये शाखाओं में सफाई के कार्यकलापों की संवीक्षा की गयी।

- स्वच्छ भारत अभियान के एक अंश के रूप में कैद–ए–मिलत, राजकीय महिला महाविद्यालय, अण्णा सालै, चेन्नै के परिसर की सफाई की गई।

पहले

अभियान के दौरान

बाद में

- **स्वच्छ भारत अभियान :** बैंक ने तमिलनाडु के प्रत्येक अंचल के सरकारी विद्यालयों व महिलाओं के हॉस्टल हेतु 2 स्वचालित नैपकिन वेंडिंग मशीन व इन्सिनरेटर (भस्मक) प्रदान किये हैं।

कॉर्पोरेट कार्यालय

अंचल कार्यालय तिरुवन्नामलाई

अंचल कार्यालय मदुरै

अंचल कार्यालय पुदुच्चेरी

- **Swachh Bharat Pakhwada:** Continuing the crusade of Swachh Bharat Mission launched by the Hon'ble Prime Minister in 2014, Team Indian Bank observed Swachh Bharat Pakhwada at all its offices and branches. Cleaning activities carried out by Branches/Zones were monitored by the Corporate Office through Video conferences/Video calls.

- Cleaning of premises of Quaid –E – Millath Govt. College for Women, Anna Salai, Chennai was taken up as part of the Swachh Bharat Campaign.

BEFORE

During the Campaign

AFTER

- **Swachh Bharat Mission:** The bank had donated 2 automatic napkin vending machines and incinerators to Govt. schools and hostels for girls in each Zones in Tamil Nadu.

Corporate Office

ZO - Tiruvannamalai

ZO - Madurai

ZO - Puducherry

- **स्वच्छ भारत पहल :** बैंक ने अनु. जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु महाविद्यालय के छात्र हॉस्टल की बुनियादी संरचना सुविधाओं का नवीनीकरण किया है तथा जिसे कबाली थोट्टम, मयलापुर में श्री एम. के. भट्टाचार्य, कार्यपालक निदेशक द्वारा लाभार्थियों को प्रदान किया गया। इस आयोजन में श्री एम नागराजन, महाप्रबन्धक (कॉर्पोरेट संचार विभाग) व अन्य उच्चाधिकारी शामिल हुए।

- भारतवर्ष में लड़कियों के विद्यालयों हेतु 108 शौचालयों का निर्माण कार्य चल रहा है। वर्ष 2018–19 के दौरान विभिन्न विद्यालयों (कांचीपुरम–8 तिरुवनंतपुरम–3) में 11 शौचालयों का निर्माण किया गया।

- हमारे बैंक द्वारा गोद ली गई अनाथ बच्ची सुश्री आर दिव्या बैंक की सहायता से नर्सिंग कोर्स की पढ़ाई कर रही है।

- गो ग्रीन अभियान बैंक की दैनिक गतिविधियों में शामिल है। प्रत्येक विशेष अवसर/आयोजनों पर पौधे लगाए जाने की परम्परा है तथा पूरे भारतवर्ष में अबतक 4 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं।

- दिनांक 26 जुलाई 2018 को कारगिल दिवस के दौरान भारतीय सेना को श्रद्धांजली दी गई।

- **Swachh Bharat Initiative :** The Bank Renovated the Infrastructure Facilities at SC/ST/OBC College Students Hostel and the same was handed over to the beneficiaries by Executive Director Shri. M.K. Bhattacharya at Kabali Thottam, Mylapore, Chennai. Shri. M. Nagarajan, GM (Corporate Communications Department) and other dignitaries participated in this event.

- Construction of 108 Toilets in Girls Schools across the country is in progress. During the year 2018-19, 11 toilets in various schools (Kancheepuram – 8, Tiruvananthapuram – 3) were constructed.
- Ms. R. Divya, a homeless/motherless girl and an adopted daughter of the Bank is now pursuing Nursing course with the support of the Bank.

- Go Green Drive is part of the Bank's routine activities. On every special occasions/ events, saplings are being planted and so far more than 4 lakh saplings have been planted pan India.

- Tribute was paid to the Indian Army during Kargil Diwas on 26th July 2018.

- कारगिल दिवस पर बैंक ने निम्माधी वृद्धाश्रम (युद्ध में शहीद सैनिक की विधवा के लिए आश्रम) में साड़ियाँ, फल व बिस्किट बाँटें। यद्यपि एसोसिएशन उनके खाने व आवास की जिम्मेदारी उठा रहा है, तथापि राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों के परिवार के सदस्यों की देखभाल करना हमारा कर्त्तव्य है। यह बैंक द्वारा उठाया गया एक विचारणीय कदम है।

- बालिका सुधार गृह, चेन्नै में कृष्णामाचार्य योग मंदिरम (केवाईएम) के सहयोग से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बैंक द्वारा टी–शर्ट्स व खाद्य सामग्रियां बांटी गई। इसी प्रकार, सरकारी बालक संप्रेक्षण गृह, कैलिस में भी केवाईएम के सहयोग से योग दिवस मनाया गया।

- On Kargil Diwas, staff of the Bank visited Nimmadhi old age home (War widows Home) and distributed sarees, fruits and biscuits. Though the Association is taking care of their food and shelter, it is our duty to give respect to their family members who sacrificed their life for this nation. It was a thoughtful gesture by the bank.

- Yoga programme was organized in association with Krishnamacharya Yoga Mandiram (KYM) at Juvenile Girls home, Chennai. Bank donated T shirts and refreshments. Similarly, Yoga day was celebrated at Government Observation Home for Boys at Kellys with the support of KYM.

खेल के क्षेत्र में उपलब्धियां

हमारी वॉलीबॉल टीम ने अखिल भारतीय स्तर और राज्य स्तर की कई प्रतियोगिताएं जीती, 11 साल बाद तमिलनाडु राज्य चैम्पियनशिप जीती ।

हमारी हॉकी टीम इंडियन बैंक ट्रॉफी में उपविजेता रही ।

हमारी बास्केटबॉल टीम ने अखिल भारतीय स्तर और राज्य स्तर की कई प्रतियोगिताएं जीती, 20 साल बाद तमिलनाडु राज्य चैम्पियनशिप जीती ।

हमारी क्रिकेट टीम ने 11 साल के बाद तीसरा डिविजन लीग जीता, दूसरे डिविजन में पदोन्नत

राजभाषा का कार्यान्वयन

- बैंक, राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 के आधार पर भारत सरकार की राजभाषा नीति का सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन कर रहा है। बैंक द्वारा प्रतिवर्ष भारत सरकार, गृह मंत्रालय के राजभाषा द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के आधार पर बैंक का राजभाषा विषयक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है तथा अंचल कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाता है।

- बैंक, भारत सरकार के निदेशानुसार राजभाषा के कार्यान्वयन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। बैंक को वर्ष 2017–18 में राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा "राजभाषा कीर्ति" पुरस्कार से नवाजा गया है। यह पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री एम वेंकया नायडू के कर–कमलों से बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री ए एस राजीव को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दिनांक 14.09.2018 को प्रदान किया गया।

Achievements in the Sports Field

Our Volley Ball Team won many All India Level and State Level Tournaments, won Tamil Nadu State Championship after 11 years.

Our Hockey Team finished Runners-up in the Indian Bank Trophy

Our Basket Ball Team won many All India and State Level Tournaments, Won Tamil Nadu State Championship after 20 years.

Our Cricket Team won the 3rd Division promoted to 2nd Division League after 11 years

Implementation of Official Language

- Bank is actively implementing the Official Language Policy of the Government of India based on Official Language Act, 1963 and Official Language Rules, 1976. Based on the Annual Program released every year by the Official Language Department, Ministry of Home Affairs, Government of India, the official language program of the Bank is prepared and it is sent to the Zonal Offices for necessary action.

- Bank is playing an active role in the implementation of the Official Language as per the Directions of the Government of India. Bank was awarded the **"Rajbhasha Kirti Puraskar"** by the Government of India for the excellent implementation of Official Language for the year 2017-18. The Award was presented by Shri M. Venkiah Naidu, the Hon'ble Vice President of India to Shri A. S. Rajeev, Executive Director of the Bank on 14.09.2018 at Vigyan Bhawan, New Delhi.

- बैंक ने हिन्दी भाषा को हिन्दी गीतों के माध्यम से स्टाफ सदस्यों के बीच लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से बॉलीवुड के 12 सदाबहार हिन्दी गायकों को आधार बनाकर एक वाइरो डेस्क कलेंडर भी तैयार है। बैंक ने 2019 में एक हिन्दी टिप्पण डेस्क कलेंडर भी बनाया है।

- बैंकिंग में मौलिक लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंक ने "राजभाषा हिन्दी का सरलीकरण" विषय पर अखिल भारतीय निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है तथा प्राप्त निबंधों में से श्रेष्ठ 25 निबंधों का चयन कर एक पुस्तक के रूप में संकलन प्रकाशित किया है। इसी सिलसिले में दिनांक 22.02.2019 को भोपाल में एक अखिल भारतीय हिन्दी सेमिनार का आयोजन भी किया गया है।

- बैंक ने राजभाषा के कार्यान्वयन को गति प्रदान करते हुए, स्टाफ सदस्यों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से तमिल–हिन्दी–अँग्रेजी, तेलुगु–हिन्दी, कन्नड़–हिन्दी, मलयालम–हिन्दी आदि शब्दावलियाँ, संवाद–चालीसा, सरल हिन्दी टिप्पण, राजभाषा संचयिका, राजभाषा प्रश्नोत्तरी आदि 10 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन किया है।

- बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा त्रै–मासिक पत्रिका 'इंड–छवि' का प्रकाशन किया जा रहा है। अंचल कार्यालयों से भी त्रै–मासिक/छमाही हिन्दी पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है, जिनमें अन्य आवश्यक विषयों के साथ बैंकिंग विषयों पर विशेष ज़ोर दिया जाता है।

- बैंक में सितंबर 2019 माह को 'हिन्दी माह' के रूप में मनाया गया, इसके दौरान राजभाषा हिन्दी को स्टाफ सदस्यों के मध्य प्रचारित करने के उद्देश्य से हिन्दी भाषी तथा अहिन्दी भाषी स्टाफ सदस्यों एवं उनके बच्चों के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय तथा अंचल स्तर पर विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया गया।

- बैंक की वेबसाइट पूर्णतः द्विभाषी है । बैंक की मोबाइल एप्प इंड–पे पाँच भाषाओं(हिन्दी, अँग्रेजी, तमिल, मराठी और मलयालम) में है। ग्राहकों के लिए उपयोगी सभी आवश्यक प्रपत्र व प्रारूप द्विभाषी/त्रिभाषी रूप में उपलब्ध हैं। बैनर, पोस्टर एवं पैम्फ़लेट इत्यादि द्विभाषी/त्रिभाषी बनाए जाते हैं।

- बैंक, स्टाफ सदस्यों को हिन्दी कार्यशालाओं के जरिए प्रशिक्षण देने पर विशेष ज़ोर दे रहा है। इमेज, स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों तथा विभिन्न अंचल कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाओं का नियमित आयोजन किया जा रहा है, जिनमें व्यावहारिक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वर्ष के दौरान कुल 60 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें 656 अधिकारियों तथा 267 लिपिकों को प्रशिक्षित किया गया।

- राजभाषा अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से शाखाओं के राजभाषा विषयक निरीक्षण किए जा रहे हैं, जिनमें राजभाषा कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्टाफ सदस्यों को डेस्क प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

- बैंक के कुछ कार्यालयों को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के संचालन का दायित्व भारत सरकार द्वारा सौंपा गया है, जिसको पूर्ण निष्ठा के साथ निभाया जा रहा है

- चेन्नै नराकास के तत्वावधान में बैंक के प्रशिक्षण महाविद्यालय इमेज़ में दिनांक 31.10.2018 को राजभाषा अधिकारियों के लिए विशेष हिन्दी कार्यशाला "राजभाषा कार्यान्वयन के नए आयाम" का आयोजन किया गया, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ल, संयुक्त निदेशक, राजभाषा विभाग, भारत सरकार की गरिमामयी उपस्थिति रही।

- इसी क्रम में, चेन्नै नराकास(बैंक व वि.सं) के तत्वावधान में, बैंक द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ संयुक्त रूप से गुरु नानक कॉलेज, चेन्नै में दिनांक 29.03.2019 को "बैंकिंग में साइबर सुरक्षा" विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

- For the purpose of popularizing Hindi language among the staff members through Hindi songs, a Wiro Desk Calendar with its theme of 12 Evergreen Hindi singers of Bollywood has been prepared. Bank has also come up with a Hindi Noting Desk Calendar in 2019.
- In order to promote original writing in banking, an All India Hindi Essay Writing Competition on "Simplification of Official Language Hindi" was organized. Out of the essays received, 25 best essays were selected and published in the form of a book. In this regard, an All India Hindi seminar was also organized at Bhopal on 22.02.2019.

- With the aim of motivating staff members to work in Hindi, and to bring about acceleration in the implementation of the official language in the Bank, more than 10 books viz. Tamil-Hindi-English Glossary, Telugu-Hindi Glossary, Kannada-Hindi Glossary, Malayalam-Hindi Glossary, Samvad Chalisa, Saral Hindi Tippan, Rajbhasha Sanchayika, Rajbhasha Prashnothari etc have been published.
- The quarterly Hindi magazine 'Ind-Image' is being published by the Corporate Office of the bank. Zonal offices are also publishing Quarterly / Half yearly Hindi journals, in which special emphasis is placed on banking topics along with other necessary subjects.
- The Bank has celebrated September 2019 as "Hindi Month" and during this month, various Hindi competitions and seminars were organized at Corporate Office and at the Zone level for Hindi-speaking and non-Hindi speaking staff members and for their children with the aim of promoting Official Language among staff members.
- Bank's website is completely bilingual. Bank's Mobile App "Ind-Pay" is available in five languages (Hindi, English, Tamil, Marathi and Malayalam). All the required forms and formats useful for customers are available in bilingual / trilingual form. Banners, posters and pamphlets etc. are made bilingual / trilingual.
- Special emphasis is given on training of staff members through Hindi workshops. Hindi workshops are being regularly organized at Staff Training College - IMAGE, Staff Training Centers and various Zonal offices, in which special attention is given on practical training. 60 such Hindi workshops were organized during the year, in which 656 officers and 267 clerks were trained.
- Official language inspections of the branches are being carried out regularly by the Official Language Officers, in which staff members are being provided desk training to ensure implementation of Official Language.
- The responsibility of conducting Town level Official Language Implementation Committees have been entrusted to some offices of the Bank by the Government of India at selected cities, which is being carried out systematically:
- Under the aegis of Chennai TOLIC, a special Hindi workshop was organized at the Apex Training College of the Bank, IMAGE on 31.10.2018 on "New Dimensions of Official Language Implementation" for Official Language Officers in the august presence of Shri Prakash Shukla, Joint Director, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt. of India.
- The Bank organized a seminar jointly with Bank of Baroda on "Cyber Security in Banking" on 29.03.2019 at Guru Nanak College, Chennai, under the aegis of Chennai TOLIC (Bank and FI).

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट – 2018–19

खण्ड ए: कंपनी का सामान्य परिचय

1. कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	लागू नहीं
2. कंपनी का नाम	इंडियन बैंक
3. पंजीकृत पता	66, राजाजी सालै, चेन्नै - 600 001
4. वेबसाइट	www.indianbank.in
5. ई–मेल	indmail@indianbank.co.in
6. रिपोर्ट का वित्तीय वर्ष	2018-19
7. कंपनी के व्यावसायिक क्षेत्र (औद्योगिक गतिविधि कोड–वार)	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं
8. 3 मुख्य उत्पाद/सेवाएँ जो निर्माता देता है (तुलन पत्र के अनुसार)	जमा उत्पाद, ऋण उत्पाद एवं प्रेषण आदि
9. स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यापार गतिविधियां की जाती है। **स्थानों की कुल संख्या**	
I. राष्ट्रीय	31.03.2019 तक 2873 शाखाएँ
II. अंतर्राष्ट्रीय	3 (सिंगापुर, कोलंबों एवं जाफना)
10. कंपनी द्वारा जिन बाज़ारों में सेवा प्रदान की जाती है – स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय	**29 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों में बैंक की शाखाएं है और सिंगापुर एवं श्रीलंका में बैंक की अंतराष्ट्रीय उपस्थिति है।**

खंड बी: कंपनी के वित्तीय ब्यौरे

1) प्रदत्त पूंजी (भारतीय रुपये)	₹ 480.29 **करोड़**
2) कुल कारोबार (भारतीय रुपये)/राजस्व	₹ 4,29,722.01 **करोड़ (कुल कारोबार)**
3) कर चुकौती के बाद कुल लाभ (भारतीय रुपये)	₹ 321.95 **करोड़**
4) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कर चुकाने के बाद लाभ के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सीएसआर पर व्यय अनिवार्य नहीं है। तथापि बैंक ने रुपए 2,42,25,298/– खर्च किया है।

5) गतिविधियों की सूची जिसमें उक्त (4) पर व्यय हुआ है।

क्रम सं	**सीएसआर गतिविधियाँ**	**राशि (₹)**
1.	समावेशी प्रगति	1,95,75,298/-
2.	हरित पहल और पर्यावरण धारणीयता	10,50,000/-
3.	लिंग समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण	12,00,000/-
4.	व्यावसायिक कौशल और वित्तीय कौशल बढाना	24,00,000/-
	कुल	**2,42,25,298/-**

Business Responsibility Report – 2018-19

Section A : General Information about the Company

1. Corporate Identity Number: (CIN) of the Company	Not Applicable
2. Name of the Company	Indian Bank
3. Registered Address	66, Rajaji Salai, Chennai 600 001
4. Website	www.indianbank.in
5. Email	indmail@indianbank.co.in
6. Financial Year Reported	2018-19
7. Sectors that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Banking & Financial Services
8. List of 3 key products/services that the manufacturers provides (as in Balance Sheet)	Deposit Products, Loan Products and Remittances etc.
9. Total number of locations where: business activity takes is undertaken by the Company **No of Locations** I. National II. International	 2873 as on 31.03.2019 3 (Singapore, Colombo, Jaffna)
10. Markets served by the Company-Local/State/National/International	The Bank has branches in 29 states and 6 UTs and International presence in Singapore and Sri Lanka

Section B: Financial Details of the Company

1) Paid up Capital (INR)	₹ 480.29 crore
2) Total Turn Over (INR)/Revenue	₹ 4,29,722.01 Crores (Total Business)
3) Total profit After Tax(INR)	₹ 321.95 Crores
4) Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of Profit after Tax (%)	CSR spending is not mandatory for PSBs. However, Bank has spent ₹ 2,42,25,298/-

5) List of the activities in which expenditure on 4 above has been incurred

Sl. No.	CSR activity	Amount (₹)
1.	Inclusive Growth	1,95,75,298/-
2.	Green Initiatives and Environment Sustainability	10,50,000/-
3.	Gender Equality and Women Empowerment	12,00,000/-
4.	Enhancing vocational skills and Financial Skills	24,00,000/-
	Total	**2,42,25,298/-**

खंड सी : अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी/कंपनियां है ?	हाँ ए. इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड। बी. इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड।
2. क्या अनुषंगियां: मूल कंपनी की बीआर पहल को कार्यान्वित करती है, यदि हाँ, तो ऐसी अनुषंगियों की संख्या प्रस्तुत करें।	मेसर्स इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड बैंक के बीआर पेहल में भाग नहीं लेता है और स्वतंत्ररूप से बीआर पहल कर रहा है।
3. क्या कोई अन्य संस्था/संस्थाएं जिनके साथ कंपनी व्यापार करती है, (जैसे प्रदायक, वितरक आदि) कंपनी की बीआर पहलों में भागीदारी निभाती हैं ? यदि हाँ, तो यह दर्शाएँ कि ऐसी संस्थाओं का प्रतिशत कितना है (30 प्रतिशत से कम, 30 से 60 प्रतिशत, 60 प्रतिशत से अधिक)	नहीं

खंड डी: बीआर जानकारी

1. बीआर के प्रति उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों के विवरण

I. बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के विवरण

डीआईएन संख्या	
नाम	**श्री वी वी शेणॉय**
पदनाम	कार्यपालक निदेशक

II. बीआर प्रमुख का विवरण निम्न प्रकार है

क्रम सं	विवरण	ब्यौरा
1	डीआईएन सं (अगर लागू हो तो)	लागू नहीं
2	नाम	**श्री एम नागराजन**
3	पदनाम	महाप्रबंधक
4	टेलीफोन संख्या	044 28134568
5	ईमेल आईडी	nagarajan.m@indianbank.co.in

C: Other Details

1. Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies	Yes a. Indbank Merchant Banking Services Ltd. b. Indbank Housing Ltd
2. Do the subsidiaries implement : BR initiatives of the parent company If YES, then indicate the number of such subsidiaries.	M/s IndBank Merchant Banking Services Limited does not participate in the BR initiatives of the Bank and is independently taking BR initiatives.
3. Do any other entity/ entities (e.g., suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? (Less than 30%, 30% - 60%, more than 60%)	No

Section D: BR Information

1. **Details of Director/ Directors responsible to BR**

I. **Details of the Director/ Directors responsible for implementation of the BR policy/policies**

DIN Number	
Name	Shri. V.V.Shenoy
Designation	Executive Director

II. **Details of the BR head – as below**

S. No	Particulars	Details
1	DIN No (if applicable)	NA
2	Name	Shri M Nagarajan
3	Designation	General Manager
4	Telephone No.	044 28134568
5	e-mail-id	nagarajan.m@indianbank.co.in

2. सिद्धांत–वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति /नीतियाँ (हाँ/नहीं में जवाब दें)

क्रम सं	प्रश्न	कारोबारी आचार	उत्पाद जिम्मेदारी	कर्मचारियों का कल्याण	स्टेक धारक की वचनबद्धता	मानव अधिकार	पर्यावरण	जन नीति	समावेशी विकास	ग्राहक संबंध
1	क्या आपके पास इनके लिए नीति / नीतियाँ हैं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	क्या यह नीति संबन्धित स्टेकधारकों से परामर्श के बाद बनाई गई हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3	क्या यह नीति किसी भी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है ? यदि हाँ ,तो (50 शब्दों में) बताएं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है ? यदि हाँ, तो क्या वह सक्षम प्रनि / स्वामी / मुकाअ /उपयुक्त बोर्ड के निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है ।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5	क्या कंपनी की नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बोर्ड / निदेशक/ अधिकारी की एक निर्दिष्ट समिति है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6	नीति को ऑनलाइन देखे जाने के लिए लिंक दें ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7	क्या नीति के बारे में औपचारिक रूप से सभी प्रासंगिक आंतरिक और बाहरी स्टेक धारकों को सूचित किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8	क्या कंपनी की नीति / नीतियों को लागू करने के लिए आंतरिक संरचना है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9	क्या कंपनी की नीति/ नीतियों से संबंधित, "शिकायत निवारण प्रणाली" हितधारकों की शिकायतों को सुलझाने के लिए उपलब्ध है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10	क्या आंतरिक या बाहरी एजेंसियों द्वारा कंपनी की इस नीति की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन किया गया है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy / Policies: (Reply in Y / N)

Sl No.	Questions	Business Ethics	Product Responsibility	Well being of Employees	Stakeholder Engagement	Human Rights	Environment	Public Policy	Inclusive growth	Customer relations
1	Do you have a policy/policies for	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3	Does the policy confirm to any national / international standards? If yes, specify? *(50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	Has the policy been approved by the Board? If yes, has it been signed by MD / Owner / CEO / appropriate Board Director	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5	Does the company have a specified committee of the Board / Director / Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8	Does the company have in-house structure to implement the policy / policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9	Does the company have grievance redressal mechanism related address stakeholders' grievances related to the policy / policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10	Has the company carried out independent audit / evaluation of the working of this policy by internal or external agencies?	N	N	N	N	N	N	N	N	N

2ए. यदि क्र.सं. 1 से किसी भी सिद्धांत के आगे जवाब 'नहीं' है, तो ऐसा क्यों है कृपया समझाएं (2 विकल्पों पर टिक लगाएँ)

क्रम सं	प्रश्न	पृ1	पृ2	पृ3	पृ4	पृ5	पृ6	पृ7	पृ8	पृ9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है।									
2	कंपनी ऐसी स्थितियों में निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां तैयार करने और लागू करने की स्थिति में नहीं है ।									
3	कंपनी के पास कार्य के लिए वित्तीय या मानव शक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं ।						लागू नहीं			
4	इसे अगले 6 महीनों के भीतर किए जाने की योजना बनाई गई है।									
5	इसे अगले 1 साल के भीतर किए जाने की योजना बनाई गई है ।									
6	कोई अन्य कारण (कृपया बताएं)									

3. बीआर से संबन्धित अभिशासन

▪ उस बारंबारता को दर्शाएं, जिसके साथ निदेशक मण्डल, मण्डल की समिति या सीईओ, कंपनी के बीआर निष्पादन का मूल्यांकन करते है।	▪ चूँकि कारोबार का दायित्व सम्पूर्ण बैंकिंग को शामिल करता है, अतः विभाग की संबन्धित नीतियां पृथक रूप से तैयार/नवीकृत की जाती है और बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।
▪ क्या कंपनी एक बीआर या एक धारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है ? इस रिपोर्ट को देखने के लिए कौनसी हायपरलिंक है ? कितनी बारंबारता से इसे प्रकाशित किया गया है।	▪ यथासमय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी ।

खंड ई : सिद्धांत–वार निष्पादन

सिद्धांत 1: कारोबार को आचार नीति, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ अपना व्यवहार एवं संचालन करना चाहिए।

1. क्या आचार नीति, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है? क्या यह समूह/ संयुक्त उद्यम/ संपूर्तिकर्ता/ ठेकेदारों/ एनजीओ/ अन्य को भी कवर करती है?	● ग्राहकों को बैंक के साथ किए जाने वाले अपने लेनदेनों में संतोषजनक सेवा की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2006 में भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) को एक स्वतंत्र स्वायिक पर्यवेक्षक के रूप में स्थापना की। ● बीसीएसबीआई ने ''ग्राहकों के प्रति बैंक प्रतिबद्धता संहिता – जनवरी 2018'' में तथा ''सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता–अगस्त 2015'' में प्रकाशित किया है, जो बैंकों के लिए ग्राहक सेवा में अनुकरण हेतु बैंकिंग कार्य–प्रणाली और बेंचमार्क के न्यूनतम मानकों को निर्दिष्ट करते हैं। ● बैंक बीसीएसबीआई का सदस्य है और इसलिए इसने उपर्युक्त संहिताओं को अपने ग्राहकों के साथ लेनदेन करने में न्यायोचित व्यवहार कोड के रूप में स्वेच्छा से अपनाया है। ● बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के समक्ष ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता को अभिग्रहीत करने हेतु रखा गया है। ● संहिता की पूर्ण प्रति www.indianbank.in पर उपलब्ध है।

2a. If the answer to S. No. 1 against any principle is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

Sl No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The company has not understood the Principles									
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task						NA			
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within next 1 year									
6	Any other reason (Please specify)									

3. Governance related to BR

▪ Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the company	▪ As the Business Responsibility encompasses a whole spectrum of Banking, Department relevant Policies are framed/ renewed individually and approval of Board obtained.
▪ Does the company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	▪ Would be made available in due course on website.

Section E: Principle-wise-performance

Principle 1: Business should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Does it extend to the group/ Joint Venture/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ Others?	● In February 2006, Reserve Bank of India set up the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) as an independent autonomous watchdog to ensure that customers get fair treatment in their dealings with Banks. ● The BCSBI has published the "Code of Banks' Commitments to Customers-January 2018" and "Code of Commitment to Micro and Small Enterprises – August 2015" which set out minimum standards of banking practice and benchmarks in customer service for banks to follow. ● Bank is a member of BCSBI and has therefore, voluntarily adopted the above Codes as its Fair Practice Code in dealing with its customers. ● Code of commitment to customers has been placed to the Customer Service Committee of the Board for adoption. ● Complete copy of the Code is available at www.indianbank.in

	● "इंडियन बैंक का सिटिजन्स चार्टर" बैंक की शाखाओं में ग्राहकों हेतु उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं / सेवाओं पर महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता हैं। ● सिटिजन्स चार्टर के साथ संहिता, बैंक में ग्राहकों के साथ किए जाने वाले लेन–देनों में उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करेगा।
2. पिछले वित्तीय वर्ष में स्टेक होल्डरों से कितनी शिकायतें प्राप्त की गईं और कितने प्रतिशत शिकायतों का प्रबंधन द्वारा संतोषजनक समाधान किया गया? यदि ऐसा हुआ है तो लगभग 50 शब्दों में उनका विवरण उपलब्ध कराएं।	● कॉका : ग्राहक सेवा केंद्र, ग्राहक शिकायत निवारण से संबद्ध मामले की देख–रेख करता है। ● बैंक ने मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) की शुरुआत की है। सभी माध्यमों से प्राप्त शिकायतें एवं 24 घंटे से अधिक समय तक लंबित अनसुलझे मामलें एसपीजीआरएस के पास आ जाते हैं। ग्राहक भी एसपीजीआरएस द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ● ग्राहक शिकायत निवारण एवं सेवाओं में कमी के लिए ग्राहकों को दिए जानेवाले मुआवजों पर बने नीति के अनुसार, बैंक ने ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए 21 दिनों की अधिकतम समय सीमा रखी है। ● हालांकि, अधिकांश शिकायतों को 5–7 दिनों के औसत समय के भीतर ही निपटा लिया जाता है।
वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या	275
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	39802
वर्ष के दौरान निपटायी गई शिकायतों की संख्या	39990
वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	87
निपटायी गई शिकायतों का प्रतिशत	99.79%

सिद्धांत–2 : कारोबार को ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूर्ण जीवन–काल तक धारणीयता बनाए रखने में योगदान दें।

1. अपने तीन उत्पाद या सेवाओं को मात्र सूचीबद्ध करें जिसकी रूपरेखा ने सामाजिक या पर्यावरण संबंधी व्यवसाय, जोखिम और/या सुअवसर को शामिल किया है ।	बैंक निम्नलिखित वित्तीय सेवाएँ प्रस्तुत करता है जो सामाजिक कारोबारों और सुअवसरों को सम्मलित करती है। ● स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ● वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) ● इंडियन बैंक स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (इंडसेटी) वर्ष 2017–18 के दौरान, हमारे ऋण विभाग ने पवन / सौर / बायोमास सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹69.20 करोड़ की मंजूरी दी है। i. उर्जा कुशल एलईडी फिक्चर्स का प्रावधान ii. बैंक के अपने निजी भवन के छत पर सौर पैनलों का प्रावधान iii. कॉर्पोरेट कार्यालय में गंदा पानी प्रक्रिया संयंत्र

	● "Citizens' Charter of Indian Bank" provides key information on various facilities/services provided to customers in the branches of the Bank ● The Code together with the Citizens' Charter will ensure high standards of accountability, responsibility and transparency in the Bank's dealings with customers.
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	● CO: Customer Service Cell deals with Customer grievance redressal. ● Bank has introduced Standardised Public Grievance Redressal System (SPGRS). All the complaints received through all modes and pending unresolved for more than 24 hours are entered in SPGRS. Customers also can lodge online complaints through SPGRS. ● As per the Policy on Customer Grievances Redressal and compensation to customers for deficiency in services, Bank has adopted a maximum timeframe of 21 days for redressing customer grievances. ● However most of the grievances are redressed within an average time of 5-7 days.
No. of complaints pending at the beginning of the year	275
No. of complaints received during the year	39802
No. of complaints redressed during the year	39990
No. of complaints pending during the year	87
% age of complaints resolved	99.79%

Principle 2 : Business should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/ or opportunities.	Indian Bank offers the following financial services which has incorporated social concerns and opportunities ➢ Self Help Groups (SHGs) ➢ Financial Literacy Centres (FLCs) ➢ Indian Bank Self Employment Training Institutes (INDSETIs) During 2017-18, Our credit division has sanctioned ₹ 69.20 crore towards Renewable energy projects including Wind / Solar / Biomass which can strengthen the Green Energy. i. Provision of energy efficient LED fixtures. ii. Provision of Roof top solar panels in Bank's own buildings. iii. Sewage Treatment Plant at Corporate Office.

2. प्रत्येक ऐसे उत्पाद के संबंध में प्रति इकाई (वैकल्पिक) संसाधन (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के प्रयोग के संबंध में ब्यौरे दें। i) क्या पिछले वर्ष के प्रारम्भ से अंत तक मूल्य श्रृंखला के दरमियान स्रोत / उत्पाद / वितरण में कटौती प्राप्त की गई है? ii) क्या पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग में (ऊर्जा, जल) कटौती हुई है?	i. एलईडी फिक्स्चर की शुरूआत के साथ, जहां भी स्थापित हो, लाइटिंग पर होनेवाली बिजली की खपत लगभग 40 प्रतिशत तक कम हो गई। ii. कॉर्पोरेट कार्यालय और प्रधान कार्यालय के अलावा चेन्नै के 7 शाखाओं में छत के ऊपर सौर पैनलों के स्थापन के साथ, दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष में बिजली बिल में लगभग रुपये 11.00 लाख की बचत हुई। iii. एसटीपी के माध्यम से, गंदे पानी को सर्कुलेट किया गया तथा प्रतिदिन लगभग 20,000 लीटर पानी का पुनर्चक्रण किया जाता है और इस प्रकार पानी पर होनेवाले खर्च से ₹ 5.22 लाख की बचत हुई।
3. क्या कंपनी धारणीय सोर्सिंग (परिवहन को मिलाकर) के लिए कोई प्रक्रिया विधि अपना रही है? i) यदि हाँ, तो आपके इनपुट स्रोत का क्या प्रतिशत धारणीय रूप से प्राप्त किया गया था? लगभग 50 शब्दों में इसका ब्यौरा प्रस्तुत करें।	**लागू नहीं** **लागू नहीं** सभी वित्तीय उत्पाद हैं और पूरे परिचालन क्षेत्र को इन्हें सिखाने का लक्ष्य रहा हैं।
4. क्या कंपनी ने अपने कार्य स्थल के आसपास के समाज सहित सूक्ष्म एवं लघु उत्पादकों से वस्तुएँ और सेवाएँ प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाया है? यदि हाँ, तो स्थानीय और लघु विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता को उन्नत करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं?	हाँ ▪ परिवहन कीमत और समय अंतराल को कम करने के उद्देश्य से वस्तुएं नजदीकी विक्रेताओं से अधिमान्य रूप से प्राप्त की जाती हैं।
5. क्या कंपनी के पास उत्पादों और बेकार वस्तुओं का पुनर्चक्रण करने की व्यवस्था है?यदि हाँ, तो उत्पादों और बेकार वस्तुओं के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है?(पृथक रूप से, जैसे 5% से कम, 5% से 10% आदि)। लगभग 50 शब्दों में इसका ब्यौरा प्रस्तुत करें।	हाँ, कार्पोरेट कार्यालय रायपेट्टा में 5% से कम ● गन्दे पानी के शुद्धिकरण हेतु संयंत्र 20,000 लिटर प्रतिदिन के आउटपुट के साथ कार्पोरेट कार्यालय रायपेट्टा में उपलब्ध कराई गई है।

सिद्धांत–3 : कारोबार सभी कर्मचारियों की सुख समृद्धि का बढावा करें।

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या दें	19801 (19527*)
2. कृपया अस्थायी संविदात्मक / अनौपचारिक आधार पर काम पर लगाये गए कर्मचारियों की पूर्ण संख्या दें :	शून्य
3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ	6681 (6529*)
4. कृपया स्थायी विकलांगता वाले स्थायी कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ:	368
5. क्या आपका कोई कर्मचारी संगठन है जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है ?	हाँ
6. आपके कर्मचारियों में से इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन के सदस्यों का क्या प्रतिशत है?	अधिकारी : – 88.44% अवार्ड स्टाफ: – 74.08%

2. For each such product, provide in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional): i) Reduction during sourcing/ production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain? ii) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since previous year?	i. With the introduction of LED fixtures, the power consumption from lighting was brought down to almost 40% wherever installed. ii. With the implementation of Roof top solar panels at Corporate Office, Head Office and 7 branches in Chennai, there was a saving of about ₹11.00 lakh from the electricity bill, in the year ending 31.03.2019. iii. Through STP, the sewage water was circulated and about 20,000 liters of water per day is recycled, thereby a saving of ₹ 5.22 lakh p a towards water charges.
3. Does the company have proceedings in place for sustainable sourcing (including transportation) i) If yes, What percentage of your inputs was sourced sustainability? Also provide details thereof in about 50 words or so	NA NA All are financial products aiming to teach the entire operational area.
4. Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?	Yes ▪ Preferably, the materials are sourced from nearby vendors to reduce the transportation cost and time lag.
5. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5%-10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	Yes, at Corporate Office, Royapettah <5% ● Sewage Treatment Plant is provided at Corporate Office, Royapettah with an output of 20,000 liters / day.

Principle 3 : Business should promote the well-being of all employees.

1. Please indicate the Total number of employees	19801 (19527*)
2. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/ contractual/ casual basis	Nil
3. Please indicate the number of permanent women employees	6681 (6529*)
4. Please indicate the permanent number of employees with permanent disabilities	368
5. Do you have an employee association that is recognized by the management	Yes
6. What is the percentage of your employees is members of this recognized employees association	Officers – 88.44% Award Staff – 74.08%

7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित बाल मज़दूरी, बंधुआ मज़दूरी, अनिच्छा मज़दूरी, यौन उत्पीडन से संबंधित शिकायतों की संख्या दर्शाएँ।	(see table below)
8. अधोलिखित आपके कर्मचारियों को पिछले वर्ष में दी गई सुरक्षा और कुशलता उन्नयन प्रशिक्षण का प्रतिशत क्या है ?	अधिकारी 94.58% लिपिक 64.32% अधीनस्थ कर्मचारी 46.20%

शिकायतें	बाल मज़दूर	बंधुआ मज़दूर	अनिच्छा मज़दूर	यौन उत्पीडन
प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	6
लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	1

सिद्धांत 4 : कारोबारों को सभी स्टेकधारकों, खासकर वंचित, पिछड़े हुए, मामूली स्टेकधारकों के हितों का सम्मान और रक्षा करनी चाहिए।

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं बाह्य स्टेकधारकों का वर्गीकरण किया है ? हाँ / नहीं	**हाँ** ● शेयरधारकों को विविध वर्गों में वर्गीकृत किया गया है अर्थातः सरकारी, विदेशी संस्थागत निवेशक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड्स, बैंक और वैयक्तिक।
2. उपरोक्त में से, क्या कंपनी ने वंचित, पिछड़े हुए और मामूली स्टेकधारकों की पहचान की है?	हाँ ● इंडियन बैंक ने वंचित, पिछड़े और मामूली स्टेकधारकों की पहचान की है, जिनमें छोटे और मामूली किसान, किरायेदार व पट्टेदार किसान, भूमिरहित मजदूर एवं ग्रामीण महिलाओं को शामिल किया गया है। उनको किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि जेवर ऋण, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, मुद्रा ऋण आदि विशेष ऋण सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
3. क्या कंपनी द्वारा वंचित, पिछड़े हुए और मामूली स्टेकधारकों के हित में विशेष पहल की गई है? यदि ऐसा है तो उसका विवरण 50 शब्दों में दें।	● बैंक ने पीएमजेडीवाई के तहत वित्तीय सहायता से वंचित लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं। ● बैंक ने मार्च 2019 तक और शुरुआत से 4.30 लाख व्यक्तियों को 19 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) के माध्यम से वित्तीय परामर्श प्रदान किया है। ● बैंक ने इंडियन बैंक स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (इंडसेटी) के नाम पर 12 केन्द्रो में आरसेटी की स्थापना की है और शुरुआत से मार्च 2019 तक 2118 बैचों के माध्यम से 58912 व्यक्तियों को स्व–रोजगार प्रशिक्षण प्रदान किया है।

सिद्धांत 5 : कारोबारों को मानव अधिकार का सम्मान और बढावा देना चाहिए।

1. क्या मानव अधिकार पर कंपनी की नीति सिर्फ कंपनी को कवर करती है या समूह / संयुक्त उपक्रम / आपूर्तिकर्ता / संविदाकार / एनजीओ / अन्य तक भी विस्तारित है ?	हाँ ● बैंक के पास कोई अलग मानव अधिकार नीति नहीं हैं। तथापि ये पहलू बैंक की मानव संसाधन नीति और व्यवहार के तहत कवर किए गए हैं।
2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने स्टेकधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक हल किया गया था?	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या –शून्य वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या–49 वर्ष के दौरान निवारण की गई शिाकायतों की संख्या –49 वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या – शून्य निपटायी गयी शिकायतों का प्रतिशत – 100%

<table>
<tr><td>7. Please indicate the Number of complaints relating to child labor, forced labor, involuntary labor, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year</td><td>
<table>
<tr><td>Complaints</td><td>Child labour</td><td>Forced labour</td><td>Involuntary labour</td><td>Sexual harassment</td></tr>
<tr><td>Number received</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td></tr>
<tr><td>Number Pending</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?</td><td>Officers 94.58%
Clerks 64.32%
Substaff 46.20%</td></tr>
</table>

Principle 4 : Business should respect the interests of and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/ No	Yes ● Stakeholders are classified into different categories viz. Government, Foreign Institutional Investors, Financial Institutions, Insurance Companies, Mutual Funds, Banks, Individuals etc
2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders	Yes ● Indian Bank has identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders which include Small and Marginal Farmers Tenant and Leased Farmers, landless Labourers and Rural Women. They are provided with special credit facilities like Kissan Credit Card, Agri. Jewel Loan, Self Help Groups, Joint Liability Group, Mudra loans etc.
3. Are there any special initiative taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	● Indian Bank has taken steps to provide banking facilities to the financially excluded people under PMJDY ● Indian Bank has provided financial counseling to 4.30 lakh individuals up to March 2019 through 19 FLCs since inception. ● Indian Bank has established 12 RSETIs in the name of Indian Bank Self Employment Training Institutes (INDSETIs) and imparted self employment trainings to 58912 individuals through 2118 batches up to March, 2019, cumulatively since inception.

Principle 5 : Businesses should respect and promote human rights

1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/ suppliers/ Contractors/NGOs/Others?	Yes ● Bank does not have a separate Human Rights Policy. However, these aspects are covered under Human Resources Policies and Practices of the Bank.
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	No. of complaints pending at the beginning of the year – NIL No. of complaints received during the year – 49 No. of complaints redressed during the year – 49 No. of complaints pending at end of the year – NIL Percentage of complaints resolved – 100%

सिद्धांत 6 : कारोबार को पर्यावरण का सम्मान, सुरक्षा और पुनः स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए

1. क्या सिद्धांत 6 सिर्फ कंपनी को कवर करती है या समूह / संयुक्त उपक्रम / आपूर्तिकर्ता/ संविदाकार / एनजीओ / अन्य तक भी विस्तारित है।	हाँ
2. क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरण मुद्दों जैसे मौसम परिवर्तन, वैश्विक ताप इत्यादि के विषय में नीतियाँ/पहल हैं? हाँ/नहीं। यदि हाँ तो वेबपेज के लिए हायपरलिंक दें।	● बगीचे/ग्रीन स्पोट्स प्रमुख क्षेत्रों पर अनुरक्षित की जाती हैं। ● बैंक ने हरियाली और ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखकर पूरे भारत में पौधा रोपण किया है।
3. क्या कंपनी संभाव्य पर्यावरणीय जोखिम की पहचान और आकलन करती है ? हाँ / नहीं	हाँ
4. क्या कंपनी के पास कोई स्वच्छ विकास प्रणाली से संबंधित परियोजना है? यदि हाँ तो इसका ब्यौरा लगभग 50 शब्दों में दें। यदि हाँ तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन दर्ज किया गया है?	अपने व्यवसाय के स्वरूप के कारण बैंक के पास कोई स्वच्छ विकास प्रणाली नहीं है।
5. क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीकी, उर्जा दक्षता, नवीकरणीय उर्जा इत्यादि पर कोई अन्य कदम उठाया है, हाँ / नहीं, यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज के लिए हायपरलिंक दें।	हाँ **परिसर** ● हरित पहल के रूप में, विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं आदि के सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से किए जाते हैं जैसे कि प्रत्यक्ष क्रेडिट/एनईएफटी/आरटीजीएस (केवल असाधारण परिस्थितियों में चेक के माध्यम से भुगतान किया जाता है) ● बैंक के अपने निजी परिसर में सौर ऊर्जा और एलईडी लाइटों का उपयोग ● बैंक, भारत में 148 संपत्तियों और सिंगापुर में 2 संपत्तियों का मालिक है। ● बैंक ने परिसर के व्यय, खरीद अनुबंध, मुद्रण एवं स्टेशनरी, वाहण, दूरभाष/सेल फोन के लिए समान नीतियों को अपनाया है और सभी शाखाओं/अंचलों में भी इसे अपनाया गया है। **हरित पहल :** **ए. सौर ऊर्जा और एलईडी लाइटिंग** ● कार्पोरेट कार्यालय में सौर ऊर्जा का उपयोग, यह पहले से ही ग्रीन बिल्डिंग (स्वर्ण रेटिंग स्तर) के तहत उपलब्ध है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होने के नाते ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाकर, बैंक ने ग्रीन इंडिया बनाने के लिए अन्य उपक्रमों के साथ मिलकर सहयोग दिया है। ● ऊर्जा की खपत में, वार्षिक समग्र व्यय को लगभग 4 से 5 प्रतिशत कम करने हेतु बैंक के अपने निजी भवनों में, जहाँ भी तकनीकी रूप से संभव हो, वहाँ सौर ऊर्जा का विस्तार किया जा रहा है। ● आंतरिक लाइटिंग प्रणालियों में एलईडी लैंप का उपयोग करके लाइटिंग प्रणालियों में नए तकनीकी उत्पादों को अपनाना ● नई शाखाओं में केवल एलईडी लाइट का प्रयोग किया जाता है। ● मौजूदा शाखाओं में रोशनी व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। वर्तमान में 1050 शाखाएँ/कार्यालयों में एलईडी लाइटिंग व्यवस्था प्रदान किए गए हैं। **अन्य हरित पहल** ● शाखाओं और कार्यालयों में समय–समय पर ऊर्जा लेखापरीक्षा करना ● शाखाओं एवं कार्यालयों में स्थापित एयर कंडीशनर के ऑटो कट–ऑफ के लिए टाइमर का प्रावधान, हार्मोनिक फिल्टरों को लगाने और स्टार रेटेड को विद्युत उपकरणों के उपयोग से बिजली की खपत में काफी कम आयी है।
6. वित्तीय वर्ष हेतु सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा अनुमत की गई सीमा के अंतर्गत कंपनी ने जितना भी उत्सर्जन / कचरा उत्पादित किया हैं, क्या उनकी रिपोर्ट की जा रही है?	लागू नहीं
7. वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त (जैसे संतुष्टि होने तक हल नहीं की गई) कारण बताओ/विधिक नोटिसें जो लंबित हैं, की संख्या कितनी है?	शून्य

Principle 6 : Business should respect, protect and make efforts to restore the environment.

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ others.	Yes
2. Does the Company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. if yes, please give hyperlink for webpage etc	• Gardens / green spots are maintained at prime locations. • Bank has planted tree saplings pan India to address the issue of greenery & global warming.
3. Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N	Yes
4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance is filed?	Given the nature of business, Bank does not have a Clean Development Mechanism.
5. Has the company undertaken any other initiative on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc	**PREMISES:** • As the part of the green initiatives, all payments to vendors, suppliers etc are made through electronic channels, viz., direct credit / NEFT / RTGS (only under exceptional circumstances, payment by way of cheque is made) • Introduction of Solar Power and LED lights at Bank owned premises • Bank owns 148 properties in India and 2 properties in Singapore. • Bank has put in place uniform policies for Premises Expenditure , Purchases Contracts, Printing and Stationery, Air-Conditioning, Auto mobiles, Telephone / Cell Phone and has adopted the same at all branches / Zones **GREEN INITIATIVES:** **A. Solar Power and LED lighting** • Harnessing of Solar power to Corporate Office, this is already under Green Building (Gold Rating Status). By adopting alternatives sources of energy, as a public Sector Bank the Bank has joined hands with other entity to form Green India. • Expanding the Solar Power Plant installation network in Bank's own building, wherever technically feasible, to reduce the annual overall expenditure on Energy consumption by about 4 to 5 percent. • Adopting new technological products in the illumination systems by using LED lamps in the interior lighting systems • New branches illuminated with LED lighting only. • Lighting in existing branches being replaced in a phased manner. Presently 1050 branches / Offices are provided with LED lighting. **B. OTHER GREEN INITIATIVES** • Conduct of Energy Audits periodically for branches and offices. • Provision of timers for auto cut off of Air Conditioners installed at branches and Offices, installations of harmonic filters and usage of Star rated electrical appliances have considerably reduced the consumption of electricity.
6. Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?	NA
7. Number of show cause/legal notices received from CPCB/SPCB which are pending(i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year	NIL

सिद्धांत 7 : ऐसे कारोबार, जो जनता और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हुए हैं, उसे जिम्मेदार तरीके से करें।

1.	क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड और चैंबर या संघ का सदस्य है?यदि हाँ, तो उनमें से प्रमुख के नाम बताए जिनके साथ आपका व्यापार होता है।	हाँ आईबीए, एनआईबीएम, आईआईबीएफ, आईबीपीएस
2.	क्या आपने जनहित की प्रगति या सुधार हेतु उपरोक्त संघों द्वारा तीव्र रूप से कार्य कराया है?हाँ/नहीं : यदि हाँ तो व्यापक क्षेत्र का विवरण दें। (ड्रॉप बाक्सः शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीति, ऊर्जा सुरक्षा, पानी, खाद्य सुरक्षा संधारणीय व्यवसाय सिद्धांत अन्य)	बैंक ने समय–समय पर बैंकिंग उद्योग के सतत विकास हेतु नीति निर्माताओं और नीति निर्धारण संघों की नीतियों का समर्थन किया है।

सिद्धांत 8 : कारोबारों को समावेशी विकास और न्यायोचित विकास का समर्थन करना चाहिए

1.	क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएं निर्दिष्ट की है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा दीजिए	इंडियन बैंक ने चित्तूर, मछलिपट्नम (आंध्र प्रदेश), कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णगिरि, नामक्कल, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, वेलूर और विल्लुपुरम (तमिलनाडु), कोल्लम चडयमंगलम तथा पारस्साला (केरल में) और पुदुच्चेरी (पुदुच्चेरी संघ शासित क्षेत्र में) में वित्तीय साक्षरता केन्द्रों के माध्यम से क्षमता वर्धक पहल की है। चेन्नै, दिल्ली और मुंबई में बैंक की वित्तीय समावेशन पहलों की दिशा में प्रवासी श्रमिकों तथा झोंपडपट्टियों के निवासियों के हित के लिए शहरी वित्तीय साक्षरता केन्द्र स्थापित किए गए हैं। अब तक इन 19 एफएलसी के माध्यम से कुल मिलाकर 3.22 लाख व्यक्तियों को वित्तीय परामर्श दिए गए हैं। इंडियन बैंक ने ''इंडियन बैंक स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान'' (आईएनडीएसईटीआई) के नाम पर 12 केन्द्रों में आरएसईटीआई की स्थापना की है जैसे चित्तूर, कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णगिरि, नामक्कल, पुदुच्चेरी, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, वेलूर और विल्लुपुरम। इन इंडसेटियों द्वारा 2118 सत्रों में 58912 अभ्यर्थियों को स्वनियोजन प्रशिक्षण दिया गया। बैंक देशभर में समाज की बैंकिंग सुविधाओं से वंचित वर्गों के लिए बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ वित्तीय समावेशन योजना को कार्यान्वित कर रहा है। अब तक बैंक ने विभिन्न सुपुर्दगी चैनलों के माध्यम से पूरे भारत में 2975 एसएसए में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया है। वित्तीय समावेशन के तहत गांवों में 37.44 लाख ग्राहकों को कवर किया गया तथा खाता धारकों को रुपये 17.60 करोड़ तक की ओवरड्राफ्ट सुविधाएं भी विस्तारित की गई।
2.	क्या इन–हाउस टीम/स्वयं के संस्थान / बाहय एनजीओ सरकारी सरंचनाओं/अन्य संगठनों द्वारा कार्यक्रम/परियोजनाएं ली गई हैं ?	बैंक ने गरीब एवं दलित लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए 'ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट' (आईबीटीआरडी) के नाम से एक ट्रस्ट स्थापित किया एवं इनके द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
3.	क्या आपने अपनी पहल के प्रभाव का कोई निर्धारण किया है ?	इंडसेटियों का असर तथा प्रभावशीलता को मानिटर करने हेतु आरसेटियों के लिए मानिटरिंग सेल द्वारा वार्षिक ग्रेडिंग के आधार पर मानिटर किया जाता है ताकि उचित प्रतिक्रिया मिलें और आगे इंडसेटियों को सुदृढ़ बनाने के किए कदम उठाये जा सके। वर्ष 2017–18 के दौरान, दस संस्थानों ने एए ग्रेड तथा दो ने एबी ग्रेड प्राप्त किया है। 2018–19 के लिए अभी ग्रेडिंग की जानी बाकी है।
4.	आपके कंपनी का समुदाय विकास परियोजना में प्रत्यक्ष रूप से क्या योगदान है। आईएनआर में राशि और चलाई जा रही परियोजना के विवरण दें।	वर्ष 2018–19 के दौरान ट्रस्ट (आईबीटीआरडी) ने इंडसेटियों और एफएलसी के माध्यम से क्षमता निर्माण गतिविधियों के जरिए समुदाय विकास के लिए कुल 3.90 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है।
5.	क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं हैं कि समुदायों द्वारा आपके प्रयासों को सफलतापूर्वक अपनाया गया है? अगर ऐसा है तो कृपया 50 शब्दों में बताएं।	प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को स्व–रोजगार गतिविधियाँ अपनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक की इंडसेटियों द्वारा व्यवस्थित फॉलो–अप एवं काउन्सेलिंग सेवाएं चलाई जा रही हैं। अभ्यर्थियों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पड़ोसी बैंक की शाखाओं के साथ प्रशिक्षुओं के ऋण सहबद्धता हेतु विशिष्ट प्रयास किए जाते हैं।

Principle 7 : Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:	YES IBA, NIBM, IIBF, IBPS
2. Have you advocated /lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration. Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others).	The Bank from time to time has advocated the policies to policymakers and policy-making associations, for sustainable development of the banking industry.

Principle 8 : Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. Does the company have specified programmes/initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle8? If yes details thereof	Indian Bank has taken up capacity building initiatives through Financial Literacy Centres at Chittoor, Machilipatnam, (Andhra Pradesh), Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Salem, Thiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore and Villupuram (Tamil Nadu), Kollam, Chadayamangalam and Parassala (Kerala), Puducherry (UT of Puducherry). Urban Financial Literacy Centres have been established in Chennai, Delhi and Mumbai for the benefit of migratory workers and slum dwellers as part of Bank's initiatives in financial inclusion. A total of 4.30 lakh individuals were provided financial counseling through these 19 FLCs. Indian Bank has established Rural self Employment Training Institute (RSETI) in the name of Indian Bank Self Employment Training Institutes (INDSETIs) in twelve centres viz. Chittoor, Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Puducherry, Salem, Tiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore and Villupuram. So far a total 58912 candidates were given self employment training through 2118 Batches through these INDSETIs since inception. During 2018-19, 339 Training programmes have been conducted and training imparted to 9256 candidates. Indian Bank is implementing Financial Inclusion Plan with a vision to provide basic banking facilities to the unbanked segments of the society across the country. Indian Bank has so far extended banking facilities to 2975 SSAs pan India through various delivery channels. Basic Savings Bank Deposit Accounts/PMJDY accounts have been opened for 37.44 lakh customers in the villages covered under financial inclusion and Overdraft facilities to the extent of ₹17.60 crore have also been extended to the account holders.
2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/any other organization?	Bank has set up a Trust by name "Indian Bank Trust for Rural Development" (IBTRD) for imparting training to the poor and downtrodden people and conducts various training programmes.
3. Have you done any impact assessment of your initiative?	Impact and effectiveness of INDSETIs is monitored based on the annual grading exercise undertaken by the monitoring cell for RSETIs for getting proper feedback and initiate necessary steps for further strengthening of INDSETIs. During the year 2017-18, Eleven of the INDSETIs have obtained AA grades, and One AB grade. The grading for 2018-19 is yet to be done by Ministry of Rural Development/National Center of Excellence of RSETIs/Bengaluru.
4. What is your company's direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken	During the year 2018-19, the Trust (IBTRD) has spent about an amount of ₹ 3.90 crore towards Community Development activities through INDSETIs and FLCs by way of capacity building initiatives.
5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.	Systematic follow-up and counseling services are being undertaken by our INDSETIs to facilitate the trained candidates to adopt self employment activities. Specific efforts are also made for credit linkage of the trainees with neighboring bank branches to enable the candidates to start enterprises of their choice in which they gained their training.

अनुषंगियाँ

- बैंक की दो अनुषंगियाँ हैं। इनके नाम इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लि. और इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड है।

- **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक**

- बैंक ने तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, यथा सप्तगिरि ग्रामीण बैंक जिसका मुख्यालय चित्तूर (आंध्र प्रदेश) में है, पल्लवन ग्राम बैंक जिसका मुख्यालय सेलम (तमिलनाडु) में है और पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक जिसका मुख्यालय पुदुच्चेरी (पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र) में है, को प्रायोजित किया है।

- वर्ष के दौरान 12 शाखाओं के खोले जाने से मार्च 2018 की 542 शाखाओं से बढकर मार्च 2019 को तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का शाखा तंत्र 554 रहा।

- मार्च 2018 को ₹19663.91 करोड़ की तुलना में मार्च 2019 को तीन क्षेग्राबैंकों का कुल कारोबार ₹23161.35 करोड़ रहा।

- 220 शाखाओं के साथ सप्तगिरि ग्रामीण बैंक का कुल कारोबार ₹11469.69 करोड़ रहा। (जमाएँ ₹ 5750.55 करोड़ और अग्रिम ₹ 5719.14 करोड)।

- 291 शाखाओं के साथ पल्लवन ग्राम बैंक का कुल कारोबार ₹10398.02 करोड़ रहा। (जमाएँ ₹ 5102.13 करोड़ और अग्रिम ₹5295.89 करोड)।

- 43 शाखाओं के साथ पुदुवै ग्राम बैंक का कुल कारोबार ₹1293.64 करोड़ रहा। (जमाएँ ₹ 680.78 करोड़ और अग्रिम ₹ 612.86 करोड)।

- तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लाभ कमा रहे हैं।

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सक्रिय रूप से भारत सरकार के पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई कार्यक्रमों में भाग ले रहें हैं। तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 512 एसएसए गाँवों को कवर कर रहे हैं और उन्होंने इस योजना के अंतर्गत 6.68 लाख खाते खोले हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने पीएमएसबीवाई के अंतर्गत 4.29 लाख हिताधिकारियों को, पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत 1.72 लाख हिताधिकारियों को और एपीवाई के अंतर्गत 54879 हिताधिकारियों को कवर किया है।

सिद्धांत 9 : व्यापारिक संगठनों द्वारा अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को उत्तरदायी तरीके से मूल्यवर्धन के साथ सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।

1.	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें / ग्राहक मामले का प्रतिशत कितना है?	0.21%
2.	क्या कंपनी के द्वारा स्थानीय कानून के तहत उत्पाद के लेबल पर उत्पाद की जानकारी लिखी होती हैं? हाँ / नहीं / लागू नहीं / टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)	**लागू नहीं**
3.	गत पांच वर्षों में एवं वित्तीय वर्ष के अंत में, अनुचित व्यापार पद्धतियों के प्रयोग, गैर जिम्मेदार विज्ञापनों और/या गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार के लिए, क्या किसी स्टेक धारक ने कंपनी के विरुद्ध कोई वाद दायर किया है? यदि हाँ, तो उसके विवरण दें।	कोई भी शेयरधारक वर्ष के दौरान बैंक के खिलाफ कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया है।
4.	क्या आपकी कंपनी द्वारा ग्राहक सर्वेक्षण/ग्राहक संतुष्टि रुझान कार्यक्रम चलाए जाते हैं ?	हाँ

SUBSIDIARIES

- The Bank has two subsidiaries viz., Ind Bank Merchant Banking Services Ltd and Ind Bank Housing Ltd.

REGIONAL RURAL BANKS

- The Bank has three sponsored Regional Rural Banks viz, Saptagiri Grameena Bank headquartered at Chittoor (Andhra Pradesh), Pallavan Grama Bank, headquartered at Salem (Tamil Nadu) and Puduvai Bharathiar Grama Bank headquartered at Puducherry (Union Territory of Puducherry).
- The branch network of the three RRBs increased by 12 branches during the year from 542 as of March 2018 to 554branches as of March 2019.
- The total business of the three RRBs was ₹23161.35 crore as of March 2019 as compared to ₹19663.90 crore as of March 2018.
- Saptagiri Grameena Bank has 220 branches with a total business of ₹11469.69 crore. (Deposits: ₹5750.55 crore and advances ₹5719.14 crore)
- Pallavan Grama Bank has 291 branches with a total business of ₹ 10398.02 crore (Deposits: ₹ 5102.13 crore and advances ₹5295.89 crore).
- Puduvai Bharathiar Grama Bank has 43 branches with a total business of ₹1293.64 crore (Deposits: ₹ 680.78 crore and advances: ₹612.86 crore)
- All the three RRBs are profit making RRBs.
- RRBs are actively participating in PMJDY, PMJJBY, PMSBY & APY programmes of Govt of India. The three RRBs are covering 512 SSA villages under PMJDY and have opened 6.68 lakh accounts under the scheme. The RRBs have also covered 4.29 lakh beneficiaries under PMSBY, 1.72 lakh beneficiaries under PMJJBY and 54879 beneficiaries under APY during the year 2018-19.

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year	0.21%
2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No./N.A/ Remarks (additional information)	NA
3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about words or so	No shareholder has filed any suit against the bank during the year
4. Did your company carry out any consumer survey/consumer satisfaction trends?	Yes

कार्पोरेट अभिशासन 2018–19 पर रिपोर्ट

कॉर्पोरेट अभिशासन पर बैंक का दृष्टिकोण

कार्पोरेट अभिशासन अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए उपक्रमों को नियंत्रित एवं मार्गदर्शित किया जाता है ताकि नैतिक ढंग से उनकी धन–सृजन की क्षमता को बढाया जा सके। यह प्रबंधन, उसके बोर्ड, शेयरधारक और अन्य स्टेकधारकों के बीच उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है ताकि संगठन के निर्धारित उद्देश्य हासिल किए जा सके और साथ ही निष्पादन पर निगरानी रखने के अलावा शेयरधारकों के धन को धारणीय तरीके से अधिकाधिक बनाने के अंतिम लक्ष्य के साथ उस क्षेत्र के कानूनों का अनुपालन करते हुए अपने दैनंदिन के कारोबार को अत्यंत सक्षम, पारदर्शी एवं नैतिक रूप से संचालित किया जा सके। यह ऐसी एक प्रक्रिया का प्रवर्तन है जिससे मूल्य, सिद्धान्त, नीतियां और प्रक्रियाएँ अत्यधिक प्रभावकारी ढंग से सिस्टम में अंतर्निहित एवं प्रकट कराए जाते हैं।

श्रेष्ठता हासिल करने के लिए बैंक, कार्पोरेट अभिशासन के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने के लिए प्रयासरत है और अपने उत्तरदायित्व, जो सभी स्टेकधारकों के लिए मूल्य को आपसी संवाद, आदर, स्पष्ट लक्ष्य और निर्णयात्मक नेतृत्व के जरिए बढाने के लिए प्रयत्न करते समय नैतिक व्यवहार के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है, हासिल करने के लिए प्रयासरत है। बैंक स्वयं को सभी स्टेकधारकों का न्यासी मानता है और सुदृढ कॉर्पोरेट रणनीतियों, सक्रिय कारोबार योजनाओं एवं नीतिपरक एवं विधिक जिम्मेदारियों की पूर्ति के लिए नीतियों एवं कार्यप्रणालियों के माध्यम से प्राप्त की गई उनके धन के सृजन एवं रक्षण के प्रति अपने उत्तरदायित्व को अभिस्वीकृत करता है। अभिशासन मानकों के अनुपालन के लिए उच्चस्तरीय प्रकटीकरण नीति के साथ बैंक के कॉर्पोरेट अभिशासन सिद्धांत लाभकर संवृद्धि हेतु सुदृढ रूप से कटिबद्ध हैं।

2. निदेशक मंडल की संरचना

निदेशक मंडल में तीन पूर्णकालिक निदेशक और सात गैर कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक हैं।

मार्च 31, 2019 को निदेशक मंडल के विवरण निम्नवत् हैं:

क्रमांक	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशक पद का स्वरूप	इंडियन बैंक के अलावा सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पदों का विवरण	नियुक्ति की तारीख
1.	सुश्री पद्मजा चुन्डूरु	प्रनि एवं मु का अ	कार्यपालक		19.09.2018
2.	श्री एम के भट्टाचार्य	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक		16.02.2017
3.	श्री वी वी शेणॉय	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	1. इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि. एवं 2. इंडबैंक हाउसिंग लि. के नामित निदेशक	20.09.2018
4.	श्री अमित अग्रवाल	सरकारी नामिती निदेशक	गैर–कार्यपालक		05.04.2018
5.	श्री जे के दाश	भा रि बैंक के नामिती निदेशक	गैर–कार्यपालक		16.11.2016
6.	श्री विजय कुमार गोयल	सनदी लेखाकार निदेशक	गैर–कार्यपालक		26.07.2016
7.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	अंश कालिक गैर–सरकारी निदेशक	गैर–कार्यपालक		25.04.2016
8.	श्री सलिल कुमार झा	अंश कालिक गैर–सरकारी निदेशक	गैर–कार्यपालक		27.12.2017
9.	श्री विनोद कुमार नागर	शेयरधारक निदेशक	गैर–कार्यपालक	रीको ऑटो इंडस्ट्रीज लि में गैर–कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक एवं लेखापरीक्षा समिति में सदस्य	01.07.2017
10.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर	शेयरधारक निदेशक	गैर–कार्यपालक		21.12.2017

शेयरधारक निदेशकों को छोडकर सभी निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त / नामित किये गए हैं।

श्री किशोर खरात 13.08.2018 तक बैंक के प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे।

श्री ए एस राजीव 30.11.2018 तक बैंक के कार्यपालक निदेशक रहे।

श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन 13.08.2018 तक बैंक के अंश कालिक गैर–सरकारी निदेशक एवं गैर–कार्यपालक अध्यक्ष रहे।

सुश्री मुदिता मिश्रा 04.04.2018 तक बैंक के सरकारी नामिती निदेशक रहे।

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 2018-19

Bank's Philosophy on Corporate Governance

Corporate Governance is by itself a process by which the entities are controlled and guided to enhance their wealth generating capacity in an ethical manner. It acts as a catalyst between Management, Board, shareholders and other stakeholders to achieve the set goals of the organization while abiding the law of the land in conducting its day to day business in a most efficient, transparent and ethical way with an ultimate objective of maximizing shareholders' wealth on a sustainable basis besides monitoring the performance. It is the evolution of a system by which the values, principles, policies and procedures are ingrained and manifested in the system in the most effective way.

In the pursuit of excellence, the Bank endeavors highest standard of Corporate Governance and committed to its responsibilities which is based on total commitment to ethical practices in the conduct of business while striving hard to enhance all stakeholders' value by mutual dialogue, respect, clear goals and decisive leadership. The Bank considers itself as a trustee of all the stakeholders and acknowledges its responsibility towards them by creating and safeguarding their wealth, attained through sound corporate strategies, proactive business plans, policies and procedures to satisfy the ethical and legal responsibilities. Bank's corporate governance principles are firmly rooted for generating profitable growth with high level degree of disclosure policies adhering to the governance standards.

2. Composition of Board of Directors

The Board of Directors comprises of three Whole Time Directors and seven Non Executive/ Independent Directors.

Particulars of Board of Directors as on 31st March 2019 are as under:

No.	Name of Director	Designation	Nature of Directorship	Details of Directorship in other listed entities other than Indian Bank	Date of Appointment
1.	Ms Padmaja Chunduru	MD & CEO	Executive		19.09.2018
2.	Shri M K Bhattacharya	Executive Director	Executive		16.02.2017
3.	Shri V V Shenoy	Executive Director	Executive	Nominee Director in 1.Indbank Merchant Banking Services Ltd and 2. Ind Bank Housing Ltd	20.09.2018
4.	Shri Amit Agrawal	Govt. Nominee Director	Non-Executive		05.04.2018
5.	Shri J K Dash	RBI Nominee Director	Non-Executive		16.11.2016
6.	Shri Vijay Kumar Goel	Chartered Accountant Director	Non-Executive		26.07.2016
7.	Shri Padmanaban Vittal Dass	Part-Time Non-Official Director	Non-Executive		25.04.2016
8.	Shri Salil Kumar Jha	Part-Time Non-Official Director	Non-Executive		27.12.2017
9.	Shri Vinod Kumar Nagar	Shareholder Director	Non-Executive	Non-Executive Independent Director in Rico Auto Industries Ltd and Member in Audit Committee	01.07.2017
10.	Dr. Bharat Krishna Sankar	Shareholder Director	Non-Executive		21.12.2017

All the Directors have been appointed/nominated by the Govt. of India (GOI) except Shareholder Directors.

Shri Kishor Kharat was MD &CEO of the Bank upto 13.08.2018.

Shri A S Rajeev was Executive Director of the Bank upto 30.11.2018.

Shri T C Venkat Subramanian was Part-Time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Bank upto 13.08.2018.

Ms Mudita Mishra was Government Nominee Director of the Bank upto 04.04.2018.

श्री पद्मनाभन विट्ठल दास, बैंक के अंश कालिक गैर–सरकारी निदेशक, के 3 वर्ष का कार्यकाल 24.04.2019 को समाप्त हो गया।

श्री जे के दाश 25.04.2019 तक बैंक के भा रि बैंक के नामिती रहे। श्री एस के पाणिग्रही को वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना एफ़ सं 6/3/2011–बीओ आई दिनांक 26.04.2019 से श्री जे के दाश के स्थान पर भा रि बैंक के नामिती निदेशक के रूप में नामित किया गया था।

बोर्ड द्वारा पहचानी गई मूल कौशल / अनुभव / दक्षताओं की सूची

केंद्र सरकार द्वारा बैंक के शेयरधारक निदेशकों के अलावा सभी निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। शेयरधारक निदेशक केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों द्वारा चुने जाते हैं। बैंक के निदेशकों के पास बैंक के लिए प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु निम्नलिखित मूल कौशल / अनुभव / दक्षताएं हैं

लेखाशास्त्र एवं लेखापरीक्षा	बैंकिंग	वित्त
जोखिम प्रबंधन	मानव संसाधन	ट्रेशरी एवं विदेशी परिचालन
ऋण प्रबंधन	सूचना प्रौद्योगिकी	अर्थ शास्त्र

स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में पुष्टिः

भारत सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों ने इसकी पुष्टि की है कि वे सूचीकरण नियमों के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

बोर्ड इस बात की भी पुष्टि करता है कि बैंक के स्वतंत्र निदेशक सूचीकरण नियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं।

कंपनी सचिव का व्यवसाय करनेवाले वी सुरेश से एक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है कि बैंक के निदेशक मंडल में से कोई भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे कोई सांविधिक प्राधिकारी, द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रहने से विवर्जित या अनर्ह नहीं किए गए हैं।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा त्यागपत्र :

वर्ष 2018-19 के दौरान, किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले त्यागपत्र नहीं दिया है।

निदेशकों का प्रोफाइल :

सुश्री पद्मजा चुन्डूरु, उम्र 57 वर्ष ने सितम्बर 21, 2018 को इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वे भारतीय स्टेट बैंक, कॉर्पोरेट केंद्र, मुंबई में उप प्रबंध निदेशक (वैश्विक बाज़ार) के पद पर कार्यरत थी। उन्होंने आंध्रा विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर और सीएआईआईबी की उपाधि प्राप्त की हैं। उन्होंने 1984 में भारतीय स्टेट बैंक में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में सेवा आरंभ की। अपने 3 दशकों से अधिक के कार्यकाल के दौरान भारत एवं यूएसए की तैनाती में, उन्होंने कॉर्पोरेट उधार और ऋण प्रबंधन, खुदरा संचालन और डिजिटल बैंकिंग, ट्रेजरी और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में व्यापक अनुभव प्राप्त किया। उप प्रबंध निदेशक के रूप में, सुश्री पद्मजा चुन्डूरु ने भारतीय स्टेट बैंक में ग्लोबल मार्केट्स और डिजिटल बैंकिंग वर्टिकल का नेतृत्व किया। वे सितंबर 2014 और अगस्त 2017 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में बैंक की देश प्रमुख थी। इस कार्यकाल के दौरान, उन्होंने न्यूयॉर्क, चिकागो और लॉस एंजेलिस में भारतीय स्टेट बैंक के अमेरिकी कार्यालयों में रणनीतिक योजना की देख–रेख एवं डिजाइनिंग, व्यापार गतिविधि, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन की जिम्मेदारियों को संभाला। वे अमेरिकी निगमों को सिंडिकेटेड और द्विपक्षीय ऋण दोनों के माध्यम से स्थानीय अमेरिकी व्यापार परिचलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थीं। उन्होंने एफआरबी, एफडीआईसी और राज्य नियामकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखा। सुश्री पद्मजा चुन्डूरु भारतीय स्टेट बैंक के एक यूएस आधारित सहायक बैंक में निदेशक मंडल के उपाध्यक्षा और भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया) के ईसी की अध्यक्षा भी थी। उन्होंने डोड फ्रैंक अधिनियम के तहत गठित संयुक्त यूएस ओपीएस जोखिम समिति की अध्यक्षता की। वे यूएसआईबीसी की बैंकिंग समिति और इंटरनेशनल बैंकर एसोसिएशन न्यूयॉर्क, एशिया सोसाइटी न्यूयॉर्क और पेसिफिक रिम बैंकर समूह, सैन फ्रांसिस्को के ट्रस्टी बोर्ड की सदस्या थी। इससे पूर्व, सुश्री पद्मजा चुन्डूरु भारतीय स्टेट बैंक में अक्टूबर 2012 और अगस्त 2014 के बीच कॉर्पोरेट लेखा समूह की महाप्रबंधक थी, जब उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक के सीएजी–बीकेसी कार्यालय की स्थापना की। उन्होंने भारत के बृहत कंपनियों के साथ संबंध स्थापित करने और प्रबंधन में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने नए ऋण की हामीदारी, आस्ति गुणवत्ता के रख–रखाव और नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन करने में अपनी भूमिका निभायी। इससे पहले, वे अक्टूबर 2008 से सितंबर 2012 तक मध्य–कॉर्पोरेट समूह की उप महाप्रबंधक थीं और मुंबई में डायमंड शाखा और बाद में वाणिज्यिक शाखा की प्रमुख थीं । अपने पहले विदेशी कार्यकाल में, सुश्री पद्मजा संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय स्टेट बैंक लॉस–एंजेलिस एजेंसी में सितंबर 2001 में उपाध्यक्षा (क्रेडिट एवं परिचालन) के रुप में कार्यभार संभाला और इसके बाद सीईओ के पद पर फरवरी 2006 में अपना कार्यकाल पूरा किया। इस कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कैलिफोर्निया में संघीय विनियमित एजेंसी के व्यापार विकास, प्रबंधन और संचालन का नेतृत्व किया। वे बैंक के ईक्विटी शेयरधारक नहीं है।

श्री एम के भट्टाचार्य, आयु 58 वर्ष, फरवरी 18, 2017 को इंडियन बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उनको वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि तथा सीएआईआईबी उपाधि प्राप्त है। वे इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटण्ट्स (एआईसीडबल्यूए) के एसोसियेट सदस्य हैं। इन्होंने 1985 में स्टेट बैंक ग्रूप में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में चयन के बाद स्टेट बैंक आफ मैसूर में तैनात हुए तथा सहायक महा प्रबंधक के स्तर तक विभिन्न पदों पर काम किया। 2010 में उप महा प्रबंधक के रूप में पदोन्नति पर ये स्टेट बैंक आफ हैदराबाद में गए। 2013 में महा प्रबंधक के रूप में पदोन्नत होने पर स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर में तैनात हुए तथा यहां कई कार्यभार संभालने के बाद 2016 में इनको

The 3 year term of Shri Padmanaban Vittal Dass, Part-Time Non-Official Director of the Bank ended on 24.04.2019.

Shri J K Dash was RBI Nominee Director of the Bank upto 25.04.2019. Shri S K Panigrahy was nominated as RBI Nominee Director in place of Shri J K Dash vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification F No.6/3/2011-BO.I dated 26.04.2019.

List of Core Skills / Experience / Competencies identified by the Board:

All the directors other than the shareholder directors of the Bank are appointed by the Central Government of India. The shareholder directors are elected by the shareholders other than the Central Government. The directors of the Bank have the following core skills / experience/ competencies for the Bank to function effectively;

Accountancy & Audit	Banking	Finance
Risk Management	Human Resources	Treasury & International Operations
Credit Management	Information Technology	Economics

Confirmation with respect to independent directors:

The independent directors appointed by the Government of India have confirmed that they meet the criteria of independence laid down under the Listing Regulations and they are independent of Management.

The Board also confirms that the independent directors of the Bank fulfills the conditions specified in the Listing Regulations and are independent of the Management.

"A Certificate has been received from V. Suresh, Practising Company Secretary that none of the Directors on the Board of the Bank has been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of Bank by the securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate affairs or any such Statutory Authority"

Resignation of independent directors:

During the year 2018-19, no independent director has resigned before the expiry of his tenure.

Profile of Directors:

Ms Padmaja Chunduru, aged 57 years assumed charge as Managing Director & CEO of Indian Bank on 21st September 2018. Prior to this, she was Deputy Managing Director (Global Markets), State Bank of India, Corporate Center, Mumbai. A Post Graduate in Commerce from Andhra University and CAIIB, Ms Padmaja Chunduru joined SBI in 1984 as a Probationary Officer. In a career spanning more than 3 decades, with postings in India and USA, she gained rich experience in Corporate Lending, Credit management, Retail operations, Digital Banking, Treasury and International operations. As DMD, Ms Padmaja Chunduru headed the Global Markets and Digital Banking verticals in SBI. Prior to assuming the role of DMD, she was the Country Head of the Bank in USA between September 2014 and August 2017. During this tenure, she handled the responsibilities of designing and overseeing strategic planning, business activity, risk management and compliance in the US Offices of SBI in New York, Chicago and Los Angeles. She was instrumental in driving local US business through both syndicated and bilateral loans to US Corporates. She maintained good relationship with FRB, FDIC and State Regulators. Ms Padmaja Chunduru was also Vice-Chair of Board of Directors and Chair of EC of SBI (California), a US-based subsidiary bank of SBI. She headed the combined US Ops Risk Committee constituted under Dodd Frank Act. She was on the Banking committee of USIBC and a member of the Board of Trustees of the International Bankers Association New York, Asia Society New York and the Pacific Rim Bankers Group, San Francisco. Earlier, Ms Padmaja Chunduru was General Manager of Corporate Accounts Group in SBI between October 2012 and August 2014, when she established the CAG-BKC office of SBI. She played a key role in establishing and managing relationships with large India conglomerates. She was responsible for the underwriting of new loans, maintenance of asset quality and compliance with regulatory guidelines. Prior to this, she was DGM, Mid-Corporate Group from October 2008 till September 2012 and headed the Diamond branch and later, the Commercial branch in Mumbai. In her first overseas stint, Ms Padmaja Chunduru joined SBI Los Angeles Agency, in USA, in September 2001 as Vice President (Credit & Operations) and completed the assignment in February 2006 as its CEO. During this tenure, she led the business growth, management and operations of the federally regulated Agency in California. She does not hold any shares of the Bank.

Shri M K Bhattacharya aged 58 years, was appointed as the Executive Director of Indian Bank on February 16, 2017. He holds M.Com and CAIIB. He is an Associate Member of Institute of Cost & Works Accountant (AICWA).

He joined State Bank Group as Probationary Officer in 1985 and was posted to State Bank of Mysore and had a stint there at various levels up to Assistant General Manager. He was promoted to DGM Cadre in 2010 and moved to State Bank of Hyderabad. On promotion to GM Cadre in 2013, he moved to State Bank of Travancore and held various assignments and got promoted to Chief General Manager in 2016. During his

मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया। स्टेट बैंक ग्रूप में कार्यरत रहते समय, इन्होंने विभिन्न स्तरों में शाखा प्रधान रहे तथा इनको भारत भर में शाखा प्रबंधक के रूप में (22 वर्ष), क्षेत्र प्रमुख के रूप में (1 वर्ष) और माड्यूल प्रधान के रूप में (3 वर्ष) का प्रचुर अनुभव प्राप्त है। एसबीटी मे कार्यरत रहते समय इन्होंने बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी की भूमिका भी निभायी और महाप्रबंधक–व्यापार रणनीति, खुदरा बैंकिंग, एनआरआई बैंकिंग, बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों का नियंत्रण आदि अन्य कार्यभार भी संभाला। वे बैंक के ईक्विटी शेयरधारक नहीं है।

श्री शेणॉय वी वी आयु 57 वर्ष, 01.12.2018 को इंडियन बैंक के कार्यपालक अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। वे मुंबई विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक हैं। वे 17 जनवरी, 1985 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में भर्ती हुए। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के एक एसोसिएट सदस्य भी हैं और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आंतरिक रूप से आयोजित एक वर्ष के प्रबंधन शिक्षा कार्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लिया है। उनके पास 35 वर्षों का बैंकिंग अनुभव है। उन्होंने ग्रामीण, अर्ध–शहरी, शहरी और मेट्रो केंद्रों के साथ–साथ प्रशासनिक कार्यालयों के विभिन्न क्षेत्रों जैसे शाखाओं, सरल, क्षेत्रीय और वर्टिकल प्रमुख के रूप में कार्य किया। उन्होंने ऋण, सतर्कता, बैंकिंग लेन–देन, ऋण नीति और एमएसएमई, बृहत कॉर्पोरेट के साथ–साथ अध्यक्ष के सचिवालय जैसे विभिन्न वर्टिकल में काम किया। वे वर्टिकलाजेशन और ऋण कार्यों के केंद्रीकरण में एक कोर सदस्य थे । वे भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व केंद्रीय रजिस्ट्री के बोर्ड में एक नामिती निदेशक भी हैं। वे बैंक के ईक्विटी शेयरधारक नहीं है।

श्री अमित अग्रवाल आयु 48 वर्ष, को दिनांक जनवरी 5 अप्रैल 2018 के प्रभाव से इंडियन बैंक के सरकार नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे 1993 से भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य हैं। वे 2016 से वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के एक पूर्व छात्र, उन्होंने भारत सरकार और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों में व्यापक रूप से वित्त, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों में शीर्ष पदों पर कार्य किया है। उनके पहले के कार्य प्रभारों में, प्रधान मंत्री के कार्यालय में निदेशक; प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के कार्यालय में सलाहकार और निदेशक; नेशनल इनोवेशन काउंसिल के अध्यक्ष के साथ विशेष कार्य अधिकारी; विभिन्न राज्य सरकार के विभागों और एजेंसियों के प्रमुख; और जिला स्तरीय स्थानीय शासन के प्रमुख शामिल है। वे बैंक के ईक्विटी शेयरधारक नहीं है।

श्री जे के दाश, आयु 53 वर्ष, को भारत सरकार द्वारा नवंबर 16, 2016 के प्रभाव से भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि के धारक हैं। विनियामक संस्था में कुछ दशकों की सेवा के बाद वे देश के केन्द्रीय बैंक में इस पद पर पदोन्नत हुए हैं। वे बैंक के ईक्विटी शेयरधारक नहीं है।

श्री विजय कुमार गोयल, आयु 54 वर्ष, को जुलाई 26, 2016 के प्रभाव से इंडियन बैंक के सनदी लेखाकार निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे बी.काम (ऑनर्स) और एफसीए उपाधियों के धारक हैं। वे प्रेक्टिस में लगे हुए सनदी लेखाकार हैं। वे पीएचडी चेंबर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री तथा एफआईसीसीआई के सदस्य हैं। इन्होंने आधारभूत संरचना तथा उद्यमीवृत्ति विकास समिति की स्थापना की है और सौर ऊर्जा पर नीति के विकास के मुद्दे सरकार के साथ उठाए जाते हैं जिनमें सौर ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में सामरिक सलाह भी दी जाती है।

इन्होंने कई व्यावसायिक कार्यक्रमों में भाग लिया है, यथा, 1. आईआईएम, कोलकाता से एमबीए का विशेष प्रबंधन कार्यक्रम, 2. आईएसबी, हैदराबाद का वेंचर कैपिटल डेवलपमेंट कार्यक्रम, 3. आईआईएम, अहमदाबाद से मूलभूत संरचना विकास एवं वित्तीयन और 4. आईआईएम, अहमदाबाद से पीपी और मूलभूत संरचना पर कार्यक्रम। इनको लेखा परीक्षा, समुचित सावधानी, कॉर्पोरेट पुनःसंरचना, परियोजना वित्तीयन, कार्यकारी पूंजी वित्त और प्रबंधन परामर्श में निपुणता प्राप्त है।

वे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में यूएस आधारित बडे निजी ईक्विटी निवेशकों के लिए सलाहकार हैं। इन्होंने भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ बडौदा आदि बडे बैंकों की सांविधिक लेखा परीक्षा की है। वे बैंक के ईक्विटी शेयरधारक नहीं है।

श्री पद्मनाभन विट्ठल दास, आयु 68 वर्ष, को दिनांक 25 अप्रैल 2016 के प्रभाव से भारत सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया। तमिलनाडु के कुंभकोणम में 2 मई, 1950 को जन्मे, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कुंभकोणम और तिरुविडैमरुदूर में प्राप्त की और सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुच्ची (मद्रास विश्वविद्यालय) में अर्थशास्त्र स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) में कार्यरत रहते समय, उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से एलएलबी किया । वे 1974 में आईआरएस (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) में सहायक कलेक्टर के रूप में शामिल हुए। वे 22 जुलाई, 1974 और 31 मई 2010 के बीच भारत सरकार की सेवा में थे। 2010 में सेवानिवृत्ति के समय, वे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग और कस्टम्स बोर्ड (कार्मिक और सतर्कता) में एक सदस्य और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के विशेष सचिव थे। सेवाकाल में उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ–साथ मुख्यालय के कार्यालयों में भी कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, विभिन्न क्षेत्रों जैसे एंटिस्मग्लिंग इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एडमिनिस्ट्रेशन और सतर्कता में काम किया । उन्हें 1991 के गणतंत्र दिवस समारोह पर विशेष रूप से प्रतिष्ठित रिकॉर्ड के लिए "भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार" प्राप्त हुआ। उन्होंने तस्करी विरोध जोखिम प्रबंधन आदि पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेशों में विभिन्न सीमा शुल्क संरचनाओं का दौरा किया है। ये बैंक के ईक्विटी शेयरधारक नहीं है। 24.04.2019 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ ।

श्री सलिल कुमार झा, आयु 65 वर्ष, को 27 दिसंबर 2017 के प्रभाव से गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे एनआईटी जमशेदपुर से मैकेनिकल इंजीनियर (टॉपर और स्वर्ण पदक विजेता) हैं और एफ़एमएस दिल्ली से एमबीए की शिक्षा प्राप्त की है। वे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, एक नवरत्न पीएसयू और भारत की सबसे बड़ी रक्षा कंपनी के भूतपूर्व प्रबंध निदेशक हैं। वे एचएएल के फाइव जाइन्ट वेन्चर्स के अंशकालिक अध्यक्ष / निदेशक थे। एचएएल में पद ग्रहण करने के पहले उन्होंने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी में भी काम किया है। केरल के कासरगोड राज्य में सामरिक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टरी स्थापित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारत में नवीनतम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को लाने के लिए वैश्विक रक्षात्मक प्लेयरों के साथ रणनीतिक संबंध बनाए। उनके द्वारा आर एवं डी केन्द्रों में कई नई प्रणाली विकसित की गई और रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट दर्ज की गई। इनके कार्यकाल के दौरान नए बाजारों का भी पता लगाया गया। उनकी नीतियों में इन– हाउस विनिर्माण से आउटसोर्सिंग की ओर पलायन करना और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण से जोखिम शेयरिंग पार्टनरशिप संगठन की ओर अग्रसर होना शामिल हैं। इससे संगठन की सामान्य उत्पादकता तथा लाभप्रदता में बढ़ोत्तरी हुई। रक्षा मंत्रालय के अधीन सभी सार्वजनिक उपक्रमों और आयुध

stay at State Bank group he headed the branches at various scales and is having wide experience as Branch Head (22 years), Regional Head (1 year) and Module Head (3 years) spanning across India. While serving in SBT, he had also played role as Chief Risk Officer of the Bank and engaged in other assignments viz., General Manager Business Strategy, Retail Banking, NRI Banking, Controlling foreign offices of the Bank. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri V V Shenoy aged 57 years assumed charge as Executive Director of the Bank on 01.12.2018. He is a Commerce Graduate from Mumbai University. He Joined as Probationary Officer in Union Bank of India on 17th January, 1985. He is an Associate Member of Indian Institute of Bankers and successfully underwent one year Management Education Programme conducted internally by the Union Bank of India and is a career banker since last 35 years. He had worked in Branches in Rural, Semi Urban, Urban and Metro centres as well as Administrative Offices in different geographies as Branch, Saral, Regional and Vertical Head. He worked in different verticals like Credit, Vigilance, Transaction Banking, Credit Policy and MSME, Large Corporate as well as Chairman's Secretariat. He was a Core member in Verticalisation and Centralisation of Credit functions. He was also a Nominee Director on the Board of Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India. He does not hold any equity shares of the Bank.

Shri Amit Agrawal, aged 48 years, was nominated as the Govt. of India Nominee Director of the Bank from 5th April 2018. He is a member of the Indian Administrative Service since 1993. Since 2016, he is serving as Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services. An alumnus of Indian Institute of Technology Kanpur, he has served in top positions in the Government of India and the State Governments of Chhattisgarh and Madhya Pradesh, broadly in the areas of finance, technology and technical education. His earlier charges include that of Director in the Prime Minister's Office; Adviser and Director in the Office of Prime Minister's Economic Advisory Council; Officer on Special Duty with the Chairman of the National Innovation Council; head of various State Government Departments and agencies; and head of District-level Local Governments. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri J K Dash, aged 53 years, was appointed as the RBI Nominee Director of Indian Bank by the Government of India from 16.11.2016. He holds Master's degree in Economics. He has risen to the present position with the Central bank of the country after a few decades of service with the Regulator. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri Vijay Kumar Goel, aged 54 years, was appointed as Chartered Accountant Director of Indian Bank from July 26, 2016. He holds B.Com (Hons), and FCA. He is a practicing Chartered Accountant. He is a member of PHD Chamber of Commerce & Industry and FICCI. He has founded a Society for Development of Infrastructure and Entrepreneurship and policy development issue on Solar Power are being taken up with Government besides extending strategic advice on the Solar Power Sector.

He has undergone professional programmes like (i) Special Management Programme leading to MBA from IIM, Kolkata, (ii) Venture Capital Development Programme of ISB, Hyderabad, (iii) Infrastructure Development & Financing from IIM, Ahmedabad, and (iv) Programme on PP & Infrastructure at IIM, Ahmedabad. He has expertise in Audit, Due Diligence, Corporate Restructuring, Project Financing, Working Capital Finance and Management Consultancy.

He is an Advisor to a large US-based Private Equity Investors in Renewable Energy Sector. He has Conducted Statutory Audit of large Banks like SBI, Bank of Baroda, etc. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri Padmanaban Vittal Dass, aged 69 years, was nominated as a Part Time Non-Official Director on the Board of the Bank by Government of India for a period of three years with effect from April 25, 2016. Born at Kumbakonam, Tamil Nadu, on 2nd May 1950, he had his initial education at Kumbakonam and Thiruvidaimarudur and pursued UG and Post Graduation in Economics at St Joseph's College, Trichy (Madras University). He did LL.B from Gujarat University later on, while in Indian Revenue Service (IRS). He joined IRS (Customs and Central Excise) in 1974 as Assistant Collector. He was in the services of Government of India between July 22, 1974 and May 31, 2010. At the time of retirement in 2010, he was a Member (Personnel and Vigilance), Central Board of Excise and Customs /Special Secretary, Ministry of Finance, Govt of India. While in service, he had worked in different parts of the country in Customs, Central Excise, Service Tax, in various wings like, Anti Smuggling Intelligence, Investigation Administration and Vigilance in the field offices as well as in the Head Quarters offices. He received The President of India Award for Specially Distinguished Record of Service, on the Republic Day of 1991. He has visited various Customs formations abroad for familiarisation on Anti Smuggling Risk management, etc. He does not hold any Equity Shares of the Bank. He has demitted office on 24.04.2019.

Shri Salil Kumar Jha, aged 65 years, was appointed as Non-Official Director on the bank of the Bank by Government of India with effect from December 27, 2017. He is a Mechanical Engineer (Topper & gold Medalist) from NIT Jamshedpur and completed his MBA from FMS, Delhi. He is the former Managing Director of Hindustan Aeronautics Ltd., a Navratna PSU & biggest Defence Company of India. He was also a part time Chairman / Director of Five Joint Ventures of HAL. Prior to joining HAL, he also worked with Engineers India Ltd., & NTPC. He was instrumental in setting up a state of art Strategic Electronic Factory at Kasargod, Kerala. He formed strategic ties with global defence players to bring in latest cutting edge technologies to India. R&D centres under him developed a number of new systems and filed record number of patents. New Markets were also explored during his tenure. His policies like migrating from in-house manufacturing to outsourcing and moving from Transfer of Technology to risk

कारखानों में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन के लिए उनके नेतृत्व में प्रभागों को दो बार रक्षा मंत्री पुरस्कार मिला । ये बैंक के ईक्विटी शेयरधारक नहीं है।

श्री विनोद कुमार नागर, 67 वर्ष, को बैंक के शेयरधारक–निदेशक के रूप में जुलाई 01, 2017 से 3 वर्षों की अवधि के लिए फिर से निर्वाचित किया गया । वे सिंडिकेट बैंक के सेवानिवृत्त कार्यपालक निदेशक हैं। वे बी.टेक्स्ट, विपणन एवं बिक्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारक और एमबीए हैं । उनके पास 25 वर्ष से अधिक अवधि के बैंकिंग करियर का अनुभव प्राप्त हैं। सिंडिकेट बैंक में कार्यभार ग्रहण करने के पहले इन्होंने पंजाब नैशनल बैंक, नई दिल्ली में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में काम किया । कई वर्षों के लिए इन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष और अंचल प्रबंधक के रूप में अग्रणी पदों पर काम किया। वे पंजाब नैशनल बैंक में ऋण समिति, निवेश समिति, मानव संसाधन प्रबंधन समिति, सीबीएस कार्यान्वयन के लिए स्टीयरिंग समिति और उच्चतम स्तरीय समझौता समिति जैसी सभी मुख्य समितियों के सदस्य रहे और इनके पर्यवेक्षण में विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकन हुआ। वे आईबीए में वित्तीय समावेशन उप–समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य पर थोरट समिति, पंजाब राज्य के लिए एसएमई पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सशक्त समिति, गैर–नागरिक मंत्रालयों / विभागों में संशोधित प्रक्रिया की क्षमता की पुनरीक्षा के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति, सिविल मंत्रालयों / विभागों आदि से मान्यता प्राप्त बैंकों द्वारा किये जानेवाले सरकारी लेनदेन की समीक्षा हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा सृजित स्थायी समिति आदि प्रमुख समितियों के सदस्य थे । इनके पास बैंक के 107 शेयर हैं।

डॉ. भरत कृष्ण शंकर, आयु 54 वर्ष, को 21 दिसम्बर, 2017 से 3 वर्षों के लिए बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया । वे वाणिज्य में स्नातकोत्तर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एक राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता (इंटर और फाइनल दोनों में टॉपर) और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एक सहयोगी हैं। उनका डॉक्टरेट की थीसिस "उद्यमशीलता के निर्धारक और मदुरै जिले में एमएसएमई क्षेत्र में स्थिरता पर इसका प्रभाव" था । उन्हें व्यवसाय प्रबंधन वित्त और मानव संसाधन और प्रशिक्षण में समृद्ध अनुभव है। इनके पास बैंक के 200 ईक्विटी शेयर हैं ।

श्री एस के पाणिग्रही, आयु 55 वर्ष, को बैंक के भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक के रूप में 26.24.2019 से नामित किया गया। उन्होंने विदेशी प्रतिनियुक्ति पर सेंट्रल बैंक ऑफ़ ओमान (मस्कट में, ओमान की सल्तनत में) में 2006 से 2010 तक वरिष्ठ पद में काम किया है, जहां वे बैंकिंग नीति और पर्यवेक्षण विभाग संभालते थे । उन्होंने भौतिकी में मास्टर डिग्री और प्रबंधन (वित्त) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया है। वह भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (सीएआईआईबी) के प्रमाणित सहयोगी भी हैं। अपने आरबीआई कैरियर में, श्री एस के पाणिग्रही को बैंकिंग और एनबीएफसी पर्यवेक्षण क्षेत्रों में दीर्घकालिक अनुभव है खास तौर पर इनकी रुचि डाटा अनलिटिकल और जोखिम प्रबन्धन पर रही और इनकी तैनाती प्रमुखतः केन्द्रीय कार्यालय में बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग पर रही। वर्तमान में, श्री एस के पाणिग्रही आरबीआई, अहमदाबाद में गुजरात राज्य के क्षेत्रीय निदेशक और दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वे बैंक के ईक्विटी शेयरधारक नहीं है।

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति	पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
1.	श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन	01.04.2018 – 13.08.2018	7	7	उपस्थित
2.	श्री किशोर खरात	01.04.2018 – 13.08.2018	7	7	उपस्थित
3.	सुश्री पद्मजा चुन्डूरु	21.09.2018 – 31.03.2019	10	10	दिनांक 21.09.2018 को बैंक में पद ग्रहण किया
4.	श्री ए एस राजीव	01.04.2018 – 30.11.2018	12	12	उपस्थित
5.	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2018 – 31.03.2019	17	17	उपस्थित
6.	सुश्री मुदिता मिश्रा	01.04.2018 – 04.04.2018	शून्य	शून्य	दिनांक 04.04.2018 को कार्यकाल समाप्त हुआ
7.	श्री वी वी शेणॉय	01.12.2018 – 31.03.2019	5	5	दिनांक 01.12.2018 को बैंक में पद ग्रहण किया
8.	श्री अमित अग्रवाल	05.04.2018 – 31.03.2019	17	9	अनुपस्थित
9.	श्री जे के दाश	01.04.2018 – 31.03.2019	17	15	उपस्थित
10.	श्री विजय कुमार गोयल	01.04.2018 – 31.03.2019	17	16	उपस्थित
11.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	01.04.2018 – 31.03.2019	17	17	उपस्थित
12.	श्री सलिल कुमार झा	01.04.2018 – 31.03.2019	17	17	उपस्थित
13.	श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2018 – 31.03.2019	17	17	अनुपस्थित
14.	डॉ भरत कृष्ण शंकर	01.04.2018 – 31.03.2019	17	12	उपस्थित

sharing partnerships increased the general productivity and profitability of the organization. Divisions under him received the Raksha Mantri Award for best performing division among all PSUs & Ordinance Factories under Ministry of Defence twice. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri Vinod Kumar Nagar, aged 67 years, was re-elected as a Shareholder Director of Indian Bank for a period of 3 years from July 01, 2017. He is a retired Executive Director of Syndicate Bank. He is a B. TEXT, Post Graduate Diploma holder in Marketing and Sales Management and also MBA. He was a career banker with more than 25 years banking experience. Prior to joining Syndicate Bank, he worked in Punjab National Bank as Chief General Manager, New Delhi. He had worked continuously in No.1 position as Regional Manager, RRB Chairman and as Zonal Manager for several years. He was the member of all important committees of the Punjab National Bank such as Credit Committee, Investment Committee, Human Resources Management Committee and Steering Committee for CBS implementation and Apex level compromise committee. Consolidation of RRBs in various states took place under his supervision. He was also a member of various important committees such as Sub-Committee on Financial Inclusion in IBA, Thorat Committee on RRB's functioning, RBI empowered Committee on SME for Punjab State, Apex Committee formed by Ministry of Finance to review the efficacy of revised procedure in Non-Civil Ministries/Departments, Standing Committee formed by Ministry of Finance to review the handling of Government Transactions by banks accredited to Civil Ministries/ Departments, etc. He holds 107 Equity Shares of the Bank.

Dr Bharath Krishna Sankar aged 54, was elected as a Shareholder Director of Indian Bank for a period of 3 years from December 21, 2017. He is a Post Graduate in Commerce, a national gold medalist (topper in both Inter and Final) in Chartered Accountancy and an Associate of the Institute of Cost and Management Accountants of India. His doctoral thesis is on "Determinants of entrepreneurship and its impact on MSME sector sustainability in Madurai District". He has rich experience in Business Management, Finance, HR & Training. He holds 200 Equity Shares of the Bank.

Mr S K Panigrahy aged 55 years was nominated as RBI Nominee Director of the Bank from 26.04.2019, has joined RBI in January 1989 and has served for more than 30 years in different capacities in Kolkata, Kanpur and Mumbai (Central Office). He has also served on a foreign deputation in Central Bank of Oman (in Muscat, Sultanate of Oman) in a senior position during 2006 to 2010, handling banking policy and supervision. He holds a Master's Degree in Physics and a PG Diploma in Management (Finance). He is also a certified Associate of the Indian Institute of Banking & Finance (CAIIB). In his RBI career, Shri S K Panigrahy has long experience in bank and NBFC supervision areas with interests in data analytics and risk management with major part of posting in Central Office of Department of Banking Supervision. Currently, Shri S K Panigrahy is posted at RBI, Ahmedabad as Regional Director for the State of Gujarat and UTs of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli. He does not hold any equity shares of the Bank.

Details of Attendance of the Directors at the Board Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended	Attendance at last Annual General Meeting
1.	Shri T C Venkat Subramanian	01.04.2018 – 13.08.2018	7	7	Attended
2.	Shri Kishor Kharat	01.04.2018 – 13.08.2018	7	7	Attended
3.	Ms Padmaja Chunduru	21.09.2018 – 31.03.2019	10	10	Joined the Bank on 21.09.2018
4.	Shri A S Rajeev	01.04.2018 – 30.11.2018	12	12	Attended
5.	Shri M K Bhattacharya	01.04.2018 – 31.03.2019	17	17	Attended
6.	Ms Mudita Mishra	01.04.2018 – 04.04.2018	Nil	Nil	Demitted office on 04.04.2018
7.	Shri V V Shenoy	01.12.2018 – 31.03.2019	5	5	Joined the bank on 01.12.2018
8.	Shri Amit Agrawal	05.04.2018 – 31.03.2019	17	9	Not attended
9.	Shri J K Dash	01.04.2018 – 31.03.2019	17	15	Attended
10.	Shri Vijay Kumar Goel	01.04.2018 – 31.03.2019	17	16	Attended
11.	Shri Padmanaban Vittal Dass	01.04.2018 – 31.03.2019	17	17	Attended
12.	Shri Salil Kumar Jha	01.04.2018 – 31.03.2019	17	17	Attended
13.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2018 – 31.03.2019	17	17	Not Attended
14.	Dr. Bharath Krishna Sankar	01.04.2018 – 31.03.2019	17	12	Attended

बैंक के निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।

स्वतंत्र निदेशकों को दिये गये परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in में दिया गया है।

बोर्ड की बैठकें : राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के अंतर्गत वर्ष में की जानेवाली न्यूनतम छः (6) बैठकों की सांविधिक प्रावधान की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान बैंक की सोलह (17) बोर्ड बैठकें आयोजित की गई थीं जिनके विवरण निम्नानुसार हैं :

04/05/2018	10/05/2018	30/06/2018	09/07/2018	30/07/2018	07/08/2018
08/08/2018	11/10/2018*	11/10/2018	09/11/2018	29/11/2018*	29/11/2018
08/01/2019	25/01/2019	13/02/2019	12/03/2019	28/03/2019	

*ग्राहक सेवा पर अनन्य बोर्ड बैठक

3. बोर्ड की समितियाँ

बोर्ड ने निम्नलिखित समितियाँ गठित की हैं, जो महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में निर्दिष्ट एवं केन्द्रित नियंत्रण प्रदान करती हैं और बैंक के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करती हैं।

क्र सं.	समिति का नाम
ए.	प्रबंधन समिति
बी.	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
सी.	जोखिम प्रबंधन समिति
डी.	आईटी रणनीति समिति
ई.	ग्राहक सेवा समिति
एफ.	निदेशकों की समिति (सतर्कता)
जी.	विशेष समिति (बडे मूल्य की धोखाधडियों को मॉनीटर करने हेतु)
एच.	शेयर अंतरण समिति
आई.	स्टेकधारक संपर्क समिति
जे.	नामांकन समिति
के.	पारिश्रमिक समिति
एल.	एच आर समिति
एम.	वसूली को मानीटर करने के लिए समिति
एन.	अनुशासनिक मामलों के लिए बोर्ड स्तरीय अपीलीय समिति
ओ.	इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति
पी.	गैर–सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति
क्यू	ऋण अनुमोदन समिति
आर	व्यय अनुमोदन समिति

ए) प्रबंधन समिति :

प्रबंधन समिति का गठन सितंबर 08, 1990 को किया गया और यह भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ बोर्ड द्वारा इसे प्रदान किए गए अधिकारों का प्रयोग करती है। प्रबंधन समिति निम्नलिखित विषयों पर बोर्ड में निहित सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकती है :

- ऋण प्रस्तावों की मंजूरी (निधिप्रदत्त और गैर निधिप्रदत्त)
- ऋण समझौता / बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव ;
- पूंजी और राजस्व व्यय के प्रस्तावों हेतु अनुमोदन ;
- परिसरों के अधिग्रहण और किराये पर लेने हेतु मानदंडों से विचलन सहित परिसरों के अधिग्रहरण और किराये पर लेने से संबंधित प्रस्ताव ;
- मुकदमा / अपील आदि दायर करना और उनके बचाव की प्रक्रिया आदि ;
- सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों और हामीदारी सहित कंपनियों के डिबेंचरों में निवेश
- दान ; और
- बोर्ड द्वारा प्रबंधन समिति को संदर्भित किए गए कोई अन्य मामला।

There is no inter se relationship between the directors of the Bank.

The details of familiarization programmes imparted to independent directors are disclosed in Bank's website, www.indianbank.in.

Board Meetings: During the financial year 2018-19, seventeen (17) Board Meetings were held vis-à-vis the statutory stipulation of minimum of six (6) meetings in a year under the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as detailed below;

04/05/2018	10/05/2018	30/06/2018	09/07/2018	30/07/2018	07/08/2018
08/08/2018	11/10/2018*	11/10/2018	09/11/2018	29/11/2018*	29/11/2018
08/01/2019	25/01/2019	13/02/2019	12/03/2019	28/03/2019	

* Sequestered Board Meeting on Customer Service.

3. Committees of the Board

The Board has constituted the following committees which provide specific and focused governance in important functional areas and to oversee the affairs of the Bank

Sl. No.	Name of the Committee
a.	Management Committee
b.	Audit Committee of the Board
c.	Risk Management Committee
d.	IT Strategy Committee
e.	Customer Service Committee
f.	Committee of Directors (Vigilance)
g.	Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds)
h.	Share Transfer Committee
i.	Stakeholders Relationship Committee
j.	Nomination Committee
k.	Remuneration Committee
l.	H R Committee
m.	Committee for Monitoring of Recovery
n.	Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases
o.	Review Committee for Wilful Defaulters
p.	Review Committee for Non Co-operative Borrowers
q.	Credit Approval Committee
r.	Expenditure Approval Committee

a) Management Committee:

The Management Committee was constituted on September 8, 1990 and exercises such powers of the Board, as may be delegated to it by the Board with the approval of the Central Government after consultation with Reserve Bank of India. The Management Committee may exercise all the powers vested in the Board in respect of:

- Sanctioning of credit proposals (funded and non-funded);
- Loans compromise/write-off proposals;
- Proposals for approval of capital and revenue expenditure;
- Proposals relating to acquisition and hiring of premises including deviation from norms for acquisition and hiring of premises;
- Filing of suits/appeals, defending them etc.;
- Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies including underwriting;
- Donations ; and
- Any other matter referred to the Management Committee by the Board

प्रबंधन समिति में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री किशोर खरात – अध्यक्ष	01.04.2018 – 13.08.2018	4	4
2.	सुश्री पद्मजा चुन्डूरु – अध्यक्ष	21.09.2018 – 31.03.2019	10	10
3.	श्री ए एस राजीव	01.04.2018 – 30.11.2018	9	9
4.	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2018 – 31.03.2019	15	14
5.	श्री वी वी शेणॉय	01.12.2018 – 31.03.2019	6	6
6.	श्री जे के दाश	01.04.2018 – 31.03.2019	15	14
7.	डॉ भरत कृष्ण शंकर	01.04.2018 – 31.07.2018	4	3
8.	श्री सलिल कुमार झा	01.07.2018 – 31.12.2018	7	7
9.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	08.01.2019 – 31.03.2019	4	4
10.	श्री विनोद कुमार नागर	08.01.2019 – 31.03.2019	4	4

बी) लेखापरीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति 13 अक्तूबर 1995 को गठित की गयी और इसके कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं :

- बैंक के समग्र लेखा – परीक्षा कार्य, जोकि संस्थान तथा उसके परिचालन पर प्रभाव डालता है, को मार्गदर्शन प्रदान करना एवं उसका पर्यवेक्षण करना, जिससे बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण को व्यवस्थित, परिचालित करना एवं गुणवत्ता नियंत्रण करना अभिप्रेत है तथा बैंक की सांविधिक / बाहरी लेखा परीक्षा एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणों का अनुवर्तन करना।
- अंतर–शाखा समायोजन खाते, अंतर बैंक खातों में बहुत दिनों से लंबित समाधान न की गई प्रविष्टियाँ और नास्ट्रो खातों, विभिन्न शाखाओं में बहियों के संतुलन में शेष काम, धोखाधडियाँ एवं अनुरक्षण पर विशिष्ट ध्यान देते हुए बैंक के आंतरिक निरीक्षण / लेखापरीक्षा कार्य की पुनरीक्षा करना।
- बैंकों में नियुक्त अनुपालन अधिकारियों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा और
- लांग फार्म लेखा परीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए सभी मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना और वार्षिक/अर्ध वार्षिक वित्तीय लेखा और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पूर्व बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ संपर्क करना।

दिनांक 23 नवंबर, 2006 को निदेशक मंडल के संकल्प की शर्तों के अनुसार, निम्नलिखित को शामिल करने के लिए लेखा परीक्षा समिति के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया गया :

- लेखा, लेखा–नीतियों, प्रकटीकरण की नियमित पुनरीक्षा ;
- प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने पर आधारित मुख्य लेखा प्रविष्टियों की पुनरीक्षा और लेखा परीक्षा से प्राप्त महत्वपूर्ण समायोजन की पुनरीक्षा;
- ड्राफ़्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट की शर्तें ;
- लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को शामिल करते हुए स्वतंत्र लेखा परीक्षा के विस्तार का निर्धारण एवं पुनरीक्षण करना तथा बोर्ड को प्रस्तुत करने के पहले तिमाही, छमाही एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों का पुनरीक्षण करना
- किसी भी प्रकार के चिंताजनक क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षकों के साथ लेखा परीक्षा के बाद चर्चा;
- आंतरिक लेखा परीक्षा का स्वरूप और समय अंतराल स्थापित करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्ष की पुनरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता सुनिश्चित करना;
- बैंक के लेखा मानकों और लेखा नीतियों का अनुपालन
- वित्तीय विवरणियों पर लागू सीमा तक स्टॉक एक्सचेंज की अपेक्षाओं का अनुपालन;
- संबंधित पार्टियों के लेनदेन का पर्यवेक्षण, यथा, प्रवर्तकों अथवा प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों अथवा संबंधियों इत्यादि के साथ भौतिक रूप के लेनदेन, जिनसे व्यापक रूप में बैंक के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है; और
- ऐसे अन्य मामले जो कि समय–समय पर किसी भी सांविधिक, संविदात्मक अथवा अन्य विनियामक आवश्यकताओं हेतु अपेक्षित हों।

Details of Attendance of the Directors at the Management Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri Kishor Kharat - Chairman**	01.04.2018 – 13.08.2018	4	4
2.	Ms Padmaja Chunduru - Chairperson	21.09.2018 – 31.03.2019	10	10
3.	Shri A S Rajeev	01.04.2018 – 30.11.2018	9	9
4.	Shri M K Bhattacharya	01.04.2018 – 31.03.2019	15	14
5.	Shri V V Shenoy	01.12.2018 – 31.03.2019	6	6
6.	Shri J K Dash	01.04.2018 – 31.03.2019	15	14
7.	Dr. Bharath Krishna Sankar	01.04.2018 – 31.07.2018	4	3
8.	Shri Salil Kumar Jha	01.07.2018 – 31.12.2018	7	7
9.	Shri Padmanaban Vittal Dass	08.01.2019 – 31.03.2019	4	4
10.	Shri Vinod Kumar Nagar	08.01.2019 – 31.03.2019	4	4

b) Audit Committee:

The Audit Committee was constituted on October 13, 1995 and its terms of reference include the following:

- Provide direction as also oversee the total audit function of the Bank which impact the organization, operationalisation and quality control of internal audit and inspection in the Bank and follow-up on the statutory/external audit of the Bank and inspections of the Reserve Bank of India.
- Review the internal inspection/audit function in the Bank, with specific focus on the follow-up on inter-branch adjustment accounts, unreconciled long outstanding entries in Inter-Bank accounts and nostro accounts, arrears in balancing of books at various branches, frauds and house-keeping.
- Review quarterly reports from the Compliance officers appointed in the Bank and
- Follow-up on all the issues raised in the Long form Audit Report and interact with the external auditors before the finalization of the annual/semi-annual financial accounts and reports.

In terms of the resolution of the Board of Directors dated November 23, 2006, the scope of reference of the Audit Committee was enhanced to include the following:

- Regular review of accounts, accounting policies, disclosures.
- Review of the major accounting entries based on exercise of judgment by management and review of significant adjustments arising out of audit.
- Qualifications in the draft audit report.
- Establishing and reviewing the scope of the independent audit including the observations of the auditors and review of the quarterly, half-yearly and annual financial statements before submission to the Board.
- Post audit discussions with the auditors to ascertain any area of concern.
- Establishing the scope and frequency of internal audit, reviewing the findings of the internal auditors and ensuring the adequacy of internal control systems.
- Compliance with Accounting Standards and Accounting Policies of the Bank.
- Compliance with stock exchange requirements concerning financial statements, to the extent applicable.
- Oversee related party transactions i.e., transactions of the Bank of material nature, with promoters or management, their subsidiaries or relatives etc., that may have potential conflict with the interests of the Bank at large and
- Such other matters as may from time to time be required by any statutory, contractual or other regulatory requirements

लेखा परीक्षा समिति में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री विजय कुमार गोयल – अध्यक्ष	01.04.2018 – 10.10.2018	4	4
2.	डॉ भरत कृष्ण शंकर – अध्यक्ष	11.10.2018 – 31.03.2019	6	6
3.	श्री ए एस राजीव	01.04.2018 – 30.11.2018	7	7
4.	श्री वी वी शेणॉय	01.12.2018 – 31.03.2019	3	3
5.	श्री एम के भट्टाचार्य (आमंत्री)	01.04.2018 – 31.03.2019	10	9
6.	सुश्री मुदिता मिश्रा	01.04.2018 – 04.04.2018	शून्य	शून्य
7.	श्री अमित अग्रवाल	05.04.2018 – 31.03.2019	10	4
8.	श्री जे के दाश	01.04.2018 – 31.03.2019	10	9
9.	श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन	01.04.2018 – 13.08.2018	3	3
10.	श्री सलिल कुमार झा	08.01.2019 – 31.03.2019	3	3

सी) जोखिम प्रबंधन समिति :

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन 18 जनवरी, 2003 को किया गया था। समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- एकीकृत जोखिम प्रबंधन, जिसमें ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न एक्सपोज़र से संबंधित जोखिम शामिल हैं, के लिए नीति और रणनीति तैयार करना
- बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलएमसी) और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और अन्य जोखिम समितियों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- समिति के दायित्वों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :
  - बाज़ार जोखिम मापने, उसके प्रबंधन और रिपोर्टिंग हेतु नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना
  - यह सुनिश्चित करना कि बाजार जोखिम प्रक्रियाएँ (जनता, प्रणालियों, परिचालनों, सीमाओं और नियंत्रणों सहित) बैंक की नीति की संतुष्टि करती हैं।
  - ट्रिगर अथवा व्यापार और प्रोद्भूत पोर्टफोलियो हेतु हानि रोकने सहित बाज़ार जोखिम सीमाओं की पुनरीक्षा और अनुमोदन।
  - अर्ह और सक्षम स्टाफ की नियुक्ति, अर्ह और सक्षम स्टाफ और स्वतंत्र बाज़ार जोखिम प्रबंधक/कों आदि की तैनाती सुनिश्चित करना।

जोखिम प्रबंधन समिति में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन – अध्यक्ष	01.04.2018 – 13.08.2018	1	1
2.	श्री किशोर खरात	01.04.2018 – 13.08.2018	1	1
3.	सुश्री पद्मजा चुन्डुरु – अध्यक्ष	21.09.2018 – 31.03.2019	5	5
4.	श्री ए एस राजीव	01.04.2018 – 30.11.2018	2	1
5.	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2018 – 31.03.2019	6	5
6.	श्री वी वी शेणॉय	01.04.2018 – 31.03.2019	6	5
7.	श्री विजय कुमार गोयल	01.04.2018 – 31.03.2019	6	6
8.	श्री सलिल कुमार झा	01.04.2018 – 08.01.2019	4	4
9.	डॉ भरत कृष्ण शंकर	01.07.2018 – 08.01.2019	3	1
10.	श्री विनोद कुमार नगर	08.01.2019 – 31.03.2019	2	2
11.	श्री राजेश महाजन (विशेष आमंत्री)	01.04.2018 – 31.03.2019	6	6

Details of Attendance of the Directors at the Audit Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri Vijay Kumar Goel - Chairman**	01.04.2018 – 10.10.2018	4	4
2.	Dr Bharath Krishna Sankar – Chairman	11.10.2018 – 31.03.2019	6	6
3.	Shri A S Rajeev	01.04.2018 – 30.11.2018	7	7
4.	Shri V V Shenoy	01.12.2018 – 31.03.2019	3	3
5.	Shri M K Bhattacharya (Invitee)	01.04.2018 – 31.03.2019	10	9
6.	Ms Mudita Mishra	01.04.2018 – 04.04.2018	Nil	Nil
7.	Shri Amit Agrawal	05.04.2018 – 31.03.2019	10	4
8.	Shri J K Dash	01.04.2018 – 31.03.2019	10	9
9.	Shri T C Venkat Subramanian	01.04.2018 – 13.08.2018	3	3
10.	Shri Salil Kumar Jha	08.01.2019 – 31.03.2019	3	3

c) Risk Management Committee:

Risk Management Committee was constituted on January 18, 2003. The functions of the Risk Management Committee include the following:

- To devise the policy and strategy for integrated risk management containing various risk exposures of the Bank including the Credit Risk.
- To co-ordinate between the Credit Risk Management Committee (CRMC), the asset Liability Management Committee (ALMC) and Operational Risk Management Committee (ORMC) and other risk committees of the Bank.
- The responsibility of the Committee include:
  - Setting policies and guidelines for market risk measurement, management and reporting
  - Ensuring that market risk management processes (including people, systems, operations, limits and controls) satisfy Bank's policy
  - Reviewing and approving market risk limits, including triggers or stop-losses for traded and accrual portfolios.
  - Appointment of qualified and competent staff, ensuring posting of qualified and competent staff and of independent market risk manager/s etc.

Details of Attendance of the Directors at the Risk Management Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri T C Venkat Subramanian – Chairman**	01.04.2018 – 13.08.2018	1	1
2.	Shri Kishor Kharat	01.04.2018 – 13.08.2018	1	1
3.	Ms Padmaja Chunduru - Chairperson	21.09.2018 – 31.03.2019	5	5
4.	Shri A S Rajeev	01.04.2018 – 30.11.2018	2	1
5.	Shri M K Bhattacharya	01.04.2018 – 31.03.2019	6	5
6.	Shri V V Shenoy	01.12.2018 – 31.03.2019	4	4
7.	Shri Vijay Kumar Goel	01.04.2018 – 31.03.2019	6	6
8.	Shri Salil Kumar Jha	01.04.2018 – 08.01.2019	4	4
9.	Dr Bharath Krishna Sankar	01.07.2018 – 08.01.2019	3	1
10.	Shri Vinod Kumar Nagar	08.01.2019 – 31.03.2019	2	2
11.	Shri Rajesh Mahajan (Spl Invitee)	01.04.2018 – 31.03.2019	6	6

डी) आईटी रणनीति समिति :

➢ आईटी रणनीति समिति (भारिबैंक की सूचना – डीबीएस.सीओ.आईटीसी.बीसी.सं.6/31.02.008/ 2010–11 दिनांक 29.04.2011 के जरिए दिए गए निदेशों / दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति को आईटी रणनीति समिति का नया नाम दिया गया है) का गठन मार्च 11, 2002 को किया गया।

➢ प्रौद्योगिकी समिति का गठन बैंक की प्रौद्योगिकी उन्नयन आवश्यकताओं पर विचार करने और स्पष्ट परिभाषित माइलस्टोन के साथ रणनीतिक योजना की अनुशंसा करने के लिए किया गया है।

आईटी रणनीति समिति में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	**श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन** – अध्यक्ष	01.04.2018 – 13.08.2018	2	2
2.	श्री किशोर खरात	01.04.2018 – 13.08.2018	2	2
3.	सुश्री पद्मजा चुन्डुरु – अध्यक्ष	21.09.2018 – 31.03.2019	2	2
4.	श्री ए एस राजीव	01.04.2018 – 30.11.2018	3	2
5.	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2018 – 31.03.2019	4	3
6.	श्री वी वी शेणॉय	01.12.2018 – 31.03.2019	1	1
7.	श्री अमित अग्रवाल	01.07.2018 – 31.03.2019	3	1
8.	डॉ भरत कृष्ण शंकर	01.04.2018 – 31.03.2019	4	3
9.	श्री सलिल कुमार झा	01.04.2018 – 31.03.2019	4	4
10.	श्री रामनाथ चिंतगुंटा (विशेष आमंत्री)	01.04.2018 – 31.03.2019	4	3

ई) ग्राहक सेवा समिति

ग्राहक सेवा समिति अगस्त 24, 2004 को गठित की गई थी। ग्राहक सेवा समिति के कार्य में निम्नलिखित भी शामिल हैं।

➢ आम व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रक्रियाविधियों व पद्धतियों के सरलीकरण पर ध्यान देने हेतु ;

➢ ग्राहकों को सेवा प्रदान करने हेतु पद्धतियों की पुनरीक्षा और

➢ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित उन विनियमों और प्रक्रियाओं की पुनरीक्षा जोकि बैंक की ग्राहक सेवा का अतिक्रमण करती हैं।

ग्राहक सेवा समिति में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री किशोर खरात – अध्यक्ष	01.04.2018 – 13.08.2018	1	1
2.	सुश्री पद्मजा चुन्डुरु – अध्यक्ष	21.09.2018 – 31.03.2019	3	3
3.	श्री ए एस राजीव	01.04.2018 – 30.11.2018	2	1
4.	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2018 – 31.03.2019	4	3
5.	श्री वी वी शेणॉय	01.12.2018 – 31.03.2019	2	2
6.	सुश्री मुदिता मिश्रा	01.04.2018 – 04.04.2018	शून्य	शून्य
7.	श्री विजय कुमार गोयल	01.04.2018 – 31.03.2019	4	4
8.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	01.04.2018 – 30.06.2018	1	1
9.	श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2018 – 31.03.2019	4	3
10.	श्री सलिल कुमार झा	01.04.2018 – 31.03.2019	4	4

d) IT Strategy Committee:

- IT Strategy Committee (The Technology Committee of the Board has been renamed as IT Strategy Committee as per the directions / guidelines of RBI vide communication – DBS.CO.ITC.BC.No.6/31.02.008/2010-11 dated April 29, 2011) was constituted on March 11, 2002.
- The Technology Committee has been set up to look into the technological upgradation requirements of the Bank and recommend a strategic plan with clearly defined milestones.

Details of Attendance of the Directors at the IT Strategy Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri T C Venkat Subramanian – Chairman	01.04.2018 – 13.08.2018	2	2
2.	Shri Kishor Kharat	01.04.2018 – 13.08.2018	2	2
3.	Ms Padmaja Chunduru – Chairperson	21.09.2018 – 31.03.2019	2	2
4.	Shri A S Rajeev	01.04.2018 – 30.11.2018	3	2
5.	Shri M K Bhattacharya	01.04.2018 – 31.03.2019	4	3
6.	Shri V V Shenoy	01.12.2018 – 31.03.2019	1	1
7.	Shri Amit Agrawal	01.07.2018 – 31.03.2019	3	1
8.	Dr. Bharath Krishna Sankar	01.04.2018 – 31.03.2019	4	3
9.	Shri Salil Kumar Jha	01.04.2018 – 31.03.2019	4	4
10.	Shri Ramnath Chintagunta - Spl. Invitee	01.04.2018 – 31.03.2019	4	3

e) Customer Service Committee:

The Customer Service Committee was constituted on August 24, 2004. The functions of the Customer Service Committee include the following:

- To look into the simplification of procedures and practices with a view to safeguarding the interest of common persons
- To review the systems in place for providing service to the customers and
- To review the regulations and procedures prescribed by Reserve Bank of India that impinge on customer service of banks.

Details of Attendance of the Directors at the Customer Service Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri Kishor Kharat - Chairman	01.04.2018 – 13.08.2018	1	1
2.	Ms Padmaja Chunduru – Chairperson	21.09.2018 – 31.03.2019	3	3
3.	Shri A S Rajeev	01.04.2018 – 30.11.2018	2	1
4.	Shri M K Bhattacharya	01.04.2018 – 31.03.2019	4	3
5.	Shri V V Shenoy	01.12.2018 – 31.03.2019	2	2
6.	Ms Mudita Mishra	01.04.2018 – 04.04.2018	Nil	Nil
7.	Shri Vijay Kumar Goel	01.04.2018 – 31.03.2019	4	4
8.	Shri Padmanaban Vittal Dass	01.04.2018 – 30.06.2018	1	1
9.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2018 – 31.03.2019	4	3
10.	Shri Salil Kumar Jha	01.04.2018 – 31.03.2019	4	4

एफ) निदेशकों की समिति (सतर्कता)

सतर्कता समिति जनवरी 12, 1991 को गठित की गई है। लंबित अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांच की पुनरीक्षा करने के लिए सतर्कता समिति की बैठक तिमाही में एक बार की जाती है। सतर्कता समिति की टिप्पणी, सतर्कता मामलों के अर्धवार्षिक पुनरीक्षण हेतु निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाती है।

सतर्कता समिति में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	**श्री किशोर खरात : अध्यक्ष**	**01.04.2018 – 13.08.2018**	**1**	**1**
2.	सुश्री पद्मजा चुन्डूरु : अध्यक्ष	21.09.2018 – 31.03.2019	3	3
3.	श्री ए एस राजीव	01.04.2018 – 30.11.2018	2	1
4.	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2018 – 31.03.2019	4	3
5.	श्री वी वी शेणॉय	01.12.2018 – 31.03.2019	2	2
6.	सुश्री मुदिता मिश्रा	01.04.2018 – 04.04.2018	शून्य	शून्य
7.	श्री अमित अग्रवाल	05.04.2018 – 31.03.2019	4	2
8.	श्री जे के दाश	01.04.2018 – 31.03.2019	4	4
9.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	01.04.2018 – 31.03.2019	4	4

जी) विशेष समिति (बडे मूल्य की धोखाधडियों की मॉनिटरिंग)

₹ 1 करोड़ और उससे अधिक की धोखाधडियों को मानीटर करने हेतु इस समिति का गठन 31 जनवरी 2004 को किया गया था।

विशेष समिति (बडे मूल्य की धोखाधडियों की मॉनिटरिंग) की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान बैठकें आयोजित	बैठकों में उपस्थिति
1.	**श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन : अध्यक्ष**	01.04.2018 – 13.08.2018	1	1
2.	श्री किशोर खरात	01.04.2018 – 13.08.2018	1	1
3.	सुश्री पद्मजा चुन्डूरु : अध्यक्ष	21.09.2018 – 31.03.2019	3	3
4.	श्री ए एस राजीव	01.04.2018 – 30.11.2018	3	2
5.	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2018 – 31.03.2019	4	3
6.	श्री वी वी शेणॉय	01.12.2018 – 31.03.2019	1	1
7.	सुश्री मुदिता मिश्रा	01.04.2018 – 04.04.2018	शून्य	शून्य
8.	श्री विजय कुमार गोयल	01.04.2018 – 31.03.2019	4	4
9.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	01.04.2018 – 31.03.2019	4	3
10.	श्री सलिल कुमार झा	08.01.2019 – 31.03.2019	1	1

एच) शेयर अंतरण समिति :

इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 1999 के विनियम 2ए के अनुसार, 13 मार्च 2007 को बैंक की शेयर अंतरण समिति गठित की गई।

शेयर अंतरण समिति में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	**श्री ए एस राजीव : अध्यक्ष**	01.04.2018 – 30.11.2018	1	1
2.	श्री वी वी शेणॉय : अध्यक्ष	01.12.2018 – 31.03.2019	1	1
3.	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2018 – 31.03.2019	2	2
4.	श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2018 – 31.03.2019	2	2
5.	डॉ भरत कृष्ण शंकर	01.04.2018 – 31.03.2019	2	शून्य

f) Committee of Directors (Vigilance):

The Vigilance Committee was constituted on January 12, 1991. The Vigilance Committee meets once in a quarter to review any outstanding disciplinary cases and departmental enquiries. The observation of the Vigilance Committee is put up to the Board in the half yearly review of vigilance matters.

Details of Attendance of the Directors at the Vigilance Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri Kishor Kharat – Chairman**	**01.04.2018 – 13.08.2018**	**1**	**1**
2.	Ms Padmaja Chunduru – Chairperson	21.09.2018 – 31.03.2019	3	3
3.	Shri A S Rajeev	01.04.2018 – 30.11.2018	2	1
4.	Shri M K Bhattacharya	01.04.2018 – 31.03.2019	4	3
5.	Shri V V Shenoy	01.12.2018 – 31.03.2019	2	2
6.	Ms Mudita Mishra	01.04.2018 – 04.04.2018	Nil	Nil
7.	Shri Amit Agrawal	05.04.2018 – 31.03.2019	4	2
8.	Shri J K Dash	01.04.2018 – 31.03.2019	4	4
9.	Shri Padmanaban Vittal Dass	01.04.2018 – 31.03.2019	4	4

g) Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds):

The Committee was constituted on January 31, 2004 for monitoring frauds of ₹1 crore and above.

Details of Attendance of the Directors at the Special Committee Meetings (Monitoring of Large Value Frauds)

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri T C Venkat Subramanian – Chairman	01.04.2018 – 13.08.2018	1	1
2.	Shri Kishor Kharat	01.04.2018 – 13.08.2018	1	1
3.	Ms Padmaja Chunduru – Chairperson	21.09.2018 – 31.03.2019	3	3
4.	Shri A S Rajeev	01.04.2018 – 30.11.2018	3	2
5	Shri M K Bhattacharya	01.04.2018 – 31.03.2019	4	3
6.	Shri V V Shenoy	01.12.2018 – 31.03.2019	1	1
7.	Ms Mudita Mishra	01.04.2018 – 04.04.2018	Nil	Nil
8.	Shri Vijay Kumar Goel	01.04.2018 – 31.03.2019	4	4
9.	Shri Padmanaban Vittal Dass	01.04.2018 – 31.03.2019	4	3
10.	Shri Salil Kumar Jha	08.01.2019 – 31.03.2019	1	1

h) Share Transfer Committee:

Pursuant to Regulation No.2A of Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, the Share Transfer Committee of the Bank was constituted on March 13, 2007.

Details of Attendance of the Directors at the Share Transfer Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri A S Rajeev – Chairman	01.04.2018 – 30.11.2018	1	1
2.	Shri V V Shenoy - Chairman	01.12.2018 – 31.03.2019	1	1
3.	Shri M K Bhattacharya	01.04.2018 – 31.03.2019	2	2
4.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2018 – 31.03.2019	2	2
5.	Dr. Bharath Krishna Sankar	01.04.2018 – 31.03.2019	2	Nil

आई) स्टेकधारक संपर्क समिति :

शेयरधारकों तथा निवेशकों की शिकायतों के निवारण का कार्य संभालने हेतु 23 नवंबर, 2006 के प्रभाव से यह समिति गठित की गई और इस समिति का कार्य सिर्फ शेयरों के अंतरण, लाभांश, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने और किसी प्रकार की शिकायतों तक सीमित नहीं है, बल्कि बैंक के विरुद्ध किसी शेयर धारक या निवेशक की शिकायतों के निवारण का कार्य भी शामिल है।

स्टेकधारक संपर्क समिति बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	**श्री विनोद कुमार नागर – अध्यक्ष**	01.04.2018 – 31.03.2019	3	3
2	श्री ए एस राजीव	01.04.2018 – 30.11.2018	2	2
3	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2018 – 31.03.2019	3	3
4	श्री वी वी शेणॉय	01.12.2018 – 31.03.2019	1	1
5	श्री विजय कुमार गोयल	01.04.2018 – 30.06.2018 11.10.2018 – 31.03.2019	1 1	शून्य 1
6	डॉ भरत कृष्ण शंकर	01.04.2018 – 10.10.2018	2	1

जे) नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक, डीबीओडी के पत्र बीसी.सं.47/29.39.001/2007–08 दि.01 नवंबर, 2007 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने, बैंक के शेयरधारक–निदेशक के रूप में निर्वाचन के लिए अपने नामांकन दायर करनेवालों का ''पात्र एवं उचित'' स्टेटस का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उचित सावधानी का कार्य निभाने हेतु दिसंबर 01, 2007 को नामांकन समिति गठित की थी। वर्ष 2018–19 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

के) पारिश्रमिक समिति :

पारिश्रमिक समिति का गठन 29.03.2007 को हुआ था। इस संबंध में भारत सरकार के नियमानुसार प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशक को पारिश्रमिक एवं यात्रा तथा ठहरने हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है ।

गैर–कार्यपालक स्वतंत्र निदेशकों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड / समिति की बैठकों में शामिल होने के शुल्क के अलावा और किसी प्रकार का पारिश्रमिक अदा नहीं किया जाता। राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खंड 17 की शर्तों के अनुसार समय–समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार गैर–कार्यपालकों को यात्रा एवं ठहरने हेतु भत्ते सहित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

यह समिति पूर्ण कालिक निदेशकों को निष्पादन से संबंधित प्रोत्साहन के भुगतान के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के सेट के आधार पर पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक/पूर्णकालिक निदेशकों के निष्पादन को मूल्यांकित करती है।

वर्ष 2018–19 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

एल) एचआर समिति

भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.03.2012 को प्रदत्त दिशानिर्देशों के अनुसार, बोर्ड की मानव संसाधन समिति का गठन 29 जून, 2012 को एचआर की महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रत्येक तिमाही में चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए किया गया था।

एचआर समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	**श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन – अध्यक्ष**	01.04.2018 – 13.08.2018	1	1
2.	श्री किशोर खरात	01.04.2018 – 13.08.2018	1	1
3.	सुश्री पद्मजा चुन्डूरु – **अध्यक्ष**	21.09.2018 – 31.03.2019	3	3
4.	श्री ए एस राजीव	01.04.2018 – 30.11.2018	2	1
5.	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2018 – 31.03.2019	4	3
6.	श्री वी वी शेणॉय	01.12.2018 – 31.03.2019	2	2

i) Stakeholders Relationship Committee:

The Committee was constituted with effect from November 23, 2006 to carry out such functions that are required for the redressal of Shareholders' and investors' complaints, including but not limited to transfer of shares, non-receipt of dividends, Annual Report and any other grievance that a shareholder or investor of the Bank may have against the Bank.

Details of Attendance of the Directors at the Stakeholders Relationship Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1	**Shri Vinod Kumar Nagar - Chairman**	01.04.2018 – 31.03.2019	3	3
2	Shri A S Rajeev	01.04.2018 – 30.11.2018	2	2
3	Shri M K Bhattacharya	01.04.2018 – 31.03.2019	3	3
4.	Shri V V Shenoy	01.12.2018 – 31.03.2019	1	1
5.	Shri Vijay Kumar Goel	01.04.2018 – 30.06.2018	1	0
		11.10.2018 – 31.03.2019	1	1
6.	Dr. Bharath Krishna Sankar	01.04.2018 – 10.10.2018	2	1

j) Nomination Committee: The Nomination Committee was constituted on 01.12.2007 by the Bank as per the guidelines of Reserve Bank of India contained in DBOD.Lr.BC.No.47/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 for the purpose of carrying out due diligence to determine the "fit and proper" status of the persons who file their nominations for election as Shareholder Director of the Bank. There was no meeting of the Committee held during the year 2018-19.

k) Remuneration Committee

The Remuneration Committee was constituted on 29.03.2007. The Managing Director & CEO and Executive Director are being paid remuneration and reimbursement of their travelling and halting expenses are made as per the rules framed by Government of India in this regard.

The non-executive Independent Directors are not being paid any other remuneration, except Sitting Fees for attending the meetings of the Board/Committee as per the guidelines of Government of India. The remuneration including travelling and halting expenses to Non-Executive Directors is being paid as decided by the Central Government in consultation with RBI from time to time in terms of Clause 17 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 / 1980.

The Committee evaluates the performance of the Bank / Whole-time Directors for the year under review based on a set of parameters as fixed by Government of India for the purpose of payment of performance-linked incentives to Whole-time Directors.

There was no meeting of the Committee held during the year 2018-19.

l) HR Committee :

As per the direction of Government of India communication dated 21.03.2012, the HR Committee of the Board was constituted on June 29, 2012 to discuss and decide upon critical issues in HR every quarter.

Details of Attendance of the Directors at the HR Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri T C Venkat Subramanaian - Chairman	01.04.2018 – 13.08.2018	1	1
2.	Shri Kishor Kharat	01.04.2018 – 13.08.2018	1	1
3.	Ms Padmaja Chunduru – Chairperson	21.09.2018 – 31.03.2019	3	3
4.	Shri A S Rajeev	01.04.2018 – 30.11.2018	2	1
5.	Shri M K Bhattacharya	01.04.2018 – 31.03.2019	4	3
6.	Shri V V Shenoy	01.12.2018 – 31.03.2019	2	2

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
7.	सुश्री मुदिता मिश्रा	01.04.2018 – 04.04.2018	शून्य	शून्य
8.	श्री अमित अग्रवाल	05.04.2018 – 31.03.2019	4	2
9.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	01.07.2018 – 31.03.2019	3	3
10.	श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2018 – 08.01.2019	3	2
11.	डॉ भरत कृष्ण शंकर	01.04.2018 – 31.03.2019	4	2
12.	श्री सलिल कुमार झा	01.07.2018 – 31.03.2019	3	3
13.	श्री दुव्वुरी दुर्गा प्रसाद (विशेष आमंत्री)	01.04.2018 – 31.03.2019	4	2

एम) वसूली पर निगरानी समिति

भारत सरकार के दिनांक नवंबर 21, 2012 के पत्र एफ सं 7/112/2012–बीओए में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार दिसंबर 18, 2012 को वसूली को मॉनीटर करने के लिए वसूली पर निगरानी समिति गठित की गई तथा इसका उद्देश्य है मासिक आधार पर बैंक में की गई वसूली की प्रगति को मॉनीटर करना एवं विभिन्न समितियों, जैसे समझौता परामर्शदात्री समिति, आस्तियों की बिक्री समिति और बैंक के अन्य क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं के कार्य की पुनरीक्षा करना।

वसूली को मानीटर करनेवाली समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	**श्री किशोर खरात : अध्यक्ष**	01.04.2018 – 13.08.2018	2	2
2.	सुश्री पद्मजा चुन्डूरु : अध्यक्ष	21.09.2018 – 31.03.2019	2	2
3.	श्री ए एस राजीव	01.04.2018 – 30.11.2018	2	1
4.	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2018 – 31.03.2019	4	3
5.	श्री वी वी शेणॉय	01.12.2018 – 31.03.2019	2	2
6.	सुश्री मुदिता मिश्रा	01.04.2018 – 04.04.2018	शून्य	शून्य
7.	श्री अमित अग्रवाल	05.04.2018 – 31.03.2019	4	1
8.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	01.04.2018 – 31.03.2019	4	3
9.	श्री सलिल कुमार झा	01.07.2018 – 31.03.2019	3	3
10	श्री विजय कुमार गोयल	08.01.2019 – 31.03.2019	1	1

एन) अनुशासनिक मामलों के लिए बोर्ड स्तरीय अपीलीय समिति :

अनुशासनिक मामलों में बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ के निर्णयों के खिलाफ की जाने वाली अपीलों के लिए उनसे एक स्तर ऊपर की बोर्ड स्तरीय अपीलीय समिति का गठन 15.12.2014 को किया गया है । समिति के सदस्य हैं:

1. श्री विनोद कुमार नागर
2. श्री पद्मनाभन विट्ठल दास
3. श्री विजय कुमार गोयल

2018–19 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
7.	Ms Mudita Mishra	01.04.2018 – 04.04.2018	Nil	Nil
8.	Shri Amit Agrawal	05.04.2018 – 31.03.2019	4	2
9.	Shri Padmanaban Vittal Dass	01.07.2018 – 31.03.2019	3	3
10.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2018 – 08.01.2019	3	2
11.	Dr. Bharath Krishna Sankar	01.04.2018 – 31.03.2019	4	2
12.	Shri Salil Kumar Jha	01.07.2018 – 31.03.2019	3	3
13.	Shri Duvvuri Durga Prasad (Spl Invitee)	01.04.2018 – 31.03.2019	4	2

m) Committee for Monitoring of Recovery :

The Committee for Monitoring of Recovery was constituted on 18.12.2012 by the Bank as per the guidelines of Government of India contained in F.No.7/112/2012-BOA dated November 21, 2012 for the purpose of monitoring the progress made by the Bank in recovery and to review the functioning of various Committees such as SAC, Sale of Assets Committee and other field level functionaries in the Bank.

Details of Attendance of the Directors at the Committee for Monitoring of Recovery Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri Kishor Kharat - Chairman**	01.04.2018 – 13.08.2018	2	2
2.	Ms Padmaja Chunduru – Chairperson	21.09.2018 – 31.03.2019	2	2
3.	Shri A S Rajeev	01.04.2018 – 30.11.2018	2	1
4.	Shri M K Bhattacharya	01.04.2018 – 31.03.2019	4	3
5.	Shri V V Shenoy	01.12.2018 – 31.03.2019	2	2
6.	Ms Mudita Mishra	01.04.2018 – 04.04.2018	Nil	Nil
7.	Shri Amit Agrawal	05.04.2018 – 31.03.2019	4	1
8.	Shri Padmanaban Vittal Dass	01.04.2018 – 31.03.2019	4	3
9.	Shri Salil Kumar Jha	01.07.2018 – 31.03.2019	3	3
10.	Shri Vijay Kumar Goel	08.01.2019 – 31.03.2019	1	1

n) Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases :

The Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases was constituted on 15.12.2014 one level above the authority of Chairman & Managing Director of the Bank whose decision is appealed against. Members of the Committee are:

1. Shri Vinod Kumar Nagar
2. Shri Padmanaban Vittal Dass
3. Shri Vijay Kumar Goel

There was no meeting of the Committee held during 2018-19.

ओ) इरादतन चूककर्ताओं के लिए समीक्षा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2014 को प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 23 जनवरी 2015 को इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा के लिए समिति गठित की गई। यह समिति, उधारकर्ताओं को इरादतन चूककर्ता के रूप में पहचानने वाली स्क्रीनिंग समिति के आदेशों की पुनरीक्षा करेगी।

इरादतन चूककर्ताओं हेतु आयोजित बैठकों में समीक्षा समिति के निदेशकों की उपस्थिति का विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	**सुश्री पद्मजा चुन्डूरू : अध्यक्ष**	21.09.2018 – 31.03.2019	1	1
2.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	01.04.2018 – 31.03.2019	1	1
3.	श्री सलिल कुमार झा	01.04.2018 – 30.06.2018	शून्य	शून्य
4.	श्री विजय कुमार गोयल	01.07.2018 – 31.03.2019	1	1

पी) असहयोगी उधारकर्ताओं की समीक्षा हेतु समिति

जनवरी 23, 2015 को सहयोग नहीं देनेवाले उधारकर्ताओं की समीक्षा हेतु समिति का गठन, ऐसे उधारकर्ताओं के संबंध में स्क्रीनिंग संमिति के आदेशों की पुनरीक्षा / पुष्टिकरण के लिए किया गया, जिसमें भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उधारकर्ताओं को असहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

निम्नलिखित समिति के सदस्य हैं :

1. **सुश्री पद्मजा चुन्डूरू – अध्यक्ष**
2. श्री विनोद कुमार नागर
3. श्री सलिल कुमार झा

वर्ष 2018–19 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

क्यू) बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति

भारत सरकार की अधिसूचना एसओ 2736 (ई) दिनांक दिसंबर 05, 2011 के अनुसार ऋण अनुमोदन समिति अप्रैल 04, 2012 को गठित की गई तथा यह बोर्ड की प्रबंधन समिति के अधीन मंजूरी निकाय होगी, ये सदस्य ऋण प्रस्ताव / समझौता प्रस्ताव /बट्टे खाते लिखने के प्रस्ताव आदि पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित ढांचे के अनुरूप उनको प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रयोग करेंगे।

समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2. कार्यपालक निदेशकगण
3. महाप्रबंधक या विभाग प्रमुख, ऋण के प्रभारी*
4. महाप्रबंधक या विभाग प्रमुख, जो ट्रेशरी एवं निवेश के प्रभारी हैं
5. महाप्रबंधक या विभाग प्रमुख, वित्त / लेखा के प्रभारी, जो भी मामला हो
6. सीआरओ और सीसीओ की सहभागिता

(* चूंकि विभिन्न महाप्रबंधक / विभाग प्रमुख ऋण प्रस्तावों को डील कर रहे हैं, इसलिए संबंधित महाप्रबंधक / विभाग प्रमुख संबन्धित प्रस्ताव के लिए समिति के सदस्य होंगे।)

वर्ष 2018–19 के दौरान ऋण अनुमोदन समिति की 12 बैठकें आयोजित की गईं।

आर. व्यय अनुमोदन समिति

व्यय अनुमोदन समिति का गठन समिति अवधारणा को लाभ पहुंचाने हेतु निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया :

1) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2) कार्यपालक निदेशकगण
3) ट्रेशरी /व्यय / मासंप्र / टीएमडी के प्रभारी महाप्रबन्धक
4) महाप्रबन्धक / विभाग प्रमुख (जिनके द्वारा व्यय प्रस्तावित है)
5) मुख्य अनुपालन अधिकारी

वर्ष 2018–19 के दौरान व्यय अनुमोदन समिति की बैठक 06 बार हुई ।

o) Review Committee for Wilful Defaulters :

The Review Committee for Wilful Defaulters was constituted on 23.01.2015 as per RBI guidelines dated July 1, 2014. The committee will review the orders of the Screening Committee identifying borrowers as wilful defaulters.

Details of Attendance of the Directors at the Review Committee for Wilful Defaulters Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Ms Padmaja Chunduru – Chairperson**	21.09.2018 – 31.03.2019	1	1
2.	Shri Padmanaban Vittal Dass	01.04.2018 – 31.03.2019	1	1
3.	Shri Salil Kumar Jha	01.04.2018 – 30.06.2018	Nil	Nil
4.	Shri Vijay Kumar Goel	01.07.2018 – 31.03.2019	1	1

p) Review Committee for Non Co-operative Borrowers :

The Review Committee for Non-Cooperative Borrowers was constituted on 23.01.2015 to review / confirm the orders of the Screening Committee for Non-Cooperative Borrowers classifying the borrower as Non-Cooperative Borrower as per RBI guidelines. The following are the members of the Committee.

1. **Ms Padmaja Chunduru** - **Chairperson**
2. Shri Vinod Kumar Nagar
3. Shri Salil Kumar Jha

There was no meeting of the Committee held during the year 2018-19.

q) Credit Approval Committee of the Board :

The Credit Approval Committee was constituted on 04.04.2012 by the Bank as per the Government of India Notification S.O.2736(E) dated 05.12.2011 to be a sanctioning body below MCB to exercise such powers delegated to it by Board with regard to credit proposals / compromise proposals / write off proposals within the framework spelt out by Government of India. The Committee consists of the following Members :

(1) Managing Director & Chief Executive Officer

(2) Executive Directors

(3) The General Manager or Department Head, in charge of Credit*

(4) The General Manager or Department Head in charge of Treasury and Investment

(5) General Manager or Department Head, as the case may be, in charge of Finance / Accounts

(6) CRO and CCO are attendees.

* As different General Managers / Department Heads are dealing with Credit Proposals, the General Manager / Department Head concerned shall be a member of the Committee for the respective proposal.

The Credit Approval Committee of the Board met 12 times during the year 2018-19.

r) Expenditure Approval Committee :

The Expenditure Approval Committee was formed to get the benefits of Committee approach with the following members.

(1) Managing Director & Chief Executive Officer.

(2) Executive Directors

(3) General Managers in charge of Treasury / Expenditure / HRM / TMD

(4) General Manager / Department Head (proposing the expenditure)

(5) Chief Compliance Officer

The Expenditure Approval Committee met 6 times during the year 2018-19.

4. **सामान्य बैठकें**

बैंक के शेयरधारकों की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) के विवरण निम्न प्रकार हैं ;

वार्षिक आम बैठक	दिन एवं दिनांक	समय	स्थान
दसवीं	बुधवार , जून 29, 2016	पूर्वाह्न 10.30 बजे	इमेज, एमआरसी नगर राजा अण्णामलैपुरम चेन्नै – 600 028
ग्यारहवीं	सोमवार जून 12, 2017	पूर्वाह्न 10.30 बजे	इमेज, एमआरसी नगर राजा अण्णामलैपुरम चेन्नै – 600 028
बारहवीं	गुरुवार जून 28, 2018	पूर्वाह्न 10.30 बजे	इमेज, एमआरसी नगर राजा अण्णामलैपुरम चेन्नै – 600 028

दसवीं व बारहवीं वार्षिक आम बैठकों के दौरान कोई भी विशेष संकल्प पास नहीं किया गया, ग्यारहवीं आम बैठक में निम्नलिखित विशेष संकल्प पास किए गए तथा वर्ष 2017–18 के दौरान असाधारण आम बैठक आयोजित की गई :

ए) 12 जून, 2017 को आयोजित ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक में, फॉलो–ऑन पब्लिक ऑफर / राइट्स इश्यू / क्यूआईपी / अधिमानी इश्यू के माध्यम से 10/ – रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 4.75 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करने हेतु अनुमोदन के साथ एक संकल्प तथा / अथवा बैंक द्वारा तय किए जाने वाले प्रायवेट प्लेसमेंट को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित किया गया था ।

बी) बी) वर्ष 2017 – 18 के दौरान, 31 जनवरी, 2018 को एक असाधारण आम बैठक इमेज़ एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै – 600028 में सुबह 10.30 बजे आयोजित की गई, जिसमें वर्तमान या बाद के वित्तीय वर्षों में आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक श्रृंखलाओं में आगामी पब्लिक ऑफर / प्रायवेट प्लेसमेंट / राइट्स इश्यू / क्यूआईपी / अधिमान्य इश्यू / इन्स्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कार्यक्रम के माध्यम से 7000 करोड़ रुपये (प्रीमियम सहित) तक इक्विटी पूंजी जुटाने को मंजूरी देते हुए बैंक द्वारा तय किए जाने वाले विशेष प्रस्ताव के रूप में एक संकल्प पारित किया गया था।

पोस्टल बैलेट के माध्यम से विशेष संकल्प पारित किया गया।

सी) वर्तमान या बाद के वित्तीय वर्षों में आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक श्रृंखलाओं में आगामी पब्लिक ऑफर / प्रायवेट प्लेसमेंट / क्यूआईपी / राइट्स इश्यू / अधिमान्य इश्यू / कर्मचारी शेयर खरीद योजना के माध्यम से 7000 करोड़ रुपये (प्रीमियम सहित) तक इक्विटी पूंजी जुटाने को मंजूरी देते हुए डाक मतपत्र द्वारा 27 मार्च,2019 को एक विशेष संकल्प पारित किया गया था।

डी) बैंक के स्थायी कर्मचारीयों को कर्मचारी शेयर खरीद योजना के तहत एक या एक से अधिक चरणों में रु.10 / – (रुपए केवल दस) के अंकित मूल्य के 4,00,000 (चार करोड़) के नए इक्विटी शेयरों को सृजित करने, ऑफर प्रदान करने, जारी करने और आबंटित करने हेतु एक विशेष संकल्प किया गया।

पोस्टल बैलट का संचालन करने वाले और पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के संचालन के लिए जांच करनेवाले व्यक्ति मैसर्स एस एन अनंत सुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी थे

5. प्रकटीकरण

ए) बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर अनुबद्ध ''संबंधित पार्टी लेन–देनों'' की आवश्यकताओं का अनुपालन करता रहा है। बैंकिंग कारोबार के सामान्य व्यवहार में आनेवाली मदों के अलावा बैंक ने अपने प्रवर्तकों / निदेशकों, प्रबंधन, उनकी अनुषंगियाँ, अथवा रिश्तेदारों आदि के साथ किसी भी प्रकार के भौतिक प्रमुख लेनदेनों में भाग नहीं लिया है जिससे बैंक के हितों के साथ संभाव्यतः टकराव हो। बैंक ने आरपीटी के महत्व पर एवं आरपीटीयों से निपटान हेतु एक नीति निर्मित की है, जिसे बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर पोर्ट किया गया है।

बी) बैंक ने 'भौतिक अनुषंगी के निर्धारण हेतु नीति' बनाई है एवं उसे बैंक की वेबसाइट – www.indianbank.in पर प्रकट किया गया है। बैंक में दो सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियाँ हैं अर्थात मेसर्स इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेस लिमिटेड एवं मेसर्स इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड और दोनों ''भौतिक अनुषंगी कंपनियाँ'' नहीं हैं।

सी) प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ और कार्यपालक निदेशकों को इस संबंध में भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उनके यात्रा एवं विराम भत्ते के व्यय की प्रतिपूर्ति और पारिश्रमिक अदा किया जाता है और उनको प्रदत्त पारिश्रमिक के विवरण, बैंक के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 में प्रकट किए गए हैं। एसोसिएशन/संघ के साथ किए गए द्विपक्षीय समझौते के अनुसार अधिकारी–कर्मचारी निदेशक और कामगार कर्मचारी निदेशक को पारिश्रमिक और उनके द्वारा की गई यात्रा के लिए यात्रा एवं विराम भत्ते अदा किये जाते हैं। गैर कार्यपालकों / अंशकालिक, गैर–अधिकारी निदेशकों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क रु. 40,000/– एवं रु. 20,000/– प्रति बोर्ड की बैठक एवं समिति बैठक (अतिरिक्त रु.10,000 / – बोर्ड बैठक संचालन के लिए और अतिरिक्त रु.5,000 / – समिति बैठक संचालन के लिए), के अलावा कोई अन्य पारिश्रमिक अदा नहीं किया जाता है और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णीत रूप से समय समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खण्ड 17 के अनुसार यात्रा एवं विराम व्यय सहित, उनको पारिश्रमिक अदा किया जाता है।

डी) वर्ष 2018–19 के दौरान किसी प्रकार की पण्य मूल्य जोखिम एवं पण्य प्रतिरक्षा गतिविधियां नहीं हुई।

ई) बैंक के बोर्ड, बोर्ड की लेखा समिति एवं बोर्ड की अन्य समितियों का गठन एवं निदेशकों को मानदेय, बोर्ड/समिति प्रक्रियाओं/संबद्ध पार्टी संव्यवहार आदि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं विभिन्न प्रावधान) अधिनियम 1970, इंडियन बैंक (शेयर तथा बैठकें) विनियम 1999, द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा समय समय संशोधित किया जाता है एवं आवश्यक दिशानिर्देश दिए जाते हैं तथा इस क्रम में सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के 15 से 27 तक के विनियमों के प्रावधान संगत/लागू नहीं हैं।

एफ) कॉर्पोरेट अभिशासन के अंश के रूप में और अधिक मात्रा में पारदर्शिता हासिल करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा ''व्हिसिल ब्लोअर नीति'' बनाकर निर्धारित की गयी है तथा इसकी शर्तों के अनुसार स्टाफ सदस्यों के लिए एक ऐसी प्रणाली निर्धारित की गई है जिसके अंतर्गत वे प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदेहास्पद धोखाधडी या बैंक की आचार संहिता या नीतिपरक नीति के संबंध में अपनी चिंता को रिपोर्ट कर सकें तथा इस संबंध में लेखा परीक्षा समिति तक किसी को पहुंच प्राप्त करने से मना नहीं किया गया है।

जी) सेबी (एलओडीआर) विनियमनों के अनुपालन में बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ''लाभांश वितरण नीति'' बनायी है जोकि बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in में पोर्ट की गई है।

4. General Body Meetings

The details of the last three Annual General Meetings (AGM) of shareholders of the Bank are as follows:

Annual General Meeting	Day & Date	Time	Venue
Tenth	Wednesday June 29, 2016	10.30 a.m.	IMAGE, MRC Nagar Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028
Eleventh	Monday June 12, 2017	10.30 a.m.	IMAGE, MRC Nagar Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028
Twelfth	Thursday June 28, 2018	10.30 a.m.	IMAGE, MRC Nagar Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028

While no special resolutions were passed at the 10th and 12th Annual General Meetings, the following special resolutions were passed at the 11th Annual General Meeting and the Extraordinary General Meeting of the Bank held during the year 2017-18;

a) In the Eleventh Annual General Meeting held on June 12, 2017, a resolution approving issue of further 4.75 crore equity shares of face value of Rs.10/- each by way of Follow-on Public Offer / Rights Issue / QIP / Preferential Issue and / or Private Placement to be decided by the Bank was passed as special resolution.

b) During the year 2017-18, an Extra-ordinary General Meeting was held on January 31, 2018 at IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600028 at 10.30 a.m. wherein a resolution approving raising of equity capital upto Rs.7000 crore (including premium) in one or more tranches in the current or subsequent financial years based on the requirement through Further Public Offer / Private Placement / Rights Issue / QIP / Preferential Issue / Institutional Placement Programme to be decided by the Bank was passed as special resolution.

Special Resolution passed by way of Postal Ballot

c) A special resolution approving raising equity capital upto a 7000 crore (including premium) in one or more tranches in the current or subsequent years based on the requirement through FPO / Private Placement / QIP/Rights Issue / Preferential Issue / Employees share Purchase Plan was passed through postal ballot on March 27, 2019.

d) A Special Resolution to create grant offer, issue and allot upto 4 crore (Four Crore) new equity shares of face value of Rs.10/- each to permanent employees of Bank under employees purchase share scheme in one or more tranches.

Persons who conducted Postal Ballot was M/s. S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries and was scrutinizer for conducting the Postal Ballot process.

5. Disclosures

a) The Bank is complying with the requirements on related party transactions (RPT) as stipulated by Reserve Bank of India from time to time. Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoters / Directors, Management, their subsidiaries, or relatives etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. Bank has formulated a policy on materiality of RPT and on dealing with RPTs, which is ported in Bank's website www.indianbank.in.

b) Bank has formulated a 'Policy for determining material subsidiary' and the same is disclosed in Bank's website, viz., www.indianbank.in. The Bank is having two listed subsidiary companies viz., M/s Indbank Merchant Banking Services Limited and M/s Ind Bank Housing Limited and both are not 'material subsidiary companies'.

c) The Managing Director & CEO and Executive Directors are being paid remuneration and reimbursement of their travelling and halting expenses as per the rules framed by Government of India in this regard and the details of remuneration paid to them are disclosed under Schedule 18 to the Audited Financial Statements of the Bank. The Officer Employee Director and Workmen Employee Directors are being paid remuneration and reimbursement of their travelling and halting expenses as per the terms of Bipartite Settlement with the Association / Union. The Non-Executive / Part-time Non-Official Directors / Shareholder Directors are not being paid any other remuneration, except Sitting Fees for attending the meetings of the Board / Committee as per the guidelines of Government of India at a 40,000/- and a 20,000/- per Board Meeting and Committee Meeting, respectively (additional a 10,000/- for chairing Board Meeting and additional a 5,000/- for chairing committee meeting) and the remuneration including travelling and halting expenses to them is being paid as decided by the Central Government in consultation with RBI from time to time in terms of Clause 17 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisons) Scheme, 1970 / 1980.

d) There was no commodity price risks and commodity hedging activities during the year 2018-19.

e) The constitution of the Bank's Board, Audit Committee and other committees of the Board and remuneration to the Directors, Board / Committee procedures / Related Party Transactions etc are governed under the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulations Act, 1949, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended and guidelines issued by Reserve Bank of India and Government of India from time to time and to that extent some of the provisions of the Regulations 15 to 27 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 are not compatible / applicable.

एच) अनिवार्य एवं विवेकाधीन आवश्यकताएं :

बैंक ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 तथा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंटों के अनुसार सभी प्रयोज्य आवश्यकताओं का पालन किया है। विवेकाधीन आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की सीमा नीचे प्रस्तुत है।

आवश्यकता	अनुपालन
<u>ए. बोर्ड :</u> गैर कार्यपालक अध्यक्ष को अधिकार होना चाहिए कि वे सूचीबद्ध कंपनियों के खर्चे पर अध्यक्ष का कार्यालय बनाए रखें और उन्हें अपने कार्यभार के निर्वहन में किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति भी की जानी चाहिए।	लागू नहीं
<u>बी. शेयरधारक के अधिकार :</u> पिछले छः महीने में प्राप्त वित्तीय उपलब्धियों की छमाही घोषणा सहित महत्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त विवरण शेयरधारकों के घर–घर तक भेजा जाए।	अर्द्धवार्षिक परिणाम समाचार पत्रों में, बैंक की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों पर अपलोड किए गए।
<u>सी. लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर आशोधित अभिमतः</u> सूचीबद्ध इकाई अशोधित लेखा परीक्षा अभिमत के साथ वित्तीय विवरण की व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ सकता है।	2018–19 के लिए बैंक के वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में असंबद्ध राय है
<u>डी. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए अलग–अलग पद :</u> सूचीबद्ध इकाई अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग–अलग व्यक्तियों को नियुक्त करें।	13 अगस्त, 2018 तक बैंक के एक अलग गैर–कार्यपालक अध्यक्ष थे । सरकार द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति होनी अभी बाकी है।
<u>ई. आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग :</u> आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करें।	बैंक द्वारा संगामी लेखा परीक्षकों/शाखाओं के निरीक्षकों की रिपोर्ट को समेकित करके आवधिक रूप से लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

6. संचार के माध्यम

बैंक से संबंधित जानकारी प्रमुखतः वार्षिक रिपोर्ट द्वारा जारी की जाएगी जिसमें निदेशक की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, नकदी प्रवाह विवरण, समेकित लेखा परीक्षित लेखे आदि शामिल हैं। शेयरधारकों को समाचार पत्रों में प्रकाशन, स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना (एनएसई एवं बीएसई) प्रेस विज्ञाप्तियां, जहाँ भी संभव हो – ईमेल, जोकि बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, के द्वारा त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक निष्पादनों की जानकारी दी जाएगी। बैंक ब्याज दरों में संशोधन, नए उत्पादों के प्रवर्तन, नई शाखाओं का खोला जाना जैसे विभिन्न परिचालन मामलों पर प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी करता है जोकि बैंक की वेबसाइट (www.indianbank.in) पर भी उपलब्ध हैं।

बैंक ने अन्य समाचार पत्रों के अतिरिक्त अपने तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों को एक राष्ट्रीय (अंग्रेजी) और एक स्थानीय भाषा (तमिल) के समाचार पत्र में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 47 में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रकाशित किया है। वर्ष 2018–19 के दौरान किए गए ऐसे प्रकाशनों का विवरण निम्नानुसार है।

..... को समाप्त तिमाही/छमाही/वर्ष	समाचार पत्र	प्रकाशन की तिथि
31.03.2018	बिजनस लाइन, फाइनेंशियल एक्सप्रेस – अँग्रेजी बिज़नस स्टैंडर्ड – अँग्रेजी एवं हिन्दी डेयली तंदी एवं दिनमणि – तमिल	11.05.2018
30.06.2018	बिज़नस स्टैंडर्ड – अँग्रेजी एवं हिन्दी दिनकरन – तमिल	09.08.2018 10.08.2018
30.09.2018	बिजनस लाइन, फाइनेंशियल एक्सप्रेस – अँग्रेजी दिनमणि – तमिल बिज़नस स्टैन्डर्ड (अंग्रेजी एवं हिन्दी)	10.11.2018
31.12.2018	दिनमणि – तमिल बिज़नस स्टैन्डर्ड (अंग्रेजी एवं हिन्दी)	26.01.2019 26.01.2019

बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न मूल्य से संबंधित संवेदनशील जानकारी की सूचना स्टॉक एक्स्चेंज (एनएसई और बीएसई) को दी है।

f) As a part of Corporate Governance and towards achieving greater transparency, 'Whistle Blower Policy' has been formulated and put in place by the Bank and in terms of which a mechanism has been established for staff members to report to the management concerns about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of the Bank's code of conduct or ethics policy and no personnel has been denied access to the Audit Committee in this regard.

g) As compliance to SEBI (LODR) Regulations, Bank has formulated a 'Dividend Distribution Policy' in line with the guidelines issued by Reserve Bank of India and Government of India in this regard, which is ported in Bank's website www.indianbank.in.

h) Mandatory and Discretionary requirements:

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges. The extent of implementation of discretionary requirements is furnished as under:

Requirement	Compliance
A. Board: A non-executive Chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	Not applicable
B. Shareholder rights: A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	The half-yearly results had been published in the newspapers, uploaded in Bank's website and on the websites of the stock exchanges.
C. Modified Opinion(s) in audit report: The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	The audit report on the financial statements of the Bank for 2018-19 has unmodified opinion.
D. Separate posts of Chairperson and Chief Executive Officer: The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer.	Bank was having a separate Non-Executive Chairman till August 13, 2018. Appointment of Chairman by Government is yet to take place.
E. Reporting of internal auditor: The internal auditor may report directly to the audit committee	The concurrent auditors / inspectors of branches reports are consolidated and placed before the audit committee by the Bank periodically.

6. Means of Communication

Information relating to Bank will be mainly issued through the Annual Report which includes the Directors' Report, Auditors' Report, Cash Flow Statements, Consolidated Audited Accounts etc. The shareholders will also be intimated on the quarterly, half yearly and annual performance through publication in newspapers, intimation to Stock Exchanges (NSE & BSE), press release, presentation, email wherever possible, which is also available on the website of the Bank. The Bank issues press release on various operational matters such as revision in interest rates, launching of new products, opening of new branches etc. which are also available on the website of the Bank (www.indianbank.in).

The Bank has published its quarterly / half-yearly / annual financial results in one national (English) and one vernacular (Tamil) newspaper as detailed below as per the terms stipulated in Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, in addition to other newspapers. The details of such publications made during the year 2018-19 are as under:

Quarter / Half-year / Year ended	Newspaper	Date of publication
31.03.2018	Business Line, Financial Express – English Business Standard – English & Hindi Daily Thanthi & Dinamani - Tamil	11.05.2018
30.06.2018	Business Standard-English & Hindi Dinakaran- Tamil	09.08.2018 10.08.2018
30.09.2018	Business Line& Financial Express- English Dinamani - Tamil Business Standard (English&Hindi)	10.11.2018
31.12.2018	Dinamani - Tamil Business Standard (English&Hindi)	26.01.2019 26.01.2019

The Bank has also notified the Stock Exchanges (NSE and BSE) various price sensitive information during the year.

7. सामान्य शेयरधारकों की जानकारी

इंडियन बैंक के लेखों पर विचार करने व लाभांश की घोषणा के लिए बोर्ड की बैठक	मई 14, 2019
वार्षिक सामान्य बैठक का दिनांक, समय और स्थान	जून 27, 2019, पूर्वाह्न 10.30 बजे इमेज ऑडिटोरियम, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै 600 028
वित्तीय वर्ष	2018–19
बही समापन तारीख	जून 22, 2019 से जून 29, 2019
2018–19 के लिए लाभांश	प्रत्येक 10 रुपये के अंकित मूल्य के ईक्विटी शेयर पर 6 रुपये (60 प्रतिशत)
प्राक्सी फ़ार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	जून 22, 2019
लाभांशों के भुगतान की तारीख	लागू नहीं

ए. स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टिंग

बैंक के ईक्विटी शेयर 01 मार्च, 2007 के प्रभाव से भारतीय नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड (मेसर्स भारतीय नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाज़ा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, सी–1, ब्लॉक "जी", बांद्रा (पूर्वी मुंबई) व बीएसई लिमिटेड (मेसर्स बीएसई लिमिटेड, पी जे टवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई – 400001) के पास सूचीबद्ध है। एक्सचेंज के स्क्रिप कोड निम्नानुसार हैं।

क्रमांक	स्टॉक एक्सचेंज	स्टॉक	स्क्रिप कोड
1.	एन एस ई	ईक्विटी	INDIANB
2.	बी एस ई	ईक्विटी	INDIANB / 532814

बैंक ने वर्ष 2018-19 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया है।

बी. अनुपालन अधिकारी (यों)

श्री पी ए कृष्णन, महाप्रबंधक को सेबी और अन्य सांविधिक प्राधिकरणों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए 28 जून, 2016 से अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। श्री बिमल शाह, कंपनी सचिव को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए एसईबीआई (एलओडीआर) विनियमन और लिस्टिंग एग्रीमेंटों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालनार्थ 01.07.2017 से अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

सी. शेयर हस्तांतरण और निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

बैंक ने शेयरों के अंतरण/प्रेषण के लिए शेयरधारकों के अनुरोधों को रिकॉर्ड करने, निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने तथा शेयरों के जारीकरण से संबंधित अन्य कार्यकलापों को संभालने के लिए मेसर्स केमियो कार्पोरेट सर्विसेज़ लि., चेन्नै को शेयर अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है। निवेशकों की सुविधा के लिए, उनकी शिकायतें चेन्नै स्थित बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में भी स्वीकार की जाती हैं।

निवेशक, अपने अनुरोध / शिकायतों को या तो शेयर अंतरण एजेंट के पास या बैंक के पास निम्नलिखित पते पर दे सकते हैं :

केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लि. यूनिट : इंडियन बैंक सुब्रमणियन बिल्डिंग 1, क्लब हाउस रोड चेन्नै 600 002 टेलीफोन : (91 44) 28460718 फैक्स : (91 44) 28460129 ई–मेल : investor@cameoindia.com	कंपनी सचिव इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय इन्वेस्टर सर्विसेज़ सेल 254–260, अव्वै षण्मुगम सालै रायपेट्टा, चेन्नै 600 014 टेलीफोन : (91 44) 28134076 फैक्स : (91 44) 28134075 ई–मेल : investors@indianbank.co.in

प्राप्त, निवारण की गई एवं लंबित शिकायतों की संख्या :

2018–19 के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई तथा 31.03.2019 को लंबित शिकायतों की संख्या निम्नवत् है :

01.04.2018 को लंबित	01.04.2018 से 31.03.2019 तक प्राप्त	निवारण की गई शिकायतों की संख्या	31.03.2019 को लंबित
0	49	49	0

7. General Shareholder Information

Board Meeting for considering accounts of Indian bank and declaration of dividend	May 14, 2019
Date, Time and venue of AGM	June 27, 2019 at 10.30 a.m. IMAGE Auditorium, MRC Nagar. Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028.
Financial Year	2018-19
Book closure dates	June 22, 2019 to June 27, 2019
Dividend for 2018-19	NIL
Last date of receipt of proxy forms	June 22, 2019
Date of payment of Dividend	Not applicable

a. Listing on Stock Exchanges –

The Equity Shares of the Bank are listed with the National Stock Exchange of India Limited (M/s National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, C-1, Block "G", Bandra (East), Mumbai – 400 051) and the BSE Limited (M/s BSE Limited, P J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001) with effect from March 01, 2007. The Scrip codes of the respective Stock Exchange are as under:

No.	Stock Exchange	Stock	Scrip Code
1.	N S E	Equity	INDIANB
2.	B S E	Equity	INDIANB / 532814

The Bank has paid the listing fees for the year 2018-19 to the stock exchanges.

b. Compliance Officer(s):

Shri P A Krishnan, General Manager has been designated as Compliance Officer from June 28, 2016 for complying with various provisions of SEBI and other statutory authorities. Shri Bimal Shah, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer from 01.07.2017 for complying with various provisions of SEBI (LODR) Regulations and Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges.

c. Share Transfer & Redressal of Investors' Grievances:

The Bank has appointed M/s Cameo Corporate Services Limited, Chennai, as the Share Transfer Agent for recording of shareholders' requests for transfer / transmission of shares, resolution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of shares. For the convenience of investors, grievances / complaints from them are also accepted at the Bank's Corporate Office in Chennai.

The investors may lodge their requests / complaints either with the Share Transfer Agent or with the Bank at the following addresses:

Cameo Corporate Services Limited Unit: Indian Bank Subramanian Building 1, Club House Road Chennai – 600 002. Tel: (91 44) 28460718 Fax: (91 44) 28460129 Email:investor@cameoindia.com	Company Secretary Indian Bank, Corporate Office Investor Services Cell 254-260, Avvai Shanmugam Salai Royapettah, Chennai - 600 014. Telephone : (91 44) 28134076 Fax : (91 44) 28134075 Email: investors@indianbank.co.in

Number of Complaints received, resolved and pending:

The details of complaints received and resolved during 2018-19 and pending as on 31.03.2019 are as follows:

Pending as on 01.04.2018	Received from 01.04.2018 to 31.03.2019	Resolved	Pending as on 31.03.2019
0	49	49	0

डी. 31.03.2019 को शेयरधारिता पैटर्न :

31.03.2019 को 1 प्रतिशत तथा उससे अधिक शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों की सूची :

सं.	शेयर धारकों का नाम	धारित शेयरों की संख्या	कुल धारिता का प्रतिशत
1.	भारत सरकार	391369637	81.49
2.	एचडीएफ़सी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड – खाता एचडीएफ़सी मिड–कैप आपरच्युनिटीस फण्ड	21146700	4.40
3.	एल एण्ड टी म्युचुअल फण्ड ट्रस्टी लिमिटेड	12803082	2.67
4.	एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फण्ड्स – इंडियन ईक्विटी	9080184	1.89
5.	भारतीय जीवन बीमा निगम	5214074	1.09

31.03.2019 तक कुल विदेशी धारिताः

सं.	शेयर धारकों का संवर्ग	धारित शेयरों की संख्या	कुल धारिता का प्रतिशत
1.	विदेशी संस्थागत निवेशक	3045642	0.63
2.	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	24366589	5.07
3.	एनआरआई	456284	0.10
	कुल	**27868515**	**5.80**

31.03.2019 तक शेयरधारिता का वितरणः

संवर्गवार :

सं.	संवर्ग	धारित शेयरों की संख्या	राशि (रु.)	शेयरधारिता का प्रतिशत
1.	भारत सरकार	391369637	3913696370	81.49
2.	बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ (केन्द्रीय / राज्य संस्थाएँ)	9426624	94266240	1.96
3.	म्यूचुअल फण्ड और यूटीआई	38737738	387377380	8.07
4.	कॉर्पोरेट निकाय	1519588	15195880	0.32
5.	एफआईआई / एफ़पीआई	27412231	274122310	5.70
6.	निवासी होल्डिंग्स इत्यादि	11825833	118258330	2.46
	कुल	**480291651**	**4802916510**	**100.00**

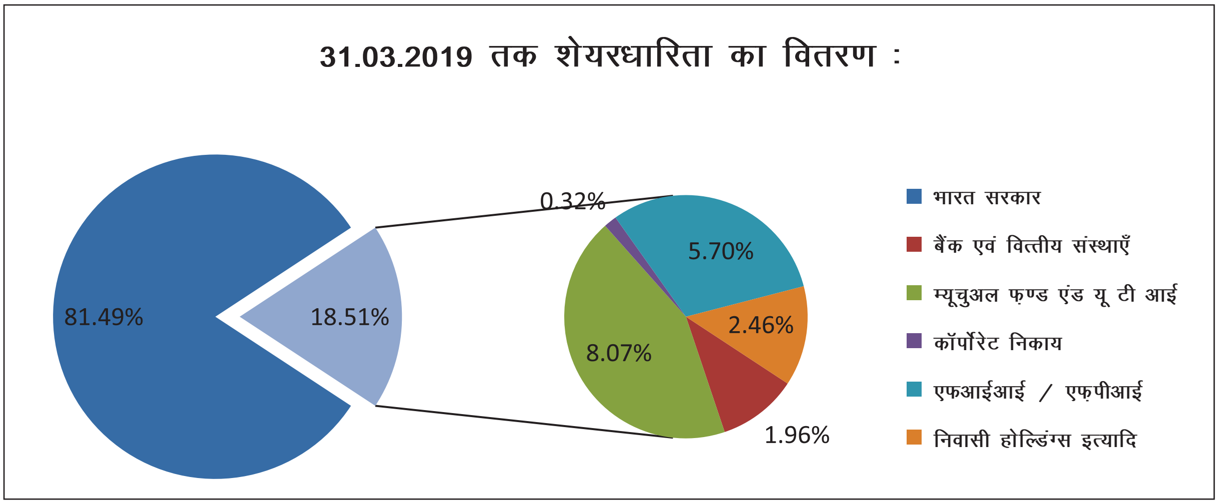

d. Shareholding pattern as on 31.03.2019:

List of shareholders holding shares 1% and above as on 31.03.2019:

No.	Names of Shareholders	No. of shares held	% to total holding
1.	Government of India	391369637	81.49
2.	HDFC Trustee Company Limited – A/c HDFC Mid-Cap Opportunities Fund	21146700	4.40
3.	L & T Mutual Fund Trustee Ltd	12803082	2.67
4.	HSBC Global Investment Funds – Indian Equity	9080184	1.89
5.	Life Insurance Corporation of India	5214074	1.09

Total foreign holding as on 31.3.2019:

No.	Category of Shareholders	No. of shares held	% to total holding
1.	Foreign Institutional Investors	3045642	0.63
2.	Foreign Portfolio Investors	24366589	5.07
3.	Non Resident Indians	456284	0.10
	Total	**27868515**	**5.80**

Distribution of shareholdings as on 31.03.2019:

Category wise:

No.	Category	No. of Shares held	Amount (₹)	% of Shareholding
1.	Government of India	391369637	3913696370	81.49
2.	Banks & Financial Institutions (Central / State Institutions)	9426624	94266240	1.96
3.	Mutual Funds & UTI	38737738	387377380	8.07
4.	Bodies Corporate	1519588	15195880	0.32
5.	FIIs /FPIs	27412231	274122310	5.70
6.	Resident Holdings, etc.	11825833	118258330	2.46
	TOTAL	**480291651**	**4802916510**	**100.00**

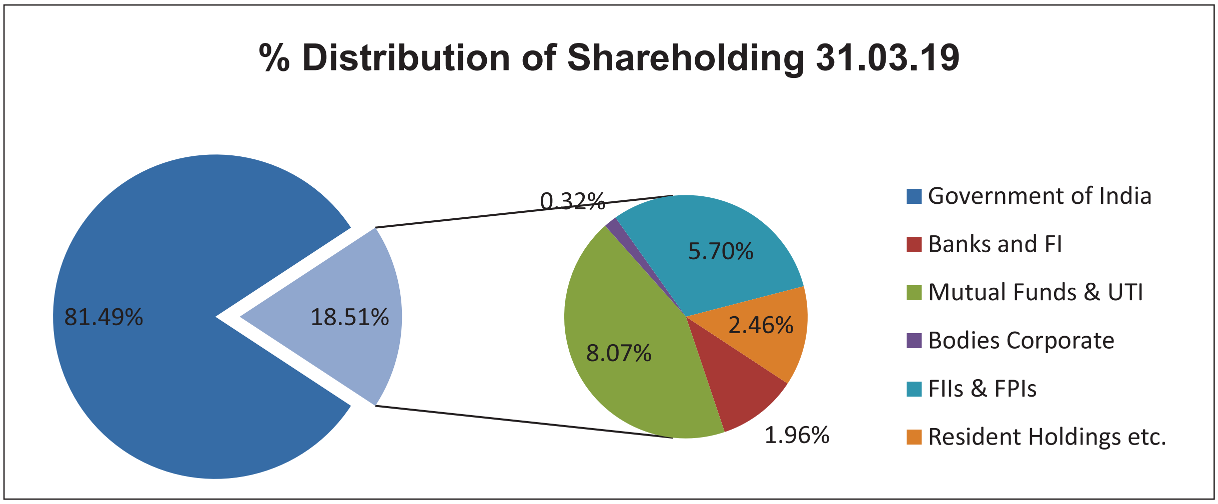

मूल्यवार :

अधिकृत मूल्य के शेयरों की शेयरधारिता	शेयर धारक		शेयर	
	संख्या	प्रतिशत	₹	प्रतिशत
5000 तक	66064	95.40	68195780	1.42
5001 से 10000	1880	2.72	14102760	0.29
10001 से 20000	696	1.00	10044070	0.21
20001 से 30000	181	0.26	4522130	0.09
30001 से 40000	79	0.11	2814410	0.06
40001 से 50000	67	0.10	3138620	0.07
50001 से 100000	105	0.15	7405310	0.15
100001 और उससे अधिक	182	0.26	4692693430	97.71
कुल	**69254**	**100.00**	**4802916510**	**100.00**

मासिक उच्च एवं निम्न कोटेशन एवं शेयरों की मात्रा :

माह	एनएसई			बीएसई			कुल
	उच्च (₹)	निम्न (₹)	प्रमात्रा (संख्याएँ लाख में)	उच्च (₹)	निम्न (₹)	प्रमात्रा (संख्याएँ लाख में)	प्रमात्रा (संख्याएँ लाख में)
अप्रैल 2018	327.40	295.80	241.70	327.70	296.00	16.30	258.00
मई 2018	350.45	293.25	489.16	348.90	297.10	30.62	519.78
जून 2018	375.15	325.05	307.47	375.00	325.65	18.01	325.48
जुलाई 2018	370.00	305.05	259.01	369.15	305.25	17.56	276.57
अगस्त 2018	379.70	322.25	358.01	380.00	320.00	22.16	380.17
सितंबर 2018	339.15	219.25	401.15	339.00	220.00	27.11	428.26
अक्तूबर 2018	264.40	210.40	400.59	263.95	211.00	33.27	433.86
नवंबर 2018	269.70	220.00	509.27	269.80	214.95	36.32	545.59
दिसंबर 2018	253.80	210.80	307.19	253.70	211.35	20.49	327.68
जनवरी 2019	262.30	212.70	466.56	262.50	213.00	29.14	495.70
फरवरी 2019	240.00	200.00	400.31	234.20	200.65	26.12	426.43
मार्च 2019	287.00	222.00	472.81	286.60	222.40	28.34	501.15

वर्ष 2018-19 के दौरान एनएसई निफ्टी 50 की तुलना में ईक्विटी का निष्पादन

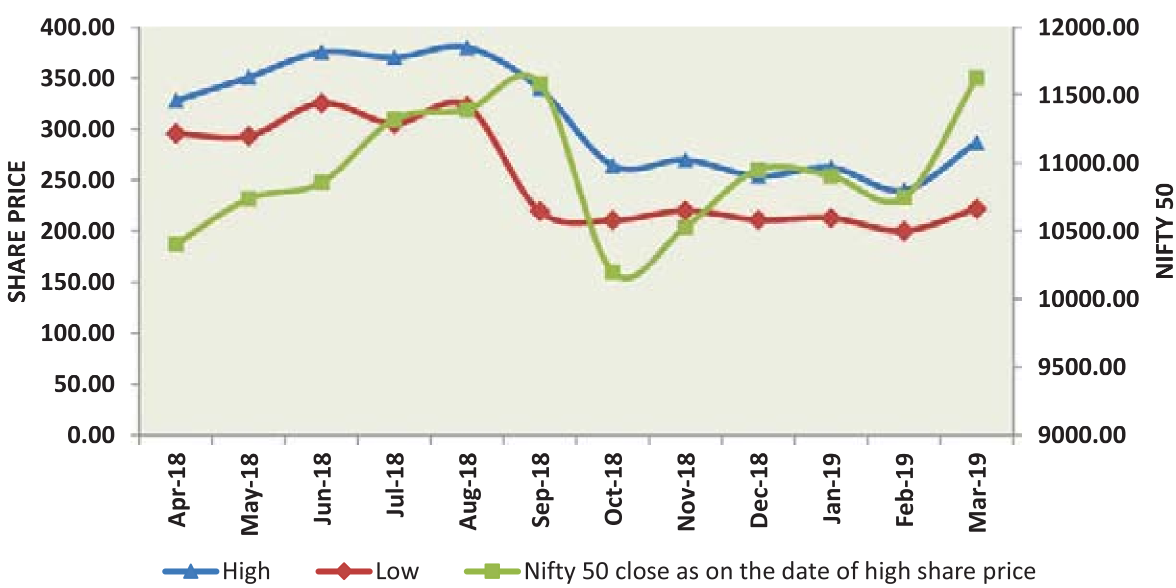

Value wise:

Shareholding of Nominal value	Shareholders		Shares	
	Nos.	%	₹	%
Upto 5000	66064	95.40	68195780	1.42
5001 – 10000	1880	2.72	14102760	0.29
10001 – 20000	696	1.00	10044070	0.21
20001 – 30000	181	0.26	4522130	0.09
30001 – 40000	79	0.11	2814410	0.06
40001 – 50000	67	0.10	3138620	0.07
50001 – 100000	105	0.15	7405310	0.15
100001 & above	182	0.26	4692693430	97.71
TOTAL	**69254**	**100.00**	**4802916510**	**100.00**

Monthly High and low quotation and volume of shares:

Month	N S E			B S E			Total
	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos. in lacs)	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos. in lacs)	Volume (Nos. in lacs)
April 2018	327.40	295.80	241.70	327.70	296.00	16.30	258.00
May 2018	350.45	293.25	489.16	348.90	297.10	30.62	519.78
June 2018	375.15	325.05	307.47	375.00	325.65	18.01	325.48
July 2018	370.00	305.05	259.01	369.15	305.25	17.56	276.57
August 2018	379.70	322.25	358.01	380.00	320.00	22.16	380.17
September 2018	339.15	219.25	401.15	339.00	220.00	27.11	428.26
October 2018	264.40	210.40	400.59	263.95	211.00	33.27	433.86
November 2018	269.70	220.00	509.27	269.80	214.95	36.32	545.59
December 2018	253.80	210.80	307.19	253.70	211.35	20.49	327.68
January 2019	262.30	212.70	466.56	262.50	213.00	29.14	495.70
February 2019	240.00	200.00	400.31	234.20	200.65	26.12	426.43
March 2019	287.00	222.00	472.81	286.60	222.40	28.34	501.15

Equity Performance in comparison with NSE Nifty 50 during the year 2018-19

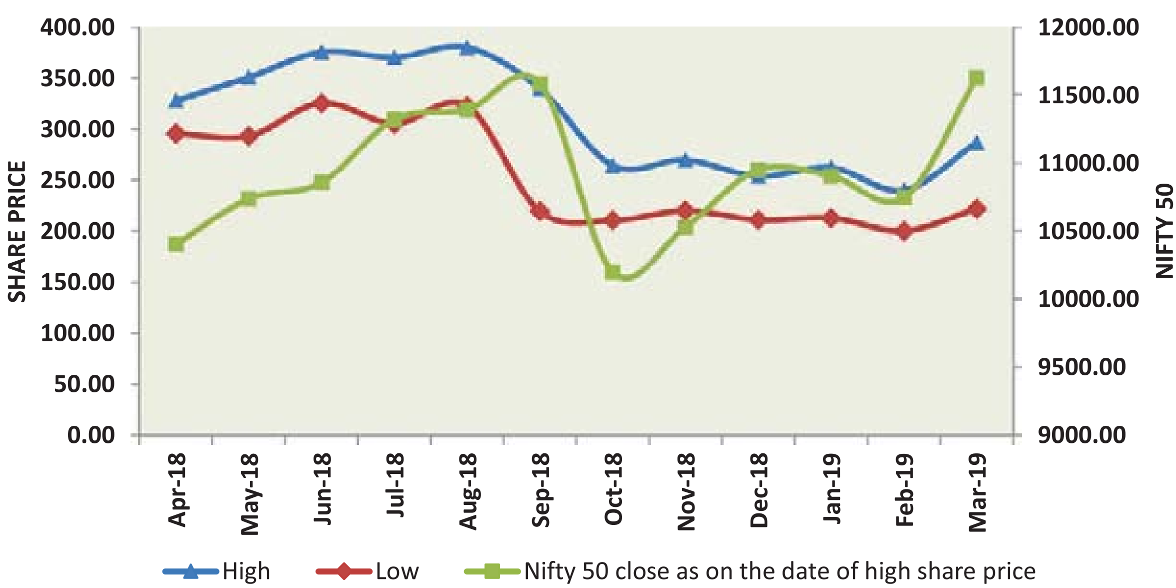

ई) शेयरों का अमूर्तकरण (कागज़ रहित करना)

बैंक के शेयर में लेनदेन, अनिवार्यतः कागज़ – रहित रूप में किए जाते हैं तथा बैंक ने नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है तथा आईएसआईएन, आईएनई562A01011 है। दिनांक 31.03.2019 को कागज़–रहित रूप में और कागज़ के रूप में धारित इक्विटी शेयरों के विवरण निम्नवत् हैं :

संख्या	फॉर्म	शेयरों की संख्या	
1.	भौतिक (कागज के रूपमें)		1108
2.	डी–मेट – एनएसडीएल के साथ	86051805	
	सीडीएसएल के साथ	394238738	480290543
	कुल		**480291651**

मार्च 2019 को कोई भी ग्लोबल डिपोजिटरी रसीद या अमरीकी डिपोजिटरी रसीद या वारेंट या कोई संपरिवर्तनीय बकाया नहीं थे।

एफ) बैंक ने समय–समय पर अपरिवर्तनीय बॉन्डों को जारी किया है और ऐसे बॉन्डों का विवरण दिनांक 31 मार्च, 2019 तक निम्नानुसार है।

शृंखला	आबंटन की तारीख	मात्रा (रु करोड़ में)	अवधि (महीनों में)	कूपन (%)	मोचन की तारीख	क्रिसिल रेटिंग	केयर रेटिंग	आईसीआरए रेटिंग
टियर II	28.06.2010	500.00	120	8.53	28.06.2020	AAA/Stable		AA+(Positive)
टियर II	16.07.2010	500.00	180	8.67	16.07.2025*	AAA/Stable		
अतिरिक्त टियर I बेसल III का अनुपालन	30.03.2016	500.00	Perpetual#	11.15	-	AA+/Stable	AA+/Stable	
टियर II	28.07.2016	600.00	120	8.10	28.07.2026$	AA+/Stable	AA+/Stable	
टियर II	30.10.2018	290.00	120	8.90	30.10.2028@	AA+/Stable	AA+/Stable	
टियर II	06.11.2018	110.00	120	8.85	06.11.2028**	AA+/Stable	AA+/Stable	
टियर II	22.01.2019	600.00	120	8.53	22.01.2029##	AA+/Stable	AA+/Stable	

* दिनांक 16.07.2020 तक कॉल ऑप्शन उपलब्ध है। # प्रथम कॉल ऑप्शन 30.03.2021 को उपलब्ध तथा इसके पश्चात प्रत्येक कूपन की तारीख को उपलब्ध।

$ कॉल ऑप्शन 28.07.2021 को उपलब्ध । @ कॉल ऑप्शन 30.10.2023 को उपलब्ध ।

** दिनांक 06.11.2023 तक कॉल ऑप्शन उपलब्ध है। ## दिनांक 22.01.2024 तक कॉल ऑप्शन उपलब्ध है।

वर्ष 2018–19 के दौरान रेटिंग में कोई संशोधन नहीं किया गया था।

टियर II बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग बैंकों की वृद्धि और इसकी नियमित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया गया ।

निर्गम के लिए बॉन्ड ट्रस्टी

i बैंक ने दिनांक जून 28, 2010 तथा जुलाई 16, 2010 को जारी किए गए टियर II बॉन्ड के लिए बॉन्ड ट्रस्टी के रूप में मेसर्स आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई को बॉन्डों के निवेशकों के हित को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने हेतु नियुक्त किया है। निर्गम के ट्रस्टियों का पता – मेसर्स आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, भूतल, एशियन बिल्डिंग, सं.17 आर, कामनी रोड, बलार्ड एस्टेट, फोर्ट, मुंबई – 400 001

ii बैंक ने दिनांक मार्च 30, 2016 को जारी किए गए अतिरिक्त टियर I बॉन्ड तथा जुलाई 28, 2016 , 30.10.2018, 06.11.2018 और 22.01.2019 को जारी टियर II बांडों के लिए बॉन्ड ट्रस्टी के रूप में मेसर्स एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड मुंबई को बॉन्डों के निवेशकों के हित को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने हेतु नियुक्त किया है। निर्गम के ट्रस्टियों का पता – मेसर्स एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड, भू तल, एक्सिस हाउस, बॉम्बे डाइंग मिल्स कॉम्पाउण्ड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरली, मुंबई 400 025

डिपॉजिट सर्टिफिकेट की रेटिंग – इंड ए1 + इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है।

बैंक ने वर्ष 2018–19 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को फीस के रूप में रु.38.01 करोड़ का भुगतान किया है।

वर्ष 2018–19 के दौरान, बोर्ड ने बोर्ड की किसी भी समिति की किसी भी सिफारिश को अस्वीकार नहीं किया है, जो अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, निवारण) अधिनियम और नियमों 2013 के अनुसार नीति बनाई है। (नीति के तहत गठित आंतरिक शिकायत समिति वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कार्यरत है।) वर्ष के दौरान चार शिकायतें रिपोर्ट की गई हैं जिनका निपटान कर दिया गया है।

e. Dematerialization of Shares

The shares of the Bank are compulsorily traded in dematerialized form and the Bank has entered into agreements with the National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and the ISIN is INE562A01011. As on March 31, 2019 the details of equity shares held in dematerialised and physical form were as under.

No.	Form	No. of shares	
1.	Physical		1108
2.	D-Mat - with NSDL	86051805	
	with CDSL	394238738	480290543
	TOTAL		**480291651**

There was no outstanding Global Depository Receipts or American Depository Receipts or warrants or any convertible instruments as on March 31, 2019.

f. The Bank has raised Non-convertible bonds from time to time and the details of such bonds outstanding as on March 31, 2019 are as under:

Series	Date of allotment	Size (Rs. in crore)	Tenor (in months)	Coupon (%)	Redemption Date	CRISIL rating	CARE rating	ICRA rating
Tier II	28.06.2010	500.00	120	8.53	28.06.2020	AAA/Stable		AA+(Positive)
Tier II	16.07.2010	500.00	180	8.67	16.07.2025*	AAA/Stable		
Additional Tier I – Basel III compliant	30.03.2016	500.00	Perpetual#	11.15	-	AA+/Stable	AA+/Stable	
Tier II	28.07.2016	600.00	120	8.10	28.07.2026$	AA+/Stable	AA+/Stable	
Tier II	30.10.2018	290.00	120	8.90	30.10.2028@	AA+/Stable	AA+/Stable	
Tier II	06.11.2018	110.00	120	8.85	06.11.2028**	AA+/Stable	AA+/Stable	
Tier II	22.01.2019	600.00	120	8.53	22.01.2029##	AA+/Stable	AA+/Stable	

* Call option available on 16.07.2020.
\# First call option available on 30.03.2021 & there after every coupon date.
$ Call option available on 28.07.2021.
@ Call option available on 30.10.2023
** Call option available on 06.11.2023
Call option available on 22.01.2024

There was no revision in the ratings during the year 2018-19.

The funds raised through Tier II Bonds were utilized for Banks growth and for its regular Business activities.

Bond Trustee to the Issue:

I. The Bank has appointed M/s IDBI Trusteeship Services Limited, Mumbai as Bond Trustees to Tier II Bonds issued on June 28, 2010 and July 16, 2010, to safeguard and to protect the interests of the investors of the Bonds. Address of the Trustees to the Issue is – M/s IDBI Trusteeship Services Limited, Ground Floor, Asian Building, No.17 R, Kamani Marg, Ballard Estate, Fort, Mumbai - 400 001.

ii. The Bank has appointed M/s Axis Trustee Services Limited, Mumbai as Bond Trustees to Additional Tier I Bonds issued on March 30, 2016, Tier II bonds issued on July 28, 2016, 30.10.2018, 6.11.2018 and 22.01.2019 to safeguard and to protect the interests of the investors of the Bonds. Address of the Trustee to the Issue is – M/s Axis Trustee Services Limited, Ground Floor, Axis House, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400 025.

The rating for the certificate of deposits – Ind A1+ by India Ratings and Research Pvt Ltd.

Bank has paid a amount of Rs.38.01 crore as fees to the Statutory Auditors for the year 2018-19.

During the year 2018-19, Board has not declined any recommendation of any Committee of the Board, which is mandatorily required.

The Bank has in place a policy inline with the sexual harrassment of woman at work place (Prevention, Prohibition, Redressal) Act, 2013 and Rules. During the year 4 complaints were reported and they were resolved.

1) सस्पेन्स (उचंत) खाते में शेयर

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं, 2015) में अनुबद्ध किए गए विनियम 39 की आवश्यकता के अनुपालन में इनिशियल पब्लिक ऑफर में जारी किये गये, परंतु बैंक तथा रजिस्ट्रार के प्रयासों के बावजूद भी अदावी रहनेवाले शेयरों को बैंक इस प्रयोजनार्थ खोले गये सस्पेन्स (उचंत) खाते में रखता है। सस्पेन्स, (उचंत) खाते में रखे गए ऐसे शेयरों के विवरण निम्नवत् हैं : इन शेयरों पर मतदान अधिकार तब तक रहेंगे जब तक पंजीकृत मालिक शेयरों का दावा नहीं करता।

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	बकाया अदत्त शेयर
वर्ष के आरंभ में बकाया	21	3584
अंतरण हेतु संपर्क करनेवाले शेयरधारकों की संख्या	0	0
शेयरधारकों की संख्या जिन्हें अंतरित किये गये	0	0
वर्षांत में बकाया	21	3584

एच) दावा नहीं किए गए लाभांश

अक्तूबर 16, 2006 को लागू बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) और वित्तीय संस्थाएँ नियम (संशोधन) अधिनियम 2006 ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 में एक नयी धारा 10(बी) लगाया है जिसमें निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:

1. घोषणा की तारीख के 30 दिनों के बाद वाली 7 दिनों की अवधि के अंदर यदि किसी शेयरधारक ने लाभांश को नहीं भुनाया है/दावा नहीं किया है तो बैंक के चालू खाते में रहनेवाली ऐसी राशियाँ, ''वर्ष ...... के लिए इंडियन बैंक का अदत्त लाभांश'' नामक पृथक खाते में अंतरित किया जाए।

2. अदत्त लाभांश खाते में अंतरित कोई भी राशि यदि ऐसे अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए अदत्त रहती या उसके लिए दावा नहीं की जाती तो उसका अंतरण कंपनी अधिनियम, 1956 की उपधारा 205 सी के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को किया जाए।

तदनुसार, पिछले वर्षों के लिए अदत्त लाभांश को इंडियन बैंक के अदत्त लाभांश खाते में अंतरित किया गया है और इसके बाद ऐसे अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए अदत्त या अदावी रहनेवाली राशियों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाएगा। तदनुसार, वर्ष 2010–11 से संबंधित 11.26 लाख रुपए की अदावी लाभांश राशि को वर्ष 2018–19 के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित किया गया।

2010–11 से 2016–17 तक पिछले वर्षों के लिए अदत्त लाभांश खातों के विवरण तथा आईईपीएफ में उनके अंतरण के लिए नियत तारीख निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	अदत्त लाभांश के विवरण	31.03.2019 को शेष (₹)	आईईपीएफ को अंतरण के लिए नियत तारीख
1.	लाभांश 2011–12	13,46,040	अगस्त 2019
2.	लाभांश 2012–13	14,33,678	अगस्त 2020
3.	अंतरिम लाभांश 2013–14	9,78,339	फरवरी 2021
5.	अंतरिम लाभांश 2013–14	5,56,432	अगस्त 2021
6.	लाभांश 2014–15	9,70,313	अगस्त 2022
7.	लाभांश 2015–16	5,25,342	अगस्त 2023
8.	लाभांश 2016–17	21,94,080	अगस्त 2024

ऐसे शेयर धारक/निवेशक जिन्होंने अपना लाभांश वारंट/धन वापसी आदेशों की भुनाई नहीं की है, से अनुरोध है कि वे बैंक के चेन्नै स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय के निवेशक सेवा कक्ष या बैंक के शेयर अंतरण ऐजेंट के पास अंतरण के लिए नियत तारीख के पहले अपने अद्यतन बनाई गई ग्राहक मास्टर सूची/बैंक अधिदेश के साथ संपर्क करें ताकि लाभांश/ धन वापसी की राशि को उनके खाते में जमा की जा सकें।

1. Shares in Suspense Account

In compliance of the requirement stipulated in Regulation 39 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank is keeping the shares issued pursuant to the Initial Public Offer, which remain unclaimed despite the best efforts of the Bank and the Share Transfer Agent in a Suspense Account opened for this purpose. The details of such shares lying in the Suspense Account are as under: Voting rights on these shares shall remains frozen till the rightful owner claims the shares.

Particulars	No. of shareholders	Shares outstanding
Outstanding at the beginning of the year	21	3584
No. of shareholders approached for transfer	0	0
No. of shareholders to whom shares were transferred	0	0
Outstanding at the end of the year	21	3584

2. Unclaimed Dividend

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, which has come into force on October 16, 2006, has inserted a new section 10 B in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, which provides as under:

1. Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed / claimed the dividend, such amounts lying in the bank current account, have to be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividiend of Indian Bank for the year….."
2. Any money transferred to the Unpaid Dividend account, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under sub-section 205C of the Companies Act, 1956.

Accordingly, the unpaid dividends of previous years have been transferred to Unpaid Dividend accounts of Indian Bank and hence, such monies remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund. Accordingly, the unclaimed dividend amounts of a 11.26 lakhs pertaining to the year 2010-11 was transferred to Investor Education and Protection Fund during the year 2018-19.

The details of such Unpaid Dividend accounts of earlier years from 2011-12 to 2016-17 and the due dates for transfer to IEPF are as under:

Sl. No.	Details of Unpaid Dividend	Balance as on 31.03.2019 (₹)	Due Date of Transfer to IEPF
1.	Dividend 2011-12	13,46,040	August 2019
2.	Dividend 2012-13	14,33,678	August 2020
3.	Interim Dividend 2013-14	9,78,339	February 2021
4.	Final Dividend 2013-14	5,56,432	August 2021
5.	Dividend 2014-15	9,70,313	August 2022
6.	Dividend 2015-16	5,25,342	August 2023
7.	Dividend 2016-17	21,94,080	August 2024

Such of those shareholders / investors, who are yet to encash their Dividend Warrants / Refund Orders, are requested to approach Investor Services Cell of the Bank at its Corporate Office, Chennai or the Bank's Share Transfer Agent with their updated Client Master List / bank mandate before the due date(s) for transfer to enable the Bank to credit their bank accounts with the dividend / refund amounts.

3) सेबी (आंतरिक व्यक्ति द्वारा ट्रेडिंग पर रोक) विनियमन 2015 का अनुपालनः

उपर्युक्त विनियमनों के अनुपालन में बैंक ने अपनी प्रतिभूतियों में डीलिंग करनेवाले नामोद्दिष्ट कर्मचारियों और निदेशकों के लिए आंतरिक व्यक्ति द्वारा ट्रेडिंग पर रोकथाम के लिए आचार संहिता बनाई है। इन विनियमनों की शर्तों की अपेक्षानुसार बैंक के नामोद्दिष्ट कर्मचारियों और निदेशकों से आवधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न फार्म बनाए गए हैं। आगे, वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित विवरणों के अनुसार बैंक के शेयरों में डीलिंग करने के लिए नामोद्दिष्ट कर्मचारियों और निदेशकों के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद कर दिया गया था :

ट्रेडिंग विंडो बंद करने की तारीख	बंद करने का उद्देश्य
मई 03, 2018 से मई 12, 2018 तक	मार्च 31, 2018 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा
अगस्त 01, 2018 से अगस्त 10, 2018 तक	जून 30, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा
अक्तूबर 31, 2018 से नंबवर 11, 2018 तक	सितम्बर 30, 2018 को समाप्त तिमाही / छमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा
जनवरी 19, 2019 से जनवरी 27, 2019 तक	दिसम्बर 31, 2018 को समाप्त तिमाही / नौ महीनों के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा

जे) आचार संहिता :

बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों पर लागू आचार संहिता बनायी है तथा निदेशक मंडल ने दिनांक 29 मार्च, 2007 को आयोजित अपनी बैठक में इसे अपना लिया है तथा बाद में इसमें संशोधन किया गया है और निदेशक मण्डल ने 23 दिसम्बर 2008 को उसे अनुमोदित किया है और इसे बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in में भी उपलब्ध कराया गया है।

घोषणा

बैंक ने सभी बोर्ड सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता बना ली है तथा इसे बैंक की वेबसाइट में भी उपलब्ध करा दिया गया है।

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते इंडियन बैंक

स्थान : चेन्नै
दिनांक : मई 31, 2019

पद्मजा चुन्डूरू
प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ

3. Compliance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.

In pursuance of the above Regulations, the Bank has formulated Code of Conduct for Prevention of Insider Trading for Designated Employees and Directors for dealing in securities of the Bank. Various forms have been designed to receive periodical information from the Designated Employees and Directors of the Bank, as required in terms of these Regulations. Further, the Trading Window for dealing in shares of the Bank was closed for the Directors and Designated Employees of the Bank as per the following details during the year 2018-19:

Dates of closure of Trading Window	Purpose of Closure
From May 03, 2018 to May 12, 2018	Declaration of Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2018.
From August 01, 2018 to August 10, 2018	Declaration of Financial Results for the quarter ended June 30, 2018.
From October 31, 2018 to November 11, 2018	Declaration of Financial Results for the quarter / half-year ended September 30, 2018.
From January 19, 2019 to January 27, 2019	Declaration of Financial Results for the quarter / nine months ended December 31, 2018.

j. Code of Conduct

The Bank has framed the Code of Conduct applicable to Board of Directors and Senior Management Personnel and the same has been adopted by the Board of Directors at its meeting held on March 29, 2007 and subsequently amended and approved by the Board of Directors on December 23, 2008 and the same has also been put on the Bank's website viz., www.indianbank.in.

Declaration

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management of the Bank and the Code is posted on the website of the Bank.

The Board Members and Senior Management have affirmed compliance to the Code of Conduct.

For Indian Bank

Place : Chennai
Date : May 31, 2019

Padmaja Chunduru
Managing Director & CEO

फॉर्म सं. एमआर–3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए

सेवा में,

सदस्यगण,
इंडियन बैंक

मैंने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन तथा **इंडियन बैंक** द्वारा अच्छे कॉर्पोरेट आचरण के अनुपालन (**इसके पश्चात बैंक कहा गया है**) की सचिवीय लेखा परीक्षा की है । सचिवीय लेखा परीक्षा एक व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया गया था, जिसने मुझे कॉर्पोरेट आचरण / वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और इसके बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

इंडियन बैंक की बही खातों, कागजात, कार्यवृत की बही, फॉर्म और दर्ज की गयी विवरणियों तथा बैंक द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों एवं बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान मेरे सत्यापन के आधार पर, मैं रिपोर्ट करता हूँ कि मेरी राय में, बैंक ने 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करते हुए लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी है कि बैंक के पास उचित व्यवस्थित बोर्ड प्रक्रियाएँ और अनुपालन–तंत्र हैं, जो कि इसके बाद की गई रिपोर्टिंग की प्रणाली और विषय के अनुसार हैं:

मैंने 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए इंडियन बैंक ("बैंक") द्वारा अनुरक्षित बही खातों, पत्रों, कार्यवृत की बही, प्रपत्रों और दर्ज की गयी विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्न के अनुसार की है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम; – आईईपीएफ़ संबंधित प्रावधान लागू हैं।

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके तहत निर्मित विनियमों और उपनियमों;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज़ प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक विस्तारित नियम और विनियमन; (लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित हैं :–

(एं) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार निषेध) विनियमन, 2015;

(सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2009;

(डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश ,1999; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

(ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण)विनियमन, 2008;

(एफ) कंपनी अधिविनियमन और ग्राहक के साथ लेन देन से संबंधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट का रजिस्ट्रार) विनियमन, 1993; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

(जी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियमन, 2009; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

(एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों की वापसी) विनियमन, 1998 ; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

अन्य विधियां जो बैंक पर विशेष रूप से लागू है, वह निम्नानुसार है :

(vi) बैंककारी कंपनी अधिनियम (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970

(vii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

मैंने निम्नलिखित के लागू खंड के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक. (लागू नहीं)

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 15(2) के अनुसार अन्य संविधियों के तहत विनियमनों की शर्तों के अधीन के अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए, जो कंपनियां नहीं हैं, लेकिन कॉरपोरेट निकाय है, कॉर्पोरेट प्रशासन के प्रावधान में दिए गए विनियमन 17 से 27 और 46 (2) (बी) से (आई) और अनुसूची V के अनुच्छेद सी, डी एवं ई, इस हद तक लागू होगा कि यह संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी संबंधित संविधियों और दिशानिर्देशों या निर्देशों का उल्लंघन नहीं करता है।

बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित है और कंपनी अधिनियम, 1953/2013 के अधीन पंजीकृत नहीं किया गया है।

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

For the Financial Year 2018-19

To,

The Members,
INDIAN BANK

I have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Indian Bank (hereinafter called the Bank)**. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on my verification of the **Indian Bank** books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, I hereby report that in my opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended 31st March 2019, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by **Indian Bank** ("the Bank") for the financial year ended on 31st March 2019 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder; - The IEPF related provisions are applicable.

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; **(Not applicable to the Bank during the audit period)**

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

(a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

(b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

(c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;

(d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999; **(Not applicable to the Bank during the audit period)**

(e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;

(f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; **(Not applicable to the Bank during the audit period)**

(g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; **(Not applicable to the Bank during the audit period)**

(h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998; **(Not applicable to the Bank during the audit period)**

Other Laws specifically applicable to this Bank is as follows:

(vi) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970

(vii) The Banking Regulations Act, 1949

I have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India. **(NOT APPLICABLE)**

(ii) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

As per Regulation 15(2) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, for other listed entities which are not companies, but body corporate are subject to regulations under other statues, the provisions of corporate governance as specified in Regulations 17 to 27 and 46(2) (b) to (i) and Paras C, D and E of Schedule V shall apply to the extent that it does not violate their respective statues and guidelines or directives issued by the relevant authorities.

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is not registered under the Companies Act, 1956/2013.

बैंक बोर्ड, लेखापरीक्षा समिति व अन्य समितियों के गठन व निदेशकों को किये जाने वाले भुगतान, बोर्ड/ समिति प्रक्रियाओं/सम्बंधित पार्टी लेनदेन इत्यादि बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, भारतीय बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 1999 यथा संशोधित के प्रावधानों एवं समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक व भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत नियंत्रित होते हैं तथा विनियम 15 से 27 के प्रावधान कुछ हद तक अनुपालनीय/लागू नहीं हैं।

बोर्ड की बैठकों को नियत किये जाने हेतु सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है और कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत नोट को पहले ही भेजा जा चुका है तथा बैठक में अर्थपूर्ण सहभागिता हेतु बैठक होने से पूर्व ही एजेंडा की मदों पर सूचना व स्पष्टता मांगे जाने की प्रणाली उपलब्ध में है।

मैं आगे रिपोर्ट करता/करती हूँ कि बैंक द्वारा उचित कानूनों, नियमों, नियामकों व दिशानिर्देशों के अनुसार निरीक्षण व अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक के आकार व परिचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ व प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

मैं आगे रिपोर्ट करता/करती हूँ कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट के दौरान बैंक ने

i. दिनांक 30.10.2018 को निजी स्थानन के आधार पर 19 निवेशकों को 290 करोड़ रूपये हेतु 8.90 प्रतिशत की कूपन दर पर 2900 टीयर 2 बॉन्ड्स, प्रत्येक की कीमत 10 लाख रूपये (दस लाख रूपये), आवंटित किये।

ii. दिनांक 06.11.2018 को निजी स्थानन के आधार पर 18 निवेशकों को 110 करोड़ रूपये हेतु 8.85 प्रतिशत की कूपन दर पर 1100 टीयर 2 बॉन्ड्स, प्रत्येक की कीमत 10 लाख रूपये(दस लाख रूपये), आवंटित किये।

iii. दिनांक 22.01.2019 को निजी स्थानन के आधार पर 9 निवेशकों को 600 करोड़ रूपये हेतु 8.53 प्रतिशत की कूपन दर पर 6000 टीयर 2 बॉन्ड्स, प्रत्येक की कीमत 10 लाख रूपये (दस लाख रूपये), आवंटित किये।

वी सुरेश
व्यावसायिक कंपनी सचिव
एफसीएस नं. 2969
सी.पी. नं 6032

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 30.05.2019

The constitution of the Bank's Board, Audit Committee and other Committees of the Board and remuneration to the Directors, Board / Committee procedures / Related Party Transactions etc., are governed under the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulations Act, 1949, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended and guidelines issued by Reserve Bank of India and Government of India from time to time and to that extent some of the provisions of the Regulations 15 to 27 are not compliable/ applicable.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

I further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

I further report that during the audit report the Bank has

(i) Allotted 2900 Tier 2 Bonds of ₹ 10 lakhs each (Rupees Ten lakhs each) for ₹ 290 crores at a coupon rate of 8.90% on Private Placement basis to 19 investors on 30.10.2018.

(ii) Allotted 1100 Tier 2 Bonds of Rs10 lakhs each (Rupees Ten lakhs each) for ₹110 crores at a coupon rate of 8.85% on Private Placement basis to 18 investors on 06.11.2018.

(iii) Allotted 6000 Tier 2 Bonds of ₹10 lakhs each (Rupees Ten lakhs each) for ₹ 600 crores at a coupon rate of 8.53% on Private Placement basis to 9 investors on 22.01.2019.

Place : Chennai
Date : 30.05.2019

V Suresh
Practising Company Secretary
FCS No. 2969
C.P.No. 6032

सेवा में,

निदेशक मंडल
इंडियन बैंक

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग करार तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं विनियमन 2015) के विनियम 17(8) के अनुसार सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

(ए) हमने वर्ष 2018–19 के लिए इंडियन बैंक के वित्तीय विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरणों का पुनरीक्षण किया है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार

(i) इन विवरणों में तात्विक रूप से कोई अवास्तविक कथन नहीं हैं या महत्वपूर्ण तथ्य हटाए नहीं गये हैं या भ्रमजनक विवरण नहीं हैं।

(ii) ये विवरण एकत्रित रूप से बैंक के कार्यकलापों का सच्चा एवं निष्पक्ष रूप दिखाते हैं और ये विद्यमान लेखाकरण मानक, प्रयोज्य कानून एवं विनियमन के अनुरूप हैं।

(बी) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार इस वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए हैं जो कपटपूर्ण, गैर–कानूनी हो या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो ।

(सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं अनुरक्षित करने का दायित्व लेते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में बैंक के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण के रूप या परिचालन में कमियाँ, यदि हों, जिन्हें हम जानते हैं तथा इन कमियों को सुधारने के लिए किए गए कदम या प्रस्तावित कदम की रिपोर्ट हमने लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति को दे दी है।

(डी) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को निम्नलिखित बातों की जानकारी दी है:

(i) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(ii) वर्ष के दौरान लेखाकरण नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और इनका प्रकटीकरण, वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में किया गया है, और

(iii) धोखाधड़ी की महत्वपूर्ण घटनाओं के मामले, जो हमें ज्ञात हुए हैं और उसमें वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारी या प्रबंधन का शामिल होना, यदि हो, की जानकारी।

(पी ए कृष्णन)
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

पद्मजा चुन्डूरू
प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 14 मई 2019

To

The Board of Directors
Indian Bank

CEO & CFO Certificate under Regulation 17(8) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

This is to certify that

(a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement of Indian Bank for the year 2018-19 and that to the best of our knowledge and belief:

(i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

(b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

(c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

(d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee

(i) significant changes in internal control over financial reporting during the year.

(ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(P A Krishnan)
General Manager & CFO

(Padmaja Chunduru)
Managing Director & CEO

Place : Chennai
Date : May 14, 2019

कार्पोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

इंडियन बैंक के सदस्य

हमने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ कथित बैंक के लिस्टिंग करार के उपरान्त भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनिमयमन, 2015 के अध्याय IV में अनुबद्ध कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन, प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनायी गयी प्रक्रियाविधियों और उनके कार्यान्वयन तक ही हमारी जांच सीमित थी। यह लेखापरीक्षा भी नहीं है और न ही यह बैंक के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत का प्रकटीकरण है।

हमारी राय में और हमारी उत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लिस्टिंग करार के उपरान्त भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनिमय, 2015 के अध्याय IV में निहित प्रावधान के अनुसार कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया गया है, जो किसी भी निदेशकों की नियुक्ति में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रम का अंतरण) अधिनियम, 1970 में यथा संशोधित का उल्लंघन नहीं करते।

हम आगे कहते हैं, कि ऐसा अनुपालन, न ही बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही बैंक के कार्यों के संचालन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभावोत्पादकता है।

कृते गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी
For GANDHI MINOCHA & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.000458N

भूपेन्द्र सिंह
BHUPINDER SINGH
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No 092867)

कृते पॉम्स एण्ड एसोसियेट्स
For PAMS & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No. 316079E

सत्यजित मिश्रा
SATYAJIT MISHRA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.057293)

कृते पी एस सुब्रमणिय अय्यर एण्ड कंपनी
For P S SUBRAMANIA IYER & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.004104S

वी स्वामिनाथन
V SWAMINATHAN
साझेदार Partner
(एम.सं. M No. 022276)

कृते एम थामस एण्ड कंपनी
For M THOMAS & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.004408S

आर मुरली
R MURALI
साझेदार Partner
(एम.सं. M No. 080972)

कृते के सी मेहता एण्ड कंपनी
For K C MEHTA AND CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No: 106237W

चिराग बक्शी
CHIRAG BAKSHI
साझेदार Partner
(एम.सं. M No. 047164)

स्थान Place : चेन्नै Chennai
दिनांक Date : 14 मई 2019 / 14.05.2019

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To

The Members of Indian Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by INDIAN BANK for the year ended on March 31, 2019 as stipulated in Chapter IV of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 pursuant to the Listing Agreement of the said Bank with the Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the provisions as specified in Chapter IV of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 pursuant to the Listing Agreement of the said Bank with Stock Exchanges to the extent these do not violate the Banking Regulation Act, 1949 and the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended, in respect of appointment of Directors.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For GANDHI MINOCHA & CO
Chartered Accountants
FR No.000458N

BHUPINDER SINGH
Partner
(M. No 092867)

For P A M S & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 316079E

SATYAJIT MISHRA
Partner
(M. No.057293)

For P S SUBRAMANIA IYER & CO
Chartered Accountants
FR No.004104S

V SWAMINATHAN
Partner
(M No. 022276)

For M THOMAS & CO
Chartered Accountants
FR No.004408S

R MURALI
Partner
(M No. 080972)

For K C MEHTA AND CO
Chartered Accountants
FR No: 106237W

CHIRAG BAKSHI
Partner
(M No. 047164)

Place : Chennai
Date : 14th May, 2019

इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त रखा गया है।

This page is intentionally left blank

तुलन पत्र,
लाभ और हानि लेखा और अनुसूचियां

BALANCE SHEET,
PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND SCHEDULES

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र
BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2019

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. Schedule No.	31.03.2019 को As on 31.03.2019	31.03.2018 को As on 31.03.2018
पूंजी व देयताएं CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	480 29 17	480 29 17
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves and Surplus	2	18908 40 00	17968 12 67
जमाएं Deposits	3	242075 94 68	208294 22 17
उधार Borrowings	4	12137 54 29	19760 17 07
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	6463 09 23	6213 01 18
कुल TOTAL		**280065 27 37**	**252715 82 26**
आस्तियां ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और अधिशेष Cash & Balances with R B I	6	11701 86 43	10501 60 02
बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	8318 51 54	2426 18 80
निवेश Investments	8	64992 17 42	71397 76 65
अग्रिम Advances	9	181261 91 24	156568 92 85
अचल आस्तियां Fixed Assets	10	3961 40 48	3418 34 55
अन्य आस्तियां Other Assets	11	9829 40 26	8402 99 39
कुल TOTAL		**280065 27 37**	**252715 82 26**
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	36194 10 92	33703 86 18
वसूली के लिए बिल Bills for Collection	-	5394 56 36	4607 54 82

सुश्री पद्मजा चुन्डूरू,
Ms. PADMAJA CHUNDURU
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
MANAGING DIRECTOR & CEO

एम के भट्टाचार्य
M K BHATTACHARYA
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

शेणॉय विश्वनाथ वी
SHENOY VISHWANATH V
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

पी ए कृष्णन
P A KRISHNAN
महाप्रबंधक (लेखा)/सीएफओ
GENERAL MANAGER (ACCOUNTS)/CFO

निदेशक **DIRECTORS**

अमित अग्रवाल **AMIT AGRAWAL**
सलिल कुमार झा **SALIL KUMAR JHA**
एस के पाणिग्रही **S K PANIGRAHY**
विनोद कुमार नागर **VINOD KUMAR NAGAR**
विजय कुमार गोयल **VIJAY KUMAR GOEL**
डॉ. भारत कृष्ण शंकर **Dr. BHARATH KRISHNA SANKAR**

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक **STATUTORY CENTRAL AUDITORS**

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट संलग्न है / As per our report of even date attached

कृते गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी
For GANDHI MINOCHA & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.000458N

भूपेन्द्र सिंह
BHUPINDER SINGH
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No 092867)

कृते पॉम्स एण्ड एसोसियेट्स
For PAMS & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No. 316079E

सत्यजित मिश्रा
SATYAJIT MISHRA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.057293)

कृते पी एस सुब्रमणिय अय्यर एण्ड कंपनी
For P S SUBRAMANIA IYER & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.004104S

वी स्वामिनाथन
V SWAMINATHAN
साझेदार Partner
(एम.सं. M No. 022276)

कृते एम थामस एण्ड कंपनी
For M THOMAS & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.004408S

आर मुरली
R MURALI
साझेदार Partner
(एम.सं. M No. 080972)

कृते के सी मेहता एण्ड कंपनी
For K C MEHTA AND CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No: 106237W

चिराग बक्शी
CHIRAG BAKSHI
साझेदार Partner
(एम.सं. M No. 047164)

स्थान : चेन्नै
Place : Chennai
दिनांक : Date : 14.05.2019

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. Schedule No.	31.03.2019 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2019	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2018
I. आय : INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	19184 81 28	17113 64 70
अन्य आय Other Income	14	1882 88 96	2405 83 73
कुल TOTAL		**21067 70 24**	**19519 48 43**
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	12166 71 97	10850 09 31
परिचालनगत व्यय Operating expenses	16	4020 36 66	3668 40 13
प्रावधान एवं आकस्मिकतायें Provisions & Contingencies	-	4558 66 40	3741 99 71
कुल TOTAL		**20745 75 03**	**18260 49 15**
III. लाभ /हानि PROFIT/LOSS			
वर्ष के लिए निवल लाभ /हानि (–) Net Profit/Loss(-) for the year		321 95 21	1258 99 28
अग्रानीत लाभ / हानि (–) Profit/Loss(-) Brought forward		98 15 24	97 10 96
कुल TOTAL		**420 10 45**	**1356 10 24**
IV. विनियोजन APPROPRIATIONS			
निम्नलिखित को अंतरित : Transfer to :			
सांविधिक प्रारक्षित निधि Statutory Reserves		80 50 00	314 75 00
पूँजी रिज़र्व Capital Reserves		40 79 00	35 20 00
धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व Special Reserves u/s 36(1)(viii)		12 00 00	38 00 00
राजस्व रिज़र्व Revenue Reserves		1 00 00	850 00 00
स्टाफ कल्याण निधि Staff Welfare Fund		9 66 00	20 00 00
निवेश उतार–चढ़ाव रिजर्व Investment Fluctuation Reserve		177 00 00	
ईक्विटी लाभांश Equity Dividend			
लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax			
शेष जो तुलन पत्र को अग्रानीत किया गया है Bal. carried over to Balance Sheet		99 15 45	98 15 24
कुल TOTAL		**420 10 45**	**1356 10 24**
प्रति शेयर अर्जन ₹ में (आधारभूत और कम किया गया) Earnings Per Share in Rs. (basic & diluted)		6.70	26.21

सुश्री पद्मजा चुन्डूरू,
Ms. PADMAJA CHUNDURU
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
MANAGING DIRECTOR & CEO

एम के भट्टाचार्य
M K BHATTACHARYA
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

शेणॉय विश्वनाथ वी
SHENOY VISHWANATH V
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

पी ए कृष्णन
P A KRISHNAN
महाप्रबंधक (लेखा)/सीएफओ
GENERAL MANAGER (ACCOUNTS)/CFO

निदेशक **DIRECTORS**

अमित अग्रवाल **AMIT AGRAWAL**
सलिल कुमार झा **SALIL KUMAR JHA**

एस के पाणिग्रही **S K PANIGRAHY**
विनोद कुमार नागर **VINOD KUMAR NAGAR**

विजय कुमार गोयल **VIJAY KUMAR GOEL**
डॉ. भारत कृष्ण शंकर **Dr. BHARATH KRISHNA SANKAR**

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक **STATUTORY CENTRAL AUDITORS**

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट संलग्न है / As per our report of even date attached

कृते गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी
For GANDHI MINOCHA & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.000458N

भूपेन्द्र सिंह
BHUPINDER SINGH
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No 092867)

कृते पॉम्स एण्ड एसोसियेट्स
For PAMS & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No. 316079E

सत्यजित मिश्रा
SATYAJIT MISHRA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.057293)

कृते पी एस सुब्रमणिय अय्यर एण्ड कंपनी
For P S SUBRAMANIA IYER & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.004104S

वी स्वामिनाथन
V SWAMINATHAN
साझेदार Partner
(एम.सं. M No. 022276)

कृते एम थामस एण्ड कंपनी
For M THOMAS & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.004408S

आर मुरली
R MURALI
साझेदार Partner
(एम.सं. M No. 080972)

कृते के सी मेहता एण्ड कंपनी
For K C MEHTA AND CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No: 106237W

चिराग बक्शी
CHIRAG BAKSHI
साझेदार Partner
(एम.सं. M No. 047164)

स्थान : चेन्नै
Place : Chennai
दिनांक : Date : 14.05.2019

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

अनुसूची 1 – पूंजी
SCHEDULE 1 - CAPITAL

विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को As on 31.03.2019	31.03.2018 को As on 31.03.2018
I. प्राधिकृत पूँजी Authorised Capital		
प्रत्येक ₹ 10/– के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	3000 00 00	3000 00 00
II. जारी, अभिदत्त और अदा की गई पूंजी Issued, Subscribed and Paid up:		
ईक्विटी शेयर Equity Shares:		
ए. भारत सरकार द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपये 10/– के 39,13,69,637 ईक्विटी शेयर (गत वर्ष – प्रत्येक रुपये 10/– के 39,32,35,409 ईक्विटी शेयर) a. 39,13,69,637 Equity shares of Rs.10/- each held by Government of India (P.Y.-39,32,35,409 Equity shares of Rs. 10/- each)	391 36 97	393 23 54
बी. जनता द्वारा रखे गए प्रत्येक ₹10/– के 8,89,22,014 ईक्विटी शेयर (गत वर्ष – प्रत्येक रुपये 10/– के 8,70,56,242 ईक्विटी शेयर) b. 8,89,22,014 Equity shares of Rs.10/- each held by Public (P.Y. 8,70,56,242 Equity shares of Rs.10/- each)	88 92 20	87 05 63
कुल Total	**480 29 17**	**480 29 17**

अनुसूची 2 – आरक्षितियां और अधिशेष
SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

	विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को As on 31.03.2019	31.03.2018 को As on 31.03.2018
I.	**सांविधिक आरक्षितियां STATUTORY RESERVES**		
	ए) अथशेष a. Opening Balance	4425 35 81	4110 60 81
	बी) वर्ष के दौरान जोड़ b. Additions during the year	80 50 00	314 75 00
	कुल TOTAL I	**4505 85 81**	**4425 35 81**
II.	**पूँजीगत आरक्षितियां CAPITAL RESERVES**		
A	पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व Revaluation Reserve		
	ए) अथशेष a. Opening Balance	2621 44 09	2700 41 86
	बी) वर्ष के दौरान जोड़ b. Additions during the year	555 14 76	0
	सी) वर्ष के दौरान कटौतियां c. Deductions during the year	81 54 94	78 97 77
	कुल (ए) TOTAL (A)	**3095 03 91**	**2621 44 09**
B	**अन्य Others**		
	ए) अथशेष a) Opening Balance	195 61 24	160 41 24
	बी) वर्ष के दौरान जोड़ b) Additions during the year	40 79 00	35 20 00
	कुल (बी) TOTAL (B)	**236 40 24**	**195 61 24**
	कुल II (ए + बी) TOTAL II (A + B)	**3331 44 15**	**2817 05 33**
III.	**शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM**		
	ए) अथशेष a) Opening Balance	1325 67 33	1325 67 33
	बी) वर्ष के दौरान जोड़ b) Additions during the year	0	0
	कुल III TOTAL III	**1325 67 33**	**1325 67 33**
IV.	**राजस्व और अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES**		
	ए) राजस्व आरक्षितियां A) Revenue Reserve :		
	अथशेष Opening Balance	8182 48 87	7253 51 10
	लाभ एवं हानि लेखे से अंतरित Tfrd from Profit & Loss a/c	13 00 00	850 00 00
	पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से अंतरित Tfrd from revaluation reserve	81 54 94	78 97 77
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	12 00 00	0
	कुल (ए) TOTAL (A)	**8265 03 80**	**8182 48 87**
	(बी) आईटी अधिनियम की धारा के 36(1)(Viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व		
	B) Special Reserve u/s 36(1)(viii) of IT Act		
	अथशेष Opening Balance	713 52 00	675 52 00
	वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year	12 00 00	38 00 00
	कुल (बी) TOTAL (B)	**725 52 00**	**713 52 00**
	(सी) आईटी अधिनियम की धारा के 36(1)(Viii ए) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व		
	C) Special Reserve u/s 36(1)(viii a) of IT Act		
	अथशेष Opening Balance	**58 20 00**	**58 20 00**
	वर्ष के दौरान जोड Additions during the year	0	0
	कुल (सी) TOTAL (C)	**58 20 00**	**58 20 00**
	डी) निवेश उतार–चढ़ाव रिजर्व D) Investment Fluctuation Reserve		
	अथशेष Opening Balance	39 92 22	39 92 22
	वर्ष के दौरान जोड Additions during the year	177 00 00	0
	कुल (डी) TOTAL (D)	**216 92 22**	**39 92 22**
	ई) विदेशी मुद्रा लेनदेन रिजर्व		
	E) Foreign Currency Translation Reserve		
	अथशेष Opening Balance	307 75 87	260 34 31
	वर्ष के दौरान जोड Additions during the year	72 83 37	47 41 56
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deduction during the year	0	0
	कुल (ई) TOTAL (E)	**380 59 24**	**307 75 87**
	कुल IV (ए + बी + सी + डी + ई) TOTAL IV (A + B + C + D + E)	**9646 27 26**	**9301 88 96**
V.	**लाभ एवं हानि खाता PROFIT & LOSS ACCOUNT**		
	अथशेष Opening Balance	98 15 24	97 10 96
	वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year	1 00 21	1 04 28
	कुल V TOTAL V	**99 15 45**	**98 15 24**
	कुल (I + II + III + IV + V) TOTAL (I+II+III+IV+V)	**18908 40 00**	**17968 12 67**

अनुसूची 3 – जमाएँ
SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को As on 31.03.2019	31.03.2018 को As on 31.03.2018
(ए) I. मांग जमाराशियां **A. I. DEMAND DEPOSITS**		
I. बैंकों से i) From Banks	63 76 92	58 40 37
ii. अन्यों से ii) From Others	13191 95 58	12846 45 91
कुल TOTAL	**13255 72 50**	**12904 86 28**
II. बचत बैंक जमाराशियां II. SAVINGS BANK DEPOSITS	**70766 06 31**	**64060 43 65**
III. सावधि जमाराशियां III. TERM DEPOSITS		
I. बैंकों से i) From Banks	3665 43 86	2596 61 38
ii. अन्यों से ii) From Others	154388 72 01	128732 30 86
कुल TOTAL	**158054 15 87**	**131328 92 24**
कुल (I+II+III) TOTAL (I+II+III)	**242075 94 68**	**208294 22 17**
(बी) I. भारत में स्थित शाखाओं की जमाएं B. i) Deposits of branches in India	235236 97 55	202247 57 73
II. भारत के बाहर शाखाओं की जमाएं ii) Deposits of branches outside India	6838 97 13	6046 64 44
कुल TOTAL	**242075 94 68**	**208294 22 17**

अनुसूची 4 – उधार
SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को As on 31.03.2019	31.03.2018 को As on 31.03.2018
I. भारत में उधार I. BORROWINGS IN INDIA		
I) भारतीय रिज़र्व बैंक i) Reserve Bank of India	6395 31 77	15000 00 00
ii) अन्य बैंक ii) Other Banks	4 91	1 52
iii) अन्य संस्थाएं और अभिकरण * iii) Other Institutions and Agencies *	3791 56 42	3801 24 22
कुल TOTAL	**10186 93 10**	**18801 25 74**
II. भारत के बाहर उधार ** **II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA ****	1950 61 19	958 91 33
कुल (I+II) TOTAL (I+II)	**12137 54 29**	**19760 17 07**
ऊपर के मदों में प्रतिभूत उधार को शामिल किया गया है। Secured Borrowings included above	6395 31 77	16049 45 65

* टियर II पूँजी – गौण ऋण ₹ 2600 00 00 करोड (पिछले वर्ष ₹1600 00 00) को शामिल करते हुए तथा टियर I पूँजी में स्थायी ऋण लिखत ₹ 5000000 (पिछले वर्ष ₹ 5000000) शामिल किया गया है। * includes Tier II Capital - Subordinated debt of ₹2600 00 00 (P.Y. ₹ 1600 00 00) and Tier I Capital - Perpetual Debt Instrument of ₹500 00 00 (P.Y. ₹500 00 00)

** नास्ट्रो मिरर शेषों की असमायोजित मदें एवं मार्गस्थ मदों को शामिल करते हुए ** Includes pipeline and un-adjusted items in Nostro Mirror Balances

अनुसूची 5 – अन्य देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को As on 31.03.2019	31.03.2018 को As on 31.03.2018
I. संदेय बिल I. Bills Payable	598 15 01	631 26 29
ii. अंतर–कार्यालय समायोजन (निवल) II. Inter Office Adjustments(Net)	546 05 08	836 66 04
iii. उपचित ब्याज III. Interest Accrued	698 75 96	919 12 00
iv. अन्य (प्रावधान सहित)* IV. Others(including Provisions) *	4620 13 18	3825 96 85
कुल TOTAL	**6463 09 23**	**6213 01 18**

* ₹ 8167259 (पिछले वर्ष ₹ 8219758) की मानक आस्तियों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान
* includes Contingent Provisions against Standard Assets of ₹8167259 (P.Y - ₹8219758)

अनुसूची 6 भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को As on 31.03.2019	31.03.2018 को As on 31.03.2018
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा नोट सम्मिलित हैं) I. Cash in hand (including foreign currency notes)	1030 75 47	499 69 62
II.भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष II. Balances with Reserve Bank of India in Current Account	10671 10 96	10001 90 40
कुल (I + II) TOTAL (I+II)	**11701 86 43**	**10501 60 02**

अनुसूची 7 – बैंकों में शेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर राशि

SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को As on 31.03.2019	31.03.2018 को As on 31.03.2018
I. भारत में I. IN INDIA		
i) बैंकों में अतिशेष i) Balances with Banks		
क. चालू खाते में a) in Current Account	2 80 27	15 01 45
ख. अन्य जमा खातों में b) in Other Deposit Accounts	711 45 75	635 23 55
कुल (i) TOTAL (I)	**714 26 02**	**650 25 00**
ii) मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि (बैंकों के साथ)		
ii) Money at Call and Short Notice (with Banks)	2200 00 00	0
कुल (ii) TOTAL (ii)	**2200 00 00**	**0**
कुल (i + ii) TOTAL (i + ii)	**2914 26 02**	**650 25 00**
II. भारत के बाहर II. OUTSIDE INDIA		
I) चालू खातों में i) in Current Accounts	203 65 53	166 38 53
ii) अन्य जमा खातों में ii) in other Deposit Accounts	5168 47 18	1609 00 78
iii) माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि iii) Money at Call and Short Notice	32 12 81	54 49
कुल (i + ii + iii) TOTAL (i + ii + iii)	**5404 25 52**	**1775 93 80**
कुल योग GRAND TOTAL (I +II)	**8318 51 54**	**2426 18 80**

अनुसूची 8 – निवेश

SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2019को As on 31.03.2019	31.03.2018 को As on 31.03.2018
I. भारत में निवेश I. INVESTMENTS IN INDIA		
सकल निवेश Gross Investments	64153 14 96	69748 46 42
घटाएँ : मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान Less : Provsion for Depreciation &NPI	1035 06 38	509 77 93
निवल निवेश Net Investments	**63118 08 58**	**69238 68 49**
i. सरकारी प्रतिभूतियां i) Government Securities	51918 69 34	60441 27 09
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां ii) Other approved Securities	5 23 16	26 31 48
iii. शेयर iii) Shares	505 23 38	675 41 67
iv. डिबेंचर और बॉंड iv) Debentures and bonds	7400 95 19	7467 40 45
v. अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम (सहयोगियों के साथ) v) Subsidiaries and/or joint ventures (including Associates)	87 01 37	87 01 37
vi. अन्य vi) Others	3200 96 14	541 26 43
कुल : TOTAL	**63118 08 58**	**69238 68 49**
II. भारत के बाहर निवेश II. INVESTMENT OUTSIDE INDIA		
सकल निवेश Gross Investments	**1963 62 97**	**2243 85 79**
घटाएँ : मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान Less Provsion for Depreciation &NPI	89 54 13	84 77 63
निवल निवेश Net Investments	**1874 08 84**	**2159 08 16**
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारी सहित)		
I) Government Securities (including local authorities)	1853 17 45	2155 02 49
ii. अन्य निवेश ii) Other investments		
ए शेयर (a) Shares	52 13	1 40 33
बी ऋण प्रतिभूतियाँ (b) Debt Securities	20 39 26	2 65 34
कुल TOTAL	**1874 08 84**	**2159 08 16**
निवल कुल योग (ए) + (बी) NET GRAND TOTAL (A+B)	**64992 17 42**	**71397 76 65**

अनुसूची 9 – अग्रिम

SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को As on 31.03.2019	31.03.2018 को As on 31.03.2018
I) क्रय किए गए और भुनाये गए बिल i) Bills purchased and discounted	1659 79 76	1404 58 68
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ़्ट और मांग पर प्रतिदेय उधार		
ii) Cash Credit, Overdrafts and loans repayable on demand	95636 68 55	83822 46 81
iii. सावधि उधार iii) Term Loans	83965 42 93	71341 87 36
कुल TOTAL	**181261 91 24**	**156568 92 85**
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं)		
I) Secured by tangible assets (includes advance against bookdebts)	151802 66 57	127681 68 35
ii) बैंक / सरकारी प्रतिभूतियां द्वारा संरक्षित ii) Covered by bank/Government guarantee	4831 37 08	3681 10 10
iii) अप्रतिभूत iii) Unsecured	24627 87 59	25206 14 40
कुल TOTAL	**181261 91 24**	**156568 92 85**
I भारत में अग्रिम I. ADVANCES IN INDIA		
I. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र i) Priority Sector	65506 83 93	61996 38 03
ii. सरकारी क्षेत्र ii) Public Sector	21587 22 91	22055 58 69
iii. बैंक iii) Banks	0	0
iv. अन्य iv) Others	86725 50 68	66327 71 24
कुल TOTAL	**173819 57 52**	**150379 67 96**
II. भारत के बाहर अग्रिम II. ADVANCES OUTSIDE INDIA		
I) बैंकों से प्राप्य राशियाँ i) Dues from Banks	1721 43 74	1195 94 48
ii) अन्यों से प्राप्य राशियाँ ii) Dues from others		
क) क्रय किये गए और भुनाये गए बिल a) Bills Purchased and discounted	1255 90 78	879 94 15
ख) सामूहिक ऋण b) Syndicated loans	3066 33 78	2607 41 88
ग) अन्य c) Others	1398 65 42	1505 94 38
कुल TOTAL	**7442 33 72**	**6189 24 89**
कुल योग (1+2) GRAND TOTAL (I+II)	**181261 91 24**	**156568 92 85**

अनुसूची 10 – अचल आस्तियां
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

	विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को As on 31.03.2019	31.03.2018 को As on 31.03.2018
I.	**परिसर (पूनर्मूल्यांकित परिसरों को शामिल कर) PREMISES (Incl. Revalued Premises)**		
	पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन–पत्र के अनुसार लागत / पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	3240 58 48	3209 59 95
	वर्ष के दौरान जोड़ / समायोजन Additions/Adjustments during the year	526 71 71	26 69 26
	पूर्ण योग Sub Total	3767 30 19	3236 29 21
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	6 34	0
	पूर्ण योग Sub Total	3767 23 85	3236 29 21
	अद्यतन मूल्य ह्रास Depreciation to date *	719 53 04	632 50 95
	कुल TOTAL	**3047 70 81**	**2813 77 40**
II.	**पट्टे पर दी गई आस्तियां LEASED ASSETS**		
	पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन–पत्र के अनुसार लागत / पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	209 99 14	214 28 41
	वर्ष के दौरान जोड़ / समायोजन Additions/Adjustments during the year	30 68 96	0
	पूर्ण योग Sub Total	240 68 10	214 28 41
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	0	0
	पूर्ण योग Sub Total	240 68 10	214 28 41
	अद्यतन मूल्य ह्रास Depreciation to date	4 31 21	4 29 27
	कुल TOTAL	**236 36 89**	**209 99 14**
III.	**निर्माणाधीन भवन BUILDINGS UNDER CONSTRUCTION**	**76 44**	**60 53**
IV.	अन्य अचल आस्तियां (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं) OTHER FIXED ASSETS (including Furniture and Fixtures)		
	पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन–पत्र के अनुसार लागत पर At cost as per last Balance Sheet	1880 96 95	1698 67 11
	वर्ष के दौरान जोड़ / समायोजन Additions/Adjustments during the year	253 93 14	206 35 90
	पूर्ण योग Sub Total	2134 90 09	1905 03 01
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	78 88 13	24 06 05
	पूर्ण योग Sub Total	2056 01 96	1880 96 96
	अब तक मूल्य ह्रास Depreciation to date**	1379 45 62	1277 00 34
	कुल TOTAL	**676 56 34**	**603 96 62**
	कुल (I+II+III) TOTAL (I+II+III)	**3961 40 48**	**3418 34 55**

*वर्ष के लिए ₹ 61 59 34 (पिछले वर्ष ₹ 805987) * For the year ₹ 61 59 34 (P.Y. ₹ 805987)

**वर्ष के लिए ₹ 168 75 27 (पिछले वर्ष ₹147 89 65) ** For the year ₹ 168 75 27 (P.Y. ₹ 147 89 65)

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को As on 31.03.2019	31.03.2018 को As on 31.03.2018
I अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)		
I. Inter Office Adjustment (net)	0	0
II उपचित ब्याज II. Interest Accrued	1171 28 62	1284 75 52
III प्रदत्त अग्रिम कर / स्रोत पर काटा गया कर (निवल)		
III. Tax paid in advance/tax deducted at source (net)	4086 06 21	3644 46 47
IV लेखन सामग्री और स्टाम्प IV. Stationery and Stamps	15 61 75	16 68 86
V दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गयी गैर–बैंककारी आस्तियां		
V. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	20 26 11	20 26 11
VI अन्य VI. Others*	4536 17 57	3436 82 43
कुल TOTAL	**9829 40 26**	**8402 99 39**
*जिसमें एचटीएम वर्गिकरण के तहत रखे गए आरआईडीएफ/एसआईडीबीआई/आरएचडीएफ/एनएचबी जमाएं शामिल है। * includes RIDF/SIDBI/RHDF/NHB Deposits held under HTM Category	339 41 29	350 40 82

अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएँ
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को As on 31.03.2019	31.03.2018 को As on 31.03.2018
I बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		
I. Claims against the bank not acknowledged as debts*	527 15 12	489 73 09
II अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता		
II. Liability for partly paid investments	3 63 76	5 18 96
III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता		
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	12986 41 52	8459 72 24
IV संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियां *		
IV. Guarantee given on behalf of constituents*		
क. भारत में a) In India	8415 28 89	11171 05 95
ख. भारत के बाहर b) Outside India	371 45 82	247 69 38
V स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं*		
V. Acceptance, Endorsements and other obligations*	7249 18 12	8503 05 68
VI अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		
VI. Other items for which the bank is contingently liable	6640 97 69	4827 40 88
कुल TOTAL	**36194 10 92**	**33703 86 18**

*आकस्मिक देयताएं मार्जिन घटाने के बाद समान माना गया है * Contingent Liability has been considered net of margin

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2019	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2018
I अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा राशि I. Interest/Discount on Advances/Bills	13983 87 20	11857 14 14
II निवेशों पर आय II. Income on Investments	5043 42 20	5113 15 22
III भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज		
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank funds	139 52 40	121 64 59
IV अन्य IV. Others	17 99 48	21 70 75
कुल TOTAL	**19184 81 28**	**17113 64 70**

अनुसूची 14 – अन्य आय
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2019	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2018
I. कमीशन, विनिमय और दलाली		
I. Commission, Exchange and Brokerage	325 26 20	318 54 89
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ II. Profit on Sale of Investments	235 66 56	686 91 80
घटाएँ : निवेशों की बिक्री पर हानि Less: Loss on Sale of Investments	60 18 45	25 21 48
निवल Net	175 48 11	661 70 32
III. निवेशों के पुनर्मूल्यॉंकन पर लाभ Profit on revaluation of Investments	0	0
घटाएँ : निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	0	0
निवल Net	0	0
IV भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल) *		
IV. Profit on sale of land, buildings and other assets *	1 91 35	1 10 91
घटाएँ : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि (निवल) *		
Less: Loss on Sale of Land, Bldgs. & Other Assets **	3 42 45	3 24 59
निवल Net	-1 51 10	-2 13 68
V विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल)		
V. Profit on exchange transactions (Net)	173 40 70	248 08 08
VI विदेश / भारत में स्थापित अनुषंगियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय		
VI. Income earned by way of dividends, etc., from Subsidiaries/Companies and/or Joint ventures abroad/in India	12 44 69	14 41 65
VII. विविध आय Miscellaneous Income	1197 80 36	1165 22 47
कुल **TOTAL**	**1882 88 96**	**2405 83 73**

* यह राशि सेफ, फॅर्नीचर, वाहन और मशीनरी से संबंधित है * Amounts relates to Safe, Furniture, Vehicle and Machinery.

अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज

SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2019	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2018
I जमाओं पर ब्याज I. Interest on deposits	11230 34 56	10195 83 04
II भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज		
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowings	841 31 93	420 78 83
III. अन्य III.Others	95 05 48	233 47 44
कुल TOTAL	**12166 71 97**	**10850 09 31**

अनुसूची 16 परिचालन व्यय

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2019	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2018
ए कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान		
I. Payments to and provisions for employees	2222 87 25	2100 25 38
II. किराया, कर और बिजली व्यवस्था Rent, Taxes and Lighting	298 40 91	299 60 37
III. मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and Stationery	30 61 11	29 60 26
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and Publicity	9 03 98	11 37 34
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास		
V. Depreciation on Bank's property	258 96 55	236 39 74
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय		
VI. Directors' fees allowance and expenses	1 11 94	85 18
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों को शामिल करते हुए)		
VII. Auditors' fees and expenses(including branch auditors)	41 59 53	35 52 44
VIII .विधि प्रभार Law Charges	5 39 84	7 00 45
IX. डाक, तार और टेलीफोन Postage, Telegrams and Telephones	64 01 15	38 17 86
X. मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and Maintenance	95 03 41	94 27 85
XI. बीमा Insurance	256 33 87	218 71 05
XII. अन्य व्यय Other Expenditure	736 97 13	596 62 21
कुल TOTAL	**4020 36 67**	**3668 40 13**

इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त रखा गया है।

This page is intentionally left blank

अनुसूची 17 – मुख्य लेखांकन नीतियाँ

1 लेखांकन प्रथा :

वित्तीय विवरणों को अन्यथा न बताये जाने पर ऐतिहासिक लागत प्रथा पर क्रियाशील संस्था संकल्पना का अनुपालन करते हुए तैयार किया जाता है। यह भारत में प्रचलित सांविधिक सिद्धांतों के अनुरूप है जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों/मार्गदर्शन नोट्स और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी शाखाओं के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप है।

2. प्राक्कलन का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए, रिपोर्टिंग अवधि हेतु वित्तीय विवरणियों की तारीख पर दर्ज आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा आय एवं व्यय पर विचार करने हेतु प्रबंधन को प्राक्कलन तैयार करने और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन, यह विश्वास रखता है कि वित्तीय विवरणियों की तैयारी में इस्तेमाल किये गये प्राक्कलन विवेकी और उचित हैं।

3. विदेशी विनिमय से संबंधित लेनदेन

भारतीय परिचालनों और ग़ैर समाकलित विदेशी परिचालन के विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक – 11 (एएस – 11) के अनुसार किया जाता है।

3.1 भारतीय परिचालनों के मामले में परिवर्तन

- विदेशी मुद्रा डीलर असोसिएशन आफ़ इंडिया (फेडाय) द्वारा अधिसूचित साप्ताहिक औसत दर (डबल्यूएआर) पर विदेशी विनिमय लेनदेन दर्ज किए जाते हैं।
- विदेशी मुद्रा में आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन, वर्षांत पर फ़ेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर किया जाता है।
- विदेशी मुद्रा में स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं और गारंटियों को वर्षांत पर फ़ेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर रखा जाता है।
- वित्तीय वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में रखी गयी आस्तियों एवं देयताओं के निपटान एवं परिवर्तन से उठनेवाले विनिमय अंतर को, उस वर्ष में ही आय या व्यय के रूप में पहचाना जाता है ।
- बकाया वायदा विनिमय दरों का प्रकटीकरण संविदागत दरों से किया जाता है तथा फ़ेडाय की समापन दरों पर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है एवं उसके परिणाम की पहचान, लाभ व हानि लेखे के ज़रिए की जाती है।

3.2 गै़र– समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन

विदेशी शाखाओं का वर्गीकरण, ग़ैर समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और वित्तीय विवरणों का परिवर्तन निम्नप्रकार किया जाता है :

- आकस्मिक देयताएं सहित आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन फ़ेडाय द्वारा वर्षांत में अधिसूचित दरों पर किया जाता है।
- आय एवं व्यय का परिवर्तन फ़ेडाय द्वारा संबंधित तिमाही के अंत पर अधिसूचित तिमाही औसत समापन दर पर किया जाता है।
- निवल निवेशों के निपटान तक उठनेवाले सभी विनिमय अंतर को ''विनिमय उतार–चढ़ाव निधि'' (एफसीटीआर) नामक पृथक निधि में उपचित रखा जाता है।

4. निवेश

4.1. बैंक के निवेश संविभाग को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है :

➢ परिपक्वता तक रखे गए (एचटीएम)

➢ बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस)

➢ व्यापार के लिए रखे गए (एचएफटी)

परिपक्वता तक रोक रखने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को **''एचटीएम''** प्रवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अल्पावधि के मूल्य/ब्याज दर में उतार–चढ़ाव से लाभ उठाकर व्यापार करने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को **''एचएफटी''** प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी प्रतिभूतियाँ जो उपर्युक्त दोनों प्रवर्गों में नहीं आती हैं, उन्हें, **''एएफएस''** प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

एक निवेश को उसकी खरीद / अर्जन के समय पर ही, परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध अथवा व्यापार के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनन्तर नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप उनका अंतरण किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग को शेयरों का अंतरण, यदि कोई है, अंतरण की तारीख पर अर्जन लागत / बही मूल्य / बाजार मूल्य में से न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है, और ऐसे अंतरण के लिए मूल्यह्रास हेतु पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

अनुषंगियों और एसोसियेट्स में निवेश को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

4.2. एचटीएम प्रवर्ग में रखी गयी प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त लाभ को पहले लाभ व हानि लेखे में लिया जाता है और बाद में पूंजी प्रारक्षिती लेखे (कर चुकाने के बाद की राशि तथा सांविधिक रिजर्व को अंतरित की जानेवाली वांछित राशि) में विनियोजित किया जाता है तथा हानि, यदि हो, को लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है:

4.3 भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के समनुरूप निम्नानुसार किया जाता है :

ए) ''**एचटीएम**'' प्रवर्ग में प्रतिभूति का मूल्यांकन अर्जन की लागत पर किया जाता है सिवाय उन मामलों में जहां अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक होती हो, वैसे मामलों में, अंकित मूल्य पर अर्जन लागत की ऐसी अधिकता को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है। अनुषंगियों **तथा** संयुक्त उद्यमों/सहभागियों में, जिन्हें एचटीएम प्रवर्ग में शामिल किया गया है, निवेशों के मूल्य में, अस्थाई प्रकृति के अलावा किसी अन्य ह्रास की पहचान की गई है और प्रावधान किया गया है। ऐसे ह्रास का निर्धारण और इसके लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश हेतु अलग से किया जाता है। दिनांक 23.08.2006 के बाद जोखिम पूँजी निधियों के यूनिटों (वीसीएफ) में किये गये निवेश, प्रारंभिक 3 वर्ष की अवधि के लिए एचटीएम वर्ग के अधीन वर्गीकृत किये जाते हैं तथा उनका मूल्यांकन, लागत पर किया जाता है।

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared by following the going concern concept on historical cost convention unless otherwise stated. They conform to generally accepted accounting principles in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India guidelines, accounting standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the practices prevalent in the Banking Industry in India. In respect of foreign branches as per statutory provisions and practices prevailing in the respective countries

2. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions for considering the reported assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

3. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

Foreign Currency transactions of Indian operations and non-integral foreign operations are accounted for as per Accounting Standard-11 (AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

3.1 Translation in respect of Indian operations

- Foreign exchange transactions are recorded at the Weekly Average Rate (WAR) notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI).
- Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- Acceptances, endorsements and other obligations and guarantees in foreign currency are carried at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- Exchange differences arising on settlement and translation of foreign currency assets and liabilities at the end of the financial year are recognized as income or expenses in the period in which they arise.
- Outstanding forward exchange contracts are disclosed at the Contracted rates, and revalued at FEDAI closing rates, and the resultant effect is recognized in the Profit and Loss account.

3.2 Translation in respect of non-integral foreign operations.

Foreign branches are classified as non-integral foreign operations and the financial statements are translated as follows:

- Assets and liabilities including contingent liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- Income and expenses are translated at the Quarterly Average Closing rate notified by FEDAI at the end of the respective quarter.
- All resulting exchange differences are accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" (FCTR) till the disposal of the net investments.

4. INVESTMENTS

4.1 The entire investment portfolio of the Bank is classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.

- ➢ Held To Maturity (HTM)
- ➢ Available For Sale (AFS)
- ➢ Held For Trading (HFT)

The securities acquired with the intention to be held till maturity are classified under "HTM" category. The securities acquired with the intention to trade by taking advantage of short–term price / interest movements are classified as "HFT". All other securities which do not fall under any of the two categories are classified under "AFS" category.

An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase/acquisition and subsequent shifting is done in conformity with the Regulatory guidelines. Transfer of scrips, if any, from one category to another is done at the lowest of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer and depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

Investment in Subsidiaries and Associates are classified as Held to Maturity.

4.2 Profit on sale of securities under HTM category is first taken to Profit and Loss account and thereafter appropriated to Capital Reserve account (net of taxes and amount required to be transferred to statutory reserves) and loss, if any, charged to Profit & Loss account.

4.3 Investments in India are valued in accordance with RBI guidelines, as under:

a) Securities in HTM category are valued at acquisition cost except where the acquisition cost is higher than the face value, in which case, such excess of acquisition cost over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Any diminution, other than temporary, in value of investments in subsidiaries/joint ventures/Associates which are included under HTM category is recognized and provided. Such

बी) अनुषंगी संस्थाओं, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश का मूल्यांकन, परंपरागत लागत पर किया जाता है। प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश का मूल्यांकन, वहन लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर किया जाता है।

सी) ''एएफस'' प्रवर्ग में निवेशों का मूल्यांकन, बाज़ार मूल्य पर, तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार तथा वर्गीकरणवार किया जाता है। यदि कोई निवल मूल्यह्रास हो, तो उसे लाभ–हानि लेखे में शामिल किया जाता है, जबकि किसी निवल मूल्यवृद्धि होने पर उसकी उपेक्षा कर दी जाती हे। इस प्रवर्ग में बाज़ार को अंकित करने के बाद वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

डी) ''एचएफट़ी'' प्रवर्ग में रखी गई वैयक्तिक प्रतिभूतियों को दैनिक अंतराल पर बाज़ार को अंकित किया जाता है। निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो लाभ व हानि लेखे में उसका प्रावधान किया जाता है जबकि निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रवर्ग में वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

ई) **''एएफएस''** एवं **''एचएफटी''** प्रवर्गों में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नवत् किया गया है :

- प्राइमेरी डीलर्स एसोसिएशन आफ़ इंडिया (पीडीएआई) और फ़िक्स्ड इन्कम मनी मार्केट और डिराइवेटिव्स एसोसिएशन आफ़ इंडिया (एफ़आईएमएमडीए) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किए गए अनुसार केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, मूल्य पर / वाईटीएम दरों पर किया जाता है।

- राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, वाईटीएम पद्धति को लागू करते हुए और पीडीएआई/एफ़आईएमएमडीए द्वारा रखी गई समतुल्य परिपक्वता की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफ़ल से 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाते हुए आवधिक रूप से किया जाता है।

- कोट होने पर ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है। कोट न होनेवाले ईक्विटी शेयरों को उनके ब्रेक–अप मूल्य पर (पूनर्मूल्यन रिज़र्व, यदि हो, उस पर ध्यान दिए बिना), कंपनी के नवीनतम तुलनपत्र (मूल्यन की तारीख से एक वर्ष के पहले का न हो), के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। अन्यथा शेयरों का मूल्यांकन प्रति कंपनी एक रुपया के अनुसार किया जाता है।

- कोट होने पर अधिमान्य शेयरों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा समुचित वाईटीएम दरों अथवा पुनः शोधन मूल्य के आधार पर निर्धारित मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है।

- अग्रिमों के रूप में रहे डिबेंचरों तथा बांडों के अलावा, सभी डिबेंचरों तथा बांडों का मूल्यांकन वाईटीएम आधार पर किया जाता है।

- राजकोष बिलों, जमा प्रमाण पत्रों तथा वाणिज्यिक कागज़ातों का मूल्यांकन उनकी रखाव लागत पर किया जाता है।

- कोट होने पर म्यूचुअल फ़ंडों की यूनिटों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा पुनः खरीद मूल्य अथवा निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) दोनों में जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है। यदि निधियां लॉक–इन अवधि में हैं, जहां पुनःखरीदी मूल्य/बाज़ार कोट उपलब्ध नहीं हो तो, यूनिटों का मूल्यांकन एनएवी पर अथवा लॉक–इन अवधि की समाप्ति तक की लागत पर किया जाता है।

- 23.08.2006 के बाद किये गये जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) के यूनिटों में निवेश, 3 सालों की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत होते है एवं इनका लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। संवितरण की तारीख से 3 सालों के समय के बाद, यह एएफएस में परिवर्तित किया जाएगा और भा.रि.बैं.के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार के लिए अंकित किया जाएगा।

- विदेशी शाखाओं के निवेश के संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश या मेजबानी देश के दिशानिर्देश, जो भी ज्यादा कठोर हैं, का पालन किया जाएगा। ऐसे देशों में स्थित शाखाओं के मामले में, जहाँ कोई दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, भारिबैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

4.4 भारिबैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार अनर्जक निवेश (एनपीआई) की पहचान निम्नलिखित रूप में किया गया है :

- प्रतिभूतियाँ / असंचयी अधिमानी शेयर जिनमें ब्याज / नियत लाभांश / किस्त (परिपक्वता राशि को मिलाकर) देय है तथा 90 दिन की अवधि से अधिक समय तक उसका भुगतान नहीं किया गया है।

- अगर बैंक से जारीकर्ता द्वारा प्राप्त कोई ऋण सुविधा को गैर–निष्पादित अग्रिम माना गया है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई किसी भी प्रतिभूति जिसमें अधिमानी शेयर शामिल है, में निवेश को एनपीआई के रूप में माना जाएगा और इसके विपरीत। हालांकि, अगर केवल अधिमानी शेयरों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई अन्य निष्पादित प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और उस उधारकर्ता को दी गई किसी भी निष्पादित ऋण सुविधाओं को एनपीए के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

- गैर निष्पादित इक्विटी शेयरों को इस प्रकार मूल्यांकित किया जाता है:

  i) भारिबैंक के दिशानिर्देशानुसार, पुनर्रचित गैर निष्पादित इक्विटी निवेशों को बाजार मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है यदि, उद्धृत किया गया है। कंपनी की नवीनतम तुलन पत्र (मूल्यांकन की तारीख से एक वर्ष से अधिक नहीं) के अनुसार अनुद्धरित इक्विटी शेयरों को अलग–अलग मूल्य (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित यदि कोई हो, पर बिना विचार करते हुए) पर मूल्यांकित किया जाता हैं। अन्यथा शेयरों का मूल्य रु 1/– प्रति कंपनी होता है।

  ii) अन्य इक्विटी निवेश के मामले में, एनपीआई के रूप में वर्गीकृत, शेयरों को बाजार मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता हैं। अगर उद्धृत किया गया है और यदि इसे उद्धृत नहीं किया गया है के मामले में, तो शेयरों का मूल्य प्रति कंपनी रु 1/– होता है।

- केन्द्रीय सरकार की गारंटी प्राप्त निवेशों के अतिदेय होने पर भी उन्हें तभी एनपीए माना जाएगा जब गारंटी लागू की जाने पर सरकार उसका निराकरण करती है।

diminution is being determined and provided for each investment individually. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost.

b) Investment in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are valued at historical cost. Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) are valued at carrying cost (i.e. Book value).

c) Investments in AFS category are marked to market, scrip-wise and classification wise, at quarterly intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

d) The individual scripts in the HFT category are marked to market at daily intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The Book Value of the individual securities in this category does not undergo any change.

e) Securities in AFS and HFT categories are valued as under:

- Central Government Securities are valued at prices / YTM rates as announced by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).
- State Government and Other approved securities are valued applying the YTM method by marking up 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by PDAI / FIMMDA periodically.
- Equity shares are valued at market price, if quoted. Unquoted equity shares are valued at break-up value (without considering revaluation reserves if any) as per the company's latest balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation). Otherwise, the shares are valued at Re. 1 per company.
- Preference shares are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of the value determined based on the appropriate YTM rates or redemption value.
- All debentures/bonds, other than those which are in the nature of advances, are valued on the YTM basis.
- Treasury bills, Certificate of deposits and Commercial papers are valued at carrying cost.
- Units of Mutual Funds are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of repurchase price or Net Asset Value (NAV). In case of funds with a lock-in period, where repurchase price / market quote is not available, units are valued at NAV, else valued at cost till the end of the lock-in period.
- Investment in units of Venture Capital funds (VCF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost. After period of 3 years from the date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.
- In respect of investment at Overseas branches, RBI guidelines or those of the host countries whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of RBI are followed.

4.4 Non-performing investment (NPI) are identified as stated below, as per guidelines issued by RBI.

- Securities/Non-cumulative Preference shares where interest/fixed dividend/installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- If any credit facility availed by the issuer from the Bank is a Non-performing advance in the books of the bank, investment in any of the securities including preference shares issued by the same issuer would also be treated as NPI and vice-versa. However, if only the preference shares are classified as NPA, the investments in any of the other performing securities issued by the same issuer may not be classified as NPI and any performing credit facilities granted to that borrower need not be treated as NPA.
- Non performing equity shares are values as

i) As per RBI guidelines, restructured non performing equity investments are valued at market price, if quoted. Unquoted equity shares are valued at break-up value (without considering revaluation reserves, if any) as per the company's latest balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation). Otherwise the shares are valued at Re.1/- per company.

ii) In case of other equity investments, classified as NPI, shares are valued at market price, if quoted and in case it is not quoted, they are valued at Re.1 per company.

- Investments backed by guarantee of the Central Government though overdue are treated as Non Performing Asset (NPA) only when the Government repudiates its guarantee when invoked.
- Investment in State Government guaranteed securities, including those in the nature of 'deemed advances', are subjected to asset classification and provisioning as per prudential norms if interest/ installment of principal (including

- यदि ब्याज/मूल किस्त (परिपवक्ता संप्राप्तियों को शामिल करते हुए) अथवा बैंक को देय अन्य कोई राशि, 90 दिनों से अधिक के लिए अदत्त बनी रहती हो, तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियों में निवेश को, जोकि ''माने गए अग्रिमों' के रूप में हैं, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अध्यधीन रखा जाता है।

4.5 प्रतिभूतियों की लागत में से दलाली/कमीशन/अंशदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है। प्रतिभूतियों के अर्जन के संबंध में अदा की गयी दलाली/कमीशन/स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।

4.6 व्यापार के लिए ब्याज दर स्वैप लेनदेनों को तिमाही आधार पर बाज़ार को अंकित किए जाते हैं। कुल अदला–बदलियों के उचित मूल्य का आकलन, तुलन–पत्र की तारीख पर अदला–बदली करारों को समाप्त किए जाने पर प्राप्त/प्राप्य या प्रदत्त/प्रदेय राशि के आधार पर किया जाएगा। इससे होनेवाली हानियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है, जबकि लाभ यदि हो, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

4.7 एक्सचेंज कारोबार विदेशी विनिमय डेरिवेटिव यानी मुद्रा वायदे का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा निर्धारित मूल्यों पर किया जाता है और परिणामी लाभ और हानि की पहचान लाभ और हानि लेखे में की जाती हैं।

4.8 एफसीएनआर (बी) डॉलर जमाओं के लिए भारिबैंक के विनिमय स्वैप की सुविधा की शुरुआत में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम / ब्याज, स्वैप अनुबंध की अवधि के दौरान खर्च के रूप में परिशोधित किया जाता है।

4.9 निवेश की कीमत के निर्धारण प्रत्येक वर्ग में भारित औसत कीमत पद्धति के आधार पर किया जाता है। एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत कीमत पद्धति के तहत प्राप्त अधिग्रहण कीमत के आधार पर ले लिया गया है तथा भारित औसत कीमत के अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में प्रीमियम को केवल शेष परिपक्वता अवधि हेतु परिशोधित कर दिया जाता है।

- रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए लेखाकरण :

भारिबैंक के दिशानिर्देशानुसार तरलता समायोजन सुविधाएं (एलएएफ), परिवर्तनीय दर अवधि परिचालन तथा एमएसएफ एवं मार्केट रेपों लेन–देनों को शामिल करते हुए भारिबैंक के साथ सभी प्रकार के रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेनों का हिसाब रखा जाता है। रेपो/ रिवर्स रेपो के तहत बेची गई और खरीदी गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक उधार और उधार लेनदेनों के रूप में लिया जाता हैं जिसमें, प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त बिक्री / खरीद लेनदेनों के मामले में अंतरित किए जाते हैं और इस प्रकार के प्रतिभूति के उतार –चढ़ाव, रेपो/रिवर्स रेपो खातों और प्रति–प्रविष्टियों के प्रयोग से परिलक्षित होता है। उपरोक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता की तारीख पर प्रतिवर्तित हो जाती है। मामले के आधार पर लागत एवं राजस्व को ब्याज व्यय/आय के रूप में लिया जाएगा। रेपो खाते में शेष, अनुसूची 4(उधार) के तहत वर्गीकृत है और रिवर्स रेपो खाते में शेष, अनुसूची 7 (बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि) के तहत वर्गीकृत है।?

5. प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) /पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) को बेची गई वित्तीय आस्तियाँ :

5.1 प्रतिभूतिकरण कंपनियों /पुनर्निमाण कंपनियों द्वारा, उन्हें बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में जारी की गई प्रतिभूति रसीदों को उनके प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य, से कम स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रतिभूतिकरण रसीद को निम्न पर मूल्यांकित किया जाता है:

(ए) दिनांक 01.04.2017 से पहले एसआर/आरसी जारी किए गए प्रतिभूति रसीद को परिसम्पत्ति पुनर्निमाण कंपनी द्वारा तुलन पत्र के दिनांक पर घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और मूल्यह्रास होने पर उसके लिए प्रावधान किया जाता है तथा मूल्यवृद्धि होने पर उसपर ध्यान नहीं दिया जाता।

(बी) 01 अप्रैल 2017 के प्रभाव से आरबीआई द्वारा जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार एसआर पर प्रावधान की आवश्यकता निम्न बिन्दुओं से अधिक होगी।

(i) एससी / आरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के संदर्भ में प्रावधान दर

(ii) अंतर्निहित ऋण पर लागू होने वाली प्रावधान दर, यह मानते हुए कि ऋण बैंक की बही में निरंतर जारी रहा है

5.2 आरसी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में उनका मूल्यांकन और आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। अगर बिक्री मूल्य, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम है (यथा, बही मूल्य से रखे गये प्रावधान घटाने के बाद का मूल्य) तो भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार उससे होनेवाली कमी को लाभ व हानि खाते में नामे डाला जाएगा या रखी गयी अस्थायी प्रावधान का प्रयोग करते हुए इसका समंजन किया जाएगा।

यदि प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल और/या प्रतिभूति रसीदों के मोचन के जरिए) आरसी को बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है तो अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किया जाता है। लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किए गए अतिरिक्त प्रावधान की प्रमात्रा उस सीमा तक सीमित है जिस सीमा तक प्राप्त नकदी बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है।

6. अग्रिम

6.1. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार भारत में अग्रिमों को उधारकर्ता–वार मानक, अव–मानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान नियामक आवश्यकताओं के अनुसार इस प्रकार किए गए हैं :

ए) अवमानक :

i) कुल बकाया पर 15 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान

ii) प्रकटीकरण हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान जो प्रारम्भ से ही अरक्षित हैं। (अर्थात, जहां

प्रतिभूतियों का वास्तविक मूल्य प्रारम्भ से ही 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है)

बी) संदिग्ध संवर्ग – 1 :

i) सुरक्षित भाग के लिए 25 प्रतिशत

ii) अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

सी) संदिग्ध संवर्ग – 2 :

i) सुरक्षित भाग के लिए 40 प्रतिशत

ii) अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

डी) संदिग्ध वर्ग– 3 एवं हानि अग्रिम – 100 प्रतिशत

- पुनर्गठित/पुनर्संरचित मानक अग्रिम सहित मानक अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

maturity proceeds) or any other amount due to the Bank remains unpaid for more than 90 days.

4.5 Brokerages / Commission / incentive received on subscriptions are deducted from the cost of securities. Brokerage / Commission / Stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses.

4.6 Interest Rate Swap transactions for trading is marked to market at quarterly intervals. The fair value of the total swaps is computed on the basis of the amount that would be received/ receivable or paid/ payable on termination of the swap agreements as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profit, if any, is ignored.

4.7 Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

4.8 Premium/interest arising at the inception of forward exchange swap facility of RBI for FCNR (B) dollar deposits is amortized as expense over the period of the swap contract.

4.9 Cost of investments is determined based on the Weighted Average Cost method in each category. Investments classified under HTM are carried at acquisition cost as arrived under Weighted Average Cost method and in case the weighted average cost is more than the face value, the premium is amortised over the remaining period of maturity.

- Accounting for Repo/Reverse Repo transactions:

  All types of repo/reverse repo transactions with RBI including LAF, variable rate term operations and MSF and also Market Repo transactions are accounted as per RBI guidelines. The securities sold and purchased under Repo/Reverse Repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions and Triparty Repo wherein securities are transferred as in the case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as Interest expenditure / income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule 7 (Balance with Banks and Money at Call & Short Notice)

5. FINANCIAL ASSETS SOLD TO SECURITISATION COMPANIES (SC) / RECONSTRUCTION COMPANIES (RC)

5.1 Security Receipts (SR) issued by SCs/RCs in respect of financial assets sold to them is recognized at lower of redemption value of SRs and Net Book Value of financial assets. SRs are valued at:

(a) SRs issued by SCs/RCs prior to 01.04.2017 at Net Asset Value declared by SCs/RCs on the Balance Sheet date and depreciation, if any, is provided for and appreciation is ignored.

(b) As per amended guidelines issued by RBI with effect from April,01,2017, provisioning requirement on SRs will be higher of

  (i) provisioning rate in terms of Net Asset Value declared by the SCs/RCs

  (ii) provisioning rate as applicable to the underlying loans, assuming that the loans notionally continued in the books of the bank

5.2 In case of financial assets sold to RC, the valuation and, income recognition is being done as per RBI Guidelines. If the sale is for value lower than the Net Book Value (NBV) (i.e, book value less provisions held), the shorfall is debited to the Profit and Loss account or met out of utilisation of Floating provision held, as per extant RBI guidelines.

If the cash received (by way of initial consideration and /or redemption of security receipts) is higher than the Net Book value of the Non Performing Asset (NPA) sold to RC, then excess provision is reversed to the profit and Loss account. The quantum of excess provision reversed to profit and loss account is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the NPA sold.

6 ADVANCES

6.1 In accordance with the prudential norms issued by RBI, advances in India are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.

6.2 Provisions are made for non performing advances as under:

a) Sub Standard:

  i) A general provision of 15% on the total outstanding

  ii) Additional provision of 10% for exposure which are unsecured ab-initio (ie., where realizable value of securities is not more than 10% ab-initio)

b) Doubtful category-1

  i) 25 % for Secured portion.

  ii) 100% for Unsecured portion.

c) Doubtful Category – 2

  i) 40 % for Secured portion.

  ii) 100% for Unsecured portion.

d) Doubtful category-3 and Loss advances – 100 %.

- Provision is made for standard advances including Restructured / Rescheduled standard advances as per RBI directives.

- विदेशी शाखाओं के मामले में ऋण हानियों के लिए आय–निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान, स्थानीय आवश्यकताओं अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों में से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया जाता है।

  आगे, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये विनियमों के संबंध में अगर कोई आस्ति को बैंक के समुद्रपार बही में किसी भी समय गैर–निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना है तो बैंक द्वारा ऋणकर्ता को प्रदान की गई सभी सुविधाओं तथा ऋणकर्ता द्वारा जारी की गयी सभी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीए / एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

  तथापि मेजबान विनियामकों द्वारा खातों को वसूली से अन्य कारणवश गैर निष्पादित / बाधित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो भारत में वित्तीय विवरणियों के समेकन करते समय, उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार प्रावधान किया जाएगा, जबकि उसी प्रतिपक्षकारों को अन्य क्षेत्राधिकार में (भारत को सम्मिलत कर) प्रदत्त अन्य ऋण एक्स्पोजर के संबंध में आस्ति वर्गीकरण, संबंधित क्षेत्राधिकार में विद्यमान दिशानिर्देशों से अधिशासित होगा।

- प्रकट किये गए अग्रिम, गैर–निष्पादित आस्तियों, डीआईसीजीसी / ईसीजीसी / सीजीटीएमएसई से प्राप्त तथा समायोजन हेतु लंबित रखे गए दावों, विविध खाते में प्राप्त और रखी गई चुकौतियों, सहभागिता प्रमाण–पत्रों एवं पुनः भुनाये गये मियादी बिलों के लिए किए गए प्रावधानों और मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुर्नगठित खातों के उचित मूल्य में अधित्याग के बदले प्रावधान के बाद निवल हैं।

7. अचल आस्तियाँ / मूल्यह्रास

7.1 बैंक में "पुनर्मूल्यांकन मॉडल" और "लागत मॉडल" पर अन्य सभी आस्तियों पर परिसर (भूमि और भवन) बताते हुए नीति है।

7.2 भारत में, इमारतों (जमीन की कीमत सहित जहां कहीं अवियोज्य/पृथक नहीं है) एवं अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास, मूल्यह्रास की सीधी पद्धति से उसी दर पर जिस पर उन्हें प्रभारित किया गया था, निम्नानुसार किया जाता है :

क्रम संख्या	आस्ति की प्रकृति	मूल्यह्रास की दर एसएलएम
I	इमारतें	1.63%
II	अन्य अचल आस्तियाँ	
	• सामान्य संयंत्र व मशीनें	4.75%
	• फ़र्निचर एवं फिक्सचर	6.33%
	• विद्युत चालित मशीनरी और फिटिंग	7.07%
	• साइकिलें	7.07%
	• स्कूटर, मोटर साइकल, जीप	9.50%
	• वैन	11.31%
	• सिक्के वेंडिंग मशीन	16.66%
	• मोटर कार	20.00%
	• डाटा प्रसंस्करण मशीनें कम्प्यूटर एवं यूपीएस सहित	33.33%
	• सेलफोन एवं 5000 रुपए तक की छोटी कीमत की वस्तुएँ	100.00%

7.3 पुनर्मूल्यांकित घटक से संबन्धित मूल्यह्रास, राजस्व व्यय के तहत प्रभारित किया जाएगा और एक समतुल्य राशि तुरंत पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के विरुद्ध प्रभारित किया जाएगा तथा आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित एएस 10 के अनुसार राजस्व रिजर्व में जमा किया जाएगा।

30 सितंबर से पहले अधिगृहीत अचल आस्तियों पर निर्धारित दरों का 100 प्रतिशत और अधिगृहीत अचल आस्तियों के लिए निर्धारित दरों का 50 प्रतिशत मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है और उसके बाद प्रयोग में लाया जाता है। बिक्री / निपटान के वर्ष में अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का कोई प्रावधान नहीं किया जाता। उन आस्तियों के मामले में जहां सरकार से सब्सिडी प्राप्त होता है, उसको तत्संबंधित आस्ति खाता में जमा किया जाता है और तदनुसार मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है।

7.4 पट्टेवाली भूमि पर प्रीमियम, अधिग्रहण के वर्ष में पूंजीकृत किया जाता है और पट्टे की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

7.5 विदेशी शाखाओं की अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की व्यवस्था उन देशों में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार की जाती है।

7.6 गैर–बैंकिंग आस्तियों (एनपीए) के संबंध में कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया जाता है।

8. राजस्व पहचान

8.1 आय और व्यय को, जब तक अन्यथा नहीं कहा जाए, सामान्यतः संचयी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

8.2 गैर–निष्पादक आस्तियों, सरकार द्वारा गारंटीकृत आस्तियों (जो 90 दिनों से ज्यादा अतिदेय हैं) लाभांश आय, बीमा दावे, जारी किये गये साख–पत्रों / गारंटियों पर कमीशन (परियोजना वित्त से इतर), बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों पर आय, धन प्रबंधन पर आय, खरीदे गए बिलों पर अतिरिक्त ब्याज / अतिदेय प्रभार, क्रेडिट कार्डों पर वित्तीय प्रभार, पुनः क्षतिपूरित करने के बैंक के अधिकार पर व्यय, डेबिट कार्डों पर एएमसी प्रभार आदि को उनकी वसूली होने पर हिसाब में लिया गया है और प्राप्त किए गए लॉकर किराया उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है।

समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने एनसीएलटी समझौता के जरिए एक खाते में 585.84 करोड रुपए वसूल की है। बैंक ने अनुमोदित संकल्प के अनुसार ब्याज के रूप में 145.88 करोड रुपए का विनियोजन किया है जोकि बैंक की मूल देयता को विनियोजित करने के लेखा नीति से अलग है।

8.3 अतिदेय विदेशी बिलों के मामले में, ब्याज और अन्य प्रभारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फ़ेडाई) के दिशानिर्देशों के अनुसार किस्ट्रलीकरण की तारीख तक माना गया है।

9. क्रेडिट कार्ड पुरस्कार प्वाइंट

कार्ड सुविधा के उपयोग पर कार्ड सदस्यों द्वारा अर्जित पुरस्कार प्वाइंटों को इस प्रकार के उपयोग के कारण व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

10. निवल लाभ / हानि

निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात्, लाभ व हानि लेखे में दर्शाया गया परिणाम :

- गैर निष्पादक अग्रिमों और / अथवा निवेशों के लिए प्रावधान
- मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान
- पुनः संरचित अग्रिमों हेतु प्रावधान
- अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान

- In respect of foreign branches, income recognition, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirement or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

  Further,if an asset in the overseas books of the Bank requires to be classified as NPA at any point of time in terms of regulations issued by Reserve Bank of India, then all the facilities granted by the bank to the borrower and investment in all the securities issued by the borrower will be classified as NPAs/NPIs.

  However, accounts classified as Non-performing/Impaired assets (NPAs) by host regulators for reasons other than record of recovery, would be classified as NPAs at the time of consolidating financial statements in India and provided for, as required; whereas asset classification of other credit exposures to the same counterparties in other jurisdictions (including India) will continue to be governed by the extant guidelines in the respective jurisdictions.

- Advances disclosed are net of provisions made for non-performing assets, DICGC/ ECGC/ CGTMSE claims received and held pending adjustment, repayments received and kept in sundries account, participation certificates , usance bills rediscounted and provision in lieu of diminution in the fair value of restructured accounts classified as standard assets.

7. FIXED ASSETS / DEPRECIATION

7.1. Premises and other fixed assets are stated at historical cost and at the revalued amount in respect of assets revalued.

7.2. Depreciation on buildings (including cost of land wherever inseparable/ not segregated) and other fixed assets in India is provided for on the straight-line method at the same rates in which the said assets were charged, as specified below:

SL. No.	Nature of Asset	Rate of Depreciation (SLM)
I	Buildings	1.63%
II	Other Fixed Assets	
	• General Plant and Machinery	4.75%
	• Furniture, Fixtures	6.33%
	• Electrical Machinery and Fittings	7.07%
	• Cycles	7.07%
	• Scooters, Motor Cycles, Jeeps	9.50%
	• Vans	11.31%
	• Coin Vending Machine	16.66%
	• Motor cars	20.00%
	• Data processing machines including computers and UPS	33.33%
	• Cell Phones and on small value items costing upto ₹ 5000/-	100.00%

7.3. Depreciation relatable to revalued component will be charged under revenue expenditure and an equivalent amount will be charged straightway against revaluation reserve and credited to the revenue reserve, as per revised AS 10 issued by ICAI.

Depreciation on fixed assets acquired and put in to use on or before 30th September is charged at 100% of the prescribed rates and at 50% of the prescribed rates on the fixed assets acquired and put in to use thereafter. No depreciation on the fixed assets is provided for in the year of sale / disposal. In respect of Assets where subsidy is received from Government, the same is credited to the respective asset account and depreciation is charged accordingly.

7.4. Premium on leasehold land is capitalized in the year of acquisition and amortized over the period of lease.

7.5. Depreciation in respect of fixed assets at foreign branches is provided as per the practice prevailing in the respective countries.

7.6. In respect of Non Banking Assets, no depreciation is charged.

8. REVENUE RECOGNITION

8.1 Income and expenditure are generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

8.2 Income from non-performing assets, Central Government guaranteed assets (where it is overdue beyond 90 days), dividend income, insurance claims, commission on letters of credit/ guarantees issued (other than those relating to project finance), income from Bancassurance products, income from wealth management, additional interest/ overdue charges on bills purchased, finance charges on credit cards, income on Bank's right to recompense, AMC charges on debit cards are accounted for on realisation basis and locker rent received is accounted on accrual basis.

8.3 In case of overdue foreign bills, interest and other charges are recognised till the date of crystallisation as per FEDAI guidelines.

9. CREDIT CARD REWARD POINTS

Reward points earned by card members on use of Card facility is recognized as expenditure on such use.

10. NET PROFIT / LOSS

The result disclosed in the Profit and Loss Account is after considering:

- Provision for Non-Performing Advances and / or Investments.
- General provision on Standard Advances
- Provision for Restructured Advances
- Provision for Depreciation on Fixed Assets

- निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
- आकस्मिकता निधि को / से अंतरण
- प्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान
- अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के लिए प्रावधान
- सामान्य अथवा / और अन्य आवश्यक प्रावधान

11 स्टाफ सेवानिवृत्ति लाभ

I) भविष्य निधि

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है ।

ii) उपदान

इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि नियमों एवं विनियमनों के अनुसार उपदान देयता एक वैधानिक दायित्व है और वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इसके लिए प्रावधान किया जाता है। बैंक द्वारा उपदान देयता का निधीयन किया जाता है और इसका प्रबंध इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

iii) पेंशन

- इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन 1995 के तहत पेंशन देयता एक परिभाषित लाभकारी दायित्व है तथा 31.03.2010 तक बैंक में भर्ती हुए और पेंशन का विकल्प देनेवाले कर्मचारियों को यह बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है।
- नई पेंशन योजना (एनपीएस) जो उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी भर्ती बैंक में 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

iv) क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ

संचित क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, जैसे विशेषाधिकार अवकाश और चिकित्सा अवकाश, के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

v) अन्य कर्मचारी सुविधाएँ

अन्य कर्मचारी सुविधाएँ जैसे छुट्टी यात्रा रियायत और सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। समुद्रपारीय शाखाओं एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के अलावा कार्यरत कर्मचारियों से संबन्धित लाभ तत्संबंधी कार्याधिकार क्षेत्रों के कानून के तहत मूल्यांकित एवं लेखाबद्ध किए जाते हैं।

12. पट्टे हेतु लेखांकन

परिचालनगत पट्टों पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टा भुगतानों को कीमत वृद्धि सहित पट्टा अवधि या आस्ति की अवधि, भी जो कम हो, के दौरान लाभ व हानि खाते में अभिज्ञात किये जाते हैं।

13. आकस्मिक देयताएं और प्रावधान :

13.1 आकस्मिक देयता : पहले किए गए क्रियाकलापों को जिनसे वर्तमान में संभाव्य बाध्यताएं हो सकती हैं, निम्न दशाओं में आकस्मिक देयता के रूप में पहचाने जाते हैं, जहां :

ए) ऐसी बाध्यताओं का अस्तित्व पुष्टिकृत नहीं किया गया है।

बी) ऐसी बाध्यताओं के निपटारे के लिए संसाधनों का बाहरी प्रवाह अपेक्षित नहीं है।

सी) बाध्यताओं की राशि का एक विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता है।

डी) ऐसी राशियाँ भौतिक नहीं हैं।

13.2 ए) वर्तमान बाध्यताओं के मामले में, जहाँ विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है और/या जहाँ बहुत छोटे दावों को छोडकर बाध्यताओं का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों का त्याग करते हुए संसाधनों का बाहरी प्रवाह होने की संभावना है, प्रावधान की पहचान की जाती है।

बी) बाजार जोखिमों, देश–विशेष की जोखिम आदि के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

सी) बैंक प्रबंधन द्वारा अभिपहचानित रूप से फ़्लोटिंग प्रावधान की व्यवस्था की जाती है।

भारिबैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार अस्थायी प्रावधान का उपयोग निम्न मदों के लिए किया जा सकता है।

i) गैर–निष्पादित आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान रखना

ii) गैर–निष्पादित आस्तियों में बिक्री में होनेवाली कमी की पूर्ति करना

14. आस्तियों का अनर्जक होना :

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) के संबंध में आस्तियों की हानी यदि कोई हो,लेखा मानक 28 "आस्तियों का अनर्जक होना" के अनुरूप पहचानी जाती है और उन्हें लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर ह्रास की पहचान की जाती है तथा एएस10 के प्रावधानों के अनुसार पी एवं एल खातों में प्रभारित की जाती है।

15. आय पर कर

15.1 वर्तमान कर एवं आस्थगित कर दोनों के लिए कर हेतु प्रावधान किया जाता है।

15.2. वर्तमान कर का मापन, कर प्राधिकारियों को अदा की जानेवाली प्रत्याशित राशि के अनुसार लागू कर दरों, कर कानूनों एवं अनुकूल न्यायिक फ़ैसलों / विधिक राय का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

15.3 समय में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियां एवं देयताएं, जोकि आनेवाली अवधियों में रिवर्सल की क्षमता रखती हो, की पहचान, तुलन–पत्र की तिथि तक लागू कर दर या बाद में लागू किए गए कर दरों का प्रयोग करते हुए की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों की पहचान शेष असंगत मूल्यह्रास तथा कर घाटे पर की जाती है, यदि केवल "वर्चुअल निश्चितता" है तथा अन्यों के संबंध में, यदि पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे ऐसी आस्थगित कर आस्तियाँ उगाही जाएंगी।

- Provision for Depreciation on Investments
- Transfer to/ from Contingency Fund
- Provision for direct taxes
- Provision for Unhedged Foreign Currency Exposure
- Usual or/and other necessary provisions

11. STAFF RETIREMENT BENEFITS

i) PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust.

ii) GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation as per Indian Bank Employees' Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the Bank and is managed by Indian Bank Employees Gratuity Fund Trust.

iii) PENSION

- Pension liability is a defined benefit obligation under Indian Bank (Employees) Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension.
- New Pension Scheme (NPS) which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

iv) COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.

v) OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation. In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

12. ACCOUNTING FOR LEASES

Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term or life whichever is lower.

13. CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

13.1 Contingent liability: Past events leading to, possible or present obligations are recognised as contingent liability in the following instances where:

(a) The existence of such obligations has not been confirmed

(b) no outflow of resources are required to settle such obligations

(c) a reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made

(d) such amounts are not material

13.2 (a) Provision is recognized in case of present obligations where a reliable estimate can be made and/or where there are probable outflow of resources embodying foregoing of economic benefits to settle the obligations, excluding frivolous claims.

(b) Provision for Market Risk, Country Risk, etc., are made in terms of extant instructions of RBI.

(c) Floating provision as identified by the Bank Management is provided for.

Floating provision may be utilized as per extant RBI guidelines, for -

(i) Making specific provisions for non-performing assets;

(ii) Meeting any shortfall in sale of non-performing assets.

14. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on a revalued asset is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

15. TAXES ON INCOME

15.1 Provision for tax is made for both Current Tax and Deferred Tax.

15.2 Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favourable judicial pronouncements / legal opinion.

15.3 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognised unless there is "virtual certainty" that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.

अनुसूची 18 – लेखों पर टिप्पणियाँ

1. पूँजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
I) सामान्य ईक्विटी टियर I पूँजी अनुपात (%)	10.96	11.00
ii) टियर I पूँजी अनुपात (%)	11.29	11.33
iii) टियर II पूँजी अनुपात (%)	1.92	1.22
iv) कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	13.21	12.55
v) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	81.49	81.87
vi) संग्रह की गई ईक्विटी पूँजी की राशि	0.00	0.00
vii) संग्रह की गई अतिरिक्त टियर 1 पूँजी की राशि, जिसमें से	शून्य	शून्य
शाश्वत गैर–संचयी अधिमान्य शेयर (पीएनसीपीएस) शाश्वत ऋण की लिखतें (पीडीआई)		
viii) संग्रह की गई टियर 2 पूँजी की राशि, जिसमें से	1000.00	शून्य
ऋण पूँजी लिखत	शून्य	शून्य
अधिमान्य शेयर पूँजी लिखत [शाश्वत संचयी अधिमान्य शेयर (पीसीपीएस) /	शून्य	शून्य
प्रतिदेय गैर–संचयी अधिमान्य शेयर (आरएनसीपीएस) /	शून्य	शून्य
प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयर (आरसीपीएस)]	शून्य	शून्य

2. **निवेश**

2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के देशी निवेश संविभाग को तीन संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 31.03.2019 तक के आंकडे नीचे प्रस्तुत किये गये हैं :

(₹ करोड़ में)

वर्गीकरण	31.03.2019		31.03.2018	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
परिपक्वता तक रखे गए – एच टी एम *	38498.87	60.01	37673.00	54.01
बिक्री के लिए उपलब्ध – एएफएस	25532.13	39.80	32055.06	45.96
व्यापार के लिए रखे गए – एचएफटी	122.15	0.19	20.40	0.03
कुल योग	64153.15	100%	69748.46	100.00

* निवल मांग और सावधि देयताओं के प्रतिशत के रूप में देशी एचटीएम संवर्ग की देशी एसएलआर प्रतिभूतियां 15.43 प्रतिशत के अधिकतम विनिर्दिष्ट स्तर के विरुद्ध 19.50 प्रतिशत है। (पिछले वर्ष के लिए 19.50 प्रतिशत के अधिकतम विनिर्दिष्ट स्तर के विरुद्ध यह 17.02 प्रतिशत रहा।)

2.2. निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
(1) निवेशों का मूल्य **(i) निवेशों का सकल मूल्य**		
(ए) भारत में	64153.15	69748.46
(बी) भारत के बाहर	1963.63	2243.86
(ii) मूल्यह्रास व एनपीआई के लिए प्रावधान		
(ए) भारत में	1035.06	509.78
(बी) भारत के बाहर	89.54	84.78

SCHEDULE 18 - NOTES ON ACCOUNTS

1. CAPITAL

(Amount ₹ in crore)

	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
i)	Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	10.96	11.00
ii)	Tier I Capital ratio (%)	11.29	11.33
iii)	Tier II Capital ratio(%)	1.92	1.22
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%)	13.21	12.55
v)	Percentage of the Shareholding of the Government of India in public sector banks	81.49	81.87
vi)	Amount of equity capital raised	0.00	0.00
vii)	Amount Additional Tier 1 capital raised; of which Perpetual Non-cumulative Preference Shares (PNCPS) Perpetual Debt Instruments (PDI):	NIL	NIL
viii)	Amount of Additional Tier 2 capital raised ; of which	1000.00	NIL
	Debt capital instrument:	NIL	NIL
	Preference Share Capital Instruments:[Perpetual Cumulative	NIL	NIL
	Preference Shares(PCPS)/Redeemable Non-Cumulative	NIL	NIL
	Preference Shares(RNCPS)/Redeemable Cumulative	NIL	NIL
	Preference Shares(RCPS)]	NIL	NIL

2. INVESTMENTS

2.1. In accordance with the RBI guidelines, the Bank's domestic investment portfolio has been classified into three categories. The figures as at 31.03.19 are given hereunder:

(Amount ₹ in crore)

Classification	31/03/2019		31/03/2018	
	Amount	%	Amount	%
Held to Maturity -HTM *	38498.87	60.01	37673.00	54.01
Available for Sale – AFS	25532.13	39.80	32055.06	45.96
Held for Trading – HFT	122.15	0.19	20.40	0.03
Gross Total	64153.15	100%	69748.46	100.00

*Domestic SLR securities in HTM category as a percentage of Net Demand and Time Liabilities works out to 15.43% against the stipulated maximum level of 19.50 % (previous year works out to 17.02% as against the stipulated maximum level of 19.50%).

2.2. Investments

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2018-19	2017-18
(1) Value of Investments		
(i) Gross value of investments		
(a) In India	64153.15	69748.46
(b) Outside India	1963.63	2243.86
(ii) Provisions for Depreciation & NPI		
(a) In India	1035.06	509.78
(b) Outside India	89.54	84.78

(iii) निवेशों का निवल मूल्य		
(ए) भारत में (बी) भारत के बाहर	63118.09 1874.09	69238.68 2159.08
(2) निवेशों व एनपीआई पर मूल्यह्रास के लिए बनाए गए प्रावधानों में वृद्धि/कमी		
(i) प्रारंभिक शेष	509.78	314.25
(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1128.59	420.83
(iii) घटाएँ : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन/बट्टे खाते में डालना	603.31	225.30
(iv) अंतिम शेष	1035.06#	509.78#

चूंकि बैंक ने एफआईटीएल के एवज में जारी शेयरों पर कोई प्रावधान नहीं किया है इसलिए इस पर कोई आय बुक नहीं की है और समतुल्य राशि पर प्रत्यक्ष होल्ड रखता है।

2.2.1 रेपो लेनदेन (अंकित मूल्यों में)

(₹ करोड़ में)

प्रकार	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2019 को बकाया
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	697.59	15600.01	7908.85	4578.89
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	6550.00	541.83	2200.00
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2.2 गैर एसएलआर निवेश संविभाग (देशी)

i) गैर–एसएलआर निवेशों पर जारीकर्ता संरचना

(₹ करोड़ में)

सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी आबंटन की सीमा	निवेश स्तर से निम्न वर्ग की प्रतिभूतियों की मात्रा	'दर निर्धारण नहीं' की गई प्रतिभूतियों की मात्रा	'सूचीबद्ध नहीं' की गई प्रतिभूतियों की मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम	3779.41	3342.95	0.00	251.09	0.00
2	वित्तीय संस्थाएं	3369.26	3018.15	0.00	0.00	17.38
3	बैंक	2507.99	2384.15	0.00	0.00	
4	निजी कॉर्पोरेट	2374.51	2222.11	95.87	22.47	40.82
5	अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	92.36	92.36	0.00	0.00	13.49
6	अन्य	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00
7	मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए धारित प्रावधान	-934.97	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	**11194.16**	**11065.32**	**95.87**	**273.56**	**71.69**

	(iii) Net value of Investments		
	(a) In India	63118.09	69238.68
	(b) Outside India	1874.09	2159.08
(2)	Movement of provisions held towards depreciation on investments & NPI		
	(i) Opening Balance	509.78	314.25
	(ii) Add: Provisions made during the year	1128.59	420.83
	(iii) Less: Write-off/ Write back of excess provisions during the year	603.31	225.30
	(iv) Closing Balance	1035.06#	509.78#

Provision has not been made on shares issued in lieu of FITL as Bank has not booked any income and holds an equivalent amount of interest realizable.

2.2.1 REPO Transactions (in face value terms):

(Amount ₹ in crore)

Type	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2019
Securities sold under repo				
I. Government securities	697.59	15600.01	7908.85	4578.89
ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities purchased under reverse repo				
I. Government securities	0.00	6550.00	541.83	2200.00
ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2.2 NON-SLR INVESTMENT PORTFOLIO (Domestic)

i) Issuer Composition of Non SLR Investments:

(Amount ₹ in crore)

No.	ISSUER	AMOUNT	EXTENT OF PRIVATE PLACEMENT	EXTENT OF "BELOW INVESTMENT GRADE" SECURITIES	EXTENT OF "UNRATED" SECURITIES	EXTENT OF "UNLISTED" SECURITIES
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PSU	3779.41	3342.95	0.00	251.09	0.00
2	Fis	3369.26	3018.15	0.00	0.00	17.38
3	Banks	2507.99	2384.15	0.00	0.00	
4	Private Corporates	2374.51	2222.11	95.87	22.47	40.82
5	Subsidiaries/Joint Ventures	92.36	92.36	0.00	0.00	13.49
6	Others	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00
7	Provision held towards depreciation & NPI	-934.97	NIL	NIL	NIL	NIL
	Total	**11194.16**	**11065.32**	**95.87**	**273.56**	**71.69**

ii) गैर–निष्पादक गैर–एसएलआर निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
प्रारंभिक शेष	337.15	17.93
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान जोड	75.72	319.22
उक्त अवधि के दौरान घटौती	0.10	0.00
अंतिम शेष	412.77	337.15
धारित कुल प्रावधान	63.26	19.38

2.2.3 एचटीएम संवर्ग में / से विक्रय एवं हस्तांतरण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, एचटीएम वर्ग में / से विक्रय एवं हस्तांतरण, वर्ष की शुरुआत में एचटीएम संवर्ग में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं थे।

- एचटीएम श्रेणी से रुपए 83.60 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष रुपए 71.7 करोड़), जोकि एचटीएम संवर्ग की प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ था, को लाभ और हानि लेखे में लिया गया है और उसके बाद रुपए 41.00 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रुपए 5.2 करोड़) की राशि को आरक्षित पूंजी खाता में हस्तांतरित कर दिया गया था। (करों का निवल और सांविधिक आरक्षित निधियां में हस्तांरित करने के लिए अपेक्षित राशि)।

- प्रतिभूतियों का हस्तांतरण

  (I) वर्ष की शुरुआत में बैंक ने निम्नलिखित का हस्तांतरण किया :

  एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में रुपए 2432.02 करोड़ के बही मूल्य की एसएलआर प्रतिभूतियाँ और रुपए 4.69 करोड़ के बही मूल्य की गैर–एसएलआर वीसीएफ प्रतिभूतियाँ, जिनपर मूल्यह्रास का प्रावधान 0.10 करोड़ रुपए था।

  एएफएस संवर्ग से एचटीएम संवर्ग में रुपए 7262.27 करोड़ के बही मूल्य की एसएलआर प्रतिभूतियाँ, जिसके परिणामस्वरूप बही मूल्य को बाज़ार मूल्य तक कम करने के लिए मूल्यह्रास के विरुद्ध धारित प्रावधान को 535.73 रुपए के लिए समायोजित करना पडा।

  (ii) एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत प्रतिभूतियाँ, यदि अधिग्रहण मूल्य अंकित मूल्य से अधिक हो तो प्रीमियम शेष परिपक्वता अवधि तक परिशोधित हो जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कुल रु. 97.18 करोड़ (गतवर्ष रु. 108.64 करोड़) परिशोधित किया गया है तथा यही 'निवेश पर आय' में कटौती के रूप में दर्शाया गया है।

3. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)

3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप्स (आईआर एस)

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, बैंक ने तुलन पत्र आस्तियों की बचाव के लिए वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप्स (आईआरएस) के स्वरूप की कोई व्युत्पन्न संविदा नहीं की।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
i) अदला–बदली करार का अनुमानित मूलधन	0.00	0.00
ii) करार के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में यदि विपक्षी पक्षकार चूक करें तो वहन की जानेवाली हानियाँ	शून्य	शून्य
iii) स्वैप्स करार करने पर बैंक को आवश्यक संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv) स्वैप्स करार करने पर उत्पन्न जोखिमों का संकेन्द्रण	0.00	0.00
v) स्वैप बही का उचित मूल्य	0.00	0.00

ii) Non Performing Non-SLR Investments

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Opening Balance	337.15	17.93
Additions during the year since 1st April	75.72	319.22
Reduction during the above period	0.10	0.00
Closing Balance	412.77	337.15
Total Provisions held	63.26	19.38

2.2.3 Sale and Transfers to / from HTM Category:

The value of sales and transfers of securities to / from HTM category did not exceed 5 per cent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year as per RBI guidelines.

- Profit on account of sale of securities from HTM category amounting to ₹ 83.60 crores (previous year ₹ 71.70 crores) has been taken to Profit and Loss Account and thereafter an amount of ₹ 41.00 crores (previous year ₹ 35.20 crores) was transferred to Capital Reserve Account (net of taxes and the amount required to be transferred to statutory reserves).
- Shifting of securities

(i) In the beginning of the year, the Bank shifted

SLR Securities for Book Value of ₹ 2432.02 crores which has resulted in no additional provision & Non-SLR VCF Securities for Book Value of ₹ 4.69 crores with a depreciation provision of ₹ 0.10 cr from HTM category to AFS category and

SLR Securities for Book Value of ₹ 7262.27 crores from AFS category to HTM category which has resulted in adjustment of provision held against depreciation for ₹ 535.73 crores to reduce the book value to the market value.

(ii) In case of securities classified under HTM category, if acquisition cost is more than the face value, the premium is amortized over the remaining period to maturity. For the Financial Year 2018-19, a sum of ₹97.18 crore (previous year ₹108.64 crore) has been amortized and the same is reflected as a deduction from 'Income on Investments'.

3. DERIVATIVES

3.1 Forward Rate Agreements / Interest Rate Swaps (IRS)

The Bank has not entered into Derivative contracts of the nature of Forward Rate Agreements / Interest Rate Swaps (IRS) to hedge on balance sheet assets during the financial year 2018-19

(Amount ₹ in crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
i) The notional Principal of Swap agreement	0.00	0.00
ii) Losses which would be incurred if counterparties fail to fulfill their obligations under the agreements.	NIL	NIL
iii) Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv) Concentration of Credit Risk arising from the swaps	0.00	0.00
v) The fair value of swap book	0.00	0.00

3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पाद :

वर्तमान वर्ष और विगत वर्ष के दौरान बैंक ने विनिमय व्यापार किए गए ब्याज दर व्युत्पन्न के लिए कोई करार नहीं किया है।

क्रम सं.	विवरण	2018-19	2017-18
i)	वर्ष के दौरान किये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का अनुमानित मूलधन (लिखत वार) ए) बी)	शून्य	शून्य
ii)	31 मार्च 2019 को विनिमय व्यापार किये गये ब्याज दर व्युत्पन्न के अनुमानित मूलधन का बकाया (लिखत वार) ए) बी)	शून्य	शून्य
iii)	विनिमय व्यापार किये गये ब्याज दर व्युत्पन्न के अनुमानित मूलधन का बकाया तथा अधिक प्रभावात्मक न रहनेवाले (लिखत वार) ए) बी)	शून्य	शून्य
iv)	विनिमय व्यापार किये गये ब्याज दर व्युत्पन्न के बाजार मूल्य को बही में अंकित राशि का बकाया (लिखत वार) ए) बी)	शून्य	शून्य

3.3 व्युत्पन्नों में ऋण जोखिम पर प्रकटीकरण :

3.3.1 गुणात्मक प्रकटीकरणः

बैंक की नीति आईआरएस का उपयोग करते हुए आस्तियों के साथ–साथ देयताओं की प्रतिरक्षा की अनुमति देती है। हेजिंग लेन–देनों को उपचय आधार पर लेखांकित किया जाना चाहिए। ऐसे स्वैप जो ब्याज कमानेवाली आस्ति / देयता की प्रतिरक्षा करते हैं, हेज की गई आस्ति या देयता के रूप में लेखांकित किये जाते हैं। बकाया स्वैप संविदाएँ बाजार मूल्य पर अंकित होता है।

अंतर्राष्ट्रीय स्वेप डीलर संघ के दिशानिर्देशों के आधार पर सभी स्वैप लेनदेन किए गए हैं। लेनदेनों को समाप्त करने के पहले बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक अनुमोदन और नियंत्रण प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। (i) व्यापार (डीलिंग) (ii) बैक–ऑफ़िस (समझौता, निगरानी और नियंत्रण) तथा (iii) लेखाकरण क्षेत्रों के बीच एक स्पष्ट कार्यकारी पृथक्करण उपलब्ध है।

व्युत्पन्न उत्पाद खंड के अंतर्गत बैंक, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) में स्वामित्व लेनदेन कर रहा है। इस खंड में बैंक की गतिविधियाँ बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्युत्पन्न उत्पाद संबंधी नीति के अधीन की जाती हैं।

ओआईएस लेनदेनों से होनेवाले लाभ व हानि, लेनदेन की परिपक्वता या समाप्ति, जो भी पूर्व हो, पर लाभ व हानि खाते में दर्शायी जाती है। बकाया ओआईएस लेनदेन के मूल्यांकन को निश्चित करने के लिए, संपूर्ण अदला–बदली का सही मूल्य, तुलन पत्र के दिनांक पर अदला–बदली की समाप्ति से प्राप्य या देय राशि, के आधार पर किया जाता है। इससे प्राप्त हानि के लिए संपूर्ण प्रावधान किया जाता है और अगर लाभ हो तो, नजर अंदाज किया जाता है।

विनिमय बाजार में लेनदेन किए जानेवाले विदेशी विनिमय व्युत्पन्न उत्पाद अर्थात् मुद्रा वायदे सौदे, विनिमय बाजार निर्धारित मूल्यों पर मूल्यांकित किए जाते हैं और परिणामस्वरूप होनेवाला लाभ व हानि, बैंक के लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है।

3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

The bank has not contracted any exchange traded interest derivatives during the current year and in the previous year.

Sl No	Particulars	2018-19	2017-18
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) a) b)	NIL	NIL
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2019 (instrument-wise) a) b)	NIL	NIL
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) a) b)	NIL	NIL
iv)	Mark-to-Market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective": (instrument-wise) a) b)	NIL	NIL

3.3 Disclosures on Risk Exposure in Derivatives

3.3.1 Qualitative Disclosures:

Bank's policy permits hedging of asset as well as liability using IRS. The hedging transactions are to be accounted on an accrual basis. Swaps, which hedge interest bearing asset / liability, are accounted for as the asset or liability hedged. Outstanding swap contracts are marked to market.

All swap deals shall be based on the guidelines of International Swaps Dealers' Association. Bank has adequate control systems and also internal approvals prior to concluding transactions. There exists a clear functional segregation between (i) trading (Dealing) (ii) back office (settlement, monitoring and control) and (iii) accounting sections.

In the derivatives segment, the bank's policy permits doing proprietary trading in Overnight Index Swaps (OIS). The activities in this segment are governed by the Derivatives Policy approved by the Bank's Board.

The gain or loss in OIS transactions is booked in the Profit and Loss account on the maturity or unwinding of the deal whichever is earlier. For the purpose of valuation of outstanding OIS deals, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the swap as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

3.3.2. **मात्रात्मक प्रकटीकरण**

व्युत्पन्न बाजार में बैंक के निम्नलिखित उत्पाद हैं :

- ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप्स (ओआईएस)
- मुद्रा फ़्यूचर्स

31 मार्च, 2019 को बकाया ओआईएस ₹ 25.00 करोड़ रहा (पिछले वर्ष – ₹ 50.00 करोड़ रहा)

31.03.2019 को मुद्रा फयूचर्स की बकाया स्थिति ₹ शून्य करोड़ है और पिछले वर्ष ₹ 620.93 करोड़ थी।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2018-19		2017-18	
		मुद्रा व्युत्पाद	ब्याज दर व्युत्पाद	मुद्रा व्युत्पाद	ब्याज दर व्युत्पाद
1	व्युत्पन्न (नाममात्र मूल रकम)	0.00	25.00	620.93	50.00
	क) प्रतिरक्षा के लिए				
	ख) व्यापार के लिए	0.00	25.00	620.93	50.00
2	बाज़ार की स्थितियों पर अंकित				
	क) आस्ति (+)	0.00	0.00	0.00	0.09
	ख) देयता (-)	0.00	-0.31	0.02	0.00
3	ऋण जोखिम	0.00	0.25	12.41	0.25
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव का संभाव्य प्रभाव (100 * पीवी 01)				
	क) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख) व्यापार व्युत्पन्न पर	0.00	0.01	0.00	0.03
5	वर्ष के दौरान पाए गए 100 पीवी* 01 का अधिकतम और न्यूनतम				
	क) प्रतिरक्षा पर				
	अधिकतम	0.00	0.00	0.00	0.00
	न्यूनतम	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख) व्यापार पर				
	अधिकतम	0.00	0.013	0.00	1.40
	न्यूनतम	0.00	0.012	0.00	0.03

3.3.2 Quantitative Disclosures

The Bank is active in the following products under derivatives:-

- Overnight Index Swaps (OIS)
- Currency Futures

The outstanding OIS position as on 31st March 2019 was ₹ 25.00 crores (previous year ₹ 50.00 crores).

Outstanding position in Currency futures as on 31.03.2019 is ₹ NIL crores and previous year was ₹ 620.93 crores

(Amount ₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	2018-19		2017-18	
		Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
1	Derivatives (Notional Principal Amount)	0.00	25.00	620.93	50.00
	a) For hedging				
	b) For trading	0.00	25.00	620.93	50.00
2	Marked to Market Positions				
	a) Asset (+)	0.00	0.00	0.00	0.09
	b) Liability (-)	0.00	-0.31	0.02	0.00
3	Credit Exposure	0.00	0.25	12.41	0.25
4	Likely impact on one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	a) On hedging derivatives	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) On trading derivatives	0.00	0.01	0.00	0.03
5	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	a) On hedging				
	Maximum	0.00	0.00	0.00	0.00
	Minimum	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) On Trading				
	Maximum	0.00	0.013	0.00	1.40
	Minimum	0.00	0.012	0.00	0.03

4. आस्ति गुणवत्ता

4.1.1 गैर–निष्पादक आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
(i) निवल अग्रिमों और निवल एनपीए का अनुपात (%)	3.75	3.81
(ii) एनपीए (सकल) में उतार चढ़ाव		
(ए) प्रारंभिक शेष	11990.14	9865.14
(बी) वर्ष के दौरान जोड़	6444.96	5041.23
(सी) वर्ष के दौरान कटौती	5081.65	2916.23
(डी) अंत शेष	13353.45	11990.14
(iii) निवल एनपीए में उतार चढ़ाव		
(ए) प्रारंभिक शेष	5959.56	5606.57
(बी) वर्ष के दौरान जोड़	4419.80	3682.07
(सी) वर्ष के दौरान कटौती	3586.25	3329.08
(डी) अंत शेष	6793.11	5959.56
(iv) एनपीए के लिए प्रावधानों में उतार चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधानों और चल प्रावधानों को छोड़कर)		
(ए) प्रारंभिक शेष	5498.23	3788.92
(बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	3594.47	3414.20
सी) अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/प्रतिलेखन करना	2960.84	1704.89
(डी) अंत शेष	6131.86	5498.23

4.1.2 आस्ति वर्गीकरण और एनपीए हेतु प्रावधान में विचलन पर प्रकटीकरण (भारिबैंक परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.63/21.04.018/2016:17 दिनांक 18.04.2017)

क्रम सं.	विवरण	₹ हज़ारों में
1	बैंक द्वारा सूचित रूप से 31 मार्च, 2018 को सकल एनपीए*	119901442
2	भारिबैंक द्वारा मूल्यांकित रूप से 31 मार्च, 2018 को सकल एनपीए	121686442
3	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	1785000
4	बैंक द्वारा सूचित रूप से 31 मार्च, 2018 को सकल एनपीए	59595600
5	भारिबैंक द्वारा मूल्यांकित किये गये रूप से 31 मार्च, 2018 को निवल एनपीए	60009600
6	निवल एनपीए में विचलन (5-4)	414000
7	बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई रूप से मार्च, 2018 को एनपीए हेतु प्रावधान	54982300
8	भारिबैंक द्वारा मूल्यांकित रूप से 31 मार्च, 2018 को एनपीए हेतु प्रावधान	66191300
9	प्रावधानीकरण में विचलन (8-7)	11209000
10	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु रिपोर्टित कर के पश्चात निवल लाभ (पीएटी)	^12589900
11	विचलन प्रावधान को हिसाब में लेने के पश्चात 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु समायोजित (आनुमानिक) कर के पश्चात निवल लाभ (पीएटी)	^5297800
	* विचलनों के आकलन के लिए संदर्भित अवधि का समापन मार्च 31, 2018 को है।	

^ डीटीए के प्रभाव को मद्देनजर रखते हुए

4. ASSETS QUALITY

4.1.1 Non-Performing Assets

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2018-19	2017-18
(I) Net NPAs to Net Advances (%)	3.75	3.81
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
(a) Opening Balance	11990.14	9865.14
(b) Additions during the year	6444.96	5041.23
(c) Reductions during the year	5081.65	2916.23
(d) Closing Balance	13353.45	11990.14
(iii) Movement of Net NPAs		
(a) Opening Balance	5959.56	5606.57
(b) Additions during the year	4419.80	3682.07
(c) Reductions during the year	3586.25	3329.08
(d) Closing Balance	6793.11	5959.56
(iv) Movement of Provision for NPAs (excluding provisions on standard assets and Floating Provisions)		
(a) Opening Balance	5498.23	3788.92
(b) Provisions made during the year	3594.47	3414.20
(c) Write-off / Write - back of excess provisions	2960.84	1704.89
(d) Closing Balance	6131.86	5498.23

4.1.2 Disclosure on Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs (Vide RBI Circular DBR.BP.BC No.63/21.04.018/2016-17 dated 18.04.2017

Sl No.	Particulars	₹ in thousands
1	Gross NPAs as on March 31, 2018 as reported by the Bank*	119901442
2	Gross NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	121686442
3	Divergence in Gross NPAs (2-1)	1785000
4	Net NPAs as on March 31, 2018 as reported by the Bank	59595600
5	Net NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	60009600
6	Divergence in Net NPAs (5-4)	414000
7	Provisions for NPAs as on March 31, 2018 as reported by the Bank	54982300
8	Provisions for NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	66191300
9	Divergence in Provisioning (8-7)	11209000
10	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2018	^12589900
11	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2018 after taking into account the divergence provisioning	^5297800
	*March 31, 2018 is the close of the reference period in respect of which divergences were assessed	

^ After considering impact of DTA

4.2.1 दि 31.3.2019 को पुनः संरचित खातों का प्रकटीकरण

	पुनर्संरचना का प्रकार			सीडीआर पद्धति के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्रचना के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण			मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
क्रम संख्या	विवरण																						
1	वित्तीय वर्ष 2018 के 1 अप्रैल को पुनर्रचित खाते (प्रारम्भिक आंकड़ा) *	1	उधारकर्ताओं की संख्या	3	0	6	0	9	366	125	256	2	749	4033	1065	1954	18	7070	4402	1190	2216	20	7828
		2	बकाया राशि	169.42	0	699.81	0	869.23	123.08	27.89	30.07	0.01	181.05	1786.74	864.30	2403.94	0.50	5055.48	2079.24	892.19	3133.82	0.51	6105.76
		3	उस पर प्रावधान	2.39	0	13.00	0	15.39	0.16	0.15	0.03	0	0.34	32.11	5.98	29.40	0	67.49	34.66	6.13	42.43	0.00	83.22
2	अप्रैल से मार्च 2019 के दौरान की गई नई पुनर्रचना	4	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	1	0	1	24245	180	80	6	24511	5630	385	65	4	6084	29875	565	146	10	30596
		5	बकाया राशि	0.00	0.00	23.25	0.00	23.25	978.93	21.18	38.82	0.36	1039.29	332.44	42.36	1.11	0.08	375.99	1311.37	63.54	63.18	0.44	1438.52
		6	उस पर प्रावधान	0.00	0.00	1.05	0.00	1.05	0.74	0.00	0.11	0.02	0.87	-4.05	0.36	0.01	0.00	-3.68	-3.31	0.36	1.17	0.02	-1.75
3	अप्रैल–मार्च 2019 के दौरान पुनर्संचित मानक वर्ग में अपग्रेडेशन	7	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	18	-5	-3	0	10	70	-57	-23	0	-10	88	-62	-26	0	0
		8	बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07	-6.82	-0.43	0.00	-0.17	226.58	-110.72	-115.69	0.00	0.17	233.65	-117.54	-116.12	0.00	0.00
		9	उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
4	पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च प्रावधानीकरण और/या अतिरिक्त जोखिम भार की आवश्यकता नहीं है एवं अतः अगले वित्तीय वर्ष के उत्तरार्द्ध में उन्हें पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के रूप में प्रदर्शित किए जाने की जरूरत नहीं है।	10	उधारकर्ताओं की संख्या	-1				-1	-127				-127	-2484				-2484	-2612				-2612
		11	बकाया राशि	-19.89				-19.89	-64.13				-64.13	-274.22				-274.22	-358.24				-358.24
		12	उस पर प्रावधान	-0.61				-0.61	-0.04				-0.04	-0.11				-0.11	-0.76				-0.76
5	अप्रैल–मार्च 2019 के दौरान अवनत किए गए पुनर्संरचित खाते	13	उधारकर्ताओं की संख्या	-1	0	1	0	0	-50	-5	160	0	105	-707	44	551	7	-105	-758	39	712	7	0
		14	बकाया राशि	-149.52	0.00	149.52	0.00	0.00	-28.59	12.57	18.79	0.00	2.77	-248.77	-484.25	623.65	106.60	-2.77	-426.88	-471.67	791.96	106.60	0.00
		15	उस पर प्रावधान	-1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	-0.07	0.07	0.01	0.00	0.00	-7.07	1.45	4.19	1.43	0.00	-8.93	1.52	5.98	1.43	0.00
6	अप्रैल–मार्च 2019 के दौरान बट्टे खाते में डाले गए पुनर्संरचित खाते	16	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	-3	0	-3	-113	-42	-144	-2	-301	-645	-378	-1022	-7	-2052	-758	-420	-1169	-9	-2356
		17	बकाया राशि	0.00	0.00	-425.25	0.00	-425.25	-21.06	-17.15	-20.49	-0.01	-58.72	-209.11	-35.73	-1029.15	-0.53	-1274.52	-230.17	-52.88	-1474.89	-0.55	-1758.49
		18	उस पर प्रावधान	0.00	0.00	-14.79	0.00	-14.79	0.00	-0.16	-0.01	0.00	-0.17	-2.90	-1.41	-14.91	-1.43	-20.65	-2.90	-1.57	-29.71	-1.43	-35.60
7	वित्तीय वर्ष मार्च 31 2019 को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े) *	19	उधारकर्ताओं की संख्या	1	0	5	0	6	24339	253	349	6	24947	5897	1059	1525	22	8503	30237	1312	1879	28	33456
		20	बकाया राशि	0.00	0.00	447.33	0.00	447.33	995.30	37.67	66.76	0.36	1100.09	1613.66	275.97	1883.86	106.64	3880.13	2608.97	313.63	2397.95	107.00	5427.55
		21	उस पर प्रावधान	0.00	0.00	1.04	0.00	1.04	0.79	0.06	0.14	0.02	1.01	17.99	6.37	18.68	0.00	43.05	18.78	6.44	19.86	0.02	45.10

* मानक पुनः संरचित अग्रिम के आंकडों को छोडकर, जिन्हें उच्च प्रावधानीकरण या जोखिम भारिता की आवश्कता नहीं है (अगर लागू हों)

क्रम सं.2 में नई पुनःसंरचित राशि रुपए 1209.86 करोड़ तथा दि.31.3.2019 को वर्तमान पुन संरचित खाते में आगे नामे /संवितरण की राशि रुपए 228.66 करोड़ शामिल है।

क्रम सं.6 में बट्टे खाते में डाली गई राशि रुपए 1185.11 करोड़ तथा एओरसी को बिक्री रुपए 187.53 करोड शेष में कमी – रुपए 385.85 करोड़

4.2.1 Disclosure of Restructured Accounts - as on 31-03-2019

	Type of Restructuring			Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring					Others					Total				
	Asset Classification			Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
Sl No	Details																						
1	Restructured Accounts as on April 1 of FY 2018 (opening figure) *	1	Number Of Borrowers	3	0	6	0	9	366	125	256	2	749	4033	1065	1954	18	7070	4402	1190	2216	20	7828
		2	Amount Outstanding	169.42	0	699.81	0	869.23	123.08	27.89	30.07	0.01	181.05	1786.74	864.30	2403.94	0.50	5055.48	2079.24	892.19	3133.82	0.51	6105.76
		3	Provision thereon	2.39	0	13.00	0	15.39	0.16	0.15	0.03	0	0.34	32.11	5.98	29.40	0	67.49	34.66	6.13	42.43	0.00	83.22
2	Fresh restructuring during Apr-Mar 2019	4	Number Of Borrowers	0	0	1	0	1	24245	180	80	6	24511	5630	385	65	4	6084	29875	565	146	10	30596
		5	Amount Outstanding	0.00	0.00	23.25	0.00	23.25	978.93	21.18	38.82	0.36	1039.29	332.44	42.36	1.11	0.08	375.99	1311.37	63.54	63.18	0.44	1438.52
		6	Provision thereon	0.00	0.00	1.05	0.00	1.05	0.74	0.00	0.11	0.02	0.87	-4.05	0.36	0.01	0.00	-3.68	-3.31	0.36	1.17	0.02	-1.75
3	Upgradation to restructured standard category during Apr-Mar 2019	7	Number Of Borrowers	0	0	0	0	0	18	-5	-3	0	10	70	-57	-23	0	-10	88	-62	-26	0	0
		8	Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07	-6.82	-0.43	0.00	-0.17	226.58	-110.72	-115.69	0.00	0.17	233.65	-117.54	-116.12	0.00	0.00
		9	Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	10	Number Of Borrowers	-1				-1	-127				-127	-2484				-2484	-2612				-2612
		11	Amount Outstanding	-19.89				-19.89	-64.13				-64.13	-274.22				-274.22	-358.24				-358.24
		12	Provision thereon	-0.61				-0.61	-0.04				-0.04	-0.11				-0.11	-0.76				-0.76
5	Downgradations of restructured accounts during Apr-Mar 2019	13	Number Of Borrowers	-1	0	1	0	0	-50	-5	160	0	105	-707	44	551	7	-105	-758	39	712	7	0
		14	Amount Outstanding	-149.52	0.00	149.52	0.00	0.00	-28.59	12.57	18.79	0.00	2.77	-248.77	-484.25	623.65	106.60	-2.77	-426.88	-471.67	791.96	106.60	0.00
		15	Provision thereon	-1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	-0.07	0.07	0.01	0.00	0.00	-7.07	1.45	4.19	1.43	0.00	-8.93	1.52	5.98	1.43	0.00
6	Write-offs of restructured accounts during Apr-Mar 2019	16	Number Of Borrowers	0	0	-3	0	-3	-113	-42	-144	-2	-301	-645	-378	-1022	-7	-2052	-758	-420	-1169	-9	-2356
		17	Amount Outstanding	0.00	0.00	-425.25	0.00	-425.25	-21.06	-17.15	-20.49	-0.01	-58.72	-209.11	-35.73	-1029.15	-0.53	-1274.52	-230.17	-52.88	-1474.89	-0.55	-1758.49
		18	Provision thereon	0.00	0.00	-14.79	0.00	-14.79	0.00	-0.16	-0.01	0.00	-0.17	-2.90	-1.41	-14.91	-1.43	-20.65	-2.90	-1.57	-29.71	-1.43	-35.60
7	Restructured Accounts as on Mar 31st 2019 (closing figure) *	19	Number Of Borrowers	1	0	5	0	6	24339	253	349	6	24947	5897	1059	1525	22	8503	30237	1312	1879	28	33456
		20	Amount Outstanding	0.00	0.00	447.33	0.00	447.33	995.30	37.67	66.76	0.36	1100.09	1613.66	275.97	1883.86	106.64	3880.13	2608.97	313.63	2397.95	107.00	5427.55
		21	Provision thereon	0.00	0.00	1.04	0.00	1.04	0.79	0.06	0.14	0.02	1.01	17.99	6.37	18.68	0.00	43.05	18.78	6.44	19.86	0.02	45.10
	* Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable)																						

S No. 2 includes ₹ 1209.86 cr of fresh restructuring and further debits / disbursements to existing restructured account as on 31.03.2019 - ₹ 228.66 cr
S No.6 includes fresh write off ₹ 1185.11 cr and closer/ sale to ARC - ₹ 187.53 cr decrease in balance - ₹ 385.85 cr

4.2.2 एमएसएमई प्रकटीकरण

भारि बैंक ने अपने दिनांक 06–06–2018 के परिपत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.108 / 21.04.048 / 2017–18 द्वारा बैंक को अनुमति प्रदान की है कि जहां देय का भुगतान 1 सितंबर 2017 से 31 दिसंबर 2018 के मध्य 180 दिनों के बाद अथवा उनकी वास्तविक देय तिथि के पूर्व नहीं किया गया है, ऐसे एमएसएमई उधारकर्ताओं को स्टैंडर्ड आस्तियों के रूप में वर्गीकृत कर उनका एक्सपोजर जारी रखें। तदनुसार, 31 मार्च 2019 को बैंक के पास रु. 38.29 करोड़ प्रतिधारित अग्रिम स्टैंडर्ड आस्तियों के रूप में है। इस परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार, बैंक ने इन खातों के संबंध में रु. 1.86 करोड़ को ब्याज आय नहीं माना है और ऐसे खातों के संबंध में 31 मार्च 2019 को 5% पर रु. 1.91 करोड़ स्टैंडर्ड आस्ति प्रावधान बनाए रखा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, भारि बैंक के दिनांक 01 जनवरी 2019 के परिपत्र सं. डीबीआर सं. बीपी. बीसी 18 / 21.04.048 / 2018–19 के आधार पर बैंक ने एमएसएमई खातों को पुनर्रचित किया है जिनका विवरण निम्नलिखित है:

खातों की संख्या	बकाया धनराशि(रु. करोड़ में)
25499	899.03

बैंक ने 31.3.2019 को इन खातों को स्टैंडर्ड आस्तियां माना है और ऐसी स्टैंडर्ड आस्तियों के लिए 5.25% पर रु. 47.20 करोड़ की राशि के प्रावधान को बनाए रखा है।

4.3 आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

4.3.1 बिक्री का विवरण

(₹ करोड में)

विवरण	2018-19	2017-18
(i) खातों की संख्या	28482	432
(ii) एससी / आरसी को बेचे गए खातों का सकल मूल्य (प्रावधानों से निवल)	130.02	238.08
(iii) सकल प्रतिफल	256.62	333.90
(iv) पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरित प्रतिफल	--	--
(v) निवल बही मूल्य से अधिक होनवाला सकल लाभ / हानि	126.60	95.82

4.3.2 प्रतिभूति रसीद का बही मूल्य (अलग रखे गये प्रावधान को घटाने के पहले)

(₹ करोड में)

	विवरण	2018-19	2017-18
(i)	अंतर्निहित रूप से बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	2427.60	2268.60
(ii)	अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर्निहित रूप से बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	शून्य	शून्य
	कुल	**2427.60**	**2268.60**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	विगत 5 वर्षों के अंदर जारी एसआर	5 वर्षों के पहले परन्तु विगत 8 वर्षों के अन्दर जारी एसआर	8 वर्षों के पहले जारी एसआर
(i)	अंतर्निहित रूप से बैंक द्वारा बेचे गए एसआर, जो एनपीए द्वारा समर्थित हैं।	1799.97	626.45	1.17
	ऊपर (i) के विरुद्ध धारित प्रावधान	1293.33	513.69	2.38
(ii)	अंतर्निहित रूप से अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों / गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थानों द्वारा बेचे गए एसआर, जो एनपीए द्वारा समर्थित हैं, का बही मूल्य	0.00	0.00	0.00
	ऊपर (ii) के विरुद्ध धारित प्रावधान	0.00	0.00	0.00
	कुल (i)+(ii)	1799.97	626.45	1.17

4.2.2 MSME DISCLOSURE

RBI vide Circular no DBR.No.BP.BC.108/21.04.048/2017-18 dated June 6,2018 permitted banks to continue the exposure to MSME borrowers to be classified as standard assets where the dues between September 1, 2017 and December 31, 2018 are paid not later than 180 days or less from their respective original due dates. Accordingly, the Bank has retained advances of ₹ 38.29 crore as standard asset as on March 31,2019. In accordance with the provisions of the circular, the Bank has not recognized Interest income of ₹ 1.86 crore and is maintaining a standard asset provision of ₹ 1.91 crore @ 5% as on March 31,2019 in respect of such accounts.

In addition to the above, based on RBI Circular DBR No: BP.BC 18/21.04.048/2018-19 dated January 1, 2019 the Bank has restructured MSME accounts as detailed below:

No. of accounts	Amount outstanding (₹ in Cr.)
25499	899.03

Bank has treated these accounts as standard assets as on 31.03.2019 and maintained provision on such Standard asset @ 5.25% amounting to ₹ 47.20 crore.

4.3 Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

4.3.1. Details of Sales

(Amount ₹ in crore)

Items	2018-19	2017-18
(i) No. of Accounts	28482	432
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	130.02	238.08
(iii) Aggregate consideration	256.62	333.90
(iv) Additional consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	--	--
(v) Aggregate gain/ loss over net book value	126.60	95.82

4. 3.2 Book Value of Security Receipt (without netting hived off provision)

(Amount ₹ in crore)

	Particulars	2018-19	2017-18
(i)	Backed by NPAs sold by the bank as underlying	2427.60	2268.60
(ii)	Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non banking financial companies as underlying	NIL	NIL
	Total	**2427.60**	**2268.60**

(Amount ₹ in crore)

	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
(i)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by the Bank as underlying	1799.97	626.45	1.17
	Provision held against (i)	1293.33	513.69	2.38
(ii)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by other Banks/ financial institutions/ Non banking financial companies as underlying	0.00	0.00	0.00
	Provision held against (ii)	0.00	0.00	0.00
	Total (i)+(ii)	1799.97	626.45	1.17

4.3.3 खरीदी /बेची गयी गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

ए. खरीदी गयी गैर–निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड में)

विवरण		2018-19	2017-18
1. (ए)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(बी)	बकाया कुल शेष	शून्य	शून्य
2. (ए)	इनमें से वर्ष के दौरान पुनः संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(बी)	बकाया कुल शेष	शून्य	शून्य

बी. बेची गयी गैर–निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड में)

विवरण	2018-19	2017-18
1. बेचे गए खातों की संख्या	28482	432
2. बकाया कुल शेष	726.51	609.38
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	256.62	333.90

4.3.4. मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

(₹ करोड में)

विवरण	2018-19	2017-18
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	816.73	821.97

5. व्यापार अनुपात

विवरण	2018-19	2017-18
(i) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	7.32	7.26
(ii) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर–ब्याज आय	0.72	1.02
(iii) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.86	2.12
(iv) आस्तियों पर प्रतिलाभ (%)	0.12	0.53
(v) कारोबार (जमाएँ एवं अग्रिम) प्रति कर्मचारी (रु. करोड में)	21.74	18.56
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (रु. करोड में)	0.02	0.06

6. आस्ति देयता प्रबंधन

(₹ करोड में)

	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-30 दिन	31 दिन से 2 महीनों तक	2 महीनों से अधिक तथा 3 महीनों तक	3 महीनों से अधिक तथा 6 महीनों तक	6 महीनों से अधिक तथा 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक तथा 5 वर्षों तक	5 वर्षों से अधिक	कुल
जमाएं	1625.55	7067.33	6116.42	8196.80	17689.50	11597.06	18911.64	46272.37	70413.39	15648.48	38537.41	242075.95
उधार	27.01	5196.35	1200.00	0.00	283.54	172.89	206.47	1251.79	2799.49	1000.00	0.00	12137.54
निवेश*	5372.15	1363.92	1563.76	2181.14	1731.80	3554.18	4901.98	9614.79	15574.47	3969.11	14986.81	64814.11
अग्रिम	2018.36	2122.10	8786.24	5499.88	9654.78	8964.86	12921.07	30208.82	54806.97	23230.60	23048.22	181261.91
*₹ 178.06 करोड़ रुपए के सूचीबद्ध ईक्विटी के 50 प्रतिशत को छोड़ते हुए जिसमें												
विदेशी मुद्रा देयताएं	258.72	423.13	127.25	1119.27	929.23	814.18	1058.55	2220.43	2227.61	1165.06	585.47	10928.90
विदेशी मुद्रा आस्तियां	1252.39	534.60	693.11	545.05	1192.93	1200.65	1029.20	1686.18	987.54	819.82	269.03	10210.50

4.3.3 Details of non-performing financial assets purchased /sold

A. Details of non-performing financial assets purchased:

(Amount ₹ in crore)

Particulars		2018-19	2017-18
1.	(a) No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
	(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL
2.	(a) Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
	(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL

B. Details of non-performing financial assets sold

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2018-19	2017-18
1. No. of accounts sold	28482	432
2. Aggregate Outstanding	726.51	609.38
3. Aggregate consideration received	256.62	333.90

4.3.4. Provision on Standard Assets

(Amount ₹ in crore)

	2018-19	2017-18
Provisions towards Standard Assets	816.73	821.97

5. Business Ratios

Particulars	2018-19	2017-18
(I) Interest Income as a percentage to Working Funds	7.32	7.26
(ii) Non-Interest Income as a percentage to Working Funds	0.72	1.02
(iii) Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.86	2.12
(iv) Return on Assets (%)	0.12	0.53
(v) Business (Deposits plus Advances) per employee (₹ Crore)	21.74	18.56
(vi) Profit per employee (₹ Crore)	0.02	0.06

6. Asset Liability Management

(Amount ₹ in crore)

	1 day	2-7 days	8-14 days	15 to 30 days	31 days to 2 months	2 months to 3 months	Over 3 months to 6 months	Over 6 months to 1 year	Over 1 year to 3 years	Over 3 years to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	1625.55	7067.33	6116.42	8196.80	17689.50	11597.06	18911.64	46272.37	70413.39	15648.48	38537.41	242075.95
Borrowings	27.01	5196.35	1200.00	0.00	283.54	172.89	206.47	1251.79	2799.49	1000.00	0.00	12137.54
Investments*	5372.15	1363.92	1563.76	2181.14	1731.80	3554.18	4901.98	9614.79	15574.47	3969.11	14986.81	64814.11
Advances	2018.36	2122.10	8786.24	5499.88	9654.78	8964.86	12921.07	30208.82	54806.97	23230.60	23048.22	181261.91
*Excludes 50% of listed equities of ₹ 178.06 Crore of which												
Foreign Currency Liabilities	258.72	423.13	127.25	1119.27	929.23	814.18	1058.55	2220.43	2227.61	1165.06	585.47	10928.90
Foreign Currency Assets	1252.39	534.60	693.11	545.05	1192.93	1200.65	1029.20	1686.18	987.54	819.82	269.03	10210.50

7. एक्सपोजर

7.1 रियल एस्टेट क्षेत्र को ऋण

(₹ करोड़ में)

वर्ग	31.03.2019	31.03.2018
ए) प्रत्यक्ष ऋण		
(i) आवासिक बंधक	18913.15	15079.83
जिसमें से वैयक्तिक गृह ऋण जो प्राथमिकता क्षेत्र के तहत शामिल किए जाने योग्य है	7105.15	6326.59
(ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	5853.39	6054.15
(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण में निवेश	शून्य	शून्य
ए) आवासिय	शून्य	शून्य
बी) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	शून्य	शून्य
बी) अप्रत्यक्ष ऋण		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त निगम कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित तथा गैर–निधिक ऋण	9164.02	7087.39
रियल एस्टेट क्षेत्र को कुल ऋण	**33931.64**	**28221.37**

7.2 पूंजी बाजार में एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2019	31.03.2018
(i) प्रत्यक्ष निवेश		
ए) ईक्विटी शेयर में	546.74	552.76
बी) बांड्स/परिवर्तनीय डिबेंचरों में	68.71	68.71
सी) ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में जिसका आधारभूत निधि मात्र कार्पोरेट ऋण में निविष्ट नहीं है।	**शून्य**	**शून्य**
(ii) वैयक्तिकों को ईक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बांडों एवं डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की या निशर्त रूप में जमानत पर अग्रिम या बेजमानती ऋण	**शून्य**	**शून्य**
(iii) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक जमानत के रूप में लिया जाता है।	18.17	18.15
(iv) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जोकि शेयरों अथवा उस सीमा तक परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों द्वारा प्रत्याभूत हैं अर्थात जहां शेयरों/ परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती।	369.95	334.12
(v) स्टॉक ब्रोकरों को प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां।	30.75	30.25
(vi) स्रोतों को उपलब्ध कराने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी के लिए प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के विरूद्ध अथवा बेजमानती आधार पर कार्पोरेटों को मंजूर ऋण	**शून्य**	**शून्य**
(vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाहों/निर्गमों के विरूद्ध कंपनियों को पूरक ऋण	**शून्य**	**शून्य**
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा दी गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं।	**शून्य**	**शून्य**
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तीयन	**शून्य**	**शून्य**
(x) उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के सभी एक्पोजर।	22.51	27.32
पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर	**1056.83**	**1031.31**

7. Exposures

7.1 Exposure to Real Estate Sector

(Amount ₹ in crore)

Category	31.03.2019	31.03.2018
A) Direct Exposure		
(i) Residential Mortgages -	18913.15	15079.83
Out of which individual housing loans eligible for being included under priority sector	7105.15	6326.59
(ii) Commercial Real Estate -	5853.39	6054.15
(iii) Investment in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures	NIL	NIL
a) Residential	NIL	NIL
b) Commercial Real Estate	NIL	NIL
B) Indirect Exposure		
Fund based and Non-fund based exposure on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Corporation (HFCs)	9164.02	7087.39
Total Exposure to Real Estate Sector	**33931.64**	**28221.37**

7.2 Exposure to Capital Market

(Amount ₹ in crore)

Items	31.03.2019	31.03.2018
(i) Direct investment		
a) In Equity shares,	546.74	552.76
b) In Bonds / Convertible Debentures	68.71	68.71
d) In Units of Equity- Oriented Mutual Funds the corpus of which is not exclusively invested in Corporate Debt;	NIL	NIL
(ii) Advances against Shares/Bonds/Debentures or other Securities or on clean basis to individuals for investment in Equity shares (including IPOs/ESOPs) Convertible Bonds, Convertible Debentures, and units of Equity Oriented Mutual Funds;	NIL	NIL
(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	18.17	18.15
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover advances;	369.95	334.12
(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	30.75	30.25
(vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	NIL	NIL
(vii) Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	NIL	NIL
(viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	NIL	NIL
(ix) Financing to stockbrokers for margin trading	NIL	NIL
(x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered);	22.51	27.32
Total Exposure to Capital Market	**1056.83**	**1031.31**

7.3 जोखिम संवर्गवार देश–विशेष संबंधी ऋण

(₹ करोड़ में)

जोखिम संवर्गवार**	31 मार्च 2019 तक ऋण (निवल)	31 मार्च 2019 तक धारित प्रावधान	31 मार्च 2018 तक ऋण (निवल)	31 मार्च 2018 तक धारित प्रावधान
नगण्य	8085.75	4.32	5278.04	3.07
न्यून	3545.75		3179.59	
मध्यम	135.98		384.20	
उच्च	0.00		0.00	
सर्वोच्च	0.00		0.00	
प्रतिबंधित	0.00		0.00	
ऑफ क्रेडिट	0.00		0.00	
कुल	**11767.48**	**4.32**	**8841.83**	**3.07**

**दिनांक 31-03-2019 तक ईसीजीसी द्वारा अद्यतन देश विशेष को प्रदत्त ऋण का जोखिम वर्गीकरण के अनुसार

देश विशेष को प्रदत्त ऋण का जोखिम प्रबंधन :

बैंक ने 31.03.2019 को विभिन्न देशों को प्रदत्त निवल निधि एक्सपोजर का विश्लेषण किया है और सिंगापुर को छोड़ कर अन्य देशों के प्रति यह एक्सपोजर बैंक की कुल आस्तियों के 1 प्रतिशत की सीमा के भीतर है। सिंगापुर, जिसे ईसीजीसी लिमिटेड ने ''गैर महत्वपूर्ण'' जोखिम संवर्ग के अधीन वर्गीकृत किया है, के लिए ₹ 4.32 करोड़ (गत वर्ष – ₹ 3.07 करोड़ ''गैर महत्वपूर्ण'' जोखिम संवर्ग हेतु) का प्रावधान उपलब्ध है।

7.4 बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधार सीमा (जीबीएल) के अतिक्रमण के विवरण

(₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का नाम	अतिरिक्त ऋण	कुल उच्चतम ऋण	अतिरिक्त ऋण का %	कुल ऋण का %
------------------------	-----------------	शून्य	--------------------	--------------------

7.5 बेजमानती अग्रिम

कुल बेजमानती अग्रिमों में से, अधिकार, लाइसेन्स, अथारिटी आदि अगोचर प्रतिभूतियों से रक्षित अग्रिम जहाँ परियोजनाओं के संबंध में इन्हें बैंक के पक्ष में संपार्श्विक के रूप में प्रभारित किया गया है, शून्य है। ऐसे संपार्श्विक अगोचर प्रतिभूतियों का अनुमानित कुल मूल्य 'शून्य' है।

7.6 वर्ष के दौरान आय कर के लिए प्रावधान :

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2017-18
कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित आय कर)	-37.74	-182.57

31.03.2019 को अदा की गई विवादित आयकर मांग ₹ 4348.52 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 3286.77 करोड़) थी। 31.03.2019 तक आकस्मिक देयताओं की राशि ₹ 5704.41 करोड में भी विवादित आयकर मामलों से संबंधित उक्त राशि को शामिल किया गया है (विगत वर्ष में ₹ 4031.84 करोड़)। न्यायिक उद्घोषणाओं तथा बैंकों के स्वीय वादों में अनुकूल निर्णयों के कारण कथित विवादित मांगों पर कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया।

8 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दण्डों का प्रकटीकरण :

वर्ष के दौरान भारिबैंक ने कमियों, गंदे नोटों के प्रेषण में जालसाजी तथा मुद्रा कोष परिचालन द्वारा आईसीसीओएमएस में विलंबित / गलत रिपोर्टिंग / भारिबैंक के दिशा–निर्देशों का अननुपालन के लिए ₹ 9.07 लाख (114 प्रविष्टियाँ) (पिछले 2017–18 को समाप्त वर्ष के लिए ₹9.88 लाख – 84 प्रविष्टियाँ) की राशि का जुर्माना लगाया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने ''स्विफ्ट का समयबद्ध कार्यान्वयन करना एवं सुदृढ़ बनाना – परिचालन नियंत्रण संबंधी'' के बारे में भारिबैंक परिपत्र डीबीएस०(सीओ)०सीएसआईटीई/4493/31.01.015/2017–18 दिनांक 20.02.2018 द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अननुपालन के लिए बैंक पर ₹ 40 मिलियन का जुर्माना लगाया गया। बैंक ने भारिबैंक के निर्देशों के अनुसार जुर्माना का भुगतान किया है। उपरोक्त पर निदेशक मंडल के लिए एक विस्तृत नोट रखा गया है। स्विफ्ट से संबंधित परिचालन नियंत्रणों पर सभी भारिबैंक निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

बैंक में साइबर सुरक्षा ढांचे पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 02 जून 2016 एवं मास्टर दिशा–निर्देश दिनांक 01 जुलाई 2016 के उल्लंघन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये 1 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना भी लगाया है और बैंक द्वारा उसका भुगतान किया गया है।

8.1 अचल आस्तियाँ

8.1.1 बैंक के परिसर में भूमि शामिल है और इसे पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया गया है। वर्ष 2018–19 के दौरान बैंक ने अपने परिसर का पुनर्मूल्यांकन अनुमोदित बाह्य मूल्यांककों द्वारा निर्धारित उचित बाजार मूल्य पर किया। परिसर के पुनर्मूल्यांकन की राशि में ₹ 555.14 करोड़ की वृद्धि हुई है, जिसे पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि खाते में जमा किया गया है। वर्ष 2018–19 के लिए ₹ 84.34 करोड़ का मूल्यह्रास (विगत वर्ष में ₹ 82.08 करोड़) व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रभारित किया गया और ''पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि खाते' में पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यह्रास ₹ 81.55 करोड (विगत वर्ष में ₹78.98 करोड़) का समायोजन ''पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि'' खाते से किया गया है। एएस 10 मानक के अनुसार, वर्ष 2018–19 के लिए व्यय के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए ₹ 81.55 करोड़ की राशि प्रभारित की गई। इसका समायोजन पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियों के साथ राजस्व आरक्षित निधि खाते में जमा किया गया।

7.3 Risk Category-wise Country Exposure

(Amount ₹ in crore)

Risk category**	Exposure (Net) as at 31.03.2019	Provision held as at 31.03.2019	Exposure (Net) as at 31.03.2018	Provision held as at 31.03.2018
Insignificant	8085.75	4.32	5278.04	3.07
Low	3545.75		3179.59	
Moderate	135.98		384.20	
High	0.00		0.00	
Very High	0.00		0.00	
Restricted	0.00		0.00	
Off-credit	0.00		0.00	
Total	**11767.48**	**4.32**	**8841.83**	**3.07**

**As per the updated country risk classification by the ECGC as on 31.03.2019

COUNTRY RISK MANAGEMENT:

The Bank has analyzed its net funded exposure to various countries as on 31.03.2019 and such exposure to countries other than Singapore is well within the stipulation of 1% of the total assets of the Bank. In respect of Singapore, which is classified under "Insignificant" risk category by ECGC Ltd, a provision of ₹ 4.32 Cr (Previous year ₹ 3.07 Cr for 'Insignificant' risk category) is available.

7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) if any, exceeded by the Bank

(Amount ₹ in crore)

Borrower Name	Additional Exposure	Total Highest Exposure	Percentage of additional exposure	Percentage of Total Exposure
------------------------	-----------------	NIL	--------------------	--------------------

7.5 Unsecured Advances

Out of the total unsecured advances, advances secured by intangible securities such as rights, licenses, authority, etc. charged to the bank as collateral in respect of projects (including infrastructure projects) is NIL. Estimated total value of such intangible collateral is NIL

7.6 Provision for Income Tax for the year

(Amount ₹ in crore)

	2018-19	2017-18
Provision for Taxation (IncomeTax including Deferred Tax)	-37.74	-182.57

The disputed income tax demand paid as at 31.03.2019 was ₹ 4348.52 Crores (previous year ₹ 3286.77 Crores). The same has also been included under contingent liabilities of ₹ 5704.41 Crores (previous year ₹ 4031.84 Crores) relating to disputed tax matters as at 31.03.2019. No provision is considered necessary for the said disputed demands on account of judicial pronouncements and favorable decisions in Banks' own case.

8 Disclosure of Penalties imposed by RBI

During the year RBI has imposed penalty of ₹ 9.07 lakhs (114 entries) (Previous Year ending 2017-18 ₹ 9.88 lakhs - 84 entries) for shortages, forgeries in soiled notes remittances and delayed / wrong reporting in ICCOMS / non adherence to RBI guidelines by the currency Chest operations.

Reserve Bank of India imposed a penalty of ₹ 4 Crore on the Bank for non-compliance of directions issued vide RBI circular DBS.(CO).CSITE/4493/31.01.015/2017-18 dated 20.02.2018 on "Time bound Implementation & strengthening of SWIFT – related operstional controls". The Bank has paid the penalty in line with RBI directions. A detailed note has been placed to the board of Directors on the above. ALL RBI directions on SWIFT related operational controls have been complied with.

RBI has also imposed monetary penalty of Rs 1 cr. for contravention of Circular on Cyber Security Framework in banks dated June 02, 2016 and Master Directions dated July 01, 2016 issued by RBI and Bank has paid the same.

8.1 Fixed Assets

8.1.1 The premises of the Bank include land and are stated at revalued amount. The Bank revalued its premises in the financial year 2018-19 at fair market value determined by the approved external valuers. There is an increase of ₹ 555.14 Crore in the amount of revaluation of premises, which has been credited to "Revaluation Reserve Account". For the year 2018-19, depreciation amounting to ₹ 85.34 crores (Previous Year ₹ 82.08 crore) was charged under expenditure and depreciation on revalued portion amounting to ₹ 81.55 Crore (previous year ₹ 78.98 crore) is adjusted against the "Revaluation Reserve account'. As per AS 10 Standard, depreciation on revalued assets amounting to ₹ 81.55 crores was also charged under expenditure for the year 2018-19. The same was adjusted against Revaluation Reserve to the credit of Revenue Reserve A/c.

8.1.2 परिसर में ₹ 3.59 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 3.59 करोड़ मूल्य की 4 संपत्तियाँ) मूल्य की 4 संपत्तियाँ हैं जिनका बही मूल्य, मूल्यह्रास को घटाने के बाद ₹ 49.22 करोड़ (विगत वर्ष ₹52.28 करोड़) है, जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया लंबित है।

9. लेखा मानकों (एएस) के अनुसार प्रकटीकरण :

9.1 नकदी प्रवाह विवरण (एएस 3)

मार्च 31, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण	
	31-03-2019 को समाप्त वर्ष
	(₹ 000 में)
लाभ व हानि खाते के अनुसार निवल लाभ	**3219519**
निम्नलिखित हेतु समायोजन :	
प्रावधान व आकस्मिकताएं	45586640
मूल्यह्रास	2589654
जमीन और इमारतों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	15110
भुगतान किए गए आय कर	(6990000)
कार्यशील पूँजी परिवर्तनों के पूर्व परिचालनगत लाभ	**44420923**
परिचालनगत आस्तियों में वृद्धि / कमी	
निवेशों में वृद्धि/(कमी)	(64055923)
अग्रिमों में वृद्धि/(कमी)	246929838
अन्य आस्तियों में वृद्धि/(कमी)	7274087
	(190148002)
परिचालनगत देयताओं में वृद्धि / कमी	
जमाओं में वृद्धि	337817251
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(42454097)
	295363154
परिचालन (ए) से सृजित निवल नकदी	**149636075**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	
अचल आस्तियों की खरीद	(2563497)
अचल आस्तियों की बिक्री	79616
निवेश गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (बी)	**(2483881)**
वित्तपोषण गतिविधियों से कुल नकदी प्रवाह	
लाभांश का भुगतान	0
वितरण कर का भुगतान	0
उधार में वृद्धि/(कमी)	(76226278)
वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (सी)	**(76226278)**
नकदी और नकदी समकरणों में निवल वृद्धि/(कमी) (ए) + (बी) + (सी)	70925916
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी तुल्य	
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	4996962
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष	100019040
बैंकों में शेष	
(ए) चालू खातों में	150145
(बी) अन्य जमा खातों में	6352354
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	
भारत के बाहर बैंकों में शेष	
(ए) चालू खातों में	1663853
(बी) अन्य जमा खातों में	16090078
मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	5449
	129277881

8.1.2 Premises include 4 properties costing ₹ 3.59 crores (Previous year 4 properties costing ₹ 3.59 crores) having revalued book value, net of depreciation at ₹ 49.22 Crore (Previous year ₹ 52.28 crore) for which registration formalities are pending.

9. DISCLOSURES IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS):

9.1 Cash Flow Statement (AS 3) :

Cash Flow statement for the year ended March 31, 2019	
	Year ended 31.03.2019
	(₹ in '000)
Net Profit as per Profit and Loss Account	**3219519**
Adjustments for :	
Provisions and Contingencies	45586640
Depreciation	2589654
Loss/(profit) on sale of land and buildings	15110
Income taxes paid	(6990000)
Operating Profit before working Capital Changes	**44420923**
Increase/Decrease in Operating Assets	
Increase / (Decrease) in Investments	(64055923)
Increase/(Decrease) in advances	246929838
Increase / (Decrease) in other assets	7274087
	(190148002)
Increase/Decrease in Operating Liabilities	
Increase in Deposits	337817251
Increase/(Decrease) in other liabilities	(42454097)
	295363154
Net cash generated from operations (A)	**149636075**
Cash flow from investing activities	
Purchase of fixed assets	(2563497)
Sale of fixed assets	79616
Net cash generated from Investing Activities (B)	**(2483881)**
Cash flow from Financing activities	
Payment of dividend	0
Payment of distribution tax	0
Increase/(decrease) in borrowings	(76226278)
Net cash generated from financing activities (C)	**(76226278)**
Net increase/(Decrease) in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	**70925916**
cash and cash equivalents at the beginning of the year	
cash in hand (including foreign currency notes)	4996962
Balances with Reserve Bank of India - in current Account	100019040
Balances with Banks	
(a) in current Accounts	150145
(b) in other deposit accounts	6352354
Money at Call and short notice with Banks	
Balances with Banks outside India	
(a) in current Accounts	1663853
(b) in other deposit accounts	16090078
Money at call and short notice	5449
	129277881

	31-03-2019 को समाप्त वर्ष
	(₹ 000 में)
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी तुल्य	
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	10307547
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष	106711096
बैंकों में शेष	
(ए) चालू खातों में	28027
(बी) अन्य जमा खातों में	7114575
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	22000000
भारत के बाहर बैंकों में शेष	
(ए) चालू खातों में	2036553
(बी) अन्य जमा खातों में	51684718
मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	321281
	200203797

9.2 परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (एएस – 10)

लेखाकरण मानक (एएस–10) में हुए परिवर्तन के अनुपालन में वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया गया है जबकि विगत वित्तीय वर्षों के दौरान इन्हें पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि के विरुद्ध किया गया था। इसके परिणामस्वरूप व्यय में 81.55 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई और निवल लाभ में 81.55 करोड़ की घटौती हुई।

9.3 स्टाफ को लाभ (एएस 15)

9.3.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ :

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान बैंक ने ₹ 0.70 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.81 करोड़) का अंशदान दिया है।

नई पेंशन योजना (एनपीएस) उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी बैंक में भर्ती 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व–निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, बैंक ने ₹ 49.71 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 45.95 करोड़) का अंशदान दिया है।

9.3.2 परिभाषित लाभ योजनाएं:

लेखा मानक–15 (संशोधित) के अनुसरण में अपेक्षित लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र में मान्यता दिए गए नियोजनोत्तर लाभ और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की संक्षेप में स्थिति निम्नानुसार है :–

निम्न तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्याकंन के अनुसार परिभाषित लाभ पेंशन योजना और उपदान योजना का आधार निर्धारित करता है।

I. मूल बीमांकक अनुमान (भारित औसतों के रूप में व्यक्त)	**31.03.2019**	**31.03.2018**
बट्टे की दर–जी सेक रेट	पेंशन के लिए 7.79% – 15 वर्ष जी–सेक पेपर उपदान के लिए 7.47:– 10 वर्ष जी–सेक पेपर	पेंशन के लिए 7.78%–15 वर्ष जी–सेक पेपर उपदान के लिए 7.56%–10 वर्ष जी–सेक पेपर
वेतन बढोत्तरी की दर	6.00% (वेतन संशोधन हेतु 0.50% सहित)	6.00% (वेतन संशोधन हेतु 0.50% सहित)
पदत्याग की दर	पेन्शन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%	पेन्शन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर*	8.26% पेंशन के लिए और 8.23% उपदान के लिए	8.25% पेंशन के लिए और 7.60% उपदान के लिए
प्रयुक्त तरीका	परियोजना इकाई जमा (पीयूसी) बीमांकिक तरीका	

* योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर, छुट्टी भुनाई पर लागू नहीं होगी।

भविष्य में होनेवाली वेतन बढोत्तरी का आकलन, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और नियोजन बाज़ार में आपूर्ति और मांग जैसे संगत तत्वों को हिसाब में लेते हुए और आईबीए द्वारा संसूचित अधिवर्षिता योजनाओं के निधीयन के दिशानिर्देश के अनुरूप किया जाता है। इस तरह के अनुमान बहुत दीर्घकालिक हैं और सीमित अतीत के अनुभव / तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है।

छुट्टी भुनाई की देयताएँ गैर–निधिक होते हैं।

	Year ended 31.03.2019
	(₹ in '000)
Cash & Cash equivalents at the end of the year	
cash in hand (including foreign currency notes)	10307547
Balances with Reserve Bank of India - in current Account	106711096
Balances with Banks	
(a) in current Accounts	28027
(b) in other deposit accounts	7114575
Money at Call and short notice with Banks	22000000
Balances with Banks outside India	
(a) in current Accounts	2036553
(b) in other deposit accounts	51684718
Money at call and short notice	321281
	200203797

9.2 Property, Plant and Equipment (AS-10)

During the year, the depreciation on revalued portion of the fixed assets is charged to profit and loss account as against charge to revaluation reserves during the previous financial years to comply with the change in Accounting Standard (AS-10). This has the effect of increase in the expenses by ₹ 81.55 crore and lowering the net profit by ₹ 81.55 crore.

9.3 EMPLOYEE BENEFITS (AS 15)

9.3.1 Defined Contribution Plans:

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust. During the financial year 2018-19, the Bank has contributed ₹ 0.70 crores (previous year ₹ 0.81 crore).

New Pension Scheme (NPS) is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account. During the financial year 2018-19, the Bank has contributed ₹ 49.71 crores (previous year ₹ 45.95 crores).

9.3.2 Defined Benefit Plans:

The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognised in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard -15 (Revised) are as under:

The following table sets out the basis of the Defined Benefit Pension Plan and Gratuity Plan as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank

I. PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS [Expressed as weighted averages]	**31/03/2019**	**31/03/2018**
Discount Rate -G-Sec Rate	7.79% for Pension - 15 year G-Sec Paper 7.47% for Gratuity - 10 year G-Sec Paper	7.78% for Pension - 15 year G-Sec Paper 7.56% for Gratuity - 10 year G-Sec Paper
Salary escalation rate	6.00% (includes 0.50% for wage revision)	6.00% (includes 0.50% for wage revision)
Attrition rate	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees
Expected rate of return on Plan Assets *	8.26% for Pension and 8.23% for Gratuity	8.25% for Pension and 7.60% for Gratuity
Method used	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method	

* Expected Rate of return on Plan Assets not applicable for Leave encashment.

The estimates of future salary increases are considered taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market and in tandem with Funding Guidelines for Superannuation Schemes communicated by IBA. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible.

The liabilities of leave encashment are unfunded.

चालू वर्ष 2018–19

(₹ करोड़ में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	**6245.89**	**964.99**	**179.51**
ब्याज लागत	462.66	66.44	13.20
वर्तमान सेवा लागत	89.58	41.29	22.40
विगत सेवा लागत – पहचानी गई / निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – न पहचानी गई /अनिहित लाभ	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(613.46)	(150.98)	(19.32)
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ) (संतुलन आंकडा)	(335.65)	(2.11)	7.58
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	**6520.32**	**923.85**	**188.21**

पिछले वर्ष 2017–18

(₹ करोड़ में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	**5925.15**	**900.90**	**171.21**
ब्याज लागत	109.62	66.08	12.72
वर्तमान सेवा लागत	84.68	64.85	20.92
विगत सेवा लागत – पहचानी गई / निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – न पहचानी गई /अनिहित लाभ	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(577.96)	(103.05)	(15.18)
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)(संतुलन आंकडा)	(704.39)	(36.20)	(10.18)
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	**6245.89**	**964.99**	**179.51**

चालू वर्ष 2018–19

(₹ करोड़ में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**6146.80**	**932.55**	**0.00**
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	496.59	71.94	0.00
अंशदान	397.58	57.53	19.32
प्रदत्त लाभ	(613.46)	(150.98)	(19.32)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)(संतुलन आंकडा)	(8.58)	(0.38)	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**6418.93**	**910.66**	**0.00**

Current Year 2018-19

(Amount ₹ in crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
PVO as at the beginning of the year	**6245.89**	**964.99**	**179.51**
Interest Cost	462.66	66.44	13.20
Current service cost	89.58	41.29	22.40
Past service cost – recognized / vested benefits	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognized / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	(613.46)	(150.98)	(19.32)
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	(335.65)	(2.11)	7.58
PVO as at the end of the year	**6520.32**	**923.85**	**188.21**

Previous year 2017-18

(Amount ₹ in crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
PVO as at the beginning of the year	**5925.15**	**900.90**	**171.21**
Interest Cost	109.62	66.08	12.72
Current service cost	84.68	64.85	20.92
Past service cost – recognized / vested benefits	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognized / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	(577.96)	(103.05)	(15.18)
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	(704.39)	(36.20)	(10.18)
PVO as at the end of the year	**6245.89**	**964.99**	**179.51**

Current Year 2018-19

(Amount ₹ in crore)

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	**6146.80**	**932.55**	**0.00**
Expected return on plan assets	496.59	71.94	0.00
Contributions	397.58	57.53	19.32
Benefits paid	(613.46)	(150.98)	(19.32)
Actuarial gain/(loss) on plan assets [balancing figure]	(8.58)	(0.38)	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	**6418.93**	**910.66**	**0.00**

पिछले वर्ष 2017–18

(₹ करोड़ में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**5841.36**	**876.81**	**0.00**
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	470.86	70.25	0.00
अंशदान	401.61	66.42	15.18
प्रदत्त लाभ	(577.96)	(103.05)	(15.18)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)(संतुलन आंकडा)	10.93	22.12	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**6146.80**	**932.55**	**0.00**

चालू वर्ष 2018–19

(₹ करोड़ में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	496.59	71.94	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(8.58)	(0.38)	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	488.01	71.56	0.00

पिछले वर्ष 2017–18

(₹ करोड़ में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	470.86	70.25	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	10.93	22.12	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	481.79	92.37	0.00

चालू वर्ष 2018–19

(₹ करोड़ में)

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – बाध्यता	(335.65)	(2.11)	7.58
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)–योजना आस्तियां	(8.58)	(0.38)	0.00
वर्ष के लिए कुल (लाभ) / हानि	(344.23)	(2.49)	7.58
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकिक (लाभ)/हानि	**(344.23)**	**(2.49)**	**7.58**
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00	22.40

Previous year 2017-18

(Amount ₹ in crore)

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	**5841.36**	**876.81**	**0.00**
Expected return on plan assets	470.86	70.25	0.00
Contributions	401.61	66.42	15.18
Benefits paid	(577.96)	(103.05)	(15.18)
Actuarial gain/(loss) on plan assets [balancing figure]	10.93	22.12	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	**6146.80**	**932.55**	**0.00**

Current Year 2018-19

(Amount ₹ in crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Expected return on plan assets	496.59	71.94	0.00
Actuarial gain/ (loss) on plan assets	(8.58)	(0.38)	0.00
Actual return on plan assets	488.01	71.56	0.00

Current Year 2017-18

(Amount ₹ in crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Expected return on plan assets	470.86	70.25	0.00
Actuarial gain/ (loss) on plan assets	10.93	22.12	0.00
Actual return on plan assets	481.79	92.37	0.00

Current Year 2018-19

(Amount ₹ in crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNIZED	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Actuarial gain/(loss) for the year - Obligation	(335.65)	(2.11)	7.58
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	(8.58)	(0.38)	0.00
Total gain / (loss) for the year	(344.23)	(2.49)	7.58
Actuarial gain /(loss) recognized in the year	**(344.23)**	**(2.49)**	**7.58**
Unrecognized actuarial gain /(loss) at the end of the year	0.00	0.00	22.40

पिछले वर्ष 2017–18

(₹ करोड़ में)

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – बाध्यता	(704.39)	(36.20)	10.18
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)–योजना आस्तियां	10.93	22.12	0.00
वर्ष के लिए कुल (लाभ) / हानि	(693.47)	(14.09)	10.18
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकिक (लाभ)/हानि	**(693.47)**	**(14.09)**	**10.18**
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00	20.92

चालू वर्ष 2018–19

(₹ करोड़ में)

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	**6520.32**	**923.85**	**188.21**
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	6418.93	910.66	0.00
अन्तर – निवल (देयता)/तुलन पत्र में पहचानी गई आस्ति	(101.39)	(13.19)	(188.21)
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी देयता	**(101.39)**	**(13.19)**	**(188.21)**

पिछले वर्ष 2017–18

(₹ करोड़ में)

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	**6245.89**	**964.99**	**179.51**
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	6146.80	932.55	0.00
अन्तर – तुलन पत्र में पहचानी गई निवल (देयता)/ आस्ति	(99.09)	(32.44)	(179.51)
पहचानी न गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
पहचानी न गयी विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी देयता	**(99.09)**	**(32.44)**	**(179.51)**

चालू वर्ष 2018–19

(₹ करोड़ में)

VII. लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्तमान सेवा लागत	**89.58**	**41.29**	**22.40**
ब्याज लागत	462.66	66.44	13.20
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(496.58)	(71.94)	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	(344.23)	(2.49)	7.58
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचानी गई	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	**(399.89)**	**(38.28)**	**(28.02)**

Previous Year 2017-18

(Amount ₹ in crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNIZED	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Actuarial gain/(loss) for the year - Obligation	(704.39)	(36.20)	10.18
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	10.93	22.12	0.00
Total gain / (loss) for the year	(693.47)	(14.09)	10.18
Actuarial gain /(loss) recognized in the year	**(693.47)**	**(14.09)**	**10.18**
Unrecognized actuarial gain /(loss) at the end of the year	0.00	0.00	20.92

Current Year 2018-19

(Amount ₹ in crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present value of the obligation	**6520.32**	**923.85**	**188.21**
Fair value of plan assets	6418.93	910.66	0.00
Difference - Net (Liability) / Asset recognized in Balance Sheet	(101.39)	(13.19)	(188.21)
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00
Liability recognized in the balance sheet	**(101.39)**	**(13.19)**	**(188.21)**

Previous Year 2017-18

(Amount ₹ in crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present value of the obligation	**6245.89**	**964.99**	**179.51**
Fair value of plan assets	6146.80	932.55	0.00
Difference - Net (Liability) / Asset recognized in Balance Sheet	(99.09)	(32.44)	(179.51)
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00
Liability recognized in the balance sheet	**(99.09)**	**(32.44)**	**(179.51)**

Current Year 2018-19

(Amount ₹ in crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Current service cost	**89.58**	**41.29**	**22.40**
Interest Cost	462.66	66.44	13.20
Expected return on plan assets	(496.58)	(71.94)	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	(344.23)	(2.49)	7.58
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	0.00	0.00	0.00
Expenses recognized in the statement of profit and loss	**(399.89)**	**(38.28)**	**(28.02)**

पिछले वर्ष 2017–18

(₹ करोड़ में)

VII. लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्तमान सेवा लागत	84.68	64.85	20.92
ब्याज लागत	109.62	66.08	12.73
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(470.86)	(70.25)	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	693.47	14.09	(10.18)
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचानी गई	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	**416.91**	**74.76**	**23.47**

चालू वर्ष 2018–19

(₹ करोड़ में)

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
निवल देयता का आरंभिक शेष	(99.08)	(32.44)	(179.51)
उपर्युक्तानुसार व्यय	(399.89)	(38.28)	(28.02)
प्रदत्त अंशदान	397.58	57.53	19.32
निवल देयता का अंत शेष	**(101.39)**	**(13.19)**	**(188.21)**

पिछले वर्ष 2017–18

(₹ करोड़ में)

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
निवल देयता का आरंभ शेष	83.79	24.09	171.21
उपर्युक्तानुसार व्यय	416.91	74.76	23.47
प्रदत्त अंशदान	(401.61)	(66.42)	(15.18)
निवल देयता का अंत शेष	**(99.09)**	**(32.44)**	**(179.51)**

(₹ करोड़ में)

IX. (i) चालू वर्ष 2018–19	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	6520.32	923.85	188.21
योजना आस्तियां	6418.93	910.66	0.00
अधिशेष (घाटा)	(101.39)	(13.19)	(188.21)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि/लाभ)	(335.65)	(2.11)	7.58
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन (हानि/लाभ)	(8.58)	(0.38)	0.00

Previous Year 2017-18

(Amount ₹ in crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Current service cost	84.68	64.85	20.92
Interest Cost	109.62	66.08	12.73
Expected return on plan assets	(470.86)	(70.25)	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	693.47	14.09	(10.18)
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	0.00	0.00	0.00
Expenses recognized in the statement of profit and loss	**416.91**	**74.76**	**23.47**

Current Year 2018-19

(Amount ₹ in crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Opening net liability	(99.08)	(32.44)	(179.51)
Expense as above	(399.89)	(38.28)	(28.02)
Contribution paid	397.58	57.53	19.32
Closing net liability	**(101.39)**	**(13.19)**	**(188.21)**

Previous Year 2017-18

(Amount ₹ in crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Opening net liability	83.79	24.09	171.21
Expense as above	416.91	74.76	23.47
Contribution paid	(401.61)	(66.42)	(15.18)
Closing net liability	**99.09**	**32.44**	**179.51**

(Amount ₹ in crore)

IX. (i) Current Year 2018-19	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present Value of obligation	6520.32	923.85	188.21
Plan Assets	6418.93	910.66	0.00
Surplus/ (Deficit)	(101.39)	(13.19)	(188.21)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	(335.65)	(2.11)	7.58
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	(8.58)	(0.38)	0.00

(₹ करोड़ में)

IX. (ii) पिछले वर्ष 2015–18 पेंशन	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	वर्ष 31.03.2018 को समाप्त वर्ष
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	5306.22	5608.14	5925.15	6245.89
योजना आस्तियां	5215.05	5508.95	5841.36	6146.80
अधिशेष (घाटा)	(91.17)	(99.19)	(83.79)	(99.09)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि/लाभ)	(305.93)	(384.40)	(626.82)	(704.39)
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन (हानि/लाभ)	13.13	(7.61)	27.73	10.93

(₹ करोड़ में)

IX. (iii) पिछले वर्ष 2015–18 उपदान	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	वर्ष 31.03.2018 को समाप्त वर्ष
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	844.78	831.94	900.90	964.99
योजना आस्तियां	835.47	829.38	876.81	932.55
अधिशेष (घाटा)	(9.31)	(2.56)	(24.09)	(32.44)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि/लाभ)	21.09	(24.20)	(87.34)	(36.20)
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन (हानि/लाभ)	10.61	(1.66)	(1.36)	22.12

(₹ करोड़ में)

IX. (iii) पिछले वर्ष 2015–18 छुट्टी भुनाई	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	वर्ष 31.03.2018 को समाप्त वर्ष
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	154.58	161.63	171.21	179.51
योजना आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिशेष (घाटा)	(154.58)	(161.63)	(171.21)	(179.51)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि/लाभ)	(8.15)	(100.37)	(3.01)	10.18
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन (हानि/लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

X. योजना आस्तियों के मुख्य संवर्ग (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत में)	पेंशन निधि	उपदान निधि	पेंशन निधि	उपदान निधि
	2018-19		2017-18	
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ और राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	63	44	37.96	11.04
उच्च गुणवत्तावाले कार्पोरेट बांड	-	-	0.00	0.00
विशेष जमा योजना	-	-	0.00	0.00
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	37	56	62.04	88.96
निजी क्षेत्र के बॉण्ड	-	-	0.00	0.00
मनी मार्केट	-	-	0.00	0.00
कुल	100.00	100.00	100.00	100.00

(Amount ₹ in crore)

IX. (ii) Previous Years 2015-18 Pension	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2017	Year ended 31.03.2018
Present Value of obligation	5306.22	5608.14	5925.15	6245.89
Plan Assets	5215.05	5508.95	5841.36	6146.80
Surplus /(Deficit)	(91.17)	(99.19)	(83.79)	(99.09)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	(305.93)	(384.40)	(626.82)	(704.39)
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	13.13	(7.61)	27.73	10.93

(Amount ₹ in crore)

IX. (iii) Previous Years 2015-18 Gratuity	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2017	Year ended 31.03.2018
Present Value of obligation	844.78	831.94	900.90	964.99
Plan Assets	835.47	829.38	876.81	932.55
Surplus /(Deficit)	(9.31)	(2.56)	(24.09)	(32.44)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	21.09	(24.20)	(87.34)	(36.20)
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	10.61	(1.66)	(1.36)	22.12

(Amount ₹ in crore)

IX. (iii) Previous Years 2015-18 Leave Encashment	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2017	Year ended 31.03.2018
Present Value of obligation	154.58	161.63	171.21	179.51
Plan Assets	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus /(Deficit)	(154.58)	(161.63)	(171.21)	(179.51)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	(8.15)	(100.37)	(3.01)	10.18
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	0.00	0.00	0.00	0.00

(Amount ₹ in crore)

X. MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	Pension Fund	Gratuity Fund	Pension Fund	Gratuity Fund
	2018-19		2017-18	
Government of India Securities	-	-	-	-
State Government Securities	-	-	-	-
Government of India Securities and State Government Securities	63	44	37.96	11.04
High Quality Corporate Bonds	-	-	0.00	0.00
Special Deposit Scheme	-	-	0.00	0.00
Funds managed by Insurer	37	56	62.04	88.96
Private Sector Bonds	-	-	0.00	0.00
Money Market	-	-	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00

(₹ करोड़ में)

XI. अगले वर्ष के दौरान अंशदान	पेंशन निधि	उपदान राशि	अर्जित छुट्टी
अगले वर्ष के दौरान अंशदान पर उद्यम का सर्वोच्च अनुमान	400.00	80.00	10.00

9.3.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के लिए ₹2.19 करोड़ की राशि (गत वर्ष ₹ 1.74 करोड़) का प्रावधान किया गया है तथा इसे लाभ एवं हानि लेखे में "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों हेतु बनाए गए प्रावधान / (अवलिखित) अतिरिक्त प्रावधानों का विवरणः

(₹ करोड़ में)

सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ	31.03.2019	31.03.2018
1	बीमारी छुट्टी	1.81	0.62
2	आकस्मिक छुट्टी	0.02	0.11
3	छुट्टी यात्रा रियायत	0.36	0.01
	कुल	**2.19**	**1.74**

नोटः

शामिल प्रकटीकरण, बीमांकक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की सीमा तक सीमित है।

(Amount ₹ in crore)

XI. CONTRIBUTION DURING NEXT YEAR	Pension Fund	Gratuity Fund	Earned Leave
Enterprises best estimate of contribution during next year	400.00	80.00	10.00

9.3.3 Other Long Term Employee Benefits

Amount of ₹ 2.19 crore (previous year ₹ 1.74 crore) has been provided towards Long Term Employee Benefits as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank and is included under the head "Payments to and Provisions for Employees" in Profit and Loss Account.

Details of additional Provisions made / (written back) for various long Term Employee Benefits during the year:

(Amount ₹ in crore)

No.	Long Term Employee Benefits	31/03/2019	31/03/2018
1.	Sick Leave	1.81	0.62
2.	Casual Leave	0.02	0.11
3.	Leave Travel Concession	0.36	0.01
	Total	**2.19**	**1.74**

Note:

Disclosures included are limited to the extent of information provided by the Actuary.

9.4 खंड परिणाम (एएस 17) (₹ करोड़ में)

भाग ए व्यापार खण्ड	ट्रेशरी		कार्पोरेट/थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
राजस्व	5439.37	6124.28	7334.63	6782.64	8087.58	6438.03	206.11	174.53	21067.700	19519.48
परिणाम	1552.29	2345.75	1552.19	1309.94	1627.37	1215.90	148.75	129.40	4880.61	5000.99
अनाबंटित व्यय									4596.40	3924.57
परिचालनगत लाभ									284.21	1076.42
अल्प संख्यक के हित									0.00	0.00
अन्य गैर आबंटनीय आय									0.00	0.00
आयकर									-37.74	-182.57
अपवाद स्वरूप मदें										
निवल लाभ									321.95	1258.99
अन्य जानकारी										
खण्डीय आस्तियां	76752.91	77679.32	95302.07	91072.97	109944.91	85836.87	0.00	0.00	281999.89	254589.16
अनाबंटित आस्तियां									-1934.62	-1873.34
कुल आस्तियां									**280065.27**	**252715.82**
खण्डीय देयताएं	68165.37	72493.91	88084.96	82098.64	101796.48	77188.96	0.00	0.00	258046.81	231781.51
अनाबंटित देयताएं									2629.77	2485.89
पूंजी, आरक्षितियाँ और अधिशेष									19388.69	18448.42
कुल देयताएं									**280065.27**	**252715.82**

	भाग बी – भौगोलिक खण्ड					
	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	2018-19	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**
राजस्व	20640.51	19215.19	427.19	304.29	21067.70	19519.48
आस्तियां	269464.45	243597.99	10600.82	9117.83	280065.27	252715.82

जहां प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं है, खण्डीय राजस्व एवं व्ययों को खण्डीय आस्तियों के आधार पर प्रभाजित किया गया है। जहाँ आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आँकडों को पुनर्समूहित किया गया।

9.4 SEGMENT REPORTING (AS 17)

(Amount ₹ in crore)

Part A Business Segments	Treasury		Corporate/ Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking operations		Total	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
Revenue	5439.37	6124.28	7334.63	6782.64	8087.58	6438.03	206.11	174.53	21067.700	19519.48
Result	1552.29	2345.75	1552.19	1309.94	1627.37	1215.90	148.75	129.40	4880.61	5000.99
Unallocated expenses									4596.40	3924.57
Operating Profit									284.21	1076.42
Minority Interest									0.00	0.00
Other unallocable income									0.00	0.00
Income Taxes									-37.74	-182.57
Exceptional Item										
Net Profit									321.95	1258.99
Other information										
Segment Assets	76752.91	77679.32	95302.07	91072.97	109944.91	85836.87	0.00	0.00	281999.89	254589.16
Unallocated assets									-1934.62	-1873.34
Total assets									**280065.27**	**252715.82**
Segment Liabilities	68165.37	72493.91	88084.96	82098.64	101796.48	77188.96	0.00	0.00	258046.81	231781.51
Unallocated liabilities									2629.77	2485.89
Capital, Reserves & Surplus									19388.69	18448.42
Total liabilities									**280065.27**	**252715.82**

	Part B Geographic Segments					
	Domestic		**International**		**Total**	
	2018-19	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**
Revenue	20640.51	19215.19	427.19	304.29	21067.70	19519.48
Assets	269464.45	243597.99	10600.82	9117.83	280065.27	252715.82

Segment Revenue and expenses have been apportioned on the basis of segment assets, wherever direct allocation is not possible. Previous year figures were re-grouped wherever necessary.

9.5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (ए एस 18)

संबद्ध पक्षों के नाम तथा बैंक के साथ उनके संबंध

ए) अनुषंगियां:

i. इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड

ii. इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

बी) सहयोगी: (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)

i. पल्लवन ग्राम बैंक

ii. सप्तगिरि ग्रामीण बैंक

iii. पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक

सी) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री किशोर खरात	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (13.08.2018 तक)
सुश्री पद्मजा चुन्डूरु	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (21.09.2018 के प्रभाव से)
श्री ए एस राजीव	कार्यपालक निदेशक (30.11.2018 तक)
श्री एम के भट्टाचार्य	कार्यपालक निदेशक (18.02.2017 के प्रभाव से)
श्री शेणॉय विश्वनाथ वी	कार्यपालक निदेशक (01.12.2018 के प्रभाव से)

डी. गैर कार्यपालक निदेशकों की शेयर धारिता :

क्रमांक	गैर कार्यपालक निदेशक का नाम	धारित ईक्विटी शेयरों की संख्या
1.	श्री विनोद कुमार नागर	107
2.	श्री भरत कृष्ण शंकर	200
	कुल	**307**

संबंधित पार्टी लेनदेन निम्नलिखित है :

ए. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को वर्ष के दौरान 81.99 लाख रुपये पारिश्रमिक का भुगतान किया गया (गत वर्ष 80.25 लाख रुपए)

	2018-19	**2017-18**
श्री महेश कुमार जैन, प्रनि एवं मुकाअ प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2017 से 03.04.2017)	₹0.00 लाख	₹0.37 लाख
श्री किशोर खरात प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2018 से 13.08.2018)	₹11.45 लाख	₹29.55 लाख
सुश्री पद्मजा चुन्डूरु प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (21.09.2018 से 31.03.2019)	₹17.11 लाख	शून्य
श्री ए एस राजीव, का नि प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2018 से 30.11.2018)	₹18.54 लाख	₹25.75 लाख
श्री एम के भट्टाचार्य, का नि प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2018 से 31.03.2019)	₹26.32 लाख	₹24.58 लाख
श्री शेणॉय विश्वनाथ वी, का नि प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.12.2018 से 31.03.2019)	₹8.57 लाख	शून्य

पार्टियां, जिनके साथ वर्ष के दौरान लेनदेन दर्ज किए गए थे

संबंधित पक्षों के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है, जो लेखांकन मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार ''राज्य–नियंत्रित उद्यम'' हैं। इसके अलावा, एएस 18 के अनुच्छेद 5 के संदर्भ में, लेन–देन बैंकर–ग्राहक संबंध प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के रिश्तेदारों के साथ शामिल नहीं किए गए हैं।

9.6 पट्टे (एएस 19)

ए. पट्टे / किराए आधार पर ली गई परिसंपत्तियों के संबंध में, बैंक के विकल्प के अनुसार उन्हें नवीकृत / रद्द किया जा सकता है।

बी. बैंक द्वारा किए गए पट्टे करार, आपस में सहमत अवधि के लिए हैं जिसमें लिखित रूप से सहमत कैलण्डर महीनों की नोटिस देने के जरिए पट्टे की अवधि के दौरान भी उसे समाप्त किया जा सकता है।

सी. परिचालनगत पट्टों के लिए प्रदत्त पट्टा किराए को, जिस वर्ष से संबन्धित है, उसी वर्ष में लाभ एवं हानि लेखे में व्यय के रूप में पहचाना जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान पहचाना गया पट्टा किराया 214.63 करोड़ रुपए हैं। (विगत वर्ष – 195.94 करोड़ रुपए)।

9.5 RELATED PARTY DISCLOSURES (AS 18)

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank :

a) Subsidiaries :

i. Ind Bank Housing Ltd.

ii. Indbank Merchant Banking Services Ltd.

b) Associates : (Regional Rural Banks)

i) Pallavan Grama Bank

ii) Saptagiri Grameena Bank

iii) Puduvai Bharathiar Grama Bank

c) Key Managerial Personnel:

Shri Kishor Kharat	Managing Director & Chief Executive Officer(upto 13.08.2018)
Ms. Padmaja Chunduru	Managing Director & Chief Executive Officer (Wef 21.09.2018)
Shri A S Rajeev	Executive Director (upto 30.11.2018)
Shri M K Bhattacharya	Executive Director (w.e.f. 18.02.2017)
Shri Shenoy Vishwanath V	Executive Director (w e f 01.12.2018)

d) Shareholding of non-executive Directors:

Sl No.	Name of the non-executive Director	No. of equity shares held
1.	Shri Vinod Kumar Nagar	107
2.	Dr. Bharath Krishna Sankar	200
	TOTAL	**307**

Related Party transactions are as under:

a) Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ₹ 81.99 lakhs (Previous-year ₹80.25 lakhs)

	2018-19	2017-18
Shri. Mahesh Kumar Jain, MD & CEO Salary & Emoluments Paid (01.04.2017 to 03.04.2017)	₹0.00 lakhs	₹0.37 lakhs
Shri. Kishor Kharat Salary & Emoluments Paid(01.04.2018 to13.08.2018)	₹11.45 lakhs	₹29.55 lakhs
Ms. Padmaja Chunduru Salary & Emoluments Paid (21.09.2018 to 31.03.2019)	₹17.11 lakhs	Nil
Shri . A. S. Rajeev ED Salary & Emoluments Paid (01.04.2018 to 30.11.2018)	₹18.54 lakhs	₹25.75 lakhs
Shri M K Bhattacharaya ED Salary & Emoluments Paid (01.04.2018 to 31.03.2019)	₹26.32 lakhs	₹24.58 lakhs
Shri Shenoy Vishwanath V Salary & Emoluments Paid (01.12.2018 to 31.03.2019)	₹8.57 lakhs	Nil

Parties with whom transactions were entered during the year

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State-controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

9.6 Leases (AS 19)

a) The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank.

b) The leases entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the currency of lease period by giving agreed calendar month notice in writing.

c) Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognized during the year is ₹214.63 Crores (Previous year ₹195.94 Crore).

डी. वित्त पट्टा

वित्त पट्टे पर प्राप्त आस्ति में भूमि और भवन शामिल हैं। पट्टों की एक प्राथमिक अवधि होती है, जो निश्चित और गैर–रद्द होती है। बैंक के पास द्वितीयक अवधि के लिए पट्टे को नवीनीकृत करने का विकल्प है।

वित्त पट्टा के तहत आवश्यक आस्तियों के संबंध में न्यूनतम पट्टे के किराये और न्यूनतम पट्टे के भुगतान का वर्तमान मूल्य निम्नानुसार हैं

विवरण	न्यूनतम पट्टा किराया		न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	
	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक
1 वर्ष पूर्व देय	0	0	0	0
1 वर्ष के बाद और 5 वर्ष पूर्व देय	0	0	0	0
5 वर्ष बाद देय	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0
कम : भविष्य वित्त प्रभार				
न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	0	0	0	0

9.7 प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)

विवरण	2018-19	2017-18
ईक्विटी शेयर धारकों हेतु उपलब्ध कर के पश्चात निवल लाभ (रुपए करोड़ में)	321.95	1258.99
ईक्विटी शेयरों की संख्या	480291651	480291651
ईक्विटी शेयरों की भारित संख्या	480291651	480291651
प्रति शेयर मूल अर्जन	6.70	₹ 26.21
कम की गई आय प्रति शेयर आय	6.70	₹ 26.21
प्रति ईक्विटी शेयर अंकित मूल्य	₹ 10.00	₹ 10.00

नोट : वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, बैंक के बोर्ड ने 31.03.2021 तक कई खाइयों में अधिकतम 25% की छूट के साथ कर्मचारियों को 4 करोड़ इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए अनुमोदन दिया है। इस निर्गम के लिए सेबी / स्टॉक एक्सचेंजों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

9.8 आय पर करों के लिए लेखाकरण (एएस 22)

अस्थगित कर आस्तिओं (डीटीए) / अस्थगित कर देयताओं (डीटीएल) के मुख्य संघटक निम्न प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

	संघटक	31.03.2019	31.03.2018
आस्थगित कर आस्तियाँ			
1.	भुगतान / क्रिस्टलाइजेशन पर अनुमेय देयताओं का प्रावधान	81.05	77.91
2.	एफ़सीटीआर (विदेशी मुद्रा लेनदेन रिजर्व)	131.75	106.30
3.	अप्रयुक्त अवकाश के लिए प्रावधान	0	0
4.	उपदान के लिए प्रावधान	0.21	2.25
5.	अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	938.55	523.21
6.	पुनर्संरचित आस्तियों, एक्युआर, एस4ए, दबावग्रस्त आस्तियों के लिए प्रावधान	102.88	91.25
7.	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	**65.02**	**0.00**
	कुल–डीटीए	**1319.46**	**800.92**
	आस्थगित कर देयताएँ		
1.	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	52.87	57.12
2.	बट्टे खाते लिखे गये खातों हेतु प्रावधान	504.21	504.21
3.	स्टाफ कल्याण प्रतिपूर्ति	5.71	5.71
4.	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(i)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षण	247.54	243.34
	कुल – डीटीएल	**810.33**	**810.38**
	निवल डीटीए / (डीटीएल)	**509.13**	**(+)9.46**

d) **Finance Lease**

An asset acquired on finance lease comprises land and building. The leases have a primary period, which is fixed and non-cancellable. The Bank has an option to renew the lease for a secondary period.

The minimum lease rentals and the present value of minimum lease payments in respect of assets acquired under finance lease are as follows:

Particulars	Minimum lease payments		Present value of minimum lease payments	
	As at 31st March 2019	As at 31st March 2018	As at 31st March 2019	As at 31st March 2018
Payable not later than 1 Year	0	0	0	0
Payable later than 1 year and not later than 5years	0	0	0	0
Payable later than 5 Years	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Less:Future finance charges				
Present value of minimum lease payments	0	0	0	0

9.7 Earnings Per Share (AS 20)

Particulars	2018-19	2017-18
Net Profit after tax available for equity shareholders (₹ Crore)	321.95	1258.99
Number of Equity Shares	480291651	480291651
Weighted Number of equity shares	480291651	480291651
Basic Earning Per Share	6.70	₹ 26.21
Diluted Earning Per Share	6.70	₹ 26.21
Nominal value per Equity Share	₹ 10.00	₹ 10.00

Note: During the Financial year 2018-19, Bank's Board has approved to issue 4 crore equity shares to its employees under Employees Share Purchase Scheme in multiple trenches upto 31.03.2021 with a discount upto a maximum of 25%. Necessary approval from SEBI / Stock exchanges for the issue has been received.

9.8 ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS 22)

The major components of Deferred Tax Assets (DTA) / Deferred Tax Liabilities (DTL) are: (₹ in Crore)

	Components	31.03.2019	31.03.2018
Deferred Tax Assets			
1	Liabilities provision allowable on payment /crystallisation	81.05	77.91
2	FCTR (Foreign Currency Translation Reserve)	131.75	106.30
3	Provision for unutilized leave	0	0
4	Provision for GRATUITY	0.21	2.25
5	Provision for bad debts	938.55	523.21
6	Provision for restrutured assts, AQR, S4A, Stressed Assets	102.88	91.25
7	Depreciation on Fixed Assets	**65.02**	**0.00**
	Total DTA	**1319.46**	**800.92**
	Deferred Tax Liabilities		
1	Depreciation on Fixed Assets	52.87	57.12
2	Provision for written off accounts	504.21	504.21
3	Staff welfare retrieval	5.71	5.71
4	Special Reserves U/s.36(1)(viii) of Income Tax Act 1961	247.54	243.34
	Total DTL	**810.33**	**810.38**
	Net DTA / (DTL)	**509.13**	**(+)9.46**

10.1 प्रावधान और आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

	लाभ एवं हानि लेखे में व्यय शीर्ष के तहत दिखाए गए ''प्रावधान और आकस्मिकताओं'' का ब्रेकअप	2018-19	2017-18
I)	निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	1035.18	313.57
ii)	एनपीए के लिए प्रावधान	3615.90	3472.82
iii)	आयकर के लिए प्रावधान	-37.74	-182.57
iv)	अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय विवरण सहित **विवरण** **2018-19** **2017-18** 1. मानक अग्रिम -5.93 -26.51 2. पुनः संरचित अग्रिम -46.59 -34.77 3. अन्य -2.16 199.46	-54.68	138.18
	कुल	**4558.66**	**3742.00**

10.2 चल प्रावधान :

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2018-19	2017-18
ए.	चल प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	46.76	46.76
बी.	लेखांकन वर्ष के दौरान किये गये चल प्रावधान	0.00	0.00
सी.	लेखांकन वर्ष के दौरान इसमें की गयी कमी	0.00	0.00
डी.	चल प्रावधान खाते में अंतिम शेष	46.76	46.76

10.3 आरक्षितियों में की गयी कमी :

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	आरक्षितियां	आहरित राशि		उद्देश्य
		2018-19	2017-18	
1	पुनर्मूल्यन रिजर्व	81.55	78.98	परिसर में पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास *

* वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए एएस–10 मानकों के प्रावधानों के अनुसार राशि को राजस्व रिज़र्व खाते में जमा किया गया।

10.4 ग्राहक शिकायतें

ए. ग्राहक शिकायतें

		2018-19	2017-18
ए.	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की सं.	275	99
बी.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	39802	35039
सी.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	39990	34863
डी.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	87	275

बी. क्रेडिट कार्ड

		2018-19	2017-18
ए.	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की सं.	23	168
बी.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	1295	2609
सी.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	1311	2754
डी.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	07	23

सी. एटीएम शिकायतें

		कुल	जिसमें से अक्वायरर	कुल	जिसमें से अक्वायरर
		2018-19		2017-18	
ए.	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की सं.	2647	609	4286	647
बी.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	275907	56255	171353	37038
सी.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	274014	56225	172992	37076
डी.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	4540	639	2647	609

10.1 Provisions and Contingencies

(Amount ₹ in crore)

Break-up of Provisions & Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account		2018-19	2017-18
I)	Provision for depreciation on investments	1035.18	313.57
ii)	Provision towards NPA	3615.90	3472.82
iii)	Provision made towards Income Tax	-37.74	-182.57
iv)	Other Provisions and contingencies with details	-54.68	138.18
	Particulars — **2018-19** — **2017-18**		
	1. Standard Advances — -5.93 — -26.51		
	2. Restructured Advances: — -46.59 — -34.77		
	3. Others — -2.16 — 199.46		
	Total	**4558.66**	**3742.00**

10.2 Floating Provisions:

(Amount ₹ in crore)

Floating Provisions Account		2018-19	2017-18
(a)	Opening balance in the floating provisions account	46.76	46.76
(b)	The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
(c)	Amount of draw down made during the accounting year	0.00	0.00
(d)	Closing Balance in the floating provisions account	46.76	46.76

10.3 Draw Down from Reserves:

(Amount ₹ in crore)

Sl. No.	Reserves	Amount Drawn		Purpose
		2018-19	2017-18	
1.	Revaluation Reserve	81.55	78.98	Depreciation on revalued portion on Premises*

* For the year 2018-19, the amount was credited to Revenue Reserve A/c as per the provisions of AS10 Standards.

10.4 Customer Complaints :

A. Customer Complaints

		2018-19	2017-18
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	275	99
(b)	No. of complaints received during the year	39802	35039
(c)	No. of complaints redressed during the year	39990	34863
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	87	275

B. Credit Card

		2018-19	2017-18
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	23	168
(b)	No. of complaints received during the year	1295	2609
(c)	No. of complaints redressed during the year	1311	2754
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	07	23

C. ATM Complaints

		Total	Of which acquirer	Total	Of which acquirer
		2018-19		2017-18	
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	2647	609	4286	647
(b)	No. of complaints received during the year	275907	56255	171353	37038
(c)	No. of complaints redressed during the year	274014	56225	172992	37076
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	4540	639	2647	609

डी. ई–बैंकिंग शिकायतें**

	चालू वर्ष 2018–19	पिछले वर्ष 2017–18
ए. तिमाही की शुरुआत में लंबित शिकायतों की सं.	0	0
बी. तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	27681	0
सी. तिमाही के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	26822	0
डी. तिमाही के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	859	0

** यह पोर्टल विशेष रूप से डिजिटल चैनल की शिकायतों के लिए खोला गया है, जो कि 01.07.2018 से प्रभावी है।

10.4.1 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित और बैंक के द्वारा कार्यान्वित किए गए अधिनिर्णय निम्नानुसार हैं :

	2018-19	2017-18
ए. वर्ष की शुरुआत में अकार्यान्वित अधिनिर्णय	शून्य	शून्य
बी. वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णय	शून्य	शून्य
सी. वर्ष के दौरान कार्यान्वित किए गए अधिनिर्णय	शून्य	शून्य
डी. वर्ष के अंत में अकार्यान्वित अधिनिर्णय	शून्य	शून्य

10.4.2 पूर्व तिमाहियों की तुलना में, 31.03.2019 को समाप्त तिमाही में प्राप्त ग्राहक शिकायतों का वर्गीकरण

क्र.सं	वर्गीकरण	को समाप्त तिमाही में प्राप्त शिकायतें									
		31.03.2018		30.06.2018		30.09.2018		31.12.2018		31.03.2019	
		सं	%	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%
1	अग्रिम	124	1.5	171	1.6	193	2.2	86	0.9	187	1.7
2	एटीएम	1602	18.9	1787	17.4	916	10.5	1467	15.0	1955	17.8
3	क्रेडिट कार्ड	40	0.5	35	0.3	50	0.6	44	0.4	31	0.3
4	ग्राहक सेवा	140	1.6	200	19	166	1.9	163	1.6	368	3.3
5	डीमैट	0	0.00	0	0	5	0.1	2	0.1	0	0
6	जमा	409	4.8	504	4.9	422	4.8	369	3.8	395	3.6
7	सामान्य बैंकिंग	342	4.1	384	3.7	757	8.6	489	5.0	344	3.1
8	सरकारी योजनाएं	47	0.5	34	0.3	51	0.6	13	0.1	29	0.2
9	विविध	1119	13.2	990	9.7	435	4.9	608	6.2	787	7.2
10	एनआरआई सेवाएं	10	0.1	10	0.1	4	0.1	7	0.1	1	0.1
11	प्रेषण	461	5.5	626	6.2	223	2.5	271	2.8	296	2.7
12	प्रौद्योगिकी	4169	49.3	5557	53.9	5540	63.2	6251	64.0	6579	60.0
	कुल	**8463**	**100**	**10298**	**100**	**8762**	**100**	**9770**	**100**	**10972**	**100**

D. E- BANKING COMPLAINTS**

	Current Year 2018-19	Previous Year 2017-18
(a) No. Complaints pending at the beginning of the quarter	0	0
(b) No of complaints received during the quarter	27681	0
(c) No. of complaints redressed during the quarter	26822	0
(d) No. of complaints pending at the end of the quarter	859	0

****This portal opened exclusively for digital channel complaints w.e.f. 01.07.2018**

10.4.1 Awards passed by the Banking ombudsman and implemented by the Bank is as follows :

	2018-19	2017-18
(a) Unimplemented awards at the beginning of the year	NIL	NIL
(b) Awards passed by Banking Ombudsman during the year	NIL	NIL
(c) Awards implemented during the year	NIL	NIL
(d) Unimplemented award at the end of the year	NIL	NIL

10.4.2 Classification of customer complaints received during the quarter ended 31.03.2019 compared to the previous quarters:

Sl.No	Classification	Complaints received during the quarter ended									
		31.03.2018		30.06.2018		30.09.2018		31.12.2018		31.03.2019	
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
1	Advances	124	1.5	171	1.6	193	2.2	86	0.9	187	1.7
2	ATM	1602	18.9	1787	17.4	916	10.5	1467	15.0	1955	17.8
3	Credit Card	40	0.5	35	0.3	50	0.6	44	0.4	31	0.3
4	Customer Services	140	1.6	200	19	166	1.9	163	1.6	368	3.3
5	Demat	0	0.00	0	0	5	0.1	2	0.1	0	0
6	Deposits	409	4.8	504	4.9	422	4.8	369	3.8	395	3.6
7	General Banking	342	4.1	384	3.7	757	8.6	489	5.0	344	3.1
8	Govt. Schemes	47	0.5	34	0.3	51	0.6	13	0.1	29	0.2
9	Miscellaneous	1119	13.2	990	9.7	435	4.9	608	6.2	787	7.2
10	NRI Services	10	0.1	10	0.1	4	0.1	7	0.1	1	0.1
11	Remittances	461	5.5	626	6.2	223	2.5	271	2.8	296	2.7
12	Technology	4169	49.3	5557	53.9	5540	63.2	6251	64.0	6579	60.0
	TOTAL	**8463**	**100**	**10298**	**100**	**8762**	**100**	**9770**	**100**	**10972**	**100**

10.5 बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र :

31.03.2019 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, भारत में स्थित शाखाओं ने आयात के वित्तपोषण के लिए कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है। 31.03.2019 को बकाया शून्य है। अतः बकाया एलओसी / एलओयू पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है ।

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान, हमारी विदेशी शाखाओं (सिंगापूर और कोलंबो) द्वारा जारी किए गए चकौती आश्वासन पत्र शून्य है तथा 31.03.2019 को बकाया शून्य है।

बैंक द्वारा सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकारी को दिये गये उत्तरदायित्व पत्र को ध्यान में रखते हुए बैंक अपनी सिंगापुर शाखा के साथ यूएसडी 43.00 एमआईओ (आईएनआर 297.37 करोड़ के समतुल्य राशि) की जमाएँ अनुरक्षित करना जारी रखा है ताकि शाखा की न्यूनतम निवल समायोजित पूँजी निधि आवश्यकताओं का भुगतान किया जा सके।

हमने सीबीएसएल की अनिवार्य आवश्यकता के अनुसार श्रीलंका स्थित शाखाओं के लिए श्रीलंका के केंद्रीय बैंक (सीबीएसएल) के पक्ष में एलओयू जारी किया है। हमें एलओयू जारी होने के कारण निकट भविष्य में किसी भी वित्तीय प्रभाव का अनुमान नहीं हैं।

10.6 प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)

गैर निष्पादक ऋण प्रावधान कवरेज अनुपात 65.72% (पिछले वर्ष 64.27%) रहा।

10.7 बैंक एश्यूरेन्स कारोबार

वर्तमान वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों की बिक्री / विपणन से रुपए 16.92 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है (पिछले वर्ष रुपए 16.75 करोड़)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	आय का स्वरूप	2018-19	2017-18
1	जीवन बीमा पालिसी की बिक्री के लिए	5.79	7.33
2	गैर जीवन बीमा पालिसी की बिक्री के लिए	10.78	8.97
3	अन्य – म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री के लिए	0.35	0.45
	कुल	**16.92**	**16.75**

10.8 ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट

22.09.2008 को बैंक द्वारा ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट स्थापित किया गया है जो ग्रामीण विकास पर अनन्य रूप से केन्द्रित ध्यान देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में समुदाय की सहायता करने में लगी हुई अन्य विभिन्न संस्थाओं/अभिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस न्यास के अधीन इंडियन बैंक स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (इंडसेटी) की स्थापना, बारह केन्द्रों में की गयी है (आंधप्रदेश में) चित्तूर, पुदुच्चेरी (पुदुच्चेरी संघशासित क्षेत्र में), कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णगिरि, नामक्कल, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, वेल्लूर और विळुप्पुरम (तमिलनाडु में) जो ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को कौशल उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा जिससे वे स्वरोजगार बन सकें/रोजगार पाने में सक्षम होंगे। ट्रस्ट के तहत 19 स्थानों यथा चित्तूर, मचलीपटनम (आंध्र प्रदेश में), कोल्लम, चदयमंगलम, पारस्साला (केरल में), पुदुच्चेरी (पुदुच्चेरी संघशासित क्षेत्र में), कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णगिरि, नामक्कल, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, (तमिलनाडु) में भी वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी) स्थापित किए गए हैं एवं बैंक को वित्तीय समावेशन परियोजना में आम जनता को सहायता दिलाने के उद्देश्य से उन्हें वित्तीय साक्षरता व काउंसिलिंग सेवाएँ प्रदान करने हेतु चेन्नै, दिल्ली और मुंबई में शहरी एफएलसी की स्थापना की गई हैं।

ट्रस्ट की खाता बहियों की लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से करने हेतु ट्रस्ट द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार द्वारा की जाती है।

वर्ष 2018–19* के लिए आईबीटीआरडी का अनंतिम आय व व्यय

प्राप्तियों के विवरण	राशि ₹ में
बैंक से प्राप्त अंशदान	25000000.00
अर्जित बैंक ब्याज	8095852.00
विभिन्न अभिकरणों से प्राप्त प्रशिक्षण लागत की प्रतिपूर्ति	15415424.00
कुल आय	48511276.00
व्यय के विवरण	
वर्ष के दौरान व्यय	43225760.00
भुगतान की तुलना में प्राप्तियों की अधिकता	5285516.00
अंतिम शेष	
बैंक शेष	9851931.00
मियादी जमाएँ	112500000.00
मूल निधि	86000000.00
बिल्डिंग निधि	26500000.00

* ट्रस्ट की अंतिम लेखापरीक्षा के बाद आंकड़े बदल सकते हैं

10.5 Letter of comfort issued by the Bank:

During the year ended 31.03.2019, branches in India have not issued any letter of comfort for financing of imports. Outstanding as on 31.03.2019 is NIL. Hence no financial impact on outstanding LOC/LOU

During the year ended 31.03.2019,Letter of Comfort issued by our foreign branches(Singapore and Colombo) is NIL and Outstanding as on 31.03.2019 is NIL

In view of the Letter of Responsibility given by the Bank to the Monetary Authority of Singapore, the Bank continues to maintain deposits from FCNR (B) resources to the extent of USD 43.00 Mio (equivalent to INR 297.37 crore) with Singapore Branch to meet the minimum Net Adjusted Capital funds requirement of the Branch.

We have issued LOU for Sri Lankan branches favoring Central Bank of Sri Lanka(CBSL)as per the mandatory requirement of CBSL. We do not anticipate any financial impact in immediate near future on account of LOU issued

10.6 Provision Coverage Ratio (PCR)

Non Performing Loan Provisioning Coverage Ratio is 65.72% (previous year 64.27%).

10.7 BANCASSURANCE BUSINESS

During the current year, the Bank has earned commission, etc, to the extent of ₹16.92 Crore on sale/marketing of various Banc assurance products/Mutual Funds (previous year ₹16.75 Crore). (Amount ₹ in crore)

Sr. No.	Nature of Income	2018-19	2017-18
1	For Selling Life Insurance Policies	5.79	7.33
2	For selling Non-life insurance policies	10.78	8.97
3	Others - For selling Mutual Fund Products	0.35	0.45
	Total	**16.92**	**16.75**

10.8 Indian Bank Trust for Rural Development

Indian Bank Trust for Rural Development has been set up by the Bank on 22.09.2008 to exclusively focus on rural development and accomplish better results by coordinating with various other players / agencies who are also engaged in the development of rural areas.

Under the Trust, Indian Bank Self Employment Training Institutes (INDSETIs) have been established in 12 centers, viz. Chittoor (in Andhra Pradesh), Puducherry (in UT of Puducherry), Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Salem, Thiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore and Villupuram (in Tamil Nadu) to impart skill oriented training to rural unemployed youth, to enable them to either self / wage employed as per the directions of Ministry of Rural Development, Govt. of India. Financial Literacy Centres (FLCs) have also been established under the Trust in 19 places viz. Chittoor, Machilipatnam (in Andhra Pradesh), Kollam, Chadayamangalam, Parassala (in Kerala), Puducherry (in UT of Puducherry), Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Salem, Thiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore, Villupuram (in Tamil Nadu) and Urban FLCs in Chennai, Delhi and Mumbai to provide financial literacy and counseling services to the general public to assist the banks in financial inclusion project.

The books of account of the Trust are being subjected to audit, independently by the Chartered Accountants appointed by the Trust

PROVISIONAL INCOME AND EXPENDITURE OF IBTRD FOR THE YEAR 2018-19 *

(Amount in ₹)

Details of Receipts	
Contributions received from Bank	25000000.00
Bank interest earned	8095852.00
Training cost reimbursement received from various agencies	15415424.00
Total Income	48511276.00
Details of Expenditure	
Expenditure incurred during the year	43225760.00
Excess of Receipts over payments	5285516.00
Closing Balance:	
Bank Balance	9851931.00
Fixed Deposits	112500000.00
Corpus fund	86000000.00
Building fund	26500000.00

* Figures are subject to change on final audit of Trust.

10.9 जमाएँ अग्रिम, ऋण तथा एनपीए का संकेन्द्रण (बैंक द्वारा यथा समकित)

10.9.1 जमाओं का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएँ (सिर्फ देशी)	25544.24	20407.94
बैंक की कुल विवरण की तुलना में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	10.86%	10.09%

10.9.2 अग्रिमों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	22841.02	25428.47
बैंक की कुल अग्रिमों की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	11.00%	15.63%

10.9.3 एक्स्पोजरों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
बीस सबसे बडे उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल एक्सपोजर	31501.36	31947.45
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्स्पोजर की तुलना में बीस सबसे बडे उधारकर्ताओं/ग्राहकों का एक्स्पोजर का प्रतिशत	12.09%	13.52%

10.9.4 एनपीए का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2017-18
सबसे बडे चार एनपीए खातों का कुल एक्स्पोजर	2273.25	2316.57

10.10 सेक्टर वार अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र. संख्या	सेक्टर	2018-19			2017-18		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	सेक्टर में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	सेक्टर में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत
ए	**प्राथमिकता क्षेत्र**						
1.	कृषि व सहबद्ध कार्यकलाप	40050.12	885.99	2.21	32742.20	656.49	2.01
2.	उद्योग क्षेत्र के अग्रिम जोकि प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण श्रेणी के पात्र हैं	10903.39	1055.31	9.68	10075.73	675.22	6.70
3.	सेवाएँ	19098.41	830.51	4.35	14072.57	612.44	4.35
4.	वैयक्तिक ऋण	10017.28	657.15	6.56	9715.68	358.43	3.69
	पूर्ण योग(ए)	**80069.20**	**3428.96**	**4.28**	**66606.18**	**2302.58**	**3.46**
बी	**गैर–प्राथमिक क्षेत्र**						
1.	कृषि व सहबद्ध कार्यकलाप	0	0	0	0.00	0.00	
2.	उद्योग क्षेत्र	96848.11	9738.26	10.06	67043.55	8455.45	12.61
3.	सेवाएँ	0	0	0	12301.09	1080.63	8.78
4.	वैयक्तिक ऋण	10978.75	186.23	1.70	16774.76	151.47	0.90
	पूर्ण योग(बी)	**107826.86**	**9924.49**	**9.21**	**96119.40**	**9687.55**	**10.08**
	कुल(ए+बी)	**187896.06**	**13353.45**	**7.11**	**162725.58**	**11990.13**	**7.37**

10.9 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs (As compiled by the Bank)

10.9.1 Concentration of Deposits

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Total Deposits of twenty largest depositors (domestic only)	25544.24	20407.94
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to total Deposits of the Bank	10.86%	10.09%

10.9.2 Concentration of Advances

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Total Advances to twenty largest borrowers	22841.02	25428.47
Percentage of Advances of twenty largest borrowers to total Advances of the Bank	11.00%	15.63%

10.9.3 Concentration of Exposures

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Total Exposures to twenty largest borrowers/customers	31501.36	31947.45
Percentage of Exposures of twenty largest borrowers/ customers to Total Exposures of the Bank on borrowers/ customers	12.09%	13.52%

10.9.4 Concentration of NPAs

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Total Exposures to top four NPA accounts	2273.25	2316.57

10.10 Sector-wise Advances

(Amount ₹ in crore)

Sl. No.	Sector	2018-19			2017-18		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	**Priority Sector**						
1.	Agriculture and allied activities	40050.12	885.99	2.21	32742.20	656.49	2.01
2.	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	10903.39	1055.31	9.68	10075.73	675.22	6.70
3.	Services	19098.41	830.51	4.35	14072.57	612.44	4.35
4.	Personal loans	10017.28	657.15	6.56	9715.68	358.43	3.69
	Sub-total (A)	**80069.20**	**3428.96**	**4.28**	**66606.18**	**2302.58**	**3.46**
B	**Non Priority Sector**						
1.	Agriculture and allied activities	0	0	0	0.00	0.00	
2.	Industry	96848.11	9738.26	10.06	67043.55	8455.45	12.61
3.	Services	0	0	0	12301.09	1080.63	8.78
4.	Personal loans	10978.75	186.23	1.70	16774.76	151.47	0.90
	Sub-total (B)	**107826.86**	**9924.49**	**9.21**	**96119.40**	**9687.55**	**10.08**
	Total (A+B)	**187896.06**	**13353.45**	**7.11**	**162725.58**	**11990.13**	**7.37**

10.11 एनपीए में परिवर्तन / तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालना

10.11.1 एनपीए में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
01 अप्रैल 2018 को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	11990.14	9865.14
वर्ष के दोरान जोड (नए एनपीए)	6444.96	5041.23
उप–कुल (ए)	18435.10	14906.37
घटाएँ :		
(i) उन्नयन	441.19	217.89
(ii) एआरसी को आंबटित राशि	359.20	481.56
(iii) वसूलियां (उन्नयन किए गए खातों से वसूली गयी राशियों को छोड़कर)	1407.43	575.15
(iv) तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डाले गए खाते	2352.74	1555.68
(iv) उपर्युक्त के अलावा बट्टा खाते में डाले गए	521.09	85.95
उप–कुल (बी)	5081.65	2916.23
31 मार्च 2019 को सकल एनपीए (अंतशेष ए–बी)	13353.45	11990.14

10.11.2 तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डालना

विवरण	2018-19	2017-18
अप्रैल 01, 2018 से तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गये खातों का प्रारंभिक शेष	4687.32	3528.09
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाले गये खाते	2352.74	1555.68
उप–कुल (ए)	7040.06	5083.77
घटाएं : वर्ष के दौरान पिछले वर्षों में तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाले गये खातों से की गई वसूली (बी)	576.22	396.45
31 मार्च, 2019 को अंत शेष (ए – बी)	6463.84	4687.32

10.11.3 भारिबैंक द्वारा की गयी आस्ति गुणवत्ता की समीक्षा (एक्यूआर) के अनुरूप, बैंक ने वर्ष के दौरान भारिबैंक द्वारा सूचित कुछ खातों पर अतिरिक्त प्रावधान उपलब्ध कराया है **:** शून्य

10.11.4 ओवरसीज़ आस्तियां, एनपीए और राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
कुल आस्तियां	10600.82	9117.60
कुल एनपीए	616.50	624.51
सकल एनपीए	197.35	225.16
निवल एनपीए	88.47	165.44
कुल राजस्व	159.93	112.46

10.12 तुलनपत्र के बाहर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखाकरण मानदण्डों के अनुसार समेकित किया है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशी	ओवरसीज़
शून्य	शून्य

10.11 Movement of NPAs/Technical Write-off

10.11.1 Movement of NPAs

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Gross NPAs as on 1st April of 2018 (Opening Balance)	11990.14	9865.14
Additions (Fresh NPAs) during the year	6444.96	5041.23
Sub-total (A)	18435.10	14906.37
Less :		
(i) Upgradations	441.19	217.89
(ii) Amount assigned to ARC	359.20	481.56
(iii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1407.43	575.15
(iv) Technical/Prudential Write-offs	2352.74	1555.68
(v) Write-offs other than those under (iv) above	521.09	85.95
Sub-total (B)	5081.65	2916.23
Gross NPAs as on 31st March 2019 (closing balance (A-B)	13353.45	11990.14

10.11.2 Technical / Prudential Write-off

Particulars	2018-19	2017-18
Opening Balance of Technical / Prudential written-off accounts as at 01st April, 2018	4687.32	3528.09
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year	2352.74	1555.68
Sub-total (A)	7040.06	5083.77
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year (B)	576.22	396.45
Closing Balance as at 31st March, 2019 (A-B)	6463.84	4687.32

10.11.3 In accordance with Asset Quality Review (AQR) undertaken by RBI, the Bank has made additional provisions during the year, on certain accounts, as advised by RBI .: NIL

10.11.4 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Total Assets	10600.82	9117.60
Total NPAs	616.50	624.51
Gross NPA	197.35	225.16
Net NPA	88.47	165.44
Total Revenue	159.93	112.46

10.12 Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

10.13 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण : शून्य

10.14 ऋण डिफ़ाल्ट स्वैप : शून्य

10.15 इक्विटी

राजकोष शाखा ने 13.06.2018 को डीमैट खाते में रु. 10/- प्रति शेयर के अंकित मूल्य के साथ मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड के 26,31,591 शेयरों को प्राप्त किया है। नई दिल्ली मेन शाखा के पत्र दिनांक 28.06.2018 के अनुसार, यह शेयर एनसीएलएटी के आदेश 30.05.2018 के अनुसार नई दिल्ली मेन शाखा में रखी गई संपत्तियों के बदले ऋण के निपटान का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे नई दिल्ली मेन शाखा ने शेयर मूल्यांकन के विनियोग के लिए अग्रणी बैंक भारतीय स्टेट बैंक के साथ मामले को उठाया है। नई दिल्ली मेन शाखा ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ गहन विचार–विमर्श / पत्राचार किया है। चर्चा के पश्चात, अग्रणी बैंक (भारतीय स्टेट बैंक) के निर्णय के अनुरूप, एनसीएलटी के साथ कानूनी तकनीकी में अनिश्चितता के कारण शेयरों का लेखांकन नहीं किया गया ।

10.16 इंट्रा समूह प्रकटीकरण :

	2018 - 19	2017 - 18
इंट्रा समूह ऋणों की कुल राशि	586.38	436.03
सर्वोच्च 20 इंट्रा समूह ऋणों की कुल राशि	586.38	436.03
उधारकर्ताओं / ग्राहकों को बैंक द्वारा प्रदत्त कुल ऋणों में से इंट्रा समूह ऋणों का प्रतिशत	0.22%	0.18%
इंट्रा समूह ऋणों में उच्चतम सीमा के अतिक्रमण और उसपर विनियामक कार्रवाई, यदि हो।	शून्य	शून्य

10.17 आकस्मिक देयताओं में एक खाता – मेसर्स निम्बस कम्यूनिकेशन्स लि. शामिल है । सहभागिता संघ के बैंकों द्वारा बीसीसीआई के पक्ष में गारंटियाँ जारी की गई थीं। बीसीसीआई ने सहभागिता संघ के बैंकों के विरुद्ध गारंटी देयता का दावा करते हुए वाद दायर किया तथा वाद में 400 करोड़ रुपए अदा करने पर प्रतिरक्षा करने की सशर्त हेतु अनुमति दी गई थी तथा इसमें बैंक का हिस्सा 100 करोड़ रुपए हैं। हमारे बैंक का रुपए 100 करोड़ का हिस्सा प्रोथोनोटरी और बंबई के माननीय उच्च न्यायालय के सीनियर मास्टर के साथ विप्रेषित किया गया। सम्मरी वाद, बंबई के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है।

बैंक के विरुद्ध बीसीसीआई द्वारा इस दावे के लिए बैंक ने 31.03.2019 को प्रतिभूति के रूप में धारित 70.74 करोड़ रुपए की मार्जिन राशि को लिहाज में लेने के बाद ''अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान'' शीर्ष के अंतर्गत 32.44 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

10.18 जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) को अंतरण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
01.04.2018 को डीईएएफ को अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष	684.27	508.46
जोडें : वर्ष 2018–19 के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशियाँ	95.98	183.47
घटाएं : वर्ष 2018–19 के दौरान डीईएएफ द्वारा दावों के लिए प्रतिपूरित राशियाँ	17.41	7.66
31.03.2019 तक डीईएएफ को अंतरित राशियों का अंत शेष (1+2+3)	762.84	684.27

10.19 विदेशी मुद्रा ऋण

अपने उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋणों में जोखिम की व्यवस्था के लिए बैंक ने एक नीति निर्धारित की है। जहाँ स्वाभाविक रक्षा (हेज) नहीं है, आयात / निर्यात लेनदेनों के लिए ग्राहकों को वायदा कवर लेने की सलाह दी जाती है। यह वायदा कवर, विनिमय जोखिम के लिए जोखिम शमन के कारक की भूमिका निभायेगा। सुविधाओं को मंजूर करते समय, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी मुद्रा में प्रदत्त सभी ऋणों (निधि आधारित और गैर निधि आधारित, जिसमें कम्फर्ट पत्र और वचनबद्धता पत्र शामिल हैं) को वायदा कवर के जरिए कवर किया जाता है। वायदा कवर से छूट प्रदान करने के अनुरोधों पर सिर्फ कॉर्पोरेट कार्यालय के स्तर पर विचार किया जाता है। उधार खातों का पुनरीक्षण करते समय, रक्षित एवं अरक्षित ऋणों को कैप्चर किया जाता है और ऋण प्रस्तावों में इनके प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ने जनवरी 15, 2014 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र की शर्तों के अनुसार अपने संघटकों को प्रदत्त अरक्षित विदेशी मुद्रा के ऋण के लिए 5.95 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और 30.53 करोड़ रुपए की पूंजी की व्यवस्था की है।

10.20 वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधडियाँ :

बैंक ने वर्ष 2018–19 के दौरान धोखाधडी के 168 मामले, जिनकी राशि 808.38 करोड़ रुपए है, की रिपोर्ट की है, जो निम्नप्रकार हैं ।

धोखाधड़ी के प्रकार	मामलों की संख्या	राशि करोड़ में
अग्रिम संबंधित	56	804.56
गैर–अग्रिम संबंधित	112	3.82
कुल	168	808.38

बैंक ने वर्ष 2018–19 के दौरान गैर–अग्रिम संबंधित धोखाधड़ी की राशि 3.82 करोड़ रुपये के 112 मामले दर्ज किए हैं।

31.03.2019 तक गैर–अग्रिम से संबंधित 747 धोखाधडी के मामले (समेकित) लंबित हैं, जिनकी राशि 131.36 करोड़ रुपए है तथा इनमें की गयी वसूलियों के बाद बैंक ने इनके विरुद्ध 40.65 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

10.13 Disclosures relating to Securitization: NIL

10.14 Credit Default Swaps: Nil

10.15 Equity:

Treasury Branch is in receipt of 26,31,591 Shares of M/s Electrosteel Steels Limited with FV of ₹10/- per share in the Demat account on 13/06/2018. As per New Delhi Main Branch letter dt 28/06/2018, these shares represent the settlement of Debt as ordered by NCLAT vide order 30/05/2018 in lieu of the assets maintained at New Delhi Main Branch, which has taken up with the lead Bank - SBI for appropriation of share valuation. New Delhi Main Branch has made due discussions / correspondence with State Bank of India. After discussions, in line with the decision arrived by the Lead Bank (SBI), accounting of shares was not carried out due to uncertainty in legal technicalities with NCLT

10.16 Intra Group Exposures:

	2018-19	2017-18
Total amount of intra group exposure	586.38	436.03
Total amount of top 20 intra group exposure	586.38	436.03
Percentage of intra group exposure to total exposure of the bank on borrowers/customers	0.22%	0.18%
Details of breach of limit on intra group exposures and regulatory action there on, if any	NIL	NIL

10.17 Contingent liabilities include an A/c M/s Nimbus Communications Ltd., Guarantees were issued by Consortium Banks favouring BCCI. BCCI filed suit against Consortium Banks claiming guarantee liability. In the suit, conditional leave to defend was granted on making payment of ₹400 crores, wherein our Bank share is ₹100 crore. Remittance of our Bank's share of ₹100 crore was made with the Prothonotary and Senior Master of the Hon'ble High Court of Bombay. The summary suit is pending adjudication before Hon'ble High Court of Bombay.

For this claim against the Bank by BCCI, Bank is having a sum of ₹32.44 crore as provision under the head 'Provision for Other Contingencies' after taking into consideration a sum of ₹70.74 crore held as security – margin money as on 31.03.2019

10.18 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Opening balance of amounts transferred to DEAF as on 01.04.2018	684.27	508.46
Add : Amounts transferred to DEAF during the year2018-19	95.98	183.47
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims during the year 2018-19	17.41	7.66
Closing balance of amounts transferred to DEAF up to 31.03.2019(1+2+3)	762.84	684.27

10.19 Foreign Currency Exposure:

The Bank has in place a policy on managing credit risk arising out of unhedged foreign currency exposures of its borrowers .Where there is no natural hedge, forward cover is suggested to customers in respect of import/export transactions. The forward cover will act as Unhedged risk mitigation on exchange risk. While sanctioning the facilities, bank is ensuring that all the exposures (fund based and non fund based including Letter of Comfort / Letter of Undertaking) in foreign currencies are covered by forward cover. Request for considering waiver of forward cover if any is considered only at corporate office level. While reviewing the borrowal accounts hedged and unhedged exposure are captured and impact is analyzed in credit proposals.

The Bank has provided a provision of ₹ 5.95 crores and Capital of ₹30.53 crores for the year ended 31st March 2019 on Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI Circular dated January 15, 2014

10.20 Frauds reported during the year:

The Bank has reported 168 cases of fraud amounting to ₹ 808.38 crores during the year 2018-19 as per the details furnished below:

Type of fraud	No. of cases	Amount in crores
Advance related	56	804.56
Non-advance related	112	3.82
Total	168	808.38

The Bank has reported 112 cases of non advance related frauds amounting to ₹ 3.82 crores during the year 2018-19.

Upto 31.03.2019, 747 cases (cumulative) relating to non-advance related frauds are pending involving amount of ₹131.36 crores and the Bank carries a provision of ₹ 40.65 crores against the same after taking into account recoveries made.

11. तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर गुणात्मक नोट :

(₹ करोड़ मे)	जून तिमाही-1*	2018-19	सितंबर तिमाही-2*	2018-19	दिसंबर तिमाही-3*	2018-19	मार्च तिमाही-4**	2018-19	मार्च तिमाही-4*	2017-18
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
1. कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)		34947.22		39065.78		40899.35		39030.05		39442.68
नकद का बहिर्प्रवाह										
2. खुदरा जमाएं और लघु व्यापार ग्राहकों से प्राप्त जमाएं, जिसमें से :	100699.62	9740.19	99750.08	9675.24	99311.01	9656.68	102063.09	9916.11	95428.85	9216.13
(i) स्थायी जमाएं	6595.53	329.78	5995.30	299.76	5488.44	274.42	5804.08	290.20	6535.03	326.75
(ii) कम स्थायी जमाएं	94104.09	9410.41	93754.78	9375.48	93822.58	9382.26	96259.02	9625.90	88893.82	8889.38
3 **आरक्षित थोक निधीयन जिसमें से**	58874.79	25829.15	61730.36	27103.66	68168.06	30851.55	71407.61	32032.99	55811.41	23951.73
(i) परिचालनगत जमाएं (सभी काउंटर पार्टी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) गैर–परिचालनगत जमाएं (सभी काउंटर पार्टी)	58697.02	25651.37	61522.39	26895.69	67996.25	30679.74	71147.28	31772.67	55688.76	23829.08
(iii) अरक्षित ऋण	177.78	177.78	207.96	207.96	171.81	171.81	260.33	260.33	122.65	122.65
4 जमानती थोक निधीयन		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5 अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	31536.72	3779.44	31694.37	3929.06	30729.99	4007.77	30801.33	4058.62	30997.58	3723.75
(i) व्युत्पन्न ऋण और अन्य संपार्श्विक अपेक्षाओं से संबंधित बहिर्प्रवाह	37.47	37.47	20.65	20.65	48.37	48.37	110.06	110.06	28.12	28.12
(ii) ऋण उत्पादों पर निधीयन में हानियों से संबंधित बहिर्प्रवाह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) ऋण और तरलता सुविधाएं	31499.25	3741.96	31673.71	3908.40	30681.62	3959.40	30691.27	3948.56	30969.46	3695.62
6 अन्य संविदागत निधीयन बाध्यताएं	1171.85	1171.85	816.43	816.43	1284.69	1284.69	1971.22	1971.22	773.33	773.33
7 अन्य आकस्मिक निधीयन बाध्यताएं	23174.44	695.23	23338.02	700.14	22223.42	666.70	20650.53	619.52	21261.11	637.83
8 कुल नकदी बहिर्प्रवाह		41215.85		42224.52		46467.40		48598.46		38302.76
नकदी आवक प्रवाह										
9 जमानती ऋणद (उदा. रिवर्स रेपो)	90.92	0.00	495.90	0.00	825.84	0.00	935.44	0.00	53.41	0.00
10 पूर्णतः निष्पादक ऋणों से आवक नकदी प्रवाह	12279.59	6385.74	11773.40	6278.16	12791.58	6979.32	12892.90	7134.24	12668.47	6787.92
11 अन्य आवक नकदी प्रवाह	3226.13	3226.13	2560.34	2560.34	3963.96	3963.96	4669.10	4669.10	3267.38	3267.38
12 कुल आवक नकदी प्रवाह	15596.64	9611.87	14829.64	8838.50	17581.38	10943.27	18497.45	11803.34	15989.26	10055.30
21 कुल एचक्यूएलए		33814.62		37564.48		42337.98		44051.84		39030.05
22 कुल निवल नकदी बहिर्प्रवाह		31603.99		33386.02		35524.12		36795.12		28247.47
23 तरलता कवरेज अनुपात (प्रतिशत)		106.99%		112.52%		119.18%		119.72%		138.17%

* एलसीआर दैनिक आधार पर आधारित है

11. Qualitative Note on Liquidity Coverage Ratio (LCR):

	(Rs in Crore)	Jun Q1*	2018-19	Sep Q2*	2018-19	Dec Q3*	2018-19	Mar Q4**	2018-19	Mar Q4*	2017-18
	HIGH QUALITY LIQUID ASSETS	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		33814.62		37564.48		42337.98		44051.84		39030.05
Cash Outflows											
2	Retail deposits and deposits from Small business customers, of which:	100699.62	9740.19	99750.08	9675.24	99311.01	9656.68	102063.09	9916.11	95428.85	9216.13
(I)	Stable Deposits	6595.53	329.78	5995.30	299.76	5488.44	274.42	5804.08	290.20	6535.03	326.75
(ii)	Less Stable deposits	94104.09	9410.41	93754.78	9375.48	93822.58	9382.26	96259.02	9625.90	88893.82	8889.38
3	**Unsecured wholesale funding**	58874.79	25829.15	61730.36	27103.66	68168.06	30851.55	71407.61	32032.99	55811.41	23951.73
(I)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non operational deposits (all counterparties)	58697.02	25651.37	61522.39	26895.69	67996.25	30679.74	71147.28	31772.67	55688.76	23829.08
(iii)	Unsecured debt	177.78	177.78	207.96	207.96	171.81	171.81	260.33	260.33	122.65	122.65
4	Secured wholesale funding		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5	Additional requirements, of which	31536.72	3779.44	31694.37	3929.06	30729.99	4007.77	30801.33	4058.62	30997.58	3723.75
(I)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	37.47	37.47	20.65	20.65	48.37	48.37	110.06	110.06	28.12	28.12
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	31499.25	3741.96	31673.71	3908.40	30681.62	3959.40	30691.27	3948.56	30969.46	3695.62
6	Other contractual funding obligations	1171.85	1171.85	816.43	816.43	1284.69	1284.69	1971.22	1971.22	773.33	773.33
7	Other contingent funding obligations	23174.44	695.23	23338.02	700.14	22223.42	666.70	20650.53	619.52	21261.11	637.83
8	TOTAL CASH OUTFLOWS		41215.85		42224.52		46467.40		48598.46		38302.76
Cash Inflows											
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	90.92	0.00	495.90	0.00	825.84	0.00	935.44	0.00	53.41	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	12279.59	6385.74	11773.40	6278.16	12791.58	6979.32	12892.90	7134.24	12668.47	6787.92
11	Other cash inflows	3226.13	3226.13	2560.34	2560.34	3963.96	3963.96	4669.10	4669.10	3267.38	3267.38
12	TOTAL CASH INFLOWS	15596.64	9611.87	14829.64	8838.50	17581.38	10943.27	18497.45	11803.34	15989.26	10055.30
21	TOTAL HQLA		33814.62		37564.48		42337.98		44051.84		39030.05
22	TOTAL NET CASH OUTFLOWS		31603.99		33386.02		35524.12		36795.12		28247.47
23	LIQUIDITY COVERAGE RATIO(%)		106.99%		112.52%		119.18%		119.72%		138.17%

* LCR is based on Daily average

11.2 एलसीआर इस प्रकार रचित किया गया है ताकि वह बैंक की तरलता जोखिम प्रोफाइल की अल्पावधि समुत्थान शक्ति को सुदृढ बनाये तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि 30 दिन तक रह सकनेवाली तीव्र तनाव की स्थिति से बैंक उभर सके। भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार जनवरी 1, 2019 को एलसीआर की न्यूनतम अपेक्षा 100 प्रतिशत है । एलसीआर के आकलन की प्रक्रिया भारिबैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर है।

30 दिन के तनावग्रस्त कैलण्डर अवधि के दौरान अनुमानित निवल बहिर्प्रवाह से उच्च गुणवत्ता वाली भारमुक्त आस्तियों की राशि का भाजन करते हुए एलसीआर का परिकलन किया जाता है। विभिन्न संवर्गों की देयताओं (जमाएं, अरक्षित एवं रक्षित थोक उधार) पर और अनाहरित वचनबद्धताओं और व्युत्पन्न से संबंधित ऋणों पर भारिबैंक द्वारा निर्धारित बहिर्प्रवाह के तथ्यों को लगातो हुए और 30 दिनों के अंतर्गत परिपक्व होनेवाली आस्तियों से प्राप्त होनेवाली अंतर्प्रवाहों को आंशिक रूप से समायोजित करने के बाद निवल नकदी बहिर्प्रवाह का परिकलन किया जाता है।

मार्च 31, 2019 को समाप्त तिमाही के दौरान बैंक ने 44051.84 करोड़ रुपए का औसत एचक्युएलए (हेयरकट के बाद) अनुरक्षित किया जबकि 100 प्रतिशत की न्यूनतम एलसीआर की अपेक्षा के लिए औसत तरलता अपेक्षा का स्तर 36795.12 करोड़ रुपए हैं। प्राथमिक रूप से एचक्युएलए में न्यूनतम सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) से अधिक होनेवाली सरकारी प्रतिभूतियां, मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत अनुमत सीमा और एलसीआर हेतु तरलता का लाभ उठाने की सुविधा (एफएएलएलसीआर) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भारिबैंक और ओवरसीज़ केन्द्रीय बैंकों के साथ अनुरक्षित नकद प्रारक्षितियों की आवश्यकता से अधिक पडनेवाले नकदी और शेषराशियां, भाग 1 एचक्युएलए का अंश बनेंगी। मार्च 31, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए इंडियन बैंक का दैनिक औसत एलसीआर 119.72 प्रतिशत रहा।

बैंक के एलसीआर के मुख्य आधार, पर्याप्त उच्च गुणवत्तावाली तरल आस्तियां (एचक्युएलए) हैं जिससे सभी समयों में बैंक की तरलता की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। भारित नकदी बहिर्प्रवाह मुख्य रूप से अरक्षित थोक निधीयन पर आधारित हैं, जिसने कुल भारित नकदी बहिर्प्रवाह का 65.91 प्रतिशत अंश था। लघु व्यापारिक ग्राहकों से प्राप्त जमाएं सहित खुदरा जमाएं, कुल भारित नकदी बहिर्प्रवाह के 20.40 प्रतिशत रहे। अन्य आकस्मिक निधीयन बाध्यताओं में प्राथमिक रूप से बैंक के ग्राहकों की ओर से जारी बैंक गारंटियां (बीजी) और साख पत्र शामिल हैं।

31.03.2019 तक की जमाओं में बैंक की एक प्रमुख काउंटर पार्टी है। सबसे बडे जमाकर्ता ने कुल जमाओं का 3.07 प्रतिशत का अंशदान किया। सर्वोच्च 20 बडे देशी जमाकर्ताओं का कुल अंशदान, 31.03.2019 को कुल जमाओं का 10.55 प्रतिशत रहा। प्रमुख उत्पाद / लिखतों में बचत जमाएं, चालू जमाएं और सावधि जमाएं शामिल हैं, जो क्रमशः बैंक की कुल देयता का 25.27 प्रतिशत, 4.73 प्रतिशत और 56.43 प्रतिशत बनती हैं। इनसे प्राप्त किये जानेवाला निधीयन व्यापक रूप से फैला है और बैंक को इससे संकेन्द्रण का जोखिम नहीं होगा।

बैंक की तरलता का प्रबंधन आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) द्वारा किया जाता है और तिमाही तनाव जांच के परिणामों के आधार पर आकस्मिकता निधीयन योजना निर्धारित की गयी है।

12. विविध

12.1 लेखा समाधान एवं समायोजन

12.1.1 अंतर शाखा लेखों का लेखा समाधान 31.03.2019 तक पूरा किया जा चुका है। आईबीजीए में बकाया पुरानी प्रविष्टियों के निपटान के लिए विभिन्न कारगर उपायों के द्वारा बैंक ने उसमें पर्याप्त कमी लायी है। तत्पश्चात् शेष बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का कार्य प्रगति पर है। प्रबंधन के अनुसार, 01.03.2009 से पहले की अवधि से संबंधित 4.86 करोड़ रुपए की कुल मूल्य की 5747 आईबीजीए क्रेडिट प्रविष्टियां बकाया हैं।

12.1.2 दिनांक 31.03.2019 को अंतर शाखा खाता बकाया में 6 महीने से अधिक अवधि के लिए लेखा समाधान नहीं की गई प्रविष्टियों के संबंध में निवल जमा स्थिति को देखते हुए किसी प्रावधान की जरूरत नहीं है।

12.1.3 देय ड्राफ्टों, समाशोधन समायोजन, विविध प्राप्य राशियों, विविध जमा खातों आदि में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य बैंकों से संबंधित बैंक लेखा समाधानों में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के समुचित समायोजन के लिए नियमित समीक्षा की जा रही है।

12.1.4 कुछ शाखाओं में अनुषंगी बहियों/रजिस्टरों का तुलन और सामान्य बहियों के साथ लेखा समाधान का कार्य जारी है। प्रबंधन के मतानुसार, खातों पर उपर्युक्त विषयों का परिणामी प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा।

12.1.5 बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बैंक द्वारा पहचानी गई एमएसएमई इकाइयों को बैंक द्वारा देय ऐसी बकाया राशियाँ नहीं हैं जो एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में निर्धारित समय सीमा से अधिक अवधि के लिए लंबित है और ऐसी पार्टियों के संबंध में मूल राशि और / या उस पर ब्याज के विलंब से किए गए भुगतानों के लिए मानी गयी देयता के संबंध में रिपोर्ट किये गये कोई मामला नहीं हैं।

13. जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के आंकडे के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है।

11.2 The LCR is designed to promote short-term resilience of a bank's liquidity risk profile by ensuring that it has sufficient high quality liquid resources to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. As per the RBI guidelines minimum requirement of LCR as on January 1, 2019 is 100%. The methodology for estimating the LCR is based on RBI guidelines.

The LCR is calculated by dividing the amount of high quality liquid unencumbered assets (HQLA) by the estimated net outflows over a stressed 30 calendar day period. The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities (deposits, unsecured and secured wholesale borrowings), as well as to undrawn commitments and derivatives-related exposures, partially offset by inflows from assets maturing within 30 days.

The bank during the quarter ended March 31, 2019 had maintained average HQLA (after haircut) of Rs. 44051.84 Crores as against the average liquidity requirement of Rs. 36795.12 Crores at a minimum LCR requirement of 100%. HQLA primarily included government securities in excess of minimum Statutory Liquidity Ratio (SLR), the extent allowed under the Marginal Standing Facility (MSF) and the Facility to Avail Liquidity for LCR (FALLCR). Additionally cash, balances in excess of cash reserve requirement with RBI and the overseas central banks form part of level 1 HQLA. The Daily average LCR of the Indian bank for the quarter ended March 31, 2019 was 119.72%.

The main drivers of LCR of the bank are sufficient high quality liquid assets (HQLAs) to meet liquidity needs of the bank at all times. The weighted cash outflows are primarily driven by unsecured wholesale funding which contributed 65.91% of the total weighted cash outflows. Retail deposits including deposits from small business customers contributed 20.40% of the total weighted cash outflows. The other contingent funding obligations primarily include bank guarantees (BGs) and letters of credit (LCs) issued on behalf of the Bank's clients.

Bank has one significant counterparty in the deposits as on 31.03.2019. The largest depositor contributed 3.07% of total deposits. The total contribution of the top 20 largest domestic depositors as on 31.03.2019 is 10.55% of the total deposits. The significant product / instruments include Savings deposit, Current deposit and Term deposits which are 25.27%, 4.73% and 56.43% of bank's total liability respectively, the funding from which are widely spread and cannot create concentration risk for the bank.

Bank's Liquidity is managed by the Asset Liability Management Committee (ALCO) and contingency funding plan is in place based on the quarterly stress testing results.

12. MISCELLANEOUS

12.1 Reconciliation and Adjustments

12.1.1 Reconciliation of Inter Branch Account is completed up to 31.03.2019. The Bank through various effective steps has achieved reduction in the old outstanding entries in IBGA. Adjustments of the remaining outstanding entries are in progress. As per the Management, 5747 IBGA credit entries aggregating to ₹ 4.86 crores are outstanding pertaining to period before 01.03.2009.

12.1.2 In view of the net credit position in respect of un-reconciled entries in the Inter Branch Account outstanding for more than 6 months as on 31.03.2019, no provision is required.

12.1.3 Old outstanding entries, in drafts payable, clearing adjustment, sundries receivable, sundry deposit accounts, etc. and in bank reconciliation relating to Reserve Bank of India and other banks are being regularly reviewed for appropriate adjustments.

12.1.4 Balancing of subsidiary / ledgers, registers and reconciliation with general ledgers are in progress at some branches. In the opinion of the management, consequential financial impact of the above on the accounts will not be significant

12.1.5 As per information available with the Bank, there is no outstanding dues payable by the Bank to MSME units identified by the Bank, which is pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 and there have been no reported cases of accepted liability of delayed payments of principal amount or interest thereon for such parties during the year.

13. Previous year's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to current year's figures.

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

इंडियन बैंक के सदस्य

स्टेण्डआलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

1. हमने इंडियन बैंक के स्टेण्डआलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिनमें 31 मार्च, 2018 का तुलन–पत्र, लाभ–हानि लेखा का विवरण और समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश सहित वित्तीय विवरणों को नोट और अन्य स्पष्टीकरण सूचनाएँ शामिल हैं। इन वित्तीय परिणामों में हमारे द्वारा लेखा–परीक्षित 20 शाखाओं और हमारे द्वारा लेखा परीक्षित एकीकृत राजकोषीय शाखा, सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1744 शाखाएँ एवं 3 विदेशी शाखाओं जिनमें से दो का लेखा परीक्षित किया गया है और एक शाखा जिसके लिए स्थानीय विदेशी लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित किया जाना बाकी है, की विवरणियाँ शामिल की गईं हैं। हमारे द्वारा और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा की गई, उनका चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। ऐसी 1107 शाखाओं की विवरणियाँ भी डाली गई हैं जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं थीं और तुलन–पत्र एवं लाभ व हानि खाते में विवरण और नकदी प्रवाह विवरण, इन्हें भी दर्ज किया गया है। वे शाखाएँ जिनका लेखा–परीक्षण नहीं हुआ उनके पास बैंक के 4.91 प्रतिशत अग्रिम हिस्सा, 14.76 प्रतिशत जमाएँ, 2.58 प्रतिशत ब्याज आय एवं 8.37 प्रतिशत ब्याज व्यय हिस्सा है।

2. हमारी राय में, हमारी श्रेष्ठतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुपालन में जो बैंक के लिए आवश्यक है।

   ए) टिप्पणियों के साथ पठित तुलन–पत्र पूर्ण और सही तुलन–पत्र है जिसमें समस्त आवश्यक जानकारी शामिल है तथा उसे इस प्रकार उचित रूप से तैयार किया गया है कि उसमें बैंक के 31 मार्च, 2018 के कामकाज का सही एवं वास्तविक चित्र प्रदर्शित होता है।

   बी) नोट के साथ पठित लाभ एवं हानि लेखा, लेखे द्वारा लाभ का सही शेष दर्शाता है और

   सी) नकदी प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाहों का असली और उचित विवरण दर्शाता है ।

राय के लिए आधार

3. हमने अपना लेखा परीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिटिंग पर मानकों (एसएएस) के अनुसार किया। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार साथ में नैतिक आवश्यकताएं अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं जो वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं जैसा कि बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 में है और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षित मामले

4. प्रमुख लेखापरीक्षित मामले ऐसे मामले हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षण में हमारे पेशेगत निर्णय में सर्वाधिक महत्व के थे। यह मामले सम्पूर्ण लेखापरीक्षित विवरण के हमारे लेखापरीक्षण से संबन्धित हैं तथा हमारे अभिमत के रूप में हैं, हमने इन मामलों में अलग से कोई अभिमत नहीं दिया है।

प्रतिभूतियों का मूल्यांकन

- उधारकर्ता की अचल संपत्ति को बंधक/दृष्टिबंधक रखने के संदर्भ में मूल्यांकन प्रमुख अवयव है। प्रतिभूतियों के मूल्य का आंकलन करने हेतु, हम अचल संपत्तियों की मूल्यांकन रिपोर्ट को सत्यापित करते हैं।
- उपरोक्त मामले पर जो मुद्दा उठता है, वह यह है कि चालूवर्ष में अचल संपत्ति के मूल्यांकन के लिए पूर्ववर्षों की रिपोर्ट के साथ विभिन्न मूल्यांककों द्वारा किए गए मूल्यांकनों को परिवर्तन सहित अपनाया गया है।

मामले का समाधान

पूर्व वर्षों के मूल्यांकन को चालू वर्ष के प्रावधान के लिए अपनाने में अंतर्निहित कमी को प्रबंधन के संज्ञान में लाया गया तथा अभिशासनकर्ताओं के साथ विमर्शित किया गया। प्रबंधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार अचल परिसंपत्तियों का मूल्यांकन 3 वर्षों तक वैध है। यथोचित उपाय के रूप में यह निर्णय लिया गया कि वित्तीय विवरणों की तिथि के नजदीक वाले अद्यतन मूल्यांकन पाने के लिए व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त, बैंक की नीति के अनुसार रु. 5 करोड़ तथा अधिक के अग्रिमों के लिए प्रतिभूति के रूप में स्वीकृत परिसंपत्तियाँ दो स्वतंत्र मूल्यांककों/ मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा मूल्यांकित की जाएंगी और यदि दोनों मूल्यांकनकर्ताओं के मूल्यांकन में 15% से अधिक का अंतर आता है तो यह मूल्यांकन प्रक्रिया नए मूल्यांकन कर्ताओं द्वारा आम सहमति तक पुनः दोहराई जाएगी।

इस आधार पर, चालू वर्ष हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई गई है।

स्टेंडअलोन वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन तथा अभिशासकों के उत्तरदायित्व

5. बैंक के निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयार करने के संबंध में जिम्मेदार हैं जो आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक, और समय–समय पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा जारी किए गए परिपत्र और दिशानिर्देश के साथ लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और बैंक के नकदी प्रवाह के बारे में सत्य और निष्पक्ष विचार प्रदान करते हैं। इस उत्तरदायित्व में, समूह की आस्तियों को सुरक्षित रखने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं रोकने, उचित लेखापरीक्षा नीतियों को लागू करने, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं आंकलन के लिए निर्मित तथा उपस्थित वित्तीय विवरण जो सत्य एवं निष्पक्ष विचार प्रदान करता है और भौतिक मिथ्या कथन से मुक्त है चाहे यह धोखाधड़ी के कारण हो या किसी त्रुटि के जो समेकित वित्तीय विवरण को उपस्थित करने के उद्देश्य से बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा प्रयोग में लाया गया हो, जैसा कि पूर्वकथित है, के समुचित लेखापरीक्षा रिकॉर्ड को बनाए रखने और संरचना, कार्यान्वयन तथा लेखापरीक्षा रिकॉर्ड की पर्याप्तता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप में संचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी भी शामिल है ।

   वित्तीय विवरण निर्मित करने में प्रबंधन बैंक की क्षमता के आंकलन के लिए जिम्मेदार हैं तथा कार्यशील संस्था के संबंध में जानकारी प्रदान करने, जैसा लागू हो, संबंधी मामले और लेखा के आधार पर कार्यशील संस्था का प्रयोग तब तक किया जाएगा जब प्रबंधन बैंक को अलग करना या संचालन को रोकना न चाहता हो या कोई वास्तविक विकल्प न हो किन्तु ऐसा करने को बाध्य हो।

लेखापरीक्षा के वित्तीय विवरण के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

6. हमारा लक्ष्य उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण भौतिक त्रुटियों से पूर्णतः मुक्त हो चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही हों तथा हमारी राय सहित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रदान करना है। उचित आश्वासन उच्चकोटि का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुपालन में की गई लेखापरीक्षा त्रुटि उत्पन्न होने पर इन्हें पहचान सकेगा। धोखाधड़ी या गलतियों से त्रुटियाँ आ सकती हैं तथा एकल या सकल रूप में उपयोगकर्ताओं द्वारा इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं।

   एसए के अनुपालन में हम पेशेगत निर्णय देते हैं तथा लेखापरीक्षा करते समय पेशेगत संशयात्मकता बनाए रखते हैं। हम यह भी :

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
The Members of Indian Bank

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the standalone financial statements of Indian Bank which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2019, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of 20 branches and the Integrated Treasury Branch audited by us and 1744 branches audited by statutory branch auditors and 3 foreign branches of which two have been audited and one branch for which audit is yet to be completed by the local foreign auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also included in the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and Statement of Cash Flows are the returns from 1107 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 4.91 percent of advances, 14.76 per cent of deposits, 2.58 per cent of interest income and 8.37 per cent of interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

   a) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2019;

   b) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit/loss and

   c) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements as in The Banking Regulations Act, 1949 and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Valuation of securities:

- In respect of mortgage / Hypothecation of Fixed assets of the borrower, valuation is a key component. For arriving at the value of securities, we verify valuation report for fixed assets.
- The concern that arises in the above matter is that the valuation in case of fixed assets is adopted for the current year based on earlier years' reports coupled with variations in valuations done by different valuers.

Resolution for the matter:

The inherent deficiency in adopting an earlier year's valuation for current year provisioning was brought to the attention of the management and discussed with those charged with governance. It was explained by the management that RBI's guidelines provide that a valuation made in respect of Fixed assets is valid for 3 years. As a prudent measure it was decided that updated valuation nearer to the date of the financials will be arranged. Further, as per the Bank's policy properties accepted as securities for advances of Rs.5 crores and above will be valued by two independent valuers and if the difference in valuation between the two valuers is more than 15%, such valuation exercise will be repeated with the new valuer till it reaches a consensus.

Based on this, the valuations furnished were adopted for the current year .

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

5. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

   In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

6. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

   As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- वित्तीय विवरण की भौतिक त्रुटियों चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या किसी गलतीवश, के जोखिम का आंकलन तथा पहचान करना और संरचना एवं इन जोखिमों के उत्तरदायित्व के लिए लेखापरीक्षण करना तथा हमारी राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित लेखासाक्ष्य प्राप्त करना । भौतिक त्रुटियों में धोखाधड़ी के कारण न पकड़ा गई गलती, भूलवश हुई त्रुटि से बड़ा जोखिम है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, साभिप्राय चूक, मिथ्या निरूपण या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकता है।

- लेखा अनुमानों एवं प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता तथा प्रयुक्त लेखा योजनाओं के औचित्य का मूल्यांकन करना।

- लेखा एवं प्राप्त लेखा साक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन के कार्यशील संस्था के उपयोग के औचित्य पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या स्थितियों में भौतिक अनिश्चितता है जो समूह तथा इसके सहयोगियों को कार्यशील संस्था बने रहने में संदेह उत्पन्न करती हैं। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अनिश्चितता है, तो यह हमारे लिए आवश्यक है कि समेकित वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण के संबंध में अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करें अथवा यदि प्रकटीकरण अपर्याप्त हो तो अपनी राय में परिवर्तन करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा साक्ष्यों के आधार पर होते हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएँ एवं स्थितियाँ समूह एवं इसके सहयोगियों को कार्यशील संस्था बने रहने से रोक सकती हैं।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय रिपोर्ट की संरचना एवं सामग्री तथा सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना और इसका भी जायजा लेना कि क्या वित्तीय रिपोर्ट अंतर्निहित लेनदेन एवं घटनाएँ जो उचित प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करती है।

हम हमने अभिशासकों को ऐसा विवरण प्रदान किया है जो अन्य मामलों के मध्य, योजनाबद्ध ढांचा एवं लेखापरीक्षा का समय एवं आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी, जो हम लेखापरीक्षा के दौरान चिन्हित करते हैं।

हमने अभिशासकों को ऐसा विवरण भी प्रदान किया है कि हमने स्वतंत्रता संबंधी नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा हम उन्हें ऐसे संबंध एवं अन्य मामले भी सूचित करते हैं, जो हमारी स्वतंत्रता से संबन्धित होते हैं और सुरक्षा के संबंध में लागू होते हैं।

अभिशासकों द्वारा सूचित मामलों से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो चालू समय के वित्तीय विवरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं और इसीलिए मुख्य लेखापरीक्षण मायने रखता है।

हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में विधि अथवा नियामकों द्वारा जनता के समक्ष प्रकटीकरण से रोके जाने तक हम इन मामलों की विवेचना करते हैं अथवा कभी जब चरम परिस्थितियाँ होती हैं, हम यह निर्धारित करते हैं कि मामले का जिक्र हमारी रिपोर्ट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा करना जन हित में नहीं होगा, इसके विपरीत परिणाम होंगे।

अन्य मामले

7. हमने बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 1107 शाखाओं के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों / सूचनाओं का लेखा परीक्षा नहीं किया है जिनकी वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2019 तक कुल 999.86 करोड़ की आस्तियां और समाप्त वर्ष के लिए कुल 768 करोड़ रुपये का राजस्व दर्शाती है, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं का लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाता है जिसकी रिपोर्ट हमें दी गई है और हमारी राय में जहां तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

   इस मामले के संबंध में हमारी राय में को परिवर्तन नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तुलन–पत्र और लाभ एवं हानि लेखा बनाए गए हैं।

9. उपर्युक्त 5 से 7 तक के पैराग्राफों में संकेतित लेखापरीक्षा सीमाओं के अध्यधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 / 1980 की अपेक्षानुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   (ए) हमने सभी जानकारी व स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जोकि हमारी श्रेष्ठतम जानकारी व विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया ।

   (बी) बैंक के लेन–देन जोकि हमारे समक्ष आए हैं बैंक के अधिकारों के भीतर ही हैं

   (सी) कार्यालयों एवं शाखाओं तथा बैंक के कार्यालयों से प्राप्त विवरण हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाए गए हैं।

10. हम आगे रिपोर्ट करना चाहते है कि,

   (ए) हमारी राय में, विधि द्वारा अपेक्षित खाते की उचित बही बैंक द्वारा रखी गई हैं जहां तक यह उन बहियों की हमारी जांच से प्रकट होता है और हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त विवरणियाँ हमारे द्वारा दौरा न की गई शाखाओं से प्राप्त की गई है

   (बी) इस रिपोर्ट में प्रदर्शित तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखे बही खातों और शाखाओं द्वारा प्राप्त विवरणियों जहां हमने दौरा नहीं किया है, के अनुसार हैं।

   (सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अधीन शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट जो लेखा परीक्षित किये हैं, को हमें भेजे दिए गए हैं और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करते समय इसकी उचित रूप से जाँच की है ; और

   (डी) हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन इस हद तक करते हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

कृते गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी
For GANDHI MINOCHA & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.000458N
भूपेन्द्र सिंह
BHUPINDER SINGH
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No 092867)

कृते पॉम्स एण्ड एसोसियेट्स
For PAMS & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No. 316079E
सत्यजित मिश्रा
SATYAJIT MISHRA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.057293)

कृते पी एस सुब्रमणिय अय्यर एण्ड कंपनी
For P S SUBRAMANIA IYER & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.004104S
वी स्वामिनाथन
V SWAMINATHAN
साझेदार Partner
(एम.सं. M No. 022276)

कृते एम थामस एण्ड कंपनी
For M THOMAS & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.004408S
आर मुरली
R MURALI
साझेदार Partner
(एम.सं. M No. 080972)

कृते के सी मेहता एण्ड कंपनी
For K C MEHTA AND CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No: 106237W
चिराग बक्शी
CHIRAG BAKSHI
साझेदार Partner
(एम.सं. M No. 047164)

स्थान Place : चेन्नै Chennai
दिनांक Date : 14 मई 2019 / 14.05.2019

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters.

We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

7. We did not audit the financial statements / information of 1107 branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs.9993.86 crore as at 31st March 2019 and total revenue of Rs. 768 crore for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5 to 7 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and also subject to the limitations of disclosure required therein, we report that:
   a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
   b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
   c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
10. We further report that:
   a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us
   b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;
   c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
   d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For GANDHI MINOCHA & CO
Chartered Accountants
FR No.000458N

BHUPINDER SINGH
Partner
(M. No 092867)

For P A M S & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 316079E

SATYAJIT MISHRA
Partner
(M. No.057293)

For P S SUBRAMANIA IYER & CO
Chartered Accountants
FR No.004104S

V SWAMINATHAN
Partner
(M No. 022276)

For M THOMAS & CO
Chartered Accountants
FR No.004408S

R MURALI
Partner
(M No. 080972)

For K C Mehta and Co
Chartered Accountants
FR No: 106237W

CHIRAG BAKSHI
Partner
(M No. 047164)

Place : Chennai
Date : 14th May, 2019

इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त रखा गया है।

This page is intentionally left blank

समेकित तुलन पत्र
लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ

CONSOLIDATED BALANCE SHEET,
PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND SCHEDULES

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित तुलन पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2019

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची Schedule No.	31.03.2019 को As on 31.03.2019	31.03.2018 को As on 31.03.2018
पूँजी व देयताएं CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	480.29	480.29
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves and Surplus	2	19235.17	18235.15
अल्पसंख्यक हित Minority Interest	2A	20.46	19.87
जमाएं Deposits	3	242040.80	208261.81
उधार Borrowings	4	12137.54	19760.17
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	6474.02	6224.12
कुल TOTAL		**280388.28**	**252981.41**
आस्तियां ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष Cash & Balances with Reserve Bank of India	6	11701.87	10501.60
बैंकों के साथ शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशियाँ Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	8325.74	2431.90
निवेश Investments	8	65271.55	71619.14
अग्रिम Advances	9	181261.91	156568.93
अचल आस्तियां Fixed Assets	10	3964.99	3422.08
अन्य आस्तियां Other Assets	11	9862.22	8437.76
कुल TOTAL		**280388.28**	**252981.41**
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	**36219.00**	**33728.75**
वसूली के लिए बिल Bills for Collection	-	**5394.56**	**4607.55**

सुश्री पद्मजा चुन्डूरू,
Ms. PADMAJA CHUNDURU
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
MANAGING DIRECTOR & CEO

एम के भट्टाचार्य
M K BHATTACHARYA
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

शेणॉय विश्वनाथ वी
SHENOY VISHWANATH V
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

पी ए कृष्णन
P A KRISHNAN
महाप्रबंधक (लेखा) / सीएफओ
GENERAL MANAGER (ACCOUNTS)/CFO

निदेशक **DIRECTORS**

अमित अग्रवाल **AMIT AGRAWAL**
सलिल कुमार झा **SALIL KUMAR JHA**
एस के पाणिग्रही **S K PANIGRAHY**
विनोद कुमार नागर **VINOD KUMAR NAGAR**
विजय कुमार गोयल **VIJAY KUMAR GOEL**
डॉ. भारत कृष्ण शंकर **Dr. BHARATH KRISHNA SANKAR**

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक **STATUTORY CENTRAL AUDITORS**

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट संलग्न है / As per our report of even date attached

कृते गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी
For GANDHI MINOCHA & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.000458N

भूपेन्द्र सिंह
BHUPINDER SINGH
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No 092867)

कृते पॉम्स एण्ड एसोसियेट्स
For PAMS & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No. 316079E

सत्यजित मिश्रा
SATYAJIT MISHRA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.057293)

कृते पी एस सुब्रमणिय अय्यर एण्ड कंपनी
For P S SUBRAMANIA IYER & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.004104S

वी स्वामिनाथन
V SWAMINATHAN
साझेदार Partner
(एम.सं. M No. 022276)

कृते एम थामस एण्ड कंपनी
For M THOMAS & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.004408S

आर मुरली
R MURALI
साझेदार Partner
(एम.सं. M No. 080972)

कृते के सी मेहता एण्ड कंपनी
For K C MEHTA AND CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No: 106237W

चिराग बक्शी
CHIRAG BAKSHI
साझेदार Partner
(एम.सं. M No. 047164)

स्थान : चेन्नै
Place : Chennai
दिनांक : Date : 14.05.2019

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. Schedule No.	31.03.2019 को Y E 31.03.2019	31.03.2018 को Y E 31.03.2018
I. आय : INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	19182.06	17115.32
अन्य आय Other Income	14	1891.44	2416.59
कुल TOTAL		**21073.50**	**19531.91**
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	12166.75	10851.28
परिचालनगत व्यय Operating expenses	16	4028.34	3673.32
प्रावधान एवं आकस्मिकतायें Provisions & Contingencies	-	4557.48	3744.39
कुल TOTAL		**20752.57**	**18268.99**
III. वर्ष के लिए समूह से संबंधित समेकित लाभ / (हानि) Consolidated Profit/(loss) for the year attributable to the group		320.93	1262.92
सहयोगियों में कमाई की हिस्सेदारी Share of earnings in Associates		59.79	48.37
घटाएँ : अल्प संख्यक हित Less : Minority Interest		0.59	0.75
		380.13	**1310.54**
आगे लाया गया लाभ/(हानि) Profit/(Loss) brought forward		(27.43)	336.96
कुल निवल लाभ **Total Net Profit**		**352.70**	**1647.50**
IV. विनियोजन APPROPRIATIONS			
निम्नलिखित को अंतरित : **Transfer to :**			
सांविधिक प्रारक्षित निधि Statutory Reserves		80.50	314.75
पूँजी रिज़र्व - अन्य Capital Reserves- Others		40.79	35.20
निवेश रिज़र्व Investment Reserve		177.00	0.00
राजस्व रिज़र्व Revenue Reserves		13.00	888.00
स्टाफ कल्याण निधि Staff Welfare Fund		9.66	20.00
प्रस्तावित ईक्विटी लाभांश Proposed Equity Dividend		0.00	0.00
प्रस्तावित अधिमान्य लाभांश Proposed Preference Dividend		0.00	0.00
लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax		0.00	0.00
समेकित तुलन पत्र को ले जाया गया अधिशेष Balance carried over to consolidated Balance Sheet		59.18	389.55
कुल विनियोजन Total Appropriations		**380.13**	**1647.50**
प्रति शेयर अर्जन (मूल एवं कम किया गया) Earnings per Share in Rs. (Basic & diluted)	18	7.91	27.29

सुश्री पद्मजा चुन्डूरू, **Ms. PADMAJA CHUNDURU** प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MANAGING DIRECTOR & CEO

एम के भट्टाचार्य **M K BHATTACHARYA** कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR

शेणॉय विश्वनाथ वी **SHENOY VISHWANATH V** कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR

पी ए कृष्णन **P A KRISHNAN** महाप्रबंधक (लेखा)/सीएफओ GENERAL MANAGER (ACCOUNTS)/CFO

निदेशक **DIRECTORS**

अमित अग्रवाल **AMIT AGRAWAL** | एस के पाणिग्रही **S K PANIGRAHY** | विजय कुमार गोयल **VIJAY KUMAR GOEL**

सलिल कुमार झा **SALIL KUMAR JHA** | विनोद कुमार नागर **VINOD KUMAR NAGAR** | डॉ. भारत कृष्ण शंकर **Dr. BHARATH KRISHNA SANKAR**

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक **STATUTORY CENTRAL AUDITORS**

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट संलग्न है / As per our report of even date attached

कृते गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी **For GANDHI MINOCHA & CO** सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं. FR No.000458N
भूपेन्द्र सिंह **BHUPINDER SINGH** साझेदार Partner (एम.सं. M. No 092867)

कृते पॉम्स एण्ड एसोसियेट्स **For PAMS & ASSOCIATES** सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं. FR No. 316079E
सत्यजित मिश्रा **SATYAJIT MISHRA** साझेदार Partner (एम.सं. M. No.057293)

कृते पी एस सुब्रमणिय अय्यर एण्ड कंपनी **For P S SUBRAMANIA IYER & CO** सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं. FR No.004104S
वी स्वामिनाथन **V SWAMINATHAN** साझेदार Partner (एम.सं. M No. 022276)

कृते एम थामस एण्ड कंपनी **For M THOMAS & CO** सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं. FR No.004408S
आर मुरली **R MURALI** साझेदार Partner (एम.सं. M No. 080972)

कृते के सी मेहता एण्ड कंपनी **For K C MEHTA AND CO** सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं. FR No: 106237W
चिराग बक्शी **CHIRAG BAKSHI** साझेदार Partner (एम.सं. M No. 047164)

स्थान : चेन्नै
Place : Chennai
दिनांक : Date : 14.05.2019

अनुसूची 1 – पूँजी
SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को As on 31.03.2019	31.03.2018 को As on 31.03.2018
I. प्राधिकृत पूँजी Authorised Capital		
प्रत्येक ₹ 10/– के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर		
300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	3000.00	3000.00
II. जारी, अभिदत्त और अदा की गई पूंजी Issued, Subscribed and Paid up:		
ए. भारत सरकार द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपए 10/– के 39,13,69,637 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष – रुपए 10/– प्रत्येक के 39,32,35,409 ईक्विटी शेयर शामिल है)		
a. 39,13,69,637 Equity shares of Rs.10/- each held by Central Government (P.Y.-39,32,35,409 Equity shares of Rs. 10/- each)	391.37	393.23
बी. जनता द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपए 10/– के 8,89,22,014 ईक्विटी शेयर(पिछले वर्ष – रुपए 10/– प्रत्येक के 8,70,56,242 ईक्विटी शेयर शामिल हैं)		
b. 8,89,22,014 Equity Shares of Rs.10/- each held by Public (P.Y. - 8,70,56,242 Equity shares of Rs.10/- each)	88.92	87.06
कुल Total	**480.29**	**480.29**

अनुसूची 2 – प्रारक्षित निधि व अधिशेष
SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को As on 31.03.2019	31.03.2018 को As on 31.03.2018
सांविधिक आरक्षितियां Statutory Reserves	4505.86	4425.36
पूँजीगत आरक्षितियां – पुनर्मूल्यांकन Capital Reserves-Revaluation	3095.04	2621.44
पूँजीगत आरक्षितियां – अन्य Capital Reserve -Others	236.40	195.61
शेयर प्रीमियम Share Premium	1325.67	1325.67
निवेश रिज़र्व Investment Reserve	216.92	39.92
राजस्व और अन्य प्रारक्षित निधियाँ Revenue and other Reserves	8659.21	8158.12
आयकर अधिनियम 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व Spl. Reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act	725.52	713.52
आयकर अधिनियम 36(1) (viii ए) के अंतर्गत विशेष रिजर्व Spl. Reserve u/s 36(1)(viii a) of Income Tax Act	58.20	58.20
विदेशी मुद्रा लेनदेन रिजर्व Foreign Currency Translation Reserve	380.59	307.76
लाभ एवं हानि खाता Profit & Loss account	31.75	389.55
कुल Total	**19235.17**	**18235.15**

अनुसूची 2ए – अल्पसंख्यक हित
SCHEDULE 2A - MINORITY INTEREST

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को As on 31.03.2019	31.03.2018 को As on 31.03.2018
मूल उद्यम – अनुषगी का सबध उद्भव होने की तारीख पर अल्प सख्यक हित Minority interest on the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	35.85	3.27
परवर्ती वृद्धि / घटाव Subsequent increase/decrease	-15.39	16.60
तुलन पत्र की तारीख पर अल्प संख्यक हित Minority interest on the date of balance sheet	20.46	19.87

अनुसूची 3 – जमाएँ
SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को As on 31.03.2019	31.03.2018 को As on 31.03.2018
(ए) I. मांग जमाराशियां A.I. Demand Deposits		
(I) बैंकों से (i) From Banks	63.77	58.40
(ii) अन्यों से (ii) From others	13191.62	12846.39
II. बचत बैंक जमाराशियाँ II. Savings Bank Deposits	70766.06	64060.44
III. सावधि जमाराशियाँ III. Term Deposits		
(I) बैंकों से (i) From Banks	3665.44	2596.61
(ii) अन्यों से (ii) From others	154353.91	128699.97
कुल (I, II और III) Total A (I,II & III)	**242040.80**	**208261.81**
(बी) (i) भारत में शाखाओं की जमाएं B. (i) Deposits of branches in India	235201.82	202215.17
(ii) भारत के बाहर शाखाओं की जमाएं (ii) Deposits of branches outside India	6838.97	6046.64
कुल बी (i और ii) Total B (i & ii)	**242040.80**	**208261.81**

अनुसूची 4 – उधार
SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को As on 31.03.2019	31.03.2018 को As on 31.03.2018
I. भारत में उधार I. Borrowings in India		
(I) भारतीय रिज़र्व बैंक (I) RBI	6395.32	15000.00
(ii) अन्य बैंक (ii) Other Banks	0.05	0.02
(iii) अन्य संस्थाएं और अभिकरण (iii)Other Institutions and Agencies	3791.56	3801.24
II. भारत के बाहर उधार II.Borrowings outside India	1950.61	958.91
कुल (I और II) Total (I & II)	**12137.54**	**19760.17**
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार Secured borrowings included in I & II above	**16049.45**	**16049.45**

अनुसूची 5 – अन्य देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को As on 31.03.2019	31.03.2018 को As on 31.03.2018
I. देय बिल I. Bills Payable	598.15	631.26
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) II. Inter-Office adjustments(net)	546.05	836.66
III. उपचित ब्याज III. Interest Accrued	698.76	919.12
IV. अन्य (प्रावधानों सहित) IV. Others(including provisions)	4631.06	3837.08
कुल Total	**6474.02**	**6224.12**

अनुसूची 6 भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकदी और शेष
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को As on 31.03.2019	31.03.2018 को As on 31.03.2018
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) I. Cash in hand (including foreign currency notes)	1030.76	499.70
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष – II.Balances with Reserve Bank of India -		
(i) चालू खाते में (i) in Current Account	10671.11	10001.90
(ii) अन्य खाते में (ii) in Other Accounts	0.00	
कुल (I & II) Total (I & II)	**11701.87**	**10501.60**

अनुसूची 7 – बैंकों में शेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर राशि
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को As on 31.03.2019	31.03.2018 को As on 31.03.2018
I. भारत में I. In India		
(i) बैंकों में शेष (i) Balances with Banks		
(ए) चालू खातों में (a) in Current Accounts	4.35	15.27
(बी) अन्य जमा खातों में (b) in Other Deposit Accounts	717.14	640.69
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (ii) Money at call and short notice	2200.00	0.00
(ए) बैंकों में (a) with Banks	0.00	0.00
(बी) अन्य संस्थाओं के साथ (b) with other institutions		
कुल I (i और ii) Total I (i & ii)	**2921.48**	**655.96**
II. भारत के बाहर II. Outside India		
(I) चालू खाते में (i) in Current Account	203.66	166.39
(ii) अन्य जमा खातों में (ii) in Other Deposit Accounts	5168.47	1609.01
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (iii) Money at call and short notice	32.13	0.54
कुल II Total II	**5404.26**	**1775.94**
कुल योग (I और II) Grand Total (I & II)	**8325.74**	**2431.90**

अनुसूची 8 – निवेश
SCHEDULE 8 - INVESTMENT

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को As on 31.03.2019	31.03.2018 को As on 31.03.2018
I. भारत में निवेश I. INVESTMENTS IN INDIA		
सकल निवेश Gross Investments	64444.16	69983.26
घटाएँ : मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान Less Provsion for Depreciation & NPI	1046.70	523.20
	63397.46	**69460.06**
I. सरकारी प्रतिभूतियां i) Government Securities	51918.69	60441.27
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां ii) Other approved Securities	5.23	26.31
iii. शेयर iii) Shares	505.70	676.67
iv. डिबेंचर और बाँड iv) Debentures and bonds	7400.95	7467.40
v. सहयोगी संस्थाओं में निवेश v) Investment in Associates	365.92	307.15
vi. अन्य vi) Others	3200.96	541.26
कुल : TOTAL	**63397.46**	**69460.06**
II. भारत के बाहर निम्न में निवेश II. INVESTMENT OUTSIDE INDIA in		
सकल निवेश Gross Investments	1963.63	2243.86
घटाएँ : मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान Less Provsion for Depreciation & NPI	89.54	84.78
	1874.09	**2159.08**
I. सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)		
I) Government Securities (including local authorities)	1853.17	2155.02
ii) सहयोगी संस्थाओं में निवेश ii) Investment in Associates	0.00	0.00
iii) अन्य निवेश (विनिर्दिष्ट करना है) iii) Other investments (to be specified)	0.00	0.00
ए शेयर (a) Shares	0.52	1.40
बी ऋण प्रतिभूतियाँ (b) Debt Securities	20.39	2.66
कुल TOTAL	**1874.09**	**2159.08**
कुल योग (I व II) GRAND TOTAL (I & II)	**65271.55**	**71619.14**

अनुसूची 9 – अग्रिम
SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को As on 31.03.2019	31.03.2018 को As on 31.03.2018
ए. i) क्रय किए गए एवं बट्टाकृत बिल A. (i) Bills Purchased and discounted	1659.80	1404.62
(ii) नकद उधार, आवेर ड्राफ़्ट और मांग पर प्रतिदेय उधार (ii) Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	95636.69	85267.90
(iii) सावधि उधार (iii)Term Loans	83965.43	69896.41
(iv) अन्य (iv) Others	0.00	0.00
कुल (ए) Total (A)	**181261.91**	**156568.93**
बी. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं) B. (i) Secured by tangible assets(includes advances against book debts)	151588.47	127681.69
(ii) बैंक/सरकार गारंटियों द्वारा संरक्षित (ii) Covered by Bank / Government Guarantees	4831.37	3681.10
(iii) अप्रतिभूत (iii) Unsecured	24842.07	25206.14
कुल (बी) Total (B)	**181261.91**	**156568.93**
सी. I भारत में अग्रिम C. I. Advances in India		
(I) प्राथमिकता क्षेत्र (i) Priority Sector	65506.84	61996.38
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र (ii) Public Sector	21587.23	22055.59
(iii) बैंक (iii) Banks	0.00	0.00
(iv) अन्य (iv) Others	86725.51	66327.71
कुल (सी–I) Total (C-I)	**173819.58**	**150379.68**
सी (II) भारत के बाहर अग्रिम C. II.Advances outside India		
(I) बैंकों से देय (i) Due from Banks	1721.44	1195.94
(ii) अन्यों से देय (ii)Due from Others	0.00	0.00
(क) क्रय किए गए और भुनाये गए बिल (a) Bills Purchased & discounted	1255.91	879.94
(ख) सामूहिक ऋण (b) Syndicated Loans	3066.34	2607.42
(ग) अन्य (c) Others	1398.65	1505.95
कुल (सी – II) Total (C-II)	**7442.34**	**6189.25**
कुल योग (सी I + सी II) Total (C-I+C-II)	**181261.91**	**156568.93**

अनुसूची 10 – स्थाई आस्तियाँ
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को As on 31.03.2019	31.03.2018 को As on 31.03.2018
परिसर I. Premises		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन–पत्रानुसार लागत/पुनर्मूल्यांकन पर At cost/revaluation as per last Balance Sheet	3455.42	3428.73
वर्ष के दौरान जोड/समायोजन Additions / adjustments during the year	557.41	26.69
वर्ष के दौरान घटाव Deductions during the year	0.06	0.00
उक्त तारीख तक मूल्यह्रास Depreciation to date	725.73	638.62
निवल मूल्य Net Value	**3287.04**	**2816.80**
I ए. निर्माणाधीन परिसर IA.Premises under Construction	**0.76**	**0.61**
II. अन्य अचल आस्तियां (फ़र्निचर/फ़िक्सचर सहित) II. Other Fixed Assets(including furniture & fixtures)		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार लागत पर At cost as per last Balance Sheet	1885.69	1703.32
वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year	254.02	206.46
वर्ष के दौरान घटाव Deductions during the year	79.08	24.09
उक्त तारीख तक मूल्यह्रास Depreciation to date	1383.44	1281.02
निवल मूल्य Net Value	**677.19**	**604.67**
II(ए) पट्टाकृत आस्तियाँ IIA.Leased Assets		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार लागत पर At cost as per last Balance Sheet	17.39	17.39
वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year	0.00	0.00
प्रावधान को सम्मिलित करते हुए वर्ष के दौरान घटाव Deductions during the year including provisions	0.00	0.00
उक्त तारीख तक मूल्यह्रास Depreciation to date	17.39	17.39
निवल मूल्य Net Value	**0.00**	**0.00**
कुल : (I, I(ए), IIव II(ए) Total (I,IA,II,&IIA)	**3964.99**	**3422.08**

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को As on 31.03.2019	31.03.2018 को As on 31.03.2018
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) I. Inter Office Adjustment (net)	0.00	0.00
II. उपचित ब्याज II. Interest accrued	1173.36	1286.08
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर		
III. Tax paid in advance/tax deducted at source	4103.63	3661.66
IV. लेखन सामग्री एवं स्टांप IV. Stationery and stamps	15.67	16.74
V. दावों की संतुष्टि से प्राप्त की गयी ग़ैर बैंककारी आस्तियाँ		
V. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	20.26	20.26
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल) VI. Deferred Tax assets (Net)	1323.66	785.29
अन्य VI.Others	3225.64	2667.72
कुल **Total**	**9862.22**	**8437.75**

अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएँ
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को As on 31.03.2019	31.03.2018 को As on 31.03.2018
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (निवल)		
I. Claims against the Bank not acknowledged as debts (Net)	527.15	489.73
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए दायित्व II. Liability for partly paid Investments	3.64	5.19
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व		
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	12986.42	8459.72
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां IV. Guarantees given on behalf of constituents		
ए. भारत में (a)In India	8415.29	11171.06
बी. भारत के बाहर (b)Outside India	371.46	247.69
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व		
V. Acceptances, endorsements and other obligations	7249.18	8503.06
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		
VI.Other items for which the bank is contingently liable	6665.87	4852.30
कुल **Total**	**36219.00**	**33728.75**

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2019	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2018
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज /बट्टा I. Interest/discount on advances/bills	13982.41	11858.85
II. निवेशों पर आय II. Income on Investments	5042.13	5113.11
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों के पास अतिशेष पर ब्याज		
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	139.52	121.65
IV. अन्य IV. Others	17.99	21.71
कुल **Total**	**19182.06**	**17115.32**

अनुसूची 14 – अन्य आय
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2019	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2018
I. कमीशन, विनिमय और दलाली I. Commission , exchange and brokerage	325.26	318.55
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल) II. Profit on sale of Investments (net)	175.48	661.70
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (निवल) III Profit on Revaluation of Investments (net)	0.00	0.00
IV. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल)		
IV. Profit on sale of land, buildings and other assets (Net)	-1.51	-2.14
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल) V. Profit on exchange transactions (net)	173.41	248.08
VI.ए) पट्टा–वित्त / किराया खरीद से आय VI. a) Lease finance / Hire Purchase inome	0.08	0.00
बी) विदेश / भारत में अनुषंगियों / कंपनियों तथा / या सह उद्यमों से लाभांश आदि के ज़रिए अर्जित आय		
b) Income earned by way of dividends etc. from companies and/ or joint ventures abroad/ in India	12.45	14.42
VII. विविध आय VII. Miscellaneous Income	1206.27	1175.98
कुल **Total**	**1891.43**	**2416.59**

अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2019	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2018
I. जमाओं पर ब्याज I. Interest on deposits	11230.35	10195.44
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज		
II. Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings	841.32	420.79
III. अन्य III. Others	95.09	235.05
कुल **Total**	**12166.75**	**10851.28**

अनुसूची 16 – परिचालनगत व्यय
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2019 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2019	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2018
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान		
I. Payments to and provisions for employees	2227.54	2104.64
II. किराया, कर और रोशनी II. Rent, taxes and lighting	298.60	299.83
III. मुद्रण और लेखन सामग्री III. Printing and stationery	30.69	29.68
IV. विज्ञापन और प्रचार IV. Advertisement and publicity	9.09	11.42
V. ए) पट्टाकृत आस्तियों से अन्य बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास		
V. (a) Depreciation on Bank's property other than Leased Assets	259.21	236.84
बी) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास (b) Depreciation on Leased Assets	0.08	0.00
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय VI. Directors' fees, allowances and expenses	1.17	0.90
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय सहित)		
VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)	41.71	35.62
VIII. विधि प्रभार VIII. Law charges	5.43	7.36
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि IX. Postage, telegrams, telephones, etc.	64.18	38.33
X. मरम्मत और अनुरक्षण X. Repairs and maintenance	95.21	94.57
XI. बीमा XI. Insurance	256.35	218.72
XII. अन्य व्यय XII. Other expenditure	739.10	595.41
कुल **Total**	**4028.34**	**3673.32**

अनुसूची 17

मुख्य लेखांकन नीतियाँ (समेकित लेखे 2018-19)

1 लेखांकन प्रथा :

वित्तीय विवरणों को अन्यथा न बताये जाने पर ऐतिहासिक लागत प्रथा पर क्रियाशील संस्था संकल्पना का अनुपालन करते हुए तैयार किया जाता है। यह भारत में प्रचलित सांविधिक सिद्धांतों के अनुरूप है जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों/मार्गदर्शन नोट्स और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी शाखाओं के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप है।

2. प्राक्कलन का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए, रिपोर्टिंग अवधि हेतु वित्तीय विवरणियों की तारीख पर दर्ज आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा आय एवं व्यय पर विचार करने हेतु प्रबंधन को प्राक्कलन तैयार करने और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन, यह विश्वास रखता है कि वित्तीय विवरणियों की तैयारी में इस्तेमाल किये गये प्राक्कलन विवेकी और उचित हैं।

3 समेकन की प्रक्रिया :

ए बैंक के (मूल संस्था एवं उसकी अनुषंगियां) समेकित वित्तीय विवरण, इंडियन बैंक (मूल संस्था) और उसकी अनुषंगियां, यथा (1) इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड (2) इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड, के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर, अंतर समूह लेनदेनों को एवं प्राप्त न किए गए लाभ /हानियों को छोड़ने के बाद यथावश्यक समायोजन करके तैयार किये गये हैं। मूल संस्था की रिपोर्टिंग तारीख तक अनुषंगियों के वित्तीय विवरण भी बनाए गए हैं।

बी अनुषंगियां और सहयोगी संस्थाएं, संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित एवं सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखाकरण नीतियों का अनुपालन करती हैं। अनुपालनार्थ अपेक्षित ऐसी विभिन्न लेखाकरण नीतियों के मद्देनजर, अधिदेश/सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप संबंधित लेखाकरण नीतियों को अपनाते हुए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

सी मूल संस्था को आनुषंगिक संस्था में निवेश के लिए हुई लागत और अर्जन की तारीख को अनुषंगी संस्था में मूल संस्था की ईक्विटी में अंतर को वित्तीय विवरण में पूंजी रिज़र्व/गुडविल के रूप में लिया जाता है। अर्जन के बाद के लाभ/हानियों में मूल संस्था के शेयर का समायोजन, राजस्व रिज़र्व के साथ किया जाता है ।

डी परिचालन के निवल परिणाम और अनुषंगी संस्था की संपत्ति में अल्प संख्यक के हक से लाभ एवं निवल संपत्तियों का वह अंश द्योतित है जो अल्पसंख्यकों को देय है।

ई एसोसियेट्स में निवेश का हिसाब, एसोसियेटस के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकरण मानक–23 (एएस–23) समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसियेट्स में निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार ईक्विटी पद्धति के तहत किया जाता है।

4 विदेशी विनिमय से संबंधित लेनदेन

मूल संस्था

4.1 भारतीय परिचालनों और ग़ैर समाकलित विदेशी परिचालन के विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक – 11 (एएस – 11) के अनुसार किया जाता है।

4.2 भारतीय परिचालनों के मामले में परिवर्तन

1. विदेशी मुद्रा डीलर असोसिएशन आफ़ इंडिया (फेडाय) द्वारा अधिसूचित साप्ताहिक औसत दर (डबल्यूएआर) पर विदेशी विनिमय लेनदेन दर्ज किए जाते हैं।
2. विदेशी मुद्रा में आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन, वर्षांत पर फ़ेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर किया जाता है।
3. विदेशी मुद्रा में स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं और गारंटियों को वर्षांत पर फ़ेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर रखा जाता है।
4. वित्तीय वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में रखी गयी आस्तियों एवं देयताओं के निपटान एवं परिवर्तन से उठनेवाले विनिमय अंतर को, उसी अवधि में ही आय या व्यय के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।
5. बकाया वायदा विनिमय दरों का प्रकटीकरण संविदागत दरों से किया जाता है तथा फ़ेडाय की समापन दरों पर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है एवं उसके परिणाम की पहचान, लाभ व हानि लेखे के ज़रिए की जाती है।

4.3 ग़ैर– समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन

विदेशी शाखाओं का वर्गीकरण, ग़ैर समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और वित्तीय विवरणों का परिवर्तन निम्नप्रकार किया जाता है :

1. आकस्मिक देयताएं सहित आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन फ़ेडाय द्वारा वर्षांत में अधिसूचित दरों पर किया जाता है।
2. आय एवं व्यय का परिवर्तन फ़ेडाय द्वारा संबंधित तिमाही के अंत पर अधिसूचित तिमाही औसत समापन दर पर किया जाता है।

SCHEDULE - 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Consolidated Accounts 2018-19)

1. ACCOUNTING CONVENTION:

The financial statements are prepared by following the going concern concept on historical cost convention unless otherwise stated. They conform to generally accepted accounting principles in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India guidelines, accounting standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the practices prevalent in the Banking Industry in India. In respect of foreign branches as per statutory provisions and practices prevailing in the respective countries.

2. USE OF ESTIMATES :

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions for considering the reported assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

3. CONSOLIDATION PROCEDURE :

a. Consolidated financial statements of the "Bank" (parent and its subsidiaries) have been prepared on the basis of audited financial statements of Indian Bank (parent) and unaudited financial statements of its subsidiaries viz. (1) Ind Bank Housing Ltd, (2) Indbank Merchant Banking Services Ltd. after eliminating intra group transactions and unrealized profit/losses and making necessary adjustments. The financial statements of the subsidiaries are drawn up to the same reporting date of the parent.

b. The Subsidiaries and Associates follow Accounting Policies as prescribed by the respective regulatory authorities and as per statutory requirements. In view of such diverse accounting policies required to be followed, the consolidated financial statements have been prepared by adopting the respective accounting policies of the mandated / statutory requirements.

c. The difference between the cost to the parent of its investment in subsidiary entity and the parent's portion of its equity in the subsidiary with reference to the date of acquisition is recognized in the consolidated financial statement as Capital Reserve/Goodwill. The parent's share in the post acquisition profits/losses is adjusted against the Revenue Reserve.

d. The minority interests in the net result of the operation and the asset of the subsidiary, represent that part of profit and the net asset attributable to the minorities.

e. Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard -23 (AS - 23) - "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by ICAI based on the audited Financial Statements of the Associates.

4. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE :

PARENT:

4.1 Foreign Currency transactions of Indian operations and non-integral foreign operations are accounted for as per Accounting Standard-11 (AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

4.2 Translation in respect of Indian operations:

1. Foreign exchange transactions are recorded at the Weekly Average Rate (WAR) notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI).
2. Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
3. Acceptances, endorsements and other obligations and guarantees in foreign currency are carried at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
4. Exchange differences arising on settlement and translation of foreign currency assets and liabilities at the end of the financial year are recognized as income or expenses in the period in which they arise.
5. Outstanding forward exchange contracts are disclosed at the Contracted rates, and revalued at FEDAI closing rates, and the resultant effect is recognized in the Profit and Loss account.

4.3 Translation in respect of non-integral foreign operations :

Foreign branches are classified as non-integral foreign operations and the financial statements are translated as follows:

1. Assets and liabilities including contingent liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
2. Income and expenses are translated at the Quarterly Average Closing rate notified by FEDAI at the end of the respective quarter.

3. निवल निवेशों के निपटान तक उठनेवाले सभी विनिमय अंतर को ''विनिमय उतार–चढ़ाव निधि'' नामक पृथक निधि में उपचित रखा जाता है।

5. निवेश

5.1.1 बैंक के निवेश संविभाग को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है :

- परिपक्वता तक रखे गए (एचटीएम)
- बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस)
- व्यापार के लिए रखे गए (एचएफटी)

परिपक्वता तक रोक रखने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को ''एचटीएम'' प्रवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अल्पावधि के मूल्य/ब्याज दर में उतार–चढ़ाव से लाभ उठाकर व्यापार करने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को ''एचएफटी'' प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी प्रतिभूतियाँ जो उपर्युक्त दोनों प्रवर्गों में नहीं आती हैं, उन्हें, ''एएफएस'' प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

एक निवेश को उसकी खरीद / अर्जन के समय पर ही, परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध अथवा व्यापार के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनन्तर नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप उनका अंतरण किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग को शेयरों का अंतरण, यदि कोई है, अंतरण की तारीख पर अर्जन लागत / बही मूल्य / बाजार मूल्य में से न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है, और ऐसे अंतरण के लिए मूल्यह्रास हेतु पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

अनुषंगियों और एसोसियेट्स में निवेश को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एचटीएम प्रवर्ग में रखी गयी प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त लाभ को पहले लाभ व हानि लेखे में लिया जाता है और बाद में पूंजी प्रारक्षिती लेखे में विनियोजित किया जाता है तथा हानि, यदि हो, को लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है :

5.1.2 भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के समनुरूप निम्नानुसार किया जाता है :

ए) ''**एचटीएम**'' प्रवर्ग में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अर्जन की लागत पर किया जाता है सिवाय उन मामलों में जहां अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक होती हो, वैसे मामले में, अंकित मूल्य पर अर्जन लागत की ऐसी अधिकता को परिपक्वता की बकाया अवधि में परिशोधित किया जाता है। अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों में, जिन्हें एचटीएम प्रवर्ग में शामिल किया गया है, निवेशों के मूल्य में, अस्थाई प्रकृति के अलावा किसी अन्य ह्रास की पहचान की जाती है और उनके लिए प्रावधान किया जाता है। ऐसे ह्रास का निर्धारण और इसके लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश हेतु अलग से किया जा रहा है। 23.08.2006 के बाद किये गये जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) के यूनिटों में निवेश, 3 सालों की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत होते है एवं इनका लागत पर मूल्यांकन किया जाता है।

बी) अनुषंगी संस्थाओं, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश का मूल्यांकन, परंपरागत लागत पर किया जाता है। प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश का मूल्यांकन, वहन लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर किया जाता है।

सी) ''एएफस'' प्रवर्ग में निवेशों का मूल्यांकन, बाज़ार मूल्य पर, तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार तथा वर्गीकरणवार किया जाता है। यदि कोई निवल मूल्यह्रास हो, तो उसे लाभ–हानि लेखे में शामिल किया जाता है, जबकि किसी निवल मूल्यवृद्धि होने पर उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। इस प्रवर्ग में बाज़ार को अंकित करने के बाद वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

डी) ''एचएफटी'' प्रवर्ग में रखी गई वैयक्तिक प्रतिभूतियों को दैनिक अंतराल पर बाज़ार को अंकित किया जाता है। निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो लाभ व हानि लेखे में उसका प्रावधान किया जाता है जबकि निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रवर्ग में वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

ए) **''एएफएस**'' एवं **''एचएफटी**'' प्रवर्गों में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नवत् किया गया है :)

i) प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन आफ़ इंडिया (पीडीएआई) और फ़िक्स्ड इन्कम मनी मार्केट और डिराइवेटिव्स एसोसिएशन आफ़ इंडिया (एफ़आईएमएमडीए) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किए गए अनुसार केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, मूल्य पर / वाईटीएम दरों पर किया जाता है।

ii) राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, वाईटीएम पद्धति को लागू करते हुए और पीडीएआई/एफ़आईएमएमडीए द्वारा रखी गई समतुल्य परिपक्वता की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफ़ल से 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाते हुए आवधिक रूप से किया जाता है।

iii) कोट होने पर ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है। कोट न होनेवाले ईक्विटी शेयरों को उनके ब्रेक–अप मूल्य पर (पूनर्मूल्यन रिज़र्व, यदि हो, उस पर ध्यान दिए बिना), कंपनी के नवीनतम तुलनपत्र (मूल्यन की तारीख से एक वर्ष के पहले का न हो), के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। अन्यथा शेयरों का मूल्यांकन प्रति कंपनी एक रुपया के अनुसार किया जाता है।

iv) कोट होने पर अधिमान्य शेयरों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा समुचित वाईटीएम दरों अथवा पुनः शोधन मूल्य के आधार पर निर्धारित मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है।

v) अग्रिमों के रूप में रहे डिबेंचरों तथा बांडों के अलावा, सभी डिबेंचरों तथा बांडों का मूल्यांकन वाईटीएम आधार पर किया जाता है।

vi) राजकोष बिलों, जमा प्रमाण पत्रों तथा वाणिज्यिक कागज़ातों का मूल्यांकन उनकी रखाव लागत पर किया जाता है।

vii) कोट होने पर म्यूचुअल फ़ंडों की यूनिटों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा पुनः खरीद मूल्य अथवा निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) दोनों में जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है। यदि निधियां लॉक–इन अवधि में हैं, जहां पुनःखरीदी मूल्य/बाज़ार कोट उपलब्ध नहीं हो तो, यूनिटों का मूल्यांकन एनएवी पर अथवा लॉक–इन अवधि की समाप्ति तक की लागत पर किया जाता है।

viii) 23.08.2006 के बाद किये गये जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) के यूनिटों में निवेश, 3 सालों की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत होते है एवं इनका लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। संवितरण की तारीख से 3 सालों के समय के बाद, यह एएफएस में परिवर्तित किया जाएगा और भा.रि.बैं.के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार के लिए अंकित किया जाएगा।

3. All resulting exchange differences are accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" (FCTR) till the disposal of the net investments.

5. INVESTMENTS

PARENT:

5.1.1 The entire investment portfolio of the Bank is classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.

- Held To Maturity (HTM)
- Available For Sale (AFS)
- Held For Trading (HFT)

The securities acquired with the intention to be held till maturity are classified under "HTM" category. The securities acquired with the intention to trade by taking advantage of short–term price / interest movements are classified as "HFT". All other securities which do not fall under any of the two categories are classified under "AFS" category.

An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase/acquisition and subsequent shifting is done in conformity with the Regulatory guidelines. Transfer of scrips, if any, from one category to another is done at the lowest of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer and depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

Investment in Subsidiaries and Associates are classified as Held to Maturity.

Profit on sale of securities under HTM category is first taken to Profit and Loss account and thereafter appropriated to Capital Reserve account (net of taxes and amount required to be transferred to statutory reserves) and loss, if any, charged to Profit & Loss account.

5.1.2 Investments in India are valued in accordance with RBI guidelines, as under:

a) Securities in HTM category are valued at acquisition cost except where the acquisition cost is higher than the face value, in which case, such excess of acquisition cost over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Any diminution, other than temporary, in value of investments in subsidiaries/joint ventures/Associates which are included under HTM category is recognized and provided. Such diminution is being determined and provided for each investment individually. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost.

b) Investment in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are valued at historical cost. Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) are valued at carrying cost (i.e. Book value).

c) Investments in AFS category are marked to market, scrip-wise and classification wise, at quarterly intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

d) The individual scripts in the HFT category are marked to market at daily intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The Book Value of the individual securities in this category does not undergo any change.

a) Securities in AFS and HFT categories are valued as under:

i. Central Government Securities are valued at prices / YTM rates as announced by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

ii. State Government and Other approved securities are valued applying the YTM method by marking up 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by PDAI / FIMMDA periodically.

iii. Equity shares are valued at market price, if quoted. Unquoted equity shares are valued at break-up value (without considering revaluation reserves if any) as per the company's latest balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation). Otherwise, the shares are valued at Re. 1 per company.

iv. Preference shares are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of the value determined based on the appropriate YTM rates or redemption value.

v. All debentures/bonds, other than those which are in the nature of advances, are valued on the YTM basis.

vi. Treasury bills, Certificate of deposits and Commercial papers are valued at carrying cost.

vii. Units of Mutual Funds are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of repurchase price or Net Asset Value (NAV). In case of funds with a lock-in period, where repurchase price / market quote is not available, units are valued at NAV, else valued at cost till the end of the lock-in period.

viii. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost. After period of 3 years from the date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

5.1.3 विदेशी शाखाओं के निवेश के संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश या मेजबानी देश के दिशानिर्देश, जो भी ज्यादा कठोर हैं, का पालन किया जाता है। ऐसे देशों में स्थित शाखाओं के मामले में, जहाँ कोई दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, भारिबैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

5.1.4 भारिबैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक निवेश (एनपीआई) की पहचान निम्नलिखित रूप में किया गया है :

ए) प्रतिभूतियां / गैर संचयी अधिमान शेयर जहाँ ब्याज / नियत लाभांश / किस्त (परिपक्वता संप्राप्तियाँ सहित) देय हैं और 90 दिन से ज्यादा अवधि के लिए अदत्त है।

बी) यदि जारीकर्ता द्वारा बैंक से प्राप्त कोई क्रेडिट सुविधा बैंक की बही में अनर्जक अग्रिम है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी अधिमानी शेयर सहित प्रतिभूतियों में निवेश को भी एनपीआई और इसके विपरीत माना जाएगा। हालांकि, अगर केवल अधिमान शेयर को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई अन्य निष्पादित प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और उस उधारकर्ता को दी गई किसी भी अर्जक क्रेडिट सुविधाओं को एनपीए के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

सी) गैर निष्पादित इक्विटी शेयर को निम्न प्रकार मूल्यांकित किया जाता है

i. यदि उद्धृत है, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, पुनर्रचित गैर निष्पादित इक्विटी निवेश को बाजार मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। अनुद्धृत इक्विटी शेयरों को कंपनी की बैलेंस शीट (मूल्यांकन की तारीख से एक वर्ष पहले नहीं) के अनुसार ब्रेक–अप मूल्य (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों पर विचार किए बिना, यदि कोई हो) पर मूल्यांकित किया जाता है। अन्यथा, शेयर प्रति कंपनी रु. 1/– मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

ii. अन्य इक्विटी निवेशों के मामले में, जो एनपीआई के रूप में वर्गीकृत है, को उद्धृत होने पर शेयर बाजार मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है, यदि यह अनुद्धृत है, तो उन्हें प्रति कंपनी रु.1/– मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

डी) केन्द्रीय सरकार की गारंटी प्राप्त निवेशों के अतिदेय होने पर भी उन्हें तभी एनपीए माना जाएगा जब गारंटी लागू की जाने पर सरकार उसका निराकरण करती है।

ई) यदि ब्याज/मूल किस्त (परिपवक्ता संप्राप्तियों को शामिल करते हुए) अथवा बैंक को देय अन्य कोई राशि, 90 दिनों से अधिक के लिए अदत्त बनी रहती हो, तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियों में निवेश को, जोकि ''माने गए अग्रिमों' के रूप में हैं, को शामिल करते हुए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अध्यधीन रखा जाता है।

5.1.5 प्रतिभूतियों की लागत में से दलाली/कमीशन/अंशदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है। प्रतिभूतियों के अर्जन के संबंध में अदा की गयी दलाली/कमीशन/स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।

5.1.6 व्यापार के लिए ब्याज दर स्वैप लेनदेनों को तिमाही आधार पर बाज़ार को अंकित किए जाते हैं। कुल अदला–बदलियों के उचित मूल्य का आकलन, तुलन–पत्र की तारीख पर अदला–बदली करारों को समाप्त किए जाने पर प्राप्त/प्राप्य या प्रदत्त/प्रदेय राशि के आधार पर किया जाएगा। इससे होनेवाली हानियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है, जबकि लाभ यदि हो, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

5.1.7 एक्सचेंज कारोबार विदेशी विनिमय डेरिवेटिव यानी मुद्रा वायदे का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा निर्धारित मूल्यों पर किया जाता है और परिणामी लाभ और हानि की पहचान लाभ और हानि लेखे में की जाती हैं।

5.1.8 एफसीएनआर (बी) डॉलर जमाओं के लिए भारिबैंक के विनिमय स्वैप की सुविधा की शुरुआत में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम / ब्याज, स्वैप अनुबंध की अवधि के दौरान खर्च के रूप में परिशोधित किया जाता है।

5.1.9 निवेश की कीमत के निर्धारण प्रत्येक वर्ग में भारित औसत कीमत पद्धति के आधार पर किया जाता है। एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत कीमत पद्धति के तहत प्राप्त अधिग्रहण कीमत के आधार पर ले लिया गया है तथा भारित औसत कीमत के अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में प्रीमियम को केवल शेष परिपक्वता अवधि हेतु परिशोधित कर दिया जाता है।

5.1.10 रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए लेखाकरण :

एलएएफ, परिवर्ती दर मीयादी परिचालन और एमएसएफ और मार्केट रेपो लेनदेन सहित भारिबैं के साथ सभी प्रकार के रेपो / रिवर्स लेनदेनों का भारिबैं दिशानिर्देशों के अनुसार लेखांकन किया जाता है। रेपो/ रिवर्स रेपो के तहत बेची गई और खरीदी गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक उधार और उधार लेनदेनों के रूप में लिया जाता हैं। हालांकि, प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त बिक्री / खरीद लेनदेनों के मामले में अंतरित किए जाते हैं और इस प्रकार की प्रतिभूति के उतार –चढ़ाव, रेपो/रिवर्स रेपो खातों और प्रति–प्रविष्टियों के प्रयोग से परिलक्षित होता है। उपरोक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता की तारीख पर प्रतिवर्तित हो जाती है। मामले के आधार पर लागत एवं राजस्व को ब्याज व्यय/आय के रूप में लिया जाता है। रेपो खाते में शेष, अनुसूची 4(उधार) के तहत वर्गीकृत है और रिवर्स रेपो खाते में शेष, अनुसूची 7 (बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि) के तहत वर्गीकृत है।

अनुषंगी कंपनियाँ :

5.2 इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड

कंपनी के पास रखे सभी निवेश दीर्घकालिक निवेश हैं । अस्थायी प्रकृति के निवेशों के अलावा दीर्घकालिक निवेशों को ह्रास के लिए प्रावधान घटाकर, लागत पर लाया गया है । कंपनी ने कोट किए गए शेयरों के बाज़ार मूल्य पर भरोसा करते हुए शेयरों/ड़िबेंचरों के मूल्य में ह्रास को स्थायी प्रकृति के रूप में माना है तथा कोट न किए गए शेयरों के मामले में बही मूल्य/उचित मूल्य, दोनों में जो भी अधिक हो, को माना गया है।

5.3 इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड

निवेशों को चालू निवेशों और दीर्घकालिक निवेशों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन प्रत्येक निवेश के लिए अलग–अलग रूप से, उनके लागत अथवा बाज़ार मूल्य में से निम्नतर दरों पर किया गया है।

6. प्रतिभूतीकरण कंपनियों (एससी) /पुनर्निमाण कंपनियों (आरसी) को बेची गई वित्तीय आस्तियां

मूल संस्था :

6.1 एससी आरसी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में प्रतिभूतीकरण कंपनियों (एससी) /पुनर्निमाण कंपनियों (एआरसी द्वारा जारी की गई

5.1.3 In respect of investment at Overseas branches, RBI guidelines or those of the host countries whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of RBI are followed.

5.1.4 Non-performing investment (NPI) are identified as stated below, as per guidelines issued by RBI.

a) Securities/Non-cumulative Preference shares where interest/fixed dividend/installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.

b) If any credit facility availed by the issuer from the Bank is a Non-performing advance in the books of the bank, investment in any of the securities including preference shares issued by the same issuer would also be treated as NPI and vice-versa. However, if only the preference shares are classified as NPA, the investments in any of the other performing securities issued by the same issuer may not be classified as NPI and any performing credit facilities granted to that borrower need not be treated as NPA.

c) Non performing equity shares are valued as

i) As per RBI guidelines, restructured non performing equity investments are valued at market price, if quoted. Unquoted equity shares are valued at break-up value (without considering revaluation reserves, if any) as per the company's latest balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation). Otherwise the shares are valued at Re.1/- per company.

ii) In case of other equity investments, classified as NPI, shares are valued at market price, if quoted and in case it is not quoted, they are valued at Re.1 per company.

d) Investments backed by guarantee of the Central Government though overdue are treated as Non Performing Asset (NPA) only when the Government repudiates its guarantee when invoked.

e) Investment in State Government guaranteed securities, including those in the nature of 'deemed advances', are subjected to asset classification and provisioning as per prudential norms if interest/ installment of principal (including maturity proceeds) or any other amount due to the Bank remains unpaid for more than 90 days.

5.1.5 Brokerages / Commission / incentive received on subscriptions are deducted from the cost of securities. Brokerage / Commission / Stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses.

5.1.6 Interest Rate Swap transactions for trading is marked to market at quarterly intervals. The fair value of the total swaps is computed on the basis of the amount that would be received/ receivable or paid/ payable on termination of the swap agreements as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profit, if any, is ignored

5.1.7 Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

5.1.8 Premium/interest arising at the inception of forward exchange swap facility of RBI for FCNR (B) dollar deposits is amortized as expense over the period of the swap contract.

5.1.9 Cost of investments is determined based on the Weighted Average Cost method in each category. Investments classified under HTM are carried at acquisition cost as arrived under Weighted Average Cost method and in case the weighted average cost is more than the face value, the premium is amortised over the remaining period of maturity.

5.1.10 Accounting for Repo/Reverse Repo transactions:

All types of repo/reverse repo transactions with RBI including LAF, variable rate term operations and MSF and also Market Repo transactions are accounted as per RBI guidelines. The securities sold and purchased under Repo/Reverse Repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions and Triparty Repo wherein securities are transferred as in the case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as Interest expenditure / income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule 7 (Balance with Banks and Money at Call & Short Notice)

SUBSIDIARY COMPANIES:

5.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd:

The investments held by the Company are all long term investments. Long term investments are carried at cost less provision for diminution, other than temporary in nature. The Company has reckoned diminution in value of shares /debentures as permanent in nature by relying on market value of quoted shares and book value / fair value whichever is higher in respect of unquoted shares.

5.3 Ind Bank Housing Ltd

Investments are classified into current investments and long term investments. Investments are valued at lower of cost or market value for each investment individually as per NHB guidelines in force.

6. FINANCIAL ASSETS SOLD TO SECURITISATION COMPANIES (SC) / RECONSTRUCTION COMPANIES (RC)

Parent:

6.1 Security Receipts (SR) issued by SCs/RCs in respect of financial assets sold to them is recognized at lower of redemption value of SRs and Net Book Value of financial assets. SRs are valued at:

प्रतिभूति रसीद (एसआर) का मूल्यांकन, प्रतिभूति रसीद के प्रतिदान मूल्य या वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। प्रतिभूति रसीद को मूल्यांकित निम्न प्रकार किया जाता है :

ए) तुलनपत्र के दिनांक पर एससी / आरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य पर 01.04.2017 से पहले एससी / आरसी द्वारा जारी एसआर और मूल्यह्रास यदि हो तो, उसके लिए प्रावधान किया जाता है और मूल्य वृद्धि हो तो उसे ध्यान में नही लिया जाता है।

बी) दि. 01, अप्रैल 2017 के प्रभाव से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार निम्न का एस आर पर वांछित प्रावधानीकरण अधिक होगा।

(i) एससी / आरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के संदर्भ में प्रावधान दर

(ii) अंतर्निहित ऋण पर लागू प्रावधान दर, यह मानते हुए कि बैंक की बही में ऋण कल्पित जारी रहे

6.2 आरसी को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों के मामले में, भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन तथा आय पहचान किया जाता है। यदि बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम है (अर्थात् प्रावधान को घटाने के बाद बही मूल्य), तो भारिबैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, कमी को लाभ/हानि खाते में नामे डाला जाएगा या रखे हुए अस्थायी प्रावधान के उपयोग से समायोजित किया जाएगा।

यदि प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल और/या बंधक छुड़ाने के माध्यम से) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को बेचे गए एनपीए के निवल बही मूल्य से अधिक है, तो अतिरिक्त प्रावधान को लाभ व हानि लेखे में प्रत्यावर्तित किया जाता है। लाभ व हानि लेखे में प्रत्यावर्तित अतिरिक्त प्रावधान की प्रमात्रा उस सीमा तक होगी, जिसमें बेचे गए एनपीए के एनबीवी से प्राप्त अधिक नकदी तक होगी ।

7. अग्रिम

मूल संस्था

7.1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप, भारत में अग्रिमों को उधारकर्ता–वार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानिवाली आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

7.1.2 गैर निष्पादक अग्रिमों के लिए निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं –

ए) अवमानक संवर्ग –

i) कुल बकाया पर 15 प्रतिशतः के लिए एक सामान्य प्रावधान

ii) एक्सपोजर के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान जो आरंभ से आरक्षित है(यानी, जहां प्रतिभूतियों का वास्तविक मूल्य आरंभ से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है)

बी) संदिग्ध संवर्ग – 1 :

i) सुरक्षित भाग के लिए 25 प्रतिशत

ii) अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

सी) संदिग्ध संवर्ग – 2 :

i) सुरक्षित भाग के लिए 40 प्रतिशत

ii) अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

डी) संदिग्ध संवर्ग – 3 और हानि अग्रिम – 100 प्रतिशत

7.1.3 भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार पुनःसंरचित मानक अग्रिम सहित सभी मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान किया गया है।

7.1.4 विदेशी शाखाओं के संबंध में, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा ऋण हानियों के लिए स्थानीय आवश्यकताओं अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड, जो भी अधिकतर सख्त है, उसके अनुसार प्रावधान किए जाते हैं।

आगे, यदि भारिबैंक द्वारा जारी किये गए विनियमनों के अनुसार किसी भी समय बैंक की विदेशी बहियों में रही किसी आस्ति को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना होता है, तब बैंक द्वारा उस उधारकर्ता को प्रदान की गई सभी सुविधाओं और उधारकर्ता द्वारा जारी सभी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीए / एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाए।

फिर भी, वसूली के रिकॉर्ड के अलावा अन्य कारणों से मेजबान देश के विनियामकों द्वारा खाता अनर्जक / हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत है, तो भारत में वित्तीय विवरणों को समेकित करते समय उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत करेंगे और और उनके लिए यथावश्यक प्रावधान किया जाएगा; तथापि उन्हीं प्रतिपक्षियों को अन्य अधिकार क्षेत्रों (भारत को मिलाकर) में प्रदत्त अन्य ऋण एक्स्पोजरों पर आस्ति वर्गीकरण, तत्संबंधित अधिकार क्षेत्रों में लागू विद्यमान दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जाना जारी रहेगा।

7.1.5 प्रकटीकृत अग्रिम, गैर–निष्पादक आस्तियों, डीआईसीजीसी / ईसीजीसी /सीजीटीएसआई से प्राप्त दावों तथा लंबित समायोजन हेतु रखे, प्राप्त पुनर्भुगतान तथा विविध खातों में रखे, ब्याज लगाये जाने योग्य खातों में शेष, सहभागिता प्रमाण पत्रों एवं पुनः कटौती वाले मीयादी बिलों और मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनः संरचित खातों के उचित मूल्य में घटाव के एवज में किए गए प्रावधानों को घटाने के बाद निवल हैं।

8 अचल आस्तियां / मूल्यह्रास

8.1 मूल संस्था :

8.1.1 परिसर एवं अन्य अचल आस्तियों को परंपरागत लागत पर माना गया है तथा पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामले में पुनर्मूल्यांकित राशि पर माना गया है।

8.1.2 भारत में भवनों (जहाँ कहीं अलग नहीं किया जा सकता है/ अलग नहीं किया गया है, ज़मीन की लागत सहित) तथा अन्य अचल आस्तियों का मूल्यह्रास सीधी कटौती से उन दरों पर प्रभारित किया गया है जिसमें उपरोक्त आस्तियों को प्रभारित किया गया था, को निम्नप्रकार दर्शाया जाता है:

क्रम संख्या	संपत्ति की प्रकृति	मूल्यह्रास दर संख्या (एसएलएम)
I	भवन	1.63%
II	अन्य अचल आस्ति	
	1. सामान्य संयत्र व मशीनरी	4.75%
	2. फर्नीचर, फिक्सचर	6.33%
	3. विद्युत मशीनरी व फिटिंग	7.07%
	4. साइकिल	7.07%
	5. स्कूटर, मोटरसाइकिल, जीप	9.50%
	6. वैन	11.31%
	7. सिक्का वेंडिंग मशीन	16.66%
	8. मोटर कार	20%
	9. कंप्यूटर व यूपीएस सहित डाटा प्रोसेसिंग मशीन	33.33%
	10. सेल फोन तथा ₹ 5000/– तक मूल्य के कम कीमतवाली मदें	100%

8.1.3 आईसीएआई द्वारा जारी पुनरीक्षित एएस10 के अनुसार, पूनर्मूल्यांकित संघटक के संबंध में मूल्यह्रास, राजस्व व्यय के तहत प्रभारित किया जाता

(a) SRs issued by SCs/RCs prior to 01.04.2017 at Net Asset Value declared by SCs/RCs on the Balance Sheet date and depreciation, if any, is provided for and appreciation is ignored.

(b) As per amended guidelines issued by RBI with effect from April,01,2017, provisioning requirement on SRs will be higher of

(i) provisioning rate in terms of Net Asset Value declared by the SCs/RCs

(ii) provisioning rate as applicable to the underlying loans, assuming that the loans notionally continued in the books of the bank

6.2 In case of financial assets sold to RC, the valuation and, income recognition is being done as per RBI Guidelines. If the sale is for value lower than the Net Book Value (NBV) (i.e, book value less provisions held), the shorfall is debited to the Profit and Loss account or met out of utilisation of Floating provision held, as per extant RBI guidelines.

6.3 If the cash received (by way of initial consideration and /or redemption of security receipts) is higher than the Net Book value of the Non Performing Asset (NPA) sold to RC, then excess provision is reversed to the profit and Loss account. The quantum of excess provision reversed to profit and loss account is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the NPA sold.

7 ADVANCES

Parent:

7.1.1 In accordance with the prudential norms issued by RBI, advances in India are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.

7.1.2 Provisions are made for non performing advances as under:

a) Sub Standard:

i) A general provision of 15% on the total outstanding

ii) Additional provision of 10% for exposure which are unsecured ab-initio (ie., where realizable value of securities is not more than 10% ab-initio)

b) Doubtful category-1

i) 25 % for Secured portion.

ii) 100% for Unsecured portion.

c) Doubtful Category – 2

i) 40 % for Secured portion.

ii) 100% for Unsecured portion.

e) Doubtful category-3 and Loss advances – 100 %.

7.1.3 Provision is made for standard advances including Restructured / Rescheduled standard advances as per RBI directives.

7.1.4 In respect of foreign branches, income recognition, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirement or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

Further,if an asset in the overseas books of the Bank requires to be classified as NPA at any point of time in terms of regulations issued by Reserve Bank of India, then all the facilities granted by the bank to the borrower and investment in all the securities issued by the borrower will be classified as NPAs/NPIs.

However, accounts classified as Non-performing/ Impaired assets (NPAs) by host regulators for reasons other than record of recovery, would be classified as NPAs at the time of consolidating financial statements in India and provided for, as required; whereas asset classification of other credit exposures to the same counterparties in other jurisdictions (including India) will continue to be governed by the extant guidelines in the respective jurisdictions.

7.1.5 Advances disclosed are net of provisions made for non-performing assets, DICGC/ ECGC/ CGTMSE claims received and held pending adjustment, repayments received and kept in sundries account, participation certificates , usance bills rediscounted and provision in lieu of diminution in the fair value of restructured accounts classified as standard assets.

8. FIXED ASSETS / DEPRECIATION

8.1 **Parent:**

8.1.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost and at the revalued amount in respect of assets revalued.

8.1.2 Depreciation on buildings (including cost of land wherever inseparable/ not segregated) and other fixed assets in India is provided for on the straight-line method at the same rates in which the said assets were charged, as specified below:

Sl. No	Nature of Asset	Rate of Depn (SLM)
I	Buildings	1.63%
II	Other Fixed Assets	
	1. General Plant and Machinery	4.75%
	2. Furniture, Fixtures	6.33%
	3. Electrical Machinery and Fittings	7.07%
	4. Cycles	7.07%
	5. Scooters, Motor Cycles, Jeeps	9.50%
	6. Vans	11.31%
	7. Coin Vending Machine	16.66%
	8. Motor cars	20%
	9. Data processing machines including computers and UPS	33.33%
	10. Cell Phones and on small value items costing upto ₹ 5000/-	100%

है और पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि के विरुद्ध बराबर राशि का सीधे प्रभार किया जाएगा और राजस्व आरक्षित निधि में जमा किया जाएगा।

वर्ष के दौरान अर्जित नियत आस्तियों पर मूल्यह्रास, 30 सितंबर को या उसके पूर्व अर्जित आस्तियों पर निर्धारित दरों के 100 प्रतिशत दर पर तथा उसके बाद अर्जित मूर्त आस्तियों पर निर्धारित दरों के 50 प्रतिशत दर पर प्रभारित किया जाता है। बिक्री/निपटारे के वर्ष के लिए अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान नहीं किया जाता है। उन आस्तियों के मामले में, जहां सरकार से इमदाद प्राप्त हुआ है, उसे संबंधतित आस्ति खाते में जमा किया जाता है और मूल्यह्रास को तदनुसार प्रभारित किया जाता है।

8.1.4 पट्टे की ज़मीन पर प्रीमियम अधिग्रहण वर्ष में पूंजीकृत किया जाता है और पट्टा अवधि में परिशोधित किया जाता है।

8.1.5 विदेशी शाखाओं की आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों में प्रचलित पद्धति के अनुसार किया जाता है।

8.1.6 गैर बैंकिंग आस्तियों (एनबीए) के मामले में कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया जाता है।

अनुषंगी कंपनियाँ :

8.2 **इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड :**

अचल आस्तियों को परम्परागत लागत पर, संचित मूल्यह्रास और क्षति के लिए प्रावधान (यदि कोई हो) को घटा कर बताया जाता है। पट्टे पर ली गई आस्तियों (दिसंबर 1997 के पहले संविदाकृत) को पट्टा समायोजन खाते में शेष के लिए आगे समायोजित किया जाता है।

मूल्यह्रास

ए) <u>पट्टे पर दी गई आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियों पर</u>

पट्टे पर दी गई आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियों पर कंपनी, सीधी कटौती प्रणाली (एसएलएम) यथानुपात आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। में निर्धारित दरों पर मूल्यह्रास का प्रावधान करती है । साफ़्टवेयर लागतों को, उनके अर्जन के वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है।

बी) <u>बन्द परिचालनों के अंतर्गत प्रदत्त पट्टेदारी आस्तियों पर</u> :–

परिचालन बन्द करने के तहत पट्टेदारी आस्तियों पर कंपनी घटते मूल्य पद्धति पर यथानुपात आधार पर, मूल्यह्रास का प्रावधान करती है तथा जिस महीने में आस्ति संस्थापित की गयी है, उसे पूर्ण महीना माना जाता है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी पट्टों का लेखाकरण पर मार्गदर्शन नोट (संशोधित) के अनुसार पट्टा आस्तियों की लागत को पट्टे की अवधि के दौरान पूर्णतः परिशोधित किया जाता है। सांविधिक मूल्यह्रास और वार्षिक पट्टा प्रभार में अंतर का समायोजन, पट्टा समकरण के ज़रिए किया जाता है, जिसका समायोजन पट्टा आय के साथ किया जाता है।

इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड :

8.3 अचल संपत्तियों को लागत पर पूंजीकृत किया जाता है और लागत से मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया गया है। मूल्यह्रास का परिकलन कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में दी गई दरों पर मूल्यह्रासित पद्धति से किया जाता है।

9. राजस्व अभिज्ञान

मूल संस्था

9.1.1 आय और व्यय मदों को, जब तक अन्यथा नहीं बताया जाए, सामान्यतः उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

9.1.2 ग़ैर निष्पादक आस्तियों से आय, सरकार द्वारा गारंटीकृत आस्तियों (जहां वह 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय रहा हो), लाभांश आय, बीमा दावे, जारी किये गये साख–पत्रों /गारंटियों पर कमीशन (परियोजना वित्त से संबंधित को छोडकर अन्य), बैंक एश्यूरेंस उत्पादों पर आय, धन प्रबंधन पर आय, खरीदे गए बिलों पर अतिरिक्त ब्याज/अतिदेय प्रभार, क्रेडिट कार्डों पर वित्त प्रभार, पुनः क्षतिपूर्ति के बैंक के अधिकार पर आय, डेबिट कार्डों पर एएमसी प्रभार आदि से आय को उनकी वसूली होने पर हिसाब में लिया जाता है तथा प्राप्त लॉकर किराये को प्रोद्भूत आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

9.1.3 अतिदेय विदेशी बिलों के मामले में, ब्याज और अन्य प्रभारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फ़ेडाय) के दिशानिर्देशों के अनुसार क्रिस्टलाईज़ेशन की तारीख़ तक माना जाता है।

अनुषंगी कंपनियाँ :

9.2. इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड

ए) इश्यू प्रबंधन शुल्क और अन्य प्रबंधकीय सेवाओं के लिए शुल्क – समनुदेशन पूरा होने की तारीख को मान लिया जाता है।

बी) वित्तीय उत्पादों के वितरण पर हामीदारी कमीशन और दलाली – अंशदान ब्यौरे प्राप्त होने पर मान लिया जाता है।

सी) स्टॉक ब्रोकिंग परिचालनों के अधीन दलाली को संविदा के पूरा करने पर लेखांकित किया जाता है।

डी) अतिदेय पट्टा किराये पर और किराया खरीद किस्तों पर ब्याज पावती आधार पर लेखांकित किया जाता है। चूँकि बही खातों में बकायी राशि के लिए पूर्णतः प्रावधान रखा गया है, प्राप्त राशि को बकाए मूलधन राशि के तहत तथा शेष, ब्याज के तहत कुछ हों तो समायोजित किया जाता है।

इ) लाभांश आय का अभिज्ञान तब किया जाता है, जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

एफ) वार्षिक रखरखाव तथा लेनदेन प्रभार को डिपाजिटरी प्रतिभागी परिचालनों के अधीन क्रमशः वार्षिक रूप में और लेनदेन समाप्ति पर लिया जाता है।

9.3. इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड :

ए) आय की पहचान और गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान नेशनल हाउसिंग बैंक के विवेकी मानदंडों का पालन किया जाता है।

बी) आवास ऋणों की पुनरदायगी, समीकृत मासिक किस्तों (ईएमआई) के जरिए, की जाती है, जिसमें मूलधन और ब्याज राशि शामिल हैं। संबंधित अर्ध–वर्ष/वर्ष के आरंभिक शेष पर प्रत्येक अर्ध–वर्ष पर ब्याज का परिकलन किया जाता है। पूरे ऋण के वितरण के बाद ईएमआई आरंभ होती हैं। ईएमआई के प्रारंभ होने के समय तक, ईएमआई–पूर्व ब्याज देय है तथा मासिक आधार पर इसका अभिज्ञान किया जाता है।

10. क्रेडिट कार्ड पुरस्कार पाइंट

कार्ड सुविधा के प्रयोग पर कार्ड सदस्यों द्वारा अर्जित पुरस्कार पाइंटों को ऐसे प्रयोग के लिए व्यय के रूप में समझा जाता है।

11 निवल लाभ/हानि

लाभ व हानि लेखे में दर्शाया गया परिणाम निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् है

- गैर निष्पादक अग्रिमों और/या निवेशों के लिए प्रावधान
- मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान

8.1.3. Depreciation relatable to revalued component is charged under revenue expenditure and an equivalent amount will be charged straightway against revaluation reserve and credited to the revenue reserve, as per revised AS 10 issued by ICAI.

Depreciation on fixed assets acquired and put in to use on or before 30th September is charged at 100% of the prescribed rates and at 50% of the prescribed rates on the fixed assets acquired and put in to use thereafter. No depreciation on the fixed assets is provided for in the year of sale / disposal. In respect of Assets where subsidy is received from Government, the same is credited to the respective asset account and depreciation has been charged accordingly.

8.1.4 Premium on leasehold land is capitalised in the year of acquisition and amortized over the period of lease.

8.1.5 Depreciation in respect of fixed assets at foreign branches is provided as per the practice prevailing in the respective countries.

8.1.6 In respect of Non Banking Assets, no depreciation is charged.

Subsidiary Companies :

8.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd :

Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation & provision for impairment (if Any). Leased assets (Contracted prior to December 1997) are further adjusted for the balance in Lease adjustment account.

DEPRECIATION

a) On Assets other than given on lease:

In respect of assets other than assets given on lease, the company provides depreciation on the assets on the Straight Line Method (SLM) based on the useful life of the asset as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013, on pro-rata basis. Software costs are amortised on SLM over a period of three years, from the year of acquisition.

b) On Assets given on lease under discontinuing operations:

In respect of Assets given on lease under discontinuing operation, the Company provides depreciation on the assets in the WDV method on pro-rata basis, the month in which the assets are installed taken as full month. The cost of the Assets given on lease are amortised fully during the Lease period. {In accordance with the Guidance note on Accounting for Leases (revised) issued by the ICAI}. The difference between the statutory depreciation and the annual lease charge is adjusted through the Lease Equalisation, which is adjusted with the lease income.

Indbank Housing Ltd :

8.3 Fixed Assets are capitalized at cost and or stated at cost less deprecation. Depreciation is calculated on written down value method at the rates prescribed in Schedule II to the companies Act, 2013.

9. REVENUE RECOGNITION

Parent :

9.1.1 Income and expenditure are generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

9.1.2 Income from non-performing assets, Central Government guaranteed assets (where it is overdue beyond 90 days), dividend income, insurance claims, commission on letters of credit/ guarantees issued (other than those relating to project finance), income from Bancassurance products, income from wealth management, additional interest/ overdue charges on bills purchased, finance charges on credit cards, income on Bank's right to recompense, AMC charges on debit cards are accounted for on realisation and Locker Rent received is accounted on accrual basis.

9.1.3 In case of overdue foreign bills, interest and other charges are recognised till the date of crystallisation as per FEDAI guidelines.

Subsidiary Companies:

9.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd

a. Issue Management Fee and fees for other managerial services - Considered on the completion of assignment.

b. Underwriting Commission and brokerage on distribution of financial products – Considered on receipt of subscription particulars.

c. Brokerages under stock broking operations are accounted on completion of contract.

d. Interest on overdue lease rentals and hire purchase instalments (Discountinued operations) are accounted for on receipt basis. Since the outstanding amount is fully provided for in the books of accounts, the amounts received are adjusted towards the principal outstanding and balance, if any, towards interest.

e. Dividend income is recognized when the right to receive is established.

f. Annual Maintenance and transaction charges under depository participant operations are considered yearly and on completion of transactions respectively.

9.3 **Indbank Housing Ltd:**

a. The Company follows National Housing Bank's Prudential Norms for recognition of Income and Provisioning for Non Performing Assets.

b. Repayment of housing loans is by way of Equated Monthly Instalments (EMIs) comprising of principal and interest. Interest is calculated every half year on the opening balance at the beginning of the respective half year/ year. EMI commences once the entire loan is disbursed. Pending commencement of EMI, pre-EMI interest payable is recognized every month

10. CREDIT CARD REWARD POINTS

Reward points earned by card members on use of Card facility is recognized as expenditure on such use.

- ➢ पुनः संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान
- ➢ अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
- ➢ निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
- ➢ आकस्मिकता निधि को / से अंतरण
- ➢ प्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान
- ➢ अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए प्रावधान
- ➢ सामान्य और/या अन्य आवश्यक प्रावधान

12 स्टाफ को सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होनेवाले लाभ

मूल संस्था

12.1.1 भविष्य निधि

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और विकल्पी भविष्य निधि अंशदान के मामले में, बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है । ऐसे निश्चित अंशदान के लिए बैंक का दायित्व सीमित है। अंशदानों को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंधन इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है ।

12.1.2 उपदान

इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि नियमों एवं शर्तों के अनुसार उपदान देयता एक वैधानिक दायित्व है और इसका प्रावधान वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। उपदान देयता का वित्तीयन बैंक द्वारा किया जाता है और इसका प्रबंधन इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

12.1.3. पेंशन

ए) पेंशन दायित्व इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 के तहत परिभाषित लाभकारी दायित्व है। यह ऐसे कर्मचारियों को , बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है, जिन्होंने 31.03.2010 तक बैंक में भर्ती हुए हैं या जिन्होंने पेंशन का विकल्प दिया है ।

बी) नई पेंशन योजना(एनपीएस) उन कर्मचारियों पर लागू होती है जिन्होंने बैंक में 01.04.2010 के बाद भर्ती हुए हैं और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है ।

12.1.4. क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ

संचित क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ जैसे अर्जित अवकाश और चिकित्सा अवकाश बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर दी जाती हैं ।

12.1.5. अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी यात्रा रियायत और सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराये जाते हैं। समुद्रपारीय शाखाओं एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के अलावा कार्यरत कर्मचारियों से संबन्धित लाभ तत्संबंधी कार्याधिकार क्षेत्रों के कानून के तहत दिए जाते हैं।

अनुषंगी कंपनियाँ

इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं लि.

12.2 अल्प कालिक कर्मचारी हितों /बाध्यताओं का प्राक्कलन कर प्रावधान किया गया ।

ग्रेच्युटी – ग्रेच्युटी, जोकि अर्ह कर्मचारियों को कवर करनेवाली एक परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजना है, के प्रति अनुषंगी का दायित्व है। योजना में सेवानिवृत्ति, नियोजन में रहते मृत्यु अथवा नियोजन समापन पर निहित कर्मचारियों को समाप्त प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर की राशि देने का प्रावधान है। पांच वर्षों की सेवा की समाप्ति पर वेस्टिंग शुरू होती है। न्यास के रूप में स्थापित ग्रेच्युटी निधि को अनुषंगी भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ समूह ग्रेच्युटी पॉलिसी के ज़रिए वार्षिक अंशदान देती है। ग्रेच्युटी के प्रति अनुषंगी की देयता का बीमांकिक निर्धारण तुलन पत्र की तारीख पर प्रक्षेपित यूनिट जमा (पीयूसी) पद्धति का प्रयोग करते हुए किया जाता है। बीमांकिक लाभ व हानि का राजस्व में अभिज्ञान किया जाता है।

भविष्य निधि – अनुषंगी के अर्ह कर्मचारी, भविष्य निधि जोकि एक परिभाषित अंशदान योजना है के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु हक़दार हैं जिसमें कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर दोनों कर्मचारी एवं अनुषंगी मासिक अंशदान देते हैं, विधि के तहत यथा निर्दिष्ट अंशदान भविष्य निधि को और भविष्य निधि प्राधिकारियों के साथ रखी गयी पेंशन निधि को अदा किए जाते हैं।

छुट्टी की भुनाई : इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्त स्टाफ़ से अन्य कर्मचारियों की छुट्टी की भुनाई की देयता के लिए, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर न ली गई छुट्टी के दिनों के आधार पर बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।

इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर रहे स्टाफ की सेवानिवृत्ति लाभ देयता, योग्य भविष्य निधि अंशदान के अलावा इंडियन बैंक द्वारा वहन की जाती है।

इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड :

12.3. भविष्य निधि में अंशदान, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास किए जाते हैं।

ग्रूप ग्रेच्युटी योजना के अन्तर्गत गठित न्यास द्वारा ग्रेच्युटी देयता कवर किया जाता है। न्यास ने भारतीय जीवन बीमा निगम से समूह ग्रेच्युटी पॉलिसी खरीदी है और वार्षिक प्रीमियम, न्यास के ज़रिए अदा किया जाता है।

छुट्टी की भुनाई की देयता के लिए बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।

13. पट्टे हेतु लेखांकन

परिचालनगत पट्टों पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टा भुगतानों को कीमत वृद्धि सहित पट्टा अवधि या आस्ति की अवधि, भी जो कम होए के दौरान लाभ व हानि खाते में अभिज्ञात किये जाते है।

14. आकस्मिक देयताएँ और प्रावधान :

14.1 आकस्मिक देयताएं : निम्नलिखित मामलों के अतिरिक्त, जहाँ

(ए) ऐसी बाध्यताओं के मौजूद रहने की बात पुष्टिकृत नहीं की गई है

(बी) ऐसी बाध्यताओं को निपटाने के लिए संसाधन का बहिर्गमन आवश्यक नहीं है

(सी) बाध्यताओं की राशि के लिए कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता

(डी) ऐसी राशियां भौतिक नहीं हैं,

विगत घटनाएं, जिनसे वर्तमान या संभावित बाध्यताएं हो सकती हैं, को आकस्मिक देयता के रूप में माना जाता है।

14.2 (ए) वर्तमान बाध्यताओं के संबंध में तब प्रावधान को माना जाता है, जब विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है और / या संसाधनों का

11. NET PROFIT / LOSS

The result disclosed in the Profit and Loss Account is after considering:

- Provision for Non-Performing Advances and / or Investments.
- General provision on Standard Advances
- Provision for Restructured Advances
- Provision for Depreciation on Fixed Assets
- Provision for Depreciation on Investments
- Transfer to/ from Contingency Fund
- Provision for direct taxes
- Provision for Unhedged Foreign Currency Exposure
- Usual or/and other necessary provisions

12. STAFF RETIREMENT BENEFITS

Parent:

12.1.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust.

12.1.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation as per Indian Bank Employees' Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the Bank and is managed by Indian Bank Employees Gratuity Fund Trust.

12.1.3 PENSION

a) Pension liability is a defined benefit obligation under Indian Bank (Employees) Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension.

b) New Pension Scheme (NPS) which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

12.1.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.

12.1.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation. In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

Subsidiary Companies:

Indbank Merchant Banking Services Ltd

12.2 Short Term employee benefits / obligations are estimated and provided for.

Gratuity – The Subsidiary has an obligation towards gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The plan provides for a lumpsum payment to vested employees at retirement, death while in employment or on termination of employment of an amount equivalent to 15 days salary payable for each completed year of service. Vesting occurs upon completion of five years of service. Annual contribution is made to gratuity fund established as a Trust through a Group Gratuity Policy with Life Insurance Corporation of India. The Company's liability towards Gratuity is actuarially determined as at balance sheet date using the Projected Unit Credit (PUC) method. Actuarial gains and losses are recognized in revenue.

Provident Fund – The eligible employees are entitled to receive benefits under Provident Fund, a defined contribution plan in which both employees and the employer make monthly contributions at a specified percentage of the covered employees salary, the contributions as specified under the law are paid to the provident Fund and Pension Fund with Provident Fund Authorities.

Leave encashment – The eligible Leave encashment liability to the employees other than those deputed by Indian Bank has been provided for on the basis of actuarial valuation based on number of days unutilised leave as at each balance sheet date.

The retirement benefit liability to staff on deputation from Parent is borne by the Parent except eligible Provident Fund contribution.

Ind bank Housing Ltd:

12.3 Contribution to Provident Funds is made to the Regional Provident Fund Commissioner.

The Gratuity liability is covered by Trust formed under the Group Gratuity Scheme. The trust has purchased a Group Gratuity policy from LIC and the annual premium is paid through the Trust.

Liability for leave encashment is provided for on actuarial basis.

13. ACCOUNTING FOR LEASES

Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term or life whichever is lower.

बहिर्गमन संभावित है, जिनमें बहुत छोटे दावों को छोडकर शेष मामलों में आर्थिक लाभों को त्यागना पड सकें।

(बी) बाजार जोखिम, देश जोखिम आदि के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार किये जाते हैं।

(सी) बैंक प्रबन्धन द्वारा अभिज्ञात किये अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान किया जाता है।

भारिबैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान का प्रयोग निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है

(I) गैर–निष्पादक आस्तियों हेतु विशेष प्रावधान करना

(ii) गैर–निष्पादक आस्तियों की बिक्री में किसी कमी की पूर्ति करना

15. आस्तियों का अनर्जक होना :

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) के संबंध में आस्तियों की हानि यदि कोई हो,लेखा मानक 28 "आस्तियों का अनर्जक होना" के अनुरूप पहचानी जाती है और उन्हें लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। तथापि, पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर अनर्जक हानि को उस आस्ति के लिए रखी गयी पुनर्मूल्यांकित अधिशेष राशि के तहत अभिज्ञानित किया जाता है जबतक उसी आस्ति के लिए पुनर्मूल्यांकित अधिशेष राशि में रखी गयी राशि अनर्जक आस्ति से अधिक न हो।

16. आय पर कर :

16.1 कर हेतु प्रावधान, चालू कर तथा आस्थगित कर दोनों के लिए किया जाता है।

16.2 प्रयोज्य कर दरें, कर नियम और अनुकूल न्यायिक निर्णय / विधिक मत का उपयोग करते हुए कर प्राधिकारियों को देय आकलित राशि के आधार पर वर्तमान कर का आकलन किया जाता है।

16.3 समय के अंतऱ के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां और देयताएं जोकि बाद के वर्षों में प्रत्यावर्तन की क्षमता रखती हैं, को तुलन पत्र की तारीख तक अथवा बाद में तैयार किए गए कर दरों व कर कानूनों का प्रयोग करके अभिपहचानित किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों को कर हानि के असंगत मूल्यह्रास को आगे बढ़ाने पर अभिपहचानित किया गया, जब असली निश्चितता हो और अन्य के संबंध में, यदि उचित निश्चितता हो कि पर्याप्त भावी कर–योग्य आय उत्पन्न होगी जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की उगाही की जा सके।

17. परिचालनों को बन्द करना :

अनुषंगियाँ

इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेस लि. के संबंध में परिचालनों को बन्द करने के लिए अपनायी जानेवाली लेखांकन नीतियाँ, परिचालनों को जारी रखने के लिए अपनायी जानेवाली लेखांकन नीतियों के समनुरूप हैं।

14. CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

14.1 Contingent liability: Past events leading to, possible or present obligations are recognised as contingent liability in the following instances where:

(a) The existence of such obligations has not been confirmed

(b) no outflow of resources are required to settle such obligations

(c) a reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made

(d) such amounts are not material

14.2 (a) Provision is recognized in case of present obligations where a reliable estimate can be made and/or where there are probable outflow of resources embodying foregoing of economic benefits to settle the obligations, excluding frivolous claims.

(b) Provision for Market Risk, Country Risk, etc., are made in terms of extant instructions of RBI.

(c) Floating provision as identified by the Bank Management is provided for.

Floating provision may be utilized as per extant RBI guidelines, for -

(i) Making specific provisions for non-performing assets;

(ii) Meeting any shortfall in sale of non-performing assets.

15. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on a revalued asset is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

16. TAXES ON INCOME

16.1 Provision for tax is made for both Current Tax and Deferred Tax.

16.2 Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favorable judicial pronouncements / legal opinion.

16.3 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognised unless there is "virtual certainty" that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

17. Discontinuing Operations

In respect of Indbank Merchant Banking Services Ltd accounting policies adopted for discontinued operations are in line with the accounting policies adopted for continuing operations.

अनुसूची –18

समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए लेखों पर टिप्पणियां (2018–19)

1. अनुषंगियां

क्रम सं.	अनुषंगी का नाम	संस्थापना का देश	स्वामित्व का अनुपात
ए	इंडबैंक हाउसिंग लि.	भारत	51.00%
बी	इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लि.	भारत	64.84%

2. सहयोगी

क्रम सं.	सहयोगियों का नाम	शेयरधारिता का ढांचा
ए	पल्लवन ग्राम बैंक	35%
बी	सप्तगिरि ग्रामीण बैंक	35%
सी	पुदुवै भारतीयार ग्राम बैंक	35%

3. लेखा समाधान एवं समायोजन

मूल संस्था

3.1.1 अंतर शाखा लेखों का लेखा समाधान 31.03.2019 तक पूरा किया जा चुका है। बैंक ने विभिन्न कारगर उपायों के द्वारा पुरानी बकाया प्रविष्टियों /आईबीजीए के स्तर में कमी लाई है। शेष बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का कार्य प्रगति पर है। प्रबन्धन के अनुसार कुल ₹ 4.86 करोड राशि की 5747 आईबीजीए जमा प्रविष्टियाँ जोकि 01.03.2009 के पूर्व की अवधि से संबंधित है, बकाया हैं।

3.1.2 31.03.2019 तक 6 महीनों से अधिक के लिए बकाया अंतर शाखा लेखों में असमाशोधित प्रविष्टियों के संबंध में निवल जमा स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है।

3.1.3 देय ड्राफ़्ट, समाशोधन समायोजन, विविध प्राप्य, विविध जमा खाते आदि में और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों से संबंधित बैंक समाधान में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के समुचित समायोजन के लिए नियमित पुनरीक्षा की जाती है।

3.1.4 कुछ शाखाओं में अनुषंगी बहियों/रजिस्टरों का तुलन और सामान्य बहियों के साथ लेखा समाधान प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में खातों पर उपर्युक्त विषयों का परिणामी वित्तीय प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा।

4. अचल आस्तियां

मूल संस्था

4.1.1 बैंक के परिसर में भूमि शामिल है तथा इसे पुनर्मूल्यांकित राशि पर लिया गया है! बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अपने परिसर को पुनर्मूल्यांकन अनुमोदित बाह्य मूल्यांककों द्वारा उचित बाज़ार मूल्य पर किया है। परिसर के पुनर्मूल्यांकन की राशि में रु.555.14 करोड़ की वृद्धि हुई है, जिसे ''पूनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते'' में जमा किया गया। वर्ष 2018–19 के लिए व्यय के तहत ₹85.34 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष – ₹82.08 करोड़) मूल्यह्रास हेतु प्रभारित किया गया तथा और ₹81.55 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹ 78.98 करोड़) की पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यह्रास को ''पूनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते'' में समायोजित किया गया। एएस 10 मानक के अनुसार, वर्ष 2018–19 के लिए व्यय के तहत ₹ 81.55 करोड़ रुपये की आस्तियों पर मूल्यह्रास हेतु भी प्रभार लगाया गया । इसे राजस्व आरक्षित खाते में क्रेडिट कर पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के विरुद्ध समायोजित किया गया ।

4.1.2 परिसर में ₹ 3.59 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 3.59 करोड़ मूल्य की 4 संपत्तियाँ) मूल्य की 4 संपत्तियाँ हैं जिनका पुनर्मूल्यांकित बही मूल्य, निवल मूल्यह्रास ₹ 49.22 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 52.28 करोड़) है जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया लंबित है।

4.1.3 आरक्षितियों से कमी : (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	आरक्षित निधियां	आहरित राशि		उद्देश्य
1.	पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों	2018-19	2017-18	
		81.55	78.98	परिसर में पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास

* वर्ष 2018–19 के लिए, एएस 10 मानकों के प्रावधानों के अनुसार राजस्व आरक्षित खातों में राशि को जमा की गई थी।

SCHEDULE 18

NOTES ON ACCOUNTS TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (2018-19)

1. SUBSIDIARIES:

Sl.No.	Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
a	Ind Bank Housing Ltd	India	51.00%
b	Indbank Merchant Banking Services Ltd	India	64.84%

2. ASSOCIATES:

Sl.No.	Name of the Associate	Shareholding Pattern
a	Pallavan Grama Bank	35%
b	Saptagiri Grameena Bank	35%
c	Puduvai Bharathiar Grama Bank	35%

3.RECONCILIATION AND ADJUSTMENTS

PARENT:

3.1.1 Reconciliation of Inter Branch Account is completed up to 31.03.2019. The Bank through various effective steps has achieved reduction in the old outstanding entries in IBGA. Adjustment of the remaining outstanding entries is in progress. As per the Management, 5747 IBGA credit entries aggregating to ₹ 4.86 crores are outstanding, pertaining to the period before 01/03/2009.

3.1.2 In view of the net credit position in respect of unreconciled entries in the Inter Branch Account outstanding for more than 6 months as on 31.03.2019, no provision is required.

3.1.3 Old outstanding entries in drafts payable, clearing adjustment, sundries receivable, sundry deposit accounts, etc. and in bank reconciliation relating to Reserve Bank of India and other banks are being regularly reviewed for appropriate adjustments.

3.1.4 Balancing of subsidiary ledgers / registers and reconciliation with general ledgers are in progress at some branches. In the opinion of the management, consequential financial impact of the above on the accounts will not be significant.

4. FIXED ASSETS

PARENT

4.1.1 The premises of the Bank include land and are stated at revalued amount. The Bank revalued its premises in the financial year 2018-19 at fair market value determined by the approved external valuers. There is an increase of ₹ 555.14 Crore in the amount of revaluation of premises, which has been credited to "Revaluation Reserve Account". For the year 2018-19, depreciation amounting to ₹ 85.34 crores (Previous Year - ₹ 82.08 crore) was charged under expenditure and depreciation on revalued portion amounting to ₹ 81.55 Crore (previous year ₹ 78.98 crore) is adjusted against the "Revaluation Reserve account'. As per AS 10, depreciation on revalued assets amounting to ₹81.55 cr. was also charged under expenditure for the year 2018-19. The same was adjusted against Revaluation Reserve to the credit of Revenue Reserve A/c.

4.1.2 Premises include 4 properties costing ₹ 3.59 crores (Previous year – 4 properties costing ₹ 3.59 crores) having revalued book value, net of depreciation at ₹ 49.22 Crore (Previous year – ₹ 52.28 crore) for which registration formalities are pending.

4.1.3 Draw Down from Reserves: (₹ in crore)

Sl. No.	Reserves	Amount drawn		Purpose
1.	Revaluation Reserve	2018-19	2017-18	
		81.55	78.98	Depreciation on revalued portion on Premises

* For the year 2018-19, the amount was credited to Revenue Reserve A/c as per the provisions of AS10 Standards.

5. कराधान

मूल संस्था

5.1 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किए प्रावधान की राशि :

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2017-18
कराधान के लिए प्रावधान (आस्तिगत कर सहित आय कर)	-37.74	-182.57

31.03.2019 को विवादित आयकर मांग ₹ 4348.52 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3286.77 करोड़) है, आकस्मिक देयताएँ के तहत भी शामिल किया गया जिसमें से 31.03.2019 तक विवादित आयकर का भुगतान ₹ 5704.41 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4031.84 करोड़) है। न्यायिक उद्घोषणाओं तथा बैंकों के स्वीय वादों में अनुकूल निर्णयों के कारण कथित विवादित मांगों पर कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया।

5.2 अनुषंगी कंपनियां

5.2.1 इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि.

ए) इस वर्ष में कर के लिए रु.8.52 लाख (एमएटी गणना के अनुसार) का प्रावधान किया गया है।

बी) विषयों पर न्यायिक निर्णयों और/या विधिक राय को ध्यान में रखते हुए आयकर की विवादित मांगों के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

सी) इस वर्ष के लिए आस्थगित कर (निवल) हेतु रु.4.02 लाख का प्रावधान है (पिछले वर्ष – रु.4.83 लाख) तथा इसे लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।

डी) पूर्व अवधि के कर : शून्य

5.2.2 इंड बैंक हाऊसिंग लिमिटेड

ए. भ्रामक अनिश्चितता के आधार पर अनवशोषित मूल्यह्रास और भावी कर–योग्य आय के विरुद्ध समंजन के लिए अगले लाभ से घाटा–पूर्ति को आस्थगित कर आस्ति के रूप में नहीं माना गया है।

बी. आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 1999–2000 के लिए ब्याज सहित ₹4.32 करोड के लिए एक मांग नोटिस भेजी है। यह मांग उपचय आधार पर गैर निष्पादक आस्तियों पर आय को ध्यान में लेते हुए भेजी गई है जिसे एनएचबी के दिशानिर्देशों के अनुसार आय के रूप में पहचाना नहीं जा सकता है। कंपनी ने इस मांग के विरुद्ध विवाद करते हुए माननीय मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष अपील दायर किया है।

6. लेखाकरण मानकों के संबंध में प्रकटीकरण

मार्च 31, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण (एएस 3)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
लाभ व हानि खाते के अनुसार निवल लाभ	**380.73**	**1311.29**
निम्नलिखित हेतु समायोजन		
प्रावधान व आकस्मिकताएं	4557.48	3744.39
मूल्यह्रास	259.29	236.84
आस्तियों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	1.51	2.14
कार्यशील पूँजी परिवर्तनों के पूर्व परिचालनगत लाभ	**5199.00**	**5294.67**

5. TAXATION

PARENT

5.1 Amount of Provision made for Income Tax during the year:

(₹ in crore)

	2018-19	2017-18
Provision for Taxation (Income Tax including Deferred Tax)	-37.74	-182.57

The disputed income tax demand paid as at 31.03.2019 was ₹ 4348.52 Crores (previous year ₹ 3286.77 Crores). The same has also been included under contingent liabilities of ₹ 5704.41 Crores (previous year ₹ 4031.84 Crores) relating to disputed tax matters as at 31.03.2019. No provision is considered necessary for the said disputed demands on account of judicial pronouncements and favorable decisions in Banks' own case.

5.2 SUBSIDIARY COMPANIES

5.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

a) A net provision of ₹ 8.52 lakhs for tax has been made in the year.

b) No provision is made for the disputed demands of income tax keeping in view the judicial pronouncements and/or legal opinion on the issues.

c) The provision for deferred tax (net) for the year is ₹ (4.02) lakhs (Previous year- ₹ 4.83 lakhs) which has been charged to profit & loss account.

d) Prior period taxes : Nil

5.2.2 INDBANK HOUSING LTD

a. The unabsorbed depreciation and carry forward losses eligible for set-off against future taxable income have not been considered for deferred tax asset on the ground of virtual uncertainty.

b. The Income Tax Department has sent a demand notice for ₹ 4.32 crores for the assessment year 1999-2000 including interest. The demand is raised by considering the income on non-performing assets on accrual basis which, as per the NHB directives, could not be recognised as income. The Company has contested the demand and the matter is pending before the Hon'ble Madras High Court.

6. DISCLOSURES IN RESPECT OF ACCOUNTING STANDARDS

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31,2019 (AS3)

(₹ in crore)

	Year ended 31.03.2019	Year ended 31.03.2018
Net Profit as per Profit and Loss Account	**380.73**	**1311.29**
Adjustments for :		
Provisions and Contingencies	4557.48	3744.39
Depreciation	259.29	236.84
Loss/(profit) on sale of land and buildings	1.51	2.14
Operating Profit before working Capital Changes	**5199.00**	**5294.67**

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
परिचालनगत आस्तियों में वृद्धि / कमी		
निवेशों में कमी/(वृद्धि)	6347.59	(3837.95)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(24692.98)	(28861.22)
अन्य आस्तियों में कमी/(वृद्धि)	(1424.46)	1086.87
	(19769.85)	**(31612.30)**
परिचालनगत देयताओं में वृद्धि / कमी		
जमाओं में वृद्धि	33778.98	25781.78
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(4242.83)	(3139.94)
	29536.15	22641.84
परिचालन से सृजित निवल नकदी (ए)	**14965.30**	**(3675.79)**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों की खरीद	(256.44)	(223.12)
अचल आस्तियों की बिक्री	7.88	8.74
निवेश गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (बी)	**(248.56)**	**(214.38)**
वित्तपोषण गतिविधियों से कुल नकदी प्रवाह		
प्रदत्त किया गया लाभांश		(288.17)
प्रदत्त लाभांश वितरण कर		(58.67)
उधार में वृद्धि / (कमी)	(7622.63)	7123.28
वित्तपोषिण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (सी)	**(7622.63)**	**6776.44**
नकदी और नकदी समकरणों में निवल वृद्धि/(कमी) (ए) + (बी) + (सी)	**7094.11**	**2886.26**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी तुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	499.70	162.35
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष	10001.90	5426.35
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	15.27	13.76
(बी) अन्य जमा खातों में	640.69	962.25
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	0.00	0.00
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	166.39	181.00
(बी) अन्य जमा खातों में	1609.01	3290.33
मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	0.54	11.21
	12933.50	**10047.24**
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी तुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1030.76	499.70
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष	10671.11	10001.90
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	4.35	15.27
(बी) अन्य जमा खातों में	717.14	640.69
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	2200.00	0.00
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	203.66	166.39
(बी) अन्य जमा खातों में	5168.47	1609.01
मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	32.13	0.54
	20027.60	**12933.50**

	Year ended 31.03.2019	Year ended 31.03.2018
Increase/Decrease in Operating Assets		
Decrease/(Increase) in Investments	6347.59	(3837.95)
Decrease/(Increase) in advances	(24692.98)	(28861.22)
Decrease/(Increase) in other assets	(1424.46)	1086.87
	(19769.85)	**(31612.30)**
Increase/Decrease in Operating Liabilities		
Increase in Deposits	33778.98	25781.78
Increase/(Decrease) in other liabilities	(4242.83)	(3139.94)
	29536.15	22641.84
Net cash generated from operations (A)	**14965.30**	**(3675.79)**
Cash flow from investing activities		
Purchase of fixed assets	(256.44)	(223.12)
Sale of fixed assets	7.88	8.74
Net cash generated from Investing Activities (B)	**(248.56)**	**(214.38)**
Cash flow from Financing activities		
Payment of dividend		(288.17)
Payment of distribution tax		(58.67)
Increase/(Decrease) in borrowings	(7622.63)	7123.28
Net cash generated from financing activities (C)	**(7622.63)**	**6776.44**
Net increase/(Decrease) in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	**7094.11**	**2886.26**
cash and cash equivalents at the beginning of the year		
cash in hand (including foreign currency notes)	499.70	162.35
Balances with Reserve Bank of India - in current Account	10001.90	5426.35
Balances with Banks		
(a) in current Accounts	15.27	13.76
(b) in other deposit accounts	640.69	962.25
Money at Call and short notice with Banks	0.00	0.00
Balances with Banks outside India		
(a) in current Accounts	166.39	181.00
(b) in other deposit accounts	1609.01	3290.33
Money at call and short notice	0.54	11.21
	12933.50	**10047.24**
Cash & Cash equivalents at the end of the year		
cash in hand (including foreign currency notes)	1030.76	499.70
Balances with Reserve Bank of India - in current Account	10671.11	10001.90
Balances with Banks		
(a) in current Accounts	4.35	15.27
(b) in other deposit accounts	717.14	640.69
Money at Call and short notice with Banks	2200.00	0.00
Balances with Banks outside India		
(a) in current Accounts	203.66	166.39
(b) in other deposit accounts	5168.47	1609.01
Money at call and short notice	32.13	0.54
	20027.60	**12933.50**

7. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (एएस 10)

मूल संस्था

वर्ष के दौरान, अचल आस्तियों के पुनर्मूल्यन अंश पर मूल्यह्रास को लेखा मानक (एएस –10) में परिवर्तन का पालन करने के लिए पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को प्रभार के विरुद्ध लाभ एवं हानि खाता खातों को प्रभारित किया जाता है। इसका व्यय में ₹ 81.55 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी और निवल लाभ में ₹ 81.55 करोड़ रुपये की कमी का प्रभाव पड़ा।

8 कर्मचारी लाभ (एएस 15)

8.1.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ :

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, बैंक ने ₹0.70 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.81 करोड़) का अंशदान दिया है।

नई पेंशन योजना उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी बैंक में भर्ती 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, बैंक ने ₹ 49.71 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 45.95 करोड़) का अंशदान दिया है।

8.1.2 परिभाषित लाभ योजनाएँ :

लेखा मानक – 15 (संशोधित) के अनुसरण में अपेक्षित लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र में मान्यता दिए गए नियोजनोत्तर लाभ और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की संक्षेप में स्थिति निम्नानुसार है : –

I. मूल बीमांकन अनुमान (भारित औसतों के रूप में व्यक्त)	**31/03/2019**	**31/03/2018**
बट्टे की दर – जी–सेक दर	पेन्शन के लिए 7.79% - 15 वर्ष जी –सेक पत्र उपदान के लिए 7.47% - 10 वर्ष जी–सेक पत्र	पेन्शन के लिए 7.78% - 15 वर्ष जी –सेक पत्र उपदान के लिए 7.56% - 10 वर्ष जी–सेक पत्र
वेतन बढोत्तरी की दर	6.00% (वेतन संशोधन के लिए 0.50% के साथ)	6.00% (वेतन संशोधन के लिए 0.50% के साथ)
पदत्याग की दर	पेंशन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%	पेंशन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर *	पेंशन के लिए 8.26% और उपदान के लिए 8.23%	पेंशन के लिए 8.25% और उपदान के लिए 7.60%
प्रयुक्त तरीका	परियोजना इकाई ऋण (पीयूसी) बीमांकक तरीका	

* योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर, छुट्टी भुनाई पर लागू नहीं होगी।

भावी वेतनवृद्धियों के आकलन मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबंधित घटक जैसे नियोजन बाज़ार में आपूर्ति एवं मांग को हिसाब में लेकर भारतीय बैंक संघ द्वारा अधिवर्षिता योजनाओं के निधीयन पर दिशानिर्देश्या के अनुरूप किये जाते हैं। इस तरह के अनुमान बहुत दीर्घकालिक हैं और सीमित पिछले अनुभव / तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी सुझाव देते हैं कि बहुत दीर्घकालिक में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है।

छुट्टी भुनाई की देयताएँ गैर–निधिक होते हैं।

चालू वर्ष 2018–19 (₹ करोड़ में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन – अथशेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	**पेंशन निधि**	**उपदान निधि**	**छुट्टी भुनाई**
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	**6245.89**	**964.99**	**179.51**
ब्याज लागत	462.66	66.44	13.20
वर्तमान सेवा लागत	89.58	41.29	22.40
विगत सेवा लागत – पहचाने गए/निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचाने न गए/गैर–निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(613.46)	(150.98)	(19.32)
बाध्यता पर (संतुलन आंकडा) बीमांकिक हानि/(लाभ)	(335.65)	(2.11)	7.58
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	**6520.32**	**923.85**	**188.21**

7. Property, Plant and Equipment (AS 10)

PARENT

During the year, the depreciation on revalued portion of the fixed assets is charged to profit and loss account as against charge to revaluation reserves during the previous financial years to comply with the change in Accounting Standard (AS-10). This has the effect of increase in the expenses by ₹ 81.55 crore and lowering the net profit by ₹ 81.55 crore.

8. EMPLOYEE BENEFITS (AS 15)

PARENT

8.1.1 Defined Contribution Plans:

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust. During the financial year 2018-19, the Bank has contributed ₹ 0.70 crores (previous year ₹ 0.81 crore).

New Pension Scheme (NPS) is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account. During the financial year 2018-19, the Bank has contributed ₹ 49.71 crores (previous year ₹45.95 crores).

8.1.2 Defined Benefit Plans:

The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognised in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) are as under:

The following table sets out the basis of the Defined Benefit Pension Plan and Gratuity Plan as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank

I. PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS [Expressed as weighted averages]	31/03/2019	31/03/2018
Discount Rate -G-Sec Rate	7.79% for Pension–15 year G-sec paper 7.47% for Gratuity —10 year G-sec paper	7.78% for Pension–15 year G-sec paper 7.56% for Gratuity —10 year G-sec paper
Salary escalation rate	6.00% (includes 0.50% for wage revision)	6.00% (includes 0.50% for wage revision)
Attrition rate	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees
Expected rate of return on Plan Assets *	8.26% for Pension and 8.23% for Gratuity	8.25% for Pension and 7.60% for Gratuity
Method used	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method	

* Expected Rate of return on Plan Assets not applicable for Leave encashment.

The estimates of future salary increases are considered taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market and in tandem with Funding Guidelines for Superannuation Schemes communicated by IBA. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible.

The liabilities of leave encashment are unfunded.

Current Year 2018-19 (₹ in Crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
PVO as at the beginning of the year	**6245.89**	**964.99**	**179.51**
Interest Cost	462.66	66.44	13.20
Current service cost	89.58	41.29	22.40
Past service cost – recognized / vested benefits	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognized / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	(613.46)	(150.98)	(19.32)
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	335.65	2.11	7.58
PVO as at the end of the year	**6520.32**	**923.85**	**188.21**

पिछले वर्ष 2017-18

(₹ करोड़ में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन – अथशेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	**पेंशन निधि**	**उपदान निधि**	**छुट्टी भुनाई**
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	**5925.15**	**900.90**	**171.21**
ब्याज लागत	109.62	66.08	12.72
वर्तमान में सेवा लागत	84.68	64.85	20.92
विगत सेवा लागत – पहचाने गए/निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचाने न गए/गैर–निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(577.96)	(103.04)	(15.18)
बाध्यता पर (संतुलन आंकडा) बीमांकिक हानि / (लाभ)	704.39	36.20	(10.18)
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	**6245.89**	**964.99**	**179.51**

चालू वर्ष 2018-19

(₹ करोड़ में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – अथशेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	**पेंशन निधि**	**उपदान निधि**	**छुट्टी भुनाई**
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**6146.80**	**932.55**	**0.00**
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	496.59	71.94	0.00
अंशदान	397.58	57.53	19.32
प्रदत्त लाभ	(613.46)	(150.98)	(19.32)
योजना आस्तियों पर (संतुलन आंकडा) बीमांकिक लाभ / (हानि)	(8.58)	(0.38)	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**6418.93**	**910.66**	**0.00**

पिछले वर्ष 2017-18

(₹ करोड़ में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – अथ शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	**पेंशन निधि**	**उपदान निधि**	**छुट्टी भुनाई**
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**5841.36**	**876.81**	**0.00**
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	470.86	70.25	0.00
अंशदान	401.61	66.42	15.88
प्रदत्त लाभ	(577.96)	(103.05)	(15.88)
योजना आस्तियों पर (संतुलन आंकडा) बीमांकिक लाभ / (हानि)	10.93	22.12	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**6146.80**	**932.55**	**0.00**

चालू वर्ष 2018-19

(₹ करोड़ में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	**पेंशन निधि**	**उपदान निधि**	**छुट्टी भुनाई**
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	496.59	71.94	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि)	(8.58)	(0.38)	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	488.01	71.56	0.00

पिछले वर्ष 2017-18

(₹ करोड़ में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	**पेंशन निधि**	**उपदान निधि**	**छुट्टी भुनाई**
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	470.86	70.25	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/ (हानि)	10.93	22.12	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	481.79	92.37	0.00

Previous Year 2017-18 (₹ in Crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
PVO as at the beginning of the year	**5925.15**	**900.90**	**171.21**
Interest Cost	109.62	66.08	12.72
Current service cost	84.68	64.85	20.92
Past service cost – recognized / vested benefits	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognized / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	(577.96)	(103.04)	(15.18)
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	704.39	36.20	(10.18)
PVO as at the end of the year	**6245.89**	**964.99**	**179.51**

Current Year 2018-19 (₹ in Crore)

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	**6146.80**	**932.55**	**0.00**
Expected return on plan assets	496.59	71.94	0.00
Contributions	397.58	57.53	19.32
Benefits paid	(613.46)	(150.98)	(19.32)
Actuarial gain/(loss) on plan assets [balancing figure]	(8.58)	(0.38)	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	**6418.93**	**910.66**	**0.00**

Previous Year 2017-18 (₹ in Crore)

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	**5841.36**	**876.81**	**0.00**
Expected return on plan assets	470.86	70.25	0.00
Contributions	401.61	66.42	15.88
Benefits paid	(577.96)	(103.05)	(15.88)
Actuarial gain/(loss) on plan assets [balancing figure]	10.93	22.12	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	**6146.80**	**932.55**	**0.00**

Current Year 2018-19 (₹ in Crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Expected return on plan assets	496.59	71.94	0.00
Actuarial gain / (loss) on plan assets	(8.58)	(0.38)	0.00
Actual return on plan assets	488.01	71.56	0.00

Previous Year 2017-18 (₹ in Crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Expected return on plan assets	470.86	70.25	0.00
Actuarial gain / (loss) on plan assets	10.93	22.12	0.00
Actual return on plan assets	481.79	92.37	0.00

चालू वर्ष 2018-19 (₹ करोड़ में)

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – बाध्यता	(335.65)	(2.11)	7.58
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)–योजना आस्तियां	(8.58)	(0.38)	0.00
वर्ष के लिए कुल (लाभ) / हानि	(344.23)	(2.49)	7.58
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकक लाभ/(हानि)	**(344.23)**	**(2.49)**	**7.58**
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00	22.40

पिछले वर्ष 2017-18 (₹ करोड़ में)

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – बाध्यता	(704.39)	(36.20)	10.18
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)–योजना आस्तियां	10.93	22.12	0.00
वर्ष के लिए कुल लाभ/(हानि)	(693.47)	(14.09)	10.18
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकिक लाभ/(हानि)	**(693.47)**	**(14.09)**	**10.18**
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00	20.92

चालू वर्ष 2018-19 (₹ करोड़ में)

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	6520.32	923.85	188.21
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	6418.93	910.66	0.00
अन्तर – तुलन पत्र में पहचानी गयी निवल (देयता)/ आस्ति	(101.39)	(13.19)	(188.21)
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी देयता	(101.39)	(13.19)	(188.21)

पिछले वर्ष 2017-18 (₹ करोड़ में)

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	**6245.89**	**964.99**	**179.51**
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	6146.80	932.55	0.00
अन्तर – तुलन पत्र में पहचानी गयी निवल (देयता)/ आस्ति	(99.09)	(32.44)	(179.51)
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी आस्ति (देयता)	**(99.09)**	**(32.44)**	**(179.51)**

चालू वर्ष 2018-19 (₹ करोड़ में)

VII. लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्तमान सेवा लागत	89.58	41.29	22.40
ब्याज लागत	462.66	66.44	13.20
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(496.58)	(71.94)	0.00
निवल बीमांकिक लाभ / (हानि) जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	;344ण23द्ध	;2ण49द्ध	7ण58
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचानी गई	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	**(399.89)**	**(38.28)**	**(28.02)**

Current Year 2018-19 (₹ in Crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNISED	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	(335.65)	(2.11)	7.58
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	(8.58)	(0.38)	0.00
Total gain / (loss) for the year	(344.23)	(2.49)	7.58
Actuarial gain / (loss) recognised in the year	**(344.23)**	**(2.49)**	**7.58**
Unrecognised actuarial gain / (loss) at the end of the year	0.00	0.00	22.40

Previous Year 2017-18 (₹ in Crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNISED	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	(704.39)	(36.20)	10.18
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	10.93	22.12	0.00
Total gain / (loss) for the year	(693.47)	(14.09)	10.18
Actuarial gain / (loss) recognised in the year	**(693.47)**	**(14.09)**	**10.18**
Unrecognised actuarial gain / (loss) at the end of the year	0.00	0.00	20.92

Current Year 2018-19 (₹ in Crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present value of the obligation	6520.32	923.85	188.21
Fair value of plan assets	6418.93	910.66	0.00
Difference - Net (Liability) / Asset recognized in Balance Sheet	(101.39)	(13.19)	(188.21)
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00
Liability recognised in the balance sheet	(101.39)	(13.19)	(188.21)

Previous Year 2017-18 (₹ in Crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present value of the obligation	**6245.89**	**964.99**	**179.51**
Fair value of plan assets	6146.80	932.55	0.00
Difference - Net (Liability) / Asset recognized in Balance Sheet	(99.09)	(32.44)	(179.51)
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00
Liability recognised in the balance sheet	**(99.09)**	**(32.44)**	**(179.51)**

Current Year 2018-19 (₹ in Crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Current service cost	89.58	41.29	22.40
Interest Cost	462.66	66.44	13.20
Expected return on plan assets	(496.58)	(71.94)	0.00
Net actuarial gain / (loss) recognised in the year	(344.23)	(2.49)	7.58
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	0.00	0.00	0.00
Expenses recognised in the statement of profit and loss	**(399.89)**	**(38.28)**	**(28.02)**

पिछले वर्ष 2017-18 (₹ करोड़ में)

VII. लाभ एवं हानि लेखें में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्तमान सेवा लागत	84.68	64.85	20.92
ब्याज लागत	109.62	66.08	12.73
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(470.86)	(70.25)	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	693.47	14.09	(10.18)
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचानी गई	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि लेखें में पहचाने गये व्यय	416.91	74.76	23.47

चालू वर्ष 2018-19 (₹ करोड़ में)

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
निवल देयता का आरंभिक शेष	(99.08)	(32.44)	(179.51)
उपर्युक्तानुसार व्यय	(399.89)	(38.28)	(28.02)
प्रदत्त अंशदान	397.58	57.53	19.32
निवल देयता का अंत शेष	**(101.39)**	**(13.19)**	**(188.21)**

पिछले वर्ष 2017-18 (₹ करोड़ में)

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
निवल देयता का आरंभ शेष	(83.79)	(24.09)	(171.21)
उपर्युक्तानुसार व्यय	(416.91)	(74.76)	(23.47)
प्रदत्त अंशदान	401.61	66.42	15.18
निवल देयता का अंत शेष	**(99.09)**	**(32.44)**	**(179.51)**

(₹ करोड़ में)

IX. (i) चालू वर्ष 2018-19	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	6520.32	923.85	188.21
योजना आस्तियां	6418.93	910.66	0.00
अधिशेष/(घाटा)	(101.39)	(13.19)	(188.21)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन – (हानि)/लाभ	(335.65)	(2.11)	7.58
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन – (हानि)/लाभ	(8.58)	(0.38)	0.00

(₹ करोड़ में)

IX. (ii) पिछले वर्ष 2015-18 पेंशन	**31.03.2015 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2016 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2017 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2018 को समाप्त वर्ष**
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	5306.22	5608.14	5925.15	6245.89
योजना आस्तियां	5215.05	5508.95	5841.36	6146.80
अधिशेष /(घाटा)	(91.17)	(99.19)	(83.79)	(99.09)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन – (हानि)/लाभ	(305.93)	(384.40)	(626.82)	(704.39)
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन – (हानि)/लाभ	13.13	(7.61)	27.73	10.93

(₹ करोड़ में)

IX. (iii) पिछले वर्ष 2015-18 उपदान	**31.03.2015 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2016 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2017 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2018 को समाप्त वर्ष**
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	844.78	831.94	900.90	964.99
योजना आस्तियां	835.47	829.38	876.81	932.55
अधिशेष / (घाटा)	(9.31)	(2.56)	(24.09)	(32.44)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन – (हानि)/लाभ	21.09	(24.20)	(87.34)	(36.20)
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन – (हानि)/लाभ	10.61	(1.66)	(1.36)	22.12

Previous Year 2017-18 (₹ in Crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Current service cost	84.68	64.85	20.92
Interest Cost	109.62	66.08	12.73
Expected return on plan assets	(470.86)	(70.25)	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	693.47	14.09	(10.18)
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	0.00	0.00	0.00
Expenses recognised in the statement of profit and loss	416.91	74.76	23.47

Current Year 2018-19 (₹ in Crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Opening net liability	(99.08)	(32.44)	(179.51)
Expense as above	(399.89)	(38.28)	(28.02)
Contribution paid	397.58	57.53	19.32
Closing net liability	**(101.39)**	**(13.19)**	**(188.21)**

Previous Year 2017-18 (₹ in Crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Opening net liability	(83.79)	(24.09)	(171.21)
Expense as above	(416.91)	(74.76)	(23.47)
Contribution paid	401.61	66.42	15.18
Closing net liability	**(99.09)**	**(32.44)**	**(179.51)**

(₹ in Crore)

IX. (i) Current Year 2018-19	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present Value of obligation	6520.32	923.85	188.21
Plan Assets	6418.93	910.66	0.00
Surplus/ (Deficit)	(101.39)	(13.19)	(188.21)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	(335.65)	(2.11)	7.58
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	(8.58)	(0.38)	0.00

(₹ in Crore)

IX. (ii) Previous Years 2015-18 Pension	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2017	Year ended 31.03.2018
Present Value of obligation	5306.22	5608.14	5925.15	6245.89
Plan Assets	5215.05	5508.95	5841.36	6146.80
Surplus/ (Deficit)	(91.17)	(99.19)	(83.79)	(99.09)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	(305.93)	(384.40)	(626.82)	(704.39)
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	13.13	(7.61)	27.73	10.93

(₹ in Crore)

IX. (iii) Previous Years 2015-18 Gratuity	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2017	Year ended 31.03.2018
Present Value of obligation	844.78	831.94	900.90	964.99
Plan Assets	835.47	829.38	876.81	932.55
Surplus/ (Deficit)	(9.31)	(2.56)	(24.09)	(32.44)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	21.09	(24.20)	(87.34)	(36.20)
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	10.61	(1.66)	(1.36)	22.12

(₹ करोड़ में)

IX. (iii) पिछले वर्षों 2015-18 के लिए छुट्टी भुनाई	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	154.58	161.63	171.21	179.51
योजना आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिशेष (घाटा)	(154.58)	(161.63)	(171.21)	(179.51)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन – (हानि)/लाभ	(8.15)	(100.37)	(3.01)	10.18
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन – (हानि)/लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

X. योजना आस्तियों के मुख्य संवर्ग (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत में)	पेंशन निधि	उपदान निधि	पेंशन निधि	उपदान निधि
	2018-19		2017-18	
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ	—	—	—	—
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	—	—	—	—
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ और राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	63	44	37.96	11.04
उच्च गुणवत्तावाले कार्पोरेट बांड	--		0.00	0.00
विशेष जमा योजना	--		0.00	0.00
बीमाकर्ता द्वारा व्यवस्थित निधियाँ	37	56	62.04	88.96
निजी क्षेत्र के बॉण्ड	--		0.00	0.00
मनी मार्केट	--		0.00	0.00
कुल	100.00	100.00	100.00	100.00

(₹ करोड़ में)

XI. अगले वर्ष के दौरान अंशदान	पेंशन निधि	उपदान राशि	अर्जित छुट्टी
अगले वर्ष के दौरान अंशदान पर उद्यम का सर्वोच्च अनुमान	400.00	80.00	10.00

8.1.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के लिए ₹2.19 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹1.74 करोड़) प्रदान / (अवलिखित) की गई तथा इसे लाभ एवं हानि लेखा में "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" शीर्ष के तहत शामिल किया गया।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों हेतु बनाए गए (अवलिखित) अतिरिक्त प्रावधानों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ	31/03/2019	31/03/2018
1	बीमारी छुट्टी	1.81	0.62
2	आकस्मिक छुट्टी	0.02	0.11
3	छुट्टी यात्रा रियायत	0.36	1.01
	कुल	**2.19**	**1.74**

नोट: शामिल प्रकटीकरण में बीमांकक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की सीमा तक सीमित है।

8.2 अनुषंगी कंपनियां

8.2.1 इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड –

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना हेतु अंशदान जिसे वर्ष के लिए व्यय माना गया, निम्नप्रकार प्रस्तुत है : ₹

विवरण	2018-19	2017-18	2016-17
भविष्य निधि को नियोक्ता का अंशदान	3551012	3291972	3018147

(₹ in Crore)

IX. (iii) Previous Years 2015-18 Leave Encashment	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2017	Year ended 31.03.2018
Present Value of obligation	154.58	161.63	171.21	179.51
Plan Assets	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus/ (Deficit)	(154.58)	(161.63)	(171.21)	(179.51)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	(8.15)	(100.37)	(3.01)	10.18
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ in Crore)

X. MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	Pension Fund	Gratuity Fund	Pension Fund	Gratuity Fund
	2018-19		2017-18	
Government of India Securities	—	—	—	—
State Government Securities	—	—	—	—
Government of India Securities and State Government Securities	63	44	37.96	11.04
High Quality Corporate Bonds	--		0.00	0.00
Special Deposit Scheme	--		0.00	0.00
Funds managed by Insurer	37	56	62.04	88.96
Private Sector Bonds	--		0.00	0.00
Money Market	--		0.00	0.00
Total	100	100	100.00	100.00

(₹ in Crore)

XI. CONTRIBUTION DURING NEXT YEAR	Pension Fund	Gratuity Fund	Earned Leave
Enterprise's best estimate of contribution during next year	400.00	80.00	10.00

8.1.3 Other Long Term Employee Benefits

Aamount of ₹ 2.19 crore (previous year ₹ 1.74 crore) has been provided towards Long Term Employee Benefits as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank and is included under the head "Payments to and Provisions for Employees" in Profit and Loss Account.

Details of additional Provisions made / (written back) for various long Term Employee Benefits during the year:

(₹ in Crore)

No.	Long Term Employee Benefits	31/03/2019	31/03/2018
1	Sick Leave	1.81	0.62
2	Casual Leave	0.02	0.11
3	Leave Travel Concession	0.36	1.01
	Total	**2.19**	**1.74**

Note: Disclosures included are limited to the extent of information provided by the Actuary

8.2 SUBSIDIARY COMPANIES

8.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Defined Contribution Plan

Contribution to Defined Contribution Plan, recognized as expense for the year are as under:

₹

Details	2018-19	2017-18	2016-17
Employer's contribution to Provident Fund	3551012	3291972	3018147

परिभाषित लाभ योजना

I) परिभाषित लाभ बाध्यता के अथशेष व इतिशेष का लेखा समाधान

₹

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर–निधिक)	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ बाध्यता	8629583	6075948	6411244	5621824
वर्तमान सेवा लागत	796422	662142	308077	329487
ब्याज लागत	690367	530528	488043	421337
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	378206	170839	746754	(410210)
प्रदत्त लाभ	(70342)	(467782)	(466961)	-
निपटान लागत	-	-	-	-
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ बाध्यता	10424236	6971675	7487157	5962438

II) योजना आस्तियों के अथशेष व इतिशेष के उचित मूल्य का लेखा समाधान

₹

विवरण	उपदान (निधिक)	
	2018-19	2017-18
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	9630894	7807022
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	763672	618107
अंशदान	1226088	1465896
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	-	-
प्रदत्त लाभ	(70342)	(260132)
निपटान लागत	-	-
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	11550312	9630893
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	378206	618107

III) आस्तियों व बाध्यताओं के उचित मूल्य का लेखा समाधान

₹

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर–निधिक))	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	11550312	9630893	7487157	6411244
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	10424236	8629583	6411244	5962438
तुलन–पत्र में अभिज्ञात राशि	1126076	1001310	1075913	448806

IV) वर्ष के दौरान अभिज्ञात व्यय

₹

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर–निधिक)	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
वर्तमान सेवा लागत	796422	662142	308077	287451
ब्याज लागत	690367	557734	488043	402421
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	763672	618107	-	-
बीमांकक (लाभ) /हानि	378206	698164	746754	(186074)
निवल लागत	1101323	1299933	1075913	448806

V) बीमांकक अनुमान

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर–निधिक)	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
मृत्यु संख्या सारणी (जीबीनि)	1994- 96	1994-96	1994-96	1994-96
	(अंतिम)	(अंतिम)	(अंतिम)	(अंतिम)
बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	7.5%	8%	8%	7%
प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर (प्रतिवर्ष)	8%	8%	-	-
वेतन वृद्धि दर (प्रतिवर्ष)	5%	5%	5%	5%
सेवात्याग दर	1% to 3%	1% to 3%	7%	7%

Defined Benefit Plan

I) Reconciliation of opening and closing balances of Defined benefit obligation

₹

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2018-19	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**
Defined benefit obligation at the beginning of the year	8629583	6075948	6411244	5621824
Current service cost	796422	662142	308077	329487
Interest cost	690367	530528	488043	421337
Actuarial (gain)/ loss	378206	170839	746754	(410210)
Benefits paid	(70342)	(467782)	(466961)	-
Settlement cost	-	-	-	-
Defined benefit obligation at the year end	10424236	6971675	7487157	5962438

II) Reconciliation of opening and closing balances of fair value of plan assets

₹

Details	Gratuity (Funded)	
	2018-19	**2017-18**
Fair value of plan assets at the beginning of the year	9630894	7807022
Expected return on plan assets	763672	618107
Contributions	1226088	1465896
Actuarial (gain)/ loss	-	-
Benefits paid	(70342)	(260132)
Settlement cost	-	-
Fair value of plan assets at year end	11550312	9630893
Actual return on plan assets	378206	618107

III) Reconciliation of fair value of assets and obligations

₹

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2018-19	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**
Fair value of plan assets	11550312	9630893	7487157	6411244
Present value of obligation	10424236	8629583	6411244	5962438
Amount recognized in Balance Sheet	1126076	1001310	1075913	448806

IV) Expense recognized during the year

₹

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2018-19	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**
Current Service Cost	796422	662142	308077	287451
Interest Cost	690367	557734	488043	402421
Expected return on plan assets	763672	618107	-	-
Actuarial (gain) / loss	378206	698164	746754	(186074)
Net Cost	1101323	1299933	1075913	448806

V) Actuarial assumptions

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2018-19	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**
Mortality Table (LIC)	1994- 96 (Ultimate)	1994-96 (Ultimate)	1994-96 (Ultimate)	1994-96 (Ultimate)
Discount rate (per annum)	7.5%	8%	8%	7%
Expected rate of return (per annum)	8%	8%	-	-
Rate of escalation of salary (per annum)	5%	5%	5%	5%
Attrition Rate	1% to 3%	1% to 3%	7%	7%

मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं नियोजन बाजार में आपूर्ति और माँग सहित अन्य संबंधित घटकों को ध्यान में रखते हुए बीमांकक मूल्यांकन में वेतन में वृद्धि की दर का अनुमान लगाया गया है। प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर कतिपय लागू घटकों, मुख्यतः धारित योजना आस्तियों का सम्मिश्रण, निर्धारित जोखिमों, योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ के ऐतिहासिक परिणाम और योजना आस्तियों हेतु कंपनी की नीति को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है। इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्त स्टाफ के संबंध में सेवा निवृत्ति लाभ देयता का वहन इंडियन बैंक द्वारा किया जाएगा।

कंपनी ने वर्ष 2018–19 में उपदान देयता की ओर ₹ 13.49 लाख (पिछले वर्ष ₹15.70 लाख) का अंशदान दिया है।

8.2.2 आनषंगी कंपनियां

इंडबैंक हाउसिंग लि.

उपदान निधि की ओर कंपनी की बाध्यता एवं बीमांकक मूल्यांकन के ब्यौरे : ₹

1	कुल विगत सेवा उपदान	601036
2	विगत सेवा उपदान बीमांकक मूल्य	622444
3	जीवन बीमा निगम के साथ उपदान निधि	614543
4	जीवन बीमा निगम को देय अंशदान	शून्य
5	वर्ष के दौरान प्रदत्त अंशदान	7901
6	शेष देय	शून्य
7	प्रदत्त जोखिम प्रीमियम एवं सेवाकर	712
8	अनुमान बट्टा दर वेतन में वृद्धि का पूर्वानुमान	 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि

9. सेगमेंट रिपोर्टिंग (एएस 17) (समेकित)

सेगमेंट रिपोर्टिंग (₹ करोड़ में)

भाग ए व्यापार खण्ड	ट्रेशरी		कार्पोरेट / थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2018-19	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**
राजस्व	5439.37	6124.28	7334.63	6782.64	8087.58	6438.03	211.90	186.96	21073.49	19531.91
परिणाम	1552.29	2345.75	1552.20	1309.94	1627.38	1215.90	146.54	135.72	4878.41	5007.32
अनाबंटित व्यय									4595.25	3925.09
परिचालनगत लाभ									342.34	1129.84
अल्पसंख्यक हित									0.59	0.76
अन्य अनाबंटनीय आय									59.79	48.37
आय कर									-37.78	-180.70
अपवाद स्वरूप मदें									0.00	0.00
निवल लाभ									380.12	1310.54
अन्य जानकारी										
खण्डीय आस्तियां	76752.91	77679.32	95302.07	91072.97	109944.91	85836.87	323.01	265.59	282322.90	252981.41
अनाबंटित आस्तियां									-1934.62	-1873.34
कुल आस्तियां									280388.28	252981.41
खण्डीय देयताएं	68165.37	82493.91	88084.96	82098.64	101796.48	77188.96	0.00	0	258046.81	231781.51
अनाबंटित देयताएं									2626.00	2484.46
आरक्षित पूंजी व अधिशेष									19715.46	18715.44
कुल देयताएं									280388.28	252981.41

The estimates of rate of escalation in salary considered in actuarial valuation, take into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors including supply and demand in the employment market. The expected rate of return is determined considering several applicable factors, mainly the composition of plan assets held, assessed risks, historical results of return on plan assets and the company's policy for plan assets management. The retirement benefit liability in respect of staff on deputation from Indian Bank is borne by Indian Bank.

The company has contributed ₹13.49 Lakhs (previous year- ₹ 15.70 lakhs) towards Gratuity liability in the year 2018-19.

8.2.2 SUBSIDIARY COMPANIES

INDBANK HOUSING LTD ₹

Company's obligation towards Gratuity Fund and details of actuarial valuation:

1	Total past service gratuity	601036
2	Actuarial value past service gratuity	622444
3	Gratuity Fund with LIC	614543
4	Contribution payable to LIC	NIL
5	Contribution paid during the year	7901
6	Balance payable	NIL
7	Risk premium and service tax paid	712
8	Assumptions Discounting rate Projections of salary increase	 8% p.a. compound 8% p.a. compound

9. SEGMENT REPORTING (CONSOLIDATED) (AS 17)

Segment Reporting (₹ in Crore)

Part A Business Segments	Treasury		Corporate/ Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking operations		Total	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
Revenue	5439.37	6124.28	7334.63	6782.64	8087.58	6438.03	211.90	186.96	21073.49	19531.91
Result	1552.29	2345.75	1552.20	1309.94	1627.38	1215.90	146.54	135.72	4878.41	5007.32
Unallocated expenses									4595.25	3925.09
Operating profit									342.34	1129.84
Minority interest									0.59	0.76
Other unallocable income									59.79	48.37
Income Taxes									-37.78	-180.70
Exceptional Item									0.00	0.00
Net Profit									380.12	1310.54
Other information										
Segment Assets	76752.91	77679.32	95302.07	91072.97	109944.91	85836.87	323.01	265.59	282322.90	252981.41
Unallocated assets									-1934.62	-1873.34
Total assets									280388.28	252981.41
Segment Liabilities	68165.37	82493.91	88084.96	82098.64	101796.48	77188.96	0.00	0	258046.81	231781.51
Unallocated liabilities									2626.00	2484.46
Capital reserves & Surplus									19715.46	18715.44
Total liabilities									280388.28	252981.41

		भाग बी – भौगोलिक खण्ड				
	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	2018-19	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**
राजस्व	20646.30	19227.62	427.19	304.29	21073.49	19531.91
आस्तियां	269787.46	243863.58	10600.82	9117.83	280388.28	252981.41

जहां प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं है, खण्डीय राजस्व और व्ययों को खण्डीय आस्तियों के आधार पर प्रभाजित किया गया है। जहाँ भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आँकडों को पुनःसमूहित किया गया है।

10. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (ए एस 18)

10.1 मूल संस्था

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री किशेर खरात	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (13.08.2018 तक)
श्री पद्मजा चुन्डूरू	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (21.09.2018 के प्रभाव से
श्री ए एस राजीव	कार्यपालक निदेशक (30.11.2018 तक)
श्री एम के भट्टाचार्य	कार्यपालक निदेशक (18.02.2017 के प्रभाव से)
श्री शेणॉय विश्वनाथ वी	कार्यपालक निदेशक (01.12.2018 के प्रभाव से)

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को वर्ष के दौरान ₹ 81.99 लाख के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया (पिछले वर्ष ₹ 80.25 लाख)

10.2 अनुषंगी कंपनी :

10.2.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि.

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पद		2018-19
श्री ए के बाजपेयी	अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक (30.03.2018 तक)	वेतन भविष्य निधि को अंशदान	4.17 0.24
श्री शेष साई पीएलवीके	अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक (06.08.2018 के प्रभाव से)	वेतन भविष्य निधि को अंशदान	13.03 0.73
श्री के एस सुजाय	उपाध्यक्ष और सीएफओ	वेतन भविष्य निधि को अंशदान	7.46 0.65
श्री एस एस दीप्ति	कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी (23.04.2018 तक)	वेतन भविष्य निधि को अंशदान	0.22 0.03
श्री वी बालामुरगन	कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी (23.10.2018 के प्रभाव से)	वेतन भविष्य निधि को अंशदान	3.20 0.37
गैर–पूर्णकालिक स्वतंत्र निदेशकों को शुल्क का भुगतान किया गया			2.92

कंपनी के अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर है तथा उपर्युक्त बैंक के सेवा नियम के अनुसार तथा कंपनी के शेयरधारकों द्वारा ''पूर्णकालिक निदेशक'' के रूप में नियुक्ति के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

कंपनी के उपाध्यक्ष और सीएफओ इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर हैं और उपर्युक्त बैंक के सेवा नियमों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी को सीधे कंपनी द्वारा भर्ती किया गया है और कंपनी द्वारा दिए गए रोजगार की पेशकश के नियमों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

10.2.2 इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड

कंपनी के प्रबंध निदेशक इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर है तथा वह अपना पारिश्रमिक उस कंपनी के प्रेसिडेंट के रूप में इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विस लिमिटेड से पाते है। अतः इस कंपनी द्वारा पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।

10.3 अन्य संबंधित पार्टियाँ सरकार नियंत्रित उद्यम हैं और इस कारण एएस–18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। आगे, एएस–18 के पेराग्राफ 5 के अनुसार बैंकर–ग्राहक संबंध के स्वरूप के लेनदेनों को प्रकट करना अपेक्षित नहीं है।

	Part B Geographic Segments					
	Domestic		International		Total	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
Revenue	20646.30	19227.62	427.19	304.29	21073.49	19531.91
Assets	269787.46	243863.58	10600.82	9117.83	280388.28	252981.41

Segment Revenue and expenses have been apportioned on the basis of segment assets, wherever direct allocation is not possible. Previous year figures were re-grouped wherever necessary.

10. RELATED PARTY DISCLOSURES (AS 18)

10.1 PARENT

Key Managerial Personnel:

Shri Kishor Kharat	Managing Director & Chief Executive Officer (upto13.08.2018)
Smt.Padmaja Chunduru	Managing Director & Chief Executive Director (w.e.f.21.09.2018)
Shri,A.S.Rajeev	Executive Director (upto 30.11.2018)
Shri. M K Bhattacharya	Executive Director (w.e.f.18.02.2017)
Shri Shenoy Viswanath V	Executive Director (w.e.f.01.12.2018)

Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ₹ 81.99 lakhs (Previous year - ₹ 80.25 lakhs)

10.2 SUBSIDIARY COMPANIES

10.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Key Managerial Personnel:

Name	Designation		2018-19
Mr. A K Bajpai	**President & Whole Time Director (upto 30.03.2018)**	**Salary Contribution to PF**	**4.17 0.24**
Mr.Sesha Sai P L V K	**President & Whole Time Director (from 06.08.2018)**	**Salary Contribution to PF**	**13.03 0.73**
Mr. K S Sujay	**Vice President & CFO**	**Salary Contribution to PF**	**7.46 0.65**
Ms. S S Deepthi	**Company Secretary & Compliance Officer (upto 23.04.2018)**	**Salary Contribution to PF**	**0.22 0.03**
Mr.V.Balamurugan	**Company Secretary & Compliance Officer (from 23.10.2018)**	**Salary Contribution to PF**	**3.20 0.37**
Sitting fees paid to Non-whole time independent directors			**2.92**

President and Whole Time Director of the Company is on deputation from Indian Bank and the remuneration is in accordance with the service rules of the said Bank and also in terms of appointment as 'Whole Time Director' by the shareholders of the Company.

Vice President & CFO of the Company is on deputation from Indian Bank and the remuneration is in accordance with the service rules of the said Bank.

Company Secretary & Compliance Officer has been recruited directly by the company and the remuneration is in accordance with the terms of offer of employment given by the company.

10.2.2 IND BANK HOUSING LTD.

Managing Director of the Company is on deputation from Indian Bank and is drawing remuneration from Ind Bank Merchant Banking Services Ltd. as President of that Company. Hence no remuneration is paid by this Company.

10.3 Other related parties are State controlled Enterprises and hence no disclosures are required as per paragraph 9 of AS 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of banker-customer relationship are not required to be disclosed.

11. पट्टे (एएस 19)

11.1 मूल संस्था

ए) पट्टे / किराए पर ली गई सम्पत्तियाँ, बैंक की इच्छानुसार नवीकृत / रद्द करने योग्य हैं।

बी) बैंक के नाम पर लिए गए पट्टों की सहमत अवधि के साथ पट्टे की अवधि के दौरान सहमत कैलेंडर माह का लिखित नोटिस देकर पट्टे को निरस्त करने का प्रावधान है।

सी) परिचालनगत पट्टों के लिए प्रदत्त किराये को तत्संबंधी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में व्यय के रूप में रखा जाता है। वर्ष के दौरान स्वीकृत पट्टा किराया 214.63 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 194.94 करोड़ रुपये) है।

डी) वित्त पट्टा

वित्त पट्टे पर प्राप्त संपत्ति में संयंत्र और उपकरण एवं भूमि शामिल हैं। पट्टों की एक प्राथमिक अवधि होती है, जो निश्चित और गैर–रद्द होती है। बैंक के पास द्वितीयक अवधि के लिए पट्टे को नवीनीकृत करने का विकल्प है।

वित्त पट्टा के तहत अर्जित आस्तियों के संबंध में न्यूनतम पट्टा किराया और न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य निम्नानुसार हैं :

विवरण	न्यूनतम पट्टा किराया		न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	
	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक
1 वर्ष पूर्व देय	0	0	0	0
1 वर्ष के बाद और 5 वर्ष पूर्व देय	0	0	0	0
5 वर्ष बाद देय	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0
कम : भविष्य वित्त प्रभार				
न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	0	0	0	0

11.2 अनुषंगी कंपनियां

11.2.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि.

पट्टे पर लिए गए आस्तियों के संबंध में

पट्टे पर लिए गए आस्तियों के संबंध में, कंपनी, मूल संस्था के साथ विभिन्न कार्यालय परिसरों के लिए परिचालनात्मक पट्टे रखता है। वर्ष की समाप्ति पर, रद्द नहीं किए जा सकनेवाले परिचालनात्मक पट्टे के तहत, आवश्यक भावी न्यूनतम भुगतान निम्नवत् हैं–

(₹ लाखों में)

	31.03.2019 को	31.03.2018 को
वर्ष के लिए पट्टा भुगतान	30.67	25.28
न्यूनतम पट्टा भुगतान :		
एक साल के बाद का नहीं	0.00	0.00
एक साल के बाद परंतु पांच साल से अधिक नहीं	0.00	0.00
पांच साल के बाद	0.00	0.00

12. प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)

विवरण	2018-19	2017-18
ईक्विटी शेयरधारकों हेतु कर के बाद उपलब्ध निवल लाभ (₹ लाखों में)	168.14	
ईक्विटी शेयरों की संख्या	44378200	44378200
ईक्विटी शेयरों की भारित संख्या	44378200	44378200
मूल अर्जन प्रति शेयर	₹ 0.38	₹ 0.48
प्रति शेयर कम किया गया अर्जन	₹ 0.38	₹ 0.48
प्रति ईक्विटी शेयर अंकित मूल्य	₹10.00	₹10.00

11. LEASES (AS 19)

11.1 PARENT

a) The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank.

b) The leases entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the currency of lease period by giving agreed calendar month notice in writing.

c) Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognized during the year is ₹ 214.63 Crores (Previous year ₹195.94 Crore).

d) Finance Lease

An asset acquired on finance lease comprises plant and equipment and land. The leases have a primary period, which is fixed and non-cancellable. The Bank has an option to renew the lease for a secondary period.

The minimum lease rentals and the present value of minimum lease payments in respect of assets acquired under finance lease are as follows:

Particulars	Minimum lease payments		Present value of minimum lease payments	
	As at 31st March 2019	As at 31st March 2018	As at 31st March 2019	As at 31st March 2018
Payable not later than 1 Year	0	0	0	0
Payable later than 1 year and not later than 5years	0	0	0	0
Payable later than 5 Years	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Less:Future finance charges				
Present value of minimum lease payments	0	0	0	0

11.2 SUBSIDIARY COMPANIES

11.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

In case of assets taken on lease;

The company has operating leases for office premises at various locations with the Parent. The future minimum payments required under non-cancellable operating leases at year-end are as follows:

(₹ in lakhs)

	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
Lease payments for the year	30.67	25.28
Minimum Lease payments:		
Not later than one year	0.00	0.00
Later than one year but not later than five years	0.00	0.00
Later than five years	0.00	0.00

12. EARNINGS PER SHARE (AS 20)

Particulars	2018-19	2017-18
Net Profit after tax available for equity shareholders (₹ Lakhs)	168.14	
Number of Equity Shares	44378200	44378200
Weighted Number of equity shares	44378200	44378200
Basic Earning Per Share	₹ 0.38	₹ 0.48
Diluted Earning Per Share	₹ 0.38	₹ 0.48
Nominal value per Equity Share	₹10.00	₹10.00

13. समेकित वित्तीय विवरण (एएस 21)

समेकित वित्तीय विवरण लेखा मानक (एएस 21) के अनुसार तैयार किए गए हैं। ''समेकित वित्तीय विवरण'' को भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरणों और समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के समनुरूप किए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरण, इंडियन बैंक (मूल संस्था) की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और उनकी अनुषंगी जैसे (1) इंड हाउसिंग लिमिटेड और (2) इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि. अलेखा परीक्षित वित्तीय विवरण पर आधारित है।

31.03.2019 को समेकित आंकड़ों में तीने सहयोगियों यथा मेसर्स पल्लवन ग्राम बैंक, मेसर्स सप्तगिरी ग्रामीण बैंक और पुदुवै भारितियार ग्राम बैंक के 59.79 करोड़ रुपये का अलेखा परीक्षित लाभ शामिल है।

14. आय पर करों के लिए लेखाकरण (एएस 22)

14.1 मूल संस्था

डीटीए (आस्थगित कर आस्तियाँ) / डीटीएल (आस्थगित कर देयताएँ) के मुख्य घटक निम्न प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

	इंडियन बैंक	31.03.2019	31.03.2018
आस्थगित कर आस्तियां			
1	भुगतान/क्रिस्टाइलेजेशन पर अनुमेय, देयताओं का प्रावधान	81.05	77.91
2	विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि(फसीटीआर)	131.75	106.30
3	अप्रयुक्त अवकाश के लिए प्रावधान	0	0
4	उपदान के लिए प्रावधान	0.21	2.25
5	अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	938.55	523.21
6	पुनर्रचित आस्ति, एक्यूआर, दबावग्रस्त आस्ति के लिए प्रावधान	102.88	91.25
7	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	65.02	0.00
	कुल–डीटीए	**1319.46**	**800.92**
आस्थगित कर देयताएं			
1	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	52.87	57.12
2	बट्टे खाते में डाले गए खातों के लिए प्रावधान	504.21	504.21
3	स्टाफ कल्याण प्रतिपूर्ति	5.71	5.71
4	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अधीन विशेष आरक्षितियों पर डीटीएल	247.54	243.34
	कुल – डीटीएल	**810.33**	**810.38**
	निवल डीटीए / डीटीएल	**509.13**	**-9.46**

14.2 अनुषंगी कंपनियां

14.2.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विस लि.

आस्थगित कर आस्ति/देयता के मुख्य घटक निम्न प्रकार हैं। ₹

	आस्थगित कर			
	31.3.2019 को		31.3.2018 को	
	आस्ति	देयताएं	आस्ति	देयताएं
I) मूल्यह्रास–योग्य आस्तियों में समय का अंतर		32153096		32259860
ii) अशोध्य ऋणों व एनपीए के लिए प्रावधान	71351489		71399812	
iii) अन्य	2890939		2547362	
कुल	**74242428**	**32153096**	**73947174**	**32259860**
निवल डीटीए / (डीटीएल)	**42089332**		**41687314**	

15. एएस 24 के अन्तर्गत प्रकटीकरण अपेक्षाएं – बंद परिचालन

15.1 अनुषंगी कंपनियां

15.1.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विस लि.

कंपनी ने दिसंबर 1997 से लागू हुए सेबी विनियमन के फलस्वरूप निधि आधारित क्रियाकलापों को बंद किया था और केवल शुल्क आधारित क्रियाकलापों को लेने का निर्णय लिया था। दिसंबर 1997 तक विद्यमान निधि आधारित एक्सपोज़र उनकी संविदाकृत अवधि समाप्त होने तक जारी रखे गए हैं। स्थायी जमाओं की पुनरदायगी और दावा न की गई सावधि जमाओं को आईईपीएफ़ में अंतरण करने के बाद कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक से एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण के रद्द किये जाने की अनुमति प्राप्त की है। अब कंपनी केवल सेबी विनियमनों द्वारा नियंत्रित है।

13. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT (AS 21)

The consolidated financial statements are prepared in accordance with the Accounting Standard (AS 21), "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the guidelines issued by the Reserve Bank of India on preparation of Consolidated Financial Statements.

The consolidated financial statements are based on the audited financial statements of Indian Bank (parent) and unaudited financial statements of its subsidiaries, viz., (1) Indbank Housing Ltd. and (2) Indbank Merchant Banking Services Ltd.

Consolidated figures as on 31.03.2019 includes ₹ 59.79 crores being share in the unaudited profit of three Associates viz, M/s Pallavan Grama Bank, M/s Sapthagiri Grameena Bank and Puduvai Bharathiar Grama Bank.

14. ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS 22)

14.1 PARENT

The major components of Deferred Tax Assets (DTA) / Deferred Tax Liabilities (DTL) are: (₹ in Crore)

	Indian Bank	31.03.2019	31.03.2018
Deferred Tax Assets			
1	Liabilities provision allowable on payment /crystallisation	81.05	77.91
2	FCTR (Foreign Currency Translation Reserve)	131.75	106.30
3	Provision for unutilized leave	0	0
4	Provision for GRATUITY	0.21	2.25
5	Provision for bad debts	938.55	523.21
6	Provision for restrutured assts, AQR, S4A, Stressed Assets	102.88	91.25
7	Depreciation on Fixed Assets	65.02	0.00
	Total DTA	**1319.46**	**800.92**
Deferred Tax Liabilities			
1	Depreciation on Fixed Assets	52.87	57.12
2	Provision for written off accounts	504.21	504.21
3	Staff welfare retrieval	5.71	5.71
4	Special Reserves U/s.36(1)(viii) of Income Tax Act 1961	247.54	243.34
	Total DTL	**810.33**	**810.38**
	Net DTA / (DTL)	**509.13**	**-9.46**

14.2 SUBSIDIARY COMPANIES

14.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD :

The major components of deferred tax asset/liability are as below: ₹

	Deferred Tax			
	As on 31.3.2019		**As on 31.3.2018**	
	Asset	**Liability**	**Asset**	**Liability**
i) Timing difference in depreciable assets		32153096		32259860
ii) Provision for Bad debts and NPAs	71351489		71399812	
iii) Others	2890939		2547362	
Total	**74242428**	**32153096**	**73947174**	**32259860**
NET DTA / (DTL)	**42089332**		**41687314**	

15. DISCLOSURE REQUIREMENTS UNDER AS 24–DISCONTINUED OPERATIONS

15.1 SUBSIDIARY COMPANIES

15.1.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

The Company had discontinued fund-based activities consequent to SEBI regulations coming into force with effect from December 1997 and had decided to undertake only fee-based activities. The existing fund based exposures as on December 1997 are continued to run down to their contracted period. The Company had obtained cancellation of registration as NBFC from RBI consequent to repayment of fixed deposits and transfer of unclaimed fixed deposits to IEPF. The Company is now governed only by SEBI regulations.

संसाधन आवंटन के प्रयोजनों और सेगमेंट निष्पादन का आकलन के लिए मुख्य संचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम – निदेशक मंडल) को रिपोर्ट की गई सूचना पूरी तरह से कंपनी पर केंद्रित है। इसलिए, प्रबंधन ने निष्कर्ष निकाला है कि कंपनी के पास केवल एक सेगमेंट है।

16. अनुषंगी कंपनियां

16.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विस लि.

इंडियन बैंक, मूल बैंक ने ₹ 897.48 लाख की राशि की चुकौती के लिए 3 साल की अधिस्थगन अवधि सितंबर 2013 से सितंबर 2016 तक को मुआविज़ा का अधिकार खंड के तहत 31.03.2017 को समाप्त होनेवाले वर्ष से शुरू होने वाली प्रति छमाही 75 लाख की चुकौती को अधिस्थगन/चुकौती अवधि के लिए बिना किसी ब्याज प्रभार के अनुमोदित कर दिया है। तदनुसार मूल संस्था बैंक द्वारा अनुमोदित शर्तों के अनुसार 31.03.2019 को समाप्त अर्ध वर्ष हेतु कंपनी ने इंडियन बैंक को ₹ 375 लाख चुकौती की है।

17. बैंक एश्यूरेन्स कारोबार

मूल संस्था

विभिन्न बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों / म्युचुअल फंड की बिक्री/विपणन से, बैंक ने इस वर्ष के दौरान ₹ 16.92 करोड का आढ़त कमाया (पिछले वर्ष यह ₹ 16.75 करोड़) था।

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	आय की प्रकृति	2018-19	2017-18
1	जीवन बीमा पालिसी बेचने के लिए	5.79	7.33
2	गैर–जीवन बीमा पालिसी बेचने के लिए	10.78	8.97
3	अन्य – म्युचुअल फंड उत्पाद बेचने के लिए	0.35	0.45
	कुल	**16.92**	**16.75**

18. अतिरिक्त प्रकटीकरण

मूल संस्था

बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बैंक द्वारा पहचान की गई एमएसएमई इकाइयों को बैंक से कोई बकाया देय नहीं है, जोकि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित समय सीमा के बाहर है और लंबित है और वर्ष के दौरान ऐसी पार्टियों के लिए मूल राशि की स्वीकृत देयताओं के विलंबित भुगतान अथवा उनपर ब्याज के कोई मामले दर्ज नहीं किए गए।

19. जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के आंकडे के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित/ पुनःवर्गीकृत किया गया है।

Information reported to the Chief Operating Decision Maker (CODM - Board of Directors) for the purposes of resource allocation and assessment of segment performance focusses on the Company as a whole. Hence, the management has concluded that the Company has only one segment.

16. SUBSIDIARY COMPANIES

16.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Indian Bank, the parent Bank, had approved a moratorium period of 3 years from September 2013 to September 2016 for repayment of the amount of Rs. 897.48 lakhs payable to them under the Right of Recompense clause with repayment of Rs. 75 lakhs per half year to commence from the half year ending 31.03.2017 without any interest charge for the period of moratorium/repayment. Accordingly the company has repaid Rs.375 lakhs to Indian Bank upto the half year ended 31.03.2019 as per the terms approved by the parent bank

17. BANCASSURANCE BUSINESS

PARENT

During the current year, the Bank has earned commission, etc, to the extent of ₹ 16.92 Crore on sale/marketing of various Bancassurance products/Mutual Funds (previous year ₹ 16.75 Crore).

(Amount ₹ in crore)

Sl. No.	Nature of Income	2018-19	2017-18
1	For Selling Life Insurance Policies	5.79	7.33
2	For selling Non-life insurance policies	10.78	8.97
3	Others – For selling Mutual Fund Products	0.35	0.45
	Total	**16.92**	**16.75**

18. ADDITIONAL DISCLOSURES

PARENT : As per information available with the Bank, there is no outstanding dues payable by the Bank to MSME units identified by the Bank, which is pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 and there have been no reported cases of accepted liability of delayed payments of principal amount or interest thereon for such parties during the year.

19. Previous year's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to current year's figures.

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षण रिपोर्ट

सेवा में

इंडियन बैंक के सदस्य

अभिमत

हमने इंडियन बैंक('बैंक / मूल बैंक' के लिए संदर्भित) और इसकी सहयोगियों (मूल बैंक, अनुषंगियों तथा सहयोगियों के लिए 'समूह' के रूप में संदर्भित) को उनके शेयरों की आय सहित, जिसमें 31 मार्च 2019 तक का समेकित तुलन–पत्र समाहित है, इस वर्ष हेतु समेकित लाभ तथा हानि खाता और सार्थक खाता नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना(यहाँकहीं 'समेकित वित्तीय विवरण' हो के लिए संदर्भित) सहित समेकित नकदी प्रवाह विवरण और समेकित वित्तीय विवरण पर नोट का लेखा परीक्षण किया है।

हमारे मतानुसार तथा हमारी जानकारी में एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षण के सिद्धांत जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत है, के अनुरूप सत्य एवं निष्पक्ष दर्शाता है :

- 31 मार्च 2019 को 'समूह' के मामलों की समेकित स्थिति
- समेकित लाभ / हानि और
- समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह

अभिमत का आधार

हमने लेखापरीक्षण मानक 21 – 'समेकित वित्तीय विवरण में सहयोगियों हेतु निवेश का लेखापरीक्षण' तथा लेखा परीक्षण मानक 27 – भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'संयुक्त उपक्रम पर ब्याज की वित्तीय रिपोर्ट एवं बैंकिंग विनिमयन अधिनियम, 1949 की धारा 29, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों, दिशानिर्देशों तथा निदेशों व भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य सिद्धांतों के अनुपालन में लेखापरीक्षण आयोजित किया।

इन मानकों के अंतर्गत हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षण के लिए हमारी जिम्मेदारियाँ लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ नामक अनुभाग में पूर्व विवेचित हैं। आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों संबंधी नैतिक अपेक्षाओं जोकि हमारे समेकित वित्तीय विवरण के बारे में हैं, के अनुपालन में हम इस समूह तथा इसके सहयोगियों से स्वतंत्र हैं और हम इन अपेक्षाओं संबंधी हमारी नैतिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षित मामले

प्रमुख लेखापरीक्षित मामले

प्रमुख लेखापरीक्षित मामले ऐसे मामले हैं जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षण में हमारे पेशेगत निर्णय में सर्वाधिक महत्व के थे। यह मामले सम्पूर्ण समेकित लेखापरीक्षित विवरण के हमारे लेखापरीक्षण से संबन्धित हैं तथा हमारे अभिमत के रूप में हैं, हमने इन मामलों में अलग से कोई अभिमत नहीं दिया है।

प्रतिभूतियों का मूल्यांकन

- उधारकर्ता की अचल परिसंपत्ति को बंधक / दृष्टिबंधक रखने के संदर्भ में मूल्यांकन प्रमुख अवयव है। प्रतिभूतियों के मूल्य का आंकलन करने हेतु, हम अचल संपत्तियों की मूल्यांकन रिपोर्ट को सत्यापित करते हैं।
- उपरोक्त मामले पर जो मुद्दा उठता है, वह यह है कि चालूवर्ष में अचल संपत्ति के मूल्यांकन के लिए पूर्ववर्षों की रिपोर्ट के साथ विभिन्न मूल्यांककों द्वारा किए गए मूल्यांकनों को परिवर्तन सहित अपनाया गया है।

मामले का समाधान

पूर्व वर्षों के मूल्यांकन को चालू वर्ष के प्रावधान के लिए अपनाने में अंतर्निहित कमी को प्रबंधन के संज्ञान में लाया गया तथा अभिशासनकर्ताओं के साथ विमर्शित किया गया। प्रबंधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार अचल परिसंपत्तियों का मूल्यांकन 3 वर्षों तक वैध है। यथोचित उपाय के रूप में यह निर्णय लिया गया कि वित्तीय विवरणों की तिथि के नजदीक वाले अद्यतन मूल्यांकन पाने के लिए व्यवस्था जाएगी। इसके अतिरिक्त, बैंक की नीति के अनुसार रु. 5 करोड़ तथा अधिक के अग्रिमों के लिए प्रतिभूति के रूप में स्वीकृत परिसंपत्तियाँ दो स्वतंत्र मूल्यांककों / मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा मूल्यांकित की जाएंगी और यदि दोनों मूल्यांकनकर्ताओं के मूल्यांकन में 15% से अधिक का अंतर आता है तो यह मूल्यांकन प्रक्रिया नए मूल्यांकन कर्ताओं द्वारा आम सहमति तक पुनः दोहराई जाएगी।

इस आधार पर, चालू वर्ष हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई गई है।

समेकित वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन तथा अभिशासकों के उत्तरदायित्व

समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन तथा भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार सहयोगियों सहित समूह के नकदी प्रभाव पर सत्य और निष्पक्ष विचार प्रदान करनेवाले इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए, के निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। समूह में शामिल कंपनियों तथा इसके सहयोगियों सहित संबंधित बोर्ड के निदेशक मण्डल का यह उत्तरदायित्व है कि समूह की आस्तियों को सुरक्षित रखने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं रोकने, उचित लेखापरीक्षा नीतियों को लागू करने, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं आंकलन के लिए निर्मित तथा उपस्थित समेकित वित्तीय विवरण जो सत्य एवं निष्पक्ष विचार प्रदान करता है और भौतिक मिथ्या कथन से मुक्त है चाहे यह धोखाधड़ी के कारण हो या किसी त्रुटि के जो समेकित वित्तीय विवरण को उपस्थित करने के उद्देश्य से बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा प्रयोग में लाया गया हो, जैसा कि पूर्वकथित है, के समुचित लेखापरीक्षा रिकॉर्ड को बनाए रखने और संरचना, कार्यान्वयन तथा लेखापरीक्षा रिकॉर्ड की पर्याप्तता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप में संचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को बनाए रखने के लिए बैंक का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है ।

समेकित वित्तीय विवरण निर्मित करने में समूह से संबन्धित बोर्ड का निदेशक मण्डल एवं इसके सहयोगी समूह की क्षमता के आंकलन के लिए जिम्मेदार हैं तथा बोर्ड का निदेशक मण्डल एवं इसके सहयोगी कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने, कार्यशील संस्था के संबंध में जानकारी प्रदान करने, जैसा लागू हो, संबंधी मामले और लेखा के आधार पर कार्यशील संस्था का प्रयोग तब तक किया जाएगा जब तक कि बोर्ड का निदेशक मण्डल समूह को अलग करना या संचालन को रोकना न चाहता हो या कोई वास्तविक विकल्प न हो किन्तु ऐसा करने को बाध्य हो। समूह से संबंधित बोर्ड का निदेशक मण्डल तथा इसके सहयोगी समूह की वित्तीय रिपोर्ट प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

लेखापरीक्षा के समेकित वित्तीय विवरण के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा लक्ष्य उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समेकित वित्तीय विवरण भौतिक त्रुटियों से पूर्णतः मुक्त हो चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही हों तथा हमारी राय सहित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रदान करना है। उचित आश्वासन उच्चकोटि का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुपालन में की गई लेखापरीक्षा त्रुटि उत्पन्न होने पर इन्हें पहचान सकेगा। धोखाधड़ी या गलतियों से त्रुटियाँ आ सकती हैं तथा एकल या सकल रूप में उपयोगकर्ताओं द्वारा इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं।

एसए के अनुपालन में हम पेशेगत निर्णय देते हैं तथा लेखापरीक्षा करते समय पेशेगत संशयात्मकता बनाए रखते हैं। हम यह भी :

- समेकित वित्तीय विवरण की भौतिक त्रुटियों चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या किसी गलतीवश, के जोखिम का आंकलन तथा पहचान करना और संरचना एवं इन जोखिमों के उत्तरदायित्व के लिए लेखापरीक्षण करना तथा हमारी राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित लेखासाक्ष्य प्राप्त करना । भौतिक त्रुटियों में धोखाधड़ी के कारण न पकड़ा गई गलती, भूलवश हुई त्रुटि

Independent Auditors' Report on the Consolidated Financial statements

To
The Members of Indian Bank

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Indian Bank (hereinafter referred to as the 'Bank / parent") and its subsidiaries including the share of earnings of its associates (the parent and its subsidiaries & associates together referred to as "the Group"), which comprise the consolidated Balance Sheet as at March 31, 2019, the consolidated statement of Profit and Loss and the consolidated cash flows Statement for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the consolidated financial statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- of the consolidated state of affairs of the Group as at March 31, 2019,
- of consolidated profit/loss, and
- its consolidated cash flows for the year then ended.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the provisions of Accounting Standard 21 – "Accounting for investment in Associates in consolidated Financial Statements' and Accounting Standard 27 – Financial Reporting of Interest in Joint Venture" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, Sec 29 of Banking Regulation Act, 1949, the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time ("RBI Guidelines") and other accounting principles generally accepted in India.

Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group and its associates and in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in India in terms of the Code of Ethics issued by ICAI and the relevant guidelines issued by Reserve Bank of India and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Valuation of securities:

- In respect of mortgage / Hypothecation of Fixed assets of the borrower, valuation is a key component. For arriving at the value of securities, we verify valuation report for fixed assets.
- The concern that arises in the above matter is that the valuation in case of fixed assets is adopted for the current year based on earlier years' reports coupled with variations in valuations done by different valuers.

Resolution for the matter:

The inherent deficiency in adopting an earlier year's valuation for current year provisioning was brought to the attention of the management and discussed with those charged with governance. It was explained by the management that RBI's guidelines provide that a valuation made in respect of Fixed assets is valid for 3 years. As a prudent measure it was decided that updated valuation nearer to the date of the financials will be arranged. Further, as per the Bank's policy properties accepted as securities for advances of Rs.5 crores and above will be valued by two independent valuers and if the difference in valuation between the two valuers is more than 15%, such valuation exercise will be repeated with the new valuer till it reaches a consensus.

Based on this, the valuations furnished were adopted for the current year .

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group including its associates in accordance with accounting principles generally accepted in India. The respective Board of Directors of the Companies included in the group and of its associates are responsible for maintenance of adequate accounting records for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities, the selection and application of appropriate accounting policies, making judgements and estimates that are reasonable and prudent, and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring adequacy and completeness of accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of presentation of the consolidated financial statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

In preparing the consolidated financial statements, the respective Board of Directors of the Group and of its associates are responsible for assessing the ability of the Group and of its associates to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The respective Board of Directors of the the Group and of its associates are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group and of its associates.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting

से बड़ा जोखिम है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, साभिप्राय चूक, मिथ्या निरूपण या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा की प्रक्रियों संरचना बनाने के लिए लेखापरीक्षा के संबंध में आंतरिक नियंत्रण का जायजा लेना। हम कंपनी के उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तंत्र तथा इस नियंत्रण की अभिशासन प्रभावशीलता पर अपनी राय देने के लिए भी उत्तरदायी हैं।
- लेखा अनुमानों एवं प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता तथा प्रयुक्त लेखा योजनाओं के औचित्य का मूल्यांकन करना।
- लेखा एवं प्राप्त लेखा साक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन के कार्यशील संस्था के उपयोग के औचित्य पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या स्थितियों में भौतिक अनिश्चितता है जो समूह तथा इसके सहयोगियों को कार्यशील संस्था बने रहने में संदेह उत्पन्न करती हैं। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अनिश्चितता है, तो यह हमारे लिए आवश्यक है कि समेकित वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण के संबंध में अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करें अथवा यदि प्रकटीकरण अपर्याप्त हो तो अपनी राय में परिवर्तन करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा साक्ष्यों के आधार पर होते हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएँ एवं स्थितियाँ समूह एवं इसके सहयोगियों को कार्यशील संस्था बने रहने से रोक सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय रिपोर्ट की संरचना एवं सामग्री तथा सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना और इसका भी जायजा लेना कि क्या समेकित वित्तीय रिपोर्ट अंतर्निहित लेनदेन एवं घटनाएँ जो उचित प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करती है।

हम निदेशों, पर्यवेक्षणों तथा ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, लेखापरीक्षा के निष्पादन के लिए उत्तरदाई हैं। समेकित वित्तीय विवरणों सहित अन्य संस्थाएं जिनका अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षण किया गया है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा दिए गए निदेशों, पर्यवेक्षणों तथा लेखापरीक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे। हम अपनी लेखापरीक्षण राय के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हैं।

हम समेकित वित्तीय विवरण जिसके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं से संबंधित, अन्य मामलों के मध्य, योजनाबद्ध ढांचा एवं लेखापरीक्षा का समय एवं आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी, जो हम लेखापरीक्षा के दौरान चिन्हित करते हैं, सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा, समूह तथा अन्य ऐसी अन्य संस्थाओं के अकों को सूचित करते हैं।

हमने अभिशासकों को ऐसा विवरण भी प्रदान किया है कि हमने स्वतंत्रता संबंधी नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा हम उन्हें ऐसे संबंध एवं अन्य मामले भी सूचित करते हैं, जो हमारी स्वतंत्रता से संबन्धित होते हैं और सुरक्षा के संबंध में लागू होते हैं।

अभिशासकों द्वारा सूचित मामलों से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो चालू समय के समेकित वित्तीय विवरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं और इसीलिए मुख्य लेखापरीक्षण मायने रखता है। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में विधि अथवा नियामकों द्वारा जनता के समक्ष प्रकटीकरण से रोके जाने तक हम इन मामलों की विवेचना करते हैं अथवा कभी जब चरम परिस्थितियाँ होती हैं, हम यह निर्धारित करते हैं कि मामले का जिक्र हमारी रिपोर्ट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा करना जन हित में नहीं होगा, इसके विपरीत परिणाम होंगे।

अन्य मामले

हमने 2 अनुषंगियों के वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचनाओं की लेखा परीक्षा नहीं की जिनकी दिनांक 31 मार्च 2019 को कुल आस्तियां रु. 217.71 करोड़ एवं कुल राजस्व रु. 10.25 करोड़ तथा वर्ष समाप्ति की इस अंतिम तिथि को रु.1.59 करोड़ का नकदी प्रवाह है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। समेकित वित्तीय विवरण में दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष में समूह के 3 सहयोगियों की रु. 59.79 करोड़ की आय को भी शामिल किया गया है जिनके वित्तीय विवरणों / वित्तीय सूचनाओं को हमारे द्वारा लेखापरीक्षित नहीं किया गया है। यह वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं तथा प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं और इन अनुषंगियों एवं सहयोगियों सहित राशि एवं प्रकटीकरण के संबंध में विवरणों पर दी गई हमारी राय पूर्णतः ऐसे ही अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/सूचनाओं पर आधारित है। हमारी राय में एवं प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना व ब्योरों के अनुसार ये वित्तीय विवरण समूह के लिए नहीं हैं। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय तथा निम्न अन्य विधि एवं नियामकों की अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट अन्य लेखापरीक्षकों तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए गए वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं के भरोसे पर उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं है।

अन्य विधि तथा नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

हम रिपोर्ट करते हैं कि जहां तक प्रायोज्य है :

ए) समेकित तुलन – पत्र तथा लाभ और हानि का समेकित विवरण तथा समेकित नकदी प्रवाह का विवरण जिसे बैंकिंग नियामक अधिनियम 1949 कि धारा 29 के अनुपालन में निर्मित किए गए हैं ।

बी) पूर्वकथित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए हमारी जानकारी एवं विश्वास में जो भी सूचना व जानकारी आवश्यक थी, हम मांग कर चुके हैं व प्राप्त कर चुके हैं।

सी) हमारी राय में, पूर्वकथित समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए विधि अनुसार यथोचित लेखा–बही अभी तक रखी गई है जैसा कि हमारे इन बहियों की जांच तथा अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में जाहिर होता है।

डी) समेकित तुलन प्त्र, लाभ तथा हानि का समेकित विवरण, समेकित नकदी प्रवाह से संबन्धित रिपोर्ट, समेकित वित्तीय विवरणों को निर्मित करने के उद्देश्य से संबन्धित लेखाबहियों में अनुबंधित हैं।

ई) हमारी राय में, पूर्वकथित समेकित वित्तीय विवरण लागू लेखा मानकों का पालन करते हैं, जहां तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक की लेखा नीतियों के सुसंगत हैं।

कृते गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी **For GANDHI MINOCHA & CO** सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं. FR No.000458N **भूपेन्द्र सिंह** **BHUPINDER SINGH** साझेदार Partner (एम.सं. M. No 092867)	कृते पॉम्स एण्ड एसोसियेट्स **For PAMS & ASSOCIATES** सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं. FR No. 316079E **सत्यजित मिश्रा** **SATYAJIT MISHRA** साझेदार Partner (एम.सं. M. No.057293)	कृते पी एस सुब्रमणिय अय्यर एण्ड कंपनी **For P S SUBRAMANIA IYER & CO** सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं. FR No.004104S **वी स्वामिनाथन** **V SWAMINATHAN** साझेदार Partner (एम.सं. M No. 022276)

कृते एम थामस एण्ड कंपनी **For M THOMAS & CO** सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं. FR No.004408S **आर मुरली** **R MURALI** साझेदार Partner (एम.सं. M No. 080972)	कृते के सी मेहता एण्ड कंपनी **For K C MEHTA AND CO** सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं. FR No: 106237W **चिराग बक्शी** **CHIRAG BAKSHI** साझेदार Partner (एम.सं. M No. 047164)

स्थान Place : चेन्नै Chennai

दिनांक Date : 14 मई 2019 / 14.05.2019

from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. We are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group and its associates to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group and its associates to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group and its associates to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance of the group and such other entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

We did not audit the financial statements / financial information of 2 subsidiaries whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs.217.71 crore as at 31st March, 2019, total revenues of Rs.10.25 crore and net cash flows amounting to Rs.1.59 crores for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. The consolidated financial statements also include the Group's share of earnings of Rs. 59.79 crore for the year ended 31st March, 2019, as considered in the consolidated financial statements, in respect of 3 associates, whose financial statements / financial information have not been audited by us. These financial statements are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the Statement, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and associates, is based solely on such unaudited financial statements/ financial information. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements are not material to the Group. Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements / financial information certified by the Management.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

We report, to the extent applicable, that:

a) The consolidated Balance Sheet and the Consolidated Statement of Profit and Loss and the Consolidated Cash Flow Statement have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

b) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit of the aforesaid consolidated financial statements.

c) In our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid consolidated financial statements have been kept so far as it appears from our examination of those books and the reports of the other auditors.

d) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Statement of Profit and Loss and the Consolidated Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation of the consolidated financial statements.

e) In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For GANDHI MINOCHA & CO
Chartered Accountants
FR No.000458N

BHUPINDER SINGH
Partner
(M. No 092867)

For P A M S & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 316079E

SATYAJIT MISHRA
Partner
(M. No.057293)

For P S SUBRAMANIA IYER & CO
Chartered Accountants
FR No.004104S

V SWAMINATHAN
Partner
(M No. 022276)

For M THOMAS & CO
Chartered Accountants
FR No.004408S

R MURALI
Partner
(M No. 080972)

For K C Mehta and Co
Chartered Accountants
FR No: 106237W

CHIRAG BAKSHI
Partner
(M No. 047164)

Place : Chennai
Date : 14th May, 2019

बेसल III - पिल्लर III प्रकटीकरण

मार्च 31, 2019

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार बेसल अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण

सारणी डी एफ – 1

अनुप्रयोग का क्षेत्राधिकार

बैंकिंग ग्रूप के प्रमुख का नाम, जिसपर यह ढाँचा लागू होता है : इंडियन बैंक

(I) गुणात्मक प्रकटीकरण :

ए. समेकन के लिए जिन ग्रूप उपक्रमों की सूची पर विचार किया जाता है

उपक्रम का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	क्या उपक्रम को लेखाकरण के समेकन के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है? (हाँ / नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	क्या उपक्रम को समेकन के विनियामक क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है? (हाँ / नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	समेकन के तरीकों में अंतर के कारणों को स्पष्ट करें	यदि क्षेत्राधिकारों की पहुंच में से एक के अधीन ही समेकन किया गया है तो उसके कारणों को स्पष्ट करें
इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि. (अनुषंगी)	हाँ	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	हाँ	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
इंडबैंक हाउसिंग लि. (अनुषंगी)	हाँ	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	हाँ	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
पल्लवन ग्राम बैंक (एसोसिएट्स)	हाँ	लेखाकरण मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत समेकित	नहीं	**लागू नहीं**	एसोसिएट्स माना गया है	पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित
सप्तगिरि ग्रामीण बैंक (एसोसिएट्स)	हाँ	लेखाकरण मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत समेकित	नहीं	**लागू नहीं**	एसोसिएट्स माना गया है	पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित
पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक (एसोसिएट्स)	हाँ	लेखाकरण मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत समेकित	नहीं	**लागू नहीं**	एसोसिएट्स माना गया है	पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित

Basel III-Pillar III Disclosures
March 31,2019

ADDITIONAL DISCLOSURES IN TERMS OF COMPLIANCE OF BASEL III REQUIREMENTS AS STIPULATED BY RBI

Table DF – 1

Scope of Application

Name of the head of the banking group to which the framework applies: Indian Bank

(i) Qualitative Disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
IndBank Merchant Banking Services Ltd. (Subsidiary)	Yes	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21-Consolidated Financial Statement	Yes	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21-Consolidated Financial Statement	Not Applicable	Not Applicable
Ind Bank Housing Ltd. (Subsidiary)	Yes	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21-Consolidated Financial Statement	Yes	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21-Consolidated Financial Statement	Not Applicable	Not Applicable
Pallavan Grama Bank (Associates)	Yes	Consolidated under Equity Method in accordance with Accounting Standard 23-Consolidated Financial Statement	No	Not Applicable	Treated as associates	Risk weighted for capital adequacy purposes
Saptagiri Grameena Bank (Associates)	Yes	Consolidated under Equity Method in accordance with Accounting Standard 23-Consolidated Financial Statement	No	Not Applicable	Treated as associates	Risk weighted for capital adequacy purposes
Puduvai Bharathiar Grama Bank (Associates)	Yes	Consolidated under Equity Method in accordance with Accounting Standard 23-Consolidated Financial Statement	No	Not Applicable	Treated as associates	Risk weighted for capital adequacy purposes

बी. ग्रूप उपक्रमों की सूची जिन पर समेकन के लिए विचार नहीं किया गया है दोनों लेखाकरण और विनियामक मानक के क्षेत्राधिकार के अधीन :

उपक्रम का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	उपक्रम का मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारित का %	उपक्रम की पूँजीगत लिखतों में बैंक के निवेशों का विनियामक व्यवहार	कुल तुलन पत्र की आस्तियां (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में उल्लिखित रूप से)
शून्य					

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

सी) समेकन के लिए जिन ग्रूप उपक्रमों पर विचार किया गया है : **(₹ मिलियन में)**

उपक्रम का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है (ऊपर (i) ए में दिखाए अनुसार)	उपक्रम के मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल तुलन पत्र की आस्तियां (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में उल्लिखित रूप से)
इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लि. (भारत)	**मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं**	443.78	682.56
इंडबैंक हाउसिंग लि. (भारत)	**आवास वित्त**	100.00	1488.54

डी. सभी अनुषंगियों में पूँजीगत कमियों की कुल राशि, जिन्हें समेकन के विनियामक दायरे में नहीं लाया गया है, अर्थात, जिनकी कटौती की गई है :

उपक्रमों का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	उपक्रम का मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	पूँजी कमियाँ
शून्य				

ई. बीमा उपक्रमों में बैंक के कुल हितों की सकल राशि (चालू बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं :

बीमा उपक्रमों का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	उपक्रम का मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का % / मतदान अधिकार का अनुपात	पूर्ण कटौती पद्धति की तुलना में जोखिम भारित पद्धति के प्रयोग से विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
लागू नहीं				

एफ. बैंकिंग समूह के अंदर ही निधि या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं :

बैंकिंग समूह के अंदर निधि या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं नहीं हैं।

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation:

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NIL					

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation:

(₹ in Million)

Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
IndBank Merchant Banking Services Ltd (India)	Merchant Banking services	443.78	682.56
Ind Bank Housing Ltd (India)	Housing Finance	100.00	1488.54

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

Name of the subsidiaries / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
NIL				

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
NOT APPLICABLE				

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital with in the banking group:

There is no restriction or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group.

सारणी डीएफ – 2 : पूँजी पर्याप्तता

पूँजी पर्याप्तता का निर्धारण :

(ए) बैंक अप्रत्याशित हानियों के लिए पूंजी रखती है ताकि जमाकर्ताओं के हित, सामान्य ऋणदाताओं तथा अन्य पण्यधारकों को किसी भी अप्रत्याशित हानि से बचाया जा सके।

भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को न्यूनतम सामान्य ईक्विटी टियर–I (सीईटी I) का 7.375 प्रतिशत (जिसमें 1.875 की प्रतिशत पूंजी संरक्षण बफर शामिल है) तथा न्यूनतम सीआरएआर का 10.875 प्रतिशत रखना है। बैंक सामान्य ईक्विटी टियर I (सीईटी I) का 7.375 प्रतिशत से अधिक और सीआरएआर का 10.875 प्रतिशत से अधिक रख रहा है।

(बी) भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने पूँजी पर्याप्तता का निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाया है।

- **ऋण जोखिम** : मानकीकृत दृष्टिकोण
- **बाज़ार जोखिम** : मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण
- **परिचालन जोखिम** : आधारभूत सूचक दृष्टिकोण

(सी) बैंक, व्यापार प्रक्षेपणों, नीतिगत दिशानिर्देशों, मैक्रो अर्थशास्त्र परिदृश्य तथा जोखिम प्रोफाइल के आधार पर अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिए पूँजी का पूर्वानुमान लगाता है।

(डी) पिल्लर II के अधीन बैंक पूँजी का मूल्यांकन / योजना बनाते समय निम्नलिखित जोखिम को समझता है :

➢ ऋण केन्द्रीकरण जोखिम	➢ मानकीकरण दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम का कम मूल्यांकन
➢ बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम	➢ पेंशन बाध्यता जोखिम
➢ चलनिधि जोखिम	➢ तुलन पत्र से बाहर एक्स्पोज़र जोखिम
➢ प्रतिपक्षी ऋण जोखिम	➢ प्रौद्योगिकी जोखिम
➢ अनुपालन जोखिम	➢ आउटसोर्सिंग जोखिम
➢ साख जोखिम	➢ मानव संसाधन जोखिम
➢ प्रतिमान जोखिम	➢ अवशिष्ट जोखिम
➢ देश विशेष जोखिम	➢ रणनीतिगत जोखिम
➢ मुआवजा जोखिम	➢ गैर–अनुपालन जोखिम
➢ विधि जोखिम	

(ई) बैंक अपनी लाभप्रदता तथा पूँजी पर्याप्तता पर आस्ति गुणता, तरलता, ब्याज दर, डेरीवेटिव तथा फॉरेक्स की तनावग्रस्त स्थिति या तनावग्रस्त परिस्थितियों में विभिन्न जोखिम क्षेत्रों का तनाव परीक्षण आवधिक तौर पर करता है।

व्यापक तनाव परीक्षण ढाँचा बनाकर रखा गया है। बैंक, भारिबैंक द्वारा निर्धारित स्थितियों के आधार पर तथा बैंक की विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर तनाव परीक्षण त्रैमासिक अवधि में करता हैं। तनाव परीक्षण के परिणाम को विभिन्न शीर्षस्थ स्तरीय समितियों को प्रस्तुत किया जाता है।

बैंक, तनाव परीक्षण के अंग के रूप में निम्नलिखित जोखिमों पर असर का मूल्यांकन करता है :

- ऋण जोखिम
- बाजार जोखिम
- ऋण केन्द्रीकरण जोखिम
- चूक जोखिम
- तरलता जोखिम
- बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)
- परिचालनगत जोखिम

Table DF - 2 : Capital Adequacy

Assessment of Capital Adequacy:

(a) Bank maintains capital to protect the interest of depositors, general creditors and stake holders against any unforeseen losses

As per the RBI guidelines, Banks have to maintain a Minimum Common Equity Tier 1 (CET 1) of 7.375% (including Capital Conservation Buffer of 1.875%) and minimum CRAR of 10.875%. Bank maintains Common Equity Tier 1 (CET 1) of more than 7.375% and CRAR of more than 10.875%.

(b) In line with RBI guidelines, Bank has adopted following risk management approaches for assessing the capital adequacy:

- **Credit Risk:** Standardised Approach
- **Market Risk:** Standardised Duration Approach
- **Operational Risk:** Basic Indicator Approach

(c) Bank projects capital for the next 3 financial years based on business projections, policy guidelines, macro-economic scenarios, risk appetite etc

(d) Under Pillar II, Bank considers following risks while assessing / planning capital:

➢ Credit Concentration Risk ➢ Interest Rate Risk in the Banking Book ➢ Liquidity Risk ➢ Counterparty Credit Risk ➢ Compliance Risk ➢ Reputational Risk ➢ Model Risk ➢ Country Risk ➢ Compensation Risk ➢ Legal Risk	➢ Underestimation of Credit Risk under Standardised Approach ➢ Pension Obligation Risk ➢ Off-Balance sheet exposure Risk ➢ Technology Risk ➢ Outsourcing Risk ➢ Human Resources Risk ➢ Residual Risk ➢ Strategic Risk ➢ Non-Compliance Risk

(e) Bank also periodically undertakes stress testing in various risk areas to assess the impact of stressed scenario or plausible events on asset quality, liquidity, interest rate, derivatives and forex on its profitability and capital adequacy.

A comprehensive stress testing framework is put in place. Bank conducts stress test on quarterly basis based on scenarios prescribed by RBI as well as bank specific scenarios. The Stress test results are placed to various apex level committees.

The Bank assesses the impact of the following risks, as part of Stress Test:

- Credit Risk
- Market Risk
- Credit Concentration Risk
- Default Risk
- Liquidity Risk
- Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)
- Operational Risk

मात्रात्मक प्रकटीकरण (बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार)

(ए) ऋण जोखिम हेतु पूँजी आवश्यकताएं : (₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
मानकीकृत अभिगम के अद्यधीन संविभाग	1,38,769.07	1,38,818.71
प्रतिभूतिकरण ऋण	--	--

(बी) बाज़ार जोखिम हेतु पूँजी आवश्यकताएं

मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
ब्याज दर जोखिम	6,088.19	6,088.19
विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	63.00	63.00
ईक्विटी जोखिम	3,641.57	3,641.57
कुल	**9,792.76**	**9,792.76**

(सी) परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताए (₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
मूल संकेतक अभिगम	10,674.56	10,691.66

(डी) सामान्य ईक्विटी टियर 1 (सीईटी1), टियर 1 तथा कुल पूंजी अनुपात बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार :

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
सामान्य ईक्विटी टियर 1 (सीईटी 1)	10.96%	11.22%
टियर 1 पूँजी पर्याप्तता अनुपात	11.29%	11.54%
कुल पूँजी पर्याप्तता अनुपात	13.21%	13.46%

संगठन की संरचना :

Quantitative disclosures (as per Basel III guidelines)

(a) Capital requirements for credit risk: (₹ in Million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Portfolios subject to standardized approach	1,38,769.07	1,38,818.71
Securitization exposures	--	--

b) Capital requirements for market risk:

Standardized duration approach (₹ in Million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Interest Rate Risk	6,088.19	6,088.19
Foreign Exchange Risk (including gold)	63.00	63.00
Equity Risk	3,641.57	3,641.57
Total	**9,792.76**	**9,792.76**

(c) Capital requirements for operational risk: (₹ in Million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Basic Indicator Approach	10,674.56	10,691.66

(d)Common Equity Tier 1 (CET 1), Tier 1 and Total capital ratio (as per Basel III guidelines):

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Common Equity Tier 1 (CET 1),	10.96%	11.22%
Tier 1 Capital Adequacy Ratio	11.29%	11.54%
Total Capital Adequacy Ratio	13.21%	13.46%

Organisation Structure:

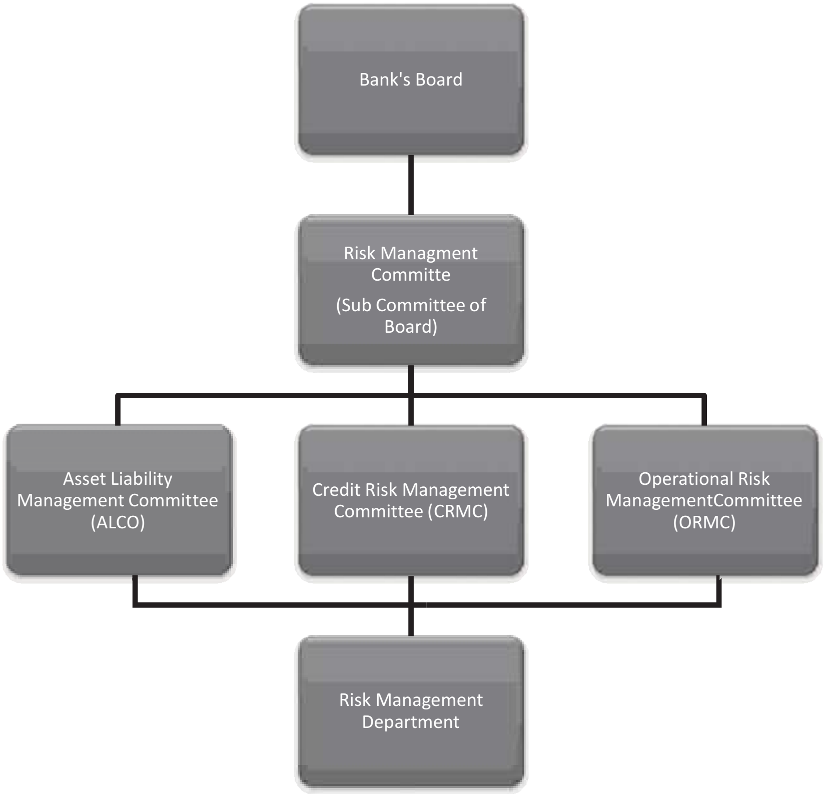

जोखिम प्रबंधन संरचनाः

बैंक का जोखिम प्रबंधन ढाँचा, विभिन्न जोखिमों को स्पष्ट रूप से समझने, अनुशासित जोखिम मूल्यांकन और प्रक्रियाएं और निरन्तर अनुप्रवर्तन पर आधारित है। समस्त उद्यम का प्रभावोत्पादक जोखिम प्रबंधन करने के लिए एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है, जो पूरे बैंक में जोखिम एक्सपोजरों के मूल्यांकन, अनुप्रवर्तन और रिपार्टिंग के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित तीन शीर्ष स्तरीय समितियों के जरिए बैंक की सभी जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है :

(i) आस्ति एवं देयता प्रबंधन समिति (आलको)

(ii) ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)

(iii) परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)

ये समितियां बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों और समग्र दिशानिर्देशों के अंतर्गत काम करती हैं।

जोखिमों के प्रबन्धन के लिए बैंक ने विभिन्न नीतियाँ निर्धारित की हैं। उद्यम–स्तर जोखिम का विश्लेषण करने तथा सभी जोखिमों को एकीकृत करने की दृष्टि से, एक एकीकृत जोखिम प्रबन्धन नीति बनायी गयी है। महत्वपूर्ण जोखिम नीतियों में ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, आस्ति देयता प्रबन्धन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति, तनाव परीक्षण नीति, कोलाटेरल प्रबंधन नीति, प्रकटीकरण नीति, प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम प्रबंधन नीति और महत्वपूर्ण (सामरिक) जोखिम प्रबंधन नीति शामिल है।

जोखिम प्रबन्धन समिति (आरएमसी)/बोर्ड द्वारा सभी नीतियां वार्षिक आधार पर पुनरीक्षित की जाती हैं। जोखिम प्रबंधन संकल्पनाओं की जानकारी देने और क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं को इनके प्रति जागरूकता बनाने के उद्देश्य से सभी संबंधित नीतियां शाखाओं के बीच में परिचालित की जाती है तथा इसके अलावा बैंक के प्रशिक्षण कॉलेजों में इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ऋण जोखिमः

प्रारंभिक चरण पर ही जोखिमों को पहचानकर उनका विश्लेषण करने, विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित कर उन्हें अनुरक्षित करने तथा बदलते जोखिम माहौल का सामना करने के लिए अन्य सुधारात्मक कदम उठाने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है।

सीमा ढांचाः

ऋण जोखिम तथा संकीर्ण जोखिम की मात्रा को कम करने की दृष्टि से सीमा ढाँचा निम्नलिखित प्रकार के एक्सपोज़र के लिए रखा गया है :

- एकल और ग्रूप ऋणकर्ता एक्स्पोज़र
- संवेदनशील क्षेत्र एक्सपोज़र
- अप्रतिभूत एक्सपोज़र
- अंतर बैंक एक्सपोज़र
- देश–वार एक्सपोज़र
- आंतरिक रेटिंग–वार एक्सपोज़र
- भौगोलिक एक्सपोज़र
- मियादी ऋण एक्सपोजर
- उद्योग–वार एक्सपोजर
- अंतर बैंक एक्सपोज़र

इन एक्सपोज़र सीमाओं को नियमित तौर पर मानिटर किया जाता है और बोर्ड की विभिन्न शीर्षस्थ स्तरीय समितियों को प्रस्तुत किया जाता है।

रेटिंग मॉडलः ऋण अनुमोदनों एवं निर्णयों के समर्थन में और संविभाग प्रबंधन, मूल्य निर्धारण और जोखिम आधारित पूंजी मापन के लिए जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सभी ऋण प्रस्तावों पर तीव्र ऋण जोखिम रेटिंग/स्कोरिंग प्रक्रिया लागू की जाती है।

ऋण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश स्तर की स्कोरिंग प्रणाली के अलावा साफ़्टवेयर आधारित रेटिंग तंत्र (मेकानिज़्म) स्थापित किया गया है। रेटिंग मॉडल के परिणाम का प्रयोग, निर्णय करने, अर्थात् ऋण संविभाग में मंजूरी प्रदान करने, मूल्य निर्धारण और अनुप्रवर्तन में किया जाता है। रेटिंग मॉडल के खरेपन की जाँच के लिए बाहरी अभिकरण द्वारा इसे वैध कराया गया है।

स्कोरिंग मॉडलः: बैंक ने प्रवेश स्तर का स्कोरिंग मॉडल विकसित किया है। वैयक्तिक ऋण उत्पादों के अंतर्गत आनेवाली सभी नई मंजूरियों पर प्रवेश स्तर का स्कोरिंग परिकलित किया जाता है।

उच्च मूल्य के खातों की आवधिक समीक्षा/लेखा परीक्षा के लिए ऋण पुनरीक्षण तंत्र एवं ऋण लेखा–परीक्षा प्रणाली निर्धारित की गई है जिससे बैंक में ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार लाए जा सके। इसके अलावा मानक आस्ति अनुप्रवर्तन समिति, विशेष उल्लेख खातों की समीक्षा करती है ताकि मानक आस्तियों का गैर–निष्पादक आस्ति के रूप में रिसन को रोका जा सके। अनुप्रवर्तन मेकानिज़म के अंश के रूप में, जिन खातों का निवेश संवर्ग से कोटि कम कराया जाता है, उनकी पहचान कर, उनपर निकट निगरानी रखी जाती है।

खातों की रेटिंग का माइग्रेशन वार्षिक आधार पर किया जाता है। साथ ही बैंक के पोर्टफोलियों पर आधारित उद्यमों की भारित औसत रेटिंग, त्रैमासिक आधार पर की जाती है। अग्रिमों के रेटिंग वार संवितरण का विश्लेषण त्रैमासिक आधार पर किया जाता है।

उत्तम जोखिम प्रबन्धन प्रथाओं को अपनाते हुए कॉर्पोरेट कार्यालय के स्तर पर आनेवाले ऋण प्रस्तावों (योजनाबद्ध ऋण प्रस्तावों को छोड़कर) को जोखिम ऋण प्रबन्धन विभाग द्वारा संवीक्षा की जाती है।

आस्ति देयता प्रबंधनः

आस्ति देयता प्रबंधन ढांचा, बैंक को अपने तुलनपत्र में तरलता जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम का माप, मानिटर और नियंत्रण करने में सुविधा प्रदान करता है । यह बैंक को आस्ति देयता प्रबंधन हेतु उपयुक्त रणनीतियाँ उपलब्ध करने के लिए अनुमत करता है। आस्ति देयता प्रबंधन ढाँचे में निम्नलिखित प्रमुख घटक हैं।

- तरलता जोखिम प्रबंधन
- ब्याज दर जोखिम प्रबंधन
- तुलनपत्र तथा बेसल ||| तरलता अनुपात
- तनाव परीक्षण तथा स्थिति विश्लेषण
- आकस्मिकता निधि योजना

नीचे सूचीबद्ध दो मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने एएलएम नीति निर्धारित की हैः–

अल्पावधि उद्देश्यः–

- बैंक के निवल ब्याज मार्जिन को अनुकूलतम बनाना
- पर्याप्त चलनिधि प्रदान करना
- पुनः मूल्य निर्धारण जोखिम का प्रबंधन करना

Risk Management Architecture:

The Bank's risk management framework is based on clear understanding of various risks, disciplined risk assessment and measurement procedures and continuous monitoring. An independent Risk Management Department is functioning for effective Enterprise-Wide Risk Management and responsible for assessment, monitoring and reporting of risk exposures across the bank. All the risks the Bank is exposed to, are managed through following three committees viz.,

(I) Asset and Liability Management Committee (ALCO)

(ii) Credit Risk Management Committee (CRMC)

(iii) Operational Risk Management Committee (ORMC)

These committees work within the overall guidelines and policies approved by the Board.

The Bank has put in place various policies to manage the risks. To analyze the enterprise-wide risk and with the objective of integrating all the risks of the Bank, an Integrated Risk Management policy has also been put in place. The important risk policies comprise of Credit Risk Management Policy, Asset Liability Management Policy, Market Risk Management Policy, Operational Risk Management Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy, Stress Testing Policy, Collateral Management Policy, Disclosure Policy, Reputational Risk Management Policy and Strategic Risk Management Policy.

All the policies are reviewed at a minimum on annual basis by Risk Management Committee (RMC)/ Board. In order to disseminate the risk management concepts and also to sensitize the field level functionaries, the relevant policies are circulated to the branches, in addition to imparting training at the Bank's training colleges.

Credit Risk:

Risk Management Systems are in place to identify and analyze the risks at the early stage and manage them by setting and monitoring prudential limits besides taking other corrective measures to face the changing risk environment.

Limit Framework:

In order to limit the magnitude of credit risk and concentration risk, a limit framework has been laid down for following type of exposures:

- Single and group borrower exposure
- sensitive sector exposure
- unsecured exposure
- country-wise exposure
- Internal rating wise exposure
- Geographical exposure
- Term loan exposure
- Industry - wise exposure
- Interbank exposure

These exposure limits are monitored on regular basis and placed to various apex level committees of the Board.

Rating Model: All credit proposals are subject to a rigorous credit risk rating/scoring process to support credit decision making as well as to enhance risk management capabilities for portfolio management, pricing and risk based capital measurement.

Software driven rating mechanism is in place to assign the rating to ensure credit quality besides an entry level scoring system. The output of the rating models is used in decision making i.e. sanction, pricing and monitoring of credit portfolio. In order to ensure robustness of the rating models, the rating models have been subjected to validation by an external agency.

Scoring model: The Bank has developed entry level scoring models. All the fresh sanctions coming under personal loan products are subjected to entry level scoring

Loan review mechanism and Credit audit system are in place for the periodical review/audit of the large value accounts and bring about qualitative improvements in credit administration of the Bank. In addition, Standard Assets Monitoring Committee reviews the Special Mention Accounts periodically to initiate timely action to prevent slippage of standard assets to non performing assets. As a part of monitoring mechanism, accounts which are downgraded from investment category are identified and monitored closely.

Migration analysis of ratings is done on annual basis. Also weighted average rating of industry-wise portfolio of the Bank is done on quarterly basis. Analysis of rating wise distribution of advances is also carried out on quarterly basis.

Adopting best risk management practices, credit proposals (except schematic loan proposals) coming under sanctioning powers of Corporate Office are scrutinised by the Risk Management Department.

Asset Liability Management:

Asset Liability Management framework facilitates bank to measure, monitor and control liquidity risk and interest rate risk on its balance sheet. This helps in providing suitable strategies for asset liability management. The asset liability management framework consists of the following key components

- Liquidity risk management
- Interest rate risk management
- Balance sheet and Basel III liquidity ratios
- Stress Testing and scenario analysis
- Contingency funding plan

Bank has set in place ALM policy to achieve two primary objectives as listed below:

Short Term Objective:

- To optimize the Net Interest Margin (NIM) of the Bank
- To provide adequate liquidity
- To manage re-pricing risk

दीर्घावधि उद्देश्यः

- शेयरधारकों की संपत्ति बढ़ाना

आस्ति देयता प्रबंधन का कार्य आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आलको) संभालती है। यह बोर्ड के दिशानिर्देश तथा पर्यवेक्षण और/ या एएलएम तथा जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड की उप–समिति के अधीन कार्य करती है। यह ब्याज दर स्थिति, जमाओं और अग्रिमों दोनों के उत्पाद क्रय, वृद्धिशील आस्ति तथा देयताओं की परिवक्ता प्रोफाइले, बैंक निधियों की माँग, बैंक के नकदी प्रवाह, लाभ योजना तथा संपूर्ण तुलनपत्र प्रबंधन की समीक्षा करने हेतु नियमित तौर पर बैठक का आयोजन करती है।

चलनिधि जोखिम दो दृष्टिकोण यथा फ्लो दृष्टिकोण तथा स्टॉक दृष्टिकोण के ज़रिए मापकर मानिटर किया जाता है। फ्लो दृष्टिकोण में नकद प्रवाह की विसंगतियों की संपूर्ण जाँच होती है तथा यह दैनंदिन आधार पर संरचित तरलता विवरणी की तैयारी से की जाती है। विभिन्न समय अंतरालों में विसंगतियों के लिए उपर्युक्त सहनशक्ति स्तर / प्रुडेंसियल सीमा का निर्धारण किया गया है। स्टॉक दृष्टिकोण के अधीन उपर्युक्त सीमाओं के साथ विभिन्न तुलनपत्र अनुपात निर्धारित किये गये हैं। निर्धारित सीमाओं के लिए अनुपातों का अनुपालन यह सुनिश्चित करता है कि बैंक अपनी चलनिधि का उचित विशाखन के ज़रिए प्रबंधन करता है तथा सुग्राह्य सीमा के अधीन बनाये रखता है। बैंक अपनी लघु कालीन तरलता विसंगतियों का मूल्यांकन करता है तथा उसकी रिपोर्ट लघु कालीन गतिशील रिपोर्ट में प्रस्तुत करता है जिसमें विभिन्न आस्तियों के नकद प्रवाह तथा देयता उत्पन्न करनेवाली इकाइयों की प्रस्तुति की जाती है तथा 1–90 दिन की अवधि में बैंक की आस्ति तथा देयताओं के नकद प्रवाह के सामयिक अंतर को प्रस्तुत किया जाता है।

ब्याज दर जोखिम को मुद्रावार मापने तथा मानिटर करने हेतु पारंपरिक गैप दृष्टिकोण तथा गौण दृष्टिकोण दोनों का प्रयोग किया जाता है। एनआईएम पर ब्याज दर परिवर्तन के अल्प–कालीन असर का आकलन ''जोखिम पर अर्जन'' दृष्टिकोण के ज़रिए किया जाता है जिसमें प्रतिलाभ वक्र जोखिम, आधार जोखिम तथा एंबेडेड विकल्प जोखिम को ध्यान में लिया जाता है। ईक्विटी के बाज़ार मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के दीर्घ–कालीन असर आकलन अवधि गौण दृष्टिकोण के जरिए किया जाता है। आलको द्वारा मासिक ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी की संवीक्षा की जाती है तथा आरएमसी द्वारा त्रैमासिक ब्याज दर संवेदनशीलता की संवीक्षा की जाती है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित तथा आंतरक रूप से परिभाषित स्ट्रेस परिदृश्यों के अनुसार चलनिधि जोखिम और ब्याज दर जोखिम के लिए नियमित अंतरालों पर स्ट्रेस परीक्षण किया जाता है। आंतरिक चलनिधि स्ट्रेस परीक्षण से प्राप्त परिणामों का प्रयोग आकस्मिकता आयोजन निधि योजना का सृजन, विभिन्न चलनिधि स्ट्रेस परिदृश्यों में करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

उपर्युक्त के अलावा बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी हाल ही के दिशानिर्देशों के अनुसार चलनिधि कवरेज अनुपात का परिकलन कर रहा है तथा अल्पावधि चलनिधि के प्रबंधन के लिए उसका जोखिम मापक औजार के रूप में प्रयोग कर रहा है। मासिक आधार पर आलको द्वारा एलसीआर विवरण की पुनरीक्षा की जाती है तथा आरएमसी द्वारा त्रैमासिक ब्याज दर संवेदनशीलता की संवीक्षा की जाती है ।

बाजार जोखिम प्रबंधनः–

बाजार में परिवर्ती तथ्यों में हुए परिवर्तन के कारण हानि की संभाव्यता, बाजार जोखिम होता है। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) की परिभाषा के अनुसार ''बाजार जोखिम वह जोखिम है जहाँ ईक्विटी और ब्याज दरों पर बाजार, मुद्रा विनिमय दरें और पण्य के मूल्य में उतार–चढ़ाव से ''ऑन'' या ''ऑफ'' तुलन पत्र स्थिति के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ''अतः बाजार जोखिम, बैंक की कमाई और पूंजी को होनेवाला जोखिम है जोकि ब्याज दरों के बाजार स्तर या प्रतिभूतियों, विदेशी विनिमय और ईक्विटी की कीमत में परिवर्तन तथा ऐसे परिवर्तनों में अस्थिरता से हो सकता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य, व्यापारिक इकाइयों को बाजार जोखिम एक्सपोज़र, जोखिम एक्सपोजर की तुलना में संविभाग निष्पादन और तुलनीय न्यूनतम मानदंडों के संबंध में विश्लेषिकी से चालित निविष्टियां प्रदान करते हुए जोखिम–समायोजित प्रतिफल की दरों को अधिक से अधिक बनाने में सहायता देना होता है। बाजार जाखिम के अन्तर्गत निम्नलिखित जोखिमों का प्रबंधन किया जाता हैः–

- ➢ ब्याज दर जोखिम
- ➢ विनिमय दर जोखिम
- ➢ ईक्विटी कीमत जोखिम

बाज़ार जोखिम, पण की कीमत तथा उतार–चढ़ाव में होनेवाले परिवर्तनों के कारण हो सकती है। तथापि, बैंक को पण्य संबंधित बाज़ार में कोई एक्सपोज़र नहीं है।

बैंक का बाजार जोखिम प्रबंधन (एमआरएम) ढांचा निम्नानुसार हैः–

ए) जोखिम की पहचान : यह नीति बाजार जोखिम का पता लगाने, मूल्यांकित करने और व्यवस्थित करने के लिए एक तंत्र रचित करने पर केन्द्रित है ताकि जोखिम के विभिन्न आयामों की पहचान और व्यापार के प्रत्येक कार्यकलाप की मान्यता को स्पष्ट किया जा सके।

बी) जोखिम मापन और परिसीमाएं : बैंक इस बात को स्पष्टतया मानता है कि बाजार जोखिम के सभी पहलुओं को कोई एक जोखिम – सांख्यिकी प्रतिबिंबित नहीं कर सकती। अतः बाजार जोखिम में जोखिम मापन की सुदृढता को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सांख्यिकीय एवं गैर–सांख्यिकीय जोखिम उपायों का प्रयोग किया जाता है । क्योंकि इनका अवलोकन एक साथ करने पर जोखिम के ये कदम, किसी एकल कदम की तुलना में बाजार जोखिम एक्सपोजर की सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। बाजार जोखिम का प्रबंधन, विभिन्न मापने के साधनों, यथा, जोखिम पर रहे मूल्य (वीएआर), जोखिम पर रहे अर्जन (ईएआर), आशोधित अवधि (एमडी), पीवी 01 सीमाएं, निवल ओवरनाइट खुली स्थिति सीमाएं (एनओओपीएल), वैयक्तिक गैप सीमा (आईजीएल) तथा संकलित गैप सीमा (एजीएल) के जरिए मुद्रा–वार और सूक्ष्मग्रहिता विश्लेषण के जरिये भी किया जाता है। अतितीव्र, परन्तु मुमकिन आघातों की परिस्थितियों में बैंक की असुरक्षा की स्थिति को मानिटर करने के लिए नियमित आधार पर दबाव परीक्षण भी किया जाता है।

सी) जोखिम मानिटरिंग : ट्रेडिंग बही के लिए विभिन्न आंतरिक और विनियामक जोखिम सीमाओं के प्रयोग से, जोकि आर्थिक परिदृश्य, व्यापार रणनीति, प्रबंधन का अनुभव और बैंक की जोखिम ग्राह्यता पर आधारित हैं, बैंक अपने जोखिम को मानिटर एवं नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रेट स्कैन, लेनदेनों का मौजूदा बाजार दरों पर किया जाता है ।

डी) जोखिम रिपोर्टिंग : मिड–ऑफिस द्वारा दैनंदिन तौर पर ट्रेशरी परिचालनों का मानीटर किया जाता है। मुख्य जोखिम अधिकारी को दैनंदिन रिपोर्ट और आल्को को मासिक आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। दबाव परीक्षण नीति में निर्धारित धारणाओं का अनुपालन करते हुए बाजार जोखिम के निर्धारण के लिए तनाव परीक्षण किया जाता है और तिमाही आधार पर आलको को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

Long Term Objective:

- To maximize the shareholder's wealth

Asset Liability Management is the function of Asset Liability Management Committee (ALCO). It operates under the guidance and supervision of the Board and/or Sub-Committee of Board on Risk Management. It meets at regular intervals to review the interest rate scenario, product pricing for both deposits and advances, maturity profile of the incremental assets and liabilities, demand for Bank funds, cash flows of the Bank, profit planning and overall Balance Sheet Management.

Liquidity risk is measured and monitored through two approaches-Flow approach and Stock approach. Flow approach involves comprehensive tracking of cash flow mismatches and is done through preparation of Structural liquidity statement on a daily basis. Appropriate tolerance levels/prudential limits have been stipulated for mismatches in different time buckets. Under Stock Approach various balance sheet ratios are prescribed with appropriate limits. The compliance of ratios to the prescribed limits ensures that the Bank has managed its liquidity through appropriate diversification and kept it within the sustainable limit.

For measurement and monitoring of Interest rate risk, currency wise, both Traditional gap approach and Duration gap approaches are followed. The short-term impact of interest rate movements on NIM is worked out through "Earnings at Risk" approach taking into consideration Yield curve risk, Basis risk and Embedded Options Risk. The long-term impact of interest rate movements on Market Value of Equity is also worked out through Duration Gap approach. The monthly interest rate sensitivity statement is reviewed by ALCO and Quarterly interest rate sensitivity is reviewed by RMC.

Stress testing of liquidity risk and interest rate risk is conducted on regular interval as per the RBI defined and internally defined stress scenarios. The results from internal Liquidity stress testing are used to draw contingency funding plan under different liquidity stress scenarios.

In addition to the above, bank is computing Liquidity Coverage Ratio (LCR) as per latest guidelines issued by RBI and is using it as a risk measurement tool to manage short term liquidity. On a monthly basis LCR statement is reviewed by ALCO.

Market Risk Management:

Market risk is the possibility of loss caused by adverse movements in the market variables. The Bank for International Settlements (BIS) defines market risk as "the risk that the value of 'on' or 'off' balance sheet positions will be adversely affected by movements in equity and interest rate markets, currency exchange rates and commodity prices". Thus, Market Risk is the risk to the bank's earnings and capital due to changes in the market level of interest rates or prices of securities, foreign exchange and equities, as well as the volatilities of those changes. The objective of market risk management is to assist the business units in maximizing the risk adjusted return by providing analytics driven inputs regarding market risk exposures, portfolio performance vis-à-vis risk exposures and comparable benchmarks. Following risks are managed under Market Risk.

- ➢ Interest Rate Risk
- ➢ Exchange Rate Risk
- ➢ Equity Price Risk

The market risk may also arise from changes in commodity prices and volatility. However, Bank does not have any exposure to commodity related markets.

Market Risk Management (MRM) Framework of the bank is as follows:

a) **Risk Identification:** The Policy is focused on setting a framework for identifying, assessing and managing market risk in order to provide clarity on various dimensions of risk identification and recognition to each of the business functions.

b) **Risk Measurement and Limits:** Bank recognizes that no single risk statistic can reflect all aspects of market risk. Therefore, various statistical and non-statistical risk measures are used to enhance the stability of risk measurement of market risk. Together, these risk measures provide a more comprehensive view of market risk exposure than any single measure. Market risk is managed with various metrics viz. Value at Risk (VaR), Earnings at Risk (EaR), Modified duration (MD), PV01 Limits, Net Overnight Open Position Limits (NOOPL), Individual Gap Limit (IGL) and Aggregate Gap Limit (AGL) currency wise and also through sensitivity analysis. Stress testing is also conducted on a regular basis to monitor the vulnerability of the bank to extreme but plausible unfavourable shocks.

c) **Risk Monitoring:** Bank monitors and controls its risk, using various internal and regulatory risk limits for trading book which are set based on economic scenario, business strategy, management experience and Bank's risk appetite. Rate scan is carried out to ensure that transactions are carried out at prevailing market rates.

d) **Risk Reporting:** Mid Office monitors treasury operations on day to day basis. A daily report is placed to Chief Risk Officer and on monthly basis to ALCO. Stress testing is done for assessing market risk as per framework prescribed in Stress Testing Policy and reported to ALCO on Quarterly basis.

Market risk management is governed by comprehensive board approved Market Risk Management Policy, Integrated Treasury Management Policy, Stress Testing Policy and Derivative Policy to ensure that the risks spread across

बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, एकीकृत ट्रेशरी नीति, दबाव परीक्षण नीति और व्युत्पन्न नीति द्वारा बाजार जोखिम प्रबंधन अनुशासित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार जोखिम से युक्त विभिन्न कार्यकलापों में फैला हुआ जोखिम, बैंक की जोखिम ग्राह्यता के अन्दर ही है। उद्योग में व्याप्त उत्तम व्यवहार और भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमनों से सारी नीतियां बेंचमार्क की गई हैं। बैंक के जोखिम रिपोर्टिंग तंत्र में प्रकटीकरण और विभिन्न प्रबंधन समितियों को रिपोर्ट करना शामिल है।

परिचालनगत जोखिमः–

उद्योग के प्रतिभागियों, विनियामकों और अन्य स्टेकधारकों के बीच परिचालनगत जाखिम ही तीव्र अभिरुचि का केन्द्र है। प्रभावोत्पादक अभिशासन, जोखिम कैप्चर और मूल्यांकन और परिचालनगत जोखिम के मात्रात्मक निर्धारण को सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढाँचा (ओआरएमएफ) और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन तंत्र (ओआरएमएस) बनाया है। दैनंदिन की प्रबन्धन प्रक्रियाओं में उपयुक्त गुणात्मक एवं मात्रात्मक प्रणालियों और विभिन्न जोखिम शमन नीतियों तथा सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण तंत्रों का प्रयोग करते हुए और विभिन्न जोखिम शमन नीतियों को अपनाते हुए परिचालनगत जोखिम का प्रबंधन सुगम रूप से किया जाता है। विभिन्न उत्पादों/प्रक्रियाओं में जोखिम बोध का समीक्षात्मक विश्लेषण किया जाता है और यथावश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

बैंक ने अपने परिचालनगत जोखिम को कैप्चर करने, मापने, मानीटर करने और व्यवस्थित करने के लिए वेब–आधारित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की है।

परिचालनगत जोखिम को क्रेडिट स्पर्ट के विश्लेषण और परिचालनगत हानि की बारंबारता एवं गंभीरता के विश्लेषण के जरिए भी मानिटर किया जाता है ।

सारणी डीएफ – 3

ऋण जोखिम : सभी बैंकों हेतु सामान्य प्रकटीकरण

गुणवत्ता प्रकटीकरण :

(ए) ऋण जोखिम प्रबंधन :

ऋण जोखिम को यों परिभाषित किया गया है कि ऋणकर्ताओं या प्रतिपक्षकारों की ऋण गुणता में कमी के कारण होनेवाली हानि की संभाव्यता।

संरचना :

विभिन्न दिशानिर्देशों तथा प्रमुख उद्योग प्रथाओं के अनुपालन में, बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए एक सुव्यवस्थित अधिशान संरचना बनाई है ताकि पर्याप्त निरीक्षण, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग हो सके। ढाँचा, निदेशकों के मंडल की जिम्मेदारी को स्थापित करती है।

बैंक ने जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर भारिबैंक के दिशानिर्देश नोट के अनुसार बोर्ड स्तरीय उप–समिति की स्थापना की है जिसे ''जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)'' कहा जाता है।

जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) :

आरएमसी, बैंक द्वारा सामने की जानेवाली संपूर्ण जोखिम का मूल्यांकन करती है तथा यह प्रभावी प्रणाली की स्थापना के लिए जिम्मेवार है जिससे जोखिम को पहचानने, मापने तथा नियंत्रित करने में सहायता मिल सके और इसके द्वारा नीतियों के निपटारा रणनीति, जोखिम लेने की क्षमता तथा ऋण मानदंडों को बोर्ड के अनुमोदन के लिए संस्तुत किये जा सके।

बोर्ड ने ऋण जोखिम के संबंध में जिम्मेदारी लेने के लिए आरएमसी को अधिकार प्रत्यायोजित किया है।

समिति, ऋण जोखिम प्रबंधन का पर्यवेक्षण करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि बैंक द्वारा सामने की जानेवाली प्रमुख ऋण जोखिम को उचित रूप से पहचाना जाता है तथा उसका उचित रूप से प्रबंधन हो। समिति, संपूर्ण जोखिम लेने की क्षमता तथा ऋण जोखिम प्रबंधन रण्नीति को अनुमोदन करती है । समिति, जोखिम प्रबंधन नीतियों, भारिबैंक द्वारा निर्धारित जोखित प्रबंधन दिशानिर्देशों से संबंधित बैंक के अनुपालन की समीक्षा करती है।

जोखिम समिति, ऋण जोखिम प्रोफाइल तथा अन्य कोई प्रमुख विकास यथा आंतरिक तथा बाह्य और संविभाग तथा बैंक पर समग्रद रूप उनके असर की समीक्षा करती है।

ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)

आरएमसी, ऋण नीति तथा प्रक्रियाओं के संबंध में मुद्दों तथा ऋण जोखिम को बैंक को समृद्ध रूप से लेकर विश्लेषण, प्रबंधन तथा नियंत्रण करती है।

ऋण समीक्षा प्रबंधन समिति (एलआरएमसी)

ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के रूप में, कॉर्पोरेट कार्यालय में ऋण समीक्षा प्रबंधन समिति (एलआरएमसी) का गठन किया गया है ताकि कॉ.काः की विभिन्न समितियों तथा अंचल ऋण समितियों द्वारा मंजूर किये गये ऋण खातों की समीक्षा की जा सकें।

अतिदेय तथा क्षतिग्रस्त (लेखांकन प्रयोग हेतु)

बैंक ने आय पहचान तथा आस्ति वर्गीकरण मानदंडों हेतु आरबीआई द्वारा परिभाषित किये अनुसार अतिदेय तथा क्षतिग्रस्त के लिए परिभाषाओं को अपनाया है।

बैंक की ऋण आस्तियों को वर्गीकृत करने के लिए बैंक की नीति निम्नप्रकार है :

गैर–निषपादित आस्ति (एनपीए) : गैर–निषपादित आस्ति (एनपीए), एक ऋण या अग्रिम है जहाँ

- ➢ मूलधन और /या ब्याज किस्त 90 दिन से अधिक समय तक बकाया रहता है,
- ➢ जब खाता ''ओवर ड्राफ़्ट / नकद ऋण (ओडी / सीसी) के संबंध में ''नियमित नहीं है''
- ➢ जब बिल, क्रय किये गये बिल तथा भुनाये गये बिल के मामले में 90 दिन से अधिक समय के लिए अतिदेय है
- ➢ मूलधन या ब्याज की किस्त अल्प अवधि फसलों के लिए दो फसल मौसम के लिए अतिदेय रहती है
- ➢ मूलधन या ब्याज की किस्त दीर्घकालिन फसलों के लिए एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहता है

एक ओडी / सीसी खाते को **''अनियमित''** माना जाता है जब अतिदेय राशि मंजूरीकृत सीमा / आहरित सीमा से 90 दिन से अधिक समय के लिए लगातार आधिक्य रहता है। जब मूल परिचालन खाते में अतिदेय राशि मंजूरीकृत सीमा / आहरित सीमा से कम है, परंतु तुलन पत्र के दिन पर 90 दिनों के लिए लगातार कोई जमा नहीं है या उसी अवधि में नामे डाले गये ब्याज को कवर करने के लिए जमा पर्याप्त पहीं है तो इन खातों को **''अनियमित''** माना जाएगा।

different activities carrying an underlying market risk are within the stipulated risk appetite of the bank. All the policies are benchmarked with industry-best practices and RBI regulations. The risk reporting mechanism in the Bank comprises disclosures and reporting to the various management committees.

Operational Risk:

Operational risk is now on the focus of intense interest among industry participants, regulators and other stake holders. The bank has put in place Operational Risk Management Frame work (ORMF) and Operational Risk Management systems (ORMS) to ensure effective governance, risk capture and assessment and quantification of operational risk. Operational risk is well managed by using appropriate qualitative & quantitative methods and established internal control systems in day to day management processes and adopting various risk mitigating strategies. The risk perceptions in various products / processes are critically analysed and corrective actions if required, are initiated.

Bank has implemented a web-based Operational Risk Management System to capture, measure, monitor and manage its operational risk.

Operational risk is also monitored through analysis of credit spurt and analysis of frequency and severity of operational losses.

Table DF-3

Credit Risk: General disclosures for all banks

Qualitative Disclosures:

(a) Credit Risk Management:

Credit risk is defined as the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counterparties.

Architecture:

In adherence with various guidelines and leading industry practices, the Bank has set up a robust governance structure for the management of credit risk, ensuring an adequate oversight, monitoring and reporting.The framework establishes the responsibilities of the board of directors .

The Bank has established a Board level sub-committee known as 'Risk Management Committee (RMC)' constituted in terms of RBI guidance note on Risk Management system.

Risk Management Committee (RMC):

The RMC evaluates overall risks faced by the Bank and is responsible for the establishment of an effective system to identify, measure, monitor and control risk and recommend to the Board for its approval, clear policies, strategy, risk appetite and credit standards.

The Board has delegated authority to the RMC for credit risk related responsibilities.

The committee oversees credit risk management and ensures that the principal credit risks facing the Bank have been properly identified and are being appropriately managed. The committee approves and periodically reviews the overall risk appetite and credit risk management strategy. The committee reviews the risk management policies, the Bank's compliance with risk management guidelines stipulated by the RBI.

The risk committee also reviews credit risk profile and any major development, internal and external, and their impact on portfolio and as a whole on the bank

Credit Risk Management Committee (CRMC):

CRMC deals with the issues relating to credit policy and procedures, and analyzes, manages and controls credit risk on a bank wide basis.

Loan Review Management Committee: (LRMC):

As a part of Credit risk management process, Loan Review Management Committee (LRMC), at Corporate Office, has been constituted to undertake review of borrowal accounts sanctioned by various Committees at CO and Zonal Credit Committee.

Definitions of past due and impaired (for accounting purpose)

Bank has adopted the definitions of the past due and impaired (for accounting purposes) as defined by RBI for Income Recognition and Asset Classification norms.

The policy of the bank for classifying bank's loan assets is as under:

Non Performing Asset (NPA): A non performing asset (NPA) is a loan or an advance where:

- Interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC)
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops

An OD/CC account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power for more than 90 days. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

बैंक की गैर–निष्पादित आस्तियों को आगे तीन वर्गों में वर्गीकृत की गई है :

➢ **अवमानक आस्तियाँ :**

अवमानक आस्ति यह है जोकि 12 महीने की समान अवधि या उससे कम अवधि के लिए एनपीए के रूप में रहा हो।

➢ **संदिग्ध आस्तियाँ**

आस्ति को संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब आस्ति 12 महीनों के लिए अवमनाक वर्ग में रहती है।

➢ **हानिकारक आस्ति**

हानिकार आस्ति वह है जब बैंक द्वारा या आंतरिक या बाह्य लेखाकारों या भारिबैंक के निरीक्षण के समय पर हानि को पहचाना जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति :

बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन नीति बनायी है और इसे सभी शाखाओं को परिचालित की गई है। नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिचालन प्रबंधन की प्रत्याशा के अनुरूप हैं तथा उच्च प्रबंधन की रणनीतियों को परिचालन स्तर पर सार्थक निदेशों के रूप में पहुँचाया गया है। यह नीति बृहत ऋण एक्सपोज़र, ऋण संपार्श्विक हेतु मानक, फोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण समीक्षा तंत्र, जोखिम सकेंद्रीकरण, जोखिम निगरानी तथा मूल्यांकन, प्रावधानीकरण तथा विनियामक / विधिक अनुपालन पर विवेकी सीमाओं को निर्धारित करती है।

बैंक उन जोखिमों की पहचान करता है जो उनको प्रभावित करते हैं तथा इन जोखिमों के माप, निगरानी तथा नियंत्रण के लिए उचित तकनीकी का प्रयोग करता है।

जबकि बोर्ड / बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति नीति तैयार करती है तथा विभिन्न ऋण जोखिमों को निर्धारित करती है, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति बोर्ड / आरएमसी द्वारा अनुमोदित इन नीतियों एवं रणनीतियों को कार्यान्वित करती है, समिति ऋण जोखिम की निगरानी को बैंक व्यापक आधार पर करता है तथा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

बैंक (क) एकल तथा सामूहिक उधारकर्ताओं हेतु एक्सपोज़र सीमा निर्धारण (ख) ग्रेड सीमा रेटिंग (ग) उद्योगवार एक्सपोज़र सीमा तथा (घ) पूरे अंचलों में ऋणों के भौगोलिक संवितरण के विश्लेषण द्वारा जोखिम संकेद्रीकरण का अध्ययन करता है। सभी अंचलों को चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है, यथा उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम।

बैंक में सभी शाखाओं/अंचल कार्यालयों के लिए बैंक किसी भी उधारकर्ता से संबंधित ऋण जोखिम का माप करने के लिए उधार खाते की रेटिंग को एक महत्वपूर्ण उपकरण मानता है और तदनुसार साफ्टवेयर चालित रेटिंग/स्कोरिंग मॉडल कार्यान्वित किए गए है।

(बी) कुल सकल ऋण जोखिम (समेकित) अलग अलग से निधि आधारित एवं गैर–निधि आधारित पृथकत : (₹ मिलियन में)

विवरण	**एकल (सार्वभौमिक)**	**समेकित**
सकल ऋण जोखिम एक्सपोश्र		
निधि आधारित		
ऋण एवं अग्रिम	1878960.64	1878960.67
निवेश	390778.03	390803.40
अन्य आस्तियां	338111.87	338527.48
कुल निधि आधारित	**2607850.55**	**2608291.55**
गैर निधि आधारित जिस में आकस्मिक क्रेडिट, संविदाएं तथा व्युत्पन्न शामिल हैं*	876187.56	876436.52
कुल ऋण जोखिम एक्सपोशर	**3484038.11**	**3484728.07**

*इसमें व्युत्पन्न एक्स्पोशर की अनुमानित मूल राशि, गैर लाभित निधि सीमा, एलसी, स्वीकृतियां, गारंटी शामिल है।

(सी) एक्सपोशर का भौगोलिक वितरण, निधि आधारित एवं गैर–निधि आधारित अलग अलग से: (₹ मिलियन में)

भौगोलिक क्षेत्र	**निधि आधारित**	**आकस्मिक ऋण, संविदाएं तथा व्युत्पन्न सहित गैर–निधि आधारित**	**कुल**
ओवरसीज़	93263.16	28087.42	121350.57
देशी	2514587.39	848100.15	3362687.54
कुल	**2607850.55**	**876187.56**	**3484038.11**

Non Performing Assets of the Bank is further classified in to three categories as under:

➢ **Sub standard Assets**

A sub standard asset is one which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months.

➢ **Doubtful Assets**

An asset would be classified as doubtful if it has remained in the sub standard category for 12 months.

➢ **Loss Assets**

A loss asset is one where loss has been identified by the bank or by internal or external auditors or the RBI inspection.

Credit Risk Management Policy: The Bank has put in place the Credit Risk Management Policy and the same has been circulated to all the branches. The main objective of the policy is to ensure that the operations are in line with the expectation of the management and the strategies of the top management are translated into meaningful directions to the operational level. The Policy stipulates prudential limits on large credit exposures, standards for loan collateral, portfolio management, loan review mechanism, risk concentrations, risk monitoring and evaluation, provisioning and regulatory / legal compliance.

The Bank identifies the risks to which it is exposed and applies suitable techniques to measure, monitor and control these risks.

While the Board / Risk Management Committee of the Board devises the policy and fixes various credit risk exposures, Credit Risk Management Committee implements these policies and strategies approved by the Board / RMC, monitors credit risks on a bank wide basis and ensures compliance of risk limits.

The Bank studies the concentration risk by (a) fixing exposure limits for single and group borrowers (b) rating grade limits (c) industry wise exposure limits and (d) analyzing the geographical distribution of credit across the Zones. All the Zones are categorized under four segments namely North, South, East and West.

Bank considers rating of a borrower account as an important tool to measure the credit risk associated with any borrower and accordingly implemented rating software.

(b) Total gross credit risk exposures, Fund Based and Non-fund based separately. (₹ in Million)

Particulars	**Solo (Global)**	**Consolidated**
Gross Credit Risk Exposures		
Fund Based		
Loans and Advances	1878960.64	1878960.67
Investments	390778.03	390803.40
Other Assets	338111.87	338527.48
Total Fund Based	**2607850.55**	**2608291.55**
Non Fund Based including contingent credit, contracts and derivatives*	876187.56	876436.52
Total Credit Risk Exposure	**3484038.11**	**3484728.07**

*includes notional principles of derivatives exposures, fund based unavailed limits, LC, acceptances, Guarantees.

(c) Geographic distribution of credit risk exposures Fund based and Non-fund based (solo) separately (₹ in Million)

Geographical Region	**Fund Based**	**Non Fund Based including contingent credit, contracts and derivatives**	**Total**
Overseas	93263.16	28087.42	121350.57
Domestic	2514587.39	848100.15	3362687.54
Total	**2607850.55**	**876187.56**	**3484038.11**

(डी) 31.03.2019 तक एक्स्पोशर का उद्योगवार वितरण (एकल – सार्वभौमिक)

(₹ मिलियन में)

क्रमांक	प्रमुख उद्योग / क्षेत्र	बकाया		31 03 2019 तक वैश्विक प्रतिबद्ध एक्स्पोशर
		निधि आधारित	गैर निधि आधारित	
1	**रसायन एवं रसायन उत्पाद**			
1.1	औषधि एवं औषधीय	4621.19	92.68	6084.39
1.2	उर्वरक	1242.56	325.21	8176.33
1.3	अन्य रसायन एवं रसायन उत्पाद	6731.52	1882.67	10418.73
2	**इंजीनियरिंग**			
2.1	सामान्य इंजीनियरिंग मशीनरी और माल	14236.28	10490.40	46275.14
2.2	इलेक्ट्रिकल मशीनरी और माल	3531.24	6392.53	11618.90
2.3	इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, माल और सॉफ्टवेयर	8881.22	1124.31	11829.35
3	**खाद्य पदार्थ निर्माण एवं संसाधन**			
3.1	खादय तेल एवं वनस्पति	1564.44	1482.33	3904.66
3.2	राइस मिल्स, आटा मिल्स और दाल मिल्स	9041.64	2014.68	13087.29
3.3	चीनी	7222.63	229.40	8105.16
3.4	चाय / काफी	1237.70	0.00	1444.49
3.5	अन्य खाद्य पदार्थ निर्माण एवं संसाधन	21037.97	1779.64	29651.00
4	**आधारिक संरचना**			
4.1	बिजली			
4.1.1	विद्युत उत्पादन	72877.35	6541.31	87348.64
4.1.2	विद्युत प्रसारण	609.26	12073.41	13817.20
4.1.3	विद्युत वितरण	12735.86	2932.55	22412.07
4.1.4	नवीकरणीय ऊर्जा	3262.67	394.31	4232.56
4.2	पोर्ट / सडक	32811.87	648.80	40060.42
4.3	दूरसंचार	1019.21	21995.05	24265.25
4.4	शैक्षिक संस्था	24795.04	833.96	36131.61
4.5	अस्पताल	8103.77	621.09	10215.99
4.6	होटल (तीन स्टार एवं उससे अधिक)	4211.77	190.40	4498.10
4.7	अन्य आधारिक संरचना	79587.30	4157.16	108167.39
5	**वस्त्र**			
5.1	सूती वस्त्र	16331.14	874.98	20877.52
5.2	प्राकृतिक फाइबर वस्त्र	924.50	0.00	983.85
5.3	हथकरघा वस्त्र और खादी	1515.62	174.69	2134.09
5.4	अन्य वस्त्र	27425.90	1232.39	38388.14
6	**व्यापार**			
6.1	थोक व्यापार	115635.20	8156.00	186979.54
6.2	खुदरा व्यापार	56303.29	1410.53	65316.16
7	ऑटोमोबाइल	8889.14	1007.25	13078.43
8	विमानन	5079.83	0.71	5103.81
9	पेय पदार्थ एवं तम्बाकू	2415.66	5.00	2833.58
10	सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	11830.08	2280.46	16860.78
11	कैपिटल मार्केट एक्सपोजर (सीएमई)	3835.41	257.50	10568.30
12	वाणिज्यिक रियल एस्टेट (सीआरई)	48829.07	1414.53	58533.87
13	कंस्ट्रक्शन कान्ट्राक्टर्स	26644.55	29989.14	71664.24
14	रत्न और जेवर	1132.53	5.54	1226.96

(d) Industry-wise distribution of exposures (Solo) as on 31-03-2019

(₹ in Million)

S.No.	Major Industries / Sectors	Outstanding		Global Committed Exposure as on 31-03-2019
		FB Balance	NFB Balance	
1	**Chemicals & Chemical Products**			
1.1	Drugs and Pharmaceuticals	4621.19	92.68	6084.39
1.2	Fertilizers	1242.56	325.21	8176.33
1.3	Other Chemicals & Chemical Products	6731.52	1882.67	10418.73
2	**Engineering**			
2.1	General Engineering Machinery and Goods	14236.28	10490.40	46275.14
2.2	Electrical Machinary and Goods	3531.24	6392.53	11618.90
2.3	Electronic Machinery,Goods and Software	8881.22	1124.31	11829.35
3	**Food Manufacturing and Processing**			
3.1	Edible oil and Vanaspati	1564.44	1482.33	3904.66
3.2	Rice Mills, Flour Mills and Dal Mills	9041.64	2014.68	13087.29
3.3	Sugar	7222.63	229.40	8105.16
3.4	Tea and Coffee	1237.70	0.00	1444.49
3.5	Other Food Manufacturing and Processing	21037.97	1779.64	29651.00
4	**Infrastructure**			
4.1	Power			
4.1.1	Electricity Generation	72877.35	6541.31	87348.64
4.1.2	Electricity Transmission	609.26	12073.41	13817.20
4.1.3	Electricity Distribution	12735.86	2932.55	22412.07
4.1.4	Renewable Energy	3262.67	394.31	4232.56
4.2	Ports and Roads	32811.87	648.80	40060.42
4.3	Telecommunication	1019.21	21995.05	24265.25
4.4	Educational Institution	24795.04	833.96	36131.61
4.5	Hospital	8103.77	621.09	10215.99
4.6	Hotels (Three Star and above)	4211.77	190.40	4498.10
4.7	Other Infrastructure	79587.30	4157.16	108167.39
5	**Textiles**			
5.1	Cotton Textile	16331.14	874.98	20877.52
5.2	Natural Fibre Textile	924.50	0.00	983.85
5.3	Handloom Textile and Khadi	1515.62	174.69	2134.09
5.4	Other Textile	27425.90	1232.39	38388.14
6	**Trade**			
6.1	Wholesale Trade	115635.20	8156.00	186979.54
6.2	Retail Trade	56303.29	1410.53	65316.16
7	Automobiles	8889.14	1007.25	13078.43
8	Aviation	5079.83	0.71	5103.81
9	Beverages and Tobacco	2415.66	5.00	2833.58
10	Cement and Cement Products	11830.08	2280.46	16860.78
11	Capital Market Exposure (CME)	3835.41	257.50	10568.30
12	Commercial Real Estate (CRE)	48829.07	1414.53	58533.87
13	Construction Contractors	26644.55	29989.14	71664.24
14	Gems and Jewellery	1132.53	5.54	1226.96

(₹ मिलियन में)

क्रमांक	प्रमुख उद्योग / क्षेत्र	बकाया		31 03 2019 तक वैश्विक प्रतिबद्ध एक्स्पोशर
		निधि आधारित	गैर निधि आधारित	
15	ग्लास और ग्लास वेयर	1790.60	2311.76	5970.93
16	लोहा और इस्पात	51955.02	9802.56	72073.31
17	अन्य धातु और धातु उत्पाद	10978.75	466.12	12477.16
18	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	1465.26	114.62	1906.19
19	लाजिस्टीक्स	10677.54	1828.43	13616.75
20	मीडिया और मनोरंजन	2969.42	4230.51	8012.94
21	खनन और उत्खनन	1820.54	3984.78	6635.95
22	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफ़सी)	118378.33	1188.20	144551.52
23	सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफ़आई)	9364.76	0.00	10069.11
24	हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां (एचएफ़सी)	72234.09	0.00	91640.26
25	कागज और कागज उत्पाद	6294.57	628.79	8038.98
26	पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद	26333.54	18893.14	72441.63
27	मुद्रण और प्रकाशन	3837.42	125.52	4805.22
28	रबर, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	14011.17	2448.37	23345.58
29	शिपिंग	1389.91	5897.61	8567.46
30	लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	3126.26	675.45	4325.67
31	अन्य उद्योग	77673.41	8250.39	157987.88

31 मार्च 2019 को निम्नलिखित उद्योगों में बैंक का एक्स्पोशर के कुल सकल ऋण एक्स्पोशर के 5 प्रतिशत से अधिक था।

क्र.सं	उद्योग का वर्गीकरण	कुल सकल ऋण एक्स्पोजर का प्रतिशत
1	एनबीएफसी	5.55%

(ई) अग्रिमों एवं निवेशों के अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता के अलग अलग आंकडे

(₹ मिलियन में)

विवरण	अग्रिम	निवेश*
1 दिन	53721.50	20183.59
2-7 दिन	13639.20	21221.05
8 -14 दिन	15637.60	87862.42
15 to 30 दिन	21811.40	54998.83
31 दिन - 2 माह	17318.00	96547.81
2 माह से अधिक 3 माह तक	35541.80	89648.58
3 माह से अधिक 6 माह तक	49019.80	129210.71
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	96147.90	302088.23
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	155744.70	548069.75
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	39691.10	232305.98
5 वर्ष से अधिक	149868.10	230482.18
कुल	**648141.10**	**1812619.13**

*इसमें ₹ 1780.60 मिलियन का सूचित इंक्टीयों का 50 प्रतिशत शामिल नहीं है

(₹ in Million)

S.No.	Major Industries / Sectors	Outstanding		Global Committed Exposure as on 31-03-2019
		FB Balance	NFB Balance	
15	Glass and Glass Ware	1790.60	2311.76	5970.93
16	Iron and Steel	51955.02	9802.56	72073.31
17	Other Metals and Metal Products	10978.75	466.12	12477.16
18	Leather and Leather Products	1465.26	114.62	1906.19
19	Logistics	10677.54	1828.43	13616.75
20	Media and Entertainment	2969.42	4230.51	8012.94
21	Mining and Quarrying	1820.54	3984.78	6635.95
22	Non Banking Financial Companies (NBFC)	118378.33	1188.20	144551.52
23	Micro Finance Institutions (MFI)	9364.76	0.00	10069.11
24	Housing Finance Companies (HFC)	72234.09	0.00	91640.26
25	Paper and Paper Products	6294.57	628.79	8038.98
26	Petroleum and Petroleum Products	26333.54	18893.14	72441.63
27	Printing and Publishing	3837.42	125.52	4805.22
28	Rubber, Plastic and their Products	14011.17	2448.37	23345.58
29	Shipping	1389.91	5897.61	8567.46
30	Wood and Wood Products	3126.26	675.45	4325.67
31	Other Industries	77673.41	8250.39	157987.88

As on 31-03-2019, the Bank's exposure to the industries stated below was more than 5% of the total gross credit exposure

Sl.No	Industry Classification	Percentage of the total gross credit exposure
1	NBFC	5.55%

(e) Residual contractual maturity break-up of advances and investments

(₹ in Million)

	Investments*	Advances
1 day	53721.50	20183.59
2-7 days	13639.20	21221.05
8 -14 days	15637.60	87862.42
15 to 30 days	21811.40	54998.83
31 days to 2 months	17318.00	96547.81
2 months to 3 months	35541.80	89648.58
Over 3 months to 6 months	49019.80	129210.71
Over 6 months to 1 year	96147.90	302088.23
Over 1 year to 3 years	155744.70	548069.75
Over 3 years to 5 years	39691.10	232305.98
Over 5 years	149868.10	230482.18
Total	**648141.10**	**1812619.13**

* Excludes 50% of listed equities of ₹ 1780.60 million

(₹ मिलियन में)

(एफ)	एनपीए की राशि (सकल) – (एकल सार्वभौमिक)	1,33,534.52
	➢ अवमानक	48,827.21
	➢ संदिग्ध 1	20,498.21
	➢ संदिग्ध 2	49,059.70
	➢ संदिग्ध 3	6,825.10
	➢ हानि	8,324.30
(जी)	निवल एनपीए	**67,931.14**
(एच)	एनपीए अनुपात	
	➢ सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	7.11%
	➢ निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	3.75%
(आई)	एनपीए का आवागमन (सकल)	
	➢ अथशेष (01.04.2018)	1,19,901.44
	➢ जोड	64,449.59
	➢ घटाव	50,816.51
	➢ **अंतशेष (31.03.2019)**	**1,33,534.52**
(जे)	एनपीए के प्रावधान का आवागमन (कुल)	
	➢ अथशेष (01.04.2018)	54,982.30
	➢ वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	35,944.70
	➢ बट्टेखाते डाली गई राशि/अधिक प्रावधानों का प्रतिलेख	29,608.40
	➢ **अंतशेष (31.03.2019)**	**61,318.60**
(के)	गैर निष्पादक निवेशों की राशि	4,127.71
(एल)	गैर निष्पादक निवेश हेतु धारित प्रावधान राशि	632.60
(एम)	निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का आवागमन	
	➢ अथशेष (01.04.2018)	4,903.96
	➢ वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	10,845.37
	➢ बट्टेखाते डाली गई राशि	0.00
	➢ अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	6,031.29
	➢ **अंतशेष (31.03.2019)**	**9,718.04**

सीधे आय विवरण में प्रविष्ट बट्टाकृत राशियाँ और वसूलियाँ:

उगाही के अधीन रहे खातों में वसूलियां	1736.00
ब्याज ज्ञापन एवं विधिक प्रभारों का ज्ञापन / बट्टाकृत खातों में वसूलियां	192.81

प्रमुख उद्योग के प्रकार–वार एनपीए राशि (₹ मिलियन में)

उद्योग	सकल एनपीए	प्रावधान	निवल एनपीए
मूल धातु तथा धातु उत्पाद	19,623.60	11,055.43	8,568.17
बिजली को सम्मिलित कर मूलभूत संरचना	41,571.10	17,180.91	24,390.19
वस्त्र	5,804.30	1,063.35	4,740.95
सभी इंजीनियरिंग	6,339.90	5,986.36	353.54
कोयला एवं खनन	8,297.90	4,142.67	4,155.23

वर्ष के दौरान तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाली गई राशि : ₹ 3949.27 मिलियन

(₹ in Million)

(f)	Amount of NPAs (Gross) – (Solo-Global)	1,33,534.52
	➢ Substandard	48,827.21
	➢ Doubtful 1	20,498.21
	➢ Doubtful 2	49,059.70
	➢ Doubtful 3	6,825.10
	➢ Loss	8,324.30
(g)	Net NPAs	**67,931.14**
(h)	NPA Ratios	
	➢ Gross NPAs to gross advances	7.11%
	➢ Net NPAs to net advances	3.75%
(i)	Movement of NPAs (Gross)	
	➢ Opening Balance (01.04.2018)	1,19,901.44
	➢ Additions	64,449.59
	➢ Reductions	50,816.51
	➢ **Closing Balance (31.03.2019)**	**1,33,534.52**
(j)	Movement of provisions for NPAs	
	➢ Opening Balance (01.04.2018)	54,982.30
	➢ Provisions made during the period	35,944.70
	➢ Write Off / Write-back of excess provisions	29,608.40
	➢ **Closing balance (31.03.2019)**	**61,318.60**
(k)	Amount of Non-Performing investments	4,127.71
(l)	Amount of Provisions held for non-performing investments	632.60
(m)	Movement of provisions for depreciation on investments	
	➢ Opening balance (01.04.2018)	4,903.96
	➢ Provisions made during the period	10,845.37
	➢ Write-off	0.00
	➢ Write-back of excess provisions	6,031.29
	➢ **Closing balance (31.03.2019)**	**9,718.04**

Write off and recoveries that have been booked directly to the income statement:

Recovery in Accounts under collection	1736.00
Memorandum of Interest / Legal charges / Recovery in written off accounts	192.81

Amount of NPA by Major Industry type

(₹ in Million)

Industry	Gross NPA	Provision	Net NPA
Basic Metal and metal products	19,623.60	11,055.43	8,568.17
Infrastructure including Power	41,571.10	17,180.91	24,390.19
All engineering	5,804.30	1,063.35	4,740.95
Textiles	6,339.90	5,986.36	353.54
Coal and mining	8,297.90	4,142.67	4,155.23

Technical write off during the year: ₹ 3949.27 million

भौगोलिक फैलाव–वार एनपीए

(₹ मिलियन में)

	देशी	ओवरसीज	वैश्विक
एनपीए की राशि (सकल)			
➢ अव–मानक	48,336.63	490.58	48,827.21
➢ संदिग्ध 1	20,473.54	24.67	20,498.21
➢ संदिग्ध 2	47,629.22	1,430.48	49,059.70
➢ संदिग्ध 3	6,811.84	13.26	6,825.10
➢ हानि	8,309.77	14.53	8,324.30
कुल	**1,31,561.00**	**1,973.52**	**1,33,534.52**

पिछले देय ऋणों की परिपक्वता का विश्लेषण

(₹ मिलियन में)

विवरण	निवल एनपीए
1 वर्ष से कम (अवमानक)	48,827.21
1 से 2 वर्ष (डी 1)	20,498.21
2 से 3 वर्ष (डी 2 प्रथम वर्ष)	2,571.20
3 से 4 वर्ष (डी – दूसरे वर्ष)	46,488.50
4 वर्ष से अधिक	15,149.40

सारणी डीएफ –4

ऋण जोखिम : मानकीकृत अभिगम के अध्यधीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

गुणवत्ता प्रकटीकरण:

(ए) बेसल III ढांचे के अनुसार अर्ह एक्स्पोशरों जैसे कार्पोरेट, सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम, पूंजी बाज़ार एक्सपोसर आदि के लिए बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित सात दर निर्धारण अभिकरणों यथा क) क्राइसिल ख) इक्रा ग) केयर और घ) इंडिया रेटिंग्स ई) ब्रिकवर्क्स एफ) एक्यूट एवं जी) इन्फोमेरिक्स द्वारा निर्दिष्ट रेटिंग का प्रयोग करता है। समुद्रपार ऋण एक्सपोज़र के लिए, बैंक स्टैण्डर्ड एण्ड पुअर, फिट्च, मूडीस की रेटिंग को स्वीकार करता है।

बैंक ने सभी पात्र एक्सपोज़रों के लिए दोनों तुलनपत्र में और तुलनपत्र से परे, लघुकालीन या दीर्घकालीन जो भी हो, बेसल ।।। पूँजी विनियमनों पर भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों में अनुमत पद्धति के अनुसार उपर्युक्त अनुमोदित ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा निर्धारित रेटिंग का प्रयोग किया है।

रेटिंग अभिकरणों द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित रेटिंग को ही इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। संबंधित रेटिंग अभिकरण की वेबसाइट में प्रकाशित मासिक बुलेटिन के अनुसार रेटिंग्स जो चालू हैं, का प्रयोग किया जाता है।

बैंक के संविभाग में होनेवाली आस्तियाँ जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष के समान या उससे कम है तो लघु कालीन रेटिंग जो चयनीत ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा दिया जाता है, उसे प्रासंगिक माना जाता है। बैंक के संविभाग में होनेवाली आस्तियाँ जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष से अधिक हो तो दीर्घकालीन रेटिंग जो चयनीत ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा दिया जाता है, उसे प्रासंगिक माना जाता है।

चयनित देशी ऋण अभिकरणों द्वारा जारी दीर्घ कालीन/अल्प कालीन रेटिंग को बेसल ।।। पूँजी विनियमनों के अधीन मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार प्रयोज्य उचित जोखिम भारिता के साथ मैप किये गये हैं।

बहुल रेटिंग मूल्यांकन का प्रयोग:

➢ अगर चयनित ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा दो रेटिंग उपलब्ध किये जाते हैं जिससे विभिन्न जोखिम भार का मैपिंग होता है तो उच्च जोखिम भार को लिया जाता है।

➢ अगर चयनीत ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा विभिन्न जोखिम भारिता के साथ तीन या अधिक रेटिंग दिये जाते हैं तो दो निम्न जोखिम भार के संबंध में रेटिंग को संदर्भित करना चाहिए तथा इनमें से अधिक वाले दो जोखिम भार को लगाना चाहिए यथा दूसरा निम्नतम जोखिम भार

Geography-wise NPA (₹ in Million)

	Domestic	Overseas	Global
Amount of NPAs (Gross)			
➢ Substandard	48,336.63	490.58	48,827.21
➢ Doubtful 1	20,473.54	24.67	20,498.21
➢ Doubtful 2	47,629.22	1,430.48	49,059.70
➢ Doubtful 3	6,811.84	13.26	6,825.10
➢ Loss	8,309.77	14.53	8,324.30
Total	**1,31,561.00**	**1,973.52**	**1,33,534.52**

Analysis of ageing of past-due loans (₹ in Million)

Details	Gross NPA
Less than 1 year (Sub Standard)	48,827.21
1-2 Years (D1)	20,498.21
2-3 Years (D2- 1st Year)	2,571.20
3-4 Years (D2- 2nd Year)	46,488.50
More than 4 years	15,149.40

Table DF – 4

Credit Risk: disclosures for portfolios subject to the standardized approach

Qualitative Disclosures:

(a)The Bank uses ratings assigned by the seven Rating Agencies approved by the Reserve Bank of India namely a) CRISIL, b) ICRA, c) CARE, d) India Ratings, e) BRICKWORKS f) Acuite and g) INFOMERICS for the eligible exposures such as Corporate, Public Sector Enterprises, Capital Market Exposures etc. according to the Basel III framework. For overseas credit exposure, bank accepts rating of Standard &Poor, Fitch, Moody's.

The Bank has used the solicited ratings assigned by the above approved credit rating agencies for all eligible exposures, both on balance sheet and off balance sheet, whether short term or long term, in the manner permitted in the RBI guidelines on Basel III capital regulations.

Ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only ratings which are in force as per monthly bulletin published in the website of the concerned rating agencies are taken into account.

For assets in the Bank's portfolio that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings accorded by the chosen credit rating agencies are considered relevant. For other assets, which have a contractual maturity of more than one year, long term ratings accorded by the chosen credit rating agencies are considered relevant.

Long term/short term ratings issued by the chosen domestic credit rating agencies have been mapped to the appropriate risk weights applicable as per the standardised approach under Basel III capital regulations.

Use of multiple rating assessment:

➢ If there are two ratings accorded by chosen credit rating agencies that map into different risk weights, the higher risk weight are applied

➢ If there are three or more ratings accorded by chosen credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights should be referred to and the higher of those two risk weights should be applied. i.e., the second lowest risk weight

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

(बी) मानकीकृत अभिगम के तहत ऋण जोखिम निवारण के बाद विभाजित कुल ऋण जोखिम एक्स्पोसर एकल (सार्वभौमिक) निम्नानुसार है :

(₹ मिलियन में)

एकल (सार्वभौमिक)	बही मूल्य	जोखिम भारित कीमत /मूल्य
100% जोखिम भार के नीचे	2535745.59	520025.82
100% जोखिम भार	568649.44	433115.97
100% से अधिक जोखिम भार	379643.08	322895.60
कुल	**3484038.11**	**1276037.39**

मानकीकृत अभिगम के तहत ऋण जोखिम निवारण के बाद विभाजित कुल ऋण जोखिम एक्स्पोसर(समेकित) निम्नानुसार है :

(₹ मिलियन में)

समेकित	बही मूल्य	जोखिम भारित कीमत /मूल्य
100% जोखिम भार के नीचे	2535993.47	520040.26
100% जोखिम भार	569091.51	433558.04
100% से अधिक जोखिम भार	379643.08	322895.60
कुल	**3484728.07**	**1276493.90**

सारणी डीएफ–5: ऋण जोखिम निवारण–मानकीकृत अभिगमों हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने (क) ऋण जोखिम निवारण तथा बेसेल III/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की भावना को ध्यान मे रखते हुए उचित संपार्श्विक की पहचान पर जागरुकता बढ़ाने तथा (ख) बेसेल III/ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में निर्धारित अभिगम के अनुसार पूँजी प्रभार के परिकलन में ऋण जोखिम निवारण लाभ को इष्टतम बनाने के उद्देश्य से ऋण जोखिम निवारण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति लागू की है।

बैंक साधारणतः ऋण सहभागिता, एक्स्पोज़र की उच्चतम सीमा, एस्क्रो तंत्र, वायदा कवर, उच्चतर मार्जिन, ऋण प्रसंविदाओं, संपार्श्विक तथा बीमा कवर जैसे ऋण निवारण तकनीकों पर भरोसा करता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में मूल्यांकन पद्धतियों को विस्तृत रूप से बताया गया है।

पूँजी प्रभार के अभिकलन हेतु पात्र संपार्श्विक जिसके लिए सीआरएम लाभ लिया गया है :

पूँजी प्रभार के अभिकलन के लिए सीआरएम की उपलब्धता हेतु निम्नलिखित संपार्श्विकों को पहचाना जाता है:

i) बैंक के साथ जमाओं पर नकदी (जमा प्रमाणपत्रों अथवा तुलनात्मक लिखतों के साथ साथ ऋणदाता बैंक द्वारा जारी की गई सावधि जमा की रसीदों को मिलाकर) जो कि काऊँटर पार्टी एक्पोसर को प्रदान कर रहा है।

ii) सोनाः सोना, सोना–चाँदी तथा जेवर को सम्मिलत करेगा। यद्यपि संपार्श्विक जेवर की कीमत 99.99 सुदृढता के लिए बेंचमार्क होनी चाहिए।

iii) केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा ज़ारी प्रतिभूतियाँ।

iv) किसान विकास पत्र और राष्ट्रिय बचत प्रमाण–पत्र जिनमें कोई अवरुद्धता अवधि क्रियाशील नहीं है और उन्हें धारण अवधि के अंदर भुनाया जा सकता है।

v) एक बीमा कंपवनी जो कि बीमा क्षेत्र नियामक द्वारा विनियमित की जाती है, की घोषित सरेंडर कीमत के साथ बीमा पॉलिसियाँ।

गारंटार काऊंटरपार्टी के मुख्य प्रकार और उनकी उधार पात्रता

बैंक गारंटीयों की शर्तों में ऋण सुरक्षा पर विचार करता है, जोकि प्रत्यक्ष, सुस्पष्ट, अचल और अप्रतिबंधित/शर्त रहित हों। बैंक सभी ऋण सुरक्षा को पूँजी आवश्यकता के अभिकलन के दौरान ध्यान में रखता है।

काऊंटरपार्टी की तुलना में निम्नतम जोखिम भार के सहित उपक्रमों द्वारा जारी गारंटियां ही पूँजी प्रभार को कम करने में मुख्य भूमिका निभायेगीं। क्योंकि काऊंटरपार्टी एक्सपोसर का सरुक्षित हिस्सा गारंटर के जोखिम भार को निर्दिष्ट करता है, जबकि अरक्षित हिस्सा उसमें शामिल काऊँटर पार्टी के ऋण भार को बनाये रखता है।

निम्नलिखित उपक्रमों द्वारा दी गई ऋण सुरक्षा काउंटरपार्टी के रूप में पहचानी जाती है।

(i) शासन (केन्द्र और राज्य सरकार)

(ii) सरकारी उपक्रम (ईसीजीसी और सीजीटीएमएसई को मिलाकर)

(iii) काउंटरपार्टी की तुलना में निम्नतम ऋण भारित बैंक

निवारण हेतु योग्य सभी प्रकार की प्रतिभूतियां आसानी से वसूली योग्य वित्तीय प्रतिभूतियां हैं। इस कारण से, बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त ऋण जोखिम निवारकों में ऋण संकेंद्रीकरण को हटाने के लिए वर्तमान में कोई सीमा / उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

बैंक पूँजी मूल्यांकन में व्यापक दृष्टिकोण का प्रयोग करता है। व्यापक दृष्टिकोण में संपार्श्विक को लेते समय, बैंक पूँजी पर्याप्तता प्रयोग के लिए समयोजित एक्सपोज़र को प्रतिपक्षकार के लिए संपार्श्विक के असर को संतुलित कर गणना करता है। बैंक कोई भी संपार्श्विक के मूल्य को समायोजन करने के लिए संभाव्य भावी उतार–चढ़ाव को ध्यान में रखकर बाज़ार में होनेवाले परिवर्तन में प्रतिभूति के मूल्य को कवर करता है।

Quantitative Disclosures:

(b)The total credit risk exposure (Solo-Global) bifurcated after the credit risk mitigation under Standardized Approach is as under:

(₹ in Million)

Solo (Global)	Book Value	Risk Weighted value
Below 100% Risk weight	2535745.59	520025.82
100% Risk weight	568649.44	433115.97
Above 100% Risk weight	379643.08	322895.60
Total	**3484038.11**	**1276037.39**

The total credit risk exposure (Consolidated) bifurcated after the credit risk mitigation under Standardized Approach is as under:

(₹ in Million)

Consolidated	Book Value	Risk Weighted value
Below 100% Risk weight	2535993.47	520040.26
100% Risk weight	569091.51	433558.04
Above 100% Risk weight	379643.08	322895.60
Total	**3484728.07**	**1276493.90**

Table DF-5 :Credit Risk Mitigation: disclosures for standardized approaches

Qualitative Disclosures

The Bank has put in place Credit Risk Mitigation & Collateral Management Policy with the primary objective of a) Mitigation of credit risks & enhancing awareness on identification of appropriate collateral taking into account the spirit of Basel III / RBI guidelines and (b) Optimizing the benefit of credit risk mitigation in computation of capital charge as per approaches laid down in Basel III / RBI guidelines.

The Bank generally relies on Risk Mitigation techniques like Loan participation, Ceiling on Exposures, Escrow mechanism, Forward cover, higher margins, loan covenants, Collateral and insurance cover.

Valuation methodologies are detailed in the Credit Risk Management Policy.

Eligible collateral for which CRM benefit taken for Computation of Capital Charge:

The following collaterals are recognized for availing CRM benefit for Computation of Capital Charge:

i) Cash (as well as certificates of deposit or comparable instruments, including fixed deposit receipts, issued by the lending bank) on deposit with the bank, which is incurring the counterparty exposure.

ii) Gold: Gold would include both bullion and jewellery. However, the value of the collateralized jewellery should be benchmarked to 99.99 purity.

iii) Securities issued by Central and State Governments

iv) Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates provided no lock-in period is operational and if they can be encashed within the holding period

v) Life insurance policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by an insurance sector regulator

Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness

The Bank considers credit protection in terms of the guarantees which are direct, explicit, irrevocable and unconditional. The bank takes into account such credit protection in calculating capital requirements

Only guarantees issued by entities with a lower risk weight than the counterparty will lead to reduced capital charges, since the protected portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the guarantor, whereas the uncovered portion retains the risk weight of the underlying counterparty

Credit protection given by the following entities is recognised as counterparty Guarantor:

(i) Sovereigns (Central and State Governments)

(ii) Sovereign entities (including ECGC and CGTMSE)

(iii) Banks with a lower risk weight than the counterparty

All types of securities eligible for mitigation are easily realizable financial securities. Hence, presently no limit / ceiling has been prescribed to address the concentration risk in credit risk mitigants recognized by the Bank.

The Bank uses the comprehensive approach in capital assessment. In the comprehensive approach, when taking collateral, the Bank calculates the adjusted exposure to a counterparty for capital adequacy purposes by netting off the effects of that collateral. The Bank adjusts the value of any collateral by a haircut to take into account possible future fluctuations in the value of the security occasioned by market movements

मात्रात्मक प्रकटीकरण

प्रत्येक प्रकटित अलग ऋण जोखिम संविभाग हेतु, (एकल–सार्वभौमिक / समेकित) कुल ऋण (यथा लागू तुलन–पत्र में या उसके बाहर नेटिंग के बाद) जोकि मार्जिन लागू करने के बाद योग्य वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किया जाता है :

(₹ मिलियन में)

ऋण (एक्सपोज़र) का प्रकार	अर्ह वित्तीय संपार्श्विक	गारंटियां
सकल ऋण जोखिम एक्सपोज़र		
निधि आधारित		
ऋण और अग्रिम	349756.77	81183.38
निवेश	0.00	52.32
अन्य आस्तियां	0.00	0.00
कुल निधि आधारित	**349756.77**	**81235.70**
गैर निधि आधारित जिसमें प्रासंगिक क्रेडिट, संविदाएं और व्युत्पन्न शामिल हैं	24229.86	6598.74
कुल	**373986.63**	**87834.44**

सारणी डीएफ – 6
प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत अभिगम हेतु प्रकटीकरण

गुणवत्ता प्रकटीकरण	:	बैंक ने कोई प्रतिभूतिकरण क्रियाकलाप नहीं किया है।
मात्रात्मक प्रकटीकरण	:	शून्य

सारणी डीएफ – 7
व्यापार बही (ट्रेडिंग बुक) में बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम :

बाजार के परिवर्ती तथ्यों में परिवर्तन के कारण होनेवाली हानि की संभावना बाजार जोखिम है। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) की परिभाषा के अनुसार बाजार जोखिम ''वह जोखिम है जिससे ईक्विटी और ब्याज दर बाजारों, मुद्रा विनिमय दरों और पण्यों के मूल्यों में उतार–चढ़ाव के कारण ''ऑन'' और ''ऑफ'' तुलन पत्र की स्थिति प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हो जाती है। ''अतः ब्याज दरों का बाजार स्तर या प्रतिभूतियों के मूल्य, विदेशी विनिमय और ईक्विटी में परिवर्तन तथा साथ ही इन परिवर्तनों की अस्थिरता के कारण बैंक की पूंजी और अर्जन को होनेवाला जोखिम, बाज़ार जोखिम होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है, व्यापारिक इकाइयों को बाजार जोखिम एक्सपोजर के संबंध में विश्लेषकों से चालित निविष्टियां प्रदान करना, जोखिम एक्सपोशर की तुलना में संविभाग निष्पादन और तुलनीय बेंचमार्क देने के जरिये जोखिम समायोजित प्रतिफल की दर को अधिक से अधिक करने में उनको सहायता प्रदान करना। बाजार जोखिम के अंतर्गत निम्नलिखित जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है :

- ब्याज दर जोखिम
- विनिमय दर जोखिम
- ईक्विटी कीमत जोखिम

पण्यों के मूल्यों में परिवर्तन एवं उतार चढ़ाव से भी बाजार जोखिम हो सकती है, यद्यपि बैंक के पण्य सम्बन्धी बाजारों में कोई निवेश नहीं है।

बैंक के बाजार जोखिम प्रबंधन (एमआरएम) का फ्रेमवर्क निम्नानुसार है:

ए) **जोखिम की पहचानः–:** यह नीति बाजार जोखिम का पता लगाने, मूल्यांकित करने और व्यवस्थित करने के लिए तंत्र रचित करने पर केन्द्रित है ताकि जोखिम के विभिन्न आयामों की पहचान और व्यापार के प्रत्येक कार्यकलाप की मान्यता को स्पष्ट किया जा सके।

बी) **जोखिम मापन और परिसीमाएंः–** बैंक इस बात को स्पष्टतया मानता है कि बाजार जोखिम के सभी पहलुओं को कोई एक जोखिम – सांख्यिकी प्रतिबिंबित नहीं कर सकती। अतः बाजार जोखिम में जोखिम मापन की सुदृढता को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सांख्यिकीय एवं गैर–सांख्यिकीय जोखिम उपायों का प्रयोग किया जाता है । बाजार जोखिम का प्रबंधन, विभिन्न मापने के साधनों, यथा, जोखिम पर रहे मूल्य (वीएआर), जोखिम पर रहे अर्जन, आशोधित अवधि, पीवी 01 सीमाएं, निवल ओवरनाइट खुली स्थिति सीमाएं (एनओओपीएल), वैयक्तिक गैप सीमा (आईजीएल तथा संकलित गैप सीमा (एजीएल) के जरिए मुद्रा–वार और सूक्ष्मग्रहिता विश्लेषण के जरिये भी किया जाता है। अतितीव्र, परन्तु मुमकिन आधातों की परिस्थितियों में बैंक की असुरक्षा की स्थिति को मानिटर करने के लिए नियमित आधार पर तनाव परीक्षण भी किया जाता है।

Quantitative Disclosures

For each separately disclosed credit risk portfolio (Solo-Global / Consolidated), the total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts:

(₹ in Million)

Type of Exposure	Eligible financial Collateral	Guarantees
Gross Credit Risk Exposures		
Fund Based		
Loans and Advances	349756.77	81183.38
Investments	0.00	52.32
Other Assets	0.00	0.00
Total Fund Based	**349756.77**	**81235.70**
Non Fund Based including contingent credit, contracts and derivatives	24229.86	6598.74
Total	**373986.63**	**87834.44**

Table DF – 6

Securitization: disclosure for standardized approach

Qualitative Disclosures: The Bank has not undertaken any securitization activity.	
Quantitative Disclosures:	NIL

Table DF – 7

Market risk in trading book

Market Risk :

Market risk is the possibility of loss caused by changes in the market variables. The Bank for International Settlements (BIS) defines market risk as "the risk that the value of 'on' or 'off' balance sheet positions will be adversely affected by movements in equity and interest rate markets, currency exchange rates and commodity prices". Thus, Market Risk is the risk to the bank's earnings and capital due to changes in the market level of interest rates or prices of securities, foreign exchange and equities, as well as the volatilities of those changes. The objective of market risk management is to assist the business units in maximizing the risk adjusted rate of return by providing analytics driven inputs regarding market risk exposures, portfolio performance vis-à-vis risk exposures and comparable benchmarks. Following risks are managed under Market Risk.

- Interest Rate Risk
- Exchange Rate Risk
- Equity Price Risk

The market risk may also arise from changes in commodity prices and volatility. However, Bank does not have any exposure to commodity related markets.

Market Risk Management (MRM) Framework of the bank is as follows:

a) **Risk Identification:** The Policy is focused on setting a framework for identifying, assessing and managing market risk in order to provide clarity on various dimensions of risk identification and recognition to each of the business functions.

b) **Risk Measurement and Limits:** Bank recognizes that no single risk statistic can reflect all aspects of market risk. Therefore various statistical and non-statistical risk measures are used to enhance the stability of risk measurement of market risk. Market risk is managed with various metrics viz. Value at Risk (VaR), Earnings at Risk, Modified duration, PV01 Limits, Net Overnight Open Position Limits (NOOPL), Individual Gap Limit (IGL) and Aggregate Gap Limit (AGL) currency wise and also through sensitivity analysis. Stress testing is also conducted on a regular basis to monitor the vulnerability of the bank to extreme but plausible unfavorable shocks.

सी) जोखिम मानिटरिंगः– ट्रेडिंग बही के लिए विभिन्न आंतरिक और विनियामक जोखिम सीमाओं के प्रयोग से, जोकि आर्थिक परिदृश्य, व्यापार रणनीति, प्रबंधन का अनुभव और बैंक की जोखिम ग्राह्यता पर आधारित हैं, बैंक अपने जाखिम को मानिटर एवं नियंत्रित करता है। रेट स्कैन, यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि लेनदेनों का निष्पादन एवं पूनर्मूल्यन, मौजूदा बाजार दरों पर हो ।

डी) जोखिम रिपोर्टिंग : मिड–ऑफिस द्वारा ट्रेशरी परिचालनों को मानीटर किया जाता है और मुख्य जोखिम अधिकारी को दैनिक आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है । बाजार जोखिम के कारण उत्पन्न पूंजी प्रभार को परिकलित कर, उसकी रिपोर्ट तिमाही आधार पर आल्को और बोर्ड को प्रस्तुत की जाती है। तनाव परीक्षण नीति में निर्धारित धारणाओं का अनुपालन करते हुए बाजार जोखिम के निर्धारण के लिए तनाव परीक्षण किया जाता है और तिमाही आधार पर आलको को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, निवेश नीति, तनाव परीक्षण और व्युत्पन्न नीति द्वारा बाजार जोखिम प्रबंधन अनुशासित है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार जोखिम से युक्त विभिन्न कार्यकलापों में फैला हुआ जोखिम, बैंक की जोखिम ग्राह्यता के अन्दर ही है। उद्योग में व्याप्त उत्तम व्यवहार और भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमनों से सारी नीतियां बेंचमार्क की गई हैं। बैंक के जाखिम रिपोर्टिंग तंत्र में प्रकटीकरण और विभिन्न प्रबंधन समितियों को रिपोर्ट करना शामिल है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

निम्न हेतु पूंजी आवश्यकताएं (एकल सार्वभौमिक / समेकित) :

(₹ मिलियन)

विवरण	समेकित
ब्याज दर जोखिम	6088.19
विदेशी विनिमय जोखिम	63.00
ईक्विटी स्थिति जोखिम	3641.57
कुल	**9792.76**

सारणी डीएफ – 8

परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालनगत जोखिम को यों परिभाषित किया गया है कि अपर्याप्त या असफल आतंरिक प्रक्रिया, व्यक्ति और प्रणाली या बाह्य घटनाओं से होनेवाली हानि के कारण बननेवाली जोखिम। इस परिभाषा में विधिक जोखिम शामिल है परन्तु रणनीतिक तथा प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं है।

वर्तमान में उद्योग के प्रतिभागियों, विनियामकों और अन्य स्टेक धारकों के बीच परिचालनगत जोखिम तीव्र अभिरुचि का विषय रहा है। बैंक ने प्रभावोत्पादक अभिशासन, जोखिम कैप्चर और परिचालनगत जोखिम एक्सपोशर की मात्रा को नापने के लिए परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढांचा (ओआरएमएफ) और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन तंत्र (ओआरएमएस) निर्धारित किया है। उपयुक्त गुणात्मक एवं मात्रात्मक तरीकों का प्रयोग तथा दैनंदिन की प्रबंध प्रक्रियाओं में सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का प्रयोग तथा दैनंदिन की प्रबंध प्रक्रियाओं में सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का प्रयोग और विभिन्न जोखिम शमन नीतियों को अपनाने से परिचालनगत जोखिम का सुगम प्रबंधन किया जाता है। विभिन्न उत्पादों/प्रक्रियाओं में निहित जोखिम बोध का समीक्षात्मक विश्लेषण किया जाता है और आवश्यकता पडने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

बैंक ने अपने परिचालनगत जोखिम एक्सपोशर को कैप्चर करने, मानिटर करने, मापने और प्रबंध करने के लिए परिष्कृत वेब–आधारित परिचालनगत जोखिम प्रणाली कार्यान्वित की है। बैंक ने 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए आंतरिक हानि डाटा बेस निर्मित किया है।

वर्ष के दौरान, ऋण स्पर्ट के जरिये परिचालनगत जोखिम का मानिटरिंग और सांख्यिकीय तकनीकों के जरिये बारंबरता का विश्लेषण और परिचालनगत हानि की गंभीरता का विश्लेषण किया गया।

परिचालनगत हानि के लिए पूंजी प्रभार, मूल सूचक दृष्टिकोण के अनुसार किया गया।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

पूंजी प्रभार के परिकलन के लिए नई पूंजी पर्याप्तता ढांचे पर दिशानिर्देश में परिभाषित रूप से पिछले तीन वर्षों, यथा 2017–18, 2016–17 और 2015–16 की औसत सकल आय को लिहाज में लिया गया है। आवश्यक पूंजी रुपए 10674.56 मिलियन (एकल–वैश्विक) और रुपए 10691.70 मिलियन (समेकित) है।

c) **Risk Monitoring:** Bank monitors and controls its risk, using various internal and regulatory risk limits for trading book which are set based on economic scenario, business strategy, management experience and Bank's risk appetite. Rate scan is carried out to ensure that transactions are executed and revalued at prevailing market rates.

d) **Risk Reporting:** Monitoring of Treasury operations is done by Mid Office and a daily report is put up to Chief Risk Officer. Capital charge on account of Market Risk is computed and reported to ALCO and Board on quarterly basis. Stress testing is done for assessing market risk by following assumptions prescribed in Stress Testing Policy and reported to ALCO on Quarterly basis.

Market risk management is governed by comprehensive board approved market risk management policy, Integrated Treasury Management Policy, Stress testing and Derivative Policy to ensure that the risks spread across different activities carrying an underlying market risk are within the stipulated risk appetite of the bank. All the policies are benchmarked with industry-best practices and RBI regulations. The risk reporting mechanism in the Bank comprises disclosures and reporting to the various management committees.

Quantitative Disclosures:

The capital requirements (Solo-Global / Consolidated) for:

(₹ in Million)

Particulars	Consolidated
Interest rate risk	6088.19
Foreign exchange risk	63.00
Equity position risk	3641.57
Total	**9792.76**

Table DF – 8

Operational Risk

Qualitative Disclosures

Operational risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. This definition includes legal risk, but excludes strategic and reputational risk.

Operational risk is now on the focus of intense interest among industry participants, regulators and other stake holders. The bank has put in place Operational Risk Management Frame work (ORMF) and Operational Risk Management systems (ORMS) to ensure effective governance, risk capture and assessment and quantification of operational risk exposure. Operational risk is well managed by using appropriate qualitative & quantitative methods and established internal control systems in day to day management processes and adopting various risk mitigating strategies. The risk perceptions in various products / processes are critically analysed and corrective actions if required, are initiated.

Bank has implemented a sophisticated web-based Operational Risk Management System to capture, measure, monitor and manage its operational risk exposure. Bank has built up internal loss data base for more than 10 years.

During the year, monitoring of operational risk through credit spurt and Analysis of frequency & severity of operational loss through statistical technique have been done

Capital charge for Operational Risk is computed as per the Basic Indicator Approach.

Quantitative Disclosures

The average of the gross income, as defined in the Basel III Capital regulations, for the previous 3 years i.e. 2017-18, 2016-17 and 2015-16 is considered for computing the capital charge. The required capital is ₹ 10674.56 Million (Solo-global) and ₹ 10691.66 Million (Consolidated).

सारणी डीएफ – 9

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

आईआरआरबीबी इसे सूचित करता है जोकि ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तन से बैंक की बैंकिंग बही में संभाव्य वित्तीय असर को दर्शाता है।

ब्याज दर जोखिम को दो दृष्टिकोण के जरिए मापकर मानिटर किया जाता है:

i) जोखिम पर अर्जन (पारंपरिक गैप विश्लेषण) इस दृष्टिकोण के अधीन बैंक के निवल ब्याज आय पर होनेवाली ब्याज दरों में परिवर्तन के तत्काल असर को विश्लेषण किया जाता है।

ii) ईक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि गैप दृष्टिकोण) आस्ति तथा देयताओं की आशोधित अवधि, ईक्विटी की आशोधित अवधि को अंतिम रूप से परिकलन करने के लिए पृथक तौर पर अभिकलन किया जाता है।

इस दृष्टिकोण में प्रतिलाभ में होनेवाले निश्चित परिवर्तन के लिए प्रतिलाभ वक्र समानंतर महत्व रखता है। ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर असर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 200 बीपीएस शाक के अनुसार किया जाता है।

बैंकिंग बही बुक में बैंक की ब्याज दर जोखिम का विश्लेषण दोनों देशी तथा ओवरसीज़ परिचालनों के लिए किया जाता है। आशोधित अवधि के परिकलन में विभिन्न परिपक्वता अवधियों के लिए बाजार से जुडे प्रतिफल का प्रयोग किया जाता है ।

बाज़ार ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तन से बैंक की बही पुस्तक में अर्जन तथा आर्थिक मूल्य में असर पड़ेगा । अतः इस प्रकार जटिलता तथा तुलन पत्र के उत्पाद की सीमा के कारण दोनों अर्जन तथा आर्थिक मूल्य में ब्याज दर के परिणाम को मूल्यांकित करने के लिए आई आर आर माप प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए अनुपालन किए जानेवाले तकनीक चालु तूलन पत्र से परे स्थिति के आधार पर साधारण परिपक्वता (स्थिर दर) तथा पुनर्मूल्यांकन (फ्लोटिंग दर) गैप तथा अवधि गैप के प्रयोग से लेकर और उच्च स्तर तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिसमें आस्ति देयताओं तथा तुलन पत्र से परे मदों पर अनुमानों को शामिल किया जाता है और ये बेसिस जोखिम, अन्तर्निहित विकल्प जोखिम, उपज जोखिम इत्यादि के एक्सपोज़र की पूर्ण सीमा तक कैप्चर कर सकता है।

बैंकिंग बही बुक (आईआरआरबीबी) में बैंक ब्याज दर जोखिम का विश्लेषण, वैश्विक स्थिति के लिए किया जाता है। देशी परिचालनों के लिए ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर असर का माप किया जाता है तथा इसे मासिक आधार पर मॉनिटर किया जाता है और आलको को प्रस्तुत किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

आईआरआरबीबी (एकल – ग्लोबल) को मापने हेतु प्रबंधन की प्रणाली के अनुसार ऊर्ध्वगामी व अधोगामी रेट शाक्स हेतु, अर्जन और आर्थिक मूल्य (अथवा प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त संबंधित माप) में वृद्धि (गिरावट)।

i) 31.03.2019 तक ब्याज दर में 25 बीपीएस की वृद्धि हेतु अर्जन पर जोखिम रुपए 132.40 मिलियन हैं।

ii) इक्विटी के बाज़ार मूल्य में 200 बीपीएस के परिवर्तन से ब्याज दर पर असर रुपए 16069.20 मिलियन हैं ।

डीएफ 10 : प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबन्धित एक्स्पोसरों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम वह है जो लेनदेन की नकद प्रवाह के अंतिम निपटान के पहले व्युत्पन्न लेनदेन के प्रतिपक्षकार द्वारा की जानेवाली चूक है । बैंक व्युत्पन्नों को मिलाकर दोनों निधि और गैर निधि आधारित सुविधाओं हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत एक्सपोसर के मानदण्डों के अनुसार सीमायें निर्धारित करता है। सीमायें पूँजी निधियों के प्रतिशत के रूप में निर्धारित की जाती हैं और नियमित आधार पर निगरानी की जाती है । कार्पोरेटों के लिए व्युत्पन्नों का मूल्यांकन किया जाता है तथा नियमित मूल्यांकन के एक अंश के रूप में नियमित् ऋण सीमा के साथ नियमित मूल्यांकन के भाग के रूप में मंजूर की जाती है ।

प्रतिपक्षी के साथ किये गये सभी ब्युत्पन्न लेन–देन बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित ब्युत्पन्न पॉलिसी के माध्यम से मूल्यांकित किये जाते हैं।

व्युत्पन्न एक्सपोसर की वर्तमान एक्सपोसर पद्धति (सीईएम) का प्रयोग करते हुए गणना की जाती है और 31.03.2019 को बकाया शेष निम्नांकित है।

(₹ मिलियन में)

व्युत्पन्न	आनुमानिक सिद्धांत	वर्तमान में ऋण की मात्रा	वर्तमान ऋण
वायदा संविदाएं	129614.15	1487.18	4091.38
ब्याज दर अदला बदली	250.00	0.00	2.50

Table DF – 9

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

Qualitative Disclosures:

IRRBB refers to the potential adverse financial impact on the Bank's banking book from changes in interest rates.

The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

(i) Earning at Risk (Traditional Gap Analysis) : The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analyzed under this approach.

(ii) Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis): Modified duration of assets and liabilities is computed separately to finally arrive at the modified duration of equity.

This approach assumes parallel shift in the yield curve for a given change in the yield. Impact on the Economic Value of Equity is also analyzed for a 200 bps rate shock as required by RBI. Market linked yields for respective maturities are used in the calculation of the Modified Duration.

The analysis of bank's Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) is done for both Domestic as well as Overseas Operations.

The changes in market interest rates have earnings and economic value impacts on the bank's banking book. Thus, given the complexity and range of balance sheet products, IRR measurement systems are used that assess the effects of the rate changes on both earnings and economic value. Techniques followed are simple maturity (fixed rate) and repricing (floating rate) gaps and duration gaps based on current on-and-off-balance sheet positions, to a little higher technique that incorporate assumptions on behavioural pattern of assets, liabilities and off-balance sheet items and can easily capture the full range of exposures against basis risk, embedded option risk, yield curve risk, etc.

The analysis of bank's Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) is done for Global position. The Impact on Economic value of equity for Domestic Operations is measured and monitored on a monthly basis and placed to ALCO.

Quantitative Disclosures:

The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB (Solo-Global).

i) Earnings at Risk for 25 bps interest rate shock as on 31.03.2019 for one year time horizon is ₹ 132.40 Million

ii) Change in Economic Value of Equity for 200 bps interest rate shock is ₹16069.20 Million

DF-10: General Disclosure for exposures related to Counterparty Credit Risk:

Counterparty Credit Risk is the risk that the counterparty to a derivative transaction can default before the final settlement of the transaction's cash flow. The Bank sets limits as per the norms on exposure stipulated by RBI for both fund and non fund based facilities including derivatives. Limits are set as a percentage of the capital funds and are monitored on regular basis. For corporates the derivatives limits are assessed and sanctioned in conjunction with regular credit limit as part of regular appraisal.

All the Derivative transactions with the Counterparty are evaluated as per Board approved Derivative Policy of the Bank.

The derivative exposure calculated using Current Exposure Method (CEM) and outstanding as on 31.03.2019 is given below:

(₹ in Million)

Derivatives	Notional Principle	Current Credit Exposure (+ve MTM)	Current Exposure
Forward Contracts	129614.15	1487.18	4091.38
Interest Rate Swaps	250.00	0.00	2.50

	डी एफ–11: पूंजी की संरचना		(₹ मिलियन में)
			डीएफ–12 : चरण 2 के संबंध में संदर्भ सं :
	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और आरक्षित निधियां		
1	सीधे जारी की गई अर्हता प्राप्त सामान्य शेयर पूंजी और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	18,059.65	ए1+बी2
2	प्रतिधारित आय	317.49	बी 6
3	संचित अन्य व्यापक आय तथा (अन्य आरक्षिति)	1,58,634.06	बी2+बी3+बी4+बी5+ बी8(i) + बी 10 (i)
4	सीईटी 1 से धीरे–धीरे समाप्त होने के अधीन सीधे जारी की गई पूंजी (केवल गैर–संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए लागू)	0.00	
	सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा पूंजी डालने को 1 जनवरी 2018 तक पुराने नियम के अनुसार मान्य करना	**0.00**	
5	सहायक इकाइयों द्वारा जारी की गई और तीसरे पक्ष (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी	0.00	
6	**विनियामक समायोजनों से पहले सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी**	1,77,011.20	
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन		
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0.00	
8	गुडविल (सम्बंधित कर देयता का निवल)	0.00	
9	मॉर्टगेज–सर्विसिंग अधिकार के अलावा अमूर्त आस्तियां (सम्बंधित कर देयता का निवल)	0.00	
10	आस्थिगत कर संपत्ति	0.00	
11	नकदी–प्रवाह बचाव रिजर्व	0.00	
12	अपेक्षित हानि के लिए प्रावधानों की कमी	0.00	
13	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	0.00	
14	उचित मूल्य देयताओं पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि	0.00	
15	परिभाषित–लाभ पेंशन कोष निवल संपत्ति	0.00	
16	निजी शेयर में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलनपत्र में यदि पहले से ही प्रदत्त पूंजी का समायोजन न किया गया हो)	0.00	
17	सामान्य ईक्विटी में परस्पर क्रॉस–होल्डिंग	16.67	
18	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के पूंजी में निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0.00	
19	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0.00	
20	मोर्टगेज सर्विसिंग अधिकार (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0.00	
21	अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न आस्थिगत कर संपत्ति (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि, सम्बंधित कर देयता का निवल)	5091.15	
22	15 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	0.00	
23	जिनमें से : वित्तीय संस्थाओं के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	

	DF-11: Composition of Capital		(₹ in Million)
			Ref No. with respect to DF-12 : Step 2
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	18,059.65	A1+B1
2	Retained earnings	317.49	B6
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	1,58,634.06	B2+B3+B4+B5+ B8(i)+B10(i)
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00	
	Public sector capital injections grandfathered until January 1, 2018	**0.00**	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	1,77,011.20	
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments		
7	Prudential valuation adjustments	0.00	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	0.00	
10	Deferred tax assets	0.00	
11	Cash-flow hedge reserve	0.00	
12	Shortfall of provisions to expected losses	0.00	
13	Securitisation gain on sale	0.00	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0.00	
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	0.00	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	16.67	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0.00	
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0.00	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	5091.15	
22	Amount exceeding the 15% threshold	0.00	
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0.00	

	डी एफ–11: पूंजी की संरचना		(₹ मिलियन में)
			डीएफ–12 : चरण 2 के संबंध में संदर्भ सं :
24	जिनमें से : मॉर्टगेज सर्विसिंग अधिकार	0.00	
25	जिनमें से : अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न होने वाली आस्थिगत कर आस्तियां	0.00	
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क + 26ख + 26ग + 26घ)		
26क	जिसमें से : असमेकित बीमा सहायक कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में निवेश	0.00	
26ख	जिसमें से : असमेकित गैर–वित्तीय सहायक कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में निवेश	0.00	
26ग	जिसमें से : बैंक के साथ असमेकित प्रमुख निजी वित्तीय संस्थाओं की ईक्विटी पूंजी में कमी	0.00	
26घ	जिसमें से : अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशि के सम्बंध में सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00 0.00	
	जिनमें से : अन्य वित्तीय कंपनियों में कुल ईक्विटी निवेश	0.00	
27	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 कटौती को कवर करने के लिए सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	
28	**समान्य ईक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन**	**5107.82**	
29	**सामान्य ईक्विटी टियर 1 में पूंजी (सीईटी 1)**	**1,71,903.37**	
	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : लिखत		
30	सीधे जारी किए गए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और सम्बंधित स्टॉक अधिशेष (31 + 32)	5000.00	
31	जिसमें से :लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रूप में वर्गीकृत (सतत गैर–संचयी अधिमानी शेयर)	0.00	
32	जिसमें से : लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रूप में वर्गीकृत (सतत ऋण लिखत)	5000.00	डी 8
33	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत	0.00	
34	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा (एटी 1 समूह में अनुमत राशि तक) धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और 5वीं पंक्ति में शामिल नहीं किए गए सीईटी 1 लिखत)	0.00	
35	जिसमें से : चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत	0.00	
36	**विनियामक समायोजन करने से पूर्व अतिरिक्त टियर पूंजी 1**	**5000.00**	
	अतिरिक्त टियर पूंजी 1 : विनियामक समायोजन		
37	निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश	0.00	
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस–होल्डिंग्स	0.00	
39	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में विशेष निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक के पास संस्था द्वारा जारी शेयर पूंजी (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि) के 10 प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व नहीं है।	0.00	

	DF-11: Composition of Capital		(₹ in Million)
			Ref No. with respect to DF-12 : Step 2
24	of which: mortgage servicing rights	0.00	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00	
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)		
26a	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0.00	
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	0.00	
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0.00	
	of which: Total equity investment in other financial subsidiaries	0.00	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00	
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	**5107.82**	
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**1,71,903.37**	
	Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	5000.00	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	5000.00	D8
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00	
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**5000.00**	
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0.00	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00	
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	

	डी एफ–11: पूंजी की संरचना		(₹ मिलियन में)
			डीएफ–12 : चरण 2 के संबंध में संदर्भ सं :
40	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल)	0.00	
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41 क + 41 ख)	0.00	
41क	गैर–समेकित बीमा सहायक कंपनियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	0.00	
41ख	बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।	0.00	
	बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीनराशियों के सम्बंध में अतिरिक्त टियर 1 पर लागू किए गए विनियामक समायोजन	0.00	
	जिसमें से :एटीआई से फेस आउट किये गये	0.00	
	जिसमें से : विद्यमान समायोजन, जिनकी टियर 1 में से 50% प्रतिशत पर कटौती की गई है	0.00	
	जिसमें से : डीटीए	0.00	
42	अपर्याप्त टियर 2 के कारण कटौती को कवर करने के लिए अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	
43	**अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन**	0.00	
44	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1)**	**5000.00**	
44क	**पूंजी पर्याप्तता की गणना में प्रयुक्त अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	**5000.00**	
45	**टियर 1 पूंजी (टी 1 = सीईटी 1 + एटी 1) (29 + 44 क)**	**1,76,903.37**	
	टियर 2 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान		
46	सीधे जारी किए गए पात्र टियर 2 लिखत और सम्बंधित स्टॉक अधिशेष	16000.00	डी 7
47	टियर 2 से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत	10000.00	डी 5 + डी 6
48	सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए एवं तृतीय पक्षों द्वारा धारित (राशि समूह टियर 2 में अनुमत) टियर 2 लिखत (तथा पंक्तियों 5 और 34 में शामिल नहीं किये गये सीईटी 1 और एटी 1 लिखत)	0.00	
49	जिनमें से : चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी लिखतें	0.00	
50	प्रावधान	10439.20	बी 9+ई1
51	**विनियामक समायोजनों से पूर्व टियर 2 पूंजी**	**36439.20**	
	टियर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन		
52	निजी टियर 2 लिखत में निवेश	0.00	
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस–होल्डिंग्स	0.00	
54	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में निवेश, पात्र शॉर्टपोजिशन निवल, जहां बैंक के पास संस्थान द्वारा जारी शेयर पूंजी (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) के 10 प्रतिशत से अधिक पर स्वामित्व नहीं है।	0.00	
55	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र शॉर्टपोजिशन निवल)	0.00	

	DF-11: Composition of Capital		(₹ in Million)
			Ref No. with respect to DF-12 : Step 2
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0.00	
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0.00	
	of which: Phase out form ATI	0.00	
	of which: existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%	0.00	
	of which: DTA	0.00	
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0.00	
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	0.00	
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	**5000.00**	
44a	**Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy**	**5000.00**	
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)**	**1,76,903.37**	
	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	16000.00	D7
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	10000.00	D5+D6
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0.00	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	
50	Provisions	10439.20	B9+E1
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**36439.20**	
	Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0.00	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0.00	
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	

	डी एफ–11: पूंजी की संरचना		(₹ मिलियन में)
			डीएफ–12 : चरण 2 के संबंध में संदर्भ सं :
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56 क + 56 ख)	0.00	
56क	जिसमें से : गैर–समेकित सहायक कंपनियों के टियर 2 पूंजी में निवेश	0.00	
56ख	जिसमें से : बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के टियर 2 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया।	0.00	
	बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशि के सम्बंध में टियर 2 पर लागू विनियामक समायोजन	7000.00	
	जिसमें से : 50% प्रतिशत पर टियर 2 से कटौती किए गए वर्तमान समायोजन	0.00	
	जिसमें से : टियर 2 बॉण्ड से हटाए गए	7000.00	
57	**टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	**7000.00**	
58	**टियर 2 पूंजी (टी – 2)**	29439.20	
58क	**पूंजी पर्याप्तता की गणना में प्रयुक्त टियर 2 पूंजी**	**29439.20**	
58ख	**टियर 2 पूंजी के रूप में मान्य एक्सेस अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	0.00	
58ग	**पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी (58क +58ख)**	29439.20	
59	**कुल पूंजी (टीसी = टी1+टी2) (45+58ग)**	**2,06,342.58**	
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (60क+60ख+60ग)**	**15,32,549.09**	
60क	जिसमें से : कुल त्रण जोखिम भारित आस्तियां	12,76,493.90	
60ख	जिसमें से : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	1,22,409.49	
60ग	जिसमें से : कुल परिचालनगत जोखिम भारित आस्तियां	1,33,645.70	
	पूंजी अनुपात		
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	11.22%	
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	11.54%	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	13.46%	
64	संस्था विशिष्ट बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता और पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकताएं, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	7.375%	
65	जिसमें से: पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	1.875%	
66	जिसमें से: बैंक विशिष्ट प्रतिवक्रीय बफ़र आवश्यकता	0.00%	
67	जिसमें से जी–एसआईबी बफ़र आवश्यकता	0.00%	
68	बफर्स को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	5.72%	
	राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल III से पृथक है)		
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से अलग है)	5.50%	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग है)	7.00%	

	DF-11: Composition of Capital		(₹ in Million)
			Ref No. with respect to DF-12 : Step 2
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0.00	
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0.00	
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	7000.00	
	of which: existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%	0.00	
	of which: Phase out from Tier 2 Bonds	7000.00	
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	**7000.00**	
58	**Tier 2 capital (T2)**	29439.20	
58a	**Tier 2 capital reckoned for capital adequacy**	**29439.20**	
58b	**Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital**	0.00	
58c	**Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)**	29439.20	
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)**	**2,06,342.58**	
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	**15,32,549.09**	
60a	of which: total credit risk weighted assets	12,76,493.90	
60b	of which: total market risk weighted assets	1,22,409.49	
60c	of which: total operational risk weighted assets	1,33,645.70	
	Capital ratios		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	11.22%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	11.54%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	13.46%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	7.375%	
65	of which: capital conservation buffer requirement	1.875%	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00%	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00%	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	5.72%	
	National minima (if different from Basel III)		
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%	

	डी एफ–11: पूंजी की संरचना		(₹ मिलियन में)
			डीएफ–12 : चरण 2 के संबंध में संदर्भ सं :
71	कुल राष्ट्रीय पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग है)	10.875%	
	सीमा से कम मात्रा में कटौती के लिए राशियाँ (जोखिम भार से पहले)		
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	0.00	
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	0.00	
75	अस्थायी अन्तर से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	5,091.15	
	टियर 2 में प्रावधानों को शामिल किए जाने पर लागू कैप्स		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन प्रदत्त ऋणों के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने के लिए पात्र प्रावधान (कैप को लागू करने के पहले)	10,439.20	बी 9+ई 1
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों का समावेश (ऋण जोखिम आरडबल्यूए के 1.25%) पर कैप	15,956.17	
78	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के अधीन जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने के लिए पात्र प्रावधान (कैप को लागू करने के पहले)	लागू नहीं	
79	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल किए जाने के लिए कैप	लागू नहीं	
	फेस–आउट व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखतें		
80	फेस–आउट व्यवस्था के तहत सीईटी 1 लिखतों पर वर्तमान कैप	0.00	
81	कैप की वजह से के सीईटी 1 से अपवर्जित राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप पर अतिरिक्त)	0.00	
82	फेस–आउट व्यवस्था के तहत एटी 1 लिखतों पर वर्तमान कैप	0.00	
83	कैप के कारण एटी 1 से अपवर्जित राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप पर अतिरिक्त)	0.00	
84	फेस–आउट व्यवस्था के तहत टी 2 लिखतों पर वर्तमान कैप	30%	
85	कैप की वजह से टी 2 से अपवर्जित राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप पर अतिरिक्त)	7000.00	

	DF-11: Composition of Capital		(₹ in Million)
			Ref No. with respect to DF-12 : Step 2
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	10.875%	
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)		
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	0.00	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	0.00	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	5091.15	
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2		
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	10,439.20	B9+E1
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach (1.25% of Credit Risk RWA)	15,956.17	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	Not Applicable	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	Not Applicable	
	Capital instruments subject to phase-out arrangements		
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	0.00	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	0.00	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	30%	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	7000.00	

	टेम्पलेट पर नोट	
टेम्पलेट की पंक्ति संख्या	विवरण	(₹ मिलियन में)
10	संचित हानियों के साथ जुड़ी हुई आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00
	आस्थगित कर आस्तियाँ (उनको छोड़ कर जो संचित हानियों से जुड़ी हुई हैं) आस्थगित कर देयताओं का निवल	5091.15
	पंक्ति 10 में वर्णित के अनुसार कुल योग	5091.15
19	अगर सहायक बीमा कंपनियों में निवेश पूंजी से पूर्णतः नहीं काटा जाता है और उसके एवज में कटौती हेतु 10 प्रतिशत न्यूनतम सीमा के अंतर्गत लिहाज में लिया जाता है, तो परिणाम स्वरूप बैंक की पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं
	जिसमें से: सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं
	जिसमें से: अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं
	जिसमें से: अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं
26बी	गैर समेकित गैर वित्तीय सहायक कंपनियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश नहीं काटा जाता है और परिणामतः जोखिम भारित किया जाता है, तो	लागू नहीं
	(i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं
	(ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	लागू नहीं
44ए	अन्य अतिरिक्त टियर 1 पूंजी, जिसका परिकलन पूंजी पर्याप्तता के लिए नहीं किया गया है (पंक्ति 44 में रिपोर्टित अतिरिक्त टियर 1 पूंजी और पंक्ति 44ए में रिपोर्टित अतिरिक्त अनुमेय टियर 1 पूंजी कें बीच का अंतर)	लागू नहीं
	जिसमें से: अतिरिक्त अन्य टियर 1 पूंजी जिसे पंक्ति 58बी के तहत अब टियर 2 पूंजी माना गया है	लागू नहीं
50	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	10439.20
	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियां	0.00
	पंक्ति 50 का कुल योग	10439.20

	Notes to the Template	
Row No. of the template	**Particular**	**(₹ in million)**
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0.00
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	5091.15
	Total as indicated in row 10	5091.15
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	Not Applicable
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	Not Applicable
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	Not Applicable
	of which: Increase in Tier 2 capital	Not Applicable
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	Not Applicable
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	Not Applicable
	(ii) Increase in risk weighted assets	Not Applicable
44a	Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a)	Not Applicable
	of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b	Not Applicable
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	10439.20
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	0.00
	Total of row 50	10439.20

	डीएफ 12 : पूंजी की संरचना - मिलान आवश्यकताएं – चरण 1		(₹ मिलियन में)
		वित्तीय विवरणों के अनुसार (स्टैंडएलोन) तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे के तहत तुलन पत्र
		31.03.2019 को	31.03.2019 को
ए	**पूंजी और देयताएं**		
i	प्रदत्त पूंजी	4,802.92	4,802.92
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	1,89,084.00	1,92,351.70
	कुल पूंजी	**1,93,886.92**	**1,97,154.62**
	अल्पसंख्यक के हित	0.00	204.60
ii	**जमाराशियां**	**24,20,759.47**	**24,20,407.95**
	जिसमें से: बैंकों से जमा	37,292.08	37,292.08
	जिसमें से: ग्राहकों की जमा राशि	23,83,467.39	23,83,115.87
	जिसमें से: अन्य जमा (कृपया दर्शाएँ)	0.00	0.00
iii	**उधार राशियां**	**1,21,375.43**	**1,21,375.43**
	भारतीय रिजर्व बैंक से	63,953.18	63,953.18
	बैंकों से	0.49	0.49
	भारत के बाहर से उधार	19,506.12	19,506.12
	अन्य संस्थाओं एवं अभिकरणों से	37,915.64	37,915.64
	जिसमें से: पूंजी लिखतें	31,000.00	31,000.00
iv	**अन्य देयताएँ एवं प्रावधान**	**64,630.92**	**64,740.25**
	कुल देयताएँ	**28,00,652.74**	**28,03,882.85**
बी	**आस्तियां**		
I	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष	**1,17,018.64**	**1,17,018.67**
	बैंकों में शेष और मांग और अल्पावधि पर धनराशि	**83,185.15**	**83,257.36**
ii	निवेश :	**6,49,921.74**	**6,52,715.50**
	जिसमें से: सरकारी प्रतिभूतियों में	5,37,718.68	5,37,718.68
	जिसमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	52.32	52.32
	जिसमें से: शेयरों में	5,057.55	5,062.20
	जिसमें से: ऋणपत्र और बांड में	74,213.45	74,213.45
	जिसमें से: अनुषंगी / संयुक्त उपक्रम / सहयोगियों में	870.14	3,659.25
	जिसमें से: अन्य (वाणिज्यिक पत्रों, म्यूचुअल फंडों आदि) में	32,009.61	32,009.61
iii	ऋण और अग्रिम	**18,12,619.12**	**18,12,619.15**
	जिसमें से: बैंकों को ऋण और अग्रिम	17,286.66	17,214.37
	जिसमें से: ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	17,95,332.46	17,95,404.77
iv	**अचल आस्तियाँ**	**39,614.05**	**39,649.93**
v	अन्य आस्तियां	**98,294.03**	**98,622.24**
	जिसमें से: गुडविल और अमूर्त आस्तियां	0.00	0.00
	जिसमें से: आस्थगित कर आस्तियाँ	5,091.15	5,091.15
vi	समेकन पर गुडविल	0.00	0.00
vii	लाभ और हानि खाते में नामे शेष	0.00	0.00
	कुल आस्तियां	**28,00,652.74**	**28,03,882.85**

	DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements - STEP 1		(₹ in Million)
		Balance sheet as in financial statements (stand alone)	**Balance sheet under regulatory scope of consolidation**
		As on 31.03.2019	**As on 31.03.2019**
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	4,802.92	4,802.92
	Reserves & Surplus	1,89,084.00	1,92,351.70
	Total Capital	**1,93,886.92**	**1,97,154.62**
	Minority Interest	0.00	204.60
ii	**Deposits**	**24,20,759.47**	**24,20,407.95**
	of which: Deposits from banks	37,292.08	37,292.08
	of which: Customer deposits	23,83,467.39	23,83,115.87
	of which: Other deposits (pl. specify)	0.00	0.00
iii	**Borrowings**	**1,21,375.43**	**1,21,375.43**
	From RBI	63,953.18	63,953.18
	From banks	0.49	0.49
	borrowings outside India	19,506.12	19,506.12
	From other institutions & agencies	37,915.64	37,915.64
	of which: Capital instruments	31,000.00	31,000.00
iv	**Other liabilities & provisions**	**64,630.92**	**64,740.25**
	Total Liabilities	**28,00,652.74**	**28,03,882.85**
B	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	**1,17,018.64**	**1,17,018.67**
	Balance with banks and money at call and short notice	**83,185.15**	**83,257.36**
ii	Investments:	**6,49,921.74**	**6,52,715.50**
	of which: Government securities	5,37,718.68	5,37,718.68
	of which: Other approved securities	52.32	52.32
	of which: Shares	5,057.55	5,062.20
	of which: Debentures & Bonds	74,213.45	74,213.45
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	870.14	3,659.25
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	32,009.61	32,009.61
iii	Loans and advances	**18,12,619.12**	**18,12,619.15**
	of which: Loans and advances to banks	17,286.66	17,214.37
	of which: Loans and advances to customers	17,95,332.46	17,95,404.77
iv	Fixed assets	**39,614.05**	**39,649.93**
v	Other assets	**98,294.03**	**98,622.24**
	of which: Goodwill and intangible assets	0.00	0.00
	of which: Deferred tax assets	5,091.15	5,091.15
vi	Goodwill on consolidation	0.00	0.00
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0.00
	Total Assets	**28,00,652.74**	**28,03,882.85**

	डीएफ 12 : पूंजी की संरचना - मिलान आवश्यकताएं – चरण 2			(₹ मिलियन में)
		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र (एकल)	समेकन के विनियामक दायरें के अंतर्गत तुलनपत्र	
		31.03.2019 को	**31.03.2019 को**	संदर्भ
ए	**पूँजी तथा देयताएँ**			
I	प्रदत्त पूँजी	4,802.92	4,802.92	A
	जिनमें से : सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	4,802.92	4,802.92	A1
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	**1,89,084.00**	**1,92,351.70**	B
	जिनमें से			
	1.शेयर प्रिमियम	13,256.73	13,256.73	B1
	2.सांविधिक आरक्षितियां	45,058.58	45,058.58	B2
	3.आरक्षित पूंजी	2,364.02	2,364.02	B3
	4.विशेष आरक्षितियां	7,837.20	7,837.20	B4
	जिनमें से कर का निवल विशेष आरक्षितियां	7,255.20	7,255.20	B4(i)
	5.राजस्व आरक्षितियां	82,650.38	86,592.14	B5
	6.लाभ एवं हानि खाता	991.54	317.49	B6
	7.अल्प संख्यक के हित	0.00	204.60	B7
	जिनमें से पूँजी निधि के लिए विचार किया गया	0.00	0.00	B7(i)
	8.पुनर्मूल्यन आरक्षित	30,950.39	30,950.39	B8
	पुनर्मूल्यन आरक्षित (सीईटी 1 पूंजी के अंश पर 55% छूट)	13,927.68	13,927.68	B8 (i)
	9.आरक्षित निवेश	2,169.22	2,169.22	B9
	10.फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिज़र्व (एफटीआरपी)	3,805.92	3,805.92	B10
	जिनमें से पूंजी निधि के लिए (25% की छूट) लिया गया	2,854.44	2,854.44	B10(i)
	कुल पूंजी	**1,93,886.92**	**1,97,154.62**	
ii	**जमा राशियां**	**24,20,759.47**	**24,20,407.95**	C
	जिनमें से : बैंकों की जमा राशियां	37,292.08	37,292.08	C(i)
	जिनमें से : ग्राहक जमाएं	23,83,467.39	23,83,115.87	C(ii)
	जिनमें से : अन्य जमाएं	0.00	0.00	C(iii)
iii	**उधार**	**1,21,375.43**	**1,21,375.43**	D
	भारतीय रिज़र्व बैंक से	63,953.18	63,953.18	D1
	बैंकों से	0.49	0.49	D2
	भारत के बाहर से उधार	19,506.12	19,506.12	D3
	अन्य संस्थाओं और एजेंसियों से	37,915.64	37,915.64	D4
	जिनमें से : पूंजी लिखत	31,000.00	31,000.00	D4(i)
	अपर टियर II लिखत (गैर बेसल III अनुपालक)	5,000.00	5,000.00	D5
	लोवर टियर II लिखत (गैर बेसल III अनुपालक)	5,000.00	5,000.00	D6
	टियर II लिखत (बेसल III के अनुरूप)	16,000.00	16,000.00	D7
	एटी 1 के लिए अर्ह स्थायी ऋण लिखत	5,000.00	5,000.00	D8
iv	**अन्य देयताएं एवं प्रावधान**	**64,630.92**	**64,740.25**	E
	सामान्य प्रावधान	8,269.98	8,269.98	E1
	कुल	**28,00,652.74**	**28,03,882.85**	

	DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements-STEP 2		(₹ in Million)	
		Balance sheet as in financial statements (stand alone)	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	Ref. No.
		As on 31.03.2019	As on 31.03.2019	
A	**Capital & Liabilities**			
i	Paid-up Capital	4,802.92	4,802.92	A
	of which: Amount eligible for CET1	4,802.92	4,802.92	A1
	Reserves & Surplus (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	**1,89,084.00**	**1,92,351.70**	B
	of which			
	1.Share Premium	13,256.73	13,256.73	B1
	2.Statutory Reserves	45,058.58	45,058.58	B2
	3.Capital Reserves	2,364.02	2,364.02	B3
	4.Special Reserves	7,837.20	7,837.20	B4
	of which special reserve net of Tax	7,255.20	7,255.20	B4(i)
	5.Revenue Reserves	82,650.38	86,592.14	B5
	6.Profit and Loss account	991.54	317.49	B6
	7.Minority Interest	0.00	204.60	B7
	Of which considered for Capital funds	0.00	0.00	B7(i)
	8.Revaluation Reserve	30,950.39	30,950.39	B8
	Revaluation Reserve (Part of CET 1 capital @ discount of 55%)	13,927.68	13,927.68	B8 (i)
	9.Investment Reserve	2,169.22	2,169.22	B9
	10.Foreign Currency Translation Reserve (FCTR)	3,805.92	3,805.92	B10
	of which considered for Capital funds (at 25% discount)	2,854.44	2,854.44	B10(i)
	Total Capital	**1,93,886.92**	**1,97,154.62**	
ii	**Deposits**	**24,20,759.47**	**24,20,407.95**	C
	of which: Deposits from banks	37,292.08	37,292.08	C(i)
	of which: Customer deposits	23,83,467.39	23,83,115.87	C(ii)
	of which: Other deposits	0.00	0.00	C(iii)
iii	**Borrowings**	**1,21,375.43**	**1,21,375.43**	D
	From RBI	63,953.18	63,953.18	D1
	From banks	0.49	0.49	D2
	borrowings outside India	19,506.12	19,506.12	D3
	From other institutions & agencies	37,915.64	37,915.64	D4
	of which: Capital instruments	31,000.00	31,000.00	D4(i)
	Upper Tier II Instruments (Non Basel III Compliant)	5,000.00	5,000.00	D5
	Lower Tier II Instruments (Non Basel III Compliant)	5,000.00	5,000.00	D6
	Tier II Instruments (Basel III Complaint)	16,000.00	16,000.00	D7
	Perpetual Debt Instruments qualifying for AT 1	5,000.00	5,000.00	D8
iv	**Other liabilities & provisions**	**64,630.92**	**64,740.25**	E
	General Provisions	8,269.98	8,269.98	E1
	Total	**28,00,652.74**	**28,03,882.85**	

	डीएफ 12 : पूंजी की संरचना - मिलान आवश्यकताएं – चरण 2			(₹ मिलियन में)
		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र (एकल)	समेकन के विनियामक दायरें के अंतर्गत तुलनपत्र	
		31.03.2019 तक	31.03.2019 तक	संदर्भ संख्या
बी	**आस्तियां**			
I.	**भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकद एवं शेष**	**1,17,018.64**	**1,17,018.67**	
	बैंकों के पास शेष और मांग अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	**83,185.15**	**83,257.36**	
ii	**निवेश**	6,49,921.74	6,52,715.50	
	जिनमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	5,37,718.68	5,37,718.68	
	जिनमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	52.32	52.32	
	जिनमें से : शेयर	5,057.55	5,062.20	
	जिनमें से : डिबेंचर एवं बांड	74,213.45	74,213.45	
	जिनमें से : अनुषंगी / संयुक्त उद्यम / सहयोगी संस्थाएं	870.14	3,659.25	
	जिनमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड, इत्यादि)	32,009.61	32,009.61	
iii	**ऋण एवं अग्रिम**	**18,12,619.12**	**18,12,619.15**	
	जिनमें से : बैंकों को ऋण और अग्रिम	17,286.66	17,214.37	
	जिनमें से : ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	17,95,332.46	17,95,404.77	
iv	**अचल आस्तियां**	**39,614.05**	**39,649.93**	
v	**अन्य आस्तियां**	**98,294.03**	**98,622.24**	
	जिनमें से : गुडविल और अमूर्त आस्तियां	0.00	0.00	
	जिनमें से			
	गुडविल	0.00	0.00	
	अन्य अमूर्त तत्व	0.00	0.00	
	आस्थगित कर देयताएं ' (निवल)	5,091.15	5,091.15	
vi	समेकन पर गुडविल	0.00	0.00	
vii	लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष	0.00	0.00	
	कुल आस्तियां	**28,00,652.74**	**28,03,882.85**	

	DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements-STEP 2		(₹ in Million)	
		Balance sheet as in financial statements (stand alone)	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	Reference No.
		As on 31.03.2019	As on 31.03.2019	
B	**Assets**			
i.	**Cash and balances with Reserve Bank of India**	**1,17,018.64**	**1,17,018.67**	
	Balance with banks and money at call and short notice	**83,185.15**	**83,257.36**	
ii	**Investments**	6,49,921.74	6,52,715.50	
	of which: Government securities	5,37,718.68	5,37,718.68	
	of which: Other approved securities	52.32	52.32	
	of which: Shares	5,057.55	5,062.20	
	of which: Debentures & Bonds	74,213.45	74,213.45	
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	870.14	3,659.25	
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	32,009.61	32,009.61	
iii	**Loans and advances**	**18,12,619.12**	**18,12,619.15**	
	of which: Loans and advances to banks	17,286.66	17,214.37	
	of which: Loans and advances to customers	17,95,332.46	17,95,404.77	
iv	**Fixed assets**	**39,614.05**	**39,649.93**	
v	**Other assets**	**98,294.03**	**98,622.24**	
	of which: Goodwill and intangible assets	0.00	0.00	
	Out of which:			
	Goodwill	0.00	0.00	
	Other intangibles	0.00	0.00	
	Deferred tax assets (net)	5,091.15	5,091.15	
vi	Goodwill on consolidation	0.00	0.00	
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0.00	
	Total Assets	**28,00,652.74**	**28,03,882.85**	

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ
विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं हेतु प्रकटीकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा : सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा निजी स्थानन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562ए01011	आईएनई562ए09055
3	लिखतों का नियंत्रण करनेवाले नियम	भारतीय कानून और विनियामक आवश्यकताओं पर लागू	भारतीय कानून और विनियामक आवश्यकताओं पर लागू
	विनियामक ट्रीट्मेंट		
4	संक्रमणकालिक बेसल III नियम	सामान्य ईक्विटी टियर 1	एटी 1 बाण्ड
5	उत्तर संक्रमणकालिक बेसल III नियम	पात्र	पात्र
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल पर पात्र	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत प्रकार	कामन शेयर	बेमियादी बाण्ड
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (31.03.2019 को रुपए मिलियन में)	4802.92	5000
9	लिखत का सममूल्य	लागू नहीं	5000
10	लेखांकन वर्गीकरण	शेयर धारक का ईक्विटी	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	भिन्न तिथि	30.03.2016
12	सतत अथवा दिनांकित	बेमियादी	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	लागू नहीं	बेमियादी
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता काल	नहीं	हाँ
15	वैकल्पिक कालॅ दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक एवं मोचन राशि (रुपए मिलियन में)	लागू नहीं	वैकल्पिक कालॅ दिनांकः 30.03.2021 आकस्मिक कॉल दिनांकः लागू नहीं मोचन राशिः 5000
16	अनुवर्ती काल दिनांक यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं
	लाभांश / कूपन	लाभांश	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	लाभांश	स्थायी
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	लागू नहीं	11.15% प्रतिवर्ष कोई संबंधित सूचकांक नहीं है
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	लागू नहीं	हाँ
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्ध विवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूरी तरह विवेकाधीन	पूरी तरह विवेकाधीन
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	लागू नहीं	बेसल III पर भारिबैंक के दिनांक 01.07.2015 के मास्टर परिपत्र में वर्णित पीओएनवी घटना / विशिष्ट ट्रिगर के आधार पर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं	पूर्व विनिर्दिष्ट ट्रिगर पर परिवर्तन जो 5.50% प्रतिशत के न्यूनतम आम ईक्विटी टियर I पूंजी अनुपात पर हो (31.03.2019 के पहले) या जोखिम भारित आस्तियों (आरडबल्यूए) के 6.125% प्रतिशत पर हो (31.03.2019 को या उसके बाद) जोकि बेसल III पर जारी भारिबैंक के 01.07.2015 के परिपत्र में निर्धारित किया गया है।
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं	पूर्णतः
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	परिवर्तन के समय पर मौजूदा बाजार मूल्य के आधार पर
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	विशिष्ट ट्रिगर पर अनिवार्य
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	सामान्य ईक्विटी शेयर
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें।	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	नहीं	हां
31	यदि अवलिखित है तो, उसके ट्रिगर	लागू नहीं	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित गैर–व्यवहार्यता बिन्दु (पीओएनवी) के आधार पर
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं	पूर्ण
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	स्थायी
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो, राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	लागू नहीं	बैंक के अन्य लेनदारों तथा जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	नहीं	लागू नहीं
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं	लागू नहीं

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A01011	INE562A09055
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian Laws and regulatory requirements	Applicable Indian Laws and regulatory requirements
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1	AT 1 bonds
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Group & Solo	Group & Solo
7	Instrument type	Common Shares	Perpetual bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of 31.03.2019)	4802.92	5000.00
9	Par value of instrument	Not Applicable	5000.00
10	Accounting classification	Share holder's equity	Borrowings
11	Original date of issuance	various dates	30.03.2016
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	Not Applicable	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ In Millions)	Not Applicable	Optional Call date: 30.03.2021 Contingent Call dates: Not applicable Redemption amount:5000
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Dividend	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Dividend	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Not Applicable	11.15% p.a No related index
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary	Fully discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Applicable	Convertible at specific trigger / PONV event as described in RBI Master circular on Basel III dated 01.07.2015
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable	Conversion at pre-specified trigger at minimum Common Equity Tier I capital ratio of 5.50% (before 31.03.2019) or 6.125% of Risk weighted Assets (RWAs) (on or after 31.03.2019) as prescribed in RBI Master circular on Basel III dated 01.07.2015
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Fully
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Based on market price prevailing at the time of conversion
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Mandatory on specific trigger
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Common equity shares
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	No	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI
32	If write-down, full or partial	Not Applicable	Full
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Not Applicable	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank and subordinate debt bonds
36	Non-compliant transitioned features	No	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable	Not Applicable

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ
विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं हेतु प्रकटीकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा.सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी न्यूक्तियों के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562ए09030	आईएनई562ए09048
3	लिखतों को नियंत्रण करने वाले नियम	भारतीय विधि और विनियामक अपेक्षाओं पर लागू	भारतीय कानून और विनियामक आवश्यकताओं पर लागू
	विनियामक ट्रीटमेंट		
4	संक्रमणकालीन बेसल III नियम	टीयर–2	टीयर–2
5	उत्तर–संक्रमणकालीन बेसल III के नियम	अपात्र	अपात्र
6	एकल / समूह / समूह और एकल स्तर पर पात्र	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत का प्रकार	ऊपरी टीयर II (श्रृंखला II)	ऊपरी टीयर II (श्रृंखला III)
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (31.03.2018 तक, रुपए लाख में)	2000	2000
9	लिखत का सम मूल्य	5000	5000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	28.06.2010	16.07.2010
12	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तारीख	28.06.2020	16.07.2025
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता कॉल	हाँ	हाँ
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक और मोचन राशि (रुपये लाखों में)	वैकल्पिक कॉल दिनांक: लागू नहीं मोचन राशि:5000	वैकल्पिक कालॅ दिनांकः16/07/2020 आकस्मिक कॉल दिनांकः लागू नहीं मोचिन राशिः 5000
16	अनुवर्ती कॉल दिनांक, यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन/लाभांश	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	8.53 प्रतिशत	पहले 10 वर्ष के लिए 8.67 प्रतिशत अगर कॉल का प्रयोग नहीं किया गयाः 9.17 प्रतिशत
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्धविवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं	हाँ 50 बीपीएस द्वारा वृद्धिशील ऋण
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	नहीं	नहीं
31	यदि अवलिखित है तो, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो, राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	बैंक के अन्य लेनदारों तथा जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	बैंक के अन्य लेनदारों तथा जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	हाँ	हाँ
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	बिना हानि के अवशोषकता विशेषताएँ	बिना हानि के अवशोषकता विशेषताएँ

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A09030	INE562A09048
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian Laws and regulatory requirements	Applicable Indian Laws and regulatory requirements
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/group & solo	Group & Solo	Group & Solo
7	Instrument type	Lower Tier II (series II)	Upper Tier II (series III)
8	Amount recognised in regulatory capital Rs. in million, as of 31.03.2019)	2000	2000
9	Par value of instrument	5000	5000
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	28.06.2010	16.07.2010
12	Perpetual or dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	28.06.2020	16.07.2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹In Millions)	Call Option Date: Not applicable Redemption amount:5000	Optional Call date:16/07/2020 Contingent Call dates: Not applicable Redemption amount:5000
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.53% pa	8.67% pa for first 10 years, If call not exercised: 9.17%
19	Existence of a dividend stopper	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	Yes step up by 50bps
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	No loss absorbency features	No loss absorbency features

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ
विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं हेतु प्रकटीकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा.सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी न्यूक्तियों के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562ए08016	आईएनई562ए08024
3	लिखतों को नियंत्रण करने वाले नियम	भारतीय विधि और विनियामक अपेक्षाओं पर लागू	भारतीय कानून और विनियामक आवश्यकताओं पर लागू
	विनियामक ट्रीटमेंट		
4	संक्रमणकालीन बेसल III नियम	टीयर–2	टीयर–2
5	उत्तर–संक्रमणकालीन बेसल III के नियम	पात्र	पात्र
6	एकल / समूह / समूह और एकल स्तर पर पात्र	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत का प्रकार	बेसल III शिकायत टियर II बॉन्ड–शृंखला I	बेसल III शिकायत टियर II बॉन्ड–ट्रेंच ए
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (31.03.2018 तक, रुपए लाख में)	6000	2900
9	लिखत का सम मूल्य	6000	5000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	28.07.2016	30.10.2018
12	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तारीख	28.07.2026	30.10.2018
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता कॉल	हाँ	हाँ
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक और मोचन राशि (रुपये लाखों में)	वैकल्पिक कॉल दिनांक: 28.07.2021 मोचन राशि:6000	वैकल्पिक कालॅ दिनांक: 30.10.2023 मोचिन राशिः 2900
16	अनुवर्ती कॉल दिनांक, यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन/लाभांश	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	8.10% प्रतिवर्ष	8.90% प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्धविवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	गैर संचयी	गैर संचयी
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	हाँ	हाँ
31	यदि अवलिखित है तो, अवलेखन ट्रिगर	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर–व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर–व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	पूर्णतः	पूर्णतः
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	स्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो, राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	बैंक के अन्य लेनदारों तथा जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	बैंक के अन्य लेनदारों तथा जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	पूर्णतः अनुपालन	पूर्णतः अनुपालन
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं	लागू नहीं

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A08016	INE562A08024
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian Laws and regulatory requirements	Applicable Indian Laws and regulatory requirements
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible	Eligible
6	Eligible at solo/group/group & solo	Group & Solo	Group & Solo
7	Instrument type	Basel III compliant Tier II Bond – Series I	Basel III compliant Tier II Bond – Tranche A
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of 31.03.2019)	6000	2900
9	Par value of instrument	6000	2900
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	28/07/2016	30/10/2018
12	Perpetual or dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	28/07/2026	30/10/2028
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹In Millions)	Call Option Date: 28/07/2021 Redemption amount:6000	Call Option Date: 30/10/2023 Redemption amount:2900
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.10% pa	8.90% pa
19	Existence of a dividend stopper	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary	Fully discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI
32	If write-down, full or partial	Full	Full
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Fully Compliant	Fully Compliant
37	If yes, specify non-compliant features	Not applicable	Not applicable

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ
विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं हेतु प्रकटीकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा.सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी न्यूक्तियों के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562ए08032	आईएनइ562ए08040
3	लिखतों को नियंत्रण करने वाले नियम	भारतीय कानून और विनियामक आवश्यकताओं पर लागू	भारतीय कानून और विनियामक आवश्यकताओं पर लागू
	विनियामक ट्रीटमेंट		
4	संक्रमणकालीन बेसल III नियम	टीयर–2	टीयर–2
5	उत्तर–संक्रमणकालीन बेसल III के नियम	पात्र	पात्र
6	एकल / समूह / समूह और एकल स्तर पर पात्र	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत का प्रकार	बेसल III शिकायत टियर II बॉन्ड–ट्रेंच बी	बेसल III शिकायत टियर II बॉन्ड–ट्रेंच बी
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (31.03.2018 तक, रुपए लाख में)	1100	6000
9	लिखत का सम मूल्य	1100	6000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	06/11/2018	22/01/2019
12	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तारीख	06/11/2028	22/01/2019
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता कॉल	हाँ	हाँ
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक और मोचन राशि (रुपये लाखों में)	वैकल्पिक कॉल दिनांक: 06/11/2023 मोचन राशि:1100	वैकल्पिक कालॅ दिनांक:22/01/2024 मोचिन राशि: 6000
16	अनुवर्ती कॉल दिनांक, यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन/लाभांश	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	8.85% प्रतिवर्ष	8.53% प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्धविवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	हाँ	हाँ
31	यदि अवलिखित है तो, अवलेखन ट्रिगर	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर–व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर–व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	पूर्णतः	पूर्णतः
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	स्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो, राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	बैंक के अन्य लेनदारों तथा जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	बैंक के अन्य लेनदारों तथा जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	पूर्णतः अनुपालन	पूर्णतः अनुपालन
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं	लागू नहीं

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A08032	INE562A08040
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian Laws and regulatory requirements	Applicable Indian Laws and regulatory requirements
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible	Eligible
6	Eligible at solo/group/group & solo	Group & Solo	Group & Solo
7	Instrument type	Basel III compliant Tier II Bond – Tranche B	Basel III compliant Tier II Bond – Tranche C
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of 31.03.2019)	1100	6000
9	Par value of instrument	1100	6000
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	06/11/2018	22/01/2019
12	Perpetual or dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	06/11/2028	22/01/2019
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹In Millions)	Call Option Date: 06/11/2023 Redemption amount:1100	Call Option Date: 22/01/2019 Redemption amount:6000
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.85% pa	8.53% pa
19	Existence of a dividend stopper	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary	Fully discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI
32	If write-down, full or partial	Full	Full
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Fully Compliant	Fully Compliant
37	If yes, specify non-compliant features	Not applicable	Not applicable

सारणी डीएफ–14 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ
निम्नतर टियर II बॉन्ड के लिए शर्तें एवं निबंधन

सुरक्षा विवरण	8.67 प्रतिशत असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण अपर टियर II बॉन्ड (ऋण पूंजी लिखत) प्रत्येक 10,00,000 रुपये का वचननोट की प्रकृति में (श्रृंखला तृतीय) कुल 500 करोड़ रुपये तक)
….के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई	निजी निवेष
टैक्स की स्थिति	टैक्स से छूट नहीं
निर्गम के उद्घाटन की तारीख	16/07/2010
निर्गम के बंद होने की तारीख	16/07/2010
श्रृंखला	श्रृंखला III
आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए09048
प्रति लिखत का अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000
प्रति लिखत का प्रदत्त मूल्य	रुपये 10,00,000
निर्गम का आकार	रुपय 500 करोड़
आवंटन की तिथि	16/07/2010
परिपक्वता अवधि समाप्ति की तिथि	16/07/2025
परिपक्व होने के लिए राशि	रुपय 500 करोड़
कूपन दर (निश्चित)	पहले 10 साल के लिए 8.67 प्रतिशत के दर पर। 50 बेसिस पॉइंट्स दर स्टेप्ड अप होगा, प्रभाव में, बॉन्ड्स पर कूपन दर 11 वें वर्ष से 9.17 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी, अगर कॉल ऑप्शन आवंटन की तिथि से 10 वर्ष के अंत में बैंक द्वारा प्रयोग नहीं की जाएगी।
ब्याज की आवृति	वार्षिक तथा गैर संचयी
देय ब्याज की तिथि	हर साल 16 जुलाई को
ब्याज भुगतान की पहली तिथि	16 जुलाई 2011
कॉल ऑप्शन	कॉल ऑप्शन बॉन्ड पर उपलब्ध है और आवंटन की तारीख से 10 वर्ष के अंत में बैंक द्वारा इसका प्रयोग किया जाना, अन्य शर्तों से संबंधित समय में लागू कानूनों और नियमन के अनुसार, बैंक की कॉल ऑप्शन प्रयोग के समय में और प्रयोग के बाद पूंजी पर्याप्तता स्थिति अंशतः नहीं बल्कि पूर्णतः बैंक द्वारा कॉल विकल्प का प्रयोग और प्रयोग के बाद का मामला भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा । बैंक द्वारा कॉल विकल्प के प्रयोग के समय बैंक कम से कम 30 (तीस) दिन पहले उस तारीख को, बॉन्ड धारकों को पंजीकृत डाक / कूरियर द्वारा भेजे गए एक नोटिस के माध्यम से सूचित करेगा । बांड आवंटन की संभावित तारीख से 10 साल की चूक के बाद कॉल विकल्प के साथ संयोजन के रूप में बांड के पूरे जीवन काल के दौरान केवल एक बार प्रयोग किया जाएगा जो एक स्टेप–अप ऑप्शन कहलाएगा। स्टेप–अप 50 बीपीएस, कॉल ऑप्शन आवंटन की तिथि से 10 वर्ष के अंत में अगर बैंक द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है, तो बॉन्ड पर कूपन दर बाद के वर्षों के लिए 9.17% प्रति वर्ष के हिसाब से कूपन रेट बढ़ाया जाएगा।

Table DF-14: Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Terms and conditions for Upper Tier II Bond

Security Description	8.67% Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier II Bonds (Debt Capital Instruments) in the nature of Promissory Notes (Series III) of Rs.10,00,000 each aggregating to Rs.500 Crore)
Security offered through	Private Placement
Tax status	Not exempted from Tax
Date of opening of the issue	16/07/2010
Date of closing of the issue	16/07/2010
Series	Series III
ISIN Code	INE562A09048
Face Value per instrument	Rs.10,00,000
Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
Issue Size	Rs.500 Crore
Date of allotment	16/07/2010
Date of maturity	16/07/2025
Amount to be matured	Rs.500 Crore
Coupon rate (fixed)	8.67% for the first 10 years. The rate will be stepped up by 50 basis points, in effect, the coupon rate on Bonds shall be 9.17% p.a from 11th year onwards, if call option not exercised by the Bank at the end of the 10th year from the date of allotment
Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
Interest due dates	16th July every year
First Interest Payment date	16th July 2011
Call Option	Call Option is available on bonds which may be exercised by the Bank at the end of 10th year from the date of allotment, subject to prior approval of RBI and in accordance with the applicable laws and regulation in effect at the time relating to among other things, Capital adequacy position of the Bank both at the time of and after exercise of the Call option, in whole but not in part. In case of exercise of Call option by the Bank, the Bank shall notify its intention to do so through a notice sent by registered post/ courier to the Bond holders, at least 30(thirty) days prior to the due date. The bonds shall a step-up options which shall be exercised only once during the whole life of the bonds, in conjunction with the Call option, after the lapse of 10 years from the deemed date of allotment. The step-up shall be 50 bps, in effect, the coupon rate on bonds shall be stepped up to 9.17% p.a for subsequent years if call option is not exercised by the bank at the end of 10th year from the date of allotment.

निम्नतर टियर II बॉन्ड के लिए पूर्ण शर्तें एवं निबंधन

सुरक्षा विवरण	8.53 प्रतिशत असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण लोअर टीयर II बॉन्ड्स 10,00,000 रुपये का वचन पत्र के श्रेणी में (ऋण पूंजी लिखत) (श्रृंखला II), प्रत्येक कुल 500 करोड़ रुपये तक)
....के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई	निजी नियोजन
टैक्स की स्थिति	टैक्स से छूट नहीं
निर्गम के उद्घाटन की तारीख	28/06/2010
निर्गम के बंद होने की तारीख	28/06/2010
श्रृंखला	श्रृंखला II
आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए09030
प्रति लिखत का अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000
प्रति लिखत का प्रदत्त मूल्य	रुपये 10,00,000
निर्गम का आकार	रुपये 500 करोड़
आबंटन की तिथि	28/06/2010
परिपक्वता अवधि समाप्ति की तिथि	28/06/2020
परिपक्व होने के लिए राशि	रुपये 500 करोड़
कूपन दर (निश्चित)	8.53 प्रतिशत
ब्याज की आवृति	वार्षिक तथा गैर संचयी
देय ब्याज की तिथि	हर साल 28 जून को
ब्याज भुगतान की पहली तिथि	28 जून 2011

बेसल III के अनुरूप शर्तें एवं निबंधन टियर II बॉन्ड–सीरीज I

सुरक्षा विवरण	8.10 प्रतिशत असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण लोअर टीयर II बॉन्ड्स 10,00,000 रुपये का वचन पत्र के श्रेणी में (ऋण पूंजी लिखत) (श्रृंखला I), प्रत्येक कुल 600 करोड़ रुपये तक)
के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई	निजी नियोजन
टैक्स की स्थिति	टैक्स से छूट नहीं
निर्गम के उद्घाटन की तारीख	28/07/2016
निर्गम के बंद होने की तारीख	28/07/2016
श्रृंखला	श्रृंखला I
आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए08016
प्रति लिखत का अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000
प्रति लिखत का प्रदत्त मूल्य	रुपये 10,00,000
निर्गम का आकार	रुपये 600 करोड़
आवंटन की तिथि	28/07/2016
परिपक्वता तिथि	28/07/2026
कॉल ऑप्शन	पाँच वर्षों के अंत में : 28/07/2021
परिपक्व होने के लिए राशि	रुपये 600 करोड़
कूपन दर (निश्चित)	8.10%
ब्याज की आवृति	वार्षिक तथा गैर संचयी
देय ब्याज की तिथि	28 जुलाई हर साल
ब्याज भुगतान की पहली तिथि	28 जुलाई 2017

Terms and conditions for Lower Tier II Bond

Security Description	8.53% Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier II Bonds (Debt Capital Instruments) in the nature of Promissory Notes (Series II) of Rs.10,00,000 each aggregating to Rs.500 Crore)
Security offered through	Private Placement
Tax status	Not exempted from Tax
Date of opening of the issue	28/06/2010
Date of closing of the issue	28/06/2010
Series	Series II
ISIN Code	INE562A09030
Face Value per instrument	Rs.10,00,000
Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
Issue Size	Rs.500 Crore
Date of allotment	28/06/2010
Date of maturity	28/06/2020
Amount to be matured	Rs.500 Crore
Coupon rate (fixed)	8.53%
Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
Interest due dates	28th June every year
First Interest Payment date	28th June 2011

Terms and conditions for Basel III compliant Tier II Bond - Series I

Security Description	8.10% Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier II Bonds (Debt Capital Instruments) in the nature of Promissory Notes (Series I) of Rs.10,00,000 each aggregating to Rs.600 Crore)
Security offered through	Private Placement
Tax status	Not exempted from Tax
Date of opening of the issue	28/07/2016
Date of closing of the issue	28/07/2016
Series	Series I
ISIN Code	INE562A08016
Face Value per instrument	Rs.10,00,000
Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
Issue Size	Rs.600 Crore
Date of allotment	28/07/2016
Date of maturity	28/07/2026
Call Option	At the end of 5 years ie:28/07/2021
Amount to be matured	Rs.600 Crore
Coupon rate (fixed)	8.10%
Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
Interest due dates	28th July every year
First Interest Payment date	28th July 2017

बेसल III के अनुरूप शर्तें एवं निबंधन टियर II बॉन्ड–सीरीज I

सुरक्षा विवरण	8.90 प्रतिशत असुरक्षित, अपरिवर्तनीय, प्रतिदेय, बेसल III निंबन्धित टियर II बॉन्डस् प्रत्येक 10 लाख रुपये के डिबेंचर के रूप में कुल रु.290 करोड़ की राशि
····के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई	निजी निवेष
टैक्स की स्थिति	टैक्स से छूट नहीं
निर्गम के उद्घाटन की तारीख	26/10/2018
निर्गम के बंद होने की तारीख	26/10/2018
श्रृंखला	ट्रेंच ए
आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए08024
प्रति लिखत का अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000
प्रति लिखत का प्रदत्त मूल्य	रुपये 10,00,000
निर्गम का आकार	रुपये 200 करोड़
आवंटन की तिथि	30/10/2018
परिपक्वता अवधि समाप्ति की तिथि	30/10/2018
कॉल ऑप्शन	वर्षों के अंत में : 30/10/2023
परिपक्व होने के लिए राशि	रुपये 290 करोड़
कूपन दर (निश्चित)	8.90%
ब्याज की आवृति	वार्षिक तथा गैर संचयी
देय ब्याज की तिथि	हर साल 30 अक्तूबर
ब्याज भुगतान की पहली तिथि	30/10/2019
कॉल ऑप्शन	उपरोक्त शर्तों के अधीन जारीकर्ता परिपक्वता–पूर्व मोचन की तिथि(जिसकी सूचना परिपक्वता–पूर्व मोचन की नियत तिथि से (जारीकर्ता की परिपक्वता–पूर्व मोचन तिथि) होगी) 21 दिनों के भीतर ट्रस्टी को संतुष्ट करने तथा सूचना भेजने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, इन बकाया बॉन्ड्स की घोषणा कर सकता है। जारीकर्ता की घोषणा जो पूर्णतः विवेकाधीन है आबंटन की संभावित तिथि से पांचवें वर्ष की या नहीं की जा सकती है यथा पाँचवाँ कूपन या कूपन के भुगतान की तिथि के बाद(यथा पांचवें वर्ष के अंत में – 30.10.2023)

निम्नतर टीयर II बॉन्ड के लिए पूर्ण शर्तें एवं निबंधन

सुरक्षा विवरण	8.85 प्रतिशत असुरक्षित, अपरिवर्तनीय, प्रतिदेय, बेसल III निंबन्धित टियर II बॉन्डस् प्रत्येक 10 लाख रुपये के डिबेंचर के रूप में कुल रु.110 करोड़ की राशि
····के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई	निजी स्थानन
टैक्स की स्थिति	टैक्स से छूट नहीं
निर्गम के उद्घाटन की तारीख	02/11/2018
निर्गम के बंद होने की तारीख	02/11/2018
श्रृंखला	श्रृंखला I
आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए08032
प्रति लिखत का अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000
प्रति लिखत का प्रदत्त मूल्य	रुपये 10,00,000
निर्गम का आकार	रुपये 110 करोड़

Terms and conditions for Basel III compliant Tier II Bond - Series I

Security Description	8.90% Unsecured, Non-Convertible, Redeemable, Basel-III Compliant Tier II Bonds in the nature of Debentures of 10 Lakhs each aggregating to Rs.290 Crore)
Security offered through	Private Placement
Tax status	Not exempted from Tax
Date of opening of the issue	26/10/2018
Date of closing of the issue	26/10/2018
Series	Tranche A
ISIN Code	INE562A08024
Face Value per instrument	Rs.10,00,000
Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
Issue Size	Rs.290 Crore
Date of allotment	30/10/2018
Date of maturity	30/10/2028
Call Option	At the end of 5 years i.e.: 30/10/2023
Amount to be matured	Rs.290 Crore
Coupon rate (fixed)	8.90%
Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
Interest due dates	30th Oct every year
First Interest Payment date	30/10/2019
Call Option	The Issuer may at its sole discretion, subject to above conditions for call having been satisfied and having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Issuer Call (which notice, shall specify the date fixed for exercise of the Issuer Call (the "Issuer Call Date"), may exercise a call on the outstanding Bonds. The Issuer Call, which is discretionary, may or may not be exercised on the fifth anniversary from the Deemed Date of Allotment, i.e. the fifth Coupon or on coupon payment date thereafter (i.e. At the end of the 5th year – 30.10.2023)

Terms and conditions for Basel III compliant Tier II Bond - Series I

Security Description	8.85% Unsecured, Non-Convertible, Redeemable, Basel-III Compliant Tier II Bonds in the nature of Debentures of 10 Lakhs each aggregating to Rs 110 Crore)
Security offered through	Private Placement
Tax status	Not exempted from Tax
Date of opening of the issue	02/11/2018
Date of closing of the issue	02/11/2018
Series	Tranche B
ISIN Code	INE562A08032
Face Value per instrument	Rs.10,00,000
Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
Issue Size	Rs.110 Crore

आवंटन की तिथि	06/11/2018
परिपक्वता अवधि समाप्ति की तिथि	06/11/2018
कॉल ऑप्शन	5 वर्षों के अंत में : जैसे 06/11/2023
परिपक्व होने के लिए राशि	रुपये 110 करोड़
कूपन दर (निश्चित)	8.850%
ब्याज की आवृति	वार्षिक तथा गैर संचयी
देय ब्याज की तिथि	हर साल 6 नवम्बर
ब्याज भुगतान की पहली तिथि	06/11/2019
कॉल ऑप्शन	उपरोक्त शर्तों के अधीन जारीकर्ता परिपक्वता–पूर्व मोचन की तिथि(जिसकी सूचना परिपक्वता–पूर्व मोचन की नियत तिथि से (जारीकर्ता की परिपक्वता–पूर्व मोचन तिथि) होगी) 21 दिनों के भीतर ट्रस्टी को संतुष्ट करने तथा सूचना भेजने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, इन बकाया बॉन्ड्स की घोषणा कर सकता है। जारीकर्ता की घोषणा जो पूर्णतः विवेकाधीन है आबंटन की संभावित तिथि से पांचवें वर्ष की या नहीं की जा सकती है यथा पाँचवाँ कूपन या कूपन के भुगतान की तिथि के बाद(यथा पांचवें वर्ष के अंत में – 06.11.2023)

बेसल III के अनुरूप शर्तें एवं निबंधन टियर II बॉन्ड–सीरीज I

सुरक्षा विवरण	8.53 प्रतिशत असुरक्षित, अपरिवर्तनीय, प्रतिदेय, बेसल III निंबन्धित टियर II बॉन्डस् प्रत्येक 10 लाख रुपये के डिबेंचर के रूप में कुल रु.600 करोड़ की राशि
····के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई	निजी निवेश
टैक्स की स्थिति	टैक्स से छूट नहीं
निर्गम के उद्घाटन की तारीख	18/01/2019
निर्गम के बंद होने की तारीख	18/01/2019
श्रृंखला	श्रृंखला I
आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए8040
प्रति लिखत का अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000
प्रति लिखत का प्रदत्त मूल्य	रुपये 10,00,000
निर्गम का आकार	रुपये 600 करोड़
आवंटन की तिथि	22/01/2019
परिपक्वता अवधि समाप्ति की तिथि	22/01/2019
कॉल ऑप्शन	5 वर्ष पूरा होने के बाद ही
परिपक्व होने के लिए राशि	रुपये 600 करोड़
कूपन दर (निश्चित)	8.53%
ब्याज की आवृति	वार्षिक तथा गैर संचयी
देय ब्याज की तिथि	प्रत्येक वर्ष 22 जनवरी
ब्याज भुगतान की पहली तिथि	22/01/2020
कॉल ऑप्शन	उपरोक्त शर्तों के अधीन जारीकर्ता परिपक्वता–पूर्व मोचन की तिथि(जिसकी सूचना परिपक्वता–पूर्व मोचन की नियत तिथि से (जारीकर्ता की परिपक्वता–पूर्व मोचन तिथि) होगी) 21 दिनों के भीतर ट्रस्टी को संतुष्ट करने तथा सूचना भेजने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, इन बकाया बॉन्ड्स की घोषणा कर सकता है। जारीकर्ता की घोषणा जो पूर्णतः विवेकाधीन है आबंटन की संभावित तिथि से पांचवें वर्ष की या नहीं की जा सकती है यथा पाँचवाँ कूपन या कूपन के भुगतान की तिथि के बाद(यथा पांचवें वर्ष के अंत में – 22.01.2024)

Date of allotment	06/11/2018
Date of maturity	06/11/2028
Call Option	At the end of 5 years i.e.: 06/11/2023
Amount to be matured	Rs 110 Crore
Coupon rate (fixed)	8.85%
Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
Interest due dates	6th November every year
First Interest Payment date	06/11/2019
Call Option	The Issuer may at its sole discretion, subject to above conditions for call having been satisfied and having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Issuer Call (which notice, shall specify the date fixed for exercise of the Issuer Call (the "Issuer Call Date"), may exercise a call on the outstanding Bonds. The Issuer Call, which is discretionary, may or may not be exercised on the fifth anniversary from the Deemed Date of Allotment, i.e. the fifth Coupon or on coupon payment date thereafter (i.e. At the end of the 5th year – 06.11.2023)

Terms and conditions for Basel III compliant Tier II Bond - Series I

Security Description	8.53% Unsecured, Non-Convertible, Redeemable, Basel-III Compliant Tier II Bonds in the nature of Debentures of 10 Lakhs each aggregating to Rs.600 Crore)
Security offered through	Private Placement
Tax status	Not exempted from Tax
Date of opening of the issue	18-01-2019
Date of closing of the issue	18-01-2019
Series	Tranche C
ISIN Code	INE562A08040
Face Value per instrument	Rs.10,00,000
Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
Issue Size	Rs.600 Crore
Date of allotment	22-01-2019
Date of maturity	22-01-2029
Call Option	At the end of 5 years i.e: 22-01-2024
Amount to be matured	Rs.600 Crore
Coupon rate (fixed)	8.53%
Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
Interest due dates	22nd January every year
First Interest Payment date	22-01-2020
Call Option	The Issuer may at its sole discretion, subject to above conditions for call having been satisfied and having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Issuer Call (which notice, shall specify the date fixed for exercise of the Issuer Call (the "Issuer Call Date"), may exercise a call on the outstanding Bonds. The Issuer Call, which is discretionary, may or may not be exercised on the fifth anniversary from the Deemed Date of Allotment, i.e. the fifth Coupon or on coupon payment date thereafter (i.e. At the end of the 5th year – 22.01.2024)

सारणी डीएफ–14 विनियामक पूंजी लिखतों की शर्तें एवं निबंधन
एटी 1 बॉन्ड के लिए पूर्ण शर्तें एवं निबंधन

सुरक्षा विवरण	अरक्षित बेसल III के अनुपालन में अतिरिक्त टियर–1 की स्थायी ऋण लिखतें
के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई	निजी नियोजन
टैक्स की स्थिति	टैक्स से छूट नहीं
निर्गम के उद्घाटन की तारीख	30/03/2016
निर्गम के बंद होने की तारीख	30/03/2016
श्रृंखला	श्रृंखला I
आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए09055
प्रति लिखत का अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000
प्रति लिखत का प्रदत्त मूल्य	रुपये 10,00,000
मुद्दा का आकार	रुपय 500 करोड़
आवंटन की तिथि	31/03/2016
परिपक्वता अवधि समाप्ति की तिथि	स्थायी लिखतें
कूपन दर (नियत)	11.15% प्रतिशत प्रतिवर्ष
ब्याज की आवृति	वार्षिक तथा गैर संचयी
देय ब्याज की तिथि	हर साल 30 मार्च को
ब्याज भुगतान की पहली तिथि	30 मार्च 2017
पुट ऑप्शन	कुछ नहीं
कॉल ऑप्शन	5 वर्ष पूरे होने के बाद ही
ट्रस्टीस	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड
ऋण रेटिंग	सीआरआईएसआईएल एए +/स्टेबल दिनांकित 06 नवम्बर 2017

सारणी डीएफ - 15: पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताएं

.... **लागू नहीं** ....

बेसल III पर शरिबैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार यह सारणी भारत में कार्यरत सभी निजी एवं विदेशी बैंकों के लिए ही लागू है ।

सारणी डीएफ –16 : ईक्विटी – बैंकिंग बुक स्थितियों के लिए प्रकटीकरण

बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन पर विवेकपूर्ण मानदण्डों पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुपालन में खरीद के समय में ही निवेशों को व्यापार के लिए धारित (एचएफटी), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) ओर परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। छोटी अवधि में ही मूल रूप से बिक्री के लिए धारित निवेशों को एचएफटी प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत किया जाता हैं। भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी एचएफटी प्रतिभूतियों को, जो 90 दिन के अवधि के दौरान बिना बिके रहते हैं, एएफएस प्रतिभूति के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाता हैं। जिन प्रतिभूतियों को बैंक परिपक्वता तक धारित करने का इरादा रखता है, उन्हें एचटीएम संवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों की ईक्विटी में निवेश को एएफएस प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी निवेशों को एएफएस प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एचटीएम सवंर्ग में धारित ईक्विटी निवेशों को अर्जन लागत पर रखा जाता है। बैंकिंग बही के अंतर्गत ईक्विटी निवेश, अनुषंगियों और सहयोगी संस्थाओं में बैंक के निवेश है। 31.03.2019 तक बैंकिंग बही के अंतर्गत ईक्विटी शेयरों में बही मूल्य रुपए 923.64 मिलियन हैं। बैंक ने समेकित लाभ / हानि लेखे में या समेकित तुलन–पत्र में किसी भी प्रकार के लाभ या हानि की पहचान नहीं की हैं।

अनुषंगियों में निवेश को सीईटी 1 से कम किया गया है तथा सहयोगी संस्थाओं में निवेश को 250 प्रतिशत पर जोखिम भारित किया गया है।

Table DF-14: Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Terms and conditions for AT 1 Bonds

Security Description	Unsecured BASEL III Compliant Additional Tier-1 Perpetual Debt Instruments
Security offered through	Private Placement
Tax status	Not exempted from Tax
Date of opening of the issue	30/03/2016
Date of closing of the issue	30/03/2016
Series	Series I
ISIN Code	INE562A09055
Face Value per instrument	Rs.10,00,000
Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
Issue Size	Rs.500 Crore
Date of allotment	31/03/2016
Date of maturity	Perpetual instruments
Coupon rate (fixed)	11.15% p.a.
Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
Interest due dates	30th March every year
First Interest Payment date	30th March 2017
Put option	None
Call Option	Only after completing 5 years.
Trustees	Axis Trustee Services Limited
Credit Rating	CRISIL AA+/Stable dated 06th November 2017

Table DF-15: Disclosure Requirements for Remuneration

----- Not applicable -----

As per RBI Master Circular on Basel III, this table is only applicable to all private sector and foreign banks operating in India.

Table DF-16: Equities-Disclosure for Banking Book Positions

Investments are classified at the time of purchase into Held for trade (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories in line with the RBI master circular on Prudential Norms for classification, valuation and operation of investments portfolio by Banks. Investments that are held principally for sale within a short period are classified as HFT securities. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified under the HTM category. Investments in the equity of subsidiaries/joint ventures are categorized as HTM in accordance with the RBI guidelines. All other investments are classified as AFS securities.

Equity investments under the HTM category are carried at acquisition cost. Equity investments under the banking book are the Bank's investments in subsidiaries and associates. As on 31/03/2019, Book value of equity shares under Banking book is ₹923.64 million. The Bank has not recognised any gain or loss in the consolidated profit and loss account or consolidated balance sheet.

Investments in subsidiaries have been reduced from CET 1 and investments in associates have been risk weighted at 250%

सारणी डीएफ 17 – लेखांकित आस्तियों की तुलना में लिवरेज प्रतिशत एक्स्पोजर कदमों की तुलना का सारांश

(₹ मिलियन में)

	मद	31.03.2019
1	प्रकाशित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	2803882.85
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक उपक्रमों में निवेश के लिए समायोजन जिन्हें लेखांकन के प्रयोजनों के लिए समेकित किया गया है परंतु विनियामक समेकन के दायरे के बाहर है।	0.00
3	परिचालनगत लेखांकन ढांचे के अनुरूप तुलन–पत्र में पहचानी गयी प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन परंतु जो लिवरेज अनुपात एक्स्पोज़र कदम के दायरे से बाहर है।	0.00
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन।	4093.88
5	प्रतिभूतियों के वित्तीयन लेनदेनों के लिए समायोजन (अर्थात् रैपो और इसी प्रकार के रक्षित ऋण)	0.00
6	तुलन–पत्र से बाहर की मदों के लिए समायोजन (अर्थात् तुलन–पत्र के बाहर की एक्स्पोज़र राशियों का ऋण–समतुल्य राशियों में परिवर्तन।	216178.05
7	अन्य समायोजन	5107.82
8	**लिवरेज प्रतिशत एक्स्पोज़र**	**3019046.96**

डीएफ 18 – लिवरेज प्रतिशत सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट

(₹ मिलियन में)

	मद	31-03-2019
	तुलन–पत्र में आनेवाले एक्स्पोश़र	**समेकित**
1	तुलन–पत्र में आनेवाली मदें (व्युत्पन्न और एसएफटी को छोड़कर परंतु संपार्श्विक को शामिल करते हुए)	2803882.85
2	(बेसल III टियर I पूंजी के निर्धारण में आस्ति राशियां घटायी गयी हैं।	5107.82
3	कुल तुलन–पत्र में आनेवाली मदें (व्युत्पन्न और एसएफटी को छोड़कर) (ऊपर 1 और 2 का योग)	2798775.02
	व्युत्पन्न एक्स्पोश़र	
4	सभी व्युत्पन्न लेनदेनों से संबंधित पुनः स्थापन लागत (अर्थात् पात्र नकदी विभिन्नता मार्जिन को घटाने के बाद)	1487.18
5	सभी व्युत्पन्न लेनदेनों से संबंधित पीएफई के लिए एड–ऑन राशियां	2606.70
6	परिचालनगत लेखांकन ढांचे के अनुपालन में तुलन–पत्र की आस्तियों से जहां कटौती की गई है, प्रावधान किए गए व्युत्पन्न संपार्श्विक की सकल राशि।	0
7	(व्युत्पन्न लेनदेनों में प्रावधान किए गए नकदी विभिन्नता मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	0
8	(ग्राहक द्वारा क्लियर किए गए व्यापार एक्स्पोज़र में छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	0
9	लिखित ऋण व्युत्पन्न के लिए समायोजित प्रभावी नाम मात्र राशि।	0
10	(लिखित ऋण व्युत्पन्न के लिए समायोजित प्रभावी नाम मात्र ऑफसेट और एड–ऑन कटौतियां)	0
11	कुल व्युत्पन्न एक्स्पोज़र (ऊपर 4 से 10 का योग)	4093.88
	प्रतिभूतियों के वित्तीयन संबंधित लेनदेन एक्स्पोश़र	
12	सकल एसएफटी आस्तियां (नेटिंग की पहचान रहित), बिक्री लेखांकन लेनदेनों के समायोजन के बाद)	0.00
13	(सकल एसएफटी आस्तियों में देय नकदी और प्राप्य नकदी की निवल राशियां)	0.00
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्स्पोज़र	0.00
15	एजेंट लेनदेन एक्स्पोज़र	0.00
16	कुल प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन एक्स्पोज़र (ऊपर 12 से 15 का योग)	0.00
	अन्य तुलन–पत्र से बाहर के एक्स्पोश़र	
17	सकल नाममात्र राशि पर तुलन पत्र से बाहर के एक्स्पोज़र	555166.22
18	(ऋण समतुल्य राशियों में परिवर्तन हेतु समायोजन)	338988.17
19	तुलन–पत्र से बाहर की मदें (ऊपर 17 और 18 का योग)	216178.05
	पूंजी और कुल एक्स्पोश़र	
20	टियर I पूंजी	176903.37
21	कुल एक्स्पोश़र (पंक्ति 3, 11, 16 और 19 का योग)	3019046.96
	लिवरेज अनुपात	
22	**बेसल III लिवरेज अनुपात**	**5.86%**

Table DF 17- Summary comparison of accounting assets vs. leverage ratio exposure measure

(₹ in Million)

	Item	31.03.2019
1	Total consolidated assets as per published financial Statement	2803882.85
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	0.00
3	Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	0.00
4	Adjustments for derivative financial instruments	4093.88
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	0.00
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	216178.05
7	Other adjustments	5107.82
8	**Leverage ratio exposure**	**3019046.96**

DF 18 – Leverage ratio common disclosure template

(₹ in Million)

	Item	31-03-2019
	On-balance sheet exposures	**Consolidated**
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	2803882.85
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	5107.82
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	2798775.02
	Derivative exposures	
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	1487.18
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	2606.70
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	0.00
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	0.00
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	0.00
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	0.00
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	0.00
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	4093.88
	Securities financing transaction exposures	
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	0.00
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	0.00
14	CCR exposure for SFT assets	0.00
15	Agent transaction exposures	0.00
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	0.00
	Other off-balance sheet exposures	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	555166.22
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	338988.17
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	216178.05
	Capital and total exposures	
20	Tier 1 capital	176903.37
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	3019046.96
	Leverage ratio	
22	**Basel III leverage ratio**	**5.86%**

NOTES

MD & CEO receiving the 'Award for Leadership Capital' campaign for MD & CEO's for APY during the felicitation Programme held at New Delhi on 23rd January 2019 from Shri Rajiv Kumar, Secretary, DFS, Ministry of Finance, Govt. of India. Shri Hemant G. Contractor, Chairman, PFRDA is also present.

Indian Bank celebrated International Women's Day by honouring 12 women achievers from diverse fields. Dr V Shanta, Chairman, Cancer Institute (WIA) was the Chief Guest of the programme.

இந்தியன் வங்கி
इंडियन बैंक
Indian Bank
உங்கள் வங்கி • आपका अपना बैंक • YOUR OWN BANK

हमें इन योजनाओं के सहयोग में गर्व है / WE ARE PROUD TO BE ASSOCIATED WITH

#startupindia

Corporate Office: 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Chennai - 600 014.
कॉर्पोरेट कार्यालय : 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै - 600 014

www.indianbank.in | 1800 425 00 000 | MyIndianBank | @MyIndianBank | @myindianbank | Indian Bank | Indian Bank